

वार्षिक रिपोर्ट

2008-09



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग

नई दिल्ली – 110 002

वार्षिक रिपोर्ट

2008–2009



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग

नई दिल्ली-110002

(वेबसाइट : www.ugc.ac.in)

वर्ष 2008—2009 के दौरान आयोग के सदस्यों की सूची

अध्यक्ष

प्रो० सुखदेव थोरात

उपाध्यक्ष

प्रो० मूलचन्द शर्मा*

सदस्य

1. श्री आर. पी. अग्रवाल
2. श्रीमती रीता मेनन**
3. श्रीमती विलासिनी रामाचन्द्रन***
4. डॉ० शिवाजीराव श्रीपतराव कदम
5. प्रो० के० रामामूर्ति नायडू
6. डॉ० (श्रीमती) शशि राय +
7. डॉ० एस० जेवियर अलफॉन्स, एस.जे.
8. प्रो० जलीस अहमद खान तरीन
9. डॉ० (श्रीमती) विद्या येरावदेकर
10. प्रो० डी० सिंह चौहान
11. प्रो० अच्युतानन्द सामन्त

सचिव

डॉ० आर० के० चौहान

* 28 फरवरी, 2009 तक
 ** 23 मार्च, 2009 तक
 *** प्रभावी 24 मार्च, 2009 से
 + 7 फरवरी, 2009 तक

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान सदस्यों की सूची

अध्यक्ष

प्रो० सुखदेव थोरात

उपाध्यक्ष

प्रो० वेद प्रकाश

सदस्य

- श्रीमती विलासिनी रामाचन्द्रन अतिरिक्त सचिव, व्यय विभाग,
वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली-110001
- डॉ० शिवाजीराव श्रीपतराव कदम उप-कुलपति, भारती विद्यापीठ विश्वविद्यालय,
लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, पुणे-411030
- प्रो० के० रामामूर्ति नायडू पूर्व सचिव, एपीएससीएचई
माउन्टेन व्यू अपार्टमेंट, जी-5,
डोर नं० 83-269/3/5 एण्ड 11, शंगरीला अपार्टमेंट के समीप,
रोड नं० 2, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500034 (आ० प्र०)
- डॉ० एस० जेवियर अलफॉन्स, एस.जे. निदेशक, इंडियन सेंटर फॉर रिसर्च एण्ड
डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी एजुकेशन, 30,
वीरासामी स्ट्रीट, एगमोर, चेन्नई-600008
- डॉ०(श्रीमती) विद्या येरावदेकर संयुक्त निदेशक, "सिम्बायोसिस" सेनापति बापत रोड,
पुणे-411004
- प्रो० अच्युतानन्द सामन्त प्रो० डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री,
कलिंग इन्सटीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी,
भुवनेश्वर (उड़ीसा)

सचिव

डॉ० आर० के० चौहान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान वरिष्ठ अधिकारी

1. डॉ० आर.के. चौहान	सचिव
2. डॉ० (श्रीमती) निलोफर ए. काजमी	अतिरिक्त सचिव (क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे)
3. डॉ० के. गुनासेकरन	अतिरिक्त सचिव/निदेशक (प्रशासन)
4. डॉ० एस.पी. दास ठाकुर	संयुक्त सचिव
5. डॉ० (श्रीमती) पंकज मित्तल	संयुक्त सचिव (उपकुलपति के पद पर प्रतिनियुक्त)
6. डॉ० पी. प्रकाश	संयुक्त सचिव
7. श्री ए.के. डोगरा	संयुक्त सचिव/वित्तीय सलाहकार
8. डॉ० सी.एस. मीणा	संयुक्त सचिव
9. डॉ० राजेश आनन्द	संयुक्त सचिव
10. डॉ० (श्रीमती) रेणू बत्रा	संयुक्त सचिव
11. डॉ० के.सी. पाठक	संयुक्त सचिव
12. डॉ० (श्रीमती) आशा किरण	संयुक्त सचिव (अध्ययन अवकाश पर)
13. डॉ० देव स्वरूप	संयुक्त सचिव
14. डॉ० रत्नाबाली बनर्जी	संयुक्त सचिव (क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता)
15. डॉ० के.पी. सिंह	संयुक्त सचिव
16. श्री शरणजीत सिंह	संयुक्त सचिव
17. डॉ० (श्रीमती) उर्मिला देवी	संयुक्त सचिव
18. डॉ० एस. जेलानी	संयुक्त सचिव (क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलौर)
19. डॉ० जी. श्रीनिवास	संयुक्त सचिव (क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद)
20. डॉ० (श्रीमती) एच.के. चौहान	संयुक्त निदेशक

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

अध्यक्ष के कक्ष से

कार्यकारी सारांश 1

1. प्रस्तावना

1.1	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका तथा संगठन	16
1.2	11वीं योजना के संबंध में	17
1.3	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कार्यरत विशेष सेल	18
	(क) अनाचार सेल	18
	(ख) सतर्कता सेल	19
	(ग) कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न सेल	20
	(घ) विधिक सेल	20
	(ङ) डेस्क : संसद मामले	21
	(च) सूचना अधिकार अधिनियम (आर.टी.ए) सेल	22
	(छ) आन्तरिक लेखा परीक्षा सेल	23
	(ज) वेतनमान सेल	23
	(झ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग सेल (यू.जी.सी.)	25
	(त) अल्पसंख्यक सेल	25
	(थ) 'रैगिंग' सेल	25
1.4	प्रकाशन	26
1.5	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बजट और वित्त	27
1.6	केन्द्रीय और सम विश्वविद्यालय के लिए संयुक्त केडर समीक्षा समिति (जे.सी.आर.सी.)	29
1.7	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नई पहलें	30
1.8	वर्ष की मुख्य घटनाएँ	31

2. उच्च शिक्षा प्रणाली की वृद्धि : कुछ आँकड़े

2.1	संस्थाएँ	39
2.2	छात्र नामांकन	45
2.3	संकाय संख्या	45
2.4	अनुसंधान डिग्रियाँ	46

2.5	उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में वृद्धि	46
2.6	राज्य तथा संकाय द्वारा महिलाओं के नामांकन का वितरण.....	46
2.7	महिला कालेज	47
3.	विश्वविद्यालयों को विकास (योजनागत) तथा अनुरक्षण (योजनेत्तर) सहायता	
3.1	विश्वविद्यालयों को सहायता	58
	(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालय	60
	(ख) राज्य विश्वविद्यालय	65
	(ग) समविश्वविद्यालय	69
3.2	सम विश्वविद्यालयों की मुख्य विशेषताएँ 2008-2009	72
3.3	विश्वविद्यालयों में वर्तमान एवं नये विभागों तथा नये विभागों को पदोन्नत करने के लिए विकास सहायता	134
4.	कॉलेजों को विकास (योजनागत) और अनुरक्षण (योजनेत्तर) अनुदान	
4.1	11वीं योजना के दौरान कॉलेजों के विकास पर बल	135
4.2	वित्तीय सहायता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज	136
4.3	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कॉलेजों को अनुदान	136
4.4	यू.जी.सी. के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी किए गए अनुदानों की योजनावार स्थिति	137
4.5	राज्य कॉलेजों को योजनागत अनुदान	151
4.6	दिल्ली के कॉलेजों तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के घटक कॉलेजों को अनुरक्षण अनुदान	152
5.	गुणवत्ता और उत्कृष्टता	
5.1	स्वायत्त कॉलेज	154
5.2	उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय(यू.पी.ई.)	155
5.3	उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय(सी.पी.ई.)	156
5.4	विशेष सहायता कार्यक्रम (सेप)	157
5.5	विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आधार संरचना को सुदृढ़ करने के लिए (असिस्त) तथा मानविकी और सामाजिक विज्ञान को सुदृढ़ करने के लिए सहायता (ए.एस.आइ.एच.एस.एस.)	162
5.6	राजभाषा (हिन्दी) का संवर्धन	163
5.7	यात्रा अनुदान	164

5.8	द्विपक्षीय तथा शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम	164
5.9	अकादमिक स्टॉफ कॉलेज (ए.एस.सी.)	167
5.10	अन्तर्विश्वविद्यालय केन्द्र (आई.यू.सी.)	169
5.11	उभरते क्षेत्रों में पाठ्यक्रमों सहित नवाचारी कार्यक्रम	189
5.12	राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र	190
5.13	विशेषीकृत क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्र	200
5.14	नये केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना	202
5.15	कैरियर उन्नति योजना (सी.ए.एस.)के अन्तर्गत रीडर से प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति के लिए यू.जी.सी. पर्यवेक्षकों की नियुक्ति	202
5.16	बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (आई.पी.आर.) की जागरूकता में संवर्धन तथा पेटेंटों की सुगमता	202
5.17	विदेश में भारतीय उच्च शिक्षा संवर्धन	203
5.18	अनुसंधान तथा शिक्षण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परीक्षा	203
5.19	यू.जी.सी.स्वामी प्रणवानंद सरस्वती अवार्ड और यू.जी.सी. हरिओम आश्रम न्यास अवार्ड तथा यू.जी.सी.राष्ट्रीय वेद व्यास संस्कृत अवार्ड	210

6. अनुसंधान संवर्धन

6.1	अध्यापकों के लिए अनुसंधान परियोजनाएँ वृहत तथा लघु	211
6.2	अध्यापकों के लिए अनुसंधान अवार्ड	213
6.3	एमेरिटस अध्येतावृत्तियाँ	214
6.4	अनुसंधान कार्यशालाएँ, संगोष्ठियाँ और सम्मेलन	214
6.5	विदेशी राष्ट्रिकों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ (जे.आर.एफ.) एवं अनुसंधान एसोसिएटशिप (आर.ए.)	215
6.6	भारतीय राष्ट्रिकों के लिए अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ :	216
	(क) विज्ञान, मानविकी, तथा सामाजिक विज्ञान में जे.आर.एफ.	216
	(ख) अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी में जे.आर.एफ.	216
6.7	अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियाँ	217
6.8	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पोस्ट- डॉक्टरल अध्येतावृत्तियाँ	219
6.9	व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ	219
6.10	अनुसंधान वैज्ञानिक (पूर्व संशोधित)	220

6.11	महिला उम्मीदवारों के लिए पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्तियाँ	220
6.12	गेट योग्यता प्राप्त एम.ई./एम.टैक./एम.फार्मा. छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ	220
6.13	एकल बालिका हेतु स्नातकोत्तर इंदिरा गाँधी छात्रवृत्ति तथा स्नातक पूर्व स्तर पर विश्वविद्यालय रैंक प्राप्तकर्ताओं के लिए स्नातकोत्तर मैरिट छात्रवृत्ति	221
6.14	सराहनीय छात्रों हेतु विज्ञान में अनुसंधान छात्रवृत्ति	224
6.15	वर्ष 2008-2009 के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों में आधारभूत वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु सशक्त समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	226
6.16	डा.डी.एस.कोठारी पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधान अध्येतावृत्ति	228
6.17	यू.जी.सी. की अध्येतावृत्तियों तथा शोधवृत्तियों की स्थिति	230

7. लिंग तथा सामाजिक समानता

7.1	विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सेलों की स्थापना	237
7.2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)/अल्पसंख्यकों के लिए अनुशिक्षण योजनाएँ	237
7.3	योजनाओं के अनुवीक्षण हेतु अ.ज./अ.ज.जा. की स्थायी समिति एवं उसकी उपसमिति की क्षेत्रीय स्तर की आयोजित बैठकें करने के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति स्थायी समिति।	238
7.4	समान अवसर सेलों की स्थापना (ई.ओ.सी.)	238
7.5	विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदायों के कमजोर वर्गों के लिए अनुशिक्षण कक्षाएँ	238
7.6	अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु स्थायी समिति एवं समीक्षा समिति की बैठकें/कार्यशालाएँ	240
7.7	विशेष शिक्षा में शिक्षकों की तैयारी (टी.ई.पी.एस.ई) तथा विशेष जरूरतमंद व्यक्तियों (निशक्त व्यक्तियों) के लिए उच्च शिक्षा (एच.ई.पी.एस.एन.)	240
7.8	भारतीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में महिला अध्ययन का विकास	241
7.9	कॉलेजों के लिए महिला छात्रावास	242
7.10	उच्च शिक्षा में महिला प्रबन्धकों की क्षमता का निर्माण करना	242

8. प्रासंगिक तथा मूल्य आधारित शिक्षा

8.1	शिक्षा की कैरियर उन्मुखता	244
8.2	क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम	244
8.3	सामाजिक बहिष्करण एवं सम्मिलितकरण की नीति के अध्ययन हेतु विश्वविद्यालयों में केन्द्रों की स्थापना	244

8.4	भारतीय युग प्रवर्तक समाज चिंतकों पर विशेष अध्ययन	246
8.5	प्रौढ, अनुवर्ती शिक्षा तथा विस्तार एवं क्षेत्र प्रसार (ए.सी.ई.ई. तथा एफ.ओ.)	246
8.6	जनसंख्या तथा विकास शिक्षा पर यू.जी.सी.यू.एन.एफ.पी.ए. परियोजना	247
8.7	मानव अधिकार तथा मूल्य शिक्षा (एच.आर.वी.ई.)	247
9.	सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकियों का समीकरण	
9.1	विश्वविद्यालयों में कम्प्यूटर केन्द्रों की स्थापना/उन्नयन	249
9.2	यू.जी.सी.-इन्फोनेट इंटरनेट कनेक्टिविटी	250
9.3	यू.जी.सी.-इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कन्सोर्टिअम (ई-पत्रिका योजना)	250
10.	प्रशासन और कार्यकुशलता सुधार	
10.1	संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहन	252
10.2	उच्च शिक्षा तथा यू.जी.सी. कार्यालय का ई-प्रशासन	253
10.3	विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के शिक्षा प्रशासकों तथा यू.जी.सी. अधिकारियों का प्रशिक्षण	253
	परिशिष्टों की सूची	254

अध्यक्ष के कक्ष से



वर्ष 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के साथ ही वि. अ.आ. की वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन अनवरत रूप से किया जा रहा है।

वर्ष 2008-2009 की वार्षिक रिपोर्ट देश में उच्च शिक्षा स्तर को बनाए रखने तथा समन्वय स्थापित करने के लिए नोडल एजेंसी/एपेक्स संस्था के रूप में वि०अ०आ० द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों की एक वृहत्तरूपरेखा दर्शाती है। यह रिपोर्ट विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के सामान्य विकास को उन्नत करने, पहुँच और समता में वृद्धिकरण, संबंधित शिक्षा को उन्नत करने, अनुसंधान की गुणवत्ता और उत्कृष्टता को सबल बनाने में वि.अ.आ. की गतिविधियों को प्रमुखता से परिलक्षित करती है।

11वीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कई नई पहलों पर विचार करते हुए वि.अ.आ.की कई योजनाओं को संशोधित करके समेकित किया गया। मुझे आशा है कि इस वार्षिक रिपोर्ट में दी गई समस्त सूचनाएँ शिक्षकों, छात्रों, शोधकर्ताओं, उच्च शिक्षा प्रशासकों तथा उच्च शिक्षा में भागीदारों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए विषयों पर आपके बहुमूल्य सुझावों का स्वागत किया जायेगा।

अंत में, मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूँगा कि रिपोर्ट को संकलित करने और छपवाने में मेरे सहयोगियों द्वारा जो अथक प्रयास किए गए हैं उसके लिए मैं सर्वदा आभारी रहूँगा।

नई दिल्ली


प्रो.सुखदेव थोरात

कार्यकारी सारांश : 2008-09

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2008-09 का कार्यकारी सारांश न केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनिवार्य उद्देश्यों को पूरा करने के कार्यकलापों को समाहित करता है बल्कि इसकी विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों तथा उन पर हुए व्यय के साथ-साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हुई सांख्यिकीय वृद्धि के भौतिक लक्ष्यों को भी समाहित करता है ।

1. प्रस्तावना

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 28 दिसम्बर, 1953 को अस्तित्व में आया और 1956 में संसद अधिनियम के अधीन संवैधानिक संगठन के रूप में इसकी स्थापना विश्वविद्यालय शिक्षा के समन्वय, निर्धारण तथा मानकों के अनुरक्षण के लिए की गई थी।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा-18 के अनुसार आयोग पिछले वर्ष के दौरान किए गए अपने कार्यकलापों का एक सत्य और सम्पूर्ण ब्यौरा देते हुए प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी प्रतियाँ केन्द्र सरकार को प्रेषित करेगा तथा सरकार उसे संसद के दोनों सदनों में पेश करेगी।
- आयोग में, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 10 सदस्य (सचिव-शिक्षा, सचिव व्यय, 8 अन्य सदस्य) हैं जिनको भारत सरकार नियुक्त/नामांकित करती है। आयोग के सचिवालय का प्रमुख 545 कार्यकारी स्टाफ के साथ, सचिव है, जिसमें 70 ग्रुप-ए अधिकारी एवं 117 ग्रुप-बी अधिकारी सम्मिलित हैं। अभी कुल कार्यकारी स्टाफ में से 24 प्रतिशत महिलाएं, 26 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के हैं और 6 प्रतिशत अल्पसंख्यक कर्मचारी हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1994 के बाद चरणबद्ध ढंग से देश में सात क्षेत्रीय कार्यालयों को खोलकर अपने कार्यों का विकेंद्रीकरण कर दिया ताकि कॉलेज क्षेत्रक से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों की सरल पहुंच हो सके तथा अनुदानों को तुरन्त जारी करने और कार्यान्वयन करने में सुविधा हो सके।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 11वीं योजना (2007-12) का मुख्य उद्देश्य, गुणात्मक, समावेशित तथा प्रासंगिकता के साथ अकादमिक सुधार हो सके और संबंधित उच्च शिक्षा में नामांकन का विस्तार हो सके। 11वीं योजना के लिए सकल नामांकन के अनुपात (जी.ई.आर.) का लक्ष्य 15 प्रतिशत निर्धारित किया गया है और इसे शैक्षिक संस्थानों की संख्या बढ़ाने और विद्यमान संस्थानों में प्रवेश क्षमता को बढ़ाने की दोहरी नीति अपनाकर पूरा किया जाना है।
- जाली विश्वविद्यालयों तथा डिग्रीयों की बढ़ती संख्या और खतरे से निपटने के लिए उत्तरदायी अनाचार सेल ने कुल 22 जाली संस्थानों की पहचान करके उनके विरुद्ध कार्यवाही की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ठोस कार्यवाही के आधार पर कतिपय संस्थानों के नामों के जुड़ने/घटने से संस्थानों की संख्या में अंतर होता रहता है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सतर्कता सेल को रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों से 12 शिकायतें प्राप्त हुईं और कुछ मामलों में जांच समिति की रिपोर्ट केन्द्रीय सतर्कता आयोग/मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेज दी गई हैं। संस्थानों से प्राप्त शिकायतों को आवश्यक कार्यवाही हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबद्ध ब्यूरो को भेज दिया गया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कार्यरत किसी भी महिला कर्मचारी से महिला उत्पीड़न सेल को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वर्ष 2008-09 के दौरान भारत के विभिन्न न्यायालयों में दर्ज 368 मामलों में प्रतिवादी बनाया गया और पिछले वर्ष 34.50 लाख रुपये की तुलना में 55.00 लाख रुपये का व्यय वकीलों के बिलों पर किया गया।
- डेस्क संसद को वर्ष 2008-09 के दौरान 299 संसदीय प्रश्न प्राप्त हुए जिनमें से 12 प्रश्नों पर आश्वासन दिया गया तथा शेष का निपटान कर दिया गया है।

- वर्ष 2008-09 के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आर.आइ.ए. सेल को कुल 3407 आवेदन और 144 अपील प्राप्त हुए। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, केन्द्रीय सूचना आयोग से अपीलों पर 35 निर्णय प्राप्त हुए जिन्हें संबद्ध आवेदकों को सूचित कर दिया गया है।
- आंतरिक लेखा परीक्षा सेल, एक उपनिदेशक की अध्यक्षता में वि.अ.आ. के लेखा-जोखा की देखभाल प्रत्येक वर्ष उत्तम अनुरक्षण एवं पारदर्शिता से करता है।
- वेतनमान सेल जिसे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों के वेतनमान एवं सेवा शर्तों से संबंधित मामलों का समाधान करने और अध्यापकों के लिए गठित वेतन समीक्षा समिति के कामों का समन्वय करने के लिए गठित किया गया है— उस सेल ने ऐसे शिक्षकों की सेवा निवृत्ति की आयु 62 से 65 वर्ष करने की सिफारिश की है— जो शिक्षक अगले तीन वर्षों में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन अध्यापकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स से छूट देने, विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में लेक्चरर के पद पर नियुक्ति हेतु नेट से छूट, जो भी एम.फिल./पी.एच.डी. डिग्री धारक हैं जिनकी नियुक्ति कॉलेज लायब्रेरियन/डॉक्यूमेंटेशन अधिकारी के रूप में होने वाली है उनको नेट परीक्षा से छूट— उस सेल द्वारा छठे वेतन आयोग के वेतनमान और सेवा शर्तों को लागू किया गया, रीडर के पद से प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत करने वाली चयन प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से 250 प्रेक्षकों की नियुक्ति, विश्वविद्यालय प्रणाली के अंतर्गत दृष्टि अपंग तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर स्तरों पर 5 प्रतिशत अंकों की छूट देना।
- विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने तथा नियुक्तियों के प्रति, आरक्षण नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए यू.जी.सी. की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग सेल द्वारा अवलोकन किया जाता रहा है।
- वर्ष 2008 में स्थापित अल्पसंख्यक सेल द्वारा अल्पसंख्यकों से जुड़े मामलों को देखा जाता है—जैसे कि मानद विश्वविद्यालय स्तर प्रदान करना और अल्पसंख्यक संस्थानों को सम्बद्धता प्रदान करना आदि। रिपोर्टाधीन वर्ष में इस सेल को और सशक्त बनाने के लिए ग्रुप ए और ग्रुप बी अधिकारियों को भी इस सेल के प्रकार्यों को पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया है।
- वर्ष 2008 में स्थापित रैंगिंग सेल का इस बारे में दायित्व है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यमान रैंगिंग के जोखिम पर नियंत्रण किया जाये। रैंगिंग के बारे में यू.जी.सी. के जो भी निर्देश हैं, उनका पालन करने के लिये समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों को कहा गया है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, नौ शिकायतें विभिन्न महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों से मिली थीं और सम्बद्ध संस्थानों को उन शिकायतों पर कार्यवाही करने को कहा गया था।
- संयुक्त काडर समीक्षा समिति (जे.सी.आर.सी.) जो कि उन शिक्षणोत्तर स्टाफ पदों (केवल केंद्रीय और वि.अ.आ. अनुरक्षित सम विश्वविद्यालयों के लिये एक समान काडर संरचना का निर्माण करने और वेतनमानों, कार्यों, अर्हताओं का युक्तीकरण करने के लिये किया जो कि 16 काडर के बारे में था और उसकी रिपोर्ट कमीशन को प्रस्तुत कर दी। आयोग ने यह निर्णय लिया कि संयुक्त काडर समीक्षा समिति की यह रिपोर्ट का पुनर्वलोकन किया जाये जो कि भारत सरकार के छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत हो।
- यू.जी.सी. वार्षिक रपोर्ट को मिलकर वि.अ.आ. के प्रकाशन अनुभाग ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 21 प्रकाशनों के प्रकाशन/मुद्रण पर 12.59लाख रुपये व्यय किये।
- वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए बजट और सहायता अनुदान की प्राप्ति निम्न प्रकार है :-

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	बजट शीर्ष	योजनागत नियतन		योजनेत्तर नियतन	
		ब.अनु.	सं.अनु.	ब.अनु.	सं.अनु.
1.	सामान्य	3439.95	3165.95	2009.40	2720.86
	कुल	3439.95	3165.95	2009.40	2720.86

नोट:- यह अन्य कुछ भी न होकर केवल मात्र प्राप्त अनुदान है।

- वर्ष 2008-09 के दौरान, जारी कुल योजनेत्तर अनुदान (2722.96 करोड़ रुपये) में से 65.95 प्रतिशत केंद्रीय विश्वविद्यालयों, 22.55 प्रतिशत दिल्ली कॉलेजों और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयों के कॉलेजों एवं 4.88 प्रतिशत समविश्वविद्यालयों को जारी किया गया।
- वर्ष 2008-09 के दौरान, जारी योजनागत अनुदान (3156.32 करोड़ रुपये) में से 48.08 प्रतिशत केंद्रीय विश्वविद्यालयों, 4.16 प्रतिशत समविश्वविद्यालयों, 18.54 प्रतिशत राज्य विश्वविद्यालयों और 24.82 प्रतिशत, राज्यों के विश्वविद्यालयों के कॉलेजों को दिया गया।
- वि.अ.आ. द्वारा निम्न उपक्रमों की पहल की गई है :
 - विश्वविद्यालयों में शोध और अध्यापन हेतु संसाधनों के संवर्धन करने की पहल।
 - ठेकेदारी और जानकारी पर आधारित उद्यमों की प्रोन्नति।
 - रिपोर्टाधीन वर्ष की विशिष्टताओं और आयोग के निर्णयों, अनुमोदनों और संकल्पों को अध्याय-1 (1.8) में निदर्शित कर दिया गया है।

2. उच्च शिक्षा प्रणाली में संवर्धन : कुछ आँकड़े

- आयोग को वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 12(एच) के अंतर्गत उन सभी मामलों में जो कि भारतवर्ष एवं अन्य देशों की विश्वविद्यालयों की शिक्षा से संबद्ध हैं; सूचना एकत्र करने का अधिकार है।
- भारतवर्ष की स्वतंत्रता के समय भारतवर्ष में केवल 20 विश्वविद्यालय थे और 500 महाविद्यालय थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो संख्या विद्यमान थी उसकी तुलना में अब विश्वविद्यालयों से संबंधित संख्या 24 गुनी हो चुकी है, महाविद्यालयों से संबंधी यह संख्या 52 गुना हो चुकी है, और उच्च शिक्षा की औपचारिक प्रणाली के अंतर्गत छात्रों का नामांकन 49 गुना हो चुका है, और ये समस्त आंकड़े स्वतंत्रता प्राप्ति के समय परिस्थिति की तुलना में लिए गए हैं।
- 31.03.2009 तक की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालयों की संख्या 428 तक जा पहुंची है, जिनमें 40 केंद्रीय, 234 राज्य, 21 राज्य निजी, 128 समविश्वविद्यालय हैं, राज्य विधानसभा के तहत 5 संस्थान स्थापित हैं एवं उच्च शिक्षा क्षेत्र के अन्तर्गत 25,951 महाविद्यालय हैं। 255 राज्य और राज्य निजी विश्वविद्यालयों में से 88 राज्य विश्वविद्यालय तथा 2 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो कि राज्य सांविधि द्वारा स्थापित 5 संस्थानों में से हैं जिन्हें यू.जी.सी. अधिनियम 1956 की धारा 12(बी) के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए अभी तक पात्र नहीं माना गया है। जहाँ तक विश्वविद्यालयों की संख्या का प्रश्न है, तमिलनाडु इस सूची में सबसे ऊपर है जहाँ 50 विश्वविद्यालय हैं। इसके बाद महाराष्ट्र आता है जहाँ यह संख्या 41 है। इस सूची से यह देखने को मिलता है कि राज्यों में विश्वविद्यालयों की स्थापना अनियमित ढंग से हुई है।
- रिपोर्टाधीन वर्ष, 2008-2009 के दौरान, यू.जी.सी. की विश्वविद्यालयों की सूची में 15 केंद्रीय, 6 राज्य तथा 7 राज्य निजी विश्वविद्यालय सम्मिलित हैं और 25 समविश्वविद्यालयों को अधिसूचित किया गया है। 2 राज्य विश्वविद्यालयों के नाम भी बदले गये हैं और यूजीसी अधिनियम के अंतर्गत धारा 12(बी) के तहत 4 विश्वविद्यालयों द्वारा केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए उन्हें पात्र घोषित किया गया है।
- कुल मिलाकर वर्ष 2008-09 के दौरान, 2745 नए महाविद्यालयों को विभिन्न राज्यों में स्थापित किया गया है, जिनको मिलाकर महाविद्यालयों की संख्या अब बढ़कर 25,951 है।
- यू.जी.सी. अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंत तक मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों की कुल संख्या 7176 थी। इनमें से 1240 महाविद्यालय ऐसे हैं जो कि यूजीसी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत धारा 12(बी) के तहत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। धारा 2(एफ) के तहत मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों की सर्वाधिक संख्या उत्तरप्रदेश में है (1050) जिसके बाद महाराष्ट्र (946), कर्नाटक (596) और आंध्रप्रदेश (457) हैं।
- शैक्षिक सत्र 2008-09 के दौरान, समस्त पाठ्यक्रमों और सभी नियमित स्तरों पर कुल नामांकन 136.42 लाख था जिसमें 56.49 लाख छात्राएं थीं और जो कि समस्त नामांकन नियमन का 41.4 प्रतिशत था। उत्तर प्रदेश में महिला छात्रों को सर्वाधिक नामांकन मिला था (8.00 लाख) जिसके बाद महाराष्ट्र (7.8 लाख) का नम्बर आता है।

- विभिन्न स्तरों पर छात्र नामांकन संबंधी प्रतिशतताओं का स्वरूप निम्न प्रकार से है:

स्तर	स्नातकपूर्व	स्नातकोत्तर	डिप्लोमा, सर्टिफिकेट	शोध
कुल प्रवेश की प्रतिशतता	87.29	10.92	1.09	0.70

- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान उत्तरप्रदेश राज्य सर्वोच्च रहा है जहाँ पर 21.71 लाख छात्रों को प्रवेश मिला, इसके बाद महाराष्ट्र राज्य आता है जहाँ पर यह 18.14 लाख रहा और सिक्किम राज्य में 5841 की संख्या के साथ सर्वाधिक न्यूनतम रहा। कुल प्रवेशों की तुलना में प्रतिशतता के आधार पर गोवा राज्य में महिलाओं का सर्वाधिक प्रवेश रहा— जहाँ यह 59 प्रतिशत था तथा इसके बाद केरल आता है जहाँ पर 56 प्रतिशत रहा— इसके बाद 51 प्रतिशत पर पंजाब राज्य है और फिर बिहार राज्य है जहाँ पर न्यूनतम प्रतिशतता 30 रही।
- सभी पूर्व स्नातक छात्रों के लगभग 91 प्रतिशत (119.08लाख) तथा समस्त स्नातकोत्तर छात्रों के 73 प्रतिशत (14.90 लाख) छात्र शेष विश्वविद्यालयों के विभागों और संघटक कालेजों में थे। कुल अनुसंधान छात्रों में (0.83 लाख), 86 प्रतिशत विश्वविद्यालयों में सें थे।
- छात्रों के कुल नामांकन (136.42लाख), 43 प्रतिशत छात्र कला संकाय में थे, उसके बाद 19 प्रतिशत विज्ञान में तथा 18 प्रतिशत वाणिज्य में — इस प्रकार केवल तीन संकायों में 80 प्रतिशत नामांकन है। शेष 20 प्रतिशत नामांकन व्यावसायिक संकायों में है। इस प्रकार का अनियमित वितरण नीति परिवर्तन करने को इंगित करता है।
- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में संकायों के अध्यापकों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 5.22 लाख से बढ़कर 5.89 लाख हो गई थी — जिससे कि 12.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। 5.89 लाख अध्यापकों में से 85 प्रतिशत प्राध्यापक महाविद्यालयों में हैं और शेष 15 प्रतिशत विश्वविद्यालयों में हैं।
- वर्ष 2007-08 के दौरान, प्रदान की गई पी.एच.डी और एम.फिल की डिग्रियों की संख्या क्रमशः 13237 और 19173 थी। इनमें से सबसे अधिक कला संकाय में 4405 डिग्रियाँ, उसके बाद एम.फिल. में 6078 डिग्रियाँ, विज्ञान संकाय में 4514 पी.एच.डी. डिग्रियाँ और 8452 एम.फिल डिग्रियों की कुल संख्या की तुलना में इन दोनों संकायों ने मिलकर क्रमशः 67 प्रतिशत तथा 76 प्रतिशत की संख्या में थी।
- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान समस्त स्तरों पर नामांकित प्रति सौ पुरुष छात्रों के पीछे महिला छात्रा नामांकन 70 प्रतिशत था।
- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान प्रतिशतता के मददेनजर, राज्यों द्वारा नामांकित महिलाओं का वितरण कुल नामांकन की तुलना में लगभग स्थिर रहा है। गोवा राज्य में 59 प्रतिशत सबसे अधिक रहा तथा बिहार में सबसे कम 30 प्रतिशत था। सम्पूर्ण संख्या में उत्तर प्रदेश में छात्राओं की संख्या सर्वाधिक थी (8 लाख), जिसके बाद महाराष्ट्र (7.8लाख) आदि है।
- महिला नामांकन, सर्वाधिक कला संकाय में 49.08 प्रतिशत में था, उसके पश्चात् विज्ञान में 19.99 प्रतिशत फिर वाणिज्य में 16.21 प्रतिशत। इस प्रकार तीनों संकायों में यह 85.28 प्रतिशत था। शेष 14.72 प्रतिशत व्यावसायिक संकायों में था। इस वर्ष में भी पिछले वर्ष की ही तरह की प्रवृत्ति थी।
- वर्ष 2008-09 के दौरान कुल मिलाकर 2565 महिला कालेजों की स्थापना विभिन्न राज्यों में की गई।

3. विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण (योजनेत्तर) एवं विकास (योजनागत) अनुदान सहायता

- केन्द्रीय, राज्यों और सम विश्वविद्यालयों को उनके सर्वांगीण विकास के लिए, जैसे कि उनकी पैठ में वृद्धि करवाने में, समानता को सुनिश्चित करने में, उपयुक्त शिक्षा प्रदान करने, गुणवत्ता को श्रेष्ठ बनाने, प्रशासनिक क्रियाओं को प्रभावी बनाने में, छात्रों की सुविधाओं में बढ़ोत्तरी करने में, शोध सुविधाओं के संवर्धन करने और विश्वविद्यालयों की और भी अन्य योजनाएं सम्मिलित हैं। अनुरक्षण अनुदान कुछ सीमित विश्वविद्यालयों को ही उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे विश्वविद्यालय अपने उस आवर्ती व्यय का भुगतान कर सकें जो कि अध्यापन वर्ग और गैर अध्यापन वर्ग इन दोनों वर्गों में कर्मचारियों के वेतन के लिए, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालाओं, भवनों आदि के लिए और कुछ अनिवार्य भुगतानों के लिये, जैसे टैक्सों, टेलीफोन, बिजली के बिल, टिकटें आदि

के लिये किया जाता है। समस्त केन्द्रीय एवं सम-विश्वविद्यालयों को योजनागत और योजनेत्तर अनुदान दिये जा रहे हैं— जबकि राज्य विश्वविद्यालयों को केवल मात्र योजनागत अनुदान ही दिया जा रहा है।

- वर्ष 2008-09 के दौरान, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 40 थी। इनमें से 38 विश्वविद्यालयों के द्वारा अनुरक्षण एवं विकास अनुदान प्राप्त किये गये हैं। जो दो विश्वविद्यालय हैं — इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय इन दोनों विश्वविद्यालयों को सीधे तौर से क्रमशः मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं कृषि मंत्रालय द्वारा निधियन किया जाता है।
- वर्ष 2008-09 के दौरान, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अनुरक्षण व्यय को पूरा करने के लिए 1747.98 करोड़ का योजनेत्तर अनुदान और सर्वांगीण विकास के लिए 635.58 करोड़ का योजनागत अनुदान दिया गया है।
- 31 मार्च 2009 तक विभिन्न राज्यों के विधान मंडलों द्वारा अधिनियमित कानूनों के तहत 255 राज्य विश्वविद्यालयों एवं राज्य के निजी विश्वविद्यालयों को स्थापित किया गया है। लेकिन वि.अ.आ. इनमें से कृषि तथा आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालयों को छोड़कर केवल 130 राज्य विश्वविद्यालयों को योजनागत (विकास) अनुदानों का बजटीय आवंटन कर रहा है। वर्ष 2008-09 के दौरान पात्र राज्य विश्वविद्यालयों को 585.27 करोड़ का विकास अनुदान 154 राज्य विश्वविद्यालयों को प्रदान किया गया जिनमें 24 विश्वविद्यालयों के लिए विशिष्ट अनुदान भी शामिल है।
- 31.03.2009 तक 128 सम विश्वविद्यालय थे जिसमें रिपोर्टाधीन वर्ष में वह 7 संस्थाएं शामिल हैं जिन्हें समविश्वविद्यालय अधिसूचित किया गया है।
- वि.अ.आ. 23 सम विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान और 10 सम विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण एवं विकास अनुदान प्रदान करता है। वर्ष 2008-09 के दौरान 139.21 करोड़ रुपये का अनुदान योजनेत्तर रूप में 10 सम विश्वविद्यालयों को प्रदान किया गया और 27.23 करोड़ का अनुदान योजनागत रूप में 23 सम विश्वविद्यालयों को प्रदान किया गया।
- पात्र विश्वविद्यालयों को विकास सहायता उपलब्ध की जा रही है ताकि प्रबन्धन विभागों की स्थापना तथा उनको प्रोन्नत किया जा सके और जिससे कि अध्यापन, अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा परामर्श जो कि प्रबन्धन से जुड़े हुए हैं— उन सबमें गुणवत्ता आये और वैश्वीय मानकों पर यह समस्त बातें खरी उतर सकें। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, दसवीं योजना में, 6.49 लाख का अनुदान तीन विश्वविद्यालयों को प्रदान किया गया था।
- सम विश्वविद्यालयों की प्रमुख विशेषताओं तथा उनके निष्पादन को अध्याय-3 के अंतर्गत 3.2 अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है।

4. कालेजों को विकास (योजनागत) तथा अनुरक्षण (योजनेत्तर) अनुदान

- विकास सहायता का केन्द्र, आधारभूत अवसंरचना को उन्नत बनाकर अध्यापन-शिक्षण प्रक्रिया को सहायता देना होगा। विद्यमान संस्थानों में सुविधाओं के विस्तार तथा उन्हें मजबूत करने, आधुनिकीकरण के माध्यम से स्तरों में सुधार, विशेष रूप से स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों को कैरियर के अवसरों से जोड़ने के लिए, उन्हें औचित्यपूर्ण तथ विविध बनाने पर जोर दिया जायेगा। शैक्षिक रूप से पिछड़े ऐसे क्षेत्र जहां पर पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, वहां पर नये कालेजों की स्थापना करना आयोग की एक प्राथमिकता है।
- 31 मार्च 2009 तक देश में 25,951 कालेज थे। इनमें से वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के अन्तर्गत केवल 7176 कॉलेजों को मान्यता प्राप्त है और इन 7176 कॉलेजों में से केवल 5936 कालेज ही वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 12(ख) के अंतर्गत अनुदान प्रदान करने के लिए पात्र हैं। कॉलेज क्षेत्रक के लिए वि.अ.आ. योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, दिल्ली और बंगलुरु में स्थापित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से होता है।
- वर्ष 2008-09 के दौरान, कॉलेज विकास योजना के अंतर्गत 4890 पात्र कॉलेजों को 245.57 करोड़ रुपये तक की सहायता दी गई थी।
- वर्ष 2008-09 के दौरान, यू.जी.सी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा अध्याय 4 के 4.4 शीर्षक में दिया गया है।

- वर्ष 2008-09 के दौरान, विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत कालेज सैक्टर में राज्य कालेजों को 783.53 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया गया ।
- वर्ष 2008-09 के दौरान, दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों को रुपये 610.52 करोड़ की राशि अनुरक्षण अनुदान के रूप में दी गई । रुपये 8.00 करोड़ की राशि, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के घटक कालेजों को योजनेत्तर अनुदान के रूप में प्रदान की गई है ।
- वर्ष 2008-09 के 3.50 करोड़ आवंटन के विरुद्ध, कालेजों को सामान्य विकास सहायता योजना के अन्तर्गत दिल्ली के कालेजों को 3.39 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया गया ।

5. गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता

- सम्भाव्यता वाले कॉलेजों को शैक्षिक स्वतंत्रता प्रदान करने हेतु वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के अन्तर्गत आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेजों को स्वायत्तता का दर्जा प्रदान किया जा रहा है। 31.03.2009 तक, 314 कालेजों को स्वायत्तता का दर्जा अभी तक प्रदान किया जा चुका है और यह समस्त कॉलेज 58 विश्वविद्यालयों में स्थित हैं जो कि 16 राज्यों के अन्दर हैं । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, 33 कालेजों को स्वायत्तता प्रदान की गई और इस वर्ष में कुल मिलाकर 81 प्रस्ताव भेजे गए थे जिनके द्वारा स्वायत्तता के लिए प्रार्थना की गई थी । यू.जी.सी. क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 2008-09 के दौरान ऐसे स्वायत्तशासी कालेजों को 28.76 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया गया।
- शिक्षण और अनुसंधान में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए वि.अ.आ. अभिज्ञात विश्वविद्यालयों को “संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय” का दर्जा प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है । प्रथम चरण में, पांच विश्वविद्यालयों को अभिज्ञात करके, उपर्युक्त दर्जा प्रदान किया गया था। दूसरे चरण में, 12 विश्वविद्यालयों की पहचान कर उन्हें विशेष क्षेत्रों में “उत्कृष्टता केन्द्र” स्थापित करने के लिए अभिज्ञात किया गया था। 10वीं योजना के दौरान, चार और विश्वविद्यालयों यथा कोलकाता विश्वविद्यालय, मुम्बई विश्वविद्यालय, नार्थ ईस्टर्न हिल विश्वविद्यालय और मदुरै कामराज विश्वविद्यालय इनको उत्कृष्ट दर्जा प्रदान करने के लिए अभिज्ञात किया गया ताकि पांच विश्वविद्यालयों का लक्ष्य पूरा किया जा सके। चारों विश्वविद्यालयों को आवंटित 30-30 करोड़ रुपये की राशि में से प्रत्येक को रुपये 10.00 करोड़ की राशि मूल अनुदान के रूप में जारी कर दी गई थी जो राशि 2006-07 में दी गई। उपरोक्त सभी विश्वविद्यालयों को वर्ष 2008-09 के दौरान, 20.00 करोड़ का अनुदान दिया गया है। ग्यारहवीं योजना के दौरान, संभाव्यता वाले 6 अन्य विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।
- कॉलेजों में शिक्षण में मुख्य रूप से उत्कृष्टता प्राप्त करने और कालेजों में अनुसंधान संस्कृति की पहल करने के लिए, यू.जी.सी. ने एक योजना शुरू की है – (“उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले कॉलेज”) आयोग, देशभर से 100 कॉलेजों की पहचान करके, उन कॉलेजों में शैक्षिक आचार-संरचना में सुधार लाने के लिए, शिक्षण प्रणालियों, मूल्यांकन आदि में नवाचार अपनाने के लिए सहायता प्रदान करना चाहता है । कॉलेजों को अपने नाम के साथ संयुक्त डिग्री प्रदान करने वाला दर्जा भी प्रदान किया जायेगा । यह अनुदान प्रत्येक कॉलेज के मामले में उसके गुणों के आधार पर 35.00 लाख से लेकर 100 लाख तक के बीच में होगा । समस्त देश के कॉलेजों से आमंत्रित प्रस्तावों का मूल्यांकन कार्यदल समिति के द्वारा किया गया था और कार्यदल की सिफारिशों को स्थायी समिति समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रथम चरण में 47 कॉलेजों को चुना गया। वर्ष 2004-2005 के दौरान इनमें से प्रत्येक कॉलेज को आवंटित राशि का 50 प्रतिशत भाग अनुदान के रूप में दिया गया। दूसरे चरण में 65 विश्वविद्यालयों द्वारा अनुमोदित 333 प्रस्तावों में से स्थायी समिति ने 50 अतिरिक्त कॉलेजों को संशोधित स्कोरिंग स्केल के आधार पर चयनित किया। 2008-2009 के दौरान, इन चयनित कॉलेजों के लिये 12.33 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया। तृतीय चरण में रिक्त स्लॉट की पूर्ति के लिए विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे जो कि उन राज्यों में स्थित हैं – जिनका सी.पी.ई.^{***} निर्धारित कोटा प्रथम और द्वितीय चरण में समाप्त न हो सका था, और इन सारे प्रस्तावों का मूल्यांकन स्थायी समिति द्वारा, अंतिम चयन के लिये किया जा रहा है। ग्यारहवीं योजना के दौरान 82 संभाव्यता वाले कॉलेजों को अभिज्ञात किया जाना है।
- जैव विज्ञान, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञानों के विश्वविद्यालय विभागों को 10वीं योजना के दौरान विशेष सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत (सैप) सहायता प्रदान की जा रही है ताकि विभागों में अनुसंधान में श्रेष्ठता प्राप्त की जा सके और स्नातकोत्तर शिक्षण कार्यक्रम में सुधार हो सके। 31.03.2009 तक, ऐसे विभाग जिन्हें “सैप” सहायता मिली थी उनकी संख्या 723 थी— जिसकी तुलना में पिछले

वर्ष में यह संख्या 577 थी। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान "डी.आर.एस" स्तर पर 145 विभागों को प्रतिष्ठित किया गया था। वर्ष 2008–2009 के दौरान विभिन्न विभागों को पृथक स्तरों पर जो आर्थिक सहायता प्रदान हुई, वह 51.09 करोड़ थी।

- "असिस्ट" अथवा "अशिस" कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य सभी विषयों में चयनित विश्वविद्यालयों के विभागों के उन आवश्यक उपस्करों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है जो कि एस.ए.पी.या विश्वविद्यालय विकास के अर्न्तगत उपलब्ध नहीं होते, जिससे कि विभागों में स्नातकोत्तर शिक्षा तथा अनुसंधान में सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण उत्कृष्टता प्राप्त करने में बाधा उपस्थित न हो। 10वीं योजना के अन्त तक, इस कार्यक्रम के अर्न्तगत कुल मिलाकर 299 विभागों को सहायता प्रदान की गई। इन समस्त योजनाओं का विलय ग्यारहवीं योजना के प्रारम्भ होने के साथ "सैप" कार्यक्रमों के साथ कर दिया गया है। वर्ष 2008–2009 के दौरान निरन्तर कार्यरत विभागों, को जिनकी संख्या 71 थी— उन्हें 1.91 करोड़ राशि तक का अनुदान दिया गया।
- रिपोर्टाधीन वर्ष 2008–2009 के दौरान, हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने की ओर वि.अ.आ.के राजभाषा अनुभाग ने निबंध, टिप्पणी/मसोदा लेखन और हिन्दी टाइपिंग प्रतियोगिताओं को आयोजित किया जिसमें आयोग के कर्मचारियों ने भाग लिया, कार्यशालाओं का संचालन किया, हिन्दी पखवाड़ा और हिन्दी दिवस मनाया। वर्ष 2008–2009 के दौरान, आयोग ने प्रत्येक छः अहिन्दी भाषी विश्वविद्यालयों को 1.00 लाख का अनुदान हिन्दी पुस्तकों, पत्रिकाओं को खरीदने, कार्यशालाएँ/संगोष्ठियाँ आयोजित करने हेतु प्रदान किया।
- यात्रा अनुदान योजना के अर्न्तगत, 317 कालेज प्राध्यापको, दो उपकुलपतियों तथा आयोग के एक सदस्य ने इस सुविधा का लाभ उठाया जिससे उन्होंने अपने शोध पत्र अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत किये। उनकी यात्रा, पंजीकरण शुल्क, ठहरने के भत्ते आदि के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई। जो भी स्थायी पद पर लायब्रेरियन/अध्यापक है वे तीन वर्ष में एक बार इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान लाभान्वित लोगों को 95.62 लाख की राशि का भुगतान करा गया।
- उच्च शिक्षा से संबंधित द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रम 44 देशों के साथ संचालित किये जा रहे हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, वि.अ.आ.ने विभिन्न देशों से 53 विदेशी स्कॉलरों/शिष्टमंडल की मेजबानी की ओर 90 भारतीय स्कॉलरों को विदेशों में प्रतिनियुक्त किया।
- वर्ष 2008–2009 के दौरान, नीदरलैंड, डेनमार्क, लाओस, फिनलैंड, ब्राजील इक्वेडोर, मॉरीशस, यू.के. मलावा, ऑस्ट्रेलिया और एडिनबरा से 11 विदेशी शिष्टमंडल उच्च शिक्षा के भूमंडलीकरण की चुनौतियों पर चर्चा करने, भारत में उच्च शिक्षा की जानकारी लेने, शैक्षिक संयोजन स्थापित करने और भारतीय अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए भारत आए।
- **इंडो-मॉरिशस करार :** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा तृतीय शिक्षा आयोग, मॉरीशस के बीच चतुर्थ कॉन्सार्टियम करार (2007–2010) पर 18 अप्रैल, 2007 पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस करार के अर्न्तगत भारतीय स्कॉलरों को मॉरीशस का दौरा करने के लिए मनोनीत किया गया था और यूजीसी द्वारा मॉरीशस से 22 नामांकन प्राप्त हुए।
- वर्ष 2008–2009 के दौरान, सहयोगात्मक कार्यक्रमों के अर्न्तगत नियुक्त विदेशी भाषा के 22 अध्यापक भारत के विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे हैं।
- अध्यक्ष, "डॉड" तथा अध्यक्ष, यूजीसी के बीच 30 अक्टूबर 2007 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। वैज्ञानिकों के विनिमय कार्यक्रम तथा वैयक्तिक विनिमय कार्यक्रम 2008 से प्रारम्भ हो चुके हैं। वर्ष 2008–2009 के लिए, वि.अ.आ. द्वारा 6 स्कॉलरों को नामित किया गया। दोनों पक्षों के स्कॉलरों को वैतनिक विनिमय कार्यक्रम के अर्न्तगत नामित किया गया और दो नामांकन वैयक्तिक विनिमय कार्यक्रम के अर्न्तगत किये गये। दोनों पक्षों के स्कॉलरों के दौरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- 2008–09 के दौरान वि.अ.आ. ने दो-तीन मासिक छात्रवृत्ति कार्यक्रम के अर्न्तगत साऊथ एशियन संस्थान, जर्मनी के दो वैज्ञानिकों को नामित किया। इन दो में से, साऊथ एशियन संस्थान, हैडिलबर्ग द्वारा एक विद्वान को चयनित किया गया।

- वर्ष 2008-2009 के लिए फ्रांस का दौरा करने के लिए, आयोग द्वारा 12 भारतीय स्कॉलरों को नामित किया गया है। इसके बदले में वर्ष 2008 के लिए सामाजिक वैज्ञानिक आदान-प्रदान के अर्न्तगत 6 नये स्कॉलरों ने भारत का दौरा किया।
- बंगलादेश सरकार द्वारा सार्क देशों से नामांकन मंगाये गये थे, जिनके अन्तर्गत इस देश में सार्क चेयर, फैलोशिप और स्कॉलरशिप के अर्न्तगत अध्ययन किया जा सकता था। वर्ष 2008-2009 में एक भारतीय स्कालर ने बंगलादेश का दौरा किया था।
- प्रत्येक वर्ष, कॉमनवेल्थ विश्वविद्यालय संघ, यू.के. कॉमनवेल्थ अकादमिक स्टाफ फैलोशिप अवार्ड, भारत के विश्वविद्यालय और कॉलेजों के प्रतिभावान संकाय सदस्यों को यू.के. में विश्वविद्यालय/संस्थानों में शोधकार्य करने के लिए दी जाती है। वर्ष 2008-2009 के लिए वि.अ.आ.ने कॉमनवेल्थ अकादमिक स्टाफ फैलोशिप अवार्ड के अर्न्तगत अध्येतावृत्ति के लिए 80 अध्यापकों की अनुशंसा की थी। इनमें से कॉमनवेल्थ विश्वविद्यालय संघ, यू.के. द्वारा अंतिम चयन के रूप में 29 स्कॉलरों को अध्येतावृत्ति के लिए वर्ष 2008 के दौरान चयनित किया।
- वर्ष 2008 के दौरान कॉमनवेल्थ विश्वविद्यालय संघ, यू.के. ने भारत में डॉक्टरल डिग्री कर रहे तथा यू.के. में एक वर्ष पूर्णकालिक अध्ययन का लाभ उठाने के इच्छुक छात्रों अथवा कनिष्ठ संकाय सदस्यों के लिए 14 कॉमनवेल्थ स्पिलिट डॉक्टरल छात्रवृत्तियों देने की पेशकश की। वि.अ.आ.ने 14 स्कालरों को नामांकित किया और कॉमनवेल्थ विश्वविद्यालय संघ, यू.के.ने कॉमनवेल्थ स्पिलिट साइट छात्रवृत्ति अवार्ड 2008-2009 के अर्न्तगत 9 स्कालरों का चयन किया।
- वर्ष 2008-2009 के दौरान, यात्रा अनुदान योजना के अर्न्तगत अध्यापकों को उनकी शोध सामग्री एकत्रित करने के लिए विदेशों का दौरा करने के लिए 9 अध्यापकों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।
- वर्ष 2008-2009 के लिए भारत फिनलैंड सरकार छात्रवृत्ति के अर्न्तगत दौरा करने के लिए उनके सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा 9 भारतीय स्कॉलरों को और 2 फिनिश स्कॉलरों को नामांकित किया गया।
- भारत -हंगरी ई.ई.पी.के अर्न्तगत वर्ष 2008-2009 के दौरान संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा 20 भारतीय स्कालरों और हंगरी से 7 स्कालरों को नामांकित किया गया।
- भारत - बल्गारियाई भाषा एवं संस्कृति पर अन्तराष्ट्रीय ग्रीष्मकालीन संगोष्ठी जो कि भारत -बल्गारियाई सांस्कृतिक आदान - प्रदान कार्यक्रम के अर्न्तगत हुई थी, उसके लिए चार स्कालर्स को नामांकित किया गया था।
- शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के वृहत कार्यक्रम का संचालन विभिन्न विषय शाखाओं में 66 अकादमी स्टाफ कॉलेजों तथा 15 विश्वविद्यालयों एवं विशेषीकृत संस्थानों के माध्यम से किया गया है। रिपोर्टाधीन वर्ष में अकादमिक स्टाफ कॉलेजों और अन्य प्रत्यायित संस्थाओं द्वारा 223 अभिविन्याएँ पाठ्यक्रमों, 77 कार्यशालाओं, 702 पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के संचालन का अनुमोदन किया गया था। इन अनुमोदित कार्यक्रमों में से, 213 अभिविन्याएँ कार्यक्रम, 689 पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, 77 कार्यशालाएँ संचालित की गईं और इस कार्यक्रम द्वारा 2.28 लाख शिक्षकों को लाभ पहुँचा। इन अकादमिक स्टाफ कॉलेजों/संस्थाओं को 41.50 करोड़का अनुदान भी जारी किया गया है।
- वि.अ.आ.की धारा 12 (ग ग ग)के अंतर्गत विश्वविद्यालयों में स्वायत्त केन्द्रों के रूप में काम कर रहे 6 अंतर्विश्वविद्यालयों केन्द्र भारत में सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत केन्द्रों के रूप में स्थापित हैं। जिनके द्वारा सामान्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये केन्द्र, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं आदि को सामान्य सुविधाएँ, सेवाएँ तथा कार्यक्रम उपलब्ध करा रहे हैं। और इसके लिए वे प्रत्येक क्षेत्र में विशेषज्ञ और अधुनातन उपस्कर का प्रयोग एवं पुस्तकालय की श्रेष्ठ सुविधाएँ उपलब्ध करा रहे हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, आयोग ने उच्च शिक्षा नीति में अनुसंधान हेतु एक और अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र की मंजूरी दी। इसके अलावा वि.अ.आ. ने चुनिंदा विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र भी स्थापित किये हैं और वो उनको नियमित रूप से सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। इसने औसतन 1000 से भी अधिक शैक्षिक फिल्मों/कार्यक्रमों को भी निर्मित किया है जिनका प्रसारण दूरदर्शन, ज्ञानदर्शन तथा शिक्षा चैनलों पर कक्षाओं से दूर उच्च शिक्षा का प्रसार करने के लिए किया जायेगा। रिपोर्टाधीन

अवधि के दौरान वि.अ.आ.ने योजनागत रु.40.00 करोड़ की राशि और योजनेतर रु.43.65 करोड़ की राशि 6 अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों को प्रदान की है। साथ ही 2.56 करोड़ की राशि चार राष्ट्रीय सुविधा केन्द्रों को प्रदान की गई है।

- अंतःशास्त्रीय तथा उदयमान क्षेत्रों में नए विचारों और नवाचारों को समर्थन देने और विशेषीकृत पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए वि.अ.आ. विश्वविद्यालयों के अनुमोदित विभागों को शत-प्रतिशत विकास सहायता प्रदान कर रहा है 31.03.2009 तक 369 विभागों की पहचान करके उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए अनुमोदित किया गया है। वर्ष 2008-2009 के दौरान कुल अनुदान जो विश्वविद्यालयों को दिया गया था उसकी राशि 5.36 करोड़ रुपये थी।
- नई उभरती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वि.अ.आ.ने विश्वविद्यालय प्रणाली के भीतर विज्ञान तथा मानविकी के विभिन्न अंतःशास्त्रीय क्षेत्रों में अध्ययन और अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्र स्थापित करने के लिए 12 विश्वविद्यालयों की पहचान की। उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में अभिज्ञात 12 विश्वविद्यालयों में से 9 विश्वविद्यालयों को रु. 5.00 करोड़ प्रदान किये गये और वर्ष 2004-2005 के दौरान तीन विश्वविद्यालयों को 3.00 करोड़ रु.का अनुदान जारी किया गया था, और इन तीनों केन्द्रों के कार्यकलापों को एक विधिवत गठित सलाहकार समिति द्वारा अनुवीक्षित/पुनरीक्षित किया जाता है। वर्ष 2008-2009 के दौरान, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में स्थित हिमालय से जुड़े अध्ययनों का केन्द्र तथा क्रीडा विज्ञान केन्द्र, गुरु नानक विश्वविद्यालय – इन दोनों का पुनरीक्षण किया गया था और इन केन्द्रों की निरन्तरता को ग्यारहवीं योजना के दौरान बनाए रखने के लिए इन दोनों केन्द्रों को प्रत्येक को अतिरिक्त 5.00 करोड़ की राशि अनुदान में जारी की गई।
- नवीं योजना के दौरान, स्थापित नये केन्द्रों की समीक्षा, एक समीक्षा समिति की सहायता से की जा रही है ताकि इस बात का निर्णय लिया जा सके कि इन्हें ग्यारहवीं योजना के दौरान इसे चालू रखा जाये या नहीं। वर्ष 2008-2009 के दौरान, पुणे में स्थित अन्तराष्ट्रीय सुरक्षा एवं सुरक्षा विश्लेषण के राष्ट्रीय केन्द्र का पुनरीक्षण किया गया था और इस केन्द्र को ग्यारहवीं योजना तक के लिए विस्तारित कर दिया गया था।
- विश्वविद्यालय प्रणाली में गुणवत्ता निवेश सुनिश्चित करने के लिए वि.अ.आ.समस्त मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में केस के अधीन रीडर से प्रोफेसर पद पर पदोन्नति की चयन प्रक्रिया की देख रेख के लिए यूजीसी पर्यवेक्षक नियुक्त कर रहा है। वर्ष 2008-2009 के दौरान, वि.अ.आ.ने चयन प्रक्रिया की देख – रेख के लिए वि.अ.आ.से 250 पर्यवेक्षक नियुक्त किये थे जिनके द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों में विद्यमान प्रोन्नति की प्रक्रियाओं की निगरानी करना था।
- आयोग ने विश्वविद्यालय क्षेत्र के लिए दो गुणवत्ता कार्यक्रम नामतः “आइ.पी.आर. जागरूकता” और अभिभावकों के लिए सुगमीकरण और “पी.आई.एच.ई.डी.” शुरू किये।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रवेश पाने वालों में अध्यापन और अनुसंधान के न्यूनतम मानक सुनिश्चित करने के लिए लेक्चरशिप पात्रता तथा कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियों के लिए एक वर्ष में दो बार एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा संचालित करता है। इसमें भाग लेने वाले कुल उम्मीदवारों (0.79 लाख) में से केवल मात्र 1.35 लाख प्रतिशत उम्मीदवार कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियों के योग्य थे तथा दिसम्बर 2008 के दौरान वि.अ.आ. के द्वारा संचालित लेक्चरशिप पात्रता (जे.आर.एफ.सहित) परीक्षा में कुल उम्मीदवारों 1.25 लाख में से 5.26 प्रतिशत ने भाग लिया। नेट परीक्षा पूरे देश में 66 केन्द्रों पर 77 विषयों में संचालित की जा रही है। वि.अ.आ. की ओर से “सी.एस.आइ.आर” विज्ञान के 5 विषयों में नेट परीक्षा संचालित कर रही हैं। दिसम्बर 2008 में संचालित नेट परीक्षा में 1980 उम्मीदवारों ने लेक्चरशिप योग्यता प्राप्त की तथा 1787 उम्मीदवारों को सी.एस.आइ.आर –जे.आर.एफ.के योग्य पाया गया। जून 2008 की परीक्षा के साथ, इन अध्येतावृत्तियों की संख्या 500 से लेकर 1000 तक प्रति परीक्षा के हिसाब से बढ़ा दी गई थी। वर्ष 2008-2009 के दौरान इन परीक्षाओं को संचालित करने के लिए रुपये 5.17 करोड़ की राशि व्यय की गई।
- वि.अ.आ. राज्यों/राज्यों के समूहों को राज्य पात्रता परीक्षा (सेट)के संचालन के लिए प्रत्यायन की अनुमति भी देता है। जिन उम्मीदवारों ने 1 जून, 2002 से पूर्व, लेक्चरशिप के लिए राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) पास कर ली है, वे उम्मीदवार “नेट” परीक्षा में बैठने के लिए छूट के पात्र हैं। जून 2002 में अथवा उसके बाद होने वाली सेट परीक्षाओं के लिए योग्य उम्मीदवार, राज्य के केवल उन विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में लेक्चरर के पद के लिए आवेदन करने के योग्य होगा जहाँ उसने सेट परीक्षा पास की है। वर्ष 2008-2009 के दौरान जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गोवा, पूर्वोत्तर राज्यों, गुजरात एवं तमिलनाडु राज्यों ने सेट परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की। सेट संचालित करने का व्यय वहन संबद्ध राज्यों द्वारा किया जाता है।

- वि.अ.आ.ने वि.अ.आ. "राष्ट्रीय स्वामी प्रणवानन्द सरस्वती" पुरस्कार, वि.अ.आ.राष्ट्रीय हरी ओम आश्रम न्यास "पुरस्कार, वि.अ.आ.वेदव्यास राष्ट्रीय संस्कृत" पुरस्कारों को उन भारतीय राष्ट्रकों के लिए शुरू किया है जों कि विश्वविद्यालय प्रणाली में कार्यरत हैं या जो कि उन विश्वविद्यालयों से जुड़े हैं जो कि उच्च अनुसंधान कार्य करने के लिए स्वीकृत है। वर्ष 1985 के बाद से, यह पुरस्कार/एवार्ड प्रत्येक वर्ष उन लोगों को प्रदान किये जाते हैं जिन्होंने अद्वितीय शैक्षिक/वैज्ञानिक कार्य में योगदान किया है। वर्ष 2008-2009 के दौरान इन एवार्डों के लिए उम्मीदवारों का चयन हो चुका है जिसकी औपचारिक घोषणा होनी शेष है।

6. अनुसंधान का संवर्धन

- "अध्यापकों के लिए अनुसंधान परियोजनाएँ"— इस योजना का मुख्य उद्देश्य, विभिन्न विषयों में विश्वविद्यालय, कालेज के अध्यापकों के शोध कार्यक्रमों को सहायता देकर उच्च शिक्षा में अनुसंधान में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। स्वास्थ्य, जैरोन्टोलोजी, पर्यावरण, नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, तनाव प्रबंधन, डब्ल्यू.टी.ओ., और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव आदि विषयों से तथा कुछ अन्य क्षेत्रों से जुड़े होते हैं जिनकी विषयों के विशेषज्ञों के द्वारा पहचान की जाएगी। विज्ञान तथा मानविकी एवं समाजशास्त्रों के लिए अनुदान राशि क्रमशः उच्चतम रूप से 12.00 लाख तथा 10.00 लाख होगी। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 1411 नई बड़ी परियोजनाएँ और 3320 छोटी शोध परियोजनाएँ वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित की गईं तथा मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों दोनों के द्वारा रु.111.40 करोड़ की राशि जारी की गई थी। अंतर्विश्वविद्यालय तथा अंतर्संस्थात्मक सहयोगात्मक शोध को प्राथमिकता दी जा रही है।
- शोध पुरस्कार योजना, विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों के स्थाई अध्यापकों को अध्यापन दायित्व वाले विशेषज्ञता के उनके संबंधित क्षेत्र में दो वर्ष का पूर्णकालिक स्वतंत्र अनुसंधान करने के लिए बनाई गई है— जिसके लिए कोई भी शोध सहायता नहीं ली जायेगी। डॉक्टरेट उपाधिधारक अध्यापक जो कि 45 वर्ष से कम आयु वाले हैं, उन्हें इस एवार्ड के लिए विचाराधीन रखा जायेगा। समस्त विषयों में, प्रत्येक तीसरे वर्ष के दौरान 100 स्थानों के लिए चयन किया जाता है। वर्ष 2008-2009 के दौरान एवार्ड प्राप्तकर्ताओं के लिए 4.86 रु. का व्यय अनुदान के रूप में किया जायेगा।
- इमेरिटस फैलोशिप योजना, सभी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापकों को — जो कि 70 वर्ष तक की आयु वाले हों— उनके संबंधित क्षेत्र में सक्रिय शोध करने का अवसर प्रदान करती है। किसी भी समय सीमा पर आधारित करके इन फैलोशिप के अन्तर्गत उपलब्ध स्लॉटों की संख्या विज्ञान के लिए 100 और मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के लिए 100 हर दूसरे वर्ष है। अध्यापकों के लिए 50,000 रु. प्रतिवर्ष की आकस्मिक धनराशि के साथ दो वर्षों के लिए 20,000 रुपये प्रतिमाह का मानदेय है। वर्ष 2008-2009 के दौरान 2.05 करोड़ रुपये का व्यय किया गया जिसका भुगतान अध्यापकों को किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2008-2009 के दौरान, देश तथा विदेश के विभिन्न भागों से शिक्षाविदों को ज्ञान तथा विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ लाने हेतु, विभिन्न सेमिनार /सम्मेलन /कार्यशालाएँ आदि आयोजित करने हेतु, विश्वविद्यालयों/कॉलेजों तथा गैर विश्वविद्यालयों, जैसे भारतीय विज्ञान कांग्रेस आदि को वि.अ.आ. का मुख्यालय द्वारा 48.33 लाख रुपये की धन राशि का भुगतान किया गया था। वि.अ.आ. के क्षेत्रीय कार्यालयों ने वर्ष 2008-2009 के दौरान 1346 प्रस्तावों को अनुमोदन दिया और 7.00 करोड़ रुपये व्यय किया था।
- विदेशी नागरिकों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्यापक (जे.आर.एफ.) रिसर्च एसोसिएटशिप योजना के अन्तर्गत वि.अ.आ. ने वर्ष 2008-2009 के दौरान, विदेशी छात्रों के लिए 20 जे.आर.एफ., 7 रिसर्च एसोसिएटशिप को अनुमोदन किया था। जे.आर.एफ. उन भारतीय उम्मीदवारों को भी प्रदान की गई जो वि.अ.आ. अथवा सी.एस. आई.आर. द्वारा संचालित वि.अ.आ. नेट परीक्षा पास कर लेते हैं। जे.आर.एफ. के अन्तर्गत 12,000/= प्रतिमाह की अध्यापकवृत्ति है, जो प्रारम्भिक 2 वर्षों तक रहेगी तथा शेष समय के लिए यह 14,000/= प्रतिमाह होगी इसके साथ ही वार्षिक आकस्मिक अनुदान भी उपलब्ध रहेगा जो कि शेष समय तक जारी रहेगा। रिसर्च एसोसिएटशिप के अन्तर्गत 16,000/ प्रतिमाह मिलेंगे और साथ ही अन्तर्गत होता हुआ वार्षिक आकस्मिक अनुदान के रूप में 30,000/ रुपये का अनुदान मिलेगा जो कि रिसर्च एसोसिएटशिप के समस्त काल के लिये मिलता रहेगा। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 38.41 करोड़ का व्यय, जे.आर.एफ. (विदेशी छात्रों पर)/आर.ए.(विदेशी तथा भारतीय छात्रों पर किया गया)
- इंजीनीयरिंग तथा प्रौद्योगिकी में जे.आर.एफ. योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008-2009 के दौरान 50 उम्मीदवारों का चयन किया गया और अध्यापकों को भुगतान हेतु विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को 3.95 करोड़ का व्यय किया गया। इस योजना का लक्ष्य था कि छात्रों को अपनी पी.एच.डी. करने के लिए उच्च अध्ययन व शोध करने का सुअवसर प्राप्त हो सके।

- उच्च शिक्षा में सामाजिक असमानताओं को कम करने के लिए वि.अ.आ.अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों (अ.जा.के लिए 1333 तथा अ.ज.जा.के लिए 667) के लिए 2000 राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियाँ उपलब्ध कराता है, ताकि वे उम्मीदवार प्रगतिशील डिग्रियों तक पहुँचने के लिए उन्नत अध्ययन कर सकें। जे.आर.एफ.के लिए अध्येतावृत्ति का रुझान समान है। वर्ष 2008-2009 के दौरान अनुसूचित जाति के लिए 106.10 करोड़ तथा अनुसूचित जनजाति के अध्यापकों के लिए 39.61 करोड़ रुपये का व्यय अनुदान के रूप में किया गया था। चयनित उम्मीदवारों में से, सर्वाधिक संख्या उत्तर-प्रदेश से तथा मणिपुर से थी—जो क्रमशः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की थी।
- पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप की एक नई योजना अ.जा./अ.ज.जा. के उन उम्मीदवारों के लिए कार्यान्वित की गई है जिन्होंने डॉक्टरल डिग्री प्राप्त कर ली है, जिनके अपने अनुसंधान कार्य प्रकाशित हो गए हैं और जिन्होंने स्वतंत्र रूप से अनुसंधान कार्य का साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया है। फेलोशिप की अवधि पाँच वर्ष है तथा इसके लिए प्रतिमाह 16000/—रुपये की राशि देय है, जिसके साथ रुपये 30,000 प्रतिवर्ष आकस्मिकता राशि प्रदान की जाती है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 4.95 करोड़ का व्यय किया गया जिसका भुगतान अ.जा./अ.ज.जा. के अध्येताओं को जो चयनित थे, उन्हें किया गया। इस संबंध में जो चयन किया गया उसके लिए कुल 100 स्लॉट रखे गये थे।
- एक और नई योजना—यथा— व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियों को कार्यान्वित इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि समाज के वंचित वर्गों के उम्मीदवारों की सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर उन्हें स्नातकोत्तर स्तर के अध्ययनों को शुरू करने का अवसर प्रदान किया जाये। कुल स्लॉटों की संख्या 100 है। एम.टैक के लिए छात्रवृत्ति रु.15000 प्रति वर्ष की आकस्मिक राशि के साथ रुपये 5000 प्रतिमाह है—तथा एम.फार्मसी/एम.मैनेजमेंट के लिए रुपये 10000 प्रति वर्ष की आकस्मिक राशि के साथ रु.30,000 प्रतिमाह के हिसाब से दी जाती है। वर्ष 2008-2009 के दौरान अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों को भुगतान देकर कुल व्यय 6.77 करोड़ रुपये हुआ।
- शोध वैज्ञानिक योजना के अन्तर्गत शोध वैज्ञानिक लाभान्वित हुए हैं— भारतीय मूल के ऐसे सराहनीय वैज्ञानिक जो विदेशों में कार्यरत हैं जिनका ध्यान आकर्षित किया जा सके और शोध में उच्च गुणवत्ता विकसित हो सके, 1983 में इसी उद्देश्य से यह योजना आरम्भ की गई और कार्यान्वित हुई। वर्तमान में 72 शोध वैज्ञानिक विभिन्न संस्थानों में कार्यरत हैं। वर्ष 2008-2009 के दौरान ऐसे वैज्ञानिकों के वेतन एवं आकस्मिक व्यय पर कुल 4.81 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।
- ऐसी बेराजगार महिलाएँ जिनके पास पी.एच.डी. की डिग्री है और जो अंशकालिक आधार पर पोस्ट-डॉक्टरल शोध करने की इच्छुक हैं— उनके लिए वि.अ.आ.द्वारा 100 स्लॉट प्रति वर्ष उपलब्ध कराये गए हैं— इसके लिए (जिन्होंने कुछ समय पूर्व ही पी.एच.डी.की है) ऐसे उम्मीदवारों के लिए 6000 रुपए मासिक की अध्येतावृत्ति और ऐसे उम्मीदवार, जिन्हें पाँच वर्ष का शोध का अनुभव है उनके लिए 8000 रुपये प्रतिमाह की अध्येतावृत्ति राशि और इसके साथ ही रुपये 10,000 वार्षिक की आकस्मिक अनुदान राशि प्रदान की जाती है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान महिला अध्येताओं को भुगतान के रूप में 0.77 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई।
- स्नातक छात्रों को उच्च शिक्षा संस्थानों में स्नातकोत्तर अध्ययन करने हेतु वि.अ.आ.द्वारा एम.ई./एम टैक/एम. फर्मा विषयों के गेट परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के लिए 5000 रुपए की प्रतिमाह की छात्रवृत्ति धनराशि तथा रुपये 5000 प्रतिवर्ष की आकस्मिक राशि, प्रदान की जाती है जिसके साथ स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती है। वर्ष 2008-2009 के दौरान छात्रों को किये गए भुगतान पर 11.27 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई।
- स्नातकोत्तर इंदिरा गाँधी छात्रवृत्ति योजना का कार्यान्वयन इस उद्देश्य से किया गया कि जिस परिवार में केवल मात्र एक बालिका है जिन के अभिभावकों को छोटे परिवार मापदंड के आधार पर ऐसी बालिकाओं को छात्रवृत्तियाँ दी जाएंगी जिन बालिकाओं ने स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मात्र पी.जी.कॉलेज में प्रवेश पा लिया है। इस शोधवृत्ति की अवधि दो वर्ष होगी तथा शोधवृत्ति राशि रुपये 2000 प्रतिमाह के अनुसार 20 माह तक जारी रहेगी। शोधवृत्तियों की संख्या प्रतिवर्ष 1200 है। वर्ष 2008-2009 के दौरान अध्येतावृत्तियों के धारकों को भुगतान के रूप में रुपये 13.76 करोड़, का व्यय किया गया था।
- प्रतिभाशाली छात्रों को स्नातकोत्तर शिक्षा में अध्ययन करने के लिए वि.अ.आ.द्वारा एक पी.जी.मेरिट छात्रवृत्ति की योजना 2005-2006 के बाद से प्रारम्भ की गई— जिसमें उन सराहनीय छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया जिन्होंने स्नातक स्तर पर विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति पाने वाला छात्र, देश में किसी भी उच्च शिक्षा के संस्थानों में किसी विशिष्ट क्षेत्र में पी.जी.विषयों में (जिनमें व्यावसायिक कोर्स

शामिल नहीं है) अध्ययन कर सकता है। इस छात्रवृत्ति के अन्तर्गत, सामान्य पाठ्यक्रमों में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र तथा ऑनर्स पाठ्यक्रमों में केवल प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला छात्र ही, पात्र होंगे। छात्रवृत्ति की अवधि 2 वर्षों की होगी, एवं छात्रवृत्ति राशि 2000 रुपये प्रतिमाह, 20 माह तक के लिए है। छात्रवृत्तियों की संख्या 2375 है। (1800 सामान्य पाठ्यक्रमों एवं 575 ऑनर्स पाठ्यक्रमों के लिए)। वर्ष 2008-2009 के दौरान, छात्रवृत्तियों का भुगतान करने के लिए 2.33 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था।

- मेधावी छात्रों को विज्ञान में पी.एच.डी.डिग्री प्राप्त करने का सुअवसर देने के लिए, उत्तर अध्ययन एवं शोध शुरू करने हेतु मेधावी छात्रों के लिए विज्ञान में शोध अध्येतावृत्ति 'योजना कार्यान्वित की गई है। ऐसे उम्मीदवार जो कि, उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालय/उत्कृष्टता की संभावना वाले केन्द्रों/उत्तर अध्ययन केन्द्रों तथा वि.अ.आ. द्वारा पहचान किए गए विशेष सहायता विभागों में विज्ञान के विषयों में पी.एच.डी.में पंजीकृत है, वे इसके पात्र हैं। इस अध्येतावृत्ति का कार्यक्रम आरम्भ में दो वर्ष है— जिसे अध्येता द्वारा किए गए कार्य मूल्यांकन के आधार पर और तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। वित्तीय सहायता अध्येतावृत्ति राशि के रूप में 10,000 रुपये प्रतिमाह और आकस्मिक धनराशि के रूप में रुपये 6000 रुपये प्रतिवर्ष है। वर्ष 2008-2009 के दौरान विज्ञान विभागों को (सी.ए.एस./डी.एस.ए.आफ एस.ए.पी.) 1033 कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ आवंटित की गईं और चयनित विभागों में कार्यरत अध्येताओं को 13.02 करोड़ रुपये का कुल अनुदान जारी किया गया है।
- वर्ष 2007-2008 में भारतीय विश्वविद्यालयों में आधारभूत वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु सशक्त समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति अध्याय 6 के 6.15 पर देखी जा सकती है।
- डा.डी.एस कोठारी के नाम से एक नई पोस्ट —डाक्टोरल अध्येतावृत्ति योजना बनाई गई है और एक वरिष्ठ शिक्षाविद, जिनकी पहचान की जा चुकी है उनके द्वारा 61 पोस्ट —डॉक्टोरल फ़ेलोशिप का चयन किया गया है — और यह योजना कार्यान्वित हुई है। इस अध्येतावृत्ति में 20,000 रुपये से लेकर 22,000 रुपये तक के वेतन का प्रावधान है तथा वार्षिक तौर से 1000 रुपये की वृद्धि का प्रावधान है। इस प्रकार की अध्येतावृत्तियों की संख्या प्रति वर्ष 500 तक हो सकती है। वर्ष 2008-2009 के दौरान अध्येताओं को भुगतान करने के लिए रुपये 1.80 करोड़ का व्यय किया गया।
- अध्येतावृत्तियों तथा शोधवृत्तियों की संक्षिप्त स्थिति जानने के लिए अध्याय 6 का 6.17 देखें।

7. लिंग एवं सामाजिक समानता

- आयोग अ.जा./अ.ज.जा.सेल स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता रहा है ताकि विश्वविद्यालयों में, दाखिले, शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर पदों आदि पर भर्ती में आरक्षण नीति का सफल कार्यान्वयन हो सके। 31 मार्च, 2009 तक आयोग ने 122 विश्वविद्यालयों में अ.जा./अ.ज.जा.सैलों की स्थापना का अनुमोदन किया है। वर्ष 2008-2009 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत अ.जा./अ.ज.जा. सैलों के लिए 15.00 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।
- समाज के सुविधा वंचित वर्गों के लिए सामाजिक समता और सामाजिक आर्थिक गतिशीलता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उपचारात्मक अनुशिक्षण की योजना, स्नातक/स्नातकोत्तर स्तरों पर विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सेवाओं में भर्ती के लिए अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (अल्पसंख्यक/नॉन क्रीमीलेयर) छात्रों के लिए कार्यान्वित कर रहा है, ताकि अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक/नॉन क्रीमीलेयर/(अल्पसंख्यक/नॉन क्रीमीलेयर) नेट/सेट के उम्मीदवारों को तैयार किया जा सके। ऐसे संस्थान जिनमें अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र पर्याप्त संख्या में मौजूद हैं — उन संस्थानों को आर्थिक सहायता के लिए विचाराधीन रखा जाता है। ऐसी अनुशिक्षण कक्षाओं के लिए सामान्य श्रेणी के उन उम्मीदवारों को भी अनुमति दी जा सकती है जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इस संबंध में आर्थिक सहायता निम्न प्रकार से होगी।

(क) नॉन रेकरिंग (अनावर्ती) : प्रत्येक योजना के अन्तर्गत 5.00 लाख रुपये (एक मुश्त) तक

(ख) रेकरिंग (आवर्ती) : प्रत्येक योजना के अन्तर्गत कॉलेजों के लिए 5.00 लाख तथा विश्वविद्यालयों के लिए 7.00 लाख विश्वविद्यालय द्वारा गठित सलाहकार समिति, योजनाओं की प्रगति का परीवीक्षण अथवा पुनरीक्षण करने के लिए वर्ष में दो बार बैठक करेगी। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान परीवीक्षण एवं पुनरीक्षण समिति के दो आयोजन हुए — अगस्त 2008 में वि.वि.अ.आ.मे और जनवरी 2009 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुआ— जिनमें सहसंबंधात्मक केन्द्रों के कार्यकलापों का पुनरीक्षण भी किया गया।

- वि.वि.अ.आ. द्वारा गठित स्थायी समिति समय समय पर नियमित रूप से अ.जा./अ.ज.जा. की आरक्षण स्थिति का तथा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विद्यमान शेष बची रिक्तियों की स्थिति का अनुवीक्षण करती है। इस समिति की दो बैठकें, 24.06.2008 को तथा 20.01.2009 को हुई थी – जिनमें आरक्षण नीति के कार्यान्वयन का सर्वेक्षण किया गया। स्थायी समिति की उप-समिति ने 2008-09 के दौरान बी.एच.यू. दिल्ली विश्वविद्यालय का और दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों का दौरा किया। उस उपसमिति ने आरक्षण नीति, नियुक्तियों, प्रवेशों, होस्टलों का आवंटन तथा स्टाफ क्वार्टर्ज़ का आवंटन इन सबका पुनरीक्षण किया।
- कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को लाभ वंचित सामाजिक समूहों की आवश्यकताओं एवं बाधयताओं के प्रति और अधिक क्रियाशील बनाने के लिए वि.अ.आ. ने इन समूहों की नीति और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन की देख रेख करने और शैक्षिक, वित्तीय तथा अन्य मामलों में मार्गदर्शन तथा परामर्श प्रदान करने के लिए कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में समान अवसर सैल(ई.ओ.सी.) की स्थापना करने की योजना बनाई है। समान अवसर सैल का कार्यालय स्थापित करने के लिए 2.00 लाख रुपये का एक बारगी अनुदान दिया जायेगा। वर्ष 2008-09 में, एक लाख रुपये का एक बारगी अनुदान दिया जायेगा। वर्ष 2008-09 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था।
- अल्पसंख्यक समुदाय/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के छात्रों के लिए प्रशिक्षण योजनाएं –नामतः स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर रेमिडियल कोचिंग, सेवाओं में प्रवेश हेतु प्रशिक्षण योजना, तथा नेट/सैट हेतु छात्रों को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण योजना का ग्यारहवीं योजना से कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के लिये सामान्य विकास अनुदान योजना के साथ विलय कर दिया गया है।
- अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी स्थायी समिति अल्पसंख्यकों के लिए जारी योजना का नियमित रूप से अनुवीक्षण और समीक्षा कर रही है। प्रोफेसर जे.के. ए. तरीन, आयोग सदस्य की अध्यक्षता में 07.02.2009 को अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी उपसमिति की एक बैठक का आयोजन किया गया था। समिति ने अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अध्येतावृत्तियाँ की सिफारिश की।
- उच्च शिक्षा प्रणाली में अशक्त व्यक्तियों की उपेक्षा न करने तथा विशेष अध्यापकों व परामर्शदाताओं के लिए विशिष्ट कार्यक्रम विकसित करने के लिये तथा भिन्न रूप से योग्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिये वि.वि.अ.आ. ने 2008-09 के दौरान "टी.ई.पी.एस.ई." तथा "एच.ई.पी.एस.एन." अब इन योजनाओं का लिये विश्वविद्यालयों की सामान्य विकास अनुदान योजना के साथ विलय कर दिया गया है।
- "महिला अध्ययन को बढ़ावा – इस योजना का उद्देश्य ऐसे केन्द्र एवं कक्ष स्थापित करना है जहाँ पर महिला अध्ययनों के अन्तर्गत निम्न समस्त बातों पर शोध कार्य हो सके – पाठ्य-क्रम विकसित करना, लिंग समानता के लिए प्रशिक्षण कार्य को संगठित किया जाना, महिलाओं की आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता को विकसित करना, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना तथा समाज से और आबादी से जुड़े मामलों पर भी शोध आदि करना संभव हो सकेगा। यह समस्त केन्द्र 11वीं योजना से पूर्व ही स्थापित हो चुके हैं। अब तक विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अंशिक 46 महिला अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की सिफारिश की थी। जो केन्द्र, ग्यारहवीं योजना से पूर्व स्थापित किये जा चुके थे, उनके लिए वर्ष 2008-09 के दौरान ₹ 3.10 करोड़ राशि का अनुदान जारी किया गया था।
- महिलाओं के स्तर को बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आयोग, कॉलेजों में महिलाओं के लिए छात्रावासों तथा अन्य अवसरचक्रात्मक सुविधाओं के निर्माण हेतु, शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। यह सहायता, महिला पंजीकरण की संख्या तथा महानगर अथवा गैर महानगरों में कॉलेज के स्थान के आधार पर 60.00 लाख रुपये से लेकर 200.00 लाख रुपये तक हो सकती है। वर्ष 2008-09 के दौरान वि.अ.आ. के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कॉलेजों को रुपये 252.06 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता दी गई और मुख्य कार्यालय द्वारा दिल्ली के कॉलेजों को इस योजना के अन्तर्गत रुपये 2.00 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
- उच्च शिक्षा में महिला प्रबंधकों की क्षमता निर्माण करने की योजना का विशिष्ट लक्ष्य यह है कि उच्च शिक्षा प्रणाली में मौजूद लिंग भेद को कम किया जा सके, विभिन्न स्तरों पर भिन्न-भिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाएँ, महिलाओं को प्रेरित किया जाय ताकि वे कुशल प्रशासक बन सकें। वर्तमान समय में केवल तीन प्रकार की ही कार्यशालाएँ हैं जो प्रशिक्षण एवं कुशलता विकास के लिये ही संचालित की जा रही है। वर्ष 2008-09 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया गया जो कि प्रशिक्षकों के लिये था – और 79 कार्यक्रम ऐसे थे जो कि सुगृहित करने/जागरूकता/अभिप्रेरणात्मक कार्यशालाएँ आयोजित की गईं और इसके लिए इन संस्थानों को रुपये 3.02 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया था।

8. प्रासंगिता एवं मूल्य आधारित शिक्षा

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो स्नातक, व्यवसायोन्मुख पाठ्यक्रमों को पूरा करके निकलते हैं, उनके पास अर्जक के रोजगार के लिए कौशल और रुझान है, जिससे कि मास्टर डिग्री के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों पर दबाव कम हो जाये – इस लक्ष्य को लेकर वि.अ.आ. संस्थाओं को पुस्तकें जर्नल, प्रयोगशाला के तथा अन्य उपस्करों— इनकी खरीद के लिए, अतिथि संकाय को पारिश्रमिक देने के लिये, रुपये 10.00 लाख की, तथा मानविकी एवं वाणिज्य के लिए रुपये 7.00 लाख की एकबारगी मूलराशि प्रदान कर रहा है। इनमें से, कॉलेजों/विश्वविद्यालय केवल मात्र तीन पाठ्यक्रमों के लिए ही चुनाव कर सकते हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विभिन्न संस्थानों के 451 प्रस्तावों को वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित किया गया था। वर्ष 2008-09 के दौरान विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए कुल अनुदान प्रदान किया गया उसकी राशि 42.29 करोड़ थी।
- एक दिये गए क्षेत्र की समस्याओं तथा संस्कृति से संबंधित अध्ययन करने तथा अंतर-विषयात्मक शोध और अध्यापन करने हेतु वि.अ.आ. समय समय पर क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों को स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालयों की पहचान करता है। 31 मार्च, 2009 तक कुल मिलाकर 46 क्षेत्र अध्ययन केन्द्र स्थापित हुए थे। ऐसे देशों तथा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया— जिनका भारत के साथ घनिष्ट एवं सीधा सम्पर्क रहा था। वर्ष 2008-09 के दौरान इन केन्द्रों के कार्यकलापों के लिये रुपये 3.81 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी।
- सामाजिक बहिष्कार के कुछ ऐसे मुद्दे जो कि सैद्धान्तिक तथा नीतिगत रूप से महत्वपूर्ण हैं – उन मुद्दों पर अनुसंधान को बल देने के लिए, वि.अ.आ. ने विश्वविद्यालयों में सामाजिक बहिष्कार तथा समावेशन नीति के अध्ययन— हेतु केन्द्र नामक अध्यापन अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन केन्द्रों की आवश्यकताओं तथा उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए 75 विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया गया और वर्ष 2007-08 के लिये 22 प्रस्तावों को अनुमोदन देने की सिफारिश की गई जिसे कि वि.अ.आ. द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। वर्तमान में, वर्ष 2006-07 में अनुमोदित 13 केन्द्रों सहित, 35 केन्द्र अभी कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान इन केन्द्रों को कोई भी अनुदान जारी नहीं किया गया।
- अध्यापकों और छात्रों को भारत के सामाजिक विचारकों के विचारों की जानकारी देने के लिए, अभिज्ञात विश्वविद्यालयों द्वारा महत्वपूर्ण एवं महान व्यक्तियों के ऊपर वर्ष 2007-08 के दौरान 48 विश्वविद्यालयों में अभी तक 191 केन्द्र स्थापित किये गये हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान इन केन्द्रों के लिए 4.91 करोड़ रुपये की राशि अनुदान के रूप में दी गई।
- प्रौढ़ अनुवर्ती शिक्षा विस्तार (ए.सी.ई.ई.) तथा क्षेत्र प्रसार (एफ.ओ.) के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम—जिसमें विश्वविद्यालयों को साक्षरता, पश्चसाक्षरता, अनुवर्ती शिक्षा, विधिक साक्षरता, पर्यावरण शिक्षा आदि जैसे कार्यक्रम को आयोजित करने में संबद्ध किया गया है जिसमें छात्र और शिक्षक भी संबद्ध हैं। वर्तमान में 86 केन्द्र इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहे हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान विश्वविद्यालयों के विभागों/प्रौढ़ एवं अनुवर्ती शिक्षा के केन्द्रों को रुपये 2.52 करोड़ राशि को जारी किया गया।
- वि.अ.आ.— यू.एन.पी.ई.ए. परियोजना का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय प्रणाली के युवकों तथा उनके माध्यम से समुदाय को इस योग्य बनाना ताकि वे जीवन की गुणवत्ता, लिंग समानता, प्रजनन स्वास्थ्य, एड्स, समाज तथा राष्ट्र पर जनसंख्या का प्रभाव आदि से संबंधित मुद्दों को स्पष्ट रूप से समझ सके। क्योंकि यू.एन.पी.ई.ए. ने अनुदान को रोक दिया है, अतः वि.अ.आ. अपनी ओर से परियोजना को प्रौढ़ अनुवर्ती शिक्षा तथा विस्तार और क्षेत्र प्रसार केन्द्रों के जरिए जनसंख्या शिक्षा से संबंधित विस्तार गतिविधियों को चला रहा है जिसके लिए 72 केन्द्र स्थापित हैं। स्थापित जनसंख्या शिक्षा केन्द्रों को रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान रु. 8.09 लाख की राशि अनुदान के रूप में जारी की गई थी।
- मानव अधिकारों और कर्तव्य शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम शुरू करने तथा संगोष्ठियों, परिसंवाद और कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए वि.अ.आ. विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। वर्ष 2008-09 के दौरान, योग्य विश्वविद्यालयों/कॉलेजों से 242 प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें से, 173 प्रस्तावों (विश्वविद्यालयों से प्राप्त 50 प्रस्ताव और कॉलेजों के 123 प्रस्ताव) को विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर आयोग द्वारा मंजूरी दे दी गई। इस संबंध में आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को रुपये 5.39 करोड़ की राशि अनुदान के रूप में जारी की गई।

9. सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का समेकन

- वि.अ.आ. द्वारा, विश्वविद्यालयों को, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण में प्रयोग हेतु कम्प्यूटर केन्द्रों की स्थापना करने, कम्प्यूटरों का हर क्षेत्र में, विषय में प्रयोग करने तथा परीक्षा/प्रशासन से संबंधित कार्य में प्रयोग करने के लिए, नियमित रूप से सहायता प्रदान की जाती है। कम्प्यूटर केन्द्र की स्थापना के लिए वि.अ.आ.द्वारा दी जाने वाली सहायता की उच्चतम सीमा है – रु.70.00लाख (अनावर्ती) और वास्तविक व्यय पर आधारित (आवर्ती) तथा पाँच वर्ष के पश्चात वह केन्द्र पदोन्नति के लिए दुबारा सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र रहेगा जिसके लिए उसे रु.50.00लाख तक की सहायता मिल सकती है। वर्ष 2008–2009 के दौरान आयोग के अनुमोदन के अनुसार 20 विश्वविद्यालयों को रुपये 5.52 करोड़ राशि जारी की गई।
- "यू.जी.सी. इन्फोनेट/इन्टरनेट/कनेक्टिविटी" कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 149 विश्वविद्यालयों को 256 के.बी. पी.एस. से लेकर 2 एम.बी.पी.एस. तक की इन्टरनेट बैंडविड्थ प्रदान की गई है। पूरे नेटवर्क की स्थापना तथा रखरखाव का कार्य ई.आर.एन.ई.टी. इंडिया द्वारा "टर्न की" आधार पर किया जा रहा है। वर्ष 2008–09 के दौरान, कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने वाले "इन्फिलबनेट" को 17.27 रुपये करोड़ की राशि जारी की गई।
- पत्रिकाओं की कीमतों में बढ़ोतरी होना, पत्रिकाओं की संख्या में वृद्धि तथा विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों के पुस्तकालयों में धनराशि की कमी के कारण, वि.अ.आ., यू.जी.सी. – "इंफोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम कार्यक्रम" के माध्यम से उन्हें वित्तीय सहायता देता रहा है। यह कार्य वि.अ.आ. की ओर से इन्फिलबनेट अंतर-विश्वविद्यालय केन्द्र द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। यह कंसोर्टियम विभिन्न विषयों में 23 प्रकाशकों तथा "एग्रीगेटर्स" से 5000 से अधिक "कोर" एवं गहन समीक्षा पत्रिकाओं तक तथा 9 ग्रन्थपरक आधारगत आंकड़ों तक अभिलेखीय पहुंच प्रदान करता है। वर्ष 2004 में शुरू हुए प्रथम चरण में यूजीसी इंफोनेट इंटरनेट कनेक्टिविटी कार्यक्रम के अंतर्गत इन्टरनेट कनेक्टिविटी वाले 50 और विश्वविद्यालयों को ई-संसाधन प्रदान किए गए थे। दूसरे चरण में वर्ष 2005 में इस कार्यक्रम में और 50 विश्वविद्यालयों को जोड़ा गया अब तक वि.अ.आ. के क्षेत्राधिकार में आने वाले 171 विश्वविद्यालयों में से 157 विश्वविद्यालयों को "सब्सक्राइब-ई" संसाधन तक डिफ्रेन्शियल पहुंच प्रदान की गई है। "ई-संसाधन" लेने के लाभ, कॉलेजों, शुरू में उत्कृष्टता दिखाने की संभावना वाले कॉलेजों को, तथा स्वायत्त कॉलेजों को दिया जा रहा है। वर्ष 2008–09 के दौरान छात्रों, शोधकर्ताओं तथा संकाय सदस्यों को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में उपभोक्ता जागरूकता के 17 कार्यक्रम संचालित किये गये। इस वर्ष में विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों अंकीय भंडार(डिजिटल रिपोजिटरी) के उद्देश्य से कुल रु0 68.68 करोड़ की अनुदान राशि प्रदान की गई।

10. संचालन एवं कार्यकुशलता में सुधार

- विश्वविद्यालयों को उनके विकास समाज की भागीदारी/योगदान द्वारा संसाधन जुटाने के लिए प्रेरित करने के लिए वि.अ.आ. विश्वविद्यालयों द्वारा सृजित अथवा जुटाए गए संसाधनों का 25 प्रतिशत प्रदान करता रहा है, जो कि 50 लाख रुपये प्रतिवर्ष की अधिकतम राशि पर निर्भर करता है। वर्ष 2008–09 के दौरान वि. अ.आ. के हिस्से के रूप में पात्र विश्वविद्यालयों को रुपये 2.66 करोड़ राशि प्रदान की गई थी।
- वि.अ.आ. ने सूचना एवं सेवा आपूर्ति में सुधार लाने प्रबंधन को जिम्मेदार बनाने, पारदर्शी, कम भ्रष्ट और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा तथा वि.अ.आ. के कार्यालयों में ई-प्रशासन शुरू किया है।
- शैक्षिक प्रशासन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के व्यापक लक्ष्य से वि.अ.आ. विश्वविद्यालय/कॉलेजों के शैक्षिक प्रशासकों तथा वि.अ.आ. के अधिकारियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण देता रहा है। वर्ष 2008–09 के दौरान कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया तथा न ही कोई व्यय हुआ।

1 प्रस्तावना

1.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका एवं संरचना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) की स्थापना 28 दिसम्बर, 1953 को हुई थी और वर्ष 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा यह एक संविधिक संगठन बन गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि आयोग, संबंधित विश्वविद्यालयों के परामर्श से विश्वविद्यालय शिक्षा के संवर्धन और समन्वय के लिए तथा शिक्षण, परीक्षा एवं अनुसंधान के स्तरों को बनाए रखने के लिए, उपयुक्त समझे जाने वाले कदम उठाएगा। आयोग द्वारा लिए गए नीति निर्णय के अनुसार, शिक्षण और अनुसंधान में शिक्षा के तीसरे आयाम के रूप में विस्तार को सम्मिलित किया गया। अपने कार्य निष्पादन से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, निम्नलिखित प्रयोजन पूरे कर सकता है :

- आयोग की निधि से, अनुरक्षण एवं विकास के लिए, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान आवंटित करना और संवितरित करना।
- विश्वविद्यालयी शिक्षा के संवर्धन के लिए आवश्यक उपायों पर, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों और उच्च शिक्षण संस्थाओं को सलाह देना।
- वि.अ.आ. अधिनियम के संगत नियम और विनियम बनाना आदि।

वि.अ.आ. अधिनियम 1956 की धारा 18 के अनुसार, आयोग प्रत्येक वर्ष, निर्दिष्ट तरीके व रूप से, पिछले वर्ष के दौरान किए गए अपने कार्यक्रमों का, सत्य एवं सम्पूर्ण ब्यौरा देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा इसकी प्रतियाँ, केन्द्र सरकार को भेजेगा और सरकार इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

संगठनात्मक ढाँचा

आयोग में, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष तथा दस सदस्य (सचिव-शिक्षा, सचिव-व्यय तथा अन्य आठ सदस्य) हैं जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। इसमें से अध्यक्ष उसे चुना जाता है जो केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार का अधिकारी नहीं होता है। अन्य दस सदस्यों में, दो का चयन, केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए, केन्द्रीय अधिकारियों में से किया जाता है, जब कि कम से कम चार सदस्यों का चयन उन व्यक्तियों में से किया जाता है, जोकि चयन के समय विश्वविद्यालयों में शिक्षक होंगे।

शेष सदस्यों का चयन निम्नलिखित व्यक्तियों के मध्य से किया जाता है: जिन्हें,

- (1) कृषि, वाणिज्य, वाणिकी या उद्योग का ज्ञान अथवा अनुभव प्राप्त है—या
- (2) इंजीनियरिंग, विधिक, चिकित्सा अथवा किसी अन्य विद्वत व्यवसाय के सदस्य हों।
- (3) जो विश्वविद्यालयों के कुलपति हैं—या जो विश्वविद्यालयों के शिक्षक न होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार की राय में, विख्यात शिक्षाविद् माने जाते हैं या जो उच्च अकादमिक विशेष योग्यता प्राप्त है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अधिशासी प्रमुख, सचिव होता है, वह आयोग के सचिवालय का प्रधान होता है जिसके कर्मचारियों की संख्या वर्ष 2008-2009 में निम्न प्रकार से है :—

वर्ग	स्वीकृत संख्या	कुल कार्यकारी संख्या में से	महिलाएँ	अ0जा0	अ0ज0जा0	अल्पसंख्यक
		(स्वीकृत संख्या का प्रतिशत)	(स्वीकृत संख्या का प्रतिशत)	(स्वीकृत संख्या का प्रतिशत)	(स्वीकृत संख्या का प्रतिशत)	(स्वीकृत संख्या का प्रतिशत)
वर्ग 'क'	133	70 (52.63%)	20 (28.57%)	16 (22.85%)	3 (04.28%)	9 (12.85%)
वर्ग 'ख'	138	117 (84.78%)	47 (40.17%)	11 (09.40%)	2 (01.70%)	8 (06.83%)
वर्ग 'ग'	434	277 (63.67%)	51 (18.41%)	78 (28.15%)	19 (06.85%)	17 (06.13%)
वर्ग 'घ'	72	71 (91.54%)	65 (13.84%)	9 (55.38%)	36 (07.69%)	5 (01.53%)
कैटीन	19	16 (84.21%)	2 (12.50%)	2 (12.50%)	Nil	Nil
कुल	796	545 (68.46%)	129 (23.66%)	143 (26.23%)	29 (05.32%)	35 (06.42%)

कार्यक्रमों के निर्माण, मूल्यांकन एवं प्रत्यायन में वि.अ.आ. विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं एवं अन्य संस्थाओं के विषय विशेषज्ञों से सहायता लेता है।

क्षेत्रीय कार्यालय

वि.अ.आ. ने कॉलेज क्षेत्रक से संबंधित 7 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये हैं। जो कि—हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी एवं बंगलूरु और दिल्ली में हैं—इन कार्यालयों में इन क्षेत्रों के संबद्ध कालेजों की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा सुगम पहुँच के लिए कार्य होता है। उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय का कार्यान्वयन, 35, फिरोजशाह रोड नई दिल्ली से चलाया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची तथा इसमें शामिल कॉलेजों का रूप इस प्रकार है :-

क्रम संख्या	क्षेत्रीय कार्यालय	स्थिति	स्थापना की तिथि	राज्य/संघीय क्षेत्रीय सीमा
1.	दक्षिण पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (सेरो)	हैदराबाद	28.09.1994	आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, पाण्डिचेरी
2.	पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय	पुणे	11.11.1994	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादरा नागर हवेली, दमन द्वीप
3.	केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यालय	भोपाल	01.12.1994	मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़.
4.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय	गुवाहाटी	01.04.1995	आसाम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर त्रिपुरा, अरुणाचल, नागालैंड
5.	पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय	कोलकाता	03.09.1996	पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सिक्किम, झारखण्ड
6.	दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय	बंगलूरु	25.04.1999	कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप
7.	उत्तरी क्षेत्रीय कॉलेज ब्यूरो	दिल्ली	25.09.2001	जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चण्डीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल

1.2 11 वीं योजना के बारे में

देश के लोगों को आगे बढ़ाने और देश की उन्नति को सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षा एक मुख्य साधन है। भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली को योजना सहायता प्रदान की जा रही है। यू.जी.सी. में उच्च शिक्षा के विभिन्न आयामों पर अनेक अध्ययनों को आरम्भ किया गया था—जिसका लक्ष्य यह विचार करना था कि 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) के लिए क्या दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए और इसके ऊपर जो रिपोर्ट तैयार की जाने वाली है उसके लिए आवश्यक आधारगत सूचना कैसे तैयार की जाए। इन समस्त अध्ययनों का संबंध, विस्तार, समावेश, गुणवत्ता तथा वित्त से है। इन अध्ययनों से जो सूचना निकलकर सामने आई है उसका उपयोग ग्यारहवीं योजना के सापेक्षिक महत्त्व में विकास के लिए किया गया है और यह उपलब्ध परिणाम/निष्कर्ष इस योजना के ध्येयों एवं उद्देश्यों को विनिर्माण करने में सहायक सिद्ध हुए हैं। यह पुस्तक जिसका शीर्षक “भारत में उच्च शिक्षा” है, इसका प्रकाशन हो चुका है और जो अध्ययन आरम्भ में आयोग द्वारा किए गए थे—यह पुस्तक उन्हीं पर आधारित है।

11वीं योजना का मुख्य उद्देश्य, गुणवत्ता, शैक्षिक सुधारों को समाहित करना तथा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों की शिक्षा प्रणाली में अनिवार्य सुधारों को किया जाना है। अतः बड़ी हुई संस्थागत सुगमता, उच्च शिक्षा तक कम पहुँच वाले समूहों द्वारा समान पहुँच कर पाने के लिए, माध्यम देना, संपूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना, अच्छी शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ शैक्षिक और प्रशासनिक सुधार करने आदि के द्वारा—उच्च शिक्षा विस्तार पर बल दिया जायेगा।

11वीं योजना के सकल पंजीकरण अनुपात (जी.ई.आर.) को वर्तमान 10% के स्तर से उठाकर 2012 तक 15 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 5 प्रतिशत की कुल बढ़ोतरी को दोहरी रणनीति के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इस दोहरी रणनीति में शैक्षिक संस्थानों की संख्या में वृद्धि लाना, तथा मौजूदा संस्थानों की प्रवेश क्षमता का बढ़ाना शामिल है। वि.अ.आ. द्वारा वित्तीय सहायता जिन संस्थानों को दी गई है, उनके निष्पादन को और 11 वीं योजना की आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए, आयोग द्वारा जिन विशेषज्ञ समितियों का गठन किया गया है। उन समितियों द्वारा विश्वविद्यालयों के दौरे प्रारम्भ किये जा चुके हैं। विभिन्न योजनाओं और शिक्षा निर्देशों को अंतिम रूप दिया जा चुका है—जो कि पूर्व में जारी कार्यक्रमों के लिए तथा नई योजनाओं के लिए हैं—जिनको 11वीं योजना काल के दौरान लागू किया जाना है।

1.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कार्यरत विशेष सैल

(क) अनाचार सैल :

देश में जाली विश्वविद्यालय की बढ़ती हुई संख्या से और इसके खतरे से निपटने के लिए, वि०अ०आ० ने 30 मई, 1996 जाली विश्वविद्यालय सैल की स्थापना की थी जिसके बाद इसका नाम बदलकर अनाचार सैल कर दिया गया। इस सैल के निम्नलिखित कार्य हैं :

- प्रिंट मीडिया तथा अन्य स्रोतों के माध्यम से सूचना एकत्र करना और जाली विश्वविद्यालय के सभी मामलों/घटनाओं की जानकारी आयोग को देना।
- भारत सरकार/राज्य सरकारों की विभिन्न एजेंसियों के साथ सम्पर्क स्थापित करना तथा ऐसे उपाय करना जो कि जाली विश्वविद्यालयों की बढ़ती हुई जोखिम को रोकने के लिए आवश्यक हों।
- वि.अ.आ. द्वारा विश्वविद्यालयों/कालेजों को उपलब्ध कराई गई विधियों के दुरुपयोग के संबंध में की गई शिकायतों पर विचार करना।

प्रत्येक शैक्षिक सत्र के शुरू में राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में, आयोग एक प्रेस विज्ञापित जारी करता है, जिसके द्वारा प्रत्याशी छात्रों को, अभिभावकों और सर्वसाधारण को यह सलाह दी जाती है कि वे ऐसे स्वयंम्भू विश्वविद्यालयों/संस्थाओं से उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम को ग्रहण न करें, जो कि देश के विभिन्न भागों में अप्राधिकृत रूप से काम कर रहे हैं/रही हैं।

इसके अतिरिक्त, वि.अ.आ. सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को और सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों को लिखता रहा है कि वे अपने-अपने राज्यों में जाली विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के बारे में व्यापक प्रचार करें, ताकि ऐसे स्वयंम्भू विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा छात्रों को धोखा न दिया जा सके, क्योंकि ऐसे विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा दी जा रहे, डिग्री डिप्लोमा/प्रमाणपत्र, शैक्षिक तथा रोजगार के प्रयोजनों हेतु वैध नहीं है। साथ ही वि.अ.आ. वेबसाइट www.ugc.ac.in के माध्यम से प्रचार कर रहा है। आयोग ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर रहा है।

संसदीय स्थाई समिति की सिफारिशों पर वि.अ.आ. अधिनियम, 1956, में संशोधन का प्रस्ताव किया है कि जिसमें जुर्माने की राशि एक हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये तक तथा 1.00 लाख रुपये से लेकर 10.00 लाख तक करने की और 6 माह से लेकर तीन वर्ष तक के कारावास की व्यवस्था है। यह प्रस्ताव भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा-विभाग नई दिल्ली के विचाराधीन है।

31 मार्च, 2009 को जाली विश्वविद्यालयों/संस्थाओं की सूची नीचे दी गई है:-

बिहार

1. मैथिली यूनिवर्सिटी /विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार

दिल्ली

2. वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी (उ.प्र.), जगतपुरी, दिल्ली
3. कमर्शियल यूनिवर्सिटी, दरियागंज, नई दिल्ली।
4. यूनाइटेड नेशनल्स यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली।

5. वोकेशनल यूनिवर्सिटी, दिल्ली।
6. ए0डी0आर-सैटिक जेरीडिकल यूनिवर्सिटी, एडीर. हाउस, 8 जे गोपाला टॉवर, 25, राजेन्द्र प्लेस नई दिल्ली-110008
7. भारतीय विज्ञान और इंजीनियरिंग संस्थान, नई दिल्ली।

कर्नाटक

8. बदगानवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसायटी, गोकक, बेलगाम (कर्नाटक)

केरल

9. सेंट जोन्स यूनिवर्सिटी, किशनाट्टम, केरल

मध्य प्रदेश

10. केसरवानी विद्यापीठ, जबलपुर (म0प्र0)

महाराष्ट्र

11. राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी, नागपुर

तमिलनाडु

12. डी0डी0बी0 संस्कृत विश्वविद्यालय, पुत्तुर, त्रिची, तमिलनाडु

उत्तर प्रदेश

13. महिलाग्राम विद्यापीठ / विश्वविद्यालय (महिला विश्वविद्यालय) प्रयाग इलाहाबाद।
14. इंडियन एजुकेशन काउंसिल ऑफ यू.पी. लखनऊ।
15. गांधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग इलाहाबाद
16. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो काम्प्लेक्स होमियोपैथी, कानपुर
17. नेताजी सुभाषचन्द्र बोस यूनिवर्सिटी (ओपन यूनिवर्सिटी) अचलताल, अलीगढ़
18. उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, कोसीकलां, मथुरा
19. महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, प्रतापगढ़
20. इन्द्रप्रस्थ शिक्षा परिषद, इंस्टिट्यूशनल एरिया, खोड़ा, माकनपुर, नोएडा फेस-2(उ.प्र.)
21. गुरुकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन, मथुरा (उ.प्र.)

पश्चिम बंगाल

22. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ आल्टरनेटिव मेडिसिन, कोलकाता।

नोट : भारतीय शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा बी.एड./एम.एड. आदि जैसी डिग्रियों को मान्यता देने तथा परिषद् की मान्यता से संबंधित मामला अभी भी न्यायाधीन है।

(ख) सतर्कता सैल

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भ्रष्टाचार की रोकथाम, प्रभावी ढंग से करने के लिए भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार एक सतर्कता सैल स्थापित किया है। सतर्कता सैल का प्रमुख, यू.जी.सी. के अतिरिक्त सचिव के ओहदे का एक अधिकारी होता है। केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी ने डॉ.के.गुणाशेखरन अतिरिक्त सचिव, को मुख्य सतर्कता अधिकारी

की मुख्य जिम्मेदारी सौंपी है जिससे कि वि.अ.आ. में भ्रष्टाचार की रोकथाम करना तथा भ्रष्टाचार के मामलों का पता लगाना है। इसके अतिरिक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी निम्नलिखित कार्य भी सुनिश्चित करता है :

- संदिग्ध निष्ठा वाले अधिकारियों पर उचित निगरानी रखना
- ऐसे निष्ठा विषयक आचरण नियम जो निम्न से संबंधित हैं—उनका तुरन्त पालन :- (1) परिसंपत्तियों और अर्जनों का विवरण, (2) उपहार, (3) प्राइवेट फर्मों में नौकरी कर रहे या प्राइवेट व्यवसाय कर रहे संबंधी लोग (4) बेनामी संव्यवहार।
- संवेदनशील स्थानों का पता लगाना, ऐसे स्थानों का नियमित एवं अचानक निरीक्षण और संवेदनशील पदों पर नियुक्त किए गए कार्मिकों की उचित छानबीन करना।
- विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान आबंटन तथा संवितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सरलता लाने के लिए रोकथाम-संबंधी उपाय शुरू करना।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निदेशानुसार, वि.अ.आ. ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 03.11.2008 से 07.11.2008 तक सतर्कता जानकारी सप्ताह मनाया, जिसमें शपथ ली गई और बैनर और इशतहार लगाए तथा पत्र-पत्रिकाएँ आदि वितरित की गई।

वर्ष 2008-2009 के दौरान, सतर्कता सैल को सी.बी.सी.मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विभिन्न विश्वविद्यालयों/कालेजों से 12 शिकायतें प्राप्त हुई। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निदेशानुसार कुछ मामलों में जाँच समिति गठित की गई है और समिति की रिपोर्ट को सी.बी.सी./मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भी भेजी गई है। विश्वविद्यालयों तथा कालेजों से प्राप्त शिकायतों को आवश्यक कार्यवाही किए जाने के हेतु वि.अ.आ. के संबद्ध ब्यूरो को भिजवा दिया गया है।

(ग) कार्य स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न सैल

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करने के लिए “कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न” नाम से सैल की स्थापना वर्ष 2000 में की थी, जिसकी प्रमुख एक महिला संयुक्त सचिव, डॉ. (श्रीमती) रेणु बत्रा हैं।

(घ) विधिक सैल

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने न्यायालयों में, मुकदमों की बढ़ती संख्या को देखते हुए , वर्ष 1989 में एक विधिक सैल की स्थापना की।

विधिक सैल का मुख्य कार्य, मुकदमा दायर करने में अथवा बचाव करने हेतु ,कार्यरत वकीलों तथा आयोग के संबद्ध ब्यूरो के बीच मुकदमों का समन्वय करना है। अनुरोध किए जाने पर विधिक सैल, सलाहकार को कार्य सौंप कर, विभिन्न नीतिगत मामलों पर विधिकमत प्रदान भी करता है।

विधिक सैल, निचली अदालतों, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, उच्च न्यायालय में दायर, मुकदमों पर ध्यान देता है कोर्ट का नोटिस मिलने पर, वि०अ०आ० विधिक परामर्शदाता से विधिक परामर्श लेकर, संबद्ध ब्यूरो से पैरा-कर (पैराबाइज) टिप्पणी लेता है, फिर वह मामला (वि.अ.आ.) के पैनल के वकील को सौंपा जाता है—वकील द्वारा तैयार काउंटर-एफीडेविट को प्रमाणित किया जाता है और संबद्ध ब्यूरो प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है और नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित किए जाने के बाद न्यायालय में दायर किया जाता है। मुकदमों में निपटारे के पश्चात, निर्णय की प्रति संबंधित ब्यूरो को, न्यायालय के निदेशानुसार, उचित / आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है, यदि ऐसा करना अनिवार्य है।

अधिकांश मामलों मुख्यतः विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के शिक्षण और शिक्षणोत्तर स्टाफ के वेतनमानों, अर्हताएँ सेवानिवृत्ति आयु चयन, व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिलों, सामान्य प्रवेश परीक्षा, विभिन्न संस्थाओं/जाली विश्वविद्यालयों की स्थापना आदि से संबंधित होते हैं। कुछ मामले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्टाफ से संबद्ध प्रशासनिक मामले होते हैं।

वर्ष 1999 से लेकर 2009 तक (31-03-2009) तक रिकार्डों के अनुसार मामलों की कुल संख्या 3461 है।

वार्षिक तौर पर मामलों की संख्या और वकीलों पर व्यय की गई फीस का विवरण निम्न प्रकार है—

वर्ष	प्राप्त मामलों की संख्या	वर्ष	वकीलों के बिल पर किया गया व्यय (लाख रु० में)
1999	289	1998-1999	1.32
2000	369	1999-2000	7.34
2001	365	2000-2001	1.86
2002	337	2001-2002	4.86
2003	357	2002-2003	27.73
2004	247	2003-2004	15.67
2005	306	2004-2005	30.05
2006	409	2005-2006	34.02
2007	414	2006-2007	34.50
2008 (31.3.2009)	368	2007-2008	55.00
	कुल 3461		

(ड.) डेस्क : संसद मामले

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का डेस्क संसद”, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेष रूप से मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त हुए संसद प्रश्नों के उत्तरों को तैयार करने, परीवीक्षण करने और उनका समन्वय करने का कार्य करता है। लोकसभा तथा राज्य सभा के माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्न सामान्यतः शिक्षा के निम्नलिखित मामलों पर संबंधित होते हैं :

- विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उच्च शिक्षा विकास से संबंधित वि.अ.आ. के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं का कार्यान्वयन
- शिक्षकों से जुड़े मुद्दे, जैसे नियुक्ति की न्यूनतम अर्हताएँ, उनकी सेवा शर्तें, व्यवसाय संवर्धन आदि।
- केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों, समविश्वविद्यालयों और कॉलेजों को दिए गए विकास/अनुरक्षण अनुदान और उनका उपयोग।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के अन्तर्गत संस्थाओं/विश्वविद्यालयों की पात्रता शर्तें। इन धाराओं के अन्तर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए संस्थाओं/विश्वविद्यालयों की मान्यता।
- एन.ए.सी.सी. द्वारा कॉलेजों/ विश्वविद्यालयों का प्रत्यायन/सभी प्रकार के विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों का विनियमन
- स्वयात्त कॉलेज एवं उत्कृष्ट क्षमता वाले कॉलेज।
- सम विश्वविद्यालयों की मान्यता।
- जाली विश्वविद्यालय/संस्थान
- उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, भिन्न प्रकार से योग्य व्यक्तियों एवं अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण से संबंधित आदेशों का कार्यान्वयन।

- अन्य पिछड़ी जातियों को सुविधाएँ विभिन्न सामाजिक समुदायों एवं अल्पसंख्यक तक पहुँच।
- विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त शिक्षा/सांस्कृतिक विनियमन कार्यक्रम/विदेशी विश्वविद्यालयों एवं अन्य देशों के साथ अकादमिक सहयोग।
- देश में लेक्चरशिप/कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति के लिए वि.अ.आ. द्वारा आयोजित की जा रही नेट परीक्षाएँ।
- विश्वविद्यालयों/कालेजों का नेटवर्किंग, कम्प्यूटर सुविधाएँ
- शिक्षा में गुणवत्ता
- विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में विभिन्न क्रीड़ाओं के लिए आधारभूत संरचना और उपकरणों का विकास।
- नवीन पाठ्यक्रमों की मान्यता, साथ ही व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए भी मान्यता तथा पाठ्य विवरण का पुनः प्रवर्तन।
- छात्रों एवं शिक्षकों के लिए अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ ।
- पी.एच.डी./एम.फिल कार्यक्रम/नेट कार्यक्रम के साथ।
- उच्च शिक्षा से जुड़े, आँकड़े
- शिक्षा में सुधार।
- विश्वविद्यालयों/कालेजों में 'रैगिंग'

वर्ष 2003-2004 से वर्ष 2008-2009 (01.04.2008 से 31.03.2009) तक की अवधि के दौरान, लोकसभा/राज्यसभा के बजट सत्र/वर्षाकालीन/शरदकालीन सत्र में प्राप्त किये गए संसद प्रश्नों की संख्या नीचे दी जा रही है :-

वर्ष	प्राप्त संसद प्रश्नों की संख्या	कुल प्रश्नों में तरांकित	आश्वासनों की संख्या
2003-04	246	20	28
2004-05	295	23	28
2005-06	491	54	26
2006-07	246	44	12
2007-08	455	37	8
2008-09	299	23	12

(च) सूचना का अधिकार अधिनियम सैल (आर.आई.ए.)

सैल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो एक सरकारी संस्था है, उसके द्वारा, सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत, आवेदकों को सूचना उपलब्ध कराई जाती है। सूचना अधिकार के अन्तर्गत जो आवेदन/अपीलें आवेदकों से प्राप्त होती हैं और केन्द्रीय सूचना आयोग आदि से जो नोटिस/ निर्णय प्राप्त होते हैं, उन्हें केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी (सी.पी.आई. ओ.) के नाम पर केन्द्रित तौर से मुख्य कार्यालय में प्राप्त किया जाता है और इसके बाद इन्हें विभिन्न जनसूचना अधिकारियों को भेज दिया जाता है, जिन के पास आवश्यक सूचना मौजूद हो सकती है। केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी की देखरेख में एक सैल होती है—अर्थात् सूचना अधिकार अधिनियम सैल—जोकि, सूचना अधिकार के अन्तर्गत मिलने वाले सारे आवेदनों की आवश्यकतानुसार प्रतियाँ करा के केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी के द्वारा ऐसे विभिन्न जन सूचना अधिकारियों/अपीलीय प्राधिकारियों को भिजवा देती है—जिनके पास अपेक्षित सूचना मिल सकती है। ऐसी किसी भी आवेदन/अपील/नोटिस/निर्णय की एक प्रति, सूचना अधिकार सैल के रिकॉर्ड के लिए रखी जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में जितने भी ब्यूरो प्रमुख हैं, वे आर.टी.आई. के अन्तर्गत, सभी अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किए गए हैं, और उनके अधीनस्थ जो उपसचिव अथवा अवर सचिव हैं, उन्हें जन सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है। जन सूचना अधिकारी/अपीली प्राधिकारी द्वारा जो भी उत्तर भेजा जाता है, उसकी एक प्रति सूचना अधिकार सैल में रिकॉर्ड के लिए भेजी जाती है।

केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा यूजीसी में भेजी जाने वाली आवेदनों/अपीलों/निर्णयों की तिमाही/वार्षिक रिपोर्ट, सूचना अधिकार अधिनियम सैल द्वारा तैयार की जाती है और केन्द्रीय सूचना आयोग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजी जाती है। पूरे देश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के छः क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इन समस्त कार्यालयों में जनसूचना अधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी है। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जो आवेदन प्राप्त किये जाते हैं— उन पर, संबद्ध जन सूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी, उचित कार्यवाही प्रत्यक्ष तौर से करते हैं। जन सूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारियों की सूची को यूजी.सी.वेबसाइट पर — अर्थात् www.ugc.ac.in पर प्रदर्शित किया गया है।

वर्ष 2008–2009 के दौरान, वि.अ.आ. द्वारा 3407 आवेदन, सूचना अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त किये गये और इसके द्वारा अतिरिक्त 144 अपीलें भी प्राप्त की गईं। केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा 35 मामलों में निर्णय सुनाया गया है।

(छ) आंतरिक लेखा परीक्षा सैल

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यालयों में अनुरक्षण और पारदर्शिता पर नजर रखने के लिए, महानिदेशक, लेखा-परीक्षा और राजस्व द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर मई 1995 में आंतरिक लेखा परीक्षा सैल की स्थापना की गई। तब से यह सैल, उप-निदेशक के अधीन और लेखापरीक्षा विभाग/कनिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारियों की देखरेख में सक्रिय है—जो अधिकारी भारत सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आयोग में आए हैं। यूजी.सी. के जितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं और विश्वविद्यालय प्रणाली के अन्तर्गत यूजी.सी. द्वारा जितने भी अन्तर-विश्वविद्यालय केन्द्र स्थापित किये गये हैं—इन सभी की लेखा-परीक्षा भी इसी सैल द्वारा की जाती है। यूजी.सी. के जितने भी विभिन्न वित्तीय एवं प्रशासनिक मामले हैं—उन पर भी यह आन्तरिक लेखा-परीक्षा सैल अपना परामर्श देती रहती है। सैल को पेंशन अदायगी मामलों का पूर्व लेखा परीक्षा कार्य, भी सौंपा गया है, जिसके साथ ही सामान्य भविष्य निधि/संचयी भविष्यनिधी की अंतिम अदायगी के मामलों, वेतन निर्धारण, संविदा दस्तावेज और समय-समय पर सौंपे गए अन्य मामले और लेखों का, लेखा-परीक्षाकार्य, सहायता अनुदान रजिस्ट्रों और संस्वीकृतियों की परीक्षण-सांविधिक लेखा-परीक्षा में की गई आपत्तियों का संतुलन/समाधान और लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के पैराग्राफों के उत्तरों के बारे में विभिन्न संबंधित निकायों से समन्वय का कार्य सौंपा गया है। लेखाओ की जॉच और विश्वविद्यालयों तथा अन्य लाभार्थी संस्थानों को जारी निधियों के उपयोग का सत्यापन कार्य भी उस सैल को सौंपा गया है।

(ज) वेतनमान सैल

वेतनमान सैल की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी। इस सैल को समय-समय पर गठित की गई वेतन समीक्षा समितियों के कार्य का समन्वय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों के वेतनमानों तथा सेवा शर्तों से संबंधित मामलों में शिक्षकों के राष्ट्रीय स्तर पर संगठनों तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ भी यह सैल अन्योन्य क्रिया करता है। रिपोर्टाधीन वर्ष 2008–2009 के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए हैं और उन्हें विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को सूचित कर दिया गया है :—

1. सेवानिवृत्ति की आयु को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किया जाना—कालेज प्रिंसिपल की :—

आयोग ने दिनांक 11.2.2008 की पत्र संख्या एफ् 3-1/94(पी.एस.)(सं-9) के पत्र से उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा तकनीकी शिक्षा में केन्द्र द्वारा वित्त पोषित संस्थानों में शिक्षण पदों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु को 62 वर्ष से 65 वर्ष करने संबंधी निर्णय के अनुपालन के लिए सभी केन्द्रीय/सम विश्वविद्यालयों और सूचना हेतु राज्य विश्वविद्यालयों को परिचालित किया था।

2. शिक्षकों द्वारा रिफ्रेशर पाठ्यक्रम/ओरियन्टेशन पाठ्यक्रमों में भाग लेने की तिथि का विस्तारण 30.06.2009 तक हुआ :—

आयोग ने अपनी दिनांक 18-19 जून, 2008 की मीटिंग में उस विषय पर विचार किया जिसके अन्तर्गत परिवर्धित अध्ययन केन्द्रों (सी.ए.एस.) में स्थापन/प्रोन्नति के लिए, शिक्षकों/सहायक लायब्रेरियन/कालेज लायब्रेरियन/शारीरिक शिक्षा के सहायक निदेशक/कालेज के शारीरिक शिक्षा के निदेशक, द्वारा रिफ्रेशर पाठ्यक्रम में भाग लिया जाना था। आयोग ने यह निर्णय लिया कि शिक्षकों/सहायक लायब्रेरियन/कॉलेज लायब्रेरियन/शारीरिक शिक्षा के सहायक निदेशक/कालेज में शारीरिक शिक्षा के निदेशक की परिवर्धित अध्ययन केन्द्रों (सी.ए.एस.) में स्थापन/प्रोन्नति के लिए ओरियन्टेशन/रिफ्रेशर पाठ्यक्रमों में भाग लेने की अंतिम तिथि का विस्तार 30.06.2009 तक, उनके कैरियर पदोन्नति योजना के उद्देश्य से कर दिया गया है।

आयोग द्वारा उपरोक्त निर्णय को दिनांक 28.07.2008 के अपने पत्र संख्या एफ्. 2-16/2002 (पी. एस. द्वारा सभी विश्वविद्यालयों/राज्य सरकारों/संघीय क्षेत्रों/क्षेत्रीय कार्यालयों को परिचालित कर दिया था। इसके साथ ही वेतनमान सैल ने एक परिपत्र इस आशय का भेजा है कि एकरवी (पेटेन्ट) को एक प्रकाशित पत्र के समतुल्य माना जाये—जहाँ तक सी.ए.एस. के अन्तर्गत रीडर के पद से प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति का प्रश्न है।

3. विभिन्न विश्वविद्यालयों/कालेजों में लेक्चरर पद पर नियुक्ति हेतु नेट से छूट :-

आयोग ने 2 जुलाई, 2007 और 21 और 22 जनवरी, 2008 को हुई अपनी बैठकों में विभिन्न विश्वविद्यालयों/कालेजों में लेक्चरर के पद पर नियुक्ति के लिए नेट से छूट के लिए प्राप्त प्रस्तावों से संबंधित "एग्जैम्पशन समिति" की सिफारिशों को अनुमोदित किया। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, एग्जैम्पशन समिति द्वारा निर्धारित आधार पर समय-समय पर जिन शिक्षकों को नेट से छूट प्रदान की गई—उनकी कुल संख्या 1241 थी। एग्जैम्पशन समिति की बैठक 3-4 सितम्बर, 2008 को हुई थी।

4. कालेज लाइब्रेरियन तथा प्रलेखन अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु एम. फिल. तथा पी.एच.डी. डिग्री धारकों को नेट से छूट :-

आयोग ने दिनांक 22 सितम्बर, 2006 के अपने पत्र के अनुसरण में दिनांक 14 मार्च, 2008 के अपने पत्र संख्या एफ 7-1/2004 (पी.एस.) के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों/राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रदेशों को यह सूचित किया कि क्योंकि—सहायक विश्वविद्यालय लाइब्रेरियन, कालेज लाइब्रेरियन तथा प्रलेखन अधिकारी—इन तीनों की अर्हता एक बराबर है—अतः जो छूट एम.फिल. और पी.एच.डी. धारकों को नेट से मिली हुई है—वहीं छूट इन तीनों के लिए भी लागू होगी। इसके बाद, वेतनमान सैल ने तीसरा संशोधन, 2009 को जारी किया है जो कि विश्वविद्यालय में रत शिक्षकों के लिए तथा उस विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों की नियुक्तियों तथा उनके कैरियर पदोन्नति के लिए यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताएँ (तीसरा संशोधन) एवं एम.फिल./पी.एच.डी. डिग्री प्रदान किए जाने वाले मानक प्रविधि को जारी किया।

5. कैरियर पदोन्नति योजना के अन्तर्गत रीडर के पद से प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नति के हेतु (01.04.2008 से 31.03.2009) यू.जी.सी. प्रेक्षकों की नियुक्ति

कैरियर पदोन्नति योजना के अन्तर्गत भारत के समस्त विश्वविद्यालयों में रीडर के पद से प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नति की चयन प्रक्रिया को यू.जी.सी. द्वारा सूक्ष्म रूप से देखा जा रहा है और इसके लिए यू.जी.सी. की ओर से एक प्रेक्षक को नियुक्त किया गया है। यह व्यवस्था इस बात को सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि जो इस बात के लिए विहित विधि है, उसका पालन विश्वविद्यालयों के द्वारा किया जा रहा है। रिपोर्टाधीन वर्ष 2008-2009 के दौरान, कैरियर पदोन्नति, योजना के अन्तर्गत, रीडर के पद पर पदोन्नत होने की प्रक्रिया का सर्वेक्षण करने के लिए, कुल मिलाकर यू.जी.सी. के 250 प्रेक्षकों की नियुक्ति किया गया था।

6. वेतन पुनरीक्षण समिति :-

प्रोफेसर जी.के. चट्टा की अध्यक्षता वाली छठी वेतन पुनरीक्षण समिति द्वारा उसकी रिपोर्ट को नवम्बर, 2008 में प्रस्तुत कर दिया गया था। इसके प्रस्तुतीकरण के पश्चात, पुनरीक्षण समिति से संबंधित सारा कार्य वेतनमान अनुभाग को सौंप दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है जो कि, वेतनमानों से संशोधन के लिए, एक अधिसूचना तैयार करेगी—विश्वविद्यालयों/कालेजों में शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए—न्यूनतम योग्यताओं के विषय में तथा उच्च शिक्षा के मानकों के अनुरक्षण इस अधिसूचना/नियमनों को अंतिम रूप देने के लिए विशेषज्ञ समिति की बैठक 6 केन्द्रों में की गई थी।

7. श्रेष्ठ अकादमिक कीर्तिमान वाली अवधि को देखते हुए स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा में 5 प्रतिशत की छूट (55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत) तथा स्नातक स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट :-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 24.02.2009 की बैठक में यह निर्णय लिया गया और इसे अनुमोदित किया गया कि "श्रेष्ठ अकादमिक रिकार्ड" को देखते हुए, स्नातकोत्तर स्तर पर पाँच प्रतिशत की छूट (55से 50 प्रतिशत) तथा स्नातक स्तर पर पाँच प्रतिशत की छूट दी जायेगी। जहाँ तक इन समस्त पदों पर नियुक्तियों का प्रश्न है—अर्थात् प्रिंसिपल, प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर, कुलसचिव, उप-कुलसचिव, सहायक कुलसचिव, लाइब्रेरियन, उप-लाइब्रेरियन सहायक लाइब्रेरियन, कॉलेज लाइब्रेरियन एवं शारीरिक शिक्षा एवं क्रीडाओं के निदेशक/उपनिदेशक, (शारीरिक शिक्षा एवं क्रीडाएँ) इन समस्त पदों की नियुक्तियों का जहाँ तक प्रश्न है—तो इन पदों में नियुक्तियों के लिए, उपरोक्त छूट, अन्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रत्याशियों के तथा शारीरिक एवं दृष्टि से बाधित जो प्रत्याशी हैं—उन सबके समतुल्य होगी।

(झ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग सैल, वि.अ.आ.

विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, प्रवेशों, शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर पदों के लिए, आरक्षण नीति को प्रभावी तौर से लागू करने की प्रक्रिया का सर्वेक्षण करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग सैल की स्थापना की गई है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की जो भी शिकायतें होती हैं—इस सैल के द्वारा उन पर विचार किया जाता है।

विश्वविद्यालयों, सम-विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और ऐसे संस्थान एवं केन्द्र जो आर्थिक अनुदान सहायता के प्राप्तकर्ता हैं—उन सब में सरकारी आरक्षण नीति को कड़ाई से लागू करने के लिए, आयोग ने नये दिशानिर्देश वर्ष 2006 में, निर्मित किये हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विश्वविद्यालयों में आरक्षण नीति का प्रभावी तौर से पालन करने का सर्वेक्षण करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक स्थायी समिति है। इस समिति का प्रतिनिधित्व, अकादमिक विशेषज्ञों, भूतपूर्व कुलपतियों एवं उच्च शिक्षा क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में आरक्षण के स्तर को और रिक्तियों के पिछले बकाया पदों का सर्वेक्षण करने के लिए स्थायी समिति और उप-स्थायी समिति समय-समय पर बैठक करती रहती हैं।

(ज) अल्पसंख्यक सैल

वर्ष 2008 के दौरान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक अल्पसंख्यक सैल को पृथक रूप से स्थापित किया—जिसके द्वारा अल्पसंख्यकों से जुड़े मामलों पर विचार किया जाता है था—जैसे कि अल्पसंख्यक संस्थानों को सम विश्वविद्यालयों का स्तर प्रदान किया जाना, अल्पसंख्यक संस्थानों को विश्वविद्यालयों के साथ सहसंबद्धता उपलब्ध कराना तथा अल्पसंख्यकों से जुड़े अन्य मामले आदि।

वर्ष 2008–2009 के दौरान, आयोग द्वारा अल्पसंख्यक प्रभाग से वर्ग 'ए' एवं वर्ग 'बी' में लोगों को नियुक्त किया गया था।

(ट) रैगिंग सैल

उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार और राघवन समिति की सिफारिशों के अनुसार, जून 2008 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में रैगिंग सैल स्थापित हुई—इस सैल का यह दायित्व है कि शिक्षण संस्थानों में रैगिंग से जुड़ी जितनी भी सूचना मिले, उसे प्राप्त करे ताकि उच्च शिक्षण संस्थानों में से रैगिंग के जोखिम को नियंत्रित किया जा सके। विभिन्न निर्देशों/मार्ग निर्देशों के अनुक्रिया के रूप में, संस्थानों से जो भी सूचना प्राप्त होती है, उस सूचना का इस सैल द्वारा परीक्षण एवं विश्लेषण किया जाता है और उसे संबद्ध संस्थानों/मानव संसाधन मंत्रालय को अग्रसारित कर दिया जाता है। राघवन समिति—जिसे कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार गठित किया गया था—उस समिति द्वारा दिये गये उन सुझावों के लागू किए जाने का सर्वेक्षण किया जा रहा है—जिन सुझावों में शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के निवारण के लिए संकेत किया गया है। रैगिंग सैल के स्थापित होने से पूर्व, रैगिंग संबंधित मामलों को यू.जी.सी. की सी.पी.पी.-II ब्यूरो द्वारा देखा जा रहा था।

- रैगिंग से जुड़े जो प्रमुख कार्यकलाप रिपोर्टाधीन वर्ष 2008–2009 के दौरान हुए—वे निम्न है :-

समस्त विश्वविद्यालयों को एक परिपत्र भेजा गया था कि निम्न निर्देशों का अनुसरण किया जाये :

- (क) विश्वविद्यालयों/कॉलेजों द्वारा अपनी विवरण पत्रिका/पुस्तिका में, जनसाधारण की सूचना हेतु, यह स्पष्ट रूप से दिखाया जाना चाहिए कि प्रतिवर्ष उनकी संस्था में जो रैगिंग की घटनाएँ हुई हैं उनकी कुल संख्या क्या थी।
- (ख) विश्वविद्यालयों द्वारा अपने परिसर के भीतर प्रमुख संस्थानों पर उपयुक्त रूप से तख्तों से युक्त घेरा/सूचना पट्ट/ध्वजाएँ लगानी चाहिए — जिनके द्वारा छात्रों को इस बात की प्रेरणा मिले, जिससे वे रैगिंग का निराकरण कर पायें तथा रैगिंग में स्वयं को लिप्त न करें और उन सूचना पट्टों के ऊपर ऐसे अधिकारियों के नाम व टेलीफोन नम्बर लिखे गये हों जिनसे किसी भी रैगिंग से जुड़े मामले में सम्पर्क साधा जा सके।
- (ग) रैगिंग के निराकरण के लिए शैक्षिक संस्थान और भी किसी प्रकार के अभियान को प्रारम्भ कर सकते हैं—यदि वे इसे उपयुक्त समझते हों।
- (घ) समस्त शैक्षिक संस्थानों से कहा गया है कि वे रैगिंग—प्रतिरोधी समितियों का निर्माण करें—ऐसे ही दस्ते भी बनायें—और यह सुनिश्चित करें कि राघवन समिति की सिफारिशों का अनुपालन बिना अपवाद के पूरी तरह से हो रहा है।

- आयोग द्वारा 17 मई, 2008 को समस्त विश्वविद्यालयों को एक प्रोफॉर्म भेजा गया था, जिसके द्वारा उनसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का कठोरता से पालन करने के लिए कहा गया था—साथ ही संलग्न नियमित प्रोफॉर्म में वि.अ.आ. को सूचना भेजने के लिए भी कहा गया था।
- आयोग द्वारा एक निर्णय के अनुसार 11वीं योजना की निरीक्षण समितियों को निर्देश दिया गया है कि वे रैंगिंग के निराकरण के प्रति उन संबद्ध संस्थानों को सुग्राहित करें।
- शिक्षण संस्थानों में रैंगिंग के जोखिम के निराकरण वास्ते जो यू.जी.सी. के दिशानिर्देशों को नियोजित किया जाना है, उस उद्देश्य को लेकर राघवन समिति द्वारा की गई समिति को स्थापित किया गया है। इस समिति की कई बैठकें, रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान हुई हैं।
- इस अवधि के दौरान रैंगिंग-विरोधी एक हेल्प लाइन—जो कि 24 × 7 अवधि तक कार्यरत रहेगी—इसके स्थापित करने की प्रक्रिया भी आरम्भ कर दी गई है।
- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, राघवन समिति की बैठकें भी हुई हैं—जिस समिति द्वारा रैंगिंग की रोकथाम वाले उपायों का सर्वेक्षण किया जा रहा है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान—कुल मिलाकर, विभिन्न कॉलेजों / विश्वविद्यालयों से रैंगिंग की नौ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। वि.अ.आ. द्वारा संस्थानों से यह कहा गया है कि वे इन शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही करें और इस कार्यवाही की रिपोर्ट आयोग को भेज दें।

1.4 प्रकाशन

वि.अ.आ. का प्रकाशन ब्यूरो, विभिन्न प्रकार के प्रकाशन, विशेष रूप से—वि.अ.आ. की वार्षिकी रिपोर्ट, उच्चतर शिक्षा क्षेत्रक में कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए दिशानिर्देश, वि.अ.आ. अधिनियमों, यू.जी.सी. समितियों पर रिपोर्टें, सांख्यिकी रिपोर्टों/फॉर्म तथा अन्य सरकारी लेखन—सामग्री आदि का प्रकाशन करता है। यह, प्रकाशित रिपोर्टों/दस्तावेजों को वितरित करके उच्चतर शिक्षा में कार्यरत अथवा जुड़े हुए लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है।

वर्ष 2008-2009 के दौरान, आबंटित 20 लाख की राशि में से 12.59 लाख का व्यय, प्रकाशनों के मुद्रण पर और अन्य सरकारी लेखन सामग्री के मदों पर, किया गया।

वर्ष 2008-2009 के दौरान जिन प्रकाशनों का मुद्रण हुआ था, वे हैं :

क्र.सं.	प्रकाशन का नाम
1.	भारत में विश्वविद्यालयों में विकास (आधारभूत तथ्य एवं आंकड़े) अन्तर्राष्ट्रीय छात्रों द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों में/उच्च शिक्षा संस्थानों में भर्ती (2002-03, 2003-04)
2.	भारत में विश्वविद्यालय का विकास (आधारभूत तथ्य एवं आंकड़े) अन्तर्राष्ट्रीय छात्रों द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों में/उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश (2004-05, 2005-06)
3.	यू.जी.सी. वार्षिक लेखा जोखा 2006-2007 (अंग्रेजी, हिन्दी)
4.	कॉलेजों के लिए प्रश्नावली (वेतन पुनरीक्षण समिति के लिए)
5.	यू.जी.सी. की वार्षिक रिपोर्ट 2006-2007 (अंग्रेजी और हिन्दी)
6.	महिला अध्ययन परिप्रेक्ष्य के लिए नियमावली—ग्रंथ - I
7.	महिलाओं के लिए नियमावली तथा उच्च शिक्षा में नियंत्रण—ग्रंथ - II
8.	महिलाओं के लिए नियमावली तथा अकादमिक नेतृत्व—ग्रंथ - III
9.	महिलाओं के लिए नियमावली और शोध—ग्रन्थ - V
10.	संघटित रिपोर्ट की नियमावली - डा.देसाई

11.	भारतीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत प्रोफेसरों की निदेशिका – 2005
12.	यू.जी.सी. अधिनियम 1956 का पुनः मुद्रण-नियम-विनियमों सहित
13.	11वीं योजना-उच्च शिक्षा, दृष्टिकोणों, राजनीति एवं क्रियाओं में प्रकट होती हुई बातें-अध्यक्ष, यू.जी.सी. की कार्यगत योजना
14.	उच्च शिक्षा, दृष्टिकोणों, राजनीति एवं क्रियाओं में 11 वीं योजना को देखते हुए आने वाले मामले-अध्यक्ष यू.जी.सी. की कार्य योजना
15.	11 वीं योजना के अन्तर्गत उच्च शिक्षा, दृष्टिकोणों एवं क्रियाओं में सामने आने वाली बातें
16.	फॉर्म-आई.एस-III (वार्षिक-अनुपूरक परीक्षा परिणामों 2006 से 2008)
17.	भारतवर्ष में उच्च शिक्षा-विस्तारण, समावेश, गुणवत्ता एवं वित्त इनसे जुड़ी समस्याएँ
18.	विश्वविद्यालयों एवं कॉलेज अध्यापकों के वेतनमानों तथा सेवा शर्तों का पुनरीक्षण करने वाली समिति की रिपोर्ट-2008.
19.	भारत में विश्वविद्यालयों में विकास (मूलभूत तथ्य एवं आंकड़े) परीक्षा परिणाम-2004-05
20.	भारत में विश्वविद्यालय में विकास (मूलभूत तथ्य एवं आंकड़े) भारतीय विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में प्राप्तिर्था एवं प्रशिक्षण (2001-02, 2002-03, 2003-04)
21.	वार्षिक लेखा-2007-08 (अंग्रेजी एवं हिन्दी)

1.5 वि.अ.आ. का बजट और वित्त

आयोग के मुख्य कार्यों में अगले वित्त वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तिर्था तथा व्यय दर्शाते हुए, बजट तैयार करना और उसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्तुत करना है। आयोग की “आयोग की निधि” नामक अपनी एक निधि है। केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोग को प्रदान की जाने वाली समस्त राशि आयोग की समस्त प्राप्तिर्था, इस निधि में अंतरित की जाएँगी और आयोग द्वारा की जाने वाली सभी अदायगियाँ इसी निधि से की जाएँगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अनुसार, आयोग को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह अपनी निधि से विश्वविद्यालयों, कॉलेजों तथा अन्य उच्च शिक्षा संस्थाओं को आयोग के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से अनुरक्षण (योजनेतर) तथा विकास (योजनागत) अनुदानों के रूप में निधियाँ आबंटित एवं संवितरित कर सकता है, ताकि उच्च शिक्षा क्षेत्र के स्तरों को बनाए रखा जा सके और उनमें सुधार किया जा सके। वर्ष 2008-2009 के लिए बजट विवरण सारणी 1.1 में दिया गया है।

तालिका – 1.1 वर्ष 2008-2009

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	बजट शीर्ष	योजनागत विकास		योजनेतर नियतन	
		ब.अनु.	सं.अनु.	ब.अनु.	सं.अनु.
1.	सामान्य	3439.95	3165.95	2009.40	2720.86
	कुल	3439.95	3165.95	2009.40	2720.86

वर्ष 2008-2009 के दौरान केन्द्रीय सरकार से प्राप्त योजनागत तथा योजनेत्तर अनुदानों और विश्वविद्यालयों को जारी किए गये अनुदानों का ब्यौरा, सारणी 1.2, 1.3 और 1.4 में दिया गया है।

तालिका 1.2 : वर्ष 2008-2009 प्राप्त किये गये योजनागत अनुदान

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	बजट शीर्ष	प्राप्त योजनागत अनुदान	प्राप्त योजनेत्तर अनुदान
1.	सामान्य	3165.95	2720.86
	कुल	3165.95	2720.86

तालिका 1.3 वर्ष 2008-2009 के दौरान संस्थाओं को जारी योजनागत अनुदान

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	संस्थाओं के प्रकार	योजनागत अनुदान	कुल योजनागत अनुदान की प्रतिशतता
1.	राज्य विश्वविद्यालय	585.27	18.54
2.	राज्य विश्वविद्यालय के कॉलेज	783.53	24.82
3.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1517.70	48.08
4.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कॉलेज	39.94	1.27
5.	अर्तविश्वविद्यालय केन्द्र	97.67	3.09
6.	समविश्वविद्यालय संस्थाएँ	131.28	4.16
7.	विविध	0.93	0.03
	कुल (योजना)	3156.32	

तालिका 1.4 : वर्ष 2008-2009 के दौरान जारी किए गए योजनेत्तर अनुदान

क्र.सं.	संस्थाओं के प्रकार	योजनेत्तर अनुदान	कुल योजनेत्तर अनुदान का प्रतिशत
1.	निम्नलिखित को अनुरक्षण क) केन्द्रीय विश्वविद्यालय ख) दिल्ली विश्वविद्यालय तथा बी.एच.यू. के कॉलेज ग) सम विश्वविद्यालय संस्थाएँ	1795.80 613.95 132.91	65.95 22.55 4.88
2.	शिक्षक एवार्ड, अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ आदि	93.51	3.43
3.	अर्तविश्वविद्यालय संस्थाएँ/केन्द्र	40.00	1.47
4.	राज्य विश्वविद्यालय	16.26	0.60
5.	राज्य विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान	4.66	0.17
6.	विश्वविद्यालयेतर संस्थाएँ	22.87	0.84
7.	तमिलनाडु में सुनामी प्रभावित कालेज	3.00	0.11
	कुल (योजनेत्तर)	2722.96	

1.6 केन्द्रीय तथा समविश्वविद्यालयों के लिए संयुक्त कैंडर समीक्षा समिति (जे.सी.आर.सी.)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेश से, वि.अ.आ. ने एक संयुक्त कैंडर समीक्षा समिति का गठन किया—इसके द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, यू.जी.सी. द्वारा अनुरक्षित सम-विश्वविद्यालय तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेजों में गैर-शिक्षकों के लिए एक समान स्टाफ पैटर्न पर विचार किया गया। इस संयुक्त कैंडर समीक्षा समिति का उद्देश्य एक सम्पूर्ण विस्तारित सेवा शर्तों के ढांचे को गैर शिक्षक स्टाफ (ग्रुप अ-ब-स. एवं द) के लिए तैयार करना है। इस रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के बाद, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुमोदन के बाद, विश्वविद्यालयों को अपने नियम/अध्यादेशों/समझौता ज्ञापन/उपनियम आदि द्वारा स्थापित संशोधन करने का आग्रह किया जाएगा, ताकि सेवा शर्तों को सम्मिलित किया जा सके।

संयुक्त कैंडर समीक्षा समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में इन संस्थानों में विश्वविद्यालय की पद्धति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कई पदों के पदनाम और वेतनमान के औचित्य हेतु सिफारिशें करने के लिए और जहाँ संभव हो अनावश्यक पदों को पहचानने और गैर शिक्षक कर्मचारियों, (ग्रुप-ए.बी.सी.डी.) के वेतनमानों के विद्यमान विसंगतियों/कमियों का समाधान करने के लिए, 24 सामान्य कैंडर संरचनाएँ विकसित की हैं। भावी कार्यवाही के रूप में जे.सी.आर.सी. द्वारा विकसित किए गए इन सामान्य कैंडर संरचनाओं की महत्वपूर्ण जाँच करने तथा पदों की विभिन्न श्रेणियों के लिए कैंडर भर्ती नियम, कार्य की प्रकृति, कैंडर में पदोन्नति के रास्ते—जैसी विस्तारित सेवा शर्तों को बनाने के लिए विशेषज्ञों के उप-समूहों का गठन किया गया है। उप-समूहों द्वारा इस प्रकार तैयार रिपोर्ट में अंतिम रूप दिए जाने के लिए जे.सी.आर.सी. के पास विचाराधीन है।

पुस्तकालय सेवा संबंधी जे.सी.आर.सी. द्वारा अंतिम रूप में दी गई रिपोर्ट, निम्नलिखित 15 अन्य सेवाओं/कैंडर संरचनाओं के बारे में है जिन्हें अभिलक्षित किया जा चुका है।

1. प्रशासन/मंत्रीपक्षीय सेवाएँ
2. सचिवालय से जुड़ी सेवाएँ
3. परिवहन सेवाएँ
4. अतिथिशाला/होटल/कैन्टीन सेवाएँ
5. स्कूल अध्यापक
6. सुरक्षा सेवाएँ
7. सफाई सेवाएँ
8. सरकारी कामकाजी भाषा कक्ष
9. छायाचित्र
10. संगीत सेवाएँ
11. क्रीड़ाएँ/खेल सेवाएँ
12. बागबानी/उद्यान सेवाएँ
13. कृषि/पशु सेवाएँ
14. धार्मिक सेवाएँ
15. शोध/सांख्यिकी सेवाएँ

जे.सी.आर.सी. की रिपोर्ट जो कि उपरोक्त 15 कैंडरों के बारे में है, उसे आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। आयोग ने यह निर्णय लिया है कि जे.सी.आर.सी. द्वारा अपनी रिपोर्ट का पुनरीक्षण किया जाये जो कि भारत सरकार के छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप हो और जिन प्रावधानों को विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों तक विस्तारित किया जा चुका है।

1.7 यू.जी.सी. के नवीन उपक्रम

- “संकाय रिचार्ज” आपरेशन— विश्वविद्यालयों में शोध एवं शिक्षण संसाधनों के विकास में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पहल

प्रयोजन

इसका उद्देश्य नये प्रतिभाशाली लोगों को विश्वविद्यालयों में विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में जोड़कर शोध के उच्च स्तर को सशक्त करना है ताकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगात्मक स्तरों के शैक्षिक स्वरूपों में कुछ चयनित विभागों/केन्द्रों में नवीनता लाई जा सके। शामिल होने वाले लोगों का चयन एक राष्ट्रीय प्रतियोगात्मक तरीके से किया जायेगा ताकि “लेक्चरर”, “रीडर”, “प्रोफेसर” के पदों पर आसीन किया जा सके। इनकी पहचान को सुस्पष्ट बनाए रखने के लिए, प्रत्येक चयनित संकायों के आगे वि.अ.आ. का प्रीफिक्स लगेगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे अद्भुत सृजनकर्ता, उत्साह से ओत-प्रोत, और जो कि शोध एवं अध्यापन के प्रति समर्पित हैं, उनका चयन किया जायेगा। यह एक ऐसी अनिवार्यता है, जिसमें किसी विलम्ब की गुंजाइश नहीं है— क्योंकि अभी हाल के कुछ वर्षों के दौरान, हमारे अधिकांश विश्वविद्यालयों की वैज्ञानिक धारिता में तीव्र गिरावट हुई है, और हमारे अधिकांश विश्वविद्यालयों द्वारा संकाय सदस्यों को एक महत्वपूर्ण संख्या में एक लम्बे समय से नियोजित नहीं किया गया है—और इसी कारण से ऐसी आशंका है कि हम, शोधकर्ताओं की पूरी एक पीढ़ी से हाथ गँवाँ बैठेंगे। इस गंभीर समस्या का जो मुख्य कारण, बहुधा बताया जाता है, वह है संकायों में पदों की कमी एवं इसके अतिरिक्त अन्य शैक्षिक समस्याओं का होना—जो कि संकाय सदस्यों को अल्पकाल के लिए कामचलाऊ, ढंग से नियुक्त करना आदि है। अतः “संकाय रिचार्ज” जैसी एक पहल द्वारा एक कारगर प्रणाली हो सकती है जो कई रूप में इस समस्या के समाधान का काम कर सकती है और ऐसे विश्वविद्यालय जो विज्ञान से जुड़े अपने विभागों के लिए संकाय संसाधनों का प्रोन्नत करने तथा पुनः अनुप्राणित करने के लिए आतुर हैं—उन विश्वविद्यालयों के लिए यह पहल कारगर होगी।

- उद्यम वृत्ति तथा ज्ञान आधारित उद्यम का संवर्धन :

उद्यम वृत्ति तथा ज्ञान आधारित उद्यम के संवर्धन के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों को और भी अधिक सक्रिय समर्थनकारी भूमिका अदा करनी होगी। देश में उद्यमवृत्ति, प्रौद्योगिकी व्यवसायीकरण, तकनीक व्यापार उद्भवन—अवधि एवं ज्ञान संसाधन पार्कों का कार्य शुरू किया गया है। इस पहल के एक भाग के रूप में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उद्यमवृत्ति कौशल वाले छात्रों के बीच जागरूकता उत्पन्न करेगा और क्षमता का निर्माण करेगा तथा व्यवस्थित संस्थागत समर्थन द्वारा अग्र तथा पश्च अनुबंधन प्रदान करेगा और उनकी आकांक्षाओं को वास्तविक उद्यमों में परिवर्तित करेगा।

इस विषय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय विज्ञान एवं तकनीक उद्यम विकास बोर्ड जो कि भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीक विभाग के मातहत है—इसके साथ भागीदारी की है ताकि उद्यम, तकनीकी व्यवसायीकरण, तकनीक व्यापार उद्भवन अवधि एवं ज्ञान संसाधन पार्कों के संवर्धन का कार्य शुरू हो।

जागरूकता उत्पन्न करने के कार्यक्रम को “हैब” और “स्पोक” मॉडल के माध्यम से किया जायेगा जिसमें विद्यमान उद्यमवृत्ति विकास सैल और उद्यमवृत्ति से संबंधित अन्य संस्थाएँ, सारे देश में विश्वविद्यालयों/कॉलेजों की कुछ नेटवर्क संस्थाओं से जुड़ी होगी। इसके अधीन, अन्य गतिविधियाँ—सामग्री विकास अधिगम, संकाय प्रशिक्षण तथा विकास, उच्च शिक्षा कार्यक्रमों में पाठ्यचर्या में स्थान प्रदान करना, जागरूकता कैंपों के आयोजन आदि करने होंगे जो कि उद्यमवृत्ति पर केन्द्रित होंगे। इस उपागम के द्वारा पर्याप्त संख्या में संस्थाओं को सम्मिलित किया जाएगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डी.एस.टी. को त्वरित आधार पर ई.डी.सी. स्थापित करने में सहायता प्रदान करेगा। “बिजनैस प्रोसेस आउटसोर्सिंग” (बीपीओ) के क्षेत्र में छात्रों को प्रशिक्षण तथा व्यवहारिक अनुभव प्रदान करने के घटक के साथ “ई डी सी” का नया मॉडल, “नैसकॉम” के साथ साझेदारी और “डी.एस.टी.” के साथ संयुक्त रूप से समर्पित किया जायेगा। उच्च शिक्षा संस्थाओं में नए प्रौद्योगिकी व्यवसाय विकास केन्द्रों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यम पार्कों (स्टेप्स) को भी स्थापित करने में सहायता प्रदान करेगा। “ई-कंटेक्ट” विकास के क्षेत्र में विशाल व्यवसाय अवसरों को देखते हुए, इस क्षेत्र में “कटैन्ट-विकास उद्योग केन्द्र” स्थापित करने का प्रस्ताव है। उच्च अधिगम की संस्थाओं के माध्यम से उद्यमवृत्ति का संवर्धन करना ही एक ऐसा उपाय है जिससे, पहले ही से तंग, “जॉब मार्किट” पर दबाव कम किया जा सकता है और इस देश में बड़ी जनसंख्या के लिए नए अवसर उत्पन्न किये जा सकते हैं।

1.8 वर्ष की मुख्य घटनाएँ

● योजनागत बजट

जैसा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सूचना दी गई है, 11 वीं योजना का कुल परिव्यय 46,449 करोड़ रु. है। वर्ष 2008-2009 के लिए, मंत्रालय ने इसमें से बजट अनुमान (बजट ऐस्टीमेट्स) के रूप में 3439.95 करोड़ रु. की राशि आबंटित की है, परन्तु संशोधित अनुमान स्तर पर कम करके इसे 3165.95 करोड़ रु. कर दिया गया है। इसमें केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए 1507.50 करोड़ रु. सम विश्वविद्यालयों के लिए 104.50 करोड़ रु. तथा राज्य विश्वविद्यालयों के लिए एवं अन्य के लिए 442.07 करोड़ रु. शामिल है।

● उपाधियों का विनिर्दिष्टीकरण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 22 में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप, आयोग, भारतवर्ष के सरकारी राजपत्र के अधिसूचना द्वारा समय-समय पर डिग्रियों को विशिष्टीकृत करता रहता है। अभी तक, आयोग ने 125 डिग्रियाँ विशिष्टीकृत की हैं। इसके पश्चात भी, आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने 38 और नवीन डिग्रियों के विशिष्टीकरण की अनुशंसा की थी, जिसे कुल मिलाकर अब तक 163 डिग्रियाँ हैं। वर्ष 2008-2009 के दौरान जिन डिग्रियों का विशिष्टीकरण हुआ, वे निम्न हैं :

उपाधि विषय/अन्य आवश्यक ब्यौरा स्नातक बैचलर ऑफ प्लानिंग(बी-प्लान-5 वर्ष) स्नातक बैचलर ऑफ कॉमर्स एण्ड लॉ (बी.काम.एलएलबी-5 वर्ष समेकित) स्नातक पत्रकारिता एवं जनसंचार (बी.जे.एम.सी.-3 वर्ष) स्नातक क्लीनिकल ऑप्टोमैट्री (बी.आप्टोम-4वर्ष) स्नातक विज्ञान (फिजिशियन असिस्टेंट) एण्ड (एमरजेंसी एण्ड ट्रोमा केयर मैनेजमेंट -बी.एस.कोर्स-4 वर्ष) स्नातक ऑडियोलोजी एण्ड स्पीच लैंग्वेज पैथोलोजी (बी.ए.एस.एलपी.4वर्ष) स्नातक बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज (बीबीएस-3 वर्ष) स्नातक बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट (बी.एच.एम-3वर्ष) स्नातक बैचलर ऑफ मैनेजमेंट एण्ड कैंटरिंग टेक्नोलोजी (बी.एच.एम.सी.टी.-4वर्ष) स्नातक बैचलर ऑफ मैनेजमेंट, ट्रेवल एण्ड टूरिज्म (बी.एच.एम.टी.टी.-3वर्ष) स्नातक बैचलर ऑफ होटल ट्रेवल एण्ड टूरिज्म मैनेजमेंट (बी.एच.टी.एम.-4वर्ष) स्नातक बैचलर ऑफ होटल एण्ड टूरिज्म मैनेजमेंट (बी.एच.टी.एम.टी.टी.-4वर्ष) स्नातक बैचलर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एण्ड फाइनेन्स (बी.आइ.बी.एफ.-3वर्ष) स्नातक बैचलर ऑफ मल्टी मीडिया (बी.एम.एम.-4वर्ष) स्नातक बैचलर ऑफ डिजाइन(बी.डीइस.-4वर्ष) स्नातक बैचलर ऑफ सोशल साइन्सेज़ (बी.एस.एस-3वर्ष) स्नातक बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एण्ड सर्जरी (बी.यू.एम.एस.-3वर्ष)

स्नातकोत्तर डिग्रियाँ उपाधि विषय/अन्य आवश्यक ब्यौरा स्नातकोत्तर सर्टिफाइड पब्लिक एकाउन्टेन्ट (सी.पी.ए-2वर्ष) स्नातकोत्तर मास्टर ऑफ फॉइनेन्शियल मैनेजमेंट (एम.एफ.टी-2वर्ष) स्नातकोत्तर मास्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट (एम.एच.आर.डी-2वर्ष) स्नातकोत्तर मास्टर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस (एम.आइ.बी.-2 वर्ष) स्नातकोत्तर मास्टर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट (एम.एम.टी-2वर्ष) स्नातकोत्तर मास्टर ऑफ ऑप्टोमैट्री (एम.ऑप्टोम-4वर्ष) स्नातकोत्तर मास्टर इन मेडिकल एनैटोमी (एम.एम.सी.मेडिकल ऑटोनेमी-2 वर्ष) स्नातकोत्तर मास्टर ऑफ साइन्स इन मेडिकल बायोकैमिस्ट्री (एम.एस.सी.मैडि.बायो.कैम.-2 वर्ष) स्नातकोत्तर मास्टर ऑफ साइन्स इन मेडिकल माइक्रोबायोलोजी (एम.एस.सी.मैडि.माइक्रोबायो - 2 वर्ष) स्नातकोत्तर मास्टर ऑफ साइन्स इन मेडिकलफॉरमैक्रोलोजी (2 वर्ष) स्नातकोत्तर मास्टर ऑफ साइन्स इन मेडिकल फिजियोलोजी (2 वर्ष) स्नातकोत्तर मास्टर ऑफ साइन्स इन टैक्नोलोजी (एम.टैक-3 वर्ष) स्नातकोत्तर एम.एस.सी.टैक (एप्लाइड नियोफिसिक्स-3 वर्ष) स्नातकोत्तर मास्टर ऑफ साइन्स इन नर्सिंग (एम.एस.सी.नर्सिंग-2 वर्ष) स्नातकोत्तर मास्टर ऑफ बिजनेस एंड मिनिस्ट्रेशन इन टैक्नोलोजी (एम.बी.ए.टैक-5वर्ष) स्नातकोत्तर मास्टर ऑफ हास्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन (एम.एच.ए. 7 वर्ष) स्नातकोत्तर मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एण्ड मास कम्यूनिकेशन (एम.जे.एम.पी-2वर्ष) स्नातकोत्तर मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एण्ड मास कम्यूनिकेशन (एम.जे.एम.पी-2वर्ष) स्नातकोत्तर मास्टर ऑफ ऑक्ज्यूशनल थेरेपी (एम.ओ.टी.-2 वर्ष) स्नातकोत्तर मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ (एम.पी.एच.-2 वर्ष)

● विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अकादमियों के शिक्षक अध्येताओं को मानदेय

जो शिक्षक, कम से कम, चार में से, दो साइंस/इंजीनियरिंग अकादमियों के अध्येता हैं— अर्थात राष्ट्रीय साइंस अकादमी, इलाहाबाद, भारतीय साइंस अकादमी, बंगलौर भारतीय साइंस अकादमी, नई दिल्ली भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी, नई दिल्ली। ऐसे शिक्षक अध्येताओं के लिए आयोग द्वारा मानदेय उपलब्ध कराने के दिशानिर्देश अनुमोदित कर दिये गये हैं और उन्हें विश्वविद्यालयों को परिचालित कर दिया गया है और यू.जी.सी. वेबसाइट पर संकेतित कर दिया गया है।

● सम विश्वविद्यालयों के लिए वि.अ.आ. द्वारा शुल्क नियमन

मानव विकास संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसरण में, वि.अ.आ. ने प्रोफेसर बी.एस. सौन्द की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जिसके द्वारा सम-विश्वविद्यालयों के लिए शुल्क नियमनों को तय किया जाना था। इस समिति ने अगस्त, 2007 में अपना कार्य प्रारम्भ किया। इस समिति द्वारा सूत्रबद्ध किये गए नियमनों के प्रारूप पर आयोग द्वारा अपनी 10-11 दिसम्बर, 2008 की बैठक में विचार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि आयोग के सदस्य, प्रोफेसर तरीन की अध्यक्षता में एक अन्य विशेषज्ञ समिति द्वारा इसका पुनरीक्षण किया जाये। आयोग की दिनांक 22 जून, 2009 की बैठक में इन नियमनों के अंतिम स्वरूप पर आयोग ने विचार करके उन्हें अनुमोदित कर दिया। मंत्रालय की सहमति के लिए, इन नियमनों को 26 जून, 2009 को भेजा जा चुका है।

● **विश्वविद्यालयों द्वारा डिग्रियों एवं अन्य अवार्डों को प्रदान करने के बारे में वि.अ.आ. नियमन (2008):**

यू.जी.सी.अधिनियम 1956 की उप-अनुभाग (1) (अनुभाग-20) के अन्तर्गत, केन्द्र सरकार के निर्देश दिये जाने पर कि ऐसे छात्र जो पात्र हैं जिन्हें प्रवेश मिला हुआ है और जो डिग्री पाने के लिए पात्र हैं—उन छात्रों को, अधिकतम 6 महीने के भीतर ही डिग्रियां अनुदान की जानी चाहिए, जैसा कि मंत्रालय के पत्र संख्या न. एफ.5-10/2008 यू.1, दिनांक 17 जून, 2008 के द्वारा निर्दिष्ट किया गया था, यू.जी.सी. ने गोवा विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उप-कुलपति प्रोफेसर बी.एस.सौद द्वारा आयोजित विशेषज्ञ समिति को गठित किया था जिसने उपरोक्त संदर्भ में इस पर विचार किया तथा नियमन प्रारूप, 2008 (डिग्रियां एवं अन्य अवार्ड जो कि विश्वविद्यालयों द्वारा दिये जाते हैं) के अन्तर्गत अनुमोदित नियमनों पर विचार करने के बाद इन्हें अनुशंसित कर दिया। दिनांक 20-26 दिसम्बर, 2008 के सरकारी राजपत्र के अन्तर्गत इन नियमनों को अधिसूचीत किया गया है।

● **आयोग द्वारा लिये गए, निर्णय, अनुमोदन एवं संकल्प :**

- o आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि “पी.एच.ई.ए.डी.” को लेकर एक विशेषज्ञ समिति तुरन्त गठित की जानी चाहिए और विदेशों में भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली को प्रदर्शित किया जाये। संयुक्त राज्य अमेरिका में, मई 2008 में होने वाली एन.ए.एफ.एस.ए. सभा में वि.अ.आ. द्वारा भागीदारी किये जाने के लिए त्वरित कार्यवाही की जाये।
- o अनुमोदित किया गया कि, देशव्यापी, जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र हैं (निम्न जी.ई.आर.डिस्ट्रिक्ट्स) और जिनमें 374 नये कालेज स्थापित किये जाने हैं— उनके विषय में जो मॉडल विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लेकर वि.अ.आ. की विशेषज्ञ समिति की जो रिपोर्ट है—उस विशेषज्ञ समिति रिपोर्ट को अनुशंसित करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अग्रसारित किया जाये। आयोग ने और भी यह निर्णय लिया कि, ऐसे समस्त कॉलेज जो कि या तो अंगभूत हैं अथवा स्वायत्त अथवा सरकारी—स्वायत्त हैं—ऐसे समस्त कॉलेजों के हेतु उनके संबद्ध जिलों/संबद्ध राज्य में विद्यमान स्थिति की जैसी माँग हो—राज्य सरकारों द्वारा इन कॉलेजों को अधिशासित करने के लिए, एक आदर्श प्रारूप का अनुसरण किया जाये। क्योंकि इन कॉलेजों का आवर्ती व्यय, का भार राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाना है, तो आयोग ने इच्छा जताई कि इसे लागू किये जाने से पूर्व, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित, राज्य सरकार के साथ कुछ चर्चा की जानी चाहिए। आयोग ने इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया कि सार्वजनिक—निजी भागीदारी के ऊपर, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकता है—जहाँ तक इन कॉलेजों को स्थापित करने की बात है।
- o उच्च शिक्षा संस्थानों में रैंगिंग के निराकरण संबंधी उपायों का सर्वेक्षण करने वाली समिति की सिफारिशों का अनुमोदन किया गया— जिस समिति को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित किया गया और जिसकी अध्यक्षता डा. के.राघवन, भूतपूर्व सी.बी.आई. निदेशक द्वारा की गई। ऐसी सिफारिशें निम्न हैं :—
 - विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में रैंगिंग के मामलों पर विचार करने के हेतु, यू.जी.सी. में एक सैल का पृथक रूप से गठन किया जाये।
 - संस्थानों के लिए ऐसा अनिवार्य होगा कि उन संस्थानों में घटित होने वाले प्रसंगों को स्पष्ट रूप से बतायें— जो कि आगामी वर्ष के सत्र काल की दृष्टि से आवश्यक है। कोई भी संस्थान यदि उचित सूचना नहीं देता है—तो आयोग के नियमों/नियमनों के अनुसार उस पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
 - 11 वीं योजना की सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिन निरीक्षण समितियों द्वारा विश्वविद्यालयों /कॉलेजों का दौरा किया गया था—ऐसी समितियाँ ही संस्थानों को रैंगिंग के निराकरण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए उत्तरदायी होंगी।
- o विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तीय सहायता के कार्यक्रमों के अन्तर्गत जो विश्वविद्यालय एवं कॉलेज समाविष्ट नहीं हैं—उनके मामलों पर परीक्षण किया गया और यह निर्णय लिया गया कि, यू.जी.सी. अधिनियम की धारा 12(ब) के अन्तर्गत, अनुमोदनार्थ, जो भी न्यूनतम पात्रता की शर्तें हैं उन्हें पूरा करने के लिए उपयुक्त मात्रा में आवश्यक निधि का निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार और विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया जाये। निधियों की प्राप्यता के होने पर ही, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अंतरिम रूप से सहायता का निम्न प्रारूप अनुमोदित किया है :

श्रेणी	संस्थान का स्वरूप	सहायता का प्रतिरूप
विश्वविद्यालय	राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त संबद्ध	राज्य सरकार द्वारा किसी भी स्त्रोत से प्राप्त राशि द्वारा 50 प्रतिशत तक तथा शेष 50 प्रतिशत को वि.अ.आ. द्वारा वहन किया जायेगा।
कॉलेज	सरकारी कॉलेज	संबद्ध राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत तथा शेष 50 प्रतिशत, वि.अ.आ. द्वारा
कॉलेज	निजी निधि द्वारा वित्तीयन किये गये	न्यास/सोसाइटी द्वारा 25 प्रतिशत, राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत, शेष 50 प्रतिशत को वि.अ.आ.द्वारा

विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, सम्बद्ध विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाये कि वे दो माह के भीतर अपनी वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण तैयार कर लें।

आयोग ने यह भी निर्णय लिया कि, कॉलेजों के लिए अनुदानों को, उनके सम्बद्ध विश्वविद्यालयों के ज़रिये जारी किया जाये, और इन निधियों पर विश्वविद्यालयों द्वारा सूक्ष्म तौर पर सर्वेक्षण रखने के लिए कहा जाये। ऐसे विश्वविद्यालय जो कि यू.जी.सी. अधिनियम की धारा 12(ब) के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं हैं—उन विश्वविद्यालयों की इन कमियों को दूर करके इन्हें अनुभाग/धारा 12(ब) यू.जी.सी. अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाये ताकि उनके लिए अनुदान जारी किये जा सकें—इस समस्त प्रक्रिया के लिए, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्राधिकृत किया गया कि वे ऐसे विश्वविद्यालय को एकैकी छूट प्रदान कर दें।

- o यह निर्णय लिया गया कि, यू.जी.सी. दिशानिर्देशों के अनुरूप—जोकि सम विश्वविद्यालय स्तर के लिए विहित किये गए हैं—उसके विषय में राज्यों की सरकारों को अनापत्ति प्रमाण—पत्र देने के बारे में एक नीति को सूत्रबद्ध करने के लिए सुझाव दिये जाये। प्रस्ताव प्राप्त होने के दो माह के भीतर राज्य सरकार द्वारा अपनी मंत्रणा/परामर्श भेज देना चाहिए। इन उद्देश्य का पत्र/पत्रों को सम्बद्ध राज्य सरकार के शिक्षा सचिव को भिजवा देना चाहिए।
- o निर्णय लिया गया कि जो भी निर्धारण एवं प्रत्यायन अनिवार्य हो, उसका क्रियान्वयन नियमन द्वारा किया जाये। और यह भी निर्णय लिया गया कि इस मामले में विशेषज्ञ समिति गठित की जाये जो इन सब का परीक्षण करे और एक उपयुक्त नियमन को स्पष्ट करे।
- o निर्णय लिया गया कि अल्पसंख्यक संस्थानों को, यू.जी.सी. द्वारा न्यूनतम योग्यताओं के नियमनों से बाहर रखा जाये—ऐसे नियमन जो कि स्टाफ की नियुक्ति के लिए बनाए गए हैं। इसके द्वारा यह संभव हो सकेगा कि अल्पसंख्यक संस्थान अपनी पसन्द के व्यक्तियों की नियुक्तियाँ कर सकें। अध्यक्ष, वि.अ.आ.द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा इस सारी स्थिति का कानूनी परीक्षण होगा।
- o विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में, सैद्धान्तिक रूप से, आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चितता सेल (आइ.क्यू.ए.सी.) स्थापित करने के लिए समर्थन हेतु योजना।
- o वि.अ.आ. की उपसमिति द्वारा निर्मित दिशानिर्देशों को तथा एक ऐसी योजना—जिसके अन्तर्गत उच्च शिक्षा संस्थानों जो स्व-वित्त पोषक हैं इनको यू.जी.सी. के उस वित्तीयन के दायरे में लाया जाना था—जो कि संकाय सदस्यों एवं छात्रों से प्रत्यक्षत : जुड़ी हुई हैं—इन योजनाओं को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति दी गई।
- o यह निर्णय लिया गया कि, ऐसे शिक्षक, जो कि उन चार अभिज्ञात अकादमियों में से किन्हीं दो अकादमियों के अन्तर्गत अध्येता हैं — तो उनके लिए 11 वीं योजना के अन्तर्गत 15000/— रुपये का मानदेय देने को स्वीकृति प्रदान की गई और यह भी निर्णय लिया गया कि जितने भी पूर्व-उपकुलपति हैं, उप-कुलपति हैं — उन्हें भी इस योजना के भीतर विचाराधीन रखा जाये और यह योजना केवल मात्र उन्हीं संस्थानों में ही क्रियान्वित हो पाएगी जो कि यूजीसी अधिनियम के अनुभाग 2(एफ) अथवा 3 एवं 12(बी) के अन्तर्गत अनुमोदित हो चुके हैं।
- o सैद्धान्तिक रूप से, आयोग द्वारा, ऐसे दिशा निर्देशों को अनुमोदन प्रदान किया गया— जो कि नैनो विज्ञान एवं नैनो तकनीकी के नियन्त्रित करने वाले राष्ट्रीय केन्द्रों में हैं। ऐसे केन्द्र, चेन्नई विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय और मुम्बई विश्वविद्यालयों में हैं। इन संस्थानों/केन्द्रों से जुड़े संबद्ध प्रमुख अध्ययन विषय क्षेत्रों के लिए जो यह अनुमोदन— जिस अवसर पर प्रदान किया गया वह अवसर था इन तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना के 150 वर्ष पूरे हो जाने का था।
- o कैरियर उन्नति के लिए, शिक्षकों/सहायक कुलसचिव/सहायक विश्वविद्यालय लाइब्रेरियन/कालेज लाइब्रेरियन/उप-लाइब्रेरियन/शारीरिक शिक्षा के साहयक निदेशक/कालेज के शारीरिक शिक्षा निदेशक इन समस्त के द्वारा ओरियन्टेशन कोर्स/रिफ्रेशर कोर्स में भागीदारी की तिथि को विस्तारित करने के लिए सहमति बनई गई और इस तिथि को 30 जून, 2009 तक विस्तारित कर दिया गया।

- o सशक्त समिति की उन अनुशंसाओं को अनुमोदित किया जो कि, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा क्षमता विस्तारण के बारे में प्रस्तुत की गई थी और जिस प्रस्ताव का मूल उद्गम, अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों द्वारा प्रवेशों में अनुरक्षण किये जाने तथा योजना को अधिकतम तीन वर्षों के भीतर चरणबद्ध करना—यह दोनों बातें थी (यह काल अवधि 2008-09 के शैक्षिक सत्र से प्रभावी मानी जायेगी)।
- o राज्य विश्वविद्यालयों का 11वीं योजना में जो अनुदान सामान्य विकास हेतु जारी किया जाना था— उस अनुदान राशि को वर्ष 2008-09 के दौरान 10वीं योजना के अन्तर्गत प्रदत्त अनुदान राशि के 20 प्रतिशत के बराबर दिये जाने के प्रश्न पर विचार किया गया तथा निम्न निर्णय लिये गए:
 - जैसा कि आयोग ने अपने पहले के एक निर्णय में कहा है— समस्त विश्वविद्यालयों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने 10वीं योजना के लम्बित लेखा-जोखा का पूर्णतः मिलान करें ।
 - ऐसे सभी विश्वविद्यालय जिन्होंने अपने 10वीं योजना के सभी हिसाब किताब को तय कर लिया है और वर्ष 2007-2008 के दौरान जो अनुदान उन्हें प्रदान किये गए थे, उनमें से कम से कम 50 प्रतिशत अनुदानों की उपयोगिता से जुड़े ब्यौरे प्रस्तुत कर लिए हैं— ऐसे विश्वविद्यालयों को चालू वित्त वर्ष के लिए 10 प्रतिशत अनुदानों की स्वीकृति दी जा सकती है ।
 - ऐसे विश्वविद्यालय जो — उपरोक्त अनुसार— दो माह के अन्दर उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने में असफल रहते हैं तो चालू वित्त वर्ष के अनुदान का 10 प्रतिशत भाग रद्द हो जायेगा। इस निर्णय को, समस्त विश्वविद्यालयों, समस्त राज्य सरकारों के शिक्षा सचिवों को तथा कुलपतियों/राज्यपालों के सचिवों को उन महामहिम की सूचनार्थ भेजा जाये।
 - जहाँ तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सारे कार्यक्रम हैं — उपरोक्त निर्णय, केन्द्रीय, सम विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों पर लागू होंगे।
- o प्रोफेसर बी.एल. मुंगेर की अध्यक्षता वाली नेट पुनरीक्षण समिति की अन्तिम रिपोर्टों को तथा आधारभूत विज्ञान शोध, एवं यूजीसी वेतन पुनरीक्षण समिति की रिपोर्टों पर विचार किए जाने के पश्चात निम्न निर्णय लिए गए :
 - विश्वविद्यालयों/कालेजों/संस्थानों में प्राध्यापकों की भर्ती के लिए नेट/स्लेट अथवा पी.एच.डी. ही न्यूनतम पात्रता की शर्त होगी।
 - स्नातकपूर्व अध्यापन के लिए ऐसे प्रत्याशी जो एम.फिल. के लिए पहले ही पंजीकृत हैं और जो 30 जून, 2009 तक उसे पूरा कर लेते हैं, उन्हें नेट से छूट रहेगी। वैसे, जो प्रत्याशी अपना एम.फिल., 1 जुलाई, 2009 के दिन अथवा उसके पश्चात पूरा करते हैं— उनके लिए नेट/स्लेट अनिवार्य होगी।
 - पी.एच.डी. मानवीकरण की जो नवीन प्रणाली है, उस प्रणाली का अनुसरण सभी विश्वविद्यालयों के लिए आवश्यक है जो कि 30 जून, 2009 तक हो जाना चाहिए और इसके लिए वि०अ०आ० तीन महीनों के भीतर आवश्यक नियमनों को जारी करेगा।
- o निर्णय लिया गया कि ऐसे संस्थान/विश्वविद्यालय/कालेज जहाँ पर शोध वैज्ञानिक कार्यरत हैं— उनमें क्रमशः वरीयता संबंधी जो नियम हों, उन नियमों को ऐसे शोध वैज्ञानिकों पर लागू माना जाए, यदि आगे चलकर उन्हें उनके संबद्ध विश्वविद्यालय/संस्थान/कालेज में विलयन हो जाता है।
- o अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लिये गए निर्णय की अभिपुष्टि की गई—जो कि समविश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की सेवा निवृत्ति की आयु सीमा को 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष तक के विषय में था। इसके साथ यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त निर्णय पर पालन किए जाने से पूर्व, इस विषय में अनुबोधात्मक स्मरण पत्र/नियमों में उपयुक्त तौर से संशोधन किया जाए।
- o निर्णय लिया गया कि अब आगे से चयनित अकादमिक स्टॉफ कॉलेजों द्वारा शिक्षकों के लाभ के लिए, नियमित तौर से, ग्रीष्मकालीन स्कूल तथा शीतकालीन स्कूलों को संचालित किया जाए। इस स्कीम के दिशानिर्देशों को तदनुसार संशोधित किया जाए।
- o एम.ई./एम.टेक/एम. डिजाइन के गेट योग्यता प्राप्त छात्रों के असिस्टेन्टशिप/शोधवृत्ति/अध्येतावृत्ति 5000 रुपए से बढ़ाकर 8000 रुपए प्रतिमाह कर दिया जाए। इस विषय में जो निर्णय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लिया गया उसे आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। आयोग ने इसके साथ ही यह निर्णय किया कि इस संशोधन को 1.04.2008 से लेकर आगे प्रभावी माना जाए।
- o 11वीं योजना के दिशा निर्देशों में निम्न को लेकर किए गए संशोधनों को अनुमोदित किया गया : (i) 11वीं योजना के दौरान, सामान्य विकास अनुदान सहायता जो कि केन्द्रीय/सम एवं राज्य विश्वविद्यालयों को प्रदान की जा रही है। (ii) 11वीं योजना में कॉलेजों के लिए सामान्य विकास सहायता से जुड़े, दिशानिर्देश, जिसका उद्देश्य यह

था कि "प्राकृतिक आपदाओं/भयंकर दुर्घटनाओं द्वारा जो हानि/क्षय होता है - इसको इन दिशा निर्देशों में शामिल किया जाए। आयोग ने और यह भी निर्णय लिया कि इस योजना को एक सहभागी रूप में, वि.अ.आ. तथा राज्य सरकारों को दृष्टिगत करते हुए - 75 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत आधार पर प्रस्तावित किया जाए।

- o उन मामलों का परीक्षण किया गया कि आरक्षण नीति लागू किए जाने को सुनिश्चित किया जाए और विस्तृत रूप से देखा जाए कि विश्वविद्यालयों/कालेजों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से जुड़ी अपूर्त रिक्तियों को भरा जाए और यह निर्णय लिया जाए कि जो केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले संस्थान हैं (केन्द्रीय विश्वविद्यालय/सम विश्वविद्यालय/दिल्ली, इलाहाबाद एवं बी.एच.यू. के कॉलेज) इन सबसे निम्न पर तुरन्त कार्यवाही के लिए अनुरोध किया जाए :
- आयोग द्वारा वर्ष 2006 में जिस आरक्षण नीति को परिसंचारित किया गया था-यदि उसे अभी तक आत्मसात् नहीं किया गया हो तो वह तुरन्त ही किया जाए। जब तक यह नीति आत्मसात्/अपनाई नहीं जाती-तब तक कोई योजनेतर अनुदान, संस्थानों को जारी नहीं किया जाएगा।
- ऐसे समस्त संस्थान जो कि आरक्षण की नियत प्रतिशतता के विषय में अभावपूर्ण हैं-उन संस्थानों को कहा जाए कि आगामी छः माह के भीतर, शैक्षिक एवं शिक्षकेतर पदों में विद्यमान आरक्षण की अपूर्त रिक्तियों को भरें। इन अपूर्त रिक्तियों के विषय में एक विज्ञापन तुरन्त जारी किया जाए और इस विज्ञापन की एक प्रति के साथ, अनुपालन रिपोर्ट, आयोग को एक माह के अन्दर भेज दी जाए। आरक्षण नीति के पूर्ण रूप से लागू किए जाने की स्थिति जब तक समबद्ध संस्थान से नहीं आती है तब तक उस अनुदान का एक अंश रोककर रखा जाएगा। इस विषय में विश्वविद्यालयों और कालेजों के ध्यान में उस प्रतिबद्धता को दुबारा लाया जाए, जिसे कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मंच को दिया गया था।
- इन आदेशों की एक प्रति राज्य विश्वविद्यालयों को भी उनके द्वारा समान रूप वाली कार्यवाही के हेतु भेज दी जाए।
- अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो समितियां गठित की जानी हैं, उन समितियों की सहायता से इस बात का सर्वेक्षण किया जाए कि संस्थानों द्वारा आरक्षण नीति को लागू किया जा रहा है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनके विषय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग को अवगत कराया जाना चाहिए।
- अन्य पिछड़े वर्गों के लिए और शारीरिक रूप से पीड़ित व्यक्तियों के विषय में भी समरूप कार्यवाही की जानी चाहिए।
- o संस्थानों द्वारा जो सहायता अनुदान लिया जा चुका है उसके हेतु जो कार्य प्रणाली है उसका परीक्षण किया गया और इस बात पर सहमति प्रकट की गई कि सामान्य वित्तीय नियमों (जी.एफ.आर.) के प्रावधानों को अपनाया जाए साथ ही इस प्रणाली को जिसके अन्तर्गत इस सहायता अनुदान के विषय में उपयोगिता प्रमाण-पत्र मँगाया जाना है और निम्न बातों को अनुमोदित किया गया :
 "एक उपयोगिता प्रमाण-पत्र जो इस संदर्भ में हो कि दिया गया अनुदान का उपयोग इस लक्ष्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे प्रदान किया गया था और इसे निम्न स्वरूप में समस्त योजनओं के लिए, प्रस्तुत कर दिया जाएगा :-
 ❖ अनावर्ती अनुदानों के लिए : वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद बारह महीनों की अवधि के भीतर उपयोगिता प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
 ❖ आवर्ती अनुदान : वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरन्त बाद में अस्थायी उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जाना चाहिए। बाद वाले वर्ष में वार्षिकी लेखा परीक्षित खातों एवं दिए गए अनुदानों का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही पहले दिए गए 75 प्रतिशत अनुदानों के अतिरिक्त और अनुदान दिया जाएगा।
- o यू.जी.सी. अधिनियम में संशोधनों से जुड़े मामलों के लिए अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्राधिकृत किया गया।
- o निम्न विश्वविद्यालयों में चेयर स्थापित की गई है : यह मौलाना अबुल कलाम चेयर के नाम से है :- जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद, काश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर, कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट, कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता तथा मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद। अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किए गए निर्णय का अनुसमर्थन किया गया जिसके अन्तर्गत उपरोक्त चेयर की स्थापना की गई थी।
- o शैक्षिक एवं प्रशासनिक सुधारों के ऊपर कार्य योजना को तैयार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो विशेषज्ञ समिति नियुक्त हुई थी, इसकी रिपोर्ट को अनुमोदित कर दिया गया। उपरोक्त विषय पर एक दिशानिर्देशों का प्रारूप तैयार करने के लिए अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्राधिकृत किया गया और यह भी निर्णय लिया गया कि आयोग को सूचना देते हुए इन दिशानिर्देशों का समस्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों को परिचालित किया जाए।

- o "नेट" स्कीम के अन्तर्गत कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियों की संख्या (जे.आर.एफ.) में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार किया गया तथा निम्न रूप में जे.आर.एफ. की संख्या में संशोधन को अनुमोदित किया गया :-
- वि0अ0आ0 नेट अध्येतावृत्ति - 500 की संख्या से बढ़ाकर 1000
- सी0एस0आइ0आर0 यू.जी.सी. नेट अध्येतावृत्ति - 300 से बढ़ाकर 600
- उपरोक्त अभिवृद्धि प्रति यू.जी.सी./सी.एस.आइ.आर. परीक्षा के लिए है।
- o निर्णय लिया गया कि कानून विषयों के विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान जारी कर दिया जाए बशर्ते कि वे निम्न बातों का अनुपालन करें :- (i) ऐसे विश्वविद्यालय, अपने संबद्ध राज्य सरकारों की आरक्षण नीति का पालन करें और वि0अ0आ0 द्वारा शिक्षकों के चयन एवं नियुक्तियों के जो नियमन बनाए हैं उनका पालन करें। (ii) उपयुक्त सरकारी ऐजन्सी द्वारा अपने खातों को लेखा परीक्षण कराएं। (iii) अन्य सार्वजनिक संस्थानों में जो फीस का जो ढाँचा विद्यमान है उसके अनुरूप हों।
- o निर्णय लिया गया कि शिक्षकों एवं अकादमिक प्रशासनिक पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के वेतनमानों में समतुल्यता पर विचार किया जाए ताकि इस संशोधन को जारी रखा जाए और साथ ही इन अनुशंसाओं को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेज दिया जाए तथा उनसे प्रार्थना की जाए कि पूर्व स्थिति अनुसार शिक्षकों के वेतनमानों में समतुल्यता को बरकरार रखा जा सके।
- o अनुमोदित किया कि निम्न दोनों नियमनों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा जाए और वह इन्हें राजपत्र में प्रकाशित करा दें।
- ❖ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमन-2008 : (पी.एच.डी. डिग्री एवार्ड करने के लिए न्यूनतम मानक कौन से है और विधि क्या है)
 - ❖ यू.जी.सी. नियमन (2008) : (विश्वविद्यालयों एवं संबद्ध संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए और उनके कैरियर पदोन्नति के लिए जो न्यूनतम योग्यताएं आवश्यक हैं।)
- o अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लिए गए उस कार्यवाही का समर्थन किया गया, जिसके अन्तर्गत उन 11 कॉलेजों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी थी जो कालेज बोर्डोलेण्ड क्षेत्रीय परिषद (बी.टी.सी.) के मातहत थे और यह वित्तीय सहायता इनके संरचनात्मक विकास के लिए एकेकी अनुदान के रूप में दी गई ताकि वे सारे कॉलेज उस स्तर के अनुरूप बन जायें, जो कि यूजीसी अधिनियम की धारा 12 (बी) के अन्तर्गत है। उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए यूजीसी के अनुदान में जो हिस्सेदारी थी, उसे 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया। "अनारक्षित" कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने की प्रक्रिया के अन्तर्गत - इस योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत, यह एकेकी अनुदान दिया जाता है।
- o कॉलेजों के लिए, जयन्ती अथवा शताब्दी पूरी करने के अवसर पर यूजीसी द्वारा अनुदान दिये जाने के विषय में दिशा-निर्देशों का अनुमोदन, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किये जाने के निर्णय का समर्थन किया गया:-

क्र.सं.	समारोह का स्वरूप	रूपये-लाखों में
1.	शताब्दी वर्ष (100 वर्ष)	50.00
2.	स्वर्ण जयन्ती (50 वर्ष)	25.00

- o यूजीसी विशेषज्ञ समिति की ऐसी अनुशंसाओं का अनुमोदन किया, जिन दिशा निर्देशों के अन्तर्गत उच्च शिक्षा के स्व-वित्त पोषक संस्थानों को, उस परिधि के भीतर लाया जा सकेगा जो कि आयोग की योजनाओं के वित्तीयन के लिए नियत की गई है। इस संबंध में अध्यक्ष द्वारा शिक्षकों एवं छात्रों को संबोधित करते हुए यह व्यक्त किया गया कि जिस तरह वर्तमान में "डी.बी.टी. डी.एस.टी और ए.आई.सी.टी.ई." द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए स्व-वित्त पोषक संस्थानों को धन उपलब्ध कराया जाता है, उसी के आधार पर उपरोक्त कार्यवाही की जाये। यह निधीयन इसी शर्त के साथ किया जायेगा कि ऐसी सारी योजनाएं जो कि संस्थानों के लिए हैं - जैसे श्रेष्ठता की संभाव्यता वाले कॉलेज, श्रेष्ठता की संभाव्यता वाला विश्वविद्यालय, महिला हॉस्टल आदि यह सारी योजनाओं में से कोई सी भी योजना, उपरोक्त श्रेणी वाले संस्थानों में उपलब्ध नहीं कराई जाये। आयोग ने इसके साथ यह भी निर्णय लिया कि इस प्रकार के संस्थानों में नेट/उपचारी एवं सेवा अनुशिक्षण योजनाओं को भी उपलब्ध कराया जाये।
- o स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के दौरान, शारीरिक चुनौतियों से युक्त एवार्ड प्राप्त कर्त्ताओं को "इंदिरा गांधी एकल बालिका शिशु" के लिए स्नातकोत्तर अध्येतावृत्ति के लिए 5 अंकों की छूट।
- o केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में पूर्ण कालिक स्तर वाले पी.एच.डी. एवं एम. फिल विद्वान जो कि अन्य किसी भी अध्येतावृत्ति के प्राप्त कर्त्ता नहीं हैं- उनकी अध्येतावृत्ति को अग्रसारित करने के लिए अनुमोदन किया गया जो निम्न प्रकार से है:

	पुरानी दर	नई दर
पूर्णकालिक पी.एच.डी. विद्वानों के लिए अध्येतावृत्ति	रुपये 5000/- प्रतिमाह	रुपये 8000/- प्रतिमाह
पूर्ण कालिक एम.फिल के लिए अध्येतावृत्ति	रुपये 3000/- प्रतिमाह	रुपये 5000/- प्रतिमाह
आकस्मिक अनुदान	विज्ञान विषयों के लिए रुपये 10000/- प्रतिवर्ष तथा मानविकी एवं समाज विज्ञान के लिए रुपये 8000/- प्रतिवर्ष	कोई परिवर्तन नहीं।

आयोग ने इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया कि उपरोक्त परिवर्धित दरें भविष्य प्रभावी रूप से लागू की जाएंगी।

- o निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा शोध अध्येतावृत्ति के विस्तार की योजना के अन्तर्गत पी. एच.डी. धारक, एम.फिल धारक, गैर-अध्येतावृत्ति प्राप्तकर्ताओं को और राज्य विश्वविद्यालयों, सम-विश्वविद्यालयों को इसका लाभ पहुँचे जो कि योजनागत, योजनेतर एवं नियत अनुरक्षण अनुदान आयोग से प्राप्त कर रहे हैं जो कि निम्न ब्यौरे के अनुसार है :-

पूर्णकालिक पी.एच.डी. विद्वान	रुपये 5000/- प्रतिमाह
पूर्ण कालिक एम.फिल के लिए अध्येतावृत्ति	रुपये 3000/- प्रतिमाह
आकस्मिक अनुदान	रुपये 10000/- प्रतिवर्ष विज्ञान विषयों के लिए और रुपये 8000/- प्रतिवर्ष मानविकी एवं समाज विज्ञान विषयों के लिए

आयोग द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त योजना का विस्तार केवल ऐसे विश्वविद्यालयों तक ही होगा जिन्होंने आयोग द्वारा कुछ समय पूर्व अनुमोदित की गई एम.फिल./पी.एच.डी. के लिए दिशानिर्देशों को स्वीकार कर लिया है और साथ ही यू.जी.सी. के अर्द्ध शासकीय पत्र सं० 1-2/2008 (11वीं योजना) दिनांक 31.01.2008 द्वारा जिन अकादमिक सुधारों का जो सुझाव दिया गया है उसे भी आत्मसात् कर लिया है। आयोग ने यह निर्णय भी लिया कि अकादमिक वर्ष 2009-2010 से आगे प्रतिवर्ष प्रत्येक विश्वविद्यालय को केवल 50 अध्येतावृत्तियाँ ही प्रदान की जाएंगी।

- o अनुमोदित किया गया कि 5 प्रतिशत की छूट दी जाए (55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत अंको में) - जो छूट "श्रेष्ठ अकादमिक रिकार्ड" के आधार पर होगी और यह छूट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रत्याशियों तथा शारीरिक एवं चाक्षुष रूप से बाधित व्यक्तियों के भी समतुल्य होगी। यह छूट इन पदों पर नियुक्तियों में लागू रहेगी - प्रिंसिपल, प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर, रजिस्ट्रार, उप-रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, लाइब्रेरियन, उप-लाइब्रेरियन, शारीरिक शिक्षा एवं खेलों के निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलों के उप-निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलों के सहायक निदेशक तथा कॉलेज में शारीरिक शिक्षा एवं खेलों के निदेशक।
- o सैद्धांतिक तौर से आन्तरिक गुणवत्ता सुनिश्चितता सैल की योजनाओं से संबंधित दिशा निर्देशों को अनुमोदित किया गया। (आइ.क्यू.ए.सी.) और इसके साथ ही यह निर्णय भी लिया गया कि प्रथम चरण के दौरान केवल विश्वविद्यालयों (राज्य एवं केन्द्रीय) को ही इस योजना के अन्तर्गत समर्थन दिए जाने के लिए विचाराधीन रखा जाए। दूसरे चरण के अन्तर्गत कॉलेजों को भी समर्थन दिया जाए। विश्वविद्यालय को दिए जाने वाली सहायता का स्तर निम्न रूप में होना चाहिए :

क्र.सं.	अनुदान का उद्देश्य	राशि जो आबंटित (रुपयों में)
1.	निदेशक का मानदेय, आर.क्यू.ए.सी. @ रु. 1000×12×5	60,000/-
2.	कार्यालय उपकरण	1,00,000/-
3.	सचिवालय एवं तकनीकी सेवाओं के लिए लोगों को लगाना	1,80,000/-
4.	आइ.सी.टी. के सम्प्रेषण से जुड़े व्यय	80,000/-
5.	आकस्मिक व्यय	80,000/-
	कुल	5,00,000/-

- o देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में निम्न जी.ई.आर. वाले इलाके हैं—उनमें स्थित 374 नये डिग्री कॉलेजों के लिए सैद्धान्तिक रूप से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान जारी किये जाने को अनुमोदित किया गया। ऐसे कालेजों को अनुदान जारी किये जाने के लिए, जिस उपयुक्त सोपाधिकता को लागू किया जाना था—उसके लिए आयोग द्वारा अध्यक्ष, को प्राधिकृत किया गया। जैसा कि पहले ही निर्णय लिया जा चुका है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक, इन समस्त कालेजों को धारा 12(बी) का स्तर प्रदान किया जाना चाहिए।
- o जो राज्य विश्वविद्यालय एवं कालेज अनावृत्त हैं, उनके मामलों पर विचार किया गया तथा निम्न निर्णय लिये गए:
 - राज्य सरकारों द्वारा जिन विश्वविद्यालयों को स्थापित किया गया है, उनके विषय में अपना प्रस्ताव यूजीसी/मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भिजवाना चाहिए, कि “यूजीसी द्वारा सम्बद्धता प्रतिमानों के नियमनों, 2009” को वे आत्मसात करेंगे— अलावा ऐसे प्रतिमानों एवं प्रविधियों के जो कि विश्वविद्यालयों के स्थापन एवं अधिशासन के लिए रखी गई हैं।
 - ऐसे समस्त कॉलेज जिन्हें राज्य स्तर पर या केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीयन प्राप्त हो रहा है तथा जो कॉलेज अभी तक यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुभाग 12(बी) के अन्तर्गत अनुमोदित नहीं हो सके हैं ऐसे समस्त कालेजों के विषय में सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया जाये कि वे एक प्रस्ताव बनाकर वि.अ.आ./मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजें।
 - ऐसे समस्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुभाग 12(बी) के अन्तर्गत अस्थायी आधार पर स्तर प्रदान कर दिया जाये, 11वीं योजना के अन्त तक ताकि अनुदान जारी किए जाने की सुविधा उन्हें मिल सके। इस समस्त अवधि के दौरान इन सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों द्वारा, अनुभाग 12(बी) के अन्तर्गत स्थायी स्तर को पक्के तौर से मंजूर किये जाने के लिए, सारे नियमनों को परिपूरित किया जाना चाहिए।
 - इस योजना के अन्तर्गत जो एकैकी अनुदान है, उसे केवल उन कार्यों के लिए उपलब्ध कराया जायेगा — भौतिक आधारभूत संरचना, प्रयोगशालाएं, कक्षाएं, लाइब्रेरियां—इन सबके आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अथवा उनका आधुनिकीकरण के लिए, न कि किसी आवर्ती व्यय के लिए— जिसमें संकाय के समय पद भी सम्मिलित हैं।
 - इस विशिष्ट योजना के अन्तर्गत अनुदान के लिए, गैर अल्पसंख्यक आवेदन करने वाले विश्वविद्यालय/कॉलेज, यह आश्वासन प्रस्तुत करेंगे कि सम्बद्ध राज्य सरकार की आरक्षण नीति का पालन पूरी तरह से करेंगे।
 - विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्टों के आधार पर, इन विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को निधि उपलब्ध कराने के संबंध में मानदण्डों को विकसित करें — जिनमें राज्य विश्वविद्यालयों/कॉलेजों से लेकर सामान्य आर्थिक क्षेत्रों तक निम्न स्तर वाली प्राथमिकता सम्मिलित होगी। अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस संदर्भ में, दिशा निर्देशों पर निर्णय लेने के लिए ओर योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उनको प्राधिकृत किया गया।
 - संस्थानों की वरीयता को देखते हुए तथा निधियों की उपलब्धता को देखते हुए, इस योजना के अन्तर्गत, एक विश्वविद्यालय को 5 करोड़ की राशि तथा एक कालेज को एक करोड़ की राशि जो इससे अधिक नहीं होनी चाहिए — उपलब्ध कराई जाये। विश्वविद्यालयों एवं सरकारी कॉलेजों को वित्तीयन, वि.ब.अ.आ. द्वारा और राज्य सरकार द्वारा 50:50 की भागीदारी से किया जायेगा। ऐसे कालेज जिनमें निजी भागीदारी है, यह भागीदारिता इस अनुपात में होगी — 50:40:10 अर्थात् यूजीसी, राज्य सरकार तथा निजी प्रबन्धन।
- o उत्तर-पूर्वी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों की जो दूसरी मीटिंग 8 दिसम्बर, 2008 को हुई थी, उसमें जिन निर्णयों को लिया गया— उन पर विचार करते हुए निम्न का फैसला लिया गया है:—
 - निर्णय लिया गया कि विलय की गई योजनाओं के अन्तर्गत विजिटिंग प्रोफेसरशिप/फैलोशिप योजनाओं के वर्तमान स्तर को उत्तरपूर्वी— केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए सर्वाधिक 50 प्रतिशत तक कर दिया जाये
 - महिला होस्टलों के लिए, नियमित राशि का जो स्तर है और युवा विश्वविद्यालय के विशिष्ट विकास के लिए जो वर्तमान स्तर है और जो कि विभिन्न भवनों के लिए निर्धारित, केन्द्रीय सार्वजनिक वर्क्स विभाग की दर सूची के अनुसार है— उस राशि स्तर में वृद्धि करने के लिए निर्णय लिया गया। यह निर्णय, पहाड़ी, पिछड़ा हुआ इलाका तथा दूरस्थ स्थित इलाकों पर भी लागू रहेगा और यह अभिवृद्धि, सामान्य उच्चतम सीमा के ऊपर होगी।
 - एक ऐसी स्थिति जहाँ पर किसी केन्द्रीय विश्वविद्यालय में भवन निर्माण का कार्य किया गया है — यदि यह कार्य केन्द्रीय सार्वजनिक वर्क्स विभाग द्वारा अथवा अन्य केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के द्वारा किया गया तो ऐसी स्थिति में केन्द्रीय विश्वविद्यालय को शत प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा और इस संदर्भ में किसी भी समापन प्रमाण पत्र के लिए आग्रह नहीं किया जाएगा।
 - यह निर्णय लिया गया कि कैरियर एवं परामर्श सेल को समान सुअवसर सैल का एक अंश बना दिया जाए तथा इन्हें समान सुअवसर सैल के साथ विलयन कर दिया जाए।

2 उच्च शिक्षा प्रणाली में संवृद्धि : कुछ आँकड़े

आयोग को वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 की धारा 12(च) के अन्तर्गत भारत तथा अन्य देशों में विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित ऐसे सभी मामलों पर जानकारी एकत्र करने का अधिकार है और धारा 12(ई) के अन्तर्गत उस विश्वविद्यालय में शुरू की गई विभिन्न शिक्षण शाखाओं अथवा अध्ययन की वित्तीय स्थिति से संबंधित नियमों एवं विनियमों के संबंधित जानकारी को भेजने को कह सकता है।

स्वतंत्रता के समय देश में केवल 20 विश्वविद्यालय तथा 500 कॉलेज थे और उच्च शिक्षा पद्धति में छात्रों और अध्यापकों की संख्या काफी कम थी। परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन सभी की संख्याओं में काफी वृद्धि हुई है। अब यह एक दर्ज तथ्य है कि विश्वविद्यालयों की संख्या में 24 गुनी वृद्धि हुई है, कॉलेजों की संख्या में 52 गुना वृद्धि हुई है और उच्च शिक्षा की औपचारिक पद्धति में छात्रों की भर्ती 49 गुनी बढ़ी है। नामांकन में इतनी भारी वृद्धि उच्च शिक्षा संस्थाओं, विशेषतः विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों की संख्या में वृद्धि के बिना संभव नहीं थी।

2.1 संस्थाएं

10वीं योजना के अन्त तक (31.03.2007) तक देश में 358 विश्वविद्यालय (20 केन्द्रीय, 229 राज्य, 109 सम विश्वविद्यालय) और 20,760 कॉलेज थे। 11वीं योजना के द्वितीय वर्ष के अन्त में, (2008–2009) विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर 428 हो गई। (इसमें राष्ट्रीय महत्व वाले संस्थानों को शामिल किए बिना) और कॉलेजों की संख्या बढ़कर 25951 हो गई और इस प्रकार विश्वविद्यालयों की संख्या में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा 11वीं योजना के प्रथम वर्ष की तुलना में कॉलेजों की संख्या में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों का जहाँ तक प्रश्न है तमिलनाडु राज्य सूची में सबसे ऊपर है जहाँ पर 50 विश्वविद्यालय हैं और इसके बाद महाराष्ट्र (41), उत्तर प्रदेश (38), आन्ध्र प्रदेश (33) आदि आदि हैं और तालिका 2.2 द्वारा यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों का स्थापन स्वरूप अनियमित है।

परन्तु राज्यों में विद्यमान कॉलेजों में जो वृद्धि हुई है वह विविधतापूर्ण है जैसा कि संलग्नक (VII) द्वारा देखा जा सकता है यदि अपेक्षाकृत देखा जाए तथा 10वीं योजना के अन्त के सम्पूर्ण संख्याओं की तुलना में (जैसे कि 31.03.2007), महाराष्ट्र राज्य में 797 कॉलेजों के साथ सर्वोच्च वृद्धि दर्ज की गई और इसके बाद आंध्र प्रदेश (622), राजस्थान (578), मध्य प्रदेश (549), कर्नाटक (541) आदि। यह भी देखा गया कि जो राज्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हैं तथा कुछ संघीय क्षेत्रों में कॉलेजों की संख्या निष्क्रिय ही रही।

वर्ष 2008–09 के दौरान 2745 नये कॉलेजों को स्थापित किया गया और इस प्रकार 2008–2009 के दौरान कॉलेजों की कुल संख्या थी 25951—जिसकी तुलना में 2007–08 के दौरान यह संख्या 23206 थी और इस प्रकार इसमें 12 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

11वीं योजना के 15 प्रतिशत निवल भर्ती अनुपात के लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालय/कॉलेज और अधिक संख्या में बनाये जाएं और प्रत्येक विश्वविद्यालय/कॉलेज में प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए जो आत्मसात करने की क्षमता है उसमें वृद्धि की जाए।

वित्त वर्ष 2008–09 के अन्त तक यू.जी.सी. अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त कॉलेजों की संख्या 7176 थी, जिसकी तुलना में पिछले साल यह संख्या 6773 थी। इन 7176 कॉलेजों में से 1240 कॉलेज ऐसे हैं जो कि यू.जी.सी. अधिनियम, 1956 की धारा 12(बी) के अन्तर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।

निम्न विस्तृत ब्यौरे को देखें :

स्थिति जैसी की निम्न तिथि पर थी	धारा 2(एफ) के अन्तर्गत कॉलेजों की संख्या	धारा 2(एफ) एवं धारा 12(बी) के अन्तर्गत कॉलेजों की संख्या	वे कॉलेज जो कि धारा 12(बी) के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के पात्र नहीं हैं।
31.03.2008	6773	5819	954
31.03.2009	7176	5936	1240

यू.जी.सी. अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) एवं धारा 12(बी) के अन्तर्गत जिन कॉलेजों को सम्मिलित किया गया है उनकी संख्या राज्यों के अनुसार 31.03.2009 तक निम्न रूप से थी :-

क्र.सं.	राज्य/संघीय क्षेत्र	कॉलेजों की संख्या		कुल
		2(एफ) एवं धारा 12(बी)	जो कि धारा 12(बी) के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं हैं।	
1.	आन्ध्र प्रदेश	416	41	457
2.	अरुणाचल प्रदेश	06	02	08
3.	आसाम	197	31	228
4.	बिहार	296	42	338
5.	छत्तीसगढ़	141	04	145
6.	गोवा	23	03	26
7.	गुजरात	368	18	386
8.	हरियाणा	146	04	150
9.	हिमाचल प्रदेश	48	01	49
10.	जम्मू कश्मीर	46	62	108
11.	झारखण्ड	85	16	101
12.	कर्नाटक	513	83	596
13.	केरल	223	05	228
14.	मध्य प्रदेश	382	68	450
15.	महाराष्ट्र	843	103	946
16.	मणिपुर	47	07	54
17.	मेघालय	27	07	34
18.	मिजोरम	18	03	21
19.	नागालैण्ड	12	02	14
20.	उड़ीसा	324	55	379
21.	पंजाब	211	07	218
22.	राजस्थान	211	41	252
23.	सिक्किम	03	02	05
24.	तमिलनाडु	284	71	355
25.	त्रिपुरा	16	—	16
26.	उत्तर प्रदेश	512	543	1055
27.	उत्तरांचल	42	04	46
28.	पश्चिम बंगाल	386	08	394
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समुह	02	—	02
30.	चण्डीगढ़	18	—	18
31.	दादर एवं नागर हवेली	—	—	—
32.	दमन एवं दीव	01	—	01
33.	दिल्ली	78	03	81
34.	लक्षद्वीप	—	—	—
35.	पाण्डिचेरी	11	01	12
	कुल	5936	1240	7176

वर्ष 2008-09 के दौरान, कुल 428 विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान थे, 234 राज्य 21 राज्य निजी, 40 केन्द्रीय, 128 सम विश्वविद्यालय एवं 5 ऐसे संस्थान थे जिन्हें राज्य विधान अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किया गया था — जिसके अतिरिक्त राष्ट्रीय महत्व के 39 संस्थान थे। जो 255, राज्य अधिनियम के अन्तर्गत तथा राज्य एवं निजी विश्वविद्यालय हैं— इनमें से 68 राज्य विश्वविद्यालय तथा 20 राज्य— निजी विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो कि यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुभाग 12 (बी) तहत केंद्रीय सहायता के पात्र नहीं हैं। (परिशिष्ट: I एवं II) रिपोर्टधीन वर्ष 2008-2009 के दौरान कुल मिलाकर, 15 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 6 राज्य विश्वविद्यालय, 7 राज्य निजी विश्वविद्यालय इन सबको यूजीसी की विश्वविद्यालयों की सूची में सम्मिलित किया गया है, तथा यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 12(बी) के अन्तर्गत 4 विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित किया गया है। रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान कुल मिलाकर 25 संस्थानों को सम-विश्वविद्यालयों के रूप में अधिसूचित किया गया। जहाँ तक यूजीसी अधिनियम के अनुभाग 2 (एफ) में सम्मिलित किये जाने का एवं मान्यता का प्रश्न है, तो आयोग ने 13.08.2007 से इस दिशा में कार्यवाही को रोक दिया है।

आयोग की सूची के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 के दौरान जिन राज्य विश्वविद्यालयों तथा राज्य निजी विश्वविद्यालयों को सम्मिलित किया गया— उनका विवरण निम्न है:-

आंध्रप्रदेश

1. जवाहर लाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, अनन्तपुर, आंध्रपेदश (राज्य विश्वविद्यालय)

राजस्थान

2. भगवंत विश्वविद्यालय, पोस्ट बॉक्स— 87, सीकर रोड, अजमेर (राजस्थान) (निजी विश्वविद्यालय) — 305001
3. ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, वेदान्त ज्ञान वैली विलेज, झरना मातपला, जॉबनेर, लिंक रोड, एन.एच-8, जयपुर, राजस्थान (निजी विश्वविद्यालय)
4. मेवाड़ विश्वविद्यालय, चित्तौड़गढ़, राजस्थान (निजी विश्वविद्यालय)
5. एन.आई.एन.एस. विश्वविद्यालय, शोभा नगर, जयपुर-303001 (राजस्थान) (निजी विश्वविद्यालय)
6. सिंघानिया विश्वविद्यालय, पछेरीबाड़ी, झुंझनूँ, राजस्थान, (निजी विश्वविद्यालय)

तमिलनाडु

7. अन्ना विश्वविद्यालय तिकचिरापल्ली, तमिलनाडु (राज्य विश्वविद्यालय)

उत्तर-प्रदेश

8. तीर्थकर महावीर विश्वविद्यालय, दिल्ली रोड, मुरादाबाद, (निजी विश्वविद्यालय)
9. स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, सुभारती पुरम, दिल्ली-हरिद्वार बाइपास रोड, मेरठ (यू.पी.) (निजी विश्वविद्यालय)

उत्तराखण्ड

10. उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, ए-12 सरस्वती विहार, लोअर अधोयवाला, पोस्ट दालानवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड (राज्य विश्वविद्यालय)

पश्चिम बंगाल

11. आलिया विश्वविद्यालय, कोलकाता, पश्चिम बंगाल (राज्य विश्वविद्यालय)
12. गौर बंग विश्वविद्यालय, रबीन्द्र एवेन्यू, मालदा कॉलेज परिसर, पोस्ट एवं जिला मालदा— 732101 (राज्य विश्वविद्यालय)
13. पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालय, बारासात प्रशासकीय कॉलेज, अनैक्सी बिल्डिंग, 10, के.एन.सी. रोड कोलकाता — 700124 (राज्य विश्वविद्यालय)

वर्ष 2008-2009 के दौरान, निम्न चार विश्वविद्यालयों को यूजीसी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अनुभाग 12(बी) के तहत केन्द्रीय सहायता लेने के लिए पात्र घोषित कर दिया गया है :-

1. तमिलनाडु डाक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, चेन्नई - 600 028
2. राजीव गांधी राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय, पटियाला-147 001
3. चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा
4. राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल

इसके अतिरिक्त, 2008-09 के दौरान, निम्न 25 संस्थानों को, यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा सम-विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित किया गया है:

आंध्रप्रदेश

1. आइ.सी.एफ.ए.आई फाउन्डेशन फॉर हायर एजुकेशन, हैदराबाद
2. कोनेरु लक्ष्मैया एजुकेशन फाउन्डेशन, गुन्टूर
3. विज्ञान फाउन्डेशन फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एण्ड रिसर्च, वाड़लामुडी, गुन्टूर

हरियाणा

4. लिंगय्या विश्वविद्यालय, फरीदाबाद
5. मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद

कर्नाटक

6. क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बंगलौर
7. जैन यूनिवर्सिटी, बंगलौर
8. जगद्गुरु श्री शिवरात्रिश्वरा यूनिवर्सिटी, मैसूर
9. एन.आई.टी.टी.ई, यूनिवर्सिटी, मंगलौर
10. श्री सिद्धार्थ अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन, टुमकुर, जिला

केरल

11. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुवनन्तपुरम,

महाराष्ट्र

12. इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, मुम्बई

पांडिचेरी

13. श्री बालाजी विद्यापीठ, पिल्लैयारकप्पम

राजस्थान

14. आई. आई. यूनिवर्सिटी, जयपुर

तमिलनाडु

15. बी.एस.अब्दुर रहमान इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, चेन्नई

16. चेटीनाद अकादमी ऑफ रिसर्च एण्ड एजुकेशन (केयर), काँचीपुरम
17. हिन्दुस्तान इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड साइन्स, काँचीपुरम
18. कारपगम एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, कोयम्बटूर
19. नुरुल इस्लाम सेन्टर फॉर हायर एजुकेशन, कन्याकुमारी
20. राजीव गाँधी नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेन्ट, श्री पेरेम्बडूर
21. सेंट पीटर इन्स्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चेन्नई
22. वेल इन्स्टीट्यूट ऑफ साइन्स टेक्नोलॉजी एण्ड एडवान्स्ड स्टडीज, (वी.आर.एस.टी.ए.एस.) चेन्नई
23. वेल टेक्नोलॉजी रंगराजन डाक्टर संगुथला आर एण्ड डी इन्स्टीट्यूट ऑफ साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, चेन्नई

उत्तर प्रदेश

24. नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

उत्तरांचल

25. ग्राफिकईरा युनिवर्सिटी, देहरादून

वर्ष 2008-09 के दौरान, इन दो विश्वविद्यालयों के नाम परिवर्तित कर दिए गए थे :- कोटा ओपन युनिवर्सिटी : वर्धमान महावीर ओपन युनिवर्सिटी, नागालैण्ड युनिवर्सिटी : महात्मा गाँधी युनिवर्सिटी, नागालैण्ड

दिनांक 31.03.2009 पर श्रेणी-बद्ध स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालयों एवं कालेजों की जो संख्या है, उसे तालिक 2.1 में निर्दिष्ट किया गया है :

तालिक 2.1 : 31.03.2009 पर श्रेणी-बद्ध स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय

क्र.सं.	संस्थानों के स्वरूप	संस्थानों की संख्या (31.03.2008 तक)	संस्थानों की संख्या (31.03.2009 तक)
1.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	25	40
2.	राज्य विश्वविद्यालय	228	234
3.	राज्य निजी विश्वविद्यालय	14	21
4.	संस्थान जो राज्य विधान सभा द्वारा स्थापित हैं।	5	5
5.	संस्थान जो कि सम विश्वविद्यालय हैं।	103	128
6.	राष्ट्रीय महत्व वाले संस्थान	33	39
	कुल	408	467
7.	कॉलेज	23,206	25,951

255 राज्य विश्वविद्यालयों में से जिनमें 21 राज्य निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं - 88 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिन्हें यूजी.सी. अधिनियम, धारा 12 (बी) के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होने के लिए घोषित किया है। (संलग्नक-II)

यूजी.सी. अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत धारा 2(एफ) के तहत राज्यवार मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों की संख्या को तालिका 2.2 में इंगित किया गया है।

तालिका 2.2 वि.अ.आ. द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों की राज्यवार संख्या (31 मार्च 2009 तक)

क्र. सं.	राज्य	विश्वविद्यालयों की संख्या					जो केन्द्रीय सहायता के पात्र नहीं हैं।
		कुल	केन्द्रीय	राज्य	सम	अन्य*	
1.	आंध्र प्रदेश	33	3	21	7	2	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	1	-	1	-	-
3.	असम	6	2	4	-	-	1
4.	बिहार	17	1	13	2	1	3
5.	छत्तीसगढ़	9	1	8	-	-	3
6.	गोवा	1	-	1	-	-	-
7.	गुजरात	24	1	21	2	-	11
8.	हरियाणा	12	1	6	5	-	-
9.	हिमाचल प्रदेश	5	1	4	-	-	1
10.	जम्मू-कश्मीर	8	1	6	-	1	2
11.	झारखण्ड	7	1	4	2	-	-
12.	कर्नाटक	32	1	16	15	-	5
13.	केरल	10	1	7	2	-	-
14.	मध्य प्रदेश	17	2	13	2	-	2
15.	महाराष्ट्र	41	1	19	21	-	4
16.	मणिपुर	2	2	-	-	-	-
17.	मेघालय	1	1	-	-	-	-
18.	मिजोरम	1	1	-	-	-	-
19.	नागालैंड	1	1	-	-	-	-
20.	उड़ीसा	13	1	10	2	-	2
21.	पंजाब	11	1	8	2	-	3
22.	राजस्थान	28	1	19	8	-	12
23.	सिक्किम	3	1	2	-	-	2
24.	तमिलनाडु	50	1	20	29	-	6
25.	त्रिपुरा	2	1	1	-	-	1
26.	उत्तर प्रदेश	38	4	23	10	1	9
27.	उत्तरांचल	14	1	9	4	-	6
28.	पश्चिम बंगाल	20	1	18	1	-	7
29.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	16	4	1	11	-	-
30.	चंडीगढ़	2	-	1	1	-	-
31.	पाँड़ीचेरी	2	1	-	1	-	-
	कुल	428	40	255	128	5	88

* अन्य: ऐसे संस्थान जो कि राज्य विधान सभा के अन्तर्गत स्थापित हैं।

2.2 छात्र नामांकन

शैक्षिक वर्ष 2008–2009 के दौरान समस्त विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में कॉलेजों में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए, विभिन्न स्तरों पर, 136.42 लाख अन्तरकालीन छात्रों की भर्ती हुई जैसा कि तुलना में पिछले वर्ष यह भर्ती 123.77 लाख थी — इस प्रकार 10.2 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। छात्रों की भर्ती की जो दीर्घ स्तर की प्रवृत्ति पिछले दो दशकों में देखने में आई है, उसे संलग्नक-III में दिया गया है। इन 136.42 लाख छात्रों में से, 56.49 लाख महिला छात्राएं थीं — जो कि इस समस्त संख्या का 41.4 प्रतिशत हैं। वैसे भी, कुल छात्रों की भर्ती की तुलनात्मक प्रवृत्ति और महिला छात्राओं द्वारा भर्ती जो विभिन्न राज्यों में वर्ष 2008–2009 के दौरान देखी गई, वह संलग्नक IV में निर्दिष्ट है। संख्या में, सम्पूर्णता के दृष्टि से देखा जाये तो, महिला छात्रों की सर्वाधिक भर्ती, उत्तर प्रदेश में (8.00 लाख), उसके बाद महाराष्ट्र (7.8 लाख), तमिलनाडु (4.8 लाख), आंध्रप्रदेश (4.7 लाख) आदि हैं। प्रतिशतता के दृष्टिकोण से, गोवा ने उच्चतम प्रतिशतता प्रदर्शित की जो कि 59 प्रतिशत थी, जिसके बाद केरल (56 प्रतिशत) पंजाब (51प्रतिशत) आदि हैं, जो इन राज्यों में महिला छात्राओं द्वारा छात्रों के ऊपर प्राबल्य को सूचित करती हैं तथा संघीय क्षेत्रों में, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह (56 प्रतिशत), चंडीगढ़ (51प्रतिशत), पांडीचेरी (50 प्रतिशत) रहे।

स्तरवार नामांकन

शैक्षिक वर्ष 2008–09 के दौरान नामांकन स्थिति से पता चलता है कि उच्च शिक्षा प्रणाली में स्नातक पूर्व स्तर पर विविध प्रकार के पाठ्यक्रमों में अधिसंख्य छात्रों का नामांकन होता है। कालेज तथा विश्वविद्यालयों दोनों में मिलाकर, अस्थायी तौर पर उस स्तर पर 87.29 प्रतिशत छात्र नामांकित होते हैं। स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए नामांकित छात्रों की संख्या 10.92 प्रतिशत थी, जबकि बहुत कम औसत में अर्थात् 0.70 प्रतिशत छात्र उच्च शिक्षा संस्थानों में शोध कर्मा कर रहे थे। उसी प्रकार केवल 1.09 प्रतिशत छात्र डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों में नामांकित थे। (परिशिष्ट-5)

उच्च शिक्षा प्रणाली के अर्न्तगत छात्रों का सर्वाधिक नामांकन संबद्ध कॉलेजों में हुआ था। पूर्व-स्नातक छात्रों में से लगभग 90.79 प्रतिशत और स्नातकोत्तर छात्रों में से 72.74 प्रतिशत छात्र संबद्ध कॉलेजों में नामांकित किये गए जबकि शेष छात्र विश्वविद्यालयों एवं उनके संघटक कालेजों में थे। इसके विपरीत, 86.18 प्रतिशत शोध छात्र विश्वविद्यालयों से थे। डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों में नामांकन के मामले में विश्वविद्यालय विभागों/विश्वविद्यालय कॉलेजों की संख्या, संबद्ध कालेजों की संख्या से ऊपर ही थी। तथापि नामांकित छात्रों की कुल संख्या में से अधिसंख्य छात्र जो संबद्ध कॉलेजों में से थे, जहाँ पर उच्च शिक्षा की नींव रखी जाती है— उन छात्रों में से अधिकांश की मांग थी कि संगतता, पहुंच और समता, गुणवत्ता और उत्कृष्टता के विशेष संदर्भ में इस क्षेत्रक को अधिक वित्त उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। यहां यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि पिछले एक दशक के दौरान स्तरवार-छात्र वितरण, प्रतिशतता के हिसाब से वस्तुतः अपरिवर्तित रहा है।

संकायवार नामांकन

शैक्षिक वर्ष 2008–09 के दौरान छात्रों का संकायवार नामांकन निम्न प्रकार रहा :

छात्रों के कुल नामांकन (136.42 लाख) में से 43.07 प्रतिशत छात्र कला संकाय में थे, इसके बाद विज्ञान में 19.15 प्रतिशत, वाणिज्य/प्रबंध विज्ञान में 18.23 प्रतिशत छात्र थे। इस प्रकार, कुल नामांकन में से 80.45 प्रतिशत छात्र, कला-विज्ञान एवं वाणिज्य/प्रबंध विज्ञान संकायों में थे, जबकि शेष 19.55 प्रतिशत व्यवसायिक संकायों में थे, जिनमें से इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में प्रतिशतता सर्वाधिक थी और उसके बाद चिकित्सा पाठ्यक्रम में थी। भारत जैसे देश में जहां पर मुख्य व्यवसाय कृषि तथा उससे जुड़े व्यवसाय हैं—वहां पर कृषि पाठ्यक्रमों में नामांकन केवल 0.59 और पशु पालन विज्ञान में यह नगण्य रूप से 0.16 प्रतिशत रहा। इस प्रकार यह स्पष्ट संकेत मिलता है जेसा कि संकाय-वार वितरण से प्रत्यक्ष है कि व्यावसायिक और गैर-व्यावसायिक नामांकन का अनुपात 1:4 रहा, अतः एक ऐसी नीति के परिवर्तन की आवश्यकता है जिसके आधार पर छात्रों के नामांकन में असमानता को नियंत्रित किया जा सके। (परिशिष्ट - 6)

2.3 संकाय संख्या

शैक्षिक वर्ष 2008–09 के दौरान, विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में शिक्षकों की कुल संख्या 5.89 लाख थी, जिसकी तुलना में गत वर्ष यह संख्या 5.22 लाख थी। 5.89 लाख शिक्षकों में से 85 प्रतिशत शिक्षक कॉलेजों में हैं तथा शेष 15 प्रतिशत विश्वविद्यालयों विभागों/विश्वविद्यालयों कॉलेजों में है। (परिशिष्ट 8—9)

वर्ष 2008-09 के दौरान संबद्ध कॉलेजों तथा विश्वविद्यालय विभागों/विश्वविद्यालय कॉलेजों में प्रतिशतता की दृष्टि से शिक्षकों की वर्गवार स्थिति इस प्रकार है:

क्र.सं.	वर्ग	शिक्षकों की कुल संख्या में से			
		संबद्ध कॉलेज	यू.टी. विश्वविद्यालय टी/विभाग/विश्वविद्यालय	कॉलेज संबद्ध कॉलेज एवं वि.वि.टी. विभाग वि.वि.	पी.पी. कुल संख्या की प्रतिशतता
1.	लेक्चरर	2,60,307	26,536	2,86,843	48.76
2.	वरिष्ठ लेक्चरर	69,125	13,763	82,888	14.09
3.	रीडर और उनके समकक्ष	1,23,598	28,514	1,52,112	25.85
4.	प्रोफेसर और उनके समकक्ष	32,893	19,071	51,964	8.83
5.	अन्य (टी/डी/टी ए आदि)	12,459	2,068	14,527	2.47
	कुल	4,98,382 (84.71%)	89,952 (15.29)	5,88,334	100.00

2.4 अनुसंधान डिग्रियां

विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त अनुसंधान डिग्रियां (पी.एच.डी.) की संख्या जो 2006-7 में 12773 थी— वह 2007-08 में बढ़कर 13237 हो गई और इस प्रकार 3.6 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2007-08 के दौरान, प्रदत्त डिग्रियों में से कला संकाय में प्रदत्त डिग्रियों की संख्या सर्वाधिक थी जो कि 4405 थी, उसके बाद विज्ञान का स्थान रहा, जिसमें 4514 अनुसंधान डिग्रियाँ प्रदान की गईं। कुल प्रदत्त अनुसंधान डिग्रियों में से इन दोनों संकायों में प्रदान की गई अनुसंधान डिग्रियों की संख्या 67 प्रतिशत थी। यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई अनुसंधान डिग्रियों की दृष्टि से अनुसंधान क्षेत्रक में थोड़ी परिवर्धित प्रवृत्ति दिखाई देती है। (परिशिष्ट -10)

2.5 उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में वृद्धि

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उच्च शिक्षा में नामांकित महिला छात्राओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो महिला नामांकन, कुल नामांकन के 10 प्रतिशत से भी कम था, वह शैक्षिक वर्ष 2008-09 के दौरान, बढ़कर 41.4 प्रतिशत तक पहुँच गया।

विशेषतः गत दो वर्षों के दौरान महिला नामांकन की गति तेज रही है। सारणी 2.3 में दिए गए आंकड़ों से यह पता चलता है कि वर्ष 2008-09 के दौरान, पंजीकृत प्रति सौ पुरुषों पर वर्ष 1950-51 की तुलना में महिलाओं के नामांकन में लगभग पाँच गुना वृद्धि हुई है:-

तालिका: 2.3 प्रति सौ छात्रों पर छात्राओं की प्रतिशतता

वर्ष	कुल महिला नामांकन	प्रति 100 पुरुष, महिला नामांकन
1950-51	40	14
2008-2009	5649	70

2.6 राज्य तथा संकाय द्वारा महिला नामांकन का वितरण

(क) महिला नामांकन का राज्यवार वितरण

राज्यवार, महिला नामांकन का वितरण यह दिखाता है कि वर्ष 2008-09 के दौरान सभी राज्यों में कुल नामांकन की तुलना में वर्ष 2008-09 के दौरान, सभी राज्यों में वर्ष 2007-08 की तुलना में महिलाओं की नामांकन में प्रतिशत वृद्धि लगभग स्थिर रही है। राज्यों में कुल नामांकन के प्रतिशतता के रूप में महिला नामांकन की दृष्टि से गोवा (59 प्रतिशत) सबसे ऊपर रहा, जिसके बाद केरल (56 प्रतिशत) पंजाब (51 प्रतिशत) आदि। ऐसे 21 राज्य थे जिनमें 41.4 की राष्ट्रीय प्रतिशतता की तुलना में महिलाओं का नामांकन अधिक था। शेष राज्यों में नामांकित महिलाओं की प्रतिशतता राष्ट्रीय स्तर से कम थी, जिसमें 30 प्रतिशत के साथ बिहार राज्य ने न्यूनतम महिला नामांकन दर्ज कराया। निरपेक्ष संख्या के रूप में, उत्तरप्रदेश राज्य, महिला नामांकन की दृष्टि से सर्वोच्च रहा (8.03 लाख) तथा इसके बाद महाराष्ट्र (7.8 लाख) (परिशिष्ट IV)

(ख) संकायों के अनुसार महिला नामांकन का वितरण

वर्ष 2008-09 के दौरान, संकायवार महिला नामांकन की वितरण की स्थिति, निम्न प्रकार से है :

तालिका 2.4 महिला नामांकन संकायवार 2008-09

क्र.सं.	संकाय	महिला नामांकन*	कुल महिला नामांकन की प्रतिशतता
1.	कला	2772580	49.08
2.	विज्ञान	1129255	19.99
3.	वाणिज्य/प्रबंध विज्ञान	915719	16.21
4.	शिक्षा	180771	3.20
5.	इंजीनियरी/तकनीकी	276806	4.90
6.	आयुर्विज्ञान	202803	3.59
7.	कृषि	15253	0.27
8.	पशु चिकित्सा विज्ञान	4519	0.08
9.	विधि	89256	1.58
10.	अन्य	62140	1.10
	कुल जोड़	5649102	100.00

* अन्तरिम

तालिका 2.4 में यह दर्शाया गया है कि कला संकाय में महिलाओं का कुल नामांकन 49.08 प्रतिशत रहा है। उसके बाद विज्ञान संकाय (19.99 प्रतिशत) वाणिज्य संकाय (16.21 प्रतिशत) आदि का स्थान रहा, इस तरह से इन तीन गैर-व्यावसायिक संकायों की प्रतिशतता 85.28 प्रतिशत रही। वर्ष 2007-08 के आंकड़ों से यदि तुलना की जाये तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि वर्ष 2008-09 के दौरान— शिक्षा संकाय को छोड़कर जहाँ पर यह प्रतिशतता 3.20 रही, महिला नामांकन की प्रतिशतता में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है। साथ ही महिला नामांकन प्रतिशतता में द्विअंकीय बढ़ोत्तरी, गैर-व्यावसायिक संकायों में — कला, विज्ञान एवं वाणिज्य प्रबन्ध — इनमें दर्ज की गई तथा एकल अंकीय वृद्धि व्यावसायिक संकायों में दर्ज की गई। कृषि एवं पशु चिकित्सा विज्ञान संकायों में महिलाओं का नामांकन नाम मात्र का ही रहा है।

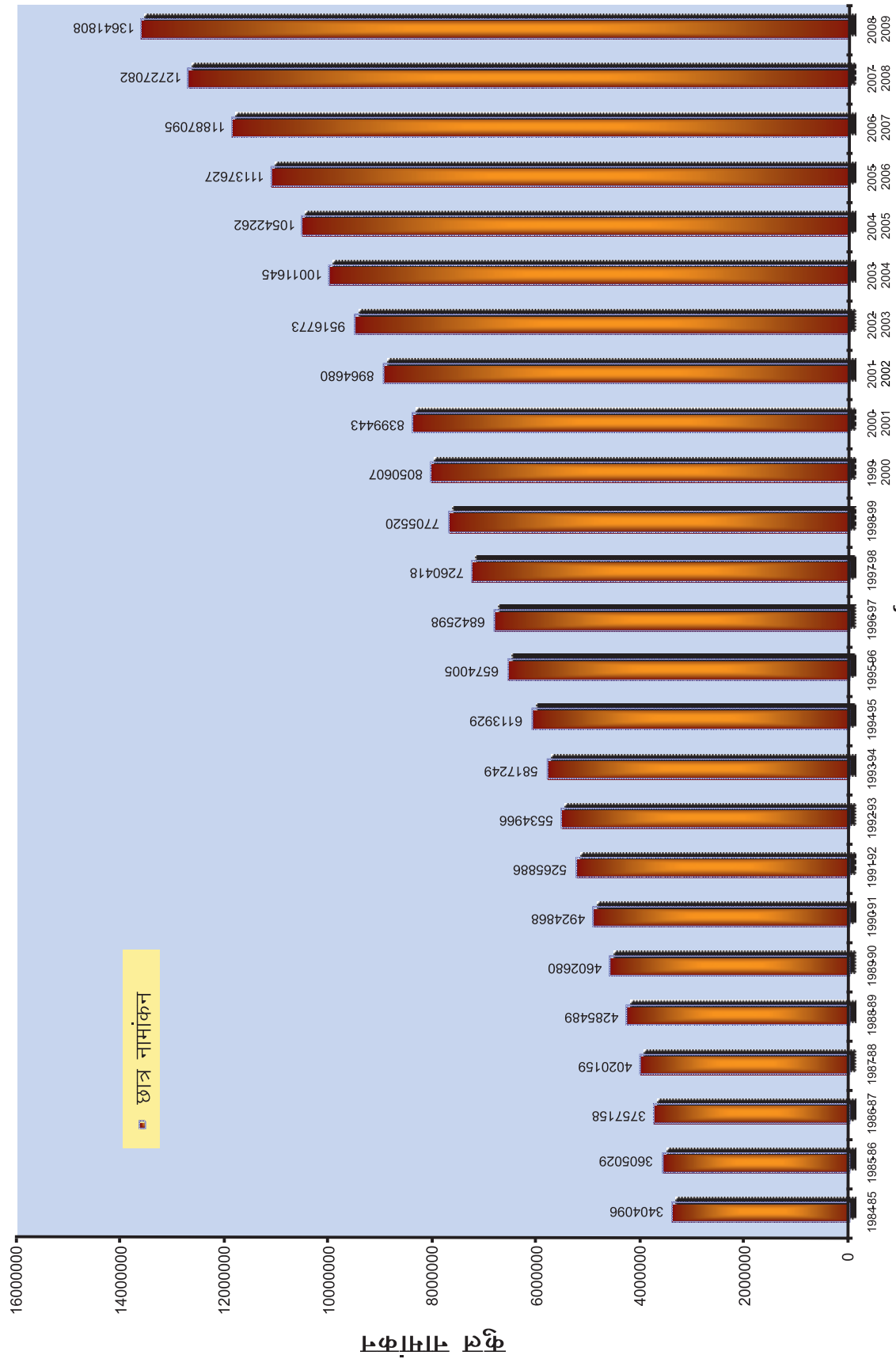
2.7 महिला कॉलेज :

तालिका 2.5 द्वारा संकेत मिलता है कि 11वीं योजना के दौरान 10वीं योजना की तुलना में (31.3.2007 तक) कुल मिलाकर 357 कालेज स्थापित किये गए और परिणामतः 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

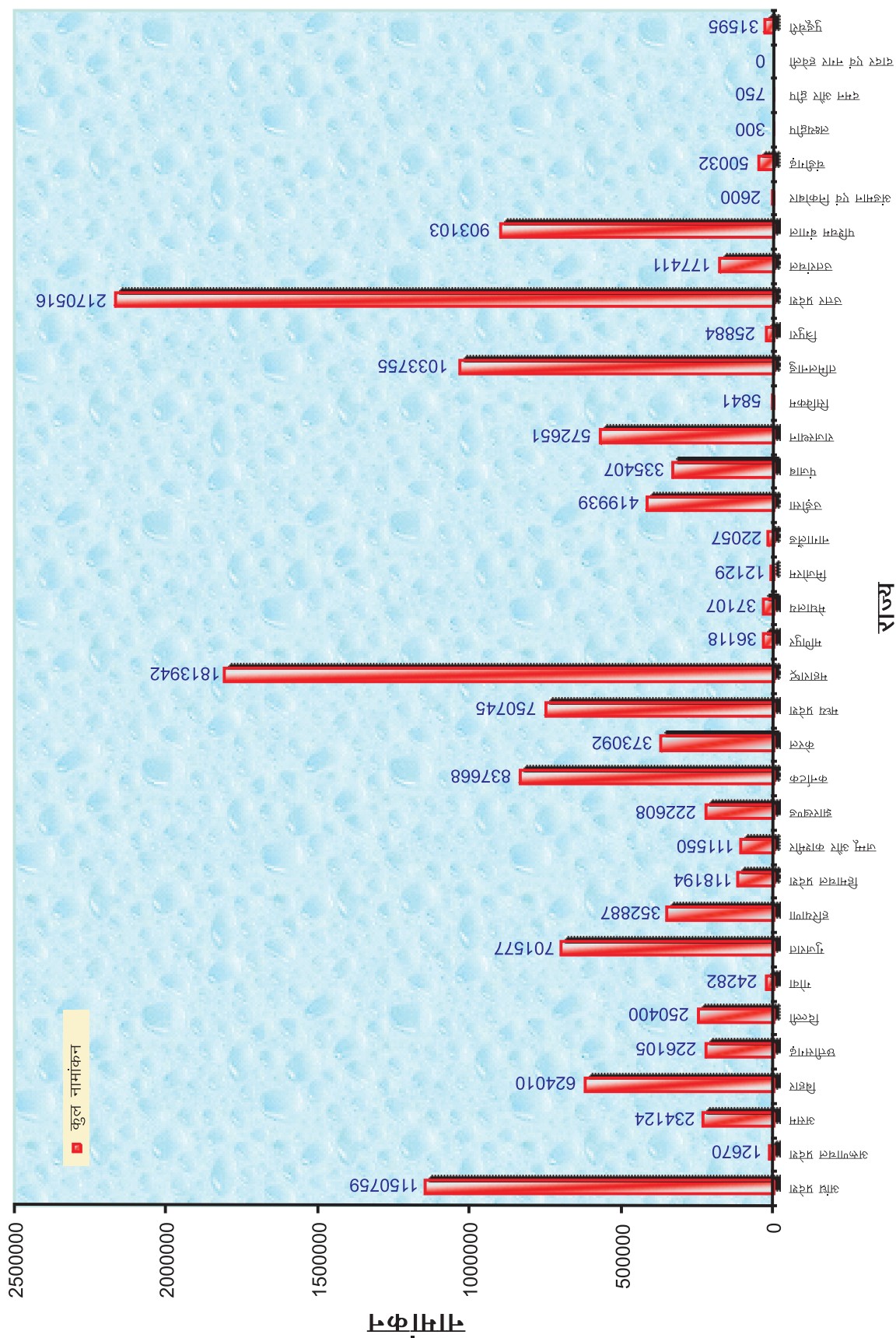
तालिका 2.5 — 1997-98, 2008-09 के दशक के दौरान, स्थापित महिला कालेजों की संख्या

वर्ष	महिला कॉलेजों की संख्या
1997-1998	1260
1998-1999	1359
1999-2000	1503
2000-2001	1578
2001-2002	1756
2002-2003	1824
2003-2004	1871
2004-2005	1977
2005-2006	2071
2006-2007	2208
2007-2008	2360
2008-2009*	2565

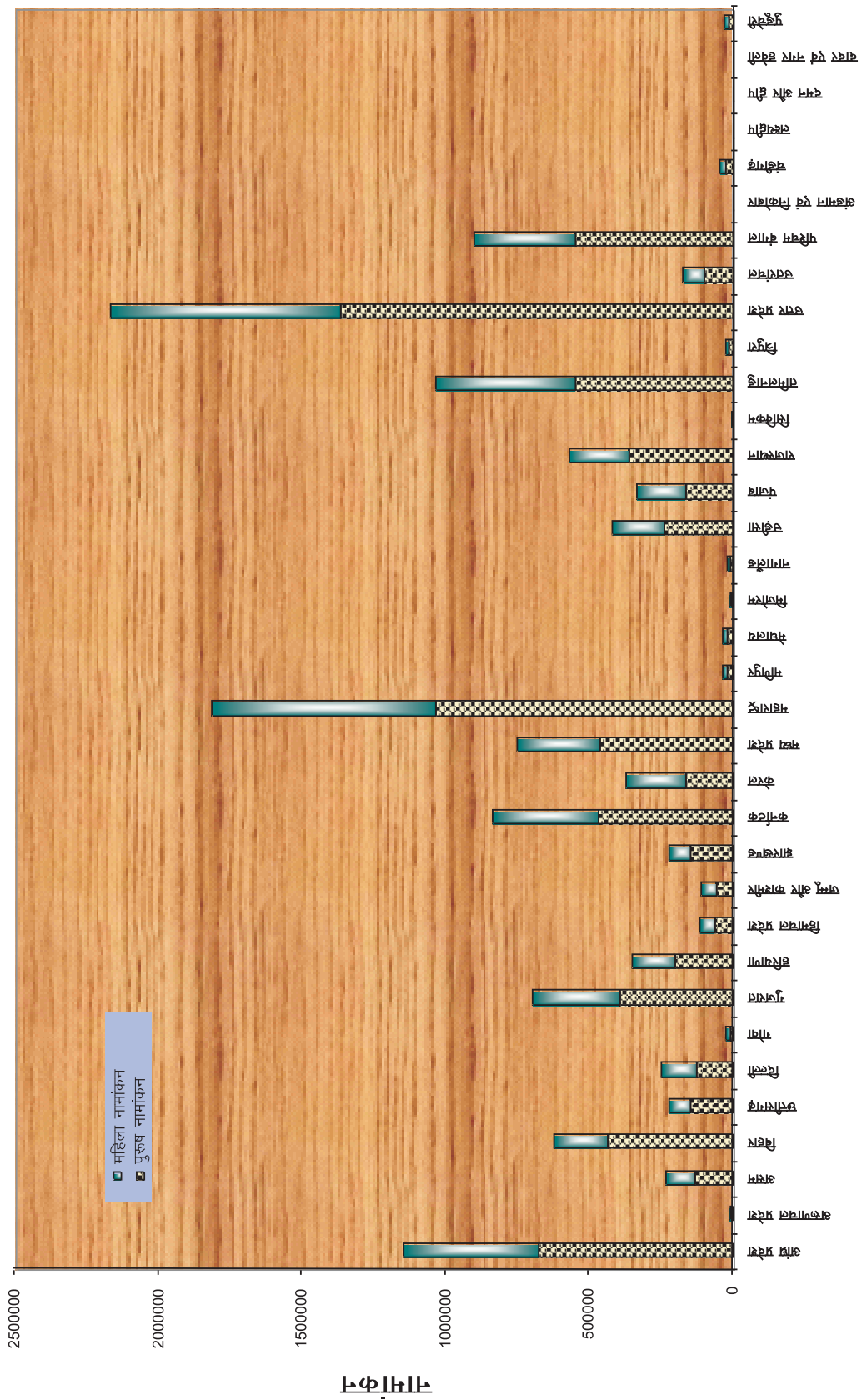
* अन्तरिम



आकृति 1 : भारतवर्ष में छात्र नामांकन में अभिवृद्धि: वर्ष 1984-85 से 2008-09 के दौरान

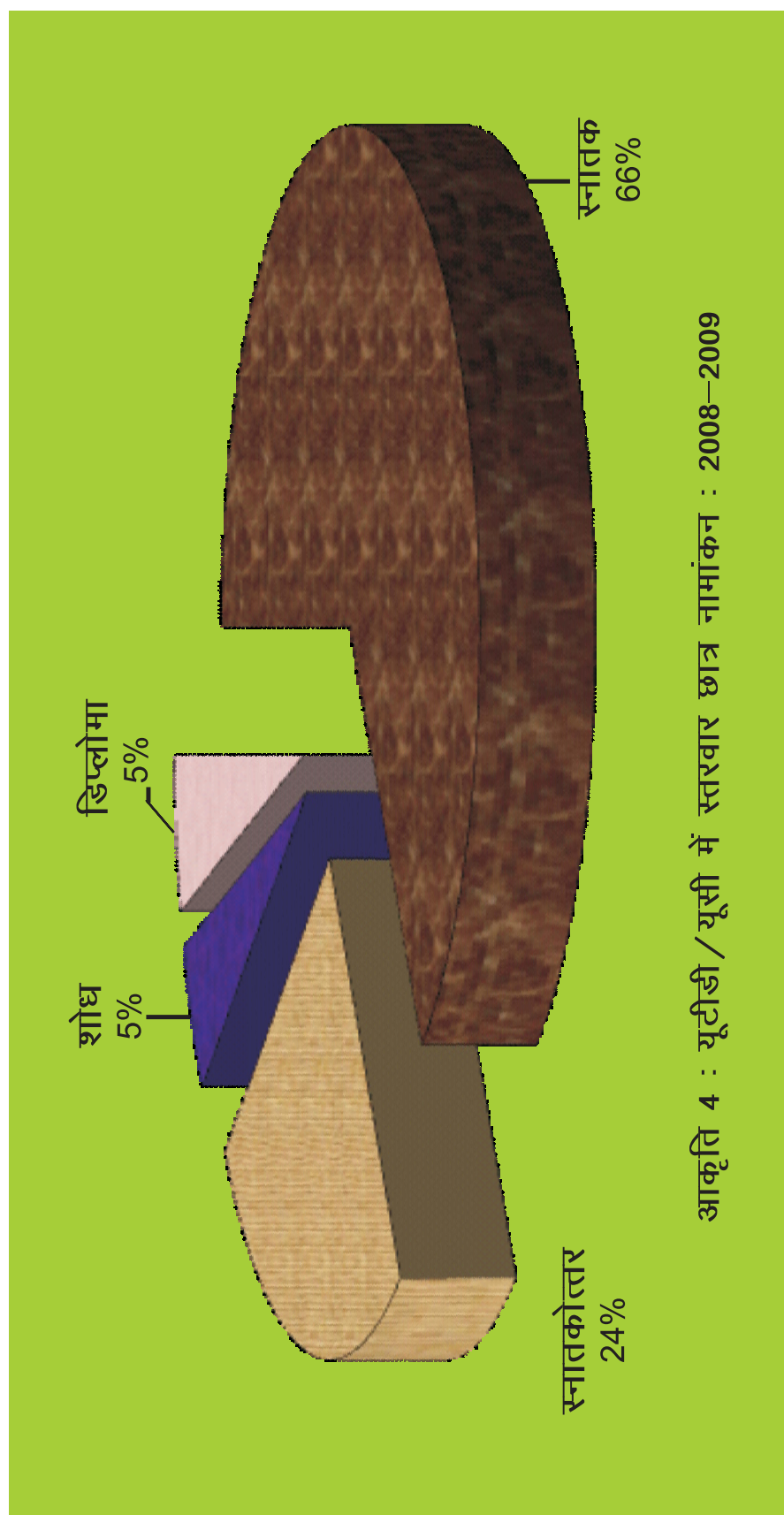


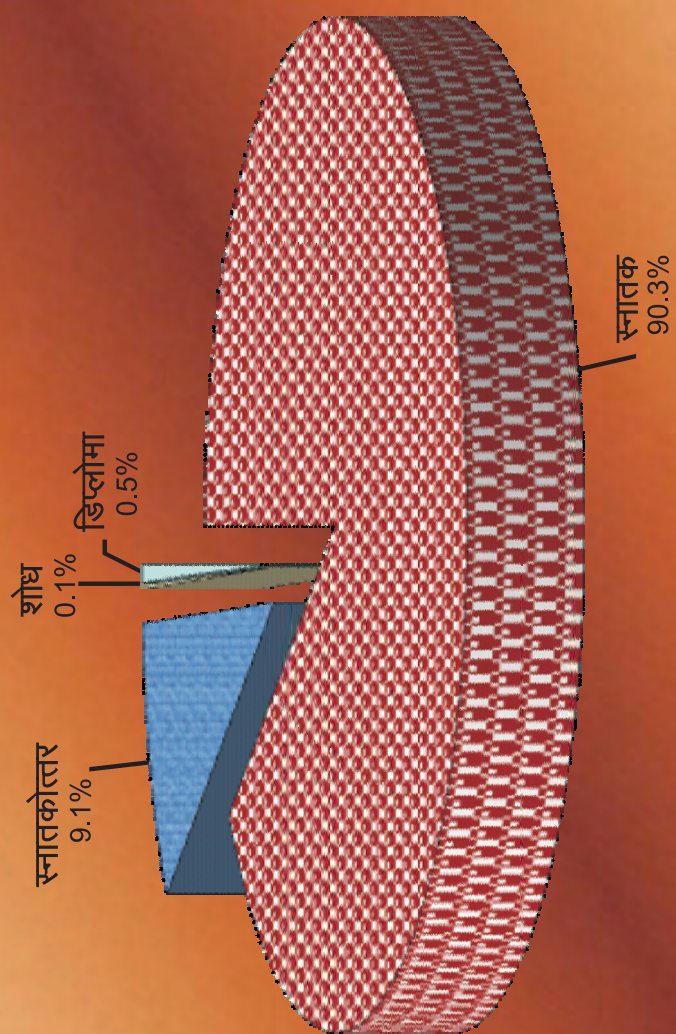
आकृति 2 : राज्यवार, विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में छात्र नामांकन : 2008-2009



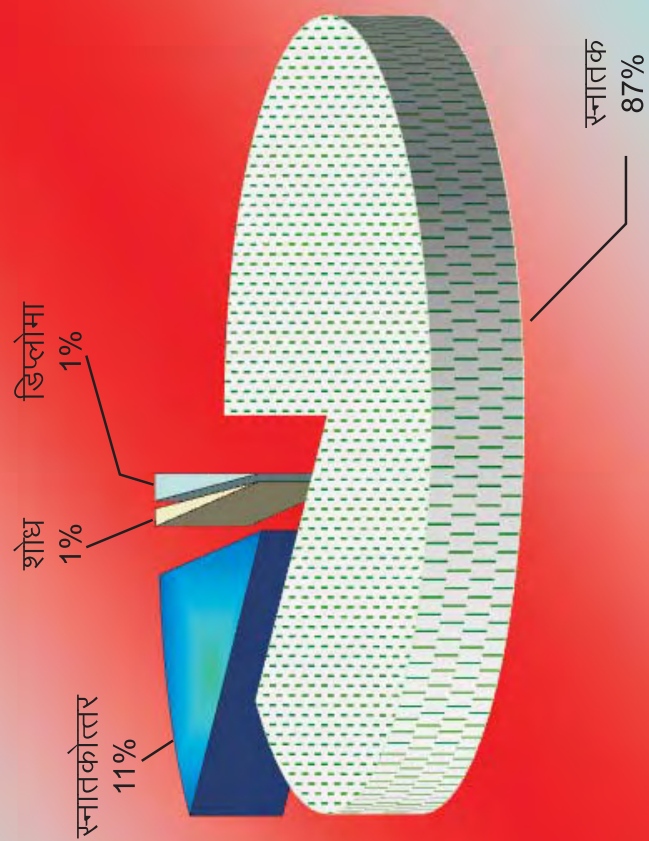
राज्य

आबुति 3 : विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में राज्यवार छात्रों का लिंगानुसार नामांकन: 2008-2009

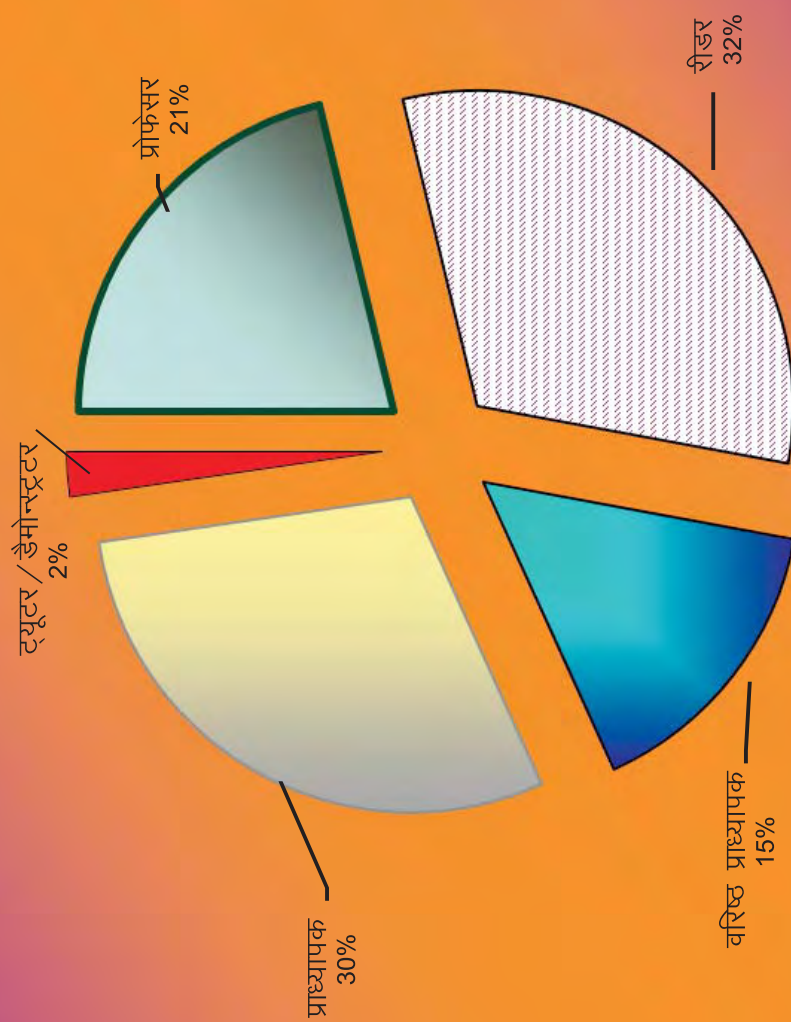




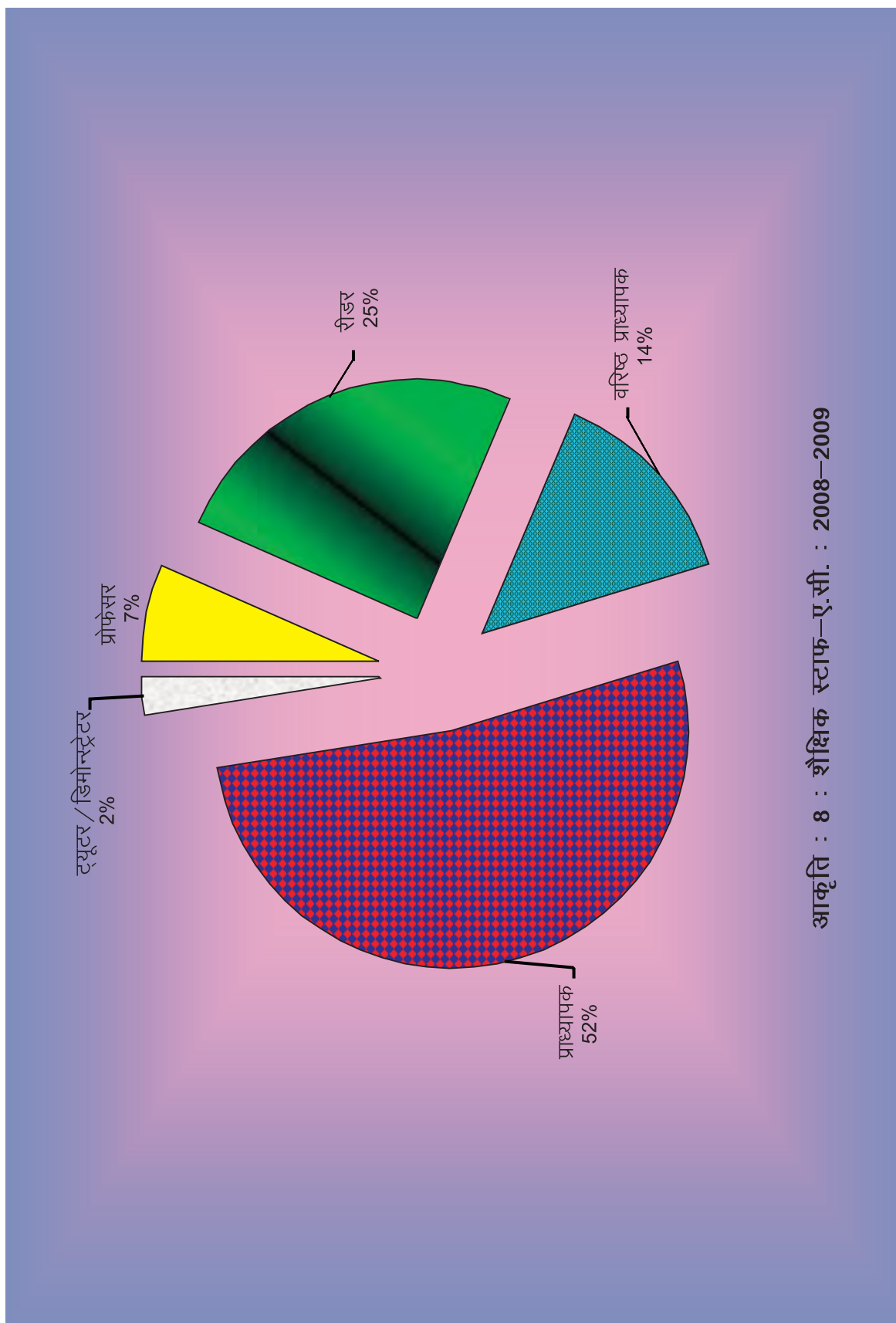
आकृति 5 : स्तरवार छात्र नामांकन ए.सी. : 2008-2009

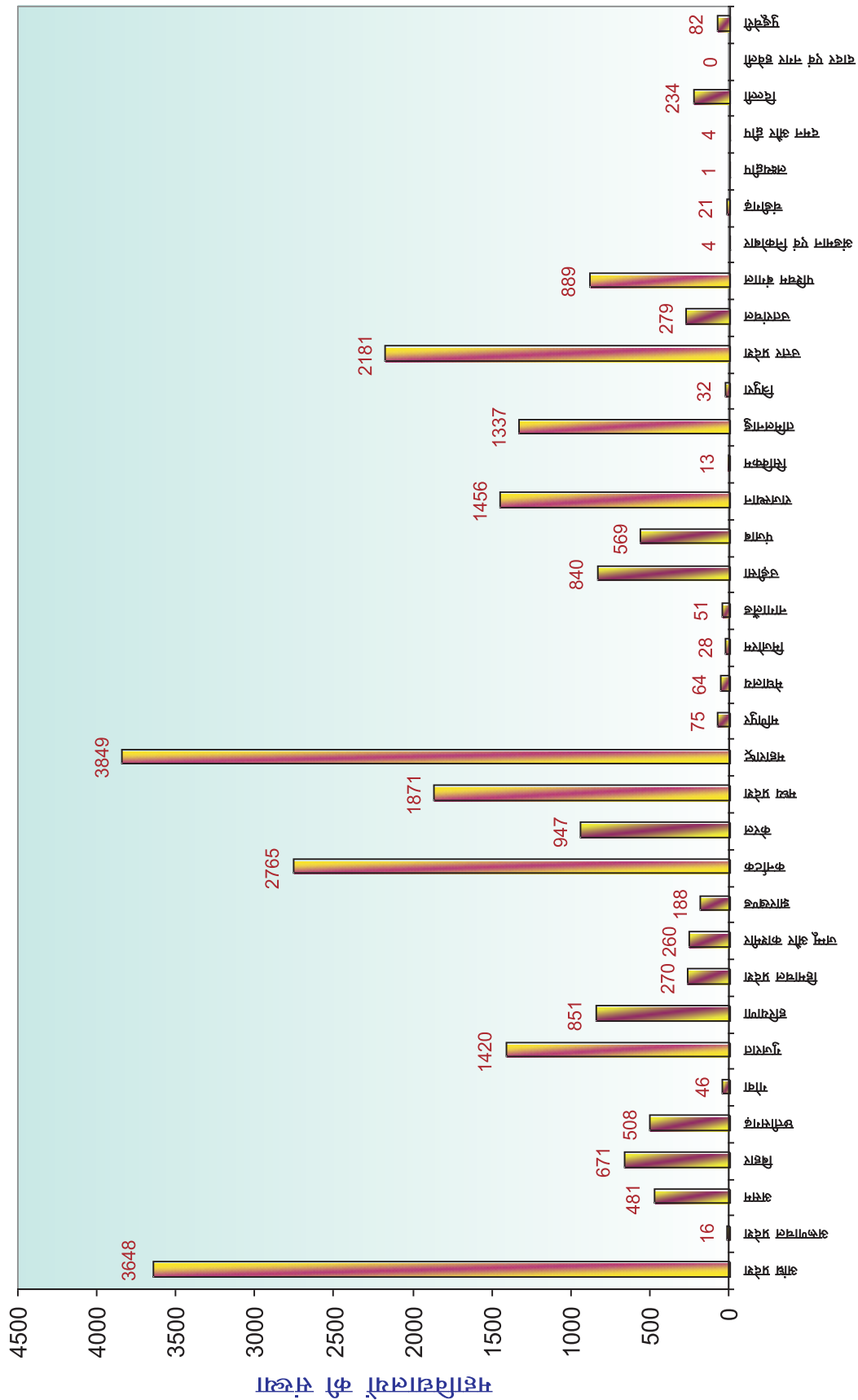


आकृति 6 : विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्तरवार छात्र नामांकन : 2008-2009



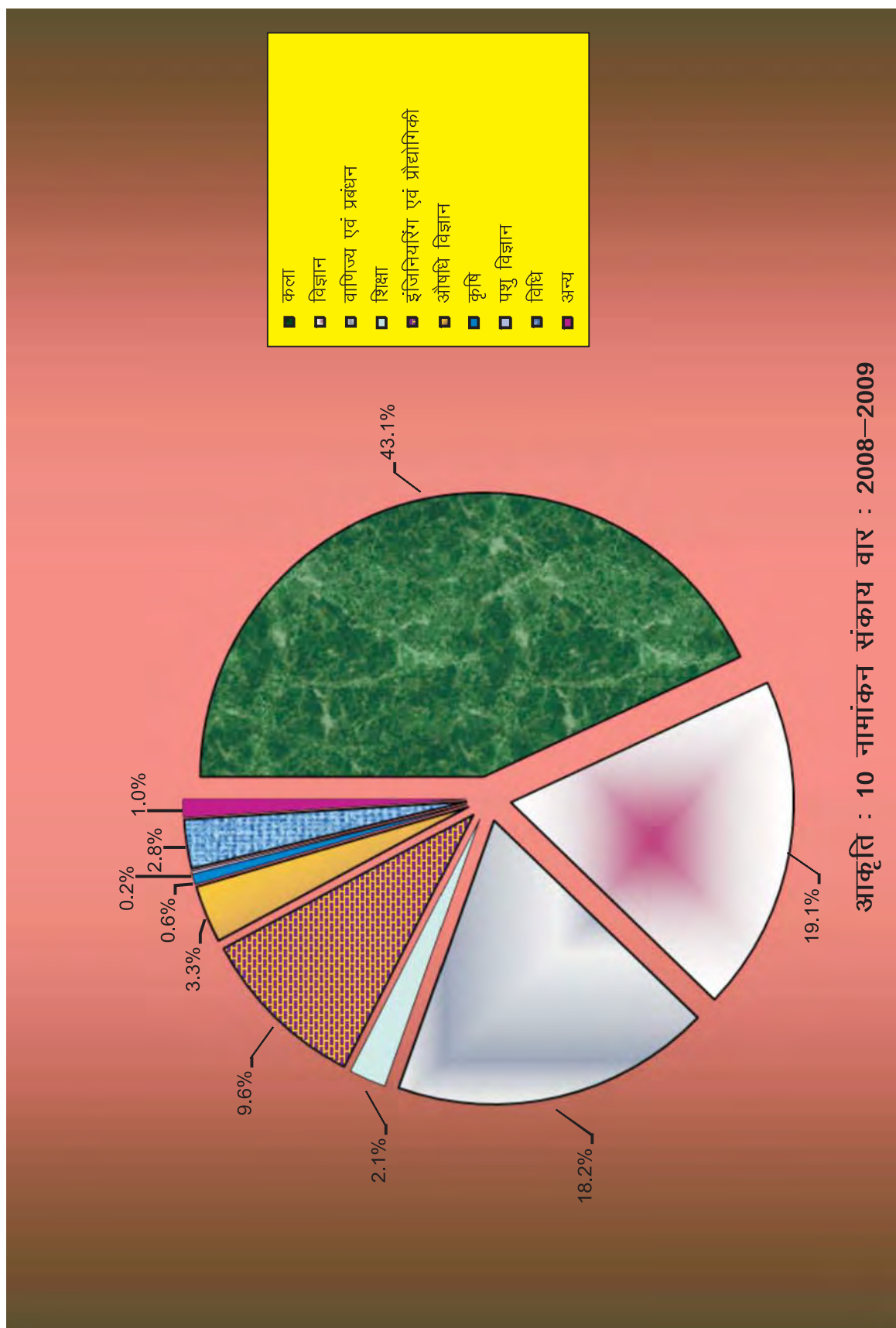
आकृति 7 : यूटीडी / यूसी में शैक्षिक स्टाफ : 2008-2009





राज्य

आकृति 9 : राज्यवार महाविद्यालयों की संख्या : 2008-2009



3 विश्वविद्यालयों को विकास (योजना) और अनुरक्षण (गैर-योजना) सहायता

3.1 विश्वविद्यालयों को सहायता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत केन्द्रीय और सम विश्वविद्यालयों को योजना (विकास) और गैर योजना (अनुरक्षण) दोनों अनुदान प्रदान करता है, जबकि राज्य विश्वविद्यालयों के लिए यह सहायता केवल विकास (योजनागत) के अन्तर्गत ही उपलब्ध कराई जा रही है। समस्त योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए यह उपलब्ध कराई जाती है। सामान्य योजना विकास अनुदान किसी भी एक विशिष्ट विश्वविद्यालय को 11वीं योजना के अन्तर्गत, लागत (व्यय) की रूपरेखा के आधार पर निर्धारित किया जायेगा तथा इसे विश्वविद्यालय को सम्प्रेषित कर दिया जायेगा। ऐसे परियोजना, 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक की अवधि के लिए चालू रहेंगे। योजना की अवधि की समाप्ति भी 31 मार्च 2012 के साथ हो जायेगी। सामान्य विकास अनुदान उन सभी पात्र केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, समविश्वविद्यालयों, अनुदान आयोग अधिनियम धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत शामिल हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्डों की रूपरेखा और परियोजना के दायरे में आते हैं।

सामान्य विकास सहायता के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक पात्र विश्वविद्यालय को समग्र विकास के लिए सहायता देगा, जिसमें सहायता में पहुँच बढ़ाना, गुणवत्ता सुनिश्चित करना, प्रासंगिक शिक्षा प्रदान करना, गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता में सुधार करना, अपने विश्वविद्यालय के प्रशासन को और अधिक प्रभावशाली बनाना, अधिकाधिक संकाय सुधार कार्यक्रम उपलब्ध कराना, छात्रों के लिए सुविधाएं बढ़ाना, विश्वविद्यालयों की किसी और योजना जैसे पहलुओं को भी शामिल किया जाता है।

इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 11वीं योजना अवधि के दौरान, विश्वविद्यालयों की अवसंरचना, स्टाफ, उपस्कर, पुस्तकों और पत्रिकाओं, पुस्तकालयों आदि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सामान्य योजना विकास अनुदान के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है।

i. अवसंरचना भवन

नए भवनों के निर्माण तथा पुराने भवन की बड़ी मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। ये भवन, अकादमी भवन, पुस्तकालय, प्रशासनिक खण्ड, स्टाफ क्वार्टर्स, पुरुष छात्रावास, अतिथि गृह, आदि कोई भी हो सकते हैं।

ii. परिसर विकास

सड़कों के निर्माण करने, विद्युत, जल उपलब्ध कराने, सीवर की लाइन बिछाने या नवीनीकरण करने, वृक्षारोपण करने तथा भूमि विकास आदि।

iii. स्टाफ

इस शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय सहायता केवल उन शिक्षण, शिक्षणोत्तर तथा तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति के लिए उपलब्ध कराई जाती है, जो लैक्चरर या उसके समान के वेतनमान में हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय/सम विश्वविद्यालयों को 100 प्रतिशत निधियन किया जा रहा है और शिक्षणोत्तर स्टाफ का सृजन केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए ही किया जा सकता है।

iv. केन्द्रीय पुस्तकालय

11वीं योजना अवधि के लिए पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के लिये निधि उपलब्ध कराई जा सकती है।

v. उपस्कर

प्रयोगशालाओं के लिए उपस्कर, विशेष उपस्कार कार्यालय हेतु (फर्नीचर, फिक्सचर तथा कंप्यूटर को छोड़कर) तथा मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर आदि जैसे आधुनिक शिक्षण सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

vi. नवोन्मेशी शोध गतिविधियाँ:

ऐसी शोध गतिविधियाँ जो कि लघु एवं वृहत शोध परियोजनाओं और विशेष सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत शामिल नहीं हैं, उनके लिए अतिरिक्त निधियाँ उपलब्ध कराई जा सकती हैं। किसी ऐसे युगांतकारी नवोन्मेशी शोध के लिए भी निधियाँ उपलब्ध करायी जा सकती हैं, जिसे विश्वविद्यालय प्रारम्भ करने को प्रस्तावित करे और जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 11वीं योजना की किसी भी योजना के अन्तर्गत नहीं आती हो।

vii. नई विस्तार गतिविधियाँ तथा पहुँच कार्यक्रम:

नई विस्तार गतिविधियाँ और "आउटरीच" कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों को आवश्यकतानुसार निधियाँ उपलब्ध कराना।

viii. विश्वविद्यालय की सूचना संप्रेषण एवं प्रौद्योगिकी आवश्यकताएं यदि हों:

सूचना संप्रेषण तथा प्रौद्योगिकी संबंधी (आई.सी.टी.) आवश्यकता, यदि कोई हो।

ix. स्वास्थ्य केन्द्र:

औषधालय के रूप में स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जा सकता है। यद्यपि आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा सकती हैं परन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्टाफ उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

x. छात्र सुविधाएँ:

इस प्रकार की सुविधाओं में कैंटीन, शुद्धपेय जल सुविधाएँ, मनोरंजन कक्ष, कॉमन कक्ष, विद्यार्थियों के लिए परामर्शकक्ष, आदि शामिल हैं।

xi. जयंती अनुदान:

विश्वविद्यालय द्वारा अपने 25-50-60-75 एवं 100 वर्ष पूरे कर लेने पर जयंती अनुदान माँगा जा सकता है बशर्ते कि वह विश्वविद्यालय उक्त जयंती वर्ष को 11 वीं योजनावधि के दौरान पूरा कर रहा हो।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, अनुरक्षण (गैर-योजनागत) सहायता उपलब्ध कराई जाती है, इसमें आवर्ती व्ययों का भुगतान, जैसे शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर स्टाफ के वेतनों, प्रयोगशालाओं, लाइब्रेरियों तथा भवनों के रख रखाव तथा करों, टेलिफोनों, डाक व्यय, बिजली बिलों आदि अनिवार्य आवर्ती व्ययों का भुगतान किया जाता है।

ऊपरलिखित मदों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता शत-प्रतिशत आधार पर दी जाती है और इसी के साथ आयोग ने यह निर्णय भी लिया कि सभी प्रकार की भवन-परियोजनाओं के लिए शत प्रतिशत सहायता उपलब्ध कराई जायेगी, ताकि अनुबंधित समय में विश्वविद्यालय इन परियोजनाओं को पूरा कर सकें।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सम विश्वविद्यालयों का जहाँ तक संबंध है तो उन्हें नवीन पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने के लिए चाहे स्व-वित्तपोषित हों अथवा अन्य प्रकार से हों – आयोग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है और उन्हें यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो डिग्री वे प्रदान करना चाहते हैं वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित डिग्रियों में शामिल हैं।

11वीं योजना के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निम्न योजनाओं को सामान्य विकास के साथ आमेलित करने का प्रस्ताव किया गया है। विश्वविद्यालय ऐसी वांछित निधियों को अलग से दर्शाएँ, जो कि प्रत्येक योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार, निम्न योजनाओं के लिए जरूरी हैं :

1. यात्रा अनुदान
2. सम्मेलन/संगोष्ठी/परिचर्चा/कार्यशालाएँ
3. प्रकाशन अनुदान

4. अभ्यागत प्रोफेसर/अभ्यागत अध्येता की नियुक्ति
5. दिवस देखभाल केन्द्र
6. साहसिक खेलकूदों सहित खेलकूद अवसंरचना और उपकरणों की नवीन योजनाओं के हेतु ।
7. पिछड़े/ग्रामीण/दूरस्थ/सीमावर्ती क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों के लिए विशेष विकास अनुदान
8. नए विश्वविद्यालयों के विशेष विकास अनुदान तथा पुराने विश्वविद्यालयों के जीर्णोद्धार के लिए अनुदान
9. यंत्रों के अनुरक्षण की सुविधा (आई.एम.एफ.)
10. महिला छात्रावासों का निर्माण
11. महिलाओं के लिए आधारभूत सुविधाएँ
12. संकाय सुधार कार्यक्रम (एम.फिल./पी.एच.डी. करने के लिए शिक्षक अध्येतावृत्ति
13. समान सुअवसर प्रकोष्ठ
14. अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग सुविधाएँ
15. विश्वविद्यालयों में कैरियर और परामर्श प्रकोष्ठ की स्थापना
16. शारीरिक रूप से अशक्त (निःशक्त) व्यक्तियों के लिए सुविधाएँ

क. केन्द्रीय विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास अनुदान योजना सहित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत, विकास (योजना और अनुरक्षण (गेर योजना) दोनों ही सहायताएँ उपलब्ध कराता है। वर्ष 2008-09 के दौरान 12 नये केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित विश्वविद्यालयों के रूप में परिवर्तित कर दिये गए हैं। इन तीनों राज्य विश्वविद्यालयों को मिलाकर कुल 40 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से यूजीसी केवल 38 को ही सहायता प्रदान करती है। जो दो विश्वविद्यालय हैं अर्थात् इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनीवर्सिटी तथा केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल, क्रमशः दोनों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं कृषि मंत्रालय द्वारा निधियन कराया जाता है। जो भी पुराने केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, उन्हें योजनागत एवं योजनेतर के अन्तर्गत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है जबकि अभी नए स्थापित विश्वविद्यालयों को केवल मात्र योजना (विकास) अनुदान ही उपलब्ध कराया जाता है। यद्यपि केन्द्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश स्थापित किया जा चुका है परन्तु अभी तक वहां पर प्रकार्य आरम्भ नहीं हुए हैं।

● विकास (योजनागत) सहायता

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, से सम्बद्ध मेडिकल कॉलेजों एवं इनसे जुड़े अस्पतालों के विकास हेतु, योजनागत अनुदान दिया जाता है। विकास सहायता का उद्देश्य केवल विश्वविद्यालय की विद्यमान आधारभूत संरचना में सुधार करना और उसका समेकन करना है बल्कि कुछ, एक अभिज्ञात क्षेत्रों में उत्कृष्टता विकसित करना भी है। अनुदान का उपयोग, शिक्षण, शोध और प्रशासन के आधुनिकीकरण के साथ विस्तार करने और शोध गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिये होता है ताकि समाज की अपेक्षाओं को उचित रूप से पूरा करने में विश्वविद्यालयों की रूपान्तरित होती हुई आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को जो विकास सहायता प्रदान की जाती है, वह सहायता, स्टाफ, भवनों, उपस्करों, पुस्तकों पत्रिकाओं, परिसर विकास आदि के लिए है।

वर्ष 2008-09 के दौरान, पुराने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को जिनको योजनागत (विकास) अनुदान प्रदान किया गया उसकी राशि 635.58 करोड़ रुपए थी। इसमें से, रुपए 22.00 करोड़ की राशि, 14 नये केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को इन मदों के लिए अनुदान द्वारा जारी की गई : अस्थायी कार्यालय को किराए पर लेना, निवास हेतु जगह की व्यवस्था, चारदीवारी के निर्माण के लिए (जिस स्थल पर जगह को चुना गया था। चिन्हित किया गया था) सहकारी स्टाफ की नियुक्ति के लिए जो नियुक्ति प्रतिनियोजित/अल्प-कालीन अनुबंधात्मक आधार पर थी, वाहन खरीदने के लिए, शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए आदि आदि।

तालिका 3.1: विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास (योजना) अनुदान : केन्द्रीय विश्वविद्यालय 2008-09 (रूपये करोड़ में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	प्रदत्त योजनागत अनुदान
1	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	28.49
2	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	14.78
3	असम विश्वविद्यालय	10.50
4	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	32.71
5	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1.50
6	उड़ीसा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1.25
7	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1.50
8	झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1.25
9	बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1.25
10	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1.25
11	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2.75
12	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1.50
13	जम्मू-कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1.25
14	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1.25
15	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1.25
16	डा. बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	10.00
17	डा.एच.एस. गौड़ विश्वविद्यालय	2.00
18	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	2.00
19	एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय	2.00
20	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	0.00
21	जामिया मिलिया इस्लामिया	42.59
22	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	28.21
23	एम.जी. अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय	10.87
24	मणिपुर विश्वविद्यालय	16.57
25	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	36.68
26	मिजोरम विश्वविद्यालय	38.57
27	नागालैंड विश्वविद्यालय	0.00
28	उत्तरपूर्वी हिल विश्वविद्यालय	48.40

29	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	24.02
30	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	5.00
31	सिक्किम विश्वविद्यालय	24.75
32	तेजपुर विश्वविद्यालय	49.32
33	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषी विश्वविद्यालय	15.63
34	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	8.34
35	दिल्ली विश्वविद्यालय	107.89
36	हैदराबाद विश्वविद्यालय	32.59
37	विश्व भारती	27.67
	कुल	635.58

● अनुरक्षण (योजनेतर) सहायता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को आवर्ती व्ययों जिसमें शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर स्टाफ के वेतनों प्रयोगशालाओं के रखरखाव, लाइब्रेरियों, भवनों आदि के खर्चों तथा कुछ अनिवार्य भुगतानों जैसे कि करों, डाक-व्यय, बिजली के बिलों आदि हेतु अनुरक्षण (गैर योजनागत) सहायता उपलब्ध कराता है।

वर्ष 2008-09 के दौरान, 24 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अनुरक्षण व्यय का भुगतान करने के लिए गैर-योजना अनुदान जारी किये गए जिनकी कुल राशि 1747.98 करोड़ रुपये थी (तालिका 3.2) अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालय अभी नये हैं। अतः अनुरक्षण (गैर योजना) अनुदान प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं :

तालिका : 3.2 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण (गैर योजनागत) अनुदान – 2008-09

(रूपये करोड़ में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	गैर-योजना अनुदान जो उपलब्ध कराया गया
1	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	327.47
2.	असम विश्वविद्यालय	22.15
3	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	5.83
4.	बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी	358.44
5.	जामिया मिलिया इस्लामिया	95.87
6.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	117.36
7.	एम.जी. अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय	5.04
8.	मिजोरम विश्वविद्यालय	32.40
9.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	10.90
10.	नागालैंड विश्वविद्यालय	27.85
11.	नार्थ ईस्टर्न हिल विश्वविद्यालय	74.45
12.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	36.91

13.	तेजपुर विश्वविद्यालय	14.27
14.	दिल्ली विश्वविद्यालय	216.51
15.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	80.16
16.	विश्व-भारती विश्वविद्यालय	87.60
17.	मणिपुर विश्वविद्यालय	29.93
18.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	128.25
19.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	12.59
20.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	11.39
21.	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषी विश्वविद्यालय	27.10
22.	एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय	11.16
23.	डा. एच.एस. गौड़ विश्वविद्यालय	10.07
24.	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	4.28
	कुल	1747.98

● विलय की गई योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को जारी किए गए अनुदान

विश्वविद्यालयों को प्रदान किए गए अनुदानों को तीव्रता एवं बाधा रहित रूप से उपयोग करने हेतु उन्हें निम्न योजनाओं के अन्तर्गत एकमुश्त अनुदान जारी किये गये :-

- यात्रा अनुदान
- सम्मेलन/संगोष्ठीयाँ/विचार गोष्ठियाँ/कार्यशालाएँ
- प्रकाशन अनुदान
- विजिटिंग प्रोफेसर/विजिटिंग फैलो की नियुक्ति
- दिवस देखरेख केन्द्र
- साहसिक क्रीडाएँ और खेलकूद अवसंरचना एवं उपस्कर विकास से जुड़ी नवीन योजनाएँ
- जो विश्वविद्यालय पिछड़े/ग्रामीण/दूरस्थ/सीमान्त क्षेत्रों में है- उनके लिए विशेष विकास अनुदान
- नए युवा विश्वविद्यालयों के लिए और पुराने विश्वविद्यालयों के नवीकरण के लिए, विशेष विकास अनुदान
- उपकरण रखरखाव अनुदान (आई.एम.एफ.)
- महिला छात्रावास का निर्माण
- महिलाओं के लिए आधारभूत सुविधाएँ
- संकाय विकास कार्यक्रम (शिक्षक अध्येतावृत्ति-एम.फिल/पी.एच.डी. के लिए
- समान सुवसर सेल
- अ.ज./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) - अल्पवर्ग के लिए अनुशिक्षण योजनाएं ।
- कैरियर एवं परामर्श सैलों की विश्वविद्यालयों में स्थापना
- पृथक रूप से योग्य (शारीरिक रूप से अक्षम) व्यक्तियों के लिए सुविधाएँ

उपरोक्त के अलावा, एक और योजना भी है, "केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में पूर्णकालिक गैर नेट पी.एच.डी" एवं एम. फिल अध्येताओं के लिए अध्येतावृत्ति का भुगतान—जिसको विलयित योजनाओं में शामिल किया गया है। विलयित योजनाओं हेतु जारी किए गए समस्त अनुदानों में ही उपरोक्त योजना अनुदान को शामिल कर लिया गया है।

वर्ष 2008-09 के दौरान, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को रुपये 71.25 करोड़ का अनुदान जारी किया गया था। (तालिका - 3.3)

तालिका 3.3 : विलयित योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को जारी किए अनुदान (गैर-नेट अध्येतावृत्ति सहित है) : 2008-2009

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय	जारी अनुदान
1	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	5.31
2.	असम विश्वविद्यालय	1.05
3	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	1.63
4.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	10.71
5.	जामिया मिलिया इस्लामिया	5.97
6.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	12.47
7.	एम.जी. अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय	0.33
8.	मिजोरम विश्वविद्यालय	0.87
9.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	5.31
10.	नागालैंड विश्वविद्यालय	0.00
11.	नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी	3.32
12.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	3.98
13.	तेजपुर विश्वविद्यालय	2.00
14.	दिल्ली विश्वविद्यालय (यू.सी.एम.एस. को जारी किये गए रुपये 32.94 लाख क अनुदान राशि सहित)	6.97
15.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	5.31
16.	विश्व भारती	0.00
17.	मणिपुर विश्वविद्यालय	1.33
18.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	0.00
19.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	0.00
20.	सिक्किम विश्वविद्यालय	1.83
21.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	0.00
22.	दी इंगलिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज यूनिवर्सिटी	0.16
23.	एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय	1.00
24.	डा. एच.एस.गौड़ विश्वविद्यालय	1.00
25.	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	1.00
	कुल	71.25

बी. राज्य विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के अनुसार, 17 जून, 1972 के बाद स्थापित, नये राज्य विश्वविद्यालय, केन्द्रीय सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले किसी भी अन्य संगठन से कोई भी अनुदान प्राप्त करने के तब तक पात्र नहीं होंगे जब तक कि आयोग स्वयं विहित मानदंडों एवं प्रक्रिया के अनुसार इस बात से संतुष्ट न हों जाए कि ऐसा विश्वविद्यालय अनुदान प्राप्त करने योग्य है। 31 मार्च, 2009 तक विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत 255 राज्य विश्वविद्यालयों को स्थापित किया गया था।

● राज्य विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान

कृषि/मेडिकल विश्वविद्यालयों को छोड़कर, अभी तक 130 राज्य विश्वविद्यालयों को वि.अ.आ. से सामान्य विकास अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं। विशिष्ट उद्देश्यों के लिए, अनुदानों सहित, विकास अनुदान, इन पात्र विश्वविद्यालयों को इसलिए प्रदान किए जाते हैं ताकि वे आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएँ प्राप्त कर सकें, जो सामान्यतः उन्हें, राज्य सरकार अथवा अन्य किसी सहायक निकाय से उपलब्ध नहीं होती है। यह सहायता, भवन, स्टाफ, पुस्तकों एवं पत्रिकाओं, उपस्कर, आदि के लिए दी जाती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, सामान्य विकास सहायता के बाद भी, रिपोर्टाधीन वर्ष 2008-09 के दौरान, सामान्य विकास सहायता के साथ आमेलित 16 विशिष्ट योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए राज्य विश्वविद्यालयों को अतिरिक्त अनुदान प्रदान किए गए।

क्र.सं.	योजना का नाम	उद्देश्य
1.	अनियत अनुदान	सम्मेलनों में भाग लेने, संगोष्ठीयों एवं परिचर्चाओं में भाग लेने, शोध कार्य के प्रकाशन एवं विजिटिंग प्रोफेसर/फैलो की विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के लिए, सहायता उपलब्ध कराना।
2.	दिवस देख-रेख केन्द्र, विश्वविद्यालयों में	ऐसे माता-पिता/शोधकर्ता जो कि अपने घर से दिनभर दूर रहते हों, जिनके 3 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे हैं—उन्हें परिसर के भीतर दिवस देख-रेख केंद्र की सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
3.	साहसिक खेलकूद एवं खेलों का विकास, अवसंरचनात्मक सामग्री एवं उपस्करों में विकास।	खेलकूदों के लिए विश्वविद्यालयों में सामर्थ्यपूर्ण वातावरण बनाना तथा विश्वविद्यालयों के छात्रों के मध्य सामूहिक सहकारिता की भावना को पोषित करना।
4.	युवा विश्वविद्यालयों के लिए विशेष विकास अनुदान तथा पुराने विश्व-विद्यालयों में अवसंरचना के नवीकरण के लिए विशेष विकास अनुदान।	जो विश्वविद्यालय नवनिर्मित हुए हैं, उन्हें सशक्त करना और पुराने विश्वविद्यालयों का नवीकरण करना ताकि उच्च शिक्षा में दोनों गुणवत्ता एवं संख्यात्मक वृद्धि हेतु अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराना—जैसा कि उच्च शिक्षा के अन्तर्गत और भी अधिक श्रेष्ठ शैक्षिक एवं भौतिक अवसंरचना का होना आवश्यक है।
5.	जो विश्वविद्यालय पिछड़े हुए/ग्रामीण/दूरस्थ/सीमान्त प्रदेशों में स्थित हैं, उनके लिए विशेष विकास अनुदान।	ऐसे विश्वविद्यालय जो कि महानगरों/शहरी इलाकों/आंशिक रूप से शहरी इलाकों में हैं तथा ऐसे विश्वविद्यालय जो पिछड़े हुए इलाकों में स्थित हैं—ऐसे समस्त विश्वविद्यालयों में उपलब्ध अवसंरचना को सशक्त करना और अनिवार्यतः आवश्यक अवसंरचना को उपलब्ध कराना ताकि इन दोनों श्रेणियों के विश्वविद्यालयों के मध्य जो सुस्पष्ट अन्तर है, उसका निराकरण किया जा सके और देश में पिछड़े हुए इलाकों में स्थित विश्वविद्यालयों की शैक्षिक छवि में भी सुधार किया जा सके।
6.	उपकरण अनुक्षण केन्द्र (आई.एम.एफ.)	वैज्ञानिक उपकरणों एवं इलैक्ट्रानिक लोहे के उपकरणों की मरम्मत एवं अनुक्षण के लिए प्रभावी एवं मितव्ययी सेवाएं उपलब्ध कराना तथा गुणवत्ता युक्त सेवाएं प्रदान करना।

7.	विश्वविद्यालयों में महिला होस्टल का निर्माण	महिलाओं के स्तर में वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करना तथा उपलब्ध संभाव्यता को हाथ में लेकर, विस्तृत तौर पर समाज के विकास का, लिंग भेद में समानता लाने और महिलाओं के समान रूप से प्रतिनिधित्व करने की दिशा में प्रयास करना।
8.	महिलाओं के लिए आधारगत सुविधाएँ	महिलाओं, छात्रों, अध्यापकों, शोधकर्ताओं एवं शिक्षणेतर स्टाफ, सदस्यों के लिए अवसंरचना का निर्माण करना तथा उसको सशक्त बनाना।
9.	संकाय विकास कार्यक्रम (शिक्षक अध्येतावृत्ति-एम.फिल./पी.एच.डी. करने के लिए)	विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को सुअवसर प्रदान करना ताकि वे एम. फिल./पी.एच.डी. प्रदान किए जाने हेतु शोध कार्य को पूरा कर सकें।
10.	समान सुअवसर प्रकोष्ठ	ऐसे कुछ समूह जो कि वंचित हैं, उनकी नियोज्यता में वृद्धि लाना, ताकि वे सफल हो सकें-जिसके लिए उनके प्रशिक्षण पर विशेष बल देना तथा उन वंचितों के लिए मुख्य धारा में सुअवसर पैदा करना।
11.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक जातियों के छात्रों के लिए उपचारात्मक अनुशिक्षण	विभिन्न विषयों में छात्रों की शैक्षिक दक्षता एवं भाषायी व्यवसायिकता में सुधार लाना, मूलभूत विषयों में उनकी बोध शक्ति के स्तर को उठाना और अधिक शैक्षणिक कार्य के लिए और भी सशक्त नींव/आधार उपलब्ध कराना और क्षमता का सृजन करने के लिए कैरियर मार्गदर्शन, मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराना।
12.	सेवाओं में प्रवेश पाने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों के लिए अनुशिक्षण कक्षा	केन्द्रीय सेवाओं/राज्य सेवाओं निजी क्षेत्रक सेवाओं में लाभकारी रोजगार के लिए छात्रों को तैयार करना।
13.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नेट परीक्षा हेतु अनुशिक्षण	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) के प्रत्याशियों को नेट अथवा स्लेट परीक्षाओं में बैठने के लिए छात्रों को तैयार करना ताकि प्राध्यापकों के रूप में चुने जाने के लिए, पर्याप्त संख्या में प्रत्याशी मिल सकें जिससे चुने गए प्राध्यापक विश्वविद्यालय में आ जाएं।
14.	विश्वविद्यालयों में कैरियर एवं परामर्श प्रकोष्ठों की स्थापना	ऐसे विषमजातीय छात्र जो कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं उनकी विविध सामाजिक-आर्थिक आकांक्षाओं एवं भौगोलिक पृष्ठभूमियों की ओर दृष्टि केन्द्रित करना। यह समस्त प्रक्रिया उन छात्रों की पहुँच एवं उनके स्थापन के सुअवसरों को दृष्टिगत करते हुए ध्यान में रखनी होगी और इस मामले में उपयुक्त संस्थागत समर्थनकारी सूचना को माध्यम रूप में होना अनिवार्य है।
15.	दृष्टिबाधित शिक्षक	ऐसे प्राध्यापक जो कि दृष्टिबाधित हैं उनको स्थायी नियुक्ति वाले अध्यापकों द्वारा उनके अध्यापन/शिक्षण एवं शोध कार्य को जारी रखने के लिए एक पाठक(रीडर) की सहायता उपलब्ध कराना तथा उन्हें शिक्षण एवं प्रशिक्षण के सहायक उपकरण उपलब्ध कराना।
16.	एम.फिल./पी.एच.डी. करने के लिए अध्येतावृत्ति	एम.फिल./पी.एच.डी. करने के लिए अध्येतावृत्ति उपलब्ध कराना।

2008-2009, 11वीं योजना के दूसरे वित्तीय वर्ष के दौरान विकास (योजनागत) अनुदान जो विभिन्न योजनाओं के लिए दिया गया उसकी राशि 585.27 करोड़ रुपये थी, जिसमें से सामान्य विकास के लिए रुपये 271.62 करोड़ का अनुदान तथा विलयित योजनाओं के लिए 81.51 लाख का अनुदान जारी किया गया था। (तालिका 3.4)

तालिक 3.4: राज्य विश्वविद्यालयों को योजनागत अनुदान 2008–2009
(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	विश्वविद्यालयों की संख्या	योजनागत अनुदान
1.	आन्ध्र प्रदेश	13	54.26
2.	असम	03	19.80
3.	बिहार	09	16.31
4.	छत्तीसगढ़	05	09.76
5.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	01	01.55
6.	गोवा	01	04.96
7.	गुजरात	07	29.38
8.	हरियाणा	06	17.68
9.	हिमाचल प्रदेश	03	04.91
10.	जम्मू कश्मीर	03	08.36
11.	झारखण्ड	03	06.36
12.	कर्नाटक	11	30.90
13.	केरल	07	26.87
14.	मध्य प्रदेश	11	25.13
15.	महाराष्ट्र	11	69.33
16.	उड़ीसा	08	17.81
17.	पंजाब	04	29.31
18.	राजस्थान	08	17.22
19.	तमिलनाडु	13	83.08
20.	उत्तर प्रदेश	12	24.49
21.	उत्तरांचल	03	08.42
22.	पश्चिम बंगाल	12	78.78
	कुल	154	585.27

- सामान्य विकास अनुदान योजना के अंतर्गत जारी किये गए अनुदान की राशि रुपये 271.62 करोड़।
- विलयित योजनाओं के अंतर्गत जारी किये गए अनुदान की राशि 81.51 लाख।

● **जयन्ती अनुदान (25 वर्ष, 50 वर्ष, 75 वर्ष, 100 वर्ष अथवा 150 पूरे कर लेने पर)**

राज्य विश्वविद्यालयों को जो अपने स्थापना के 25, 50, 75, 100 अथवा 150 वर्ष पूरे कर रहे हैं उनके लिए 11वीं योजना के दिशानिर्देशों के अंतर्गत जयन्ती अनुदान के रूप में विकास सहायता देने का प्रावधान है। यह अनुदान, उस सामान्य विकास आवंटन के अतिरिक्त होगा, जो कि सम्बद्ध राज्य विश्वविद्यालय को 11वीं योजना में दिया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत निम्न विश्वविद्यालयों को सहायता दी जा चुकी है :-

जयन्ती अनुदान : 2008-09

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय	जारी किया गया अनुदान
1	भरथियार विश्वविद्यालय (रजत जयन्ती)	1.00
2	अन्नामलाई विश्वविद्यालय (प्लाटिनम जयन्ती)	20.00
	कुल	21.00

● **विश्वविद्यालयों द्वारा संसाधनों को संचारित करने की क्रिया**

वर्ष 1995 के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा "विश्वविद्यालयों द्वारा संसाधन संचारण योजना" को प्रस्तावित किया गया था। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है कि वे विश्वविद्यालयों के विकास कार्यों में समाज द्वारा भागीदारी/योगदान द्वारा संसाधनों को संचारित करने के लिए विश्वविद्यालयों को प्रेरणा प्रदान करना और समाज से प्राप्त होने वाले संसाधनों के प्रवाह को परिवर्द्धित करना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भागीदारी प्रजनित संसाधनों का 25 प्रतिशत तक सीमित है—अथवा अधिकतम रुपये 50.00 लाख तक की होगी, जो भी दोनों में निम्नतर हो।

वर्ष 2008-09 के दौरान, इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बतौर प्रोत्साहन, चार विश्वविद्यालयों को सहायता के रूप में 114.74 लाख अनुदान उपलब्ध कराया है।

इसका विस्तार निम्न है :-

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	राशि जा जारी की गई
1	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय	40.26
2	हेमचन्द्र नार्थ गुजरात विश्वविद्यालय	17.04 +4.76
3	बंगाल इंजीनियरिंग एवं साइंस विश्वविद्यालय	4.35
4	कोलकाता विश्वविद्यालय	25.75
5	जादवपुर विश्वविद्यालय	22.58
	कुल	114.74

● **प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए राज्य विश्वविद्यालयों को सहायता (मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्णय के अनुसार)**

वर्ष 2008-09 के दौरान, राज्य विश्वविद्यालयों को उनके इंजीनियरिंग सुविधाओं को उन्नतशील हेतु विशेष अतिरिक्त आबंटन निम्न विश्वविद्यालयों को 20.00 करोड़ रु. की राशि जारी की गई :-

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	राशि
1.	कोच्ची विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोच्ची	10.00
2.	बंगाल इंजीनियरिंग एण्ड साइंस यूनिवर्सिटी, सिबसागर	10.00
3.	जादवपुर विश्वविद्यालय, जादवपुर	3.20
4.	आन्ध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम	10.00
	कुल	33.20

- मुम्बई, कोलकाता एवं मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना को 150 वर्ष पूरे कर लेने पर, जारी किए गए अनुदान की स्थिति

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	आबंटन	वर्ष 2008-09 के दौरान जारी अनुदान
1	मुम्बई विश्वविद्यालय	100.00	20.00
2	कोलकाता विश्वविद्यालय	100.00	20.00
3	मद्रास विश्वविद्यालय	100.00	20.00

- समसामयिकी अध्ययनों के लिए राजीव गांधी चैयर की स्थापना

उपरोक्त योजना के अंतर्गत, कोच्चि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को 11वीं योजना में आबंटित राशि के अतिरिक्त 20.00 लाख रुपये की राशि, वर्ष 2008-09 के दौरान राजीव गांधी चैयर स्थापित करने के लिए प्रदान की गई।

(ग) सम विश्वविद्यालय

विश्व विद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि यदि कोई भी उच्चतर शिक्षा से जुड़ी संस्था किसी विशेष क्षेत्र में अत्यंत उच्च स्तर का कार्य कर रही हो तो उसे सम विश्वविद्यालय संस्था घोषित किया जा सकता है। ऐसी संस्थाओं को विश्वविद्यालय जैसा अकादमिक दर्जा व विशेष अधिकार भी प्राप्त हो जाते हैं तथा ये आमतौर से बहुसंकाय युक्त विश्वविद्यालय बन जाने की अपेक्षा, अपनी विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में अपनी गतिविधियाँ मजबूत कर पाती हैं।

11वीं योजना के दूसरे वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों पर आयोग के अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने 25 संस्थानों को सम विश्वविद्यालय अधिसूचित किया है। 31 मार्च, 2009 तक सम विश्वविद्यालयों की कुल संख्या बढ़कर 128 तक हो गई है।

- विकास अनुदान (योजनागत)

सामान्य विकास योजना के अंतर्गत(योजना) अनुदान 25 समविश्वविद्यालयों को प्रदान किया जा रहा है। (परिशिष्ट-11)। सामान्य विकास सहायता का यह लक्ष्य है कि विश्वविद्यालयों में अवसंरचना एवं आधारगत सुविधाओं में सुधार लाया जाय ताकि गुणवत्ता के न्यूनतम स्तर के स्थान पर उच्चतम स्तर उपलब्ध करा सकें। इस सहायता राशि का उपयोग मौजूदा अवसंरचना के सुदृढ़ करने, अध्यापन, शोध एवं प्रशासन के आधुनिकीकरण करने तथा क्षेत्र आउटरीच गतिविधियों के लिए किया जा सकता है, ताकि समाज की अपेक्षाओं को उचित रूप से पूरा करने में विश्वविद्यालयों की बदलती हुई आवश्यकताएं पूरी हो सकें।

सामान्य विकास सहायता योजना के अंतर्गत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्रत्येक पात्र विश्वविद्यालय को

अवसंरचना निर्माण, परिसर विकास, स्टाफ, लाइब्रेरी, उपस्कर, नवोन्मेषी शोध गतिविधियाँ तथा आउटरीच कार्यक्रमों, आई.सी.टी. आवश्यकताओं, स्वास्थ्य केन्द्रों, छात्र सुविधाओं एवं जयन्ती अनुदानों आदि के लिए सहायता प्रदान करता है।

11वीं योजना के दौरान, वि.अ.आ. ने सामान्य विकास अनुदान योजनाओं के साथ कुल मिलाकर 16 योजनाओं का विलय कर दिया है। इन सभी योजनाओं के लिए जो आबंटन किया जा रहा है वह 11वीं योजना की विजिटिंग समितियों की सिफारिशों पर आधारित है। विलय की गई योजनाएं निम्न हैं :

- o यात्रा अनुदान
- o सम्मेलनों/संगोष्ठीयों/परिचर्चाओं/कार्यशालाओं
- o प्रकाशन अनुदान
- o विजिटिंग प्रोफेसरो/विजिटिंग फैलो की नियुक्ति
- o दिवस देखरेख केन्द्र
- o साहसपूर्ण खेलकूल जिनमें खेलकूदों की अवसंरचना व उपस्करों के विकास की योजनाएं भी शामिल हैं।
- o पिछड़े/ग्रामीण/दूरस्थ/सीमान्त प्रदेशों में स्थित विश्वविद्यालयों के लिए विशेष विकास अनुदान।
- o युवा विश्वविद्यालयों के लिए विशेष विकास अनुदान और पुराने विश्वविद्यालयों के लिए नवीकरण अनुदान।
- o उपकरण अनुरक्षण केन्द्र (आई.एम.एफ.)।
- o महिला छात्रावास का निर्माण।
- o महिलाओं के लिए आधारगत सुविधाएं।
- o संकाय विकास कार्यक्रम (शिक्षक अध्येतावृत्ति-एम.फिल./पी.एच.डी. करने के लिए)।
- o समान सुअवसर प्रकोष्ठ।
- o अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) तथा अल्पसंख्यकों के लिए अनुशिक्षण योजनाएं।
- o विश्वविद्यालयों में कैरियर एवं परामर्श प्रकोष्ठ।
- o जो व्यक्ति भिन्न रूप से असहाय (शारीरिक चुनौतीपूर्ण) हैं उनके लिए सुविधाएं।

वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान, 23 सम विश्वविद्यालयों के विकास व्यय को पूरा करने के लिए, आयोग द्वारा, रुपये 27.23 करोड़ राशि का विकास अनुदान के रूप में भुगतान किया गया। सम विश्वविद्यालयों को जो अनुदान दिया गया है उनका विस्तार **तालिका 3.4** में दिया गया है।

● **अनुरक्षण अनुदान (गैर-योजना)**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 10 सम विश्वविद्यालयों को योजनेतर अनुदान प्रदान कर रहा है (परिशिष्ट-11)। इन 10 विश्वविद्यालयों में से 8 सम विश्वविद्यालय, वेतनों तथा भत्तों, सेवानिवृत्ति हित लाभों और वेतनेतर मदों के लिए शत-प्रतिशत गैर-योजना अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। वेतनेतर मदों में, उपभोक्ता वस्तुएं, बिजली प्रभार, जल प्रभार, सम्पत्ति कर, गृहकर, आकस्मिकताएं, भवनों का रख-रखाव/मरम्मत और अन्य व्यय सम्मिलित हैं। शेष दो सम विश्वविद्यालयों-अर्थात् जामिया हमदर्द, नई दिल्ली तथा चन्द्रशेखर सरस्वती विश्व महाविद्यालय, काँचीपुरम, को निर्धारित अनुरक्षण संघटित अनुदान राशि उपलब्ध कराई जा रही है जो कि क्रमशः रुपये 400.00 लाख प्रतिवर्ष तथा रुपये 7.00 लाख प्रतिवर्ष है।

वर्ष 2008-09 के दौरान, 10 पात्र समविश्वविद्यालयों को रुपये 132.91 करोड़ की राशि का अनुरक्षण अनुदान प्रदान किया गया।

● **सम-विश्वविद्यालय को विशिष्ट उद्देश्य के लिए अनुदान**

गैर योजना अनुदान को विशिष्ट उद्देश्य के लिए भी अर्थात् अध्येतावृत्ति/शोधवृत्ति—जोकि 2 सम विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराया गया अर्थात् थापर इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, पटियाला तथा बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, मिसरा, राँची।

तालिका 3.5: योजना (विकास) सहायता जो वर्ष 2008-09 के दौरान सम विश्वविद्यालय संस्थानों को उपलब्ध कराई गई (रुपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	प्रदत्त योजना अनुदान
1.	अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस एण्ड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन, कोयम्बटूर	0.99
2.	बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली	0.50
3.	चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, चेन्नई	4.50
4.	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी एण्ड साइंस, पिलानी	0.50
5.	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, राँची	0.82
6.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ, वाराणसी	0.61
7.	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा	0.90
8.	डेक्कन कॉलेज पी.जी. एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे	3.00
9.	गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, गांधीग्राम	0.91
10.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	0.50
11.	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	0.50
12.	इन्डियन लॉ इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली	3.00
13.	इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, मुम्बई	1.00
14.	जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट, लाडनू, राजस्थान	0.62
15.	एन.आई. सोशल वर्क भुबनेश्वर, उड़ीसा	0.50
16.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	0.62
17.	श्री सी.एस. विश्व महाविद्यालय, काँचीपुरम	0.76
18.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	0.50
19.	श्री सत्य साईं इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, प्रशांतिनिलयम	0.73
20.	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुम्बई	1.00
21.	थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, पटियाला	1.34
22.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे	0.50
23.	रामाकृष्णा मिशन विवेकानंद एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हावड़ा, पश्चिम बंगाल	2.93
	कुल	27.23

उपरोक्त अनुदानों के अतिरिक्त, दो सम विश्वविद्यालयों को रुपये 60.00 लाख राशि अग्रिम अनुदान के रूप में जारी की गई, अर्थात् जैन विश्वभारती इंस्टीट्यूट (रुपये 10.00 लाख) और तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे (रुपये 50.00 लाख)। वर्ष 2008-09 के दौरान विलय की गई योजनाओं के अंतर्गत यह अनुदान दिया गया।

तालिका 3.6 : समविश्वविद्यालयों को प्रदत्त योजनेतर (अनुरक्षण) सहायता : 2008-2009

(रुपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	प्रदत्त योजनेतर अनुदान राशि
1.	अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस एण्ड हायर एजुकेशन फॉर वीमैन, कोयम्बटूर	20.25
2.	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा	11.35
3.	गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, गांधीग्राम	19.58
4.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	16.94
5.	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	15.97
6.	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	4.00
7.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	9.63
8.	श्री सी.एस. विश्व महाविद्यालय, काँचीपुरम	0.07
9.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	12.58
10.	इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेजस यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	22.54
	कुल	132.91

3.2 सम-विश्वविद्यालयों की प्रमुख विशेषताएं-2008-09

3.2.1 अविनाशलिंगम महिला विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर, तमिलनाडु

● बजट आबंटन एवं निष्पादन बजट-रिपोर्टाधीन वर्ष 2008-09 के लिए

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	व्यय शीर्ष	बजट आबंटन 2008-09	व्यय की गई राशि 2008-09
1.	वेतनों एवं भत्तों पर व्यय की गई राशि अ. शिक्षक स्टाफ		1137.44
	ब. गैर-शिक्षक स्टाफ		295.32
	कुल	1822.83	1432.76
2.	सेवा निवृत्ति लाभ एवं पेंशन	251.80	148.65
	कुल	251.80	148.65
3.	गैर वेतन घटक	300.00	300.00
	कुल	300.00	300.00

- 31.03.2009 तक, लाभार्थियों की संख्या सहित लक्षित समूह की कवरेज (शिक्षक, छात्र, महिलाएं, अ.जा./अ.ज.जा. आदि) :-

स्वीकृत नियुक्तियाँ - 207

वर्तमान नियुक्तियाँ - 198

प्रोफेसर - 22

रीडर-सी.ए.एस. - 47

लेक्चरर - 47

प्रोफेसर-सी.ए.एस - 28

लेक्चरर एस.जी. - 23

रीडर - 9

लेक्चरर-एस.एस. - 22

कुल - 198

अ.जा. - 18

अन्य जातियाँ - 43

अ.ज.जा. - 2

शा0 अपंग - 4

अन्य पिछड़ा वर्ग - 131

रिक्त स्थान - 9

कुल - 198

- पाठ्यक्रमों के अनुसार 2008-09 के दौरान अध्ययनरत छात्रों की संख्या :

स्नातक पूर्व पाठ्यक्रम: कुल - 4311

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम: कुल - 855

एम.फिल.: कुल - 137

पी.एच.डी.: कुल - 179

पी.जी. डिप्लोमा: कुल - 15

कुल जोड़ - 5497

- सम्मेलन आयोजित किया गया, विदेशी प्रतिनिधिमण्डल जो आए थे तथा अन्य कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम-यदि हुए :
- "इंटेलेजेंट मॉडल फॉर प्रोसेसिंग एण्ड मैनेजमेन्ट"—इस विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसे संयुक्त रूप से कम्प्यूटर साइंस विभाग, अविनाशलिंगम महिला विश्वविद्यालय तथा मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन विभाग, आर.वी. कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बंगलौर में 02.05.2008 तथा 03.05.2008 को आयोजित हुआ था।
- "रिसर्च मैथोडोलोजीज एण्ड टैक्नोलोजीज इन कंट्रोल कम्प्यूनिक्शन एण्ड सिगनल प्रोसेसिंग" इस शीर्षक पर एक राष्ट्रीय विचार गोष्ठी 02.06.2008 एवं 03.06.2008 को संचालित की गई जिसे कि आर.वी.कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बंगलौर के कम्प्यूटर साइंस विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूनिक्शन इंजीनियरिंग विभाग की सहभागिता में संचालित किया गया।
- "एडवान्सिस इन टैक्सटाइल्स मशीनरी नॉन-वोवन एण्ड टैक्निकल टैक्सटाइल्स"—इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को 14.07.2008 से 16.07.2008 तक संचालित किया गया। इस सम्मेलन को टैक्सास टैक यूनिवर्सिटी हैल्थ साइन्स सेन्टर, लबौक, यू.एस.ए. की सहभागिता में डिपार्टमेंट ऑफ टैक्सटाइल्स एण्ड क्लोदिंग ने आयोजित किया।
- "रिसर्च मैथोडोलोजीज एण्ड टैक्नीक्स"—इस विषय पर कम्प्यूटर साइन्स विभाग द्वारा 2 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला, 18.07.2008 से 19.07.2008 तक आयोजित की गई।
- "एम्पवरिंग पर्सन्स विद डीफ़नेस थ्रू एजुकेशन"—पर एक कार्यशाला डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन एवं डिस्ट्रिक्ट डिसएबल्ड रिहैबिलिटेशन ऑफिस द्वारा डीफ़ लीडर्स, रोटरी क्लब ऑफ कोयम्बटूर पश्चिम तथा रोटरी क्लब ऑफ कोयम्बटूर टैक्सीटी की सहभागिता में 23.07.2008 को आयोजित की गई थी।
- "माइक्रो स्किल इन काउंसिलिंग"—विषय पर एक कार्यशाला, मनोविज्ञान विभाग द्वारा 25.07.2008 को आयोजित की गई थी।

- "नेट फ्रेम वर्क एण्ड टूल्स"—विषय पर पाँच दिवसीय कार्यशाला कम्प्यूटर साइंस विभाग द्वारा 28.07.2008 को आयोजित की गई
- "फैब्रिक पेंटिंग" पर संसाधन प्रबन्धन विभाग द्वारा 20.08.2008 को कार्यशाला आयोजित की गई
- "लाइफ स्किल डेवलपमेंट" पर मनोविज्ञान विभाग द्वारा 27.08.2008 को कार्यशाला आयोजित की गई
- "इमेज प्रोसेसिंग एण्ड न्यूरल नेटवर्क्स" पर 24.09.2008 को इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूनिकेशन्स इंजीनियरिंग विभाग द्वारा विचार गोष्ठी आयोजित की गई
- "पर्सनेलिटी डेवलपमेंट एण्ड सक्सैस इन कैरियर" पर दिनांक 29.09.2008 को, इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूनिकेशन्स इंजीनियरिंग विभाग द्वारा विचार गोष्ठी आयोजित की गई
- बायोकैमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी एवं बायो इन्फोर्मेटिक्स तथा सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्स (इन्डिया), कोयम्बटूर चैप्टर द्वारा "बायोसाइन्सिस रिसर्च इन दी ईरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन" पर भारत-कोरियाई संयुक्त विचार गोष्ठी 14.10.2008 को आयोजित की गई
- प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी विभाग, इंजीनियरिंग संकाय द्वारा 15.10.2008 को "प्रिंटिंग प्रोडक्शन एण्ड प्रिंटिंग प्रोसैस" पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई
- गाँधी अध्ययन केन्द्र तथा बायोकैमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एवं बायो इन्फोर्मेटिक्स विभाग द्वारा गाँधी मेमोरियल म्यूजियम, मदुराई की सहभागिता में एक विचार गोष्ठी "गाँधीवादी आदर्श, तीसरी सहस्राब्दि में इसकी सापेक्षता" पर विचार गोष्ठी 1.11.2008 को आयोजित की गई
- जिला परिवार कल्याण बोर्ड की सहभागिता में "विश्व जनसंख्या दिवस" पर 5.11.2008 को सम्मेलन आयोजित किया गया
- प्राणी विज्ञान विभाग द्वारा राज्य स्तरीय विचार गोष्ठी "क्लाइमेट चेन्ज एण्ड बायोडाइवर्सिटी"—पर तमिलनाडु राज्य की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद चेन्नई एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/सम्प्रेषण की राष्ट्रीय परिषद, नई दिल्ली—द्वारा समर्थित, 8.12.2008 को आयोजित की गई
- "मल्टीमीडिया-एन इफैक्टिव टीचिंग ऐड" पर कार्यशाला दिनांक 13.11.2008 को अनुसंधान एवं विकास विभाग, इंजीनियरिंग संकाय द्वारा आयोजित की गई
- अंतर्राष्ट्रीय अशक्त दिवस तथा "आर.वाई.एन.ए. लीडरशिप फॉर डिसएबल्ड चैलेन्जर्स, 2008 पर एक दिवसीय कार्यशाला, विशेष शिक्षा विभाग द्वारा रोटरी क्लब ऑफ कोयम्बटूर, टैक्सिटी की सहभागिता में 6.12.2008 को आयोजित की गई
- वस्त्र एवं वस्त्र धारण विभाग द्वारा "ब्लॉक एण्ड स्टेन्सिल प्रिंटिंग" पर 19.03.2009 को कार्यशाला आयोजित की गई
- "पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन" पर एक तीन दिवसीय कार्यशाला 23.03.2009 से 25.03.2009 तक वस्त्र एवं वस्त्रधारण विभाग द्वारा आयोजित की गई
- "ऑटोनोमी औषधि विज्ञान एवं शल्य विज्ञान के आधार पर 30.03.2009 को कम्प्यूनिटी एजुकेशन एण्ड इन्टरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट संकाय द्वारा कार्यशाला आयोजित की गई।

● समारोह

विश्वविद्यालय द्वारा रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, निम्न समारोह मनाये गए:

- धन्यवाद ज्ञापन दिवस—05.04.2008
- डाक्टर राजम्मल पी. देवदास का 89वां जन्मदिन तथा विश्व स्वास्थ्य दिवस—07.04.2008
- डाक्टर टी.एस. अविनाशलिंगम की 106वीं जन्म तिथि—05.05.2008
- परिवार एवं सामुदायिक विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित स्तन पान सप्ताह—04.08.2008
- स्वतंत्रता दिवस—15.08.2008
- भारथियार विजह—08.09.2008
- विश्व साक्षरता दिवस—09.09.2008

- विश्व पर्यटन दिवस—30.09.2008
- विश्व खाद्य दिवस—16.10.2008
- राष्ट्रीय सेवा योजना(एन.एस.एस.) दिवस—20.10.2008
- कलैविजाह—22.10.2008
- विश्व विज्ञान दिवस—12.11.2008
- शिशु दिवस—14.11.2008
- क्रिसमस—19.11.2008
- अन्नाई विजाह—5.01.2009
- गणतन्त्र दिवस—26.01.2009
- सर्वोदय दिवस—30.01.2009
- वार्षिक क्रीड़ा दिवस—10.02.2009
- विज्ञान दिवस—26.02.2009
- प्रकाश उत्सव—06.03.2009
- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस—13.03.2009
- डॉ० राजम्मल पी. देवादास आवी 7वां स्मृति दिवस—17.03.2009
- अन्य देशों/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ—समझौते :

शून्य

- परिचालित किए गए हैं—प्रकाशनों की सूची।

इस शैक्षिक वर्ष के दौरान, स्टाफ सदस्यों द्वारा प्रकाशित पत्रों की संख्या इस प्रकार है—

पत्रिकाएँ

(अ) राष्ट्रीय स्तर पर	-	95
(ब) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर	-	12

कार्यवाही का ब्यौरा

(अ) राष्ट्रीय स्तर पर	-	52
(ब) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर	-	15
पुस्तकें	-	4
पुस्तकों के अध्याय	-	2

- कोई भी ऐसा ब्यौरा, जिसके लिए विश्वविद्यालय इच्छुक है कि उसे अन्य भी जान लें।

स्टाफ की उपलब्धियाँ

- विश्वविद्यालय की उप-कुलपति महोदया को 19 दिसम्बर, 2008 के दिन, उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अतिउत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए "राष्ट्रीय विद्या सरस्वती पुरस्कार" द्वारा पुरस्कृत किया गया और इसे शिक्षा एवं व्यवस्थापन के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, नई दिल्ली द्वारा उन्हें प्रदान किया गया। उन्हें "महिला उपलब्धि प्राप्तकर्ता के रूप में, कोयम्बटूर को गर्वोन्नत बनाने के लिए, महिला केन्द्र, कोयम्बटूर द्वारा 9, जनवरी, 2009 को कोयम्बटूर विज्ञा के एक भाग के रूप में सम्मानित किया गया।"

- एम.एस.एम.डी. विभाग के प्रोफेसर को एच.ई.एफ.एस. (मानव परिस्थितिक एवं परिवार विज्ञान) की 11वीं कक्षा के लिये पाठ्यपुस्तक विकास प्रक्रिया में निदेशक एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा एक विशेषज्ञ के रूप में मनोनीत किया गया है।
- प्रोफेसर, खाद्य विज्ञान एवं पोषण विभाग, को प्रथम पुरस्कार "ज्वार बाजरा एवं जड़ी बूटी द्वारा मधुमेह रोग को नियन्त्रण करने में भूमिका", पर कारुण्या विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर, द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, बायोटेक्नोलॉजी, इन्नोवेशन/चैलेन्जीज इन एग्री0 फूड, बायोयूल एण्ड हैल्थ केयर" पर 11 एवं 12 दिसम्बर, 2008 को आयोजित अवसर पर प्रदान किया गया।
- रीडर, संगीत विभाग, को "थमीज़िसाई मामानी" 1000 रुपये का नकद पुरस्कार, सोमासुन्दरार आगमा तमिला पानपात्तु रिसर्च मंडपम द्वारा 4 जनवरी, 2009 को दिया गया।
- लेक्चरर, पर्यटन विभाग को दक्षिण क्षेत्र के सचिव के रूप में भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर द्वारा चयनित किया गया।
- रीडर, खाद्य सेवा प्रबंधन एवं आहार नियंत्रण विभाग, को उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए पत्र के आधार पर, पेरियार विश्वविद्यालय, सलेम में 27 फरवरी, 2009 को प्रथम पुरस्कार मिला। उनके द्वारा प्रस्तुत पत्र का शीर्षक था "पोषण संबंधित चुनौतियाँ-विगत, वर्तमान एवं भविष्य में"।
- **स्वीकृत योजनाएँ**
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(यू.जी.सी.)-दो योजनाएँ
- सार्वजनिक सहकारिता एवं शिशु विकास का राष्ट्रीय संस्थान(एन.आइ.पी.सी.सी.डी.)
- समाज विज्ञान अनुसंधान की भारतीय परिषद (आई.सी.एस.एस.आर.)-एक योजना
- तमिलनाडु राज्य परिषद-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी(टी.एन.एस.सी.एस.टी.)-3 योजनाएँ
- आर्मामेंट रिसर्च बोर्ड (ए.आर.एम.आर.ई.वी.), डी.आर.डी.ओ., रक्षा मंत्रालय-1 योजना
- नेवल रिसर्च बोर्ड (एन.आर.बी.)- 1 योजना
- **शिक्षकों द्वारा विदेशों में किए गए दौरे**
- अविनाशलिंगम महिला विश्वविद्यालय तथा वित्तीय प्रबंधन संस्थान दारे-अस-सलाम, तंजानिया के मध्य सहभागी कार्यक्रम का द्वितीय दीक्षान्त समारोह, वित्तीय संस्थान तंजानिया में 22 सितम्बर, 2008 को हुआ था। इस दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति, कुलपति, कुलसचिव, वाणिज्य प्रबंधन संकाय के डीन, ने भाग लिया। सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन में 26 छात्रों ने स्नातकोत्तर डिग्रियाँ प्राप्त की।
- वर्ष 2008 की कम्प्यूटर साइंस, कम्प्यूटर इंजीनियरिंग एवं अनुप्रयुक्त कंप्यूटिंग की विश्व कांग्रेस की बैठक, 14-17 जुलाई, 2008 तक लॉस वेगास, संयुक्त गणराज्य अमेरिका में हुई थी। कम्प्यूटर प्रबंधकर्ता जो कंप्यूटर केंद्र में हैं, उन्होंने इस मद का एक पत्र प्रस्तुत किया जिसका शीर्षक इस प्रकार था-"Off line signature verification and interpretation system using Fuzzy logic".
- सामुदायिक शिक्षा एवं ठेकेदारी का विकास, इसके संकाय में डीन के द्वारा एक पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसका विषय था, "दुग्ध आधारित स्वास्थ्यप्रद पेय जो कि सूक्ष्म पोषक तत्वों द्वारा संवृद्धि से पूर्ण है, ऐसे पोषक तत्व, जो अनुपूरक रूप में स्कूली बच्चों के विकास एवं संज्ञानात्मक वृद्धि के लिए प्रभावी हैं"-यह पत्र, "मातृत्व एवं शिशु पोषण पर जो अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, वुहान, चीन में 16 से 20 नवम्बर, 2008 तक हुई थी, उसमें प्रस्तुत किया गया था।

3.2.2 दयालबाग शैक्षिक संस्थान, आगरा (यू.पी.)

- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, बजट आबंटन एवं निष्पादन बजट
- वर्ष 2008-09 के अंतर्गत, जो अनुरक्षण अनुदान का बजट आवंटन 1134.54 लाख था और यू.जी.सी. का योजनागत अनुदान (जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग की अनुदान राशि 1400.00 लाख शामिल है।) 1633.87 लाख रु. था। इस संस्थान को यू.पी. सरकार से रुपये 611.02 लाख का बजट आबंटन भी प्राप्त हुआ था।
- लक्षित समूह का कवरेज-जिसमें लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या हो (शिक्षक, छात्र, महिलाएं, अ.जा./अ.ज.जा. आदि)।

(i) नियुक्त किए गए अध्यापकों का ब्यौरा

लक्षित समुह	नियुक्त शिक्षकों की कुल संख्या			कॉलम 4 में से लिया गया है।					
				कुल अ.जा. की संख्या			कुल अ.ज.जा. की संख्या		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
नियुक्त अध्यापक	04	03	07	03	01	04*	-	-	-

* जिनमें 3 अस्थायी स्टाफ सदस्य हैं (2 पुरुष – 1 महिला)।

(ii) प्रविष्ट छात्रों का ब्यौरा :

लक्षित समुह	नियुक्त शिक्षकों की कुल संख्या			कॉलम 4 में से लिया गया है।					
				कुल अ.जा. की संख्या			कुल अ.ज.जा. की संख्या		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
प्रविष्ट छात्र	804	2166	2970	151	389	540	34	37	71

- आयोजित किए गए सम्मेलन, विदेशी प्रतिनिधियों के मण्डल जिन्होंने दौरा किया तथा यदि अन्य कोई भी महत्वपूर्ण आयोजन किया गया हो।

(i) आयोजित किए गए सम्मेलन/संगोष्ठी/कार्यशाला

- प्रबन्धन पाठ्यक्रम पर राष्ट्रीय कार्यशाला (एन.डबल्यू.एम.सी.-2008)

यह समस्त निष्पादन दो चरणों में हुआ था : अन्तः कार्यशाला—जिसमें विषयगत विशेषज्ञ सम्मिलित थे (लगभग 27 की संख्या में) जो कि विभिन्न संकायों, विभागों से थे, जो "सी.ई.आइ." में स्थित थे। अन्तः कार्यशाला—जो कि शनिवार, 29 मार्च, 2008 को आयोजित हुई। बाह्य कार्यशाला शनिवार, 1 नवम्बर, 2008 को आयोजित हुई।

- राष्ट्रीय कार्यशाला : शिक्षा में अभ्यास हेतु अध्यापन एवं शोध (टी.आई.पी.आर.आई.): 20-21 सितम्बर, 2008

शिक्षा में अध्यापन अभ्यास एवं अनुसंधान क्षेत्र में उत्कृष्टता अर्जित करने के प्रयास के प्रति दो दिवसीय कार्यशाला 20-21 सितम्बर, 2008 को आयोजित की गई। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य, वर्तमान अध्यापन अभ्यास कार्यक्रम को तथा शिक्षा में गुणवत्ता लाने के विषयों का विश्लेषण करना तथा शिक्षा अनुसंधान कार्य में गुणवत्ता लाने का लक्ष्य है।

- राष्ट्रीय विचार गोष्ठी : "संतमत एवं विश्व का भविष्य" : 1-2 नवम्बर, 2008

"संतमत एवं विश्व का भविष्य" पर दो दिवसीय राष्ट्रीय विचार गोष्ठी, 1-2 नवम्बर, 2008 को आयोजित की गई थी। प्रोफेसर आर.पी. ढोकलिया, भूतपूर्व अध्यक्ष कानून संकाय बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, भारतीय शैक्षिक अंतर्राष्ट्रीय कानून, नई दिल्ली, द्वारा इस विचार गोष्ठी का उद्घाटन किया गया। अपने सम्भाषण में, उन्होंने यह परिभाषा व्यक्त की कि सन्त वह हैं जो कि शान्ति एवं चिर आनंद को प्राप्त कर लेते हैं और जो समाज एवं राष्ट्र में न्यायपरायणता, एकात्मता की स्थापना पर बल देते हैं।

● **भारत अमेरिका एडवांस्ड स्कूल ऑफ क्वान्टम एण्ड नैनो कम्प्यूटिंग सिस्टम्स एण्ड एप्लीकेशन्स-क्वानसास, 2008, दिसम्बर 11-14, 2008**

भारत अमेरिका एडवांस्ड स्कूल ऑफ क्वान्टम एण्ड नैनो कम्प्यूटिंग सिस्टम्स एण्ड एप्लीकेशन्स-क्वानसास, 2008, को दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट (समविश्वविद्यालय), दयालबाग, आगरा में आई.आई.टी. कानपुर, आई.आई.टी. दिल्ली और अन्य कई अमेरिकी, कैनैडियन, जर्मन एवं ब्रिटिश विश्वविद्यालयों की सहभागिता में आयोजित किया गया। संस्थान में चार दिनों तक क्वान्टम एण्ड नैनो कम्प्यूटिंग को लेकर बहुत अधिक गहमा गहमी बनी रही और इसके साथ ही विविधता से पूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें "विजन टॉक्स", ट्यूटोरियल एण्ड इनवाइटिड टॉक्स, जो कि फोटोनिक एण्ड एन.एम.आर. क्वांटम कम्प्यूटिंग से लेकर नैनो इलेक्ट्रानिक्स, स्ट्रिंग थ्योरी, नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम वॉक-क्लोडिंग इंटरंग्लमेंट एण्ड डीकोहरेंस मुख्य थे।

दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट के लिए यह एक अत्यंत गर्वपूर्ण अवसर था जब उन्होंने स्पैनिंग क्वांटम एवं नैनो कम्प्यूटिंग एवं क्लासिकल कम्प्यूटिंग-जो समस्त विषय वस्तु इस संस्थान की 2011 तक की आगामी योजनाओं का एक कल्पनातीत दृष्टिकोण था-उसके लिए उन्होंने विशेषज्ञों की एक प्रभावशाली मंडली की मेजबानी की। इस घटनाक्रम के दौरान जो संबंध स्थापित हो गए, उनके द्वारा एक संयुक्त केन्द्र की स्थापना करने के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस क्षेत्र में बहुत नवीन अनुभव प्रत्यक्ष उपस्थित होंगे।

● **अतिथि/विशेष लैक्चर्स जो आयोजित हुए**

- "राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा के प्राविधिक प्रयोग" पर एक गेस्ट लेक्चर का आयोजन 3 अक्टूबर, 2008 को किया गया जिसमें डॉ. आर.एस. तिवारी शिखरेश, जो कि भारतीय जीवन बीमा निगम में राजभाषा अधिकारी हैं, मुख्य वक्ता थे।
- प्रोफेसर पी.के. पाण्डे अध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ने "इन्डिया राइटिंग्स इन इंग्लिश" पर एक आमंत्रित चर्चा में भागीदारी की। प्रो० पाण्डे ने बहुत उपयोगी सचित्र रूप से, अंग्रेजी भाषा में भारतीयों द्वारा लिखे गए लेखों पर महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को अपने भाषण में सम्मिलित किया। यह चर्चा जुलाई, 2008 में हुई थी।
- प्रो० आर.एन. मेहरोत्रा, उपाध्यक्ष, ए.सी.ई., दयालबाग ने "रिव्यू ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स" पर एक भाषण दिया। उन्होंने संकाय सदस्यों, अनुसंधानकर्ताओं, एम.फिल. एवं एम.एड. के छात्रों को भी 03.12.2008 को सम्बोधित किया।
- प्रो० शैरायल एच.एहरमन, एसोसिएट प्रोफेसर कैमिकल एवं बायोमॉलीक्युलर इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलिन पार्क, यू.एस.ए., ने कैमिस्ट्री विभाग में 25.08.2008 को "एरोसोल सिन्थैसिस ऑफ मेटल ऑक्साइड कौटेलाइस्ट्स" पर एक भाषण दिया।
- प्रो० नेओकीकामो, अग्रवर्ती जीव विज्ञान संकाय, होकायडो विश्वविद्यालय सैपोरो, जापान में भौतिकी एवं कंप्यूटर विज्ञान विभाग का दौरा किया और 28.11.2008 को "बैक्टीरियल राहोडोपसिन्स : लाइट इनड्यूस्ड आयोन पम्पस एण्ड फोटोरेसेप्टर" पर एक वार्ता की। हम टाइम डिपैन्डेन्ट प्रोटोन ट्रांसफर का मापन कैसे कर सकते हैं?
- एस्सोर वैन्डी क्यूरी, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक कॉवेंट्री, यू.के. में सूचना प्रणाली एवं प्रबन्धन समूह के अध्यक्ष हैं तथा डॉ० एम. रंगराजन जो कि सिटी यूनिवर्सिटी लंदन में वरिष्ठ प्रवक्ता एवं इंटरनेट सिस्टम में निदेशक हैं-इन्होंने भौतिकी एवं कंप्यूटर विज्ञान विभाग की प्रयोगशाला का दौरा किया और 20.11.2008 को स्टाफ एवं छात्रों के साथ विस्तृत चर्चा की।

● **अन्य देशों के साथ/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समझौते**

इस संस्थान में यूनिवर्सिटी ऑफ वाटर लू के साथ कनाडा में 17 जुलाई, 2008 के दिन एक स्मारिका समझौते पर हस्ताक्षर किए। भौतिकी एवं कंप्यूटर विज्ञान विभाग द्वारा वाटर लू विश्वविद्यालय के कंप्यूटर विज्ञान विभाग के साथ एक साझा परियोजना में सहमति बनाई गई है ताकि दूरस्थ इलाकों में इंटरनेट संबंध का विकास किया जा सके।

● **प्रकाशनों की सूची :**

विख्यात राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 113 शोध पत्र प्रकाशित हुए एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 19 शोध पत्र प्रकाशित हुए।

3.2.3 राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति, आन्ध्र प्रदेश

● प्रस्तावना

यू.जी.सी. अधिनियम, 1956 के धारा 3 के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, समविश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ है। यह विश्वविद्यालय शास्त्रीय विषयों—यथा साहित्य, न्याय, व्याकरण, ज्योतिष, अद्वैत, वेदांत, विशिष्ट अद्वैत वेदांत, द्वैव वेदांत एवं आगम इन विषयों में शिक्षा प्रदान करता है। इन सारे विषयों एवं इनसे संबद्ध विषयों में डिग्रीपूर्व स्तर से लेकर, स्नातक स्तर, स्नातकोत्तर स्तर से पी.एच.डी. स्तर तक के पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत करता है। पाठ्यक्रमों का रूपांकन इस प्रकार से किया गया है ताकि छात्रों को इन समस्त विषयों में समृद्ध बनाया जा सके—कंप्यूटर अनुप्रयोग, गणित, वेब प्रौद्योगिकी, इतिहास, अंग्रेजी साहित्य, तेलुगू साहित्य या हिन्दी साहित्य, भाषा प्रौद्योगिकी, शोध प्रणाली विज्ञान, पाण्डुलिपि प्रणाली विज्ञान तथा कुछ प्रकायात्मक विषय जैसे: अर्चकत्व, पुरोहित्व, योग, आगम आदि। यह विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा बी.एड., एम.एड., एम.फिल. एवं पी.एच.डी. कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता है तथा वह शिक्षा विभाग, बहुआयामी मीडिया भाषा प्रयोगशाला एवं मनोविज्ञान प्रयोगशाला द्वारा पूर्णतः सुसज्जित है। पाठ्य विवरण एवं पाठ्यक्रम संरचना को प्रति तीन वर्षों पर पुनरीक्षित किया जाता है। स्नातकोत्तर स्तर पर सत्र प्रणाली को लागू किया गया है। विद्यापीठ में प्रवेश लेने वाले लगभग समस्त छात्रों को परिसर के भीतर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। संकाय सदस्यों की निगरानी में, परिसर में लगभग 950 छात्रों को समेकित भोजन आदि व्यवस्था के साथ आवासीय सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा केन्द्र द्वारा, प्राक् शास्त्री, आचार्य एवं कई विषयों में डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य यह है कि सामान्य व्यक्ति तक संस्कृत भाषा एवं साहित्य का ज्ञान पहुंच सके। इस विद्यापीठ द्वारा प्राप्त उपलब्धियों तथा संभाव्यता के आधार पर, यू.जी.सी. द्वारा इस विश्वविद्यालय को, पारंपरिक शास्त्रों के विषय में उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में अभिलक्षित किया गया है। उत्कृष्टता केंद्र योजना को 10वीं योजना में अनुमोदित किया गया—जोकि 11वीं योजना अवधि के दौरान भी जारी है। राष्ट्रीय निर्धारण एवं प्रत्यायन परिषद (एन.ए.ए.सी.) ने इस विश्वविद्यालय को ए+ स्तर के लिए प्रत्यायित किया है।

● रिपोर्टाधीन वर्ष के लिए बजट आबंटन एवं निष्पादन बजट (1.04.2008 से 31.03.2009 तक)

बजट शीर्ष	आबंटन (रुपये लाखों में)	प्राप्त अनुदान (रुपये लाखों में)	व्यय (रुपये लाखों में)
गैर-योजनागत	963.15	963.15	963.15
योजनागत (2007 से 2012)	शून्य	61.55	32.89

● लक्षित समुह का कवरेज—जिसमें लाभान्वितों को सम्मिलित किया गया है।

प्रकार अध्यापक	पुरुष	महिला	अजा	अजजा	पिछड़ा वर्ग
प्रोफेसर	18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रीडर	13	5	शून्य	शून्य	01
लेक्चरर	18	2	2	शून्य	शून्य
छात्र	779	349	लड़के:38 लड़की:23	लड़के:16 लड़की:02	लड़के:170 लड़की: 93

- आयोजित सम्मेलन, विदेशी प्रतिनिधि मण्डल आगमन तथा अन्य महत्वपूर्ण आयोजन, यदि कोई है:
- योग पूर्वाभिमुखीकरण कक्षाएं यू.जी.सी. कार्यालय नई दिल्ली में 21 से 25 अप्रैल, 2008 के दौरान स्टाफ सदस्यों के कल्याण के लिए विश्वविद्यालय के योग केन्द्र द्वारा यह आयोजित की गई।

- **विद्यापीठ में आंध्र बैंक की शाखा का उद्घाटन :** आन्ध्र बैंक की एक नई शाखा, विश्वविद्यालय में 13.05.2008 को आरम्भ की गई जिसके द्वारा स्टाफ एवं छात्रों की बैंक की आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाएगी।
- **स्व-प्रशिक्षण सामग्री पर राष्ट्रीय कार्यशाला :** स्व-प्रशिक्षण सामग्री के निर्माण पर 5 से 9 जून, 2008 के दौरान एक राष्ट्रीय कार्यशाला संचालित की गई।
- **नए कुलपति की नियुक्ति :** प्राक्कना वाचस्पति डॉ० जानकी वल्लभ पटनायक, विश्वविद्यालय के नये कुलपति नियुक्त हुए जो कि 16 जून, 2008 से प्रभावी हुआ।
- **संस्कृत दिवस समारोह :** 15-17 अगस्त, 2008 के दौरान विश्वविद्यालय में संस्कृत दिवस मनाया गया।
- **वाक्वर्धिनी परिषद् :** वाक्वर्धिनी परिषद्-एक ऐसा मंच है जो कि पृथक् रूप से छात्रों में पाठ्यक्रम की निपुणताओं के विकास के लिए स्थापित हुआ-उसका संचालन संकाय सदस्यों के मार्गदर्शन में छात्रों द्वारा स्वयं ही किया गया और इस मंच का उद्घाटन उपकुलपति द्वारा हुआ। डॉ० रजनीकान्त शुक्ल एवं डॉ० विश्वनाथ शर्मा इस परिषद् के मार्गदर्शक थे। श्री पराग जोशी, एसीएच द्वितीय वर्ष एवं कुमारी रजासियों चक्रवर्ती, आचार्य द्वितीय वर्ष-वे दोनों इस परिषद् के सचिव थे।
- **माननीय कुलपति द्वारा योग चिकित्सा केन्द्र का उद्घाटन :** योग चिकित्सा के नये स्थापित केन्द्र का उद्घाटन माननीय कुलपति डॉ० जानकी वल्लभ पटनायक द्वारा 29 जुलाई, 2008 को सम्पन्न हुआ।
- **ज्योतिष पर व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम :** विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग द्वारा एक 21 दिवसीय व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम 4 से 24 सितम्बर, 2008 के बीच में संयोजित किया गया।
- **11वीं योजना अवधि के लिए यू.जी.सी. समिति द्वारा दौरा :** प्रोफेसर पी.टी. चंडी, उपकुलपति के.के. कालिदास विश्वविद्यालय, रामटेक, की अध्यक्षता वाली छः सदस्यों की यू.जी.सी. समिति ने विश्वविद्यालय का दौरा 13 से 15 अक्टूबर, 2008 के दौरान किया ताकि विश्वविद्यालय की कार्यक्षमता का मूल्यांकन हो सके और 11वीं योजना के दौरान विश्वविद्यालय के सर्वांगीय विकास के लिए अनुशंसाएं की जा सकें।
- **माननीया मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री द्वारा दौरा :** श्रीमति डी. पुरन्देश्वरी, आदरणीया राज्य मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालय में आकर नए महिला होस्टल का शिलान्यास 14 अक्टूबर, 2008 को किया।
- **अखिल भारतीय संस्कृत छात्र प्रतिभा समारोह :** तीसरा अखिल भारतीय संस्कृत छात्र प्रतिभा समारोह, विश्वविद्यालय में 22 से 25 फरवरी, 2009 को हुआ। परम पूज्य संत श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी जी, उदुपि, द्वारा इस समारोह का उद्घाटन किया गया। इस समारोह में 21 शैक्षिक संस्थानों/ विश्वविद्यालयों के लगभग 250 छात्रों ने भाग लिया।
- **12वां उपाधि अलंकरण समारोह :** विश्वविद्यालय का 12वां उपाधि अलंकरण समारोह 28 जनवरी, 2009 को हुआ। विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति प्रो० रमारंजन मुखर्जी ने दीक्षान्त समारोह को सम्बोधित किया। माननीय डॉ० जानकी वल्लभ पटनायक ने दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता की।
- **प्रकाशनों की सूची :** रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय ने 9 पुस्तकें प्रकाशित एवं जारी कीं। यह पुस्तकें हैं :-
 1. वैखानासा अगम कोष ग्रन्थ-III
 2. इंगलिश ग्रामर इन पाणिनियन पर्सपेक्टिव
 3. महाशिवनी ग्रन्थ V
 4. पर्ल प्राइमर
 5. श्री चम्पू भगवतम

6. पंचप्रश्न तंत्र
7. न्याय मीमांसा-मातनुसरेणा विधिनिषेधार्था समीक्षा
8. पाणिनीय अतिदेशअनुशीलनम
9. भरतायनम

● ऐसे अन्य ब्यौरे जिनको विश्वविद्यालय चाहता है कि अन्य व्यक्ति जानें :

विश्वविद्यालय बहुत सक्रिया रूप से कुछ अन्तर विषयक एवं बहु-विषयक विषयों में अध्ययन एवं अनुसंधान में लगा हुआ है—जैसे कि संस्कृत-कंप्यूटर्स, संस्कृत-विधि एवं प्रबंधन, प्राकृतिक भाषायी संसाधन। इनके अतिरिक्त निम्नलिखित योजनाओं को प्रारम्भ किया गया एवं उन्हें पूरा किया गया। वे योजनाएं हैं :- “संस्क-नेट”—इसका लक्ष्य है भारत में विद्यापीठ एवं विश्वविद्यालयों के बीच तथा शोध संस्थानों एवं कॉलेजों के बीच में, ऑनलाइन इलैक्ट्रॉनिक नेटवर्क को स्थापित करना। अभी तक दक्षिण भारत के 7 संस्थान जानकारी एवं ऑकड़ों में परस्पर भागीदारी करने के लिए संस्क-नेट में शामिल हैं। संस्कृत-विज्ञान प्रदर्शनी : यह एक अनोखी योजना है जिसके द्वारा यह लक्ष्य रखा गया है कि संस्कृत साहित्य एवं वेदों में जो छिपी हुई वैज्ञानिक संकल्पनाएं हैं उन्हें प्रत्यक्ष किया जाए तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो उनकी सापेक्षता है उसको स्थापित किया जाए। विभिन्न विषयों पर लगभग 150 प्रदर्शनीय पदार्थ हैं जिन्हें तैयार किया गया है और जिन्हें देश पर्यन्त सब ओर विशिष्ट अवसरों पर ही किया गया है प्रदर्शित किया गया है। हमारे राष्ट्रीय नेता एवं विद्वत बन्धुवर्ग जो न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी, उन्होंने सबने इस संकल्पना की प्रशंसा की है। इंटरनेट पर वाल्मिकी रामायण : वाल्मिकी रामायण एवं इसकी सुप्रसिद्ध भाष्यों को विश्व के समस्त व्यक्तियों के हित में इंटरनेट पर शामिल किया गया है और इसे भारतीय भाषाओं एवं कुछ विदेशी भाषाओं में भी शामिल किया गया है। इनके अतिरिक्त एल्फाबेट गैलरी, शास्त्रवारिधि कार्यक्रम, शास्त्रीय विषयों पर अभिलेख रखना ताकि इसे दूरदर्शन पर प्रसारित किया जा सके—जोकि “एजुसेट” के माध्यम से होगा, मौखिक शास्त्रीय परम्पराओं द्वारा शास्त्रीय पाठों के अभिलेख दर्ज करना, बहु-विषयक शोध जिनमें शब्दबोध, भाषायी तकनीकी एवं आगमों पर विश्वकोषों को तैयार किया जाना—यह समस्त बातें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं जोकि विद्यापीठ द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

3.2.4 श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ (समविश्वविद्यालय), नई दिल्ली, द्वारा शास्त्री से विद्या वारिधि (पी. एच.डी.) तक के पाठ्यक्रम वर्ष 1987 से उपलब्ध कराये जा रहे हैं। यह विद्यापीठ ज्योतिष प्राज्ञ एवं ज्योतिष भूषण में डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है और वास्तुशास्त्र एवं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में सामान्य व्यक्तियों के लिए स्नातकोत्तर डिप्लोमा उपलब्ध कराता है। इस विद्यापीठ में चार संकाय हैं—साहित्य, संस्कृत, दर्शन, वेद-वेदांग एवं आधुनिक ज्ञान-विज्ञान तथा अन्य 18 विभाग हैं अर्थात् वेद धर्मशास्त्र, व्याकरण, पौरोहित्य, साहित्य, पुराण-इतिहास, न्याय वैशेषिक, सांख्य योग, अद्वैत वेदांग, जैन दर्शन, सर्वदर्शन, मिमांसा, विशिष्टाद्वैत, वेदान्त, शिक्षा शास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान। जो अनुसंधान एवं प्रकाशन शाखा है, वह एक स्वतंत्र विभाग के रूप में उप-कुलपति के नियंत्रण में है। यह समस्त विभाग उन संस्कृत आधारित विषयों से संबद्ध है जो कि भारतीय संस्कृति के समृद्ध स्त्रोत हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान, 833 छात्रों को विभिन्न चालू पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया गया तथा 396 ऐसे छात्र, जिन्हें इससे पिछले वर्ष में प्रवेश दिया गया था, उन्होंने अपने पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया। वर्ष 2008-09 के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने योजनेतर अनुसंधान अनुदान के अंतर्गत विद्यापीठ को रुपये 1258.02 लाख अनुदान प्रदान किया।

● अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों को प्रवेश

विद्यापीठ पारम्परिक संस्कृत पाठ्यक्रमों में छात्रों को संस्कृत माध्यम से शिक्षा प्रदान करता रहा है। वर्तमान में जितने पाठ्यक्रम हैं, इनमें से शिक्षाशास्त्री (बी.एड.) एवं एम.एड. ही मात्र ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं—जबकि सब अन्य पाठ्यक्रम जैसे—शास्त्री, आचार्य आदि पारम्परिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम के लिए अजा/अजजा श्रेणियों से अच्छी संख्या में छात्र प्रवेश लेते हैं जबकि इसी श्रेणी के अन्य पारम्परिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वालों की संख्या बहुत कम है।

विभिन्न पाठ्यक्रमों में अ.जा./अज.जा./अ.पि.व./शारीरिक विकलांग छात्रों के प्रवेश की स्थिति इस प्रकार से है :-

पाठ्यक्रम	पुरुष/महिला	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	शा.वि.	कुल
स्नातक पूर्व (शास्त्री)	पुरुष महिला	238 22	08 03	01 --	14 03	-- --	238 22
स्नातकोत्तर (आचार्य)	पुरुष महिला	206 31	07 05	01 --	07 03	01 --	206 31
पी.एच.डी. (विद्यावारिधि)	पुरुष महिला	27 02	-- --	-- --	03 02	-- --	27 02
बी.एड. (शिक्षा शास्त्री)	पुरुष महिला	142 65	23 12	15 01	09 11	02 --	142 65
एम.एड. (शिक्षा आचार्य)	पुरुष महिला	27 08	05 04	03 --	05 02	01 --	27 08
कुल	पुरुष महिला	48 17	-- --	-- --	-- --	-- --	48 17

● अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./शारीरिक विकलांग कर्मचारी वर्ग की स्थिति :

पिछली रिक्तियों की पूर्ति के लिए विद्यापीठ निरन्तर प्रयत्नशील है।

शिक्षण एवं शिक्षणेतर स्टाफ की स्थिति निम्न है :

शिक्षण	पुरुष/महिला	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	शा.वि.	कुल
प्रोफेसर	पुरुष महिला	16 06	01 --	-- --	-- --	-- --	16 06
रीडर	पुरुष महिला	15 07	01 01	-- --	-- --	-- --	-- 08
एस.एस. लेक्चरर	पुरुष महिला	23 05	01 02	-- --	-- --	-- --	24 07
लेक्चरर	पुरुष महिला	07 01	02 --	01 --	-- --	01 --	11 01

गैर-शिक्षण	पुरुष/महिला	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	शा.वि.	कुल
ग्रुप ए	पुरुष महिला	07 03	-- --	-- --	-- --	-- --	07 03
ग्रुप बी	पुरुष महिला	08 01	01 --	-- --	-- --	-- --	09 01
ग्रुप सी	पुरुष महिला	17 04	06 03	01 --	03 02	01 --	28 09
ग्रुप डी	पुरुष महिला	13 --	07 01	03 --	06 --	01 --	30 01

● परीक्षा

इस विद्यापीठ द्वारा नवम्बर 1991 में एक सम-विश्वविद्यालय के रूप में काम करना शुरू किया तथा वर्ष 1991-92 में शैक्षिक वर्ष आरम्भ होने के साथ ही यहाँ पर स्वतन्त्र रूप में परीक्षा विभाग स्थापित किया गया। परीक्षा विभाग के माध्यम से विद्यापीठ, विभिन्न पाठ्यक्रमों—जैसे शास्त्री, आचार्य, शिक्षा शास्त्री एवं शिक्षा आचार्य के लिए वार्षिक एवं सत्र परीक्षाएं संचालित करता आ रहा है। शास्त्री, आचार्य, शिक्षा शास्त्री एवं शिक्षा आचार्य के पाठ्यक्रमों में जो छात्र थे—उनके परीक्षा परिणामों का ब्यौरा इस प्रकार से है :-

परीक्षा	छात्र जो परीक्षा में बैठे थे		उत्तीर्ण छात्रों की संख्या									
	कुल (पुरुष+महिला)	केवल महिलाएँ	कुल (पुरुष+महिला)					केवल महिलाएँ				
			प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	बिना सफल	कुल	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	बिना सफल	कुल
शास्त्री शास्त्री (ऑनर्स)	54 10	04 -	27 07	20 --	-- --	-- --	47 07	01 --	02 --	-- --	-- --	03 --
आचार्य	93	14	61	20	01	--	82	10	04	--	--	14
शिक्षा शास्त्री	213	62	89	109	--	--	198	26	32	--	--	58
शिक्षा आचार्य	27	01	21	01	--	--	22	01	--	--	--	01

3.2.5 टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुम्बई (महाराष्ट्र)

● बजट आबंटन एवं निष्पादन बजट-2008-09

व्यय शीर्ष	बजट आबंटन-यूजीसी के अनुसार 2008-09	निष्पादन बजट (वास्तविक व्यय) 2008-09 (बिना लेखा परीक्षा)
वेतन तथा बकाया शेष राशि का 40 प्रतिशत	1584.01	1262.54
पेंशन तथा सेवानिवृत्ति लाभ की 40 प्रतिशत बकाया राशि	194.37	221.15
गैर वेतन राशि	547.00	724.73
कुल	2325.38	2208.42
एकैकी अनुदान	100.00	100.00
कुल	2425.38	2308.42

● लाभार्थियों (शिक्षकों, छात्रों, महिलाओं, अ.जा./अ.ज.जा. आदि) की संख्या सहित लक्षित समूह की कवरेज

यह संस्थान, भारत सरकार की आरक्षण नीति का अनुपालन कर रहा है तथा संस्थान में प्रवेशों एवं शैक्षिक एवं गैर-शैक्षिक पदों पर नियुक्तियों के बारे में जो निर्धारित नीतियां एवं कार्यक्रम हैं उनको भी लागू कर रहा है। जो राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा दिसम्बर, 2008 में हुई थी, उसके लिए संस्थान द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के लिए प्रवेशपूर्व अनुशिक्षण प्रदान किया गया। कुल मिलाकर 632 अजा के प्रत्याशियों ने तथा 280 अजजा

के प्रत्याशियों ने इसमें भाग लिया—जिनमें से 42 अ.जा. प्रत्याशी तथा 21 अ.ज.जा. के प्रत्याशी संस्थान के स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए चुने गए। और भी 11 अ.जा., 07 अ.ज.जा., 15 अ.पि.व. तथा 06 अशक्तताओं से युक्त प्रत्याशी योग्यता के आधार पर संस्थान में 2009-10 के शैक्षिक वर्ष के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए चुने गए। इस संस्थान द्वारा नियमित रूप से अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति छात्रों के लिए उपचारात्मक अनुशिक्षण प्रदान किया जा रहा है—जैसे अंग्रेजी भाषा कक्षाएं, कंप्यूटर कक्षाएं, व्यक्तित्व विकास से जुड़े सत्र आदि। संस्थान द्वारा शोषित छात्रों को सहायता उपलब्ध करायी जा रही है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अपंगताग्रस्त छात्रों को विभिन्न सरकारी अध्येतावृत्तियां प्राप्त करने में उनकी सहायता करता है—जैसे कि भारत सरकार की मैट्रिक-पश्च अध्येतावृत्ति, सर्वोच्च श्रेणी की शिक्षावृत्ति, राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति आदि। संस्थान द्वारा अजा/अजजा प्रकोष्ठ के माध्यम से वर्ष 2009-10 के लिए एक सूचना पुस्तिका प्रकाशित कराई है, जिसमें छात्रों को उपलब्ध विभिन्न सरकारी वृत्तियों की सूचना का प्रचार प्रसार किया गया है। अजा/अजजा/अ.पि.व./अशक्ततायुक्त छात्रों को जिन सुविधाओं के लिए विस्तारित किया गया है—उस समस्त बातों को इस पुस्तिका में सम्मिलित किया गया है।

● लक्षित समूह का कवरेज

● टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान में प्रविष्ट किए गए विदेशी छात्र

स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में कुल 18 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को प्रवेश दिया गया जोकि चार शिक्षा शैलियों से संबद्ध थे तथा जो कि नेपाल, स्वीडन, श्रीलंका, भुटान, इथोपिया, यू.एस., नार्वे एवं बांग्लादेश से थे। अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय द्वारा 14 लघु-अवधि पाठ्यक्रम की सुविधा उपलब्ध कराई गई जो कि 58 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए थी—ये छात्र, स्विट्जरलैण्ड (2), यू.एस. (11), आस्ट्रेलिया (4), स्वीडन (3), जर्मनी (6), फ्रांस (1), आस्ट्रेलिया (2) और यूगांडा (1) इन देशों से थे। यह सभी छात्र, पी.एच.डी. पश्चात् शोध कार्य में स्नातक स्तर छात्रों द्वारा शोध कार्य में अथवा सत्र तक पहुँचने से पूर्व कुछ सप्ताह वाला एक रुढ़िगत पाठ्यक्रम, क्षेत्रीय कार्य वाले प्रशिक्षण—जिसकी अवधि 18 सप्ताह की थी—इन सब क्रियाकलापों में यह छात्र व्यस्त रहे।

● टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान के छात्रों द्वारा विदेशी विश्वविद्यालयों के दौरे

छ: छात्रों को एम.फिल./पी.एच.डी. कार्यक्रमों के लिए अध्येतावृत्ति मिली जो कि 10 से 24 महीनों की अवधि के लिए थी। यूरोप पर्यन्त विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में छ: छात्रों को प्रवेश प्राप्त हुआ और इस कार्यक्रम से जुड़े 4 छात्र तुलान विश्वविद्यालय गए थे। दो छात्र जो इस कार्यक्रम के अंतर्गत थे, वे यूटाह विश्वविद्यालय में क्षेत्रगत प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 5 सप्ताह के लिए गए और एक सत्र के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक छात्र पेरिस गया।

● संकाय विनिमय कार्यक्रम

इरास्मस मंडस अनुदान के अंतर्गत, टी.आइ.एस.एस. संकाय के चार सदस्यों को अध्येतावृत्ति के लिए चुना गया है, तीन संकाय सदस्य टैम्पियर विश्वविद्यालय, फिनलैण्ड में आवासित रहे, दो संकाय सदस्यों ने गवैल विश्वविद्यालय का दौरा किया और गोथनबर्ग विश्वविद्यालय में भी दौरा किया जो स्वीडन में है तथा एक सदस्य ने करोलिन्सका विश्वविद्यालय, स्वीडन का दौरा किया तथा साइंसिज, पी.ओ. पेरिस का दौरा किया। लन्दन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स—टी. आइ.एस.एस. की सहभागिता में 12 संकाय सदस्य, एल.एस.ई. लन्दन में 1-16 सप्ताहों के लिए थे।

● विदेशी प्रतिनिधिमंडल का दौरा

2008-09 के दौरान, टी.आइ.एस.एस. द्वारा 56 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों की अगवानी की गई—ये सभी इन देशों के विश्वविद्यालयों से थे—श्रीलंका, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, इटली, स्वीडन, फिनलैण्ड, जर्मनी, यू.एस. ए., यू.के। इन प्रतिनिधिमंडलों का उद्देश्य यह था कि कुछ समान रुचियों वाले क्षेत्रों की खोज की जाए, जिससे सहभागिता हो सके अथवा सहकारिता वाले समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकें।

● नवीन सहयोगिताएँ

टी.आइ.एस.एस. द्वारा इस वर्ष में इन विश्वविद्यालयों के साथ स्मरण ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए—विकटोरिया यूनिवर्सिटी, आस्ट्रेलिया, येशिवा यूनिवर्सिटी, यू.एस. योर्क यूनिवर्सिटी, कनाडा, म्युन्स्टर यूनिवर्सिटी एवं ऑटो-वॉन-गैरिक यूनिवर्सिटी (दोनों जर्मनी में हैं), यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर, यू.के., यूनिवर्सिटी ऑफ लीवान, बेल्जियम यह सब मिलाकर टी.आइ.एस.एस. ने विश्व पर्यन्त, चुनिन्दा विश्वविद्यालयों में से 22 के साथ स्मरण ज्ञापन समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

● प्रकाशन

वर्ष 2008-09 के दौरान टी.आइ.एस.एस. की संकायों द्वारा ऐसी 83 पत्रिकाओं के लेख प्रकाशित किए जो कि समकक्षों द्वारा पुनरीक्षित किए गए थे और जो सर्वाधिक प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए—पुस्तकों के 64 अध्याय प्रकाशित हुए, 24 रचनाएँ रचनाकारों द्वारा लिखे गए, सुप्रसिद्ध प्रकाशकों द्वारा सम्पादित खण्डों के 64 अध्याय

प्रकाशित हुए—जिनमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, फ्रांसिस एण्ड टेलर, रूले, सैज-मैक्मिलन, वीमेन्स प्रेस आदि हैं—इन सबके द्वारा प्रकाशित किये गए और साथ ही 110 अन्य लेखन हैं जिनमें पुस्तकों के पुनरीक्षण, समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में एवं रिपोर्टों में दिए गए लेखन हैं। टी.आई.एस.एस.—लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (एल.एस.ई.) के बीच शोध कार्य संबंधी सहभागिता के परिणामतः 2 महत्वपूर्ण प्रकाशन उद्घाटित हुए हैं। नियमित अंको के साथ-साथ इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क जोकि भारत में सामाजिक कार्य से जुड़ी प्रारम्भिक पत्रिका है—उसके द्वारा एक विशेष अंक सम्पादित किया गया—जिसका शीर्षक है—“भारत में सामाजिक कार्य अभ्यासों की संदर्भ निर्धारण प्रक्रिया” और जिसका सम्पादन अतिथि रूप से डाक्टर लता नारायण द्वारा किया गया है।

● आयोजित किए गए विचार गोष्ठियां, सम्मेलन, कार्यशालाएं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष 2008-09 के दौरान, 188 कार्यक्रम, इन सभी क्षेत्रों में आयोजित किए गए— कृषि नियोजन, क्षमता निर्माण, पाठ्यक्रम पुनरीक्षण एवं विकास, स्वास्थ्य, दलित एवं जनजातीय मामले, महादुर्घटना पर नियंत्रण, शिक्षा, मानव अधिकार, संगठनात्मक विकास, राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) का मूल्यांकन एवं प्रभाव, अनुसंधान की प्रणालियाँ, सामाजिक कार्य की शिक्षा एवं प्रशिक्षण, समाज एवं लैंगिकता, जीवन की निपुणताएं, शहरी परिदृश्य, महिलाओं के मामले, मानव विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व, वैश्वीकरण एवं श्रम, श्रमिकों की समस्याएं, सामाजिक नेटवर्क, सूक्ष्म दृष्टि, युक्त नियोजन सांख्यिकी विधियां, सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण।

● अंतर्राष्ट्रीय अनावरण

टी.आई.एस.एस. द्वारा दुबई में आयोजित “गैटटैक्स” 2009 के शैक्षिक उत्सव में भाग लिया गया। यूजीसी द्वारा जिन 9 विश्वविद्यालयों को इस उत्सव में प्रतिनिधित्व के लिए चुना गया था— टी.आई.एस.एस. उनमें से एक है।

3.2.6 गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, (गुजरात)

● कार्यक्रम/योजना/विश्वविद्यालय/केन्द्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

वर्ष 1920 में महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित जो वैश्वीय शिक्षा का एक राष्ट्रीय संस्थान है और जिसे अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असहयोग आंदोलन के परिणामस्वरूप स्थापित किया गया। अब यह संस्थान बाल शिशु स्तर से लेकर पी.एच.डी. स्तर तक अध्यापन कराता है। यह संस्थान 19, जून, 1953 को मुम्बई सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत यह एक सार्वजनिक धर्मार्थन्यास बन गया।

यूजीसी. अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत इस संस्थान को 16 जुलाई, 1963 के दिन समविश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इस संस्थान को इस स्तर की अधिसूचना, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना सं. 10-20/62-यू. 2 के द्वारा दी गई।

● उद्देश्य एवं प्रमुख विशिष्टताएँ

इस विद्यापीठ का प्रमुख लक्ष्य ऐसे कार्यकर्ताओं को तैयार करना है जो चरित्रवान हों, जिनमें योग्यता हो, शिक्षित हों एवं जिनमें विवेकनिष्ठता हो—जो कि देश के पुनर्जनन से जुड़े आंदोलनों के संचालित करने के लिए आवश्यक हैं और जो महात्मा गांधी द्वारा दिए गए आदर्शों के अनुरूप हैं।

● बजट आबंटन एवं निष्पादन बजट-रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान—(1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009)

बजट आबंटन	-	रुपये 1693.90 लाख
प्राप्त अनुदान	-	रुपये 1483.64 लाख
कुल व्यय	-	रुपये 1489.94 लाख

● लक्षित समूह का कवरेज—जिसमें लाभान्वितों की संख्या भी है। (विश्वविद्यालय, कॉलेज, अध्यापक, महिलाएं, अजा/अजजा आदि)

कॉलेज : 6

शिक्षक : प्रोफेसर : 8

रीडर : 15

लेक्चरर : 80

छात्र :

कुल	महिलाएं	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
1576	552	264	284	565

- वर्तमान स्थिति-प्रासंगिक महत्वपूर्ण नीति विषयक निर्णय/परिवर्तन जो उस कार्यक्रम में किए गए –
 - (1) सामाजिक दायित्व जागरूक करने के लिए हमने छात्रों के लिए, स्टाफ के साथ, एक पदयात्रा प्रस्तावित की।
 - (2) विश्व की वर्तमान घटनाओं को लेकर, हर माह के प्रथम बृहस्पतिकार के दिन उप-कुलपति द्वारा भाषण दिया जाना।
- क्रियाओं की भावी योजना, जिसमें विकास से जुड़ी रणनीतियों का अनुकरण है।
 - अगले शैक्षिक वर्ष से हम एक सत्रीय प्रणाली को प्रस्तावित करेंगे।
 - छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए हमने अभिनयपरक कलाओं की कक्षाओं को प्रस्तावित किया।
- आयोजित सम्मेलन/विदेशी प्रतिनिधिमंडल जिनका दौरा हुआ और अन्य महत्वपूर्ण आयोजन, यदि हुए हैं तो।
 - (1) मार्टिन लूथर किंग, कनिष्ठ द्वारा दौरा
 - (2) इन्डिया कॉर्पस छात्रों से मिलना
- समझौते/अन्य देशों-अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग।
 - शून्य
- प्रकाशन जो पूरे कर दिए गए हैं अथवा प्रकाशित हो गए हैं

क्र.सं.	शीर्षक	ग्रन्थकार
1	गाँधी नी वीर पसली	संग्रहकर्ता श्रीमतीभद्रा सवाई
2	शास्वत शांतिनु पागेरु : बुनियादी शिक्षण	डाक्टर अरुण दवे
3	सहकारी डेरी उद्योगनू अर्थ-शास्त्रीय अभ्यास	डाक्टर हँसमुख देसाई

3.2.7 बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली (राजस्थान)

- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान-(1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009) के लिए बजट आबंटन एवं निष्पादन बजट

बजट आबंटन	कुल अस्थायी आबंटन ग्यारहवीं योजना के लिए (रुपये लाखों में)	तदर्थ आबंटन 2008-09 के लिए (रुपये लाखों में)
ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत सामान्य विकास योजनाओं के लिए	750.00	50.00
11 विलय की गई योजनाएं	561.50	-
कुल जोड़	1311.50	50.00
निष्पादन बजट	11वीं योजना के लिए कुल निष्पादन बजट	2008-2009 के लिए कुल निष्पादन बजट
11वीं योजना में सामान्य विकास योजनाएं	-	31.69
11वीं योजना में विलय की गई योजनाएं	-	8.47
महिला होस्टल विस्तार/निर्माण के लिए विशेष अनुदान	-	59.87
कुल जोड़		100.03

- लाभान्वितों की संख्या सहित लक्षित समूह का कवरेज (वर्ष 2008-09)

कुल जोड़	महिलाएं	अ.जा.	अ.ज.जा.	शा.वि.	
अध्यापक	351	201	18	9	-
छात्र	6834	5903	133	144	9

- आयोजित सम्मेलन, विदेशी प्रतिनिधिमंडलों ने दौरे किये, उनकी संख्या एवं यदि कोई अन्य महत्वपूर्ण समारोह आदि हुआ हो तो उसका ब्यौरा।
- आयोजन का ब्यौरा/कार्यशाला जो वर्ष 2008-09 के दौरान, यूजीसी निधि द्वारा आयोजित की गई :

1.	13-17 मार्च, 2009 को एक आवासीय कार्यशाला आयोजित हुई जो "उच्च शिक्षा में महिलाओं की क्षमता का सृजन"-इस योजना के अन्तर्गत हुई।

- वर्ष 2008-09 के दौरान जो अन्य सम्मेलन/कार्यशालाएं आयोजित हुई उनका विस्तृत ब्यौरा

1	"बेसियन तकनीकी एवं इसके अनुप्रयोग"-इस पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला 1-7 अक्टूबर, 2008, डी. एस.टी., भारत सरकार तथा बनस्थली विद्यापीठ ने आयोजित की थी।
2.	11-13 नवम्बर, 2008-वैश्वीय समाज के मध्य "महिला शिक्षा : महिला विश्वविद्यालयों की झलक एवं लक्ष्य"-इस विषय पर स्वर्ण जयन्ती सम्मेलन आयोजित किया गया।
3	स्वर्ण जयन्ती संस्कृत सम्मेलन "वैश्विक संदर्भ संस्कृत" : 15-16 दिसम्बर, 2008
4	स्वर्ण जयन्ती सम्मेलन "महिलाओं में विज्ञान प्रौद्योगिकी को प्रोन्नत करना : वैज्ञानिक विषयों के लिए निधियन योजनाएं तथा महिलाओं के लिए अनुसंधानों में प्राथमिकताएं" : 31.01.2009
5	"विभेदित गणित" पर 11-13 जनवरी, 2009 को जयन्ती सम्मेलन आयोजित किया गया।

- विदेशी प्रतिनिधिमंडलों द्वारा जो दौरे हुए :- उप-कुलपति, "पैडागोगिसे हॉकशुले वाइनगार्टन, जर्मनी तथा उनके दो सहयोगियों ने बनस्थली विश्वविद्यालय का दौरा किया-जो कि शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा आदान-प्रदान के विषय में था। यह फरवरी, 2009 के दौरान हुआ था।

- महत्वपूर्ण आयोजित समारोह

क्र.सं.	समारोह का नाम	समारोह की तिथि	मुख्य अतिथि का नाम
1.	25वां दीक्षांत समारोह एवं 74वां वार्षिक समारोह	26 मार्च, 2009 27 मार्च, 2009	लोकसभा अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी न्यायमूर्ति श्री एस.एन. भार्गव

- अन्य देशों/अन्य अंतराष्ट्रीय संस्थानों से समझौते

(अ) अन्य देशों के साथ समझौते - शून्य

(ब) अंतराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ समझौते -

क्र.सं.	अन्तराष्ट्रीय विश्वविद्यालय का नाम
1.	वाटरफोर्ड इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आयरलैंड
2.	फ्रैकोशुले कुफस्टाइन टाइरोल, आस्ट्रिया
3.	फ्रैकोशुले वोरारलबर्ग, आस्ट्रिया
4.	गाजी यूनिवर्सिटी, तुर्की
5.	सावोनिया पोलीटेक्निक, फिनलैंड
6.	साइन्सीज़ पो टूलोज़, फ्रांस
7.	दी ग्लोबल विलेज यूनिवर्सिटी, घाना
8.	अकादमी ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़, लन्दन
9.	मॉडोक यूनिवर्सिटी, आस्ट्रेलिया
10.	कैन्टॉनशुले सोलोदर्न, स्विट्ज़रलैण्ड
11.	लार्ड बुद्धा एजुकेशन फाउन्डेशन, नेपाल
12.	टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, वाइनगार्टन, जर्मनी
13.	टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, शौबिश, म्यूएंड जर्मनी

● यू.जी.सी. निधि से प्रकाशित पुस्तकों की सूची (2008-09)

क्र.सं.	शोध प्रबन्ध का शीर्षक
1.	समसामयिकी प्रबन्धन प्रणालियों में गाँधीवादी विचारधारा की सापेक्षता
2.	विज्ञापन में संगीत की भूमिका
3.	किसी राष्ट्रीय विचार गोष्ठी की कार्यवाही
4.	लघु शोध योजना की रिपोर्ट पर विनिबन्ध—“तिब्बत प्रश्न—शांति दृष्टिकोण के बारे में एक अध्ययन”।

3.2.8 डेकन महाविद्यालय, पुणे, (महाराष्ट्र)

● संक्षिप्त इतिहास

डेकन कॉलेज, पुणे, भारतवर्ष में सर्वाधिक प्राचीन संस्थानों में तीसरे नम्बर पर है। कॉलेज के विषय में पूर्व इतिहास पर दृष्टि डालें तो हम देखेंगे कि एक मराठा सरदार, खाँडेराव दमाडे द्वारा स्थापित की गई निधि “दक्षिण निधि”—जिसे विद्वत्ता प्राप्त करने की प्रेरणा के लिए पेशवाओं के द्वारा और अग्रसारित किया गया। 6 अक्टूबर, 1921, को मोन्सराट एलफिन्सटन की पहल पर मुम्बई प्रेसिडेंसी सरकार द्वारा दक्षिण निधि को, हिन्दू कॉलेज नाम वाली एक संस्थान का स्तर प्रदान किया गया। तबसे लेकर यह संस्थान आगे ही आगे सशक्त होता चला गया तथा अब वह उच्च विद्वता एवं अनुसंधान की दुनिया में एक सबसे अग्रणी केन्द्र के रूप में प्रकट हुआ है। वर्ष 1864 में इसका पुनः नामकरण हुआ “डैकन कॉलेज”—और तब से अब तक इस संस्थान ने, छात्रों के ऐसे विशिष्ट वृन्द को तैयार किया है, जो छात्र जीवन के प्रत्येक आयाम में श्रेष्ठता व उत्कृष्टता के शिखर तक पहुँच गए। इनमें कुछ प्रमुख नाम हैं : आदरणीय आर.जी. भण्डारकर जो यशस्वी विचारक थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जो कि महान राष्ट्रवादी थे, गुरुदेव आर.डी. राणाडे, जो प्रख्यात दर्शन शास्त्री थे, जी.जी. अगरकर जो महान समाज सुधारक थे, सुप्रसिद्ध इतिहासकार वी.के. रजवाड़े, सुप्रसिद्ध इतिहासकार तथा डाक्टर द्वारकानाथ कोटनिस, सुप्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक जिन्होंने चीन में जाकर स्वेच्छा से अपनी सेवाओं का योगदान दिया था।

इस कॉलेज को 1934 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बन्द कर दिया गया था, परन्तु 5 वर्षों के अन्तराल के पश्चात् माननीय मुम्बई हाई कोर्ट के आदेश द्वारा इस कॉलेज को 17 अगस्त, 1939 को पुनः खोल दिया गया। इस कॉलेज के कई पूर्व छात्र तथा कुछ सार्वजनिक उत्साही नागरिक इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। 16 अगस्त, 1939 को माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को स्थानान्तरण दस्तावेज द्वारा आदेश दिया कि इस संस्थान को स्थायी आधार पर बनाये रखा जाए। इस स्थानान्तरण दस्तावेज के अनुसार, डेकन कॉलेज, पुणे, अस्तित्व में आया, जिसमें संबद्ध सम्पत्तियाँ—जिनमें भूमि एवं भवन शामिल थे—निहित मानी गयीं। इस स्थानान्तरण दस्तावेज के प्रावधानों के अनुसार, न्यासियों की नियुक्तियाँ राज्य सरकार द्वारा की जाती हैं। राज्य सरकार को प्रशासन की नियमावली तैयार करने की तथा डेकन कॉलेज पी.जी. रिसर्च इन्स्टिट्यूट के प्रबंधन का कार्य सौंपा गया था—और डेकन कॉलेज द्वारा, वंशानुगत प्रकृति वाले विषयों के अध्ययनों का प्रबन्ध जुटाने का कार्य भी राज्य सरकार द्वारा किया जाना था। इस प्रकार, प्रबंधन परिषद् अस्तित्व में आ गई। अगले अर्द्धशतक के दौरान, संस्थान द्वारा स्नातकोत्तर अध्ययनों के लिए छात्रों को निदेश प्रदान करने तथा एक बड़ी संख्या में पी.एच.डी. शोध निबन्धों को प्रस्तुत कराने के अलावा, संस्थान में—प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति पुरातत्व, भाषा विज्ञान, मध्यकालीन एवं मराठा इतिहास, सामाजिक शास्त्र, नृ-विज्ञान तथा संस्कृत अध्ययनों में असाधारण शोध कार्य सम्पन्न किया। कुछ यशस्वी विद्वानों द्वारा जिनमें दिवंगत प्रोफेसर एस.एम.कात्रे, एच.डी. संकालिया, श्रीमति ईरावती कर्वे, श्री सी.आर. शंकरन और श्री टी.एस. शेजवलकर तथा उनके सहयोगी एवं उनके उत्तराधिकारी—जैसे कि प्रो० ए.एम. घाटगे, एस.बी. देव एवं देश के विभिन्न भागों से आने वाले प्रविष्ट छात्र—इन सबों ने बहुत उत्कृष्ट कोटि के शोध संबंधी योगदान किए। इन्हीं योगदानों के आधार पर ही इस संस्थान को न केवल भारत में ही बल्कि भारत के बाहर भी परम लब्धप्रतिष्ठित स्वरूप प्राप्त हुआ है। भाषा-विज्ञान विभाग द्वारा जो एक उल्लेखनीय योगदान हुआ है वह है, “ऐतिहासिक सिद्धांतों पर संस्कृत विश्वकोष शब्दकोश” को तैयार करने का बीड़ा उठाना।

इस संस्थान द्वारा अध्यापन एवं अनुसंधान दोनों ही में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लक्ष्य को मान्यता देते हुए, वर्ष 1990 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा इस संस्थान को सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। शैक्षिक वर्ष 1994-95 से इस संस्थान ने एक समविश्वविद्यालय के रूप में प्रकाय आरम्भ कर दिए हैं। तब से लेकर संस्थान ने पुरातत्व के विषय में स्नातकोत्तर डिग्री एवं पी.जी. डिप्लोमा के लिए अपने निजी पाठ्यक्रम संचालित किए हैं और इसी प्रकार से भाषा-विज्ञान स्नातकोत्तर डिग्री के लिए भी किया है, और इन दोनों विषयों में पी.एच.डी. के लिए बड़ी संख्या में छात्रों को प्रवेश दिया है। और इसी के साथ-साथ, संस्थान द्वारा पुरातत्व, भाषा-विज्ञान, संस्कृत एवं संबद्ध विषयों की विभिन्न शाखाओं में अपनी अनुसंधान गतिविधियाँ जारी रखी हैं।

● एक रूपरेखा

● परिसर

इस संस्थान का एक विशाल परिसर है जो कि 125 एकड़ में है। यह सम्पूर्ण संस्थान एवं इसमें विद्यमान सभी सम्पत्तियां, डेकन कॉलेज, पुणे न्यास की हैं—जिसके लिए माननीय मुम्बई उच्च न्यायालय धन्यवाद के पात्र हैं—उस हस्तांतरण दस्तावेज के लिए जो कि वर्ष 1939 में उनके द्वारा दिया गया था। पुणे विश्वविद्यालय के उपकुलपति ही इस न्यास के पदेन अध्यक्ष हैं। इस परिसर में बड़ी संख्या में आवासीय भवन हैं जो कि शैक्षिक, प्रशासनिक एवं निवास आदि के लिए हैं। इसमें लड़कों एवं लड़कियों के लिए, प्रत्येक के लिए दो-दो छात्रावास हैं।

● प्रबन्धन

वर्ष 1939 के स्थानांतरण दस्तावेज के अनुसार, दो संस्थान अस्तित्व में आए थे—डेकन कॉलेज, पी.जी. रिसर्च संस्थान जिसके द्वारा शैक्षिक मामलों को देखा जाना था और जो कि डेकन कॉलेज की सम्पत्तियों के रख-रखाव के लिए प्रबंधन परिषद एवं डेकन कॉलेज पुणे, न्यास द्वारा प्रबन्धित है। डेकन कॉलेज पुणे के विभागाध्यक्ष ही अध्यक्ष हैं—जिनको महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। जबकि पुणे विश्वविद्यालय के उपकुलपति, जो कि डेकन कॉलेज न्यास के पदेन अध्यक्ष हैं—वे भी इस न्यास का नेतृत्व करते हैं। संस्थान के जो अन्य पदाधिकारी हैं—उनमें, निदेशक, सह-निदेशक एवं रजिस्ट्रार सम्मिलित हैं।

● वित्त

वर्ष 1939 के हस्तांतरण दस्तावेज में जो प्रावधान किया गया है उसी अनुसार राज्य सरकार द्वारा यह माना गया है कि संस्थान को सक्रिय बनाए रखने के लिए समस्त निधियन वे उपलब्ध कराएंगे। संस्थान की शोध एवं अध्यापन से जुड़ी गतिविधियों के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक सम-विश्वविद्यालय के रूप में पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत विकास अनुदान उपलब्ध कराता है। गत समय में इस संस्थान द्वारा, रॉक फ़ैलर फाउंडेशन तथा फोर्ड फाउंडेशन से क्रमशः भाषा-विज्ञान विकास एवं पुरातत्व विकास के लिए समुचित अनुदान प्राप्त हुए हैं।

संस्थान के द्वारा अध्यापन एवं शोध गतिविधियों के लिए अत्यंत उत्कृष्ट कार्य करने पर, तत्कालीन वित्तमंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने लोकसभा में भारत सरकार का वार्षिक बजट प्रस्तुत करते हुए इस संस्थान की विकास गतिविधियों के लिए रुपये 5.00 करोड़ का विशेष अनुदान पारित किया था। तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार के प्रमुख सचिव डॉ० जॉयस शंकरन की पहल पर, पुरातत्व संग्रहालय के भवन के लिए डेकन कॉलेज को एक विशेष अनुदान मंजूर किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्कृत शब्दकोष परियोजना के लिए नियमित अनुदान दिया जाता है।

● छात्रों का नामांकन

छात्रों का नामांकन संपूर्ण भारत के लिए है। इसके अतिरिक्त नियमित तौर से यह संस्थान अनेक देशों से स्नातकोत्तर एवं शोध छात्रों को आकर्षित करता रहा है—जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, ईरान, फिलिस्तीन, थाइलैण्ड, कम्बोडिया, जापान, दक्षिण कोरिया आदि।

● विभाग/एकक

इस संस्थान में दो अध्यापन-अनुसंधान विभाग हैं : पुरातत्व एवं भाषा विज्ञान। प्रत्येक विभाग का शीर्षत्व एक वरिष्ठ संकाय सदस्य द्वारा होता है, जिन्हें तीन वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। दाखिलों और अध्यापन कार्य के वितरण के लिए, एक विभागीय समिति निर्णय लेती है जिसे वार्षिक रूप से नियुक्त किया जाता है। अध्ययन बोर्ड द्वारा विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या को देखा जाता है, और यह बोर्ड पर्यवेक्षकों के पैनल को प्रस्तावित करता है, और विभाग से जुड़े अन्य मामलों पर नजर रखी जाती है।

ऐतिहासिक सिद्धांतों पर विश्वकोष शब्दकोष, संस्कृत में तैयार करने की, संस्थान की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसकी पहल 1948 में हुई थी। यह एक लम्बी कालावधि की परियोजना है जिसका निधियन राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों के द्वारा किया गया।

● पुरातत्व विभाग

दिवंगत प्रोफेसर एच.डी. संकालिया द्वारा स्थापित यह पुरातत्व विभाग, दक्षिण एशिया अध्यापन एवं अनुसंधान का प्रमुख संस्थान है। वि०अ०आ० ने वर्ष 1972 में इसे विशेष सहायता अनुदान विभाग का दर्जा प्रदान कर दिया था और वर्ष 1985 में इसे अग्रवर्ती अध्ययन केंद्र के रूप में प्रोन्नत कर दिया था—जिस स्थिति का अनुरक्षण आज तक यह बनाए हुए हैं। इस विभाग में अनुमानित संकाय सदस्यों की कार्यक्षमता अनुसार 27 सदस्य हैं और इसमें शोध एवं तकनीकी स्टाफ का प्रावधान है, जिनमें शोध एवं विज्ञानी सहायक, संग्राह्यक्षों, ड्राट्समैन, छायाचित्रकारों आदि का प्रावधान है। इस संकाय में कई विषयों के विशेषज्ञ शामिल हैं—प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व तथा संबद्ध शाखाएं जैसे—सांस्कृतिक एवं मानव जैविकी, भू-वैज्ञानिक पुरातत्व, जीवाश्म विज्ञान, पुरातात्विक वनस्पति विज्ञान, पुरातात्विक जीव विज्ञान, पुरातात्विक रसायन शास्त्र एवं कंप्यूटर विज्ञान आदि। यह विभाग पुरातत्व विज्ञान के प्रति बहुविषय आयामी दृष्टिकोण रखता है और इसमें परिष्कृत प्रयोगशाला सुविधाएं विद्यमान हैं।

इस विभाग द्वारा बड़ी संख्या में क्षेत्रगत शोध कार्यक्रमों को हाथ में लिया गया है—जिनमें देश में विभिन्न मध्ययुगीन स्थलों पर जो प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, प्रारम्भिक ऐतिहासिक स्थलों में विस्तृत उत्खनन सम्मिलित है।

ऐसे कुछ प्रमुख उत्खनन कार्यों में निम्नलिखित हैं : महाराष्ट्र — नेवासा, इनामगाँव, नायकुण्ड और दौलताबाद। मध्यप्रदेश — नवदाटोली, कायथा, भीमबेटका, सामनापुर गुजरात — सोमनाथ, कुंतासी, पादरी। राजस्थान — आहार, बागर, बलाथाल, गिलुंड। कर्नाटक — हँसगी, इस्लामपुर, बधिहार, टेक्कालकोट, हल्लूर। हिमाचल प्रदेश — फरमाना

विभाग के संकाय सदस्यों एवं अनुसंधान विभाग द्वारा बड़ी संख्या में लेखन कार्य हुए हैं, जिनमें से रिपोर्टें, प्रबंध एवं शोध पत्र भी हैं जो कि भारतीय एवं विदेशी पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। सम्मेलनों, विचार गोष्ठी में भागीदारी के द्वारा इन सब सदस्यों आदि की नियमित अन्योन्यक्रिया विद्वानों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होती रहती है। इनमें से कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनहें प्रतिष्ठित अध्येतावृत्तियाँ प्रदान हुई हैं—जिनमें फुलब्राइट अध्येतावृत्ति भी शामिल है।

समस्त देश में केवलमात्र यही एक पुरातत्व विषय का विश्वविद्यालय विभाग है जहाँ पर विभिन्न प्रयोगशालाएं हैं जो निम्न विषयों से जुड़ी हैं—पुरातात्विक रसायन शास्त्र, “पैलिनोलोजी” पुरातात्विक जीवविज्ञान, निक्षेपवाद, जीवाश्म विज्ञान एवं कंप्यूटरीकरण/विभिन्न उत्खननों के द्वारा जो भी पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हों, उन पदार्थों का वैज्ञानिक विश्लेषण इन प्रयोगशालाओं द्वारा किया जाता है। इन प्रयोगशालाओं की सेवाएं देश में अन्य संस्थानों तक विस्तारित हो जाती हैं—जिनमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और पुरातत्व का राज्य विभाग भी शामिल हैं। विभाग में एक अत्यंत सशक्त शोध प्रबन्ध कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी विषयगत शीर्षक है, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व की तमाम शाखाएं—अखिल भारतीय आधार पर—इनको समाविष्ट करती हैं। पहले ही, 300 पी.एच.डी., शोध प्रबन्ध, 1944 से आजतक पूर्ण किए जा चुके हैं।

● भाषा विज्ञान विभाग

वर्ष 1939 में दिवंगत प्रोफेसर एस.एम. कात्रे द्वारा जिस भाषा विज्ञान विभाग को स्थापित किया गया था, भारतवर्ष में आधुनिक भाषा विज्ञान का वह सबसे पुरातन एवं सशक्त विभाग है। सन् 1939 से लेकर 1956 तक इस विभाग द्वारा एक शोध विभाग के रूप में प्रकाशित किया गया है—और तब यह भारतीय—यूरोपीय भाषा—विज्ञान विभाग के नाम से जाना जाता था—जिसके द्वारा पी.एच.डी. प्रदान की जाती थी तथा जहाँ शोध परियोजनाएं संचालित होती थीं। भाषा विज्ञान का स्नातकोत्तर कार्यक्रम वर्ष 1957 में प्रारम्भ किया गया। भारत में आधुनिक भाषा विज्ञान के विकास में इस विभाग द्वारा अग्रगामी भूमिका अदा की गई।

वर्ष 1953 में, उप-कुलपतियों एवं भाषा वैज्ञानिकों की एक विशेषज्ञ समिति ने भाषा विज्ञान के विषय का भारत में विस्तार किए जाने की सिफारिश की। रॉकफेलर प्रतिष्ठान, न्यूयॉर्क द्वारा दिए गए एक उदार अनुदान की सहायता से भारत के विभिन्न भागों में अल्पकालीन, ग्रीष्म, शिशिर एवं शरत्कालीन भाषा विज्ञान के स्कूलों का संचालन किया गया। इसमें जो संकाय सदस्य थे, वे, यू.एस.ए., यू.के. और भारतवर्ष से थे, जिन्होंने अध्यापन को संचालित किया और कुछ शोध परियोजनाओं को भी प्रारम्भ किया जैसे कि उपभाषा का सर्वेक्षण, जनजातीय भाषाओं के विस्तृत अध्ययन, कुछ प्रमुख भाषाओं के शब्दकोष एवं आधुनिक व्याकरण आदि। भारतीय भाषा वैज्ञानिक संस्था (जो कि डेकन कॉलेज में ही स्थित है) उसकी सक्रिय भागीदारी द्वारा ही, यह विभाग, स्वर-विज्ञान एवं भाषा प्रयोगशालाओं के विकास के लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध कर सका। ऐसे कुछ विद्वान जिन्होंने यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त किया था, उन्होंने देश में कई अन्य विश्वविद्यालयों में भाषा विज्ञान के विभाग स्थापित किए और उनमें से कई विद्वानों ने उच्च शैक्षिक पदों पर यू.एस.ए. के विश्वविद्यालयों में स्थान प्राप्त किए। 1954-1959 तक की अवधि में जब रॉकफेलर संस्थान समाप्त हो गया तो इसके पश्चात् इसके विकास कार्य को जारी रखने का दायित्व वि.अ.आ. द्वारा सम्भाला गया—जिसके लिए वर्ष 1963 में भाषा विज्ञान में प्रथम अग्रवर्ती केन्द्र स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई और यह स्थिति 1973 तक जारी रही।

वर्तमान में, भाषा विज्ञान के प्रमुख क्षेत्रों को लेकर, इस विभाग द्वारा 10 संकाय सदस्यों के पदों की अनुमति/स्वीकृति दी गई है। यह प्रमुख क्षेत्र हैं—स्वर-विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, मराठी भाषा-विज्ञान, अर्थ विज्ञान, कोश रचना, तिब्बती-बर्मी, आस्ट्रो-एशियाई, भारतीय-आर्य एवं द्रविण अध्ययन। यहाँ पर स्टाफ सदस्यों के पास कुछ योजनाएं हैं, जैसे—तिब्बती-बर्मी भाषाएं जो पश्चिम हिमालय में एवं उत्तर पूर्व भारत में बोली जाती हैं, मेघालय की खासी उपभाषाएं, महाराष्ट्र से बाहर बोली जाने वाली मराठी उपभाषाएं, महाराष्ट्र की नाहली भाषा एवं एक मराठी भाषा के शब्दकोष की रचना का कार्य। इस विभाग के अंतर्गत एक सशक्त शोध कार्यक्रमों का अस्तित्व है—जिनमें तिब्बती-बर्मी, हिन्द-आर्यन एवं द्रविण भाषाओं को शामिल किया गया है। अब तक 200 शोध प्रबन्ध, सम्पूर्ण किए जा चुके हैं।

● संस्कृत शब्दकोष परियोजना

भाषा विज्ञान विभाग की यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसे प्रोफेसर एस.एम. कात्रे द्वारा वर्ष 1948 में प्रारम्भ किया गया था। इस विभाग में एक पाण्डुलिपि आगार है जिसमें लगभग 1500 संस्कृत पाठ्यपुस्तकों में से एक करोड़ उद्धरण इस आगार में सुरक्षित हैं। “साहित्यिक सिद्धांतों पर आधारित संस्कृत की विश्वकोशीय शब्दकोष”—इस शीर्षक के अंतर्गत, शब्दकोष के 24 अंश हैं जिन्हें आठ ग्रन्थों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है। संस्कृत भाषा के जो भी विद्वान भारत में अथवा विदेशों में हैं, उन सबके द्वारा इन ग्रन्थों की महत्ता स्वीकरी गई है। इस परियोजना का जो सम्पादकीय विभाग है, उसका निधियन, डेकन कॉलेज एवं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है।

● संग्रहालय

इस संस्थान में दो संग्रहालय हैं : पुरातत्व संग्रहालय एवं मराठा इतिहास संग्रहालय। पुरातत्व संग्रहालय में ऐसे पदार्थ संग्रहित हैं जिन्हें उत्खननों द्वारा प्राप्त किया गया है और इसमें 10 दीर्घाएं हैं जो कि जनसाधारण के लिए खुली हैं। अध्यापन तथा शोध दोनों ही के लिए यह संग्रहालय एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में सहायक है। मराठा इतिहास संग्रहालय, देश में अपने जैसा अनेकों में से आनोखा ही है और इसमें विशाल संख्या में पुरातात्विक पदार्थ और मराठा कालीन पदार्थ भी संग्रहित हैं। महाराष्ट्र सरकार का यह अनुग्रह है कि एक पृथक संग्रहालय भवन के लिए रुपये 3.75 करोड़ का विशेष अनुदान स्वीकृत किया जाये। इस प्रकार संग्रहालय का अपना भवन बहुत जल्दी ही बन जाएगा।

● पुस्तकालय

संस्थान का पुस्तकालय 42000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में स्थित है और इसमें 1.5 लाख पुस्तकों का संग्रह है और इसके अलावा विशिष्टीकृत संग्रह हैं तथा 12000 दुर्लभ पाण्डुलिपियाँ हैं। संस्थान को लगभग 400 पत्रिकाएं अंशदान एवं विनिमय रूप से प्राप्त होती हैं। पुरातत्व, संस्कृत एवं भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में यह पुस्तकालय भारतवर्ष में सर्वोत्कृष्ट आंका जाता है। इस संस्थान के संग्रहों की लाभ उठाने के लिए, भारतवर्ष के अनेक भागों से एवं विदेशों से अनेक शोध विद्वान यहाँ आते हैं। यहाँ के संग्रहों की कंप्यूटरीकरण क्रिया चल रही है और इनफ़िलबनेट सुविधाओं को स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है, जिनके लिए वि.अ.आ. द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। एक बार यह प्रक्रिया जैसे ही पूरी हो जाती है, तो इस पुस्तकालय से लाभ प्राप्तकर्ताओं की पहुंच देश के अन्य सभी पुस्तकालयों तक हो जाएगी।

● प्रकाशन

संस्थान द्वारा शोध ग्रन्थों के योगदानों को प्रकाशित करने का एक सुविस्तृत कार्यक्रम है। वर्ष 1940 से लेकर, इस संस्थान द्वारा, पुरातत्व-नृ-विज्ञान, समाज शास्त्र, भाषा-विज्ञान, मध्यकालीन इतिहास एवं संस्कृत तथा सम्बद्ध विषयों में 220 से भी अधिक शीर्ष प्रकाशित किए गए हैं। यह संस्थान, नियमित रूप से अपनी वार्षिक विज्ञप्ति भी प्रकाशित करता है साथ ही वार्षिक रिपोर्टें और संस्कृत शब्दकोष का कम से कम एक अंश, वार्षिक रूप से प्रकाशित करता है।

● अन्य सुविधाएँ

इस संस्थान में छात्रों के लिए दो आवासीय होस्टल हैं जिनमें 55 छात्रों को समायोजित किया जा सकता है उसी प्रकार से दो महिला छात्राओं के होस्टल हैं जिनमें 40 छात्राओं को समायोजित किया जा सकता है। परिसर में अतिथि गृह की सामान्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। जो छात्र एवं स्टाफ सदस्य, परिसर में रहते हैं, उन सभी के मनोरंजन के लिए तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए एक “जिमखाना” भी है। सभी छात्र मिलकर एक सहकारी भोजन कक्ष (मैस) को संचालित करते हैं।

● अन्य संस्थान

इस संस्थान के परिसर में निम्न संस्थान भी हैं :

1. वेस्टर्न रीजनल सेंटर ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्डियन स्टडीज, नई दिल्ली
2. फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ ओरियन्टल स्टडीज, पेरिस की एक शाखा है।
3. वेस्टर्न रीजनल लैंग्वेज सेंटर जो कि केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर की एक शाखा है।
4. इस संस्थान के संकाय सदस्य, नजदीकी रूप से, तीन विद्वत सभाओं के प्रबंधन से संबद्ध हैं यथा—भारतीय भाषा विज्ञान सभा, दक्षिण एशियाई पुरातत्व सभा तथा भारतीय, प्रागैतिहासिक एवं चतुर्थ युगीन अध्ययनों की सभा। इन सभाओं में अंतर्राष्ट्रीय सदस्यता है और वे क्रमिक तौर पर अपनी अपनी शोध पत्रिकाएं प्रकाशित करवाते हैं जिनके शीर्षक हैं, *इन्डियन लिंग्विस्टिक्स*, *एशियन आर्कलोजी* और *"मैन एण्ड एनवायरनमेंट"*।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम

संस्थान द्वारा निम्न पाठ्यक्रमों के लिए अध्यापन संचालित किया जाता है:

1. स्नातकोत्तर डिग्री : प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व
2. पी.जी. डिप्लोमा : प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व
3. पी.एच.डी. डिग्री : प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व
4. एम.ए. : भाषा विज्ञान
5. पी.एच.डी. : भाषा विज्ञान
6. संस्कृत में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

संकाय में लगातार चलती आ रही शोध परियोजनाएं

● पुरातत्व विभाग

इस विभाग में प्रमुख लगातार चलने वाली परियोजनाएं निम्न हैं :

1. घग्घर नदी घाटी में गवेषणाएं तथा हरियाणा में हड़प्पा के स्थलों का उत्खनन कार्य।
2. विदर्भ, कोंकण एवं उड़ीसा में पुराकालिक ऐतिहासिक स्थलों का परीक्षण।
3. दक्कन में भूगर्भीय-पुरातात्विक अध्ययन।
4. माँजरा घाटी में जीवश्मीय खोजें।
5. जीवश्मीय/पुरा जलवायु विज्ञान अध्ययन—विदर्भ एवं सिक्किम में।
6. आद्य ऐतिहासिक एवं आगामी कालीन स्थलों का प्रागैतिहासिक वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से अध्ययन।
7. पुरा-नृ-विज्ञान एवं भारतीय जनसंख्याओं की "Genome" विभिन्नता।
8. पुरा जीव वैज्ञानिक अध्ययन—आद्य ऐतिहासिक एवं प्रारम्भिक ऐतिहासिक स्थलों का अध्ययन।
9. पश्चिम भारत के बौद्ध गुफा स्थापत्य वास्तुकलाओं के अध्ययन।
10. पश्चिम भारत के मन्दिरों के सर्वेक्षण।
11. गुजरात, महाराष्ट्र एवं उड़ीसा में जाति पुरातत्व विज्ञान के अध्ययन।

● भाषा विज्ञान विभाग

विभाग की पूर्व ही चली आ रही प्रमुख शोध परियोजनाएं निम्न हैं :

1. नाहली भाषा का अध्ययन, जिला बुलढाना, महाराष्ट्र।
2. द्विभाषी स्थितियों का अध्ययन : (अ) कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा क्षेत्र और (ब) महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश सीमा क्षेत्र।
3. कोलमी भाषा का अध्ययन (द्रविण), यवतमाल जिला, महाराष्ट्र।
4. मराठी की महादेव कोली उपभाषा का अध्ययन।
5. समाज-भाषा विज्ञान अध्ययन।

संकाय की उपरोक्त शोध परियोजनाओं के अतिरिक्त, पुरातत्व एवं भाषा विज्ञान विभागों में लगभग 70 डाक्टोरल शोध परियोजनाएं अभी भी क्रियान्वित हो रही हैं।

● विस्तार शिक्षा संबंधी गतिविधियाँ

इस संस्थान के अध्यापन, सम्पादकीय एवं शोध से जुड़े स्टाफ के सदस्य नियमित तौर से लोकप्रिय लेख लिखते रहते हैं, स्कूलों एवं कॉलेजों में लेक्चर देते रहते हैं, दूरदर्शन पर वार्ता आदि प्रस्तुत करते रहते हैं—जिससे कि समग्र समाज को, देश ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भाषा वैज्ञानिक, पुरातात्विक आनुवांशिकता की जो सबसे अद्यतन जानकारी उपलब्ध है—उस जानकारी का विस्तार सर्वत्र हो सके।

पिछले 65 वर्षों के दौरान, पुरातत्व विभाग द्वारा उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षण पुरातत्व के विषय में उपलब्ध कराया गया है। (स्नातकोत्तर एवं पी.एच.डी.) देश में अनेक भागों में विभिन्न प्रकार की पुरातात्विक स्थलों पर अनेक प्रकार के उत्खनन कार्य को प्रारम्भ किया गया है। ऐसे समस्त उत्खनन कार्यों के ऊपर, इस विभाग ने 100 से भी अधिक रिपोर्ट एवं प्रबन्धों को प्रकाशित कराया है। इस काम के द्वारा भारतीय पुरातत्व से जुड़े मूलभूत आंकड़ों में अत्यधिक वृद्धि हुई है शोध प्रबन्धों से जुड़े लगभग 300 छात्रों ने विभिन्न विषयों पर अपने शोध प्रबन्धों को पूरा किया। इन्हीं सभी योगदानों के परिणाम स्वरूप ही इस विभाग को यू.जी.सी. द्वारा समर्थित अग्रवर्ती अध्ययन केन्द्र को स्तर प्राप्त हो सका—जिससे यह आज तक लाभान्वित हो रहा है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2003 के दौरान, इस विभाग को यू.जी.सी. द्वारा एक नए कार्यक्रम को लागू करने के लिए, चुना गया जो कार्यक्रम “मानविकी एवं समाज विज्ञान में आधारभूत संरचना के लिए सहायता” (ASIHSS)।

अध्यापन तथा शोध संबंधी इन गतिविधियों के अलावा, इस विभाग ने एक बहुत महती प्रयास इस दिशा में किया है कि पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक आनुवंशिकी के विभिन्न आयामों के ज्ञान का प्रसार प्रचार समाज में दूर-दूर तक हो सके। पिछले कई वर्षों में विभाग द्वारा विस्तार शिक्षा गतिविधियों के एक विस्तृत कार्यक्रम को विकसित किया गया है।

1. इस विभाग में एक वृहत संग्रहालय है जिसमें ऐसे पुरावशेष एवं परियोजनाएं प्रदर्शित हैं जो कि पाषाण युग से लेकर मध्ययुगीन काल के मध्य की हैं। इसके अतिरिक्त इस संस्थान में मराठा ऐतिहासिक संग्रहालय है। यह दोनों संग्रहालय, बड़ी संख्या में स्कूलों एवं कॉलेजों के छात्रों को आकर्षित करते हैं, साथ ही शिक्षित एवं सामान्य ज्ञान वालों को और यहाँ तक कि अशिक्षित कृषकों को भी आकर्षित करते हैं। इन संग्रहालयों में प्रदर्शित पदार्थ, हमारी विरासत के बारे में समाज को जागरूक बनाने के लिए एक सशक्त माध्यम के रूप में प्रकट हुए हैं।
2. इस विभाग द्वारा प्रतिवर्ष, पुरातात्विक सामग्री के सार्वजनिक प्रदर्शन को आयोजित किया जाता है। आजतक ऐसी प्रदर्शनियाँ, बड़े-बड़े नगरों जैसे—पुणे, शोलापुर, अहमदनगर, दिल्ली एवं बंगलौर में हुई और महाराष्ट्र में कुछ गाँवों सहित छोटी-छोटी स्थलों पर भी हुई। इस प्रकार की प्रदर्शनियाँ जिनमें विभिन्न प्रकार की पुरातात्विक सामग्री को रखा गया था, उनसे हमारी विरासत में रुचि में अभिवृद्धि हुई है और वस्तुतः हजारों लोगों को इससे लाभ पहुंचा है और विभाग द्वारा ऐसी प्रदर्शनियाँ आयोजित करने के लिए अनेक अनुरोध प्राप्त होते जा रहे हैं।
3. संकाय सदस्य एवं संग्रहालय स्टाफ सदस्य, पुरातत्व के विषय पर स्कूलों, कॉलेजों एवं इसी प्रकार के अन्य स्थानों पर लोकप्रिय व्याख्यान देते रहते हैं। वे गाँव भी जाते हैं और वहाँ के स्थानीय लोगों को मन्दिरों, मूर्तियों एवं शिल्पों के अध्ययन के बारे में और उनके संरक्षण के बारे में समझाते हैं।

4. प्रतिवर्ष यह विभाग एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित करता है—ताकि स्कूली अध्यापक वास्तविक पुरातात्विक सामग्री का रखरखाव कर सकें और उन्हें अभी कुछ समय पूर्व की खोजों पर आधार बनाकर अपने ज्ञान को अद्यतन कर सकें—और यही बात उन्हें अत्यधिक रूप में अध्यापन कार्य में सहायक सिद्ध हो सके।
5. विभाग द्वारा, विस्तारण शिक्षा गतिविधियों का जो अद्यतन कार्यक्रम हाथ में लिया गया है, उसका सीधा संबंध सप्ताहान्त प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों से है। वे हैं—प्राचीन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ऐतिहासिक कालावधि, मध्ययुगीन महाराष्ट्र और प्राचीन भारतीय विचारधारा। यह सभी पाठ्यक्रम किसी भी स्नातक के लिए उपलब्ध हैं।
6. ठीक इसी प्रकार, भाषा विज्ञान—विभाग एवं संस्कृत शब्दकोश परियोजना से जुड़े स्टाफ सदस्य, समाज को देश की विरासत के बारे में जागरूक बनाते हैं—जिसके लिए वे भाषण आदि देते हैं—स्कूलों कॉलेजों में और दूरदर्शन पर भी और समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में लोकप्रिय लेखों द्वारा आदि। भाषा विज्ञान विभाग ने कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान पर जुलाई-अक्टूबर, 2006 के दौरान सप्ताहान्त सर्टिफिकेट कोर्स संचालित किया है। इसी प्रकार से अक्टूबर-नवम्बर, 2007 में इस विभाग द्वारा स्वर विज्ञान, स्कूली अध्यापकों के लिए, अंग्रेजी विषय में एक व्यावहारिक पाठ्यक्रम संचालित किया। यह दोनों पाठ्यक्रम बहुत लोकप्रिय सिद्ध हुए हैं।

यह संस्थान इस बात के लिए इच्छुक है कि विस्तारण संबंधी इसकी गतिविधियाँ जारी रहें—जो कि उन प्रयासों का एक अंश हैं—जिन प्रयासों द्वारा जनसाधारण को राष्ट्र की संयुक्त विरासत के विषय में शिक्षित किया जा सके। इस संस्थान की प्रबन्धन परिषद् तथा डेकन कॉलेज, पुणे न्यास—इन दोनों ने एक परम्परागत/आनुवंशिक उद्यान के निर्माण कराने का अनुमोदन किया है जो उद्यान डेकन कॉलेज परिसर की खुली जमीन पर निर्मित होगा। इस परम्परागत उद्यान में मुक्त रूप से राष्ट्र की ऐतिहासिक, पुरातात्विक, मानव-जातीय एवं भाषायी आनुवंशिकी का खुला प्रदर्शन किया जाएगा। पुणे नगरपालिक निकाय, इस महत्वाकांक्षी परियोजना के हेतु समस्त रूप से निधि उपलब्ध कराएगी और यह परियोजना इस नगर के हरियाली से पूर्ण वातावरण में और वृद्धि करेगी। यह परम्परागत उद्यान निश्चित तौर से पुणे नगर के लिए एक गर्व का स्थान सिद्ध होगा।

3.2.9 भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली

भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख, भगवान दास रोड पर स्थित है और यह देश का सबसे प्रमुख विधि शोध संस्थान है। 27 दिसम्बर, 1956 को स्थापित, यह संस्थान, कानूनी शोध को प्रोन्नत तथा संवर्धन करने के उद्देश्य से स्थापित हुआ था। भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश, इस संस्थान के पदेन अध्यक्ष हैं। वर्ष 2004 में इस संस्थान को सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। अपनी समाजी अनिवार्यताओं को पूरा करने की प्रक्रिया के अंतर्गत, इस संस्थान ने पी.एच.डी., एल.एल.एम. (सांयकालीन—3 वर्ष) एवं विधि से जुड़ी कुछ विशिष्टीकृत शाखाओं जैसे कम्पनी कानून एवं प्रबन्धन, इलेक्ट्रॉनिक संचार संबंधी कानून, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार, कर कानून, श्रम कानून, मानव अधिकार कानून, प्रतिभूति एवं बैंकिंग कानून, “ए.डी.आर.स”-कानून निर्माण प्रक्रिया साथ ही संधियों एवं कानून समझौतों का निर्माण—इन उपरोक्त समस्त विषयों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को संचालित किया गया।

एल.एल.एम. कार्यक्रम पूरी तरह से शोध आधारित है और इसकी संरचना एक ऐसे स्वरूप से की गई है ताकि, छात्र, अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर, कानून की विभिन्न शाखाओं की अद्यतन प्रवृत्तियों में होने वाले विकास का अनुसरण कर सके। शोध एवं अध्ययन इन दोनों को इस प्रकार से गुम्फित किया गया है जिससे कि, समाजी रूप से जागरूक व्यावसायिक विद्वान तैयार किए जाएं। पी.जी. डिप्लोमा कार्यक्रमों द्वारा समाज के विभिन्न क्षेत्रों से छात्रों को आकर्षित किया जाता रहा है। यह समस्त पाठ्यक्रमों का अध्यापन, सबसे अद्यतन तकनीकों एवं प्रणालियों द्वारा किया जाता है। सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्षों का आपस में सामंजस्य करके, छात्रों को उनके संबद्ध अध्ययन क्षेत्रों में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने में सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह सारी प्रक्रिया उन्हें उच्चतम रूप से प्रतियोगात्मक एवं गतिशील बनाती है।

संस्थान द्वारा कई प्रकाशन निकाले जा रहे हैं। भारतीय विधि संस्थान द्वारा जार्जिया विश्वविद्यालय, डीन रस्क सेंटर, यू.एस.ए. के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं—इसका लक्ष्य यह है कि न्यायपालिका के सदस्यों के मध्य अन्योन्यक्रिया बनी रहे, शैक्षिक एवं शोध सहभागिता हो, छात्रों का परस्पर विनिमय बना रहे तथा लैक्चरों, विचार गोष्ठियों के संयुक्त रूप से आयोजन होते रहें।

● वर्ष 2008-09 के दौरान गतिविधियाँ

● शैक्षिक गतिविधियाँ

- 2008-09 के सत्र में पी.एच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश—इसमें 2 छात्रों को प्रवेश दिया गया।
- पी.एच.डी. छात्रों की प्रगति का पर्यवेक्षण करना।

- शैक्षिक वर्ष 2008-09 के लिए 2 वर्षीय एल.एल.एम. के लिए और पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश-प्रवेश परीक्षा द्वारा एल.एल.एम. कार्यक्रम में 34 छात्रों को प्रवेश दिया गया और विभिन्न पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए 590 छात्रों को प्रवेश दिया गया।

● ई-प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम-आई.पी.आर.

“आई.पी.आर.” के ऊपर, ऑनलाइन (ई.लर्निंग) प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम को संस्थान द्वारा एक वैकल्पिक कार्यक्रम के रूप में संचालित किया गया और पारम्परिक प्रशिक्षण प्रणालियों के अनुपूरक के रूप में इसे माना गया, जिससे कि सम्पूर्ण भारतवर्ष में पाठ्यक्रम सामग्री की विस्तृत रूप में जनसामान्य तक पहुँच बनी रही।

ई-प्रशिक्षण कार्यक्रम से ऐसा कोई भी व्यक्ति लाभ उठा सकता है, जिस व्यक्ति की पहुँच कंप्यूटर एवं इंटरनेट तक है। पाठ्य-विवरण को चार घटकों में विभक्त किया गया है— (i) पेटेंट्स (ii) प्रतिलिप्याधिकार और समीपवर्ती अधिकार, (iii) व्यापारिक नाम, भौगोलिक चिन्ह एवं प्रभाव क्षेत्रों के नाम, (iv) “ओ.पी.आर.” का प्रबन्धन। रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान, निम्नलिखित दलों को प्रारम्भ किया गया :-

● कंप्यूटर कानूनों पर ई-प्रशिक्षण प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

ऑनलाइन (ई-प्रशिक्षण) प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम जो कंप्यूटर कानूनों पर हैं—उसे इस संस्थान द्वारा एक विकल्प के रूप में प्रारम्भ किया गया और इस पाठ्यक्रम को, पारम्परिक प्रशिक्षण प्रणालियों के अनुपूरक के रूप में प्रारम्भ किया गया, जिससे कि पाठ्यक्रम सामग्री की समस्त भारत में विस्तृत रूप में जनसामान्य तक पहुँच बन सके।

● शोध प्रकाशन/पुस्तकें जो जारी की गईं

प्रकाशन

- त्रैमासिकी “भारतीय विधि संस्थान पत्रिका” (चार प्रतियाँ)
- भारतीय विधि का वार्षिक सर्वेक्षण-2007
- त्रैमासिकी “आई.एल.आइ. न्यूजलेटर” (चार प्रतियाँ)
- अंगीकृत व्याख्या—ए.एस.आई.एल. (1965-2006)
- अंगीकृत व्याख्या—के.आई.एल.आइ. (1956-2007)

पुस्तकें

- प्रीवैन्शन ऑफ मनी लॉन्डरिंग

● सम्मेलन/विचार गोष्ठियाँ/प्रशिक्षण कार्यक्रम/अध्ययन

रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान, निम्नलिखित सम्मेलन/विचार गोष्ठियाँ/अध्ययन आयोजित किए गए/क्रियान्वित हुए :-

अ) विचार गोष्ठियाँ

1. राष्ट्रीय न्यायिक विचार गोष्ठी
2. “आतंकवाद से सम्बद्ध अपराधों की जाँच पड़ताल तथा अभियोजन” इस शीर्षक पर विचार गोष्ठी।
3. अदालती कार्यवाहियों पर कार्यशाला।

ब) अध्ययन

1. ए.डी.आर. परियोजना।
2. राज्य सभा सचिवालय से परियोजना।

स) प्रशिक्षण कार्यक्रम

1. यू.जी.सी. समर्थित रिफ्रेशर कोर्स-विधि अध्यापकों के लिए।
2. नेपाल के सरकारी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।

ड) राष्ट्रीय मध्यस्थता प्रतियोगिता-2009 (आरबिट्रेशन)

- वर्ष 2008-09 के लिए बजटीय आबंटन
वर्ष 2008-09 के लिए अनुमोदित बजट रुपए 397.75 लाख को पूरी तरह उपयोग कर लिया गया।
- यू.जी.सी. द्वारा 10वीं योजना के दौरान सामान्य सहायता अनुदान की 3.00 करोड़ रु. की राशि पूरी तरह से उपयोग कर ली गई थी।

3.2.10 जैन विश्वभारती विश्वविद्यालय, लाडनूँ (राजस्थान)

जैन विश्वभारती विश्वविद्यालय एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा एक ऐसी दिशा में कार्य किया जाना है—जिसके कि व्यावहारिक रूप में, अनेकान्त, अहिंसा, सहनशीलता एवं शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के उच्च आदर्शों को मानवमात्र के कल्याण के लिए साकार किया जा सके।

- बजटीय आबंटन एवं निष्पादन बजट (1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009) (यू.जी.सी. से प्राप्त राशि एवं इसका व्यय)

(अ)

कनिष्ठ अध्येतावृत्ति प्राप्त हुई	1,59,000 /—रु.
डॉ० जे.पी.एन. मिश्रा का शोध अवार्ड	7,50,663 /—रु.
11वीं योजना (विलय की गई योजनाएं) (पुस्तकें, पत्रिकाएं, उपस्कर)	62,30,000 /—रु.
अनिर्दिष्ट अनुदान—	10,00,000 /—रु.

(ब) विश्वविद्यालय का अपना बजट (अवधि-1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009)

वर्ष 2008-09 के दौरान कुल आय—	4,42,08,604 /— रु.
वर्ष 2008-09 के दौरान कुल आय—	3,49,42,430 /— रु.

- लक्षित समूह कवरेज जिसमें वर्ष 2008-09 के लाभ प्राप्तकर्ता सम्मिलित हैं—
वर्ष 2008-09 के दौरान विश्वविद्यालय में जितने छात्रों को प्रवेश मिला—

पाठ्यक्रम	सामान्य		अ.पि.व.		अ.जा.		अ.ज.जा.		शा.अ.		कुल जोड़	
	पु०	म०	पु०	म०	पु०	म०	पु०	म०	पु०	म०	पु०	म०
नियमित												
यू.जी.	0	166	0	142	0	30	0	17	0	2	0	357
पी.जी.	33	52	37	18	4	4	5	5	0	1	79	80
दूरस्थ शिक्षा												
यू.जी.	641	828	183	146	37	20	19	5	2	0	882	999
पी.जी.	875	1122	175	99	38	20	31	9	2	4	1121	1254
प्रमाण पत्र एवं अन्य	446	1245	201	0	35	104	22	19	0	5	704	1373
कुल जोड़	1962	3195	559	245	110	144	72	33	4	9	2786	3983

विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई छात्रवृत्ति/वजीफा पाने वाले छात्रों की संख्या

पी.एच.डी. के लिए वृत्ति पाने वाले छात्रों की कुल संख्या	—	05
एम.फिल. के लिए छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों की कुल संख्या	—	02
स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों की कुल संख्या	—	15
स्नातक स्तर पर अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों की कुल संख्या	—	01

● सम्मेलन जो आयोजित हुए

कार्यशालाएँ	विचार गोष्ठी	गेस्ट लैक्चर	ओरियन्टेशन	कैम्प	अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ
14	02	10	02	09	26

● संकाय सदस्यों द्वारा जिन सम्मेलनों में भाग लिया गया : अंतर्राष्ट्रीय : 12, राष्ट्रीय : 143

● अन्य देशों/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समझौते :

जैन विश्वभारती विश्वविद्यालय द्वारा "एफ.आई.यू." के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। जैन विश्वभारती विश्वविद्यालय और लोरिडा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने एक नवम्बर, 2007 को एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिसके अंतर्गत संकाय सदस्यों का एवं आवासीय छात्रों का आदान-प्रदान किया जाना था, ताकि शैक्षिक क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय पहुँच बन सके।

● प्रकाशन सूची :

क्र.सं.	प्रकाशन	संख्या
1	पुस्तकें	10
2	लेख	20
3	शोध परियोजनाएँ जो आरम्भ की गईं।	23

इनके अतिरिक्त, एक सूचना पत्र-अर्थात् "संवाहिनी" और एक शोध पत्रिका अर्थात् "तुलसी प्रज्ञान", जो इस विश्वविद्यालय के हैं-वे भी त्रैमासिक रूप से प्रकाशित किये जाते हैं।

3.2.11 थापर विश्वविद्यालय, पटियाला (पंजाब)

थापर विश्वविद्यालय और उत्कृष्टता का परस्पर पूर्व निश्चित मिलन है। इस विश्वविद्यालय के हम सब सदस्य, उत्कृष्टता के लिए प्रयत्नशील रहते हैं-जिसके लिए हमने एक अत्युत्तमता का त्रित्व सुनिश्चित कर रखा है-छात्र संकाय सदस्य और अवसंरचना; और यह सब, एक अनुकूल और प्रेरक वातावरण में सहवास करते हैं। अपनी स्थापना के बाद से ही, यह विश्वविद्यालय, सृजन, अभिलेखों तथा विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी में ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए प्रतिबद्ध है और मानवता के सेवार्थ प्रतिबद्ध है।

पिछले कई वर्षों के दौरान थापर विश्वविद्यालय, अपने आकार एवं गतिविधियों को लेकर बहुत विस्तृत हो चुका है। इस विश्वविद्यालय को नूतन ऊँचाइयों तक पहुँचाने का श्रेय कई आदरणीय व प्रख्यात महानुभावों को जाता है-प्रबन्धन समिति की प्रेरणात्मक दूरदर्शिता एवं दृढ़ प्रतिज्ञा, जिसके साथ जुड़ा हुआ है न्यास सदस्यों एवं शासी निकाय के वर्तमान एवं भूतपूर्व सदस्यों की गहनप्रतिबद्धता और संकाय सदस्यों की उत्तरवर्ती पीढ़ियों के समर्पित प्रयास। आज, थापर विश्वविद्यालय-इस देश के निजी प्रबन्धन वाले इंजीनियरिंग संस्थानों में सबसे अग्रणी है और भारत के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में अपने प्रकार का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। उच्च प्रौद्योगिकी शिक्षा का, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का यह एक आरंभिक संयुक्त प्रयास का अनुभव है। थापर विश्वविद्यालय ऐसा संस्थान है जिसमें देशी प्रौद्योगिकी के विकास की संभाव्यता असाधारण रूप से है और वैश्विक स्तर पर इसका इंजीनियरी उद्योगों में स्थानांतरण की संभाव्यता भी विद्यमान है।

हम, छात्रों को उनके द्वारा शोध कार्य करने के लिए उन्हें स्वयं के अपने उद्योगों को चलाने की प्रेरणा देते हैं। इस उद्देश्य से, औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास का केन्द्र, विज्ञान-प्रौद्योगिकी उद्योग पार्क TIFAC-CORE, जो कि कृषि-उद्योग जैव-प्रविधि और एम.एम. थापर स्कूल ऑफ मैनेजमेन्ट इन सबको परिसर के भीतर ही स्थापित किया गया है। हमारा यह प्रयास होगा कि थापर विश्वविद्यालय के छात्रों को एक सम्पूर्ण, आनन्ददायक एवं भरसक प्रशिक्षण वाला अनुभव प्राप्त हो सके। छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु हमने बड़ी संख्या में सांस्कृतिक खेल-कूद वाली, समाजिक एवं वैज्ञानिक गतिविधियाँ रखी हैं। हम नियमित रूप से जीवन के हर क्षेत्र में से अग्रणी लोगों को और प्रेरणा प्रदान करने वाले व्यक्तियों को आमन्त्रित करते रहते हैं तथा छात्रों को उनके साथ समय एवं स्थिति की भागीदारी के लिए प्रेरित करते हैं।

● ऐकेडमिक एकक

विश्वविद्यालय के जो ऐकेडमिक एकक हैं—वे हैं—विभाग, स्कूल एवं केन्द्र विभागों की भूमिका में, स्नातक स्तर, स्नातकोत्तर स्तर एवं शोध स्तर कार्यक्रम जो कि सापेक्ष इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी विषयों में हैं—उन्हें संयोजित एवं संचालित करना—जबकि स्कूलों द्वारा केवल मात्र स्नातकोत्तर एवं शोध स्तर कार्यक्रमों को देखना होता है। “केन्द्र”—यह अन्तर-विषयक एकांश है जो कि सम्पूर्ण रूप में विश्वविद्यालय के लिए सेवाएं समर्पित करते हैं। विश्वविद्यालय में आठ विभाग हैं — यथा : जैव-प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरणीय विज्ञान, रासायनिक इंजीनियरिंग, भवन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एण्ड इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मेकेनिकल इंजीनियरिंग एण्ड डिस्टेंस एजुकेशन एवं केमिस्ट्री एवं बायो केमिस्ट्री की पाँच शैलियाँ, मैनेजमेन्ट एण्ड सोशल साइंसिज, मैथमेटिक्स एण्ड कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिजिक्स एण्ड मैटेरियल साइंस, मैनेजमेंट। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय में अन्य आठ केन्द्र हैं।

● डिग्री कार्यक्रमों की प्रमुख विष्टिताएँ

- सत्रीय प्रणाली
- छात्रों द्वारा निष्पादन का निरन्तर मूल्यांकन
- 'लैटर ग्रेड्स'
- पाठ्यक्रमानुसार प्रोन्नति
- पाठ्यक्रमों के चयन में छात्रों को लचीलापन और जो सर्वाधिक उपयुक्त गति उन छात्रों को अपनी योग्यता, क्षमता एवं रुचि के अनुरूप लगती है, इसी के अनुसार उन्हें गतिशील होने का सुअवसर देना।
- E => D परीक्षणों द्वारा अनुमोदित विधि के अनुसार

● पाठ्यक्रम डिजाइन एवं विकास

पिछले कई वर्षों में, भारतवर्ष में इंजीनियरिंग शिक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं जहाँ तक लक्ष्यों, अभिगम एवं विषयवस्तु का प्रश्न है। आज के समय में किसी भी सु-प्रशिक्षित इंजीनियर से यह आशा की जाती है कि उसे, अनुप्रयुक्त विज्ञानों एवं वैज्ञानिक प्रणालियों की पूरी जानकारी है तथा उसे अपने विशेषज्ञता क्षेत्र की उसे गहन समझ है व उस क्षेत्र में उसे व्यावसायिक प्रवीणता हासिल है। उसे अन्तर-विषयक समूह के साथ कार्य करने की बहुमुखी प्रतिभा है; और उद्योग विशेष की जरूरतों एवं आशाचिताओं एवं समाज के विस्तृत रूप के प्रति उसमें संवेदनशीलता है। विश्वविद्यालय में विहित पाठ्यक्रमों को ऐसे रूपांकित किया गया है कि जिससे इंजीनियरों का सृजन हो सके, जो कि इन लक्ष्यों की पूर्ति करने में सक्षम होंगे। ऐसे पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण किया जाता है तथा समय-समय पर इसे अद्यतन किया जाता है — तथा यह सुनिश्चित किया जाता है कि इन पाठ्यक्रमों की निरन्तरता बनी रहे तथा यह एक निर्देश चिन्ह के रूप में सर्वोत्कृष्ट संस्थानों में विश्व पर्यन्त स्वीकार्य रहें।

● छात्र संख्या

स्नातक स्तर पर इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय में 2678 छात्रों की संख्या है जिनमें से 402 महिला छात्राएँ हैं। इसी प्रकार से, विश्वविद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1231 है — जिनमें से 438 महिला छात्राएँ हैं। विभिन्न विभागों के अन्तर्गत, विश्वविद्यालय में शोध स्तर पर 265 छात्रों को प्रवेश मिला हुआ है, और छात्र एम.फिल. कार्यक्रम का अनुसरण कर रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा अपने समस्त कार्यक्रमों में आरक्षित श्रेणी की सीटों को भरने के लिए यू0जी0सी0 दिशानिर्देशों का अनुसरण किया है।

● संकाय

थापर विश्वविद्यालय में सभी विभागों, स्कूलों एवं केन्द्रों में सुचारु रूप से योग्य, उच्च रूप अभिप्रेरित एवं सम्पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध संकाय सदस्य हैं ताकि स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर गुणवत्ता से पूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। अधिकांश संकाय सदस्य या तो पी0एच0डी0 प्राप्त विद्वान हैं अथवा वे हैं जो कि अपने शोध डिग्री के लिए अनुसरण कर रहे हैं।

● विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ समझौते ज्ञापन

थापर विश्वविद्यालय ने यूनिवर्सिटी आफ वाटरलू के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं जिसके अन्तर्गत छात्रों के प्रशिक्षण का कार्य होगा और छात्रों द्वारा संयुक्त रूप से अनुसंधान गतिविधियाँ की जा सकेंगी। यह विश्वविद्यालय इसी के समान ही कुछ अन्य विदेशी विश्वविद्यालयों जिनमें वैस्टर्न ऑन्टेरियो विश्वविद्यालय, न्यू जर्सी इन्स्टिट्यूट ऑफ टैक्नालोजी, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, विरजीनिया पॉलिटेक्नीक इन्स्टिट्यूट और स्टेट यूनिवर्सिटी भी शामिल है — के साथ समान रूप वाले समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने वाले हैं ।

● अद्यतन भूतपूर्व छात्र

किसी भी विश्वविद्यालय के भूतपूर्व छात्र उसकी सर्वोच्च सम्पत्ति होते हैं। चाहे ऐसे किसी भी छात्र ने स्नातक परीक्षा एक वर्ष पूर्व ही उत्तीर्ण की हो अथवा इस विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार में 50 वर्षों पूर्व आया हो प्रत्येक 'थापेरियन' में विश्वविद्यालय के प्रति अभूतपूर्व मूल्यवान तत्व किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान होगा। हमारे यहाँ के कई भूतपूर्व छात्र भारत में तथा विदेशों में उच्च पदों पर आसीन हैं वे छात्र बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बोर्ड पर स्थित हैं अथवा भारतीय लोक सेवाओं में रत हैं, थापेरियन छात्रों ने अपने कालेजों को गर्वोन्नत सदैव ही किया है। थापर विश्वविद्यालय भूतपूर्व छात्र संबंधित कार्यालय एवं उसके पूर्व छात्रों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है और विश्वविद्यालय की वेबसाइट की भी व्यवस्था करता है। (www.thaprians.in) यह थापेरियाई वेबसाइट, इन पूर्व छात्रों को ऐसा मंच उपलब्ध कराती है ताकि पूर्व छात्र परस्पर सहसंबंध बना सकें तथा परिसर में अद्यतन विकासों के विषय में उन्हें सम्पूर्ण जानकारी बनी रहें।

● पाठ्यक्रम अद्यतन

जनवरी-जून, 2004 के मध्य, थापर विश्वविद्यालय द्वारा समस्त स्नातक स्तर एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का पुनरीक्षण किया गया था। उसी समय पर ही, पाठ्यक्रमों का पुनरीक्षण किया गया था। उसी समय पर ही पाठ्यक्रमों की पुनरीक्षण प्रणाली को निरन्तर बनाये रखने की नीति को लागू किया गया था। तदनुसार, इस प्रणाली में परिवर्तनों के लिए एक अर्न्तनिहित लचीलापन है। जोखिम में भागीदारी रखने वालों से जो प्रतिपुष्टि होती है उन पर आधार मानकर जो पाठ्यक्रमों में छोटे-छोटे परिवर्तन आ जाते हैं उन्हें किसी भी समय लागू किया जा सकता है पाठ्यक्रमों का विस्तृत पुनरीक्षण हम प्रति चार वर्षों में प्रभावी करते हैं। डीन, शैक्षिक मामलों के, उनकी अध्यक्षता में एक पुनरीक्षण समिति गठित की गई थी। प्रस्तावित अनुशंसाएँ जुलाई, 2009 से लागू की गई हैं।

● व्यापकता वाले क्षेत्र

शोध

हमारी यह आकांक्षा है कि प्रौद्योगिकी के अग्र क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता शोध कार्य सम्पूर्ण किया जाये और साथ ही अत्यधिक सुदृढ़ ज्ञान एवं प्रवीणता से युक्त तथा व्यवसाय के प्रति निष्ठा रखने वाले, तथा सामाजिक एवं राष्ट्रीय मूल्यों एवं नीति विषयक विचारक ऐसे व्यक्तित्व वाले लोगों का विकास किया जायें। शोध कार्य, किसी भी विश्वविद्यालय के लिए आधार-शिला के समान है। कई प्रमुख शोध परियोजनाएँ अभी लागू की जा रही हैं और इन योजनाओं के लिए सहायता उपलब्ध कराने वाले और समर्थन देने वाले हैं – यूरोपियन, यूनियन, नेवल रिसर्च बोर्ड, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग एवं अन्य।

पाठ्यक्रम संबंधी सर्वोत्तम अभ्यास

थापर विश्वविद्यालय, पटियाला, ई-सौल्यूशन्स सॉफ्टवेयर को लागू किये जाने की प्रक्रिया को कर रहा है। यह समस्त प्रक्रिया इसके शैक्षिक एवं अन्य संबद्ध गतिविधियों के लिए है जिसमें मानव संसाधन एवं वित्तीय प्रबन्धन भी शामिल है। इसी सॉफ्टवेयर की सहायता से वर्ष, 2008-09 के छात्रों के प्रवेश संबंधी परामर्श का कार्य बहुत सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ था। इसी सॉफ्टवेयर के प्रयोग द्वारा बहुत सी अन्य शैक्षिक गतिविधियाँ लागू हो सकी हैं जैसे मध्य-सत्रीय परीक्षण तथा सत्रान्त परीक्षाएँ, छात्रों के अंको एवं श्रेणी वितरण करना तथा छात्रों की इन समस्त प्रक्रिया के प्रति क्या प्रतिक्रिया है – इन सबको लागू किया जा सका है। पंजीकरण संबंधी सूचना, परीक्षा तिथि तालिका, छात्रों के बैठने की व्यवस्था, नियत ड्यूटी की तालिका, यह समस्त बातें वेब कियोस्क द्वारा सभी सम्बद्ध व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जा चुकी हैं और इसके लिए भी ऑन-लाइन सुविधा का उपयोग किया जाता है। इसी सॉफ्टवेयर की सहायता द्वारा ही अंकों के कुल वितरण/श्रेणियों के वितरण की जो कुल विस्तार है वहां तक छात्रों की पहुँच सम्भव हो पाती है।

विस्तार संबंधी गतिविधियाँ

विश्वविद्यालय का जो सामाजिक दायित्व है उन दायित्वों को उनका वांछित महत्व प्रदान किया गया है। विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक सभा बनाई है 'प्रतिज्ञा' जिसके अन्तर्गत शोषित व्यक्तियों के साहचर्य में सारे काम किये जाते हैं। स्वास्थ्य विज्ञान एवं सेवाओं में आधारगत शिक्षा प्रदान करने के लिए यह संख्या 'प्रतिज्ञा' द्वारा – परिसर में, निर्माण कार्य में लगे हुए श्रमिकों के बच्चों तक पहुँच बनाए रखी है। इन बच्चों को अभिनय कलाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है। थापर विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा, बच्चों एवं वयस्कों को भी आधारमूलक शिक्षा प्रदत्त की जाती है। एक अन्य योजना के तहत, स्कूलों के विरत-छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ये छात्र, उन स्थानीय स्कूलों में भी जाते हैं जहाँ पर छात्रों को पढ़ाने वाले अध्यापकों की कमी हैं। इन दोनों योजनाओं के अन्तर्गत छात्रों ने आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त की है।

विश्वविद्यालय ने "नाबार्ड" के साथ भागीदारी की है ताकि अकुशल एवं अर्द्धकुशल कारीगरों को प्रशिक्षण दिया जा सके। एन0एस0एस0 शाखा द्वारा नियमित रूप से वृक्षारोपण, ग्रामीण शिक्षा एवं रक्तदान शिविर आयोजित किए गए।

● अवसंरचना एवं प्रशिक्षण संसाधन

विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2027 की परिसर पुनर्विकास योजना की रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। यह योजना, विश्वविद्यालय की सूक्ष्म दृष्टि के अनुरूप ही है। इस पुनर्विकास में पुनः स्थापना की आवश्यकता होगी अथवा मौजूदा सुविधाओं

में कई सुविधाओं के सहायक रूप में और सहायक सुविधाओं को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। इस प्रकार, पांच-पांच वर्षों के लिए चरणबद्ध योजना विकसित की गई है। इस प्रयास द्वारा, परिसर में भविष्य में जो कार्य होना है, उस कार्य की एक सुगठित सूक्ष्म दृष्टि हमारे समक्ष आई है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान, जितना भी निर्माण कार्य पूरा हुआ है उसमें 5000 लाख रुपये तक का व्यय हुआ है। इस निर्माण कार्य में निम्न सुविधाएँ सम्मिलित हैं:

- व्याख्यान कक्ष परिसर
- लड़कों एवं लड़कियों के छात्रावास
- छात्रावासों का नवीकरण
- प्रयोगशालाओं का नवीकरण
- नूतन प्रयोगशाला स्थल का सृजन

वर्ष 2008-2009 के दौरान, नवीन योजनाओं का समापन

- छात्रों का नवीन छात्रावास (858 कक्ष)
- संकाय सदस्यों के नवीन आवास (48 एकांश)
- छात्रावास "एच" से लेकर नवीन पश्चिम द्वार तक सड़क

निम्न परियोजनाओं में कार्य प्रगति :

- "कोस" (C.O.S.) केन्द्र (संयुक्त, व्यावसायिक, मुक्त वातावरण की रंगशाला तथा खेल-कूद केन्द्र)
- टी.ए.एन. (T.A.N.) केन्द्र (अध्यापन एवं नेटवर्किंग केन्द्र)

निम्न परियोजनाएं योजनागत हैं और रूपांकन की अवस्था में हैं:-

- खेल-कूद परिसर
 - साईन (SINE) केन्द्र (खेल-कूद एवं अन्तःस्थ मनोरंजन हॉल)
 - रिपोर्टाधीन वर्ष 1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 के लिए बजट आवंटन एवं निष्पादन बजट।
वर्ष 2008-09 के लिए बजट को रुपये 7879.45 लाख के रूप में संशोधित कर दिया गया है।
 - लक्षित समूह का कवरेज-जिसमें लाभान्वितों की संख्या सम्मिलित है (अध्यापक, छात्र, महिलाएँ, अ0जा0/अ0ज0जा0 आदि)
गैर शिक्षण स्टाफ — अ.ज. — 25, अ.पि.व./शा.वि. —01
शिक्षण स्टाफ — अ.जा.— 05, अ.पि.वि/शा.वि.—02
 - आयोजित सम्मेलन, विदेशी प्रतिनिधिमंडलों द्वारा दौरे तथा अन्य महत्वपूर्ण आयोजन हुए हैं — यदि हुए हैं।
1. पी.सी.बी. प्रशिक्षण (रूपांकन, गढ़ना, परीक्षण करना) एवं सूक्ष्म नियंत्रक, 3 जून —15 जुलाई, 2008 — इलेक्ट्रॉनिक्स कम्प्यूनिक्शन इंजीनियरिंग द्वारा
 2. आई.ई.ई.ई. अग्रवर्ती कम्प्यूटरीकरण, मार्च 19-20, 2009 — कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग विभाग द्वारा
 3. एन.एस.एफ.डी. 15—2008, 15 वॉ फैरोइलैक्ट्रीक्स एवं डाइएलेक्ट्रिक्स पर राष्ट्रीय विचार गोष्ठी— 6-8 नवम्बर, 2008, स्कूल ऑफ फिजिक्स एण्ड मैटिरियल साइन्सज
 4. तीसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन "रिसैन्ट डैवलपमेंन्ट्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ;एन. सी. एम. ई. 2008 नवम्बर 14-15, 2008, एक-दो दिवसीय अल्पावधि पाठ्यक्रम आयोजित किया गया इसका शीर्षक था — "इन्डस्ट्रियल नॉयज एण्ड इट्स कन्ट्रोल" — इसे पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पटियाला द्वारा इसे आयोजित किया गया — और संयुक्त रूप से मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा इसे आयोजित किया गया।

5. “एडवान्सिंग इन कैमिकल इंजीनियरिंग” पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ — 27–29 फरवरी, 2009। आर.एस.टी.ई-ए.आई.सी.टी.ई द्वारा नियोजित अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम इस शीर्षक पर हुआ “एप्लीकेशन आफ मॉडलिंग एण्ड सिमुलेशन्स इन कैमिकल इंजीनियरिंग (ए.एम.एस.सी.ई.-2009) यह कार्यक्रम मार्च 16–20, 2009 को कैमिकल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा किया गया।

- अन्य देशों/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से किए गए समझौते — शून्य
- प्रकाशनों की सूची

वर्ष 2008–09 के दौरान संस्थान के संकाय द्वारा कुल मिलाकर भारतीय पत्रिकाओं में 24 शोध पत्र प्रकाशित हुए तथा अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 32 शोध पत्र प्रकाशित हुए।

- अन्य कोई भी ऐसा ब्यौरा जिसे विश्वविद्यालय दूसरों तक पहुँचाना चाहता है
 - ❖ बी.ई.छात्रों ने डी.आर.डी.ओ. परियोजना “अनमैण्ड एरियल सर्वेलैन्स वेहिकल”—इस शीर्षक पर प्रथम पुरस्कार जीता (रुपये 50,000/— नकद पुरस्कार)
 - ❖ हमारे यहां के दो छात्रों द्वारा बैंकाक में प्रशिक्षण प्राप्त किया गया — यह प्रशिक्षण कैडबरी एडम्स (थाईलैण्ड यूनिट), 102–1, एम004, लड़कराबैण्ड इंडस्ट्रियल एस्टेट, चालोंगक्रंग रोड, लम्पलाटियू, लड़्राबैण्ड में प्राप्त किया गया।

3.2.12 बिड़ला प्रौद्योगिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, पिलानी, राजस्थान

“बिटस” एक सम विश्वविद्यालय है जो कि यू0जी0सी0 अधिनियम, 1964 के अनुभाग-3 के तहत स्थापित हुआ हैं इसके परिसर, पिलानी गोवा, हैदराबाद एवं दुबई में है।

● उद्देश्य

इस संस्थान के प्रमुख लक्ष्य है कि “प्रौद्योगिकी, विज्ञान, मानविकी उद्योगों, व्यापार, सार्वजनिक प्रशासन—इन क्षेत्रों को उपलब्ध कराना अथवा इन विषयों में छात्रों एवं इच्छुक अध्येताओं को परस्पर मिलान, तथा इन सभी क्षेत्रों में ऐसे प्रभावी विचारों, विधियों एवं सूचना का प्रचार प्रसार करना, जिसके द्वारा सम्पूर्ण भारत का तात्त्विक एवं औद्योगिक कल्याण हो सके — और इसके अलावा उन युवा पुरुषों एवं महिलाओं को प्रशिक्षित करना, जो कि सक्षम हैं एवं उत्सुक है कि इन सभी विचारों, विधियों, तकनीकों एवं सूचना को क्रियात्मक रूप प्रदान किया जा सकें।

वर्ष 2008–09 के दौरान, बजट आबंटन एवं उपयोग—वर्ष 2008–2009 के दौरान

अनुदान (3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए)	अनुदान राशि जो वर्ष 2008–2009 के प्रदान हुआ (रुपये लाखों में)	वर्ष 2008–2009 के दौरान उपयोग की गई (रुपये लाखों में)
11वीं योजना (उपस्कर, पुस्तकें, पत्रिकाएँ)	659.40\$	88.62
11वीं योजना (11 विलय की गई योजनाएँ—मय अनिर्दिष्ट अनुदान)	28.73	11.50
योजनेत्तर योजना		
यू0जी0सी0 वृहत शोध परियोजनाएं	71.06*	14.00
यू0जी0सी0—डी.आर.एस./एस.एवी (फार्मसी कैमिस्ट्री जैव-विज्ञान, मैकेनिकल इंजिनियरिंग)	145.50*	25.89
यू0जी0सी0 अवसंरचना निधि (फार्मसी कैमिस्ट्री जैव-विज्ञान, मैकेनिकल इंजिनियरिंग)	80.00	60.12
यू0जी0सी0 महिला अध्ययन केन्द्र	50.00*	8.66
यू0जी0सी0 नवीन कार्यक्रम (मास्टर इन पब्लिक हेल्थ)	29.00*	13.19
महिला छात्रावास का निर्माण	57.90*	20.05

* पूरी राशि जारी नहीं की गई है। \$ यू0जी0सी0 द्वारा यथार्थ राशि घोषित नहीं हुई है।

● लक्षित समूह का कवरेज

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, यू0जी0सी0 द्वारा आबंटित निधियों को तथा अन्य संस्थानों द्वारा आबंटित राशि का प्रभावी तौर से 7301 छात्रों की जरूरतों की पूर्ति में उपयोग हुआ (1271 लड़कियाँ एवं 6030 लड़के) तथा 524 संकाय सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ।

● वर्तमान स्थिति, सापेक्ष नीति विषयक महत्वपूर्ण निर्णय/परिवर्तन किए गए जो कि कार्यक्रम के अनुरूप थे। 11वीं योजना

वर्ष 2008-09 के दौरान, पुस्तकों और पत्रिकाओं के लिए 47.07 लाख रुपये का उपयोग किया गया, उपस्करों को उपलब्ध कराने के लिए रुपये 41.55 लाख का उपयोग किया गया। यू0जी0सी0 की आर्थिक सहायता द्वारा जिन महत्वपूर्ण उपस्करों को खरीदा गया, उनमें से प्रमुख थे शिमाजू प्रोमिनेन्स एल0सी0-20 ए.डी. बाइनरी ग्रेडियेन्ट एच. सी.एल.सी. सिस्टम, डिजिटल स्टोरेज ओसिलोस्कोप, रिवर्स ओस्मोसिस सिस्टम आदि।

योजनेत्तर

यू0जी0सी0 वृहत अनुसंधान परियोजनाएँ

वर्ष 2008-09 के दौरान निम्न, यू0जी0सी वृहत अनुसंधान परियोजनाओं को हाथ में लिया गया था :-

1. "स्टडी ऑफ दी एक्स्टैक्शन बिहेवियर एण्ड स्पेशियेशन ऑफ क्रोमियम, यूजिंग वेरियस लॉग चैन एमीन्ज एण्ड इट्स एप्लीकेशन इन दी ट्रीटमेंट ऑफ इलैक्ट्रोप्लेटिंग वेस्ट वाटर।
2. ट्रान्जीशन-मेटल केटेलाइज्ड रिएक्शन ऑफ आयोडोनियम सलाईडस
3. मैडिकल एण्ड थैरेप्यूटिक करैक्टराइजेशन ऑफ इन्ड्यूस्ड सोमाक्लोनल वेरियेशन इन ए मैडीसीनल प्लान्ट "क्लोरोफाइटम बोरीविलियेनम"
4. नोवल कैनेक्सैलीन कार्बोजैमाइडीज : डिजाइन,सिन्थैसिज, एण्ड न्यूरो-फारमैकौलोजिकल ईवैल्यूएशन एज एन्टीडिप्रैसैन्ट्स, एन्कसियालाइटिक्स, एण्ड दी मैनेजमेंट्स, ऑफ कैंसर कैमोथेरेपी इन्ड्यूस्ड नौजिया एण्ड वोमिटिंग।
5. डिजाइन एण्ड सिन्थैसिज ऑफ न्यअर गाबा एनेलागज फॉर टीटिंग सी0एन0एस0 डिसऑर्डर्स।
6. डिजाइन एण्ड डैवेलपमेंट ऑफ स्टैटिक सन सेड फॉर थर्मल कम्पर्ट इन्साइड दि बिल्डिंग्स।
7. स्टडीज ऑन एडसोर्प्शन प्रोसेस फॉर दी रिमूवल ऑफ मेटल आयान्ज फ्रॉम एयर बाई यूजिंग सूटेबल एडजोरबैन्ट्स।
8. प्रोबिंग टिवास्टिड इन्ट्रामोलीक्यूलर चार्ज ट्रान्सफर फलोरोसैन्स टू करैक्टराइज दी मिसैल्ज ऑफ मैयूफैक्चरिंग एक्सीलैन्स इन इन्डियन इन्डस्ट्री।
9. इन एम्पीरीकल इन्वैस्टीगेशन ऑफ मैयूफैक्चरिंग एक्सीलैन्स इन इन्डियन इन्डस्ट्री
10. फलैक्चूरल स्टैन्डनिंग ऑफ कन्क्रीट स्ट्रक्चर्ज यूजिंग नियर सरफेस माउन्टिड ;एन.एस.एम.द्ध फाइबर-रीइन्फोरसमेंट।

सैप-डी.आर.एस.

फार्मेसी, रसायन शास्त्र, जैव विज्ञान एवं अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग से जुड़े समूहों को, विशेष सहायता कार्यक्रम सैप के अन्तर्गत डी.आर.एस. में प्रतिष्ठित किया गया है। अभी कुछ समय पूर्व ही, भौतिकी से जुड़े समूहों को "सैप" के अन्तर्गत डी.आर.एस. के लिए प्रेरित किया गया है। चयनित समूहों द्वारा इस अवधि में अच्छी प्रगति की गई है।

अवसंरचना निधि

संस्थान में, फार्मेसी, रसायन शास्त्र, जैव विज्ञान एवं यांत्रिकी इंजीनियरिंग समूहों को अवसंरचना विधमान थी उसके लिए यू.जी.सी. ने प्रोन्नत करने और रखरखाव के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी, वह सहायता उचित रूप से उपयोग में लाई जा चुकी है। अभी कुछ समय पूर्व ही इस निधि के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान समूह को भी अनुदान दिया गया था।

यू.जी.सी. महिला अध्ययन केन्द्र

“बिट्स” पिलानी में यू.जी.सी. समर्थित महिला अध्ययन केन्द्र स्थापित किया गया। इस अध्ययन का लक्ष्य यह है कि तकनीकी मध्यस्थताओं द्वारा सामाजिक आर्थिक एवं स्वास्थ्य के क्षेत्रों में महिलाओं एवं उनके सम्बद्ध परिवारों के प्रोत्थान की दिशा में कार्य किया जाये। इस विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त क्षेत्रों में यह अध्ययन केन्द्र श्रेष्ठ कार्य कर रहा है।

यू.जी.सी नव-प्रवर्तित कार्यक्रम

यू.जी.सी द्वारा ‘बिट्स’ पिलानी को सार्वजनिक श्रेष्ठ स्वास्थ्य में स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए निधि उपलब्ध कराई गई जिस योजना में कुछ प्रतिष्ठित संस्थानों का सहयोग था—जैसे यूनीफार्मड सर्विसिज यूनीवर्सिटी आफ हैल्थ साइंसिज, यू.एस.ए., तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का राष्ट्रीय संस्थान, नई दिल्ली। इस योजना के अन्तर्गत छात्रों का प्रथम दल 2009 में सफल हुआ और अब यह कार्यक्रम सफलता पूर्वक चल रहा है।

महिला होस्टल का निर्माण

यू.जी.सी द्वारा निधि उपलब्ध कराई गई, उनके द्वारा शोध छात्रों एवं विजिटिंग महिला विद्वानों के लिए एक महिला छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है। यह निर्माण कार्य अब अपने अंतिम चरण में है।

अनिर्दिष्ट अनुदान

यात्रा अनुदान

यू.जी.सी को सक्रिय समर्थन द्वारा—जो कि विलय की गई योजनाओं के संदर्भ में किया गया है—इस संस्थान द्वारा अपने शिक्षकों को यात्रा अनुदान उपलब्ध कराया जा सका, जिससे कि वे शिक्षक भारत में आयोजित सम्मेलनों में अथवा विदेशों में किये जाले वाले सम्मेलनों में भागीदारी कर सकें, विभिन्न समूहों द्वारा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/क्षेत्रीय विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जा सके तथा विद्वत् शोध कार्य जिसमें शोध प्रबन्ध शामिल है—उसका प्रकाशन कराया जा सके। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, 70 संकाय सदस्यों को यू.जी.सी निधियों के माध्यम से समर्थन प्रदान कराया गया ताकि वे सदस्य भारत में आयोजित 59 सम्मेलनों में भागीदारी कर सकें—तथा 11 संकाय सदस्य, विदेशों में आयोजित सम्मेलनों में भागीदारी कर सकें। इसके अतिरिक्त, भारत वर्ष से एवं विदेशों से, कुल मिलाकर 50 अकादमिशियनों, विशेषज्ञों एवं उद्योगों से जुड़े व्यक्तियों को छात्रों एवं संकाय सदस्यों के साथ अन्योन्यक्रिया हेतु तथा लेक्चर प्रदान करने के लिए विभिन्न समूहों द्वारा आमन्त्रित किये गए।

सम्मेलन/विचार गोष्ठी/कार्यशाला

वर्ष 2008–2009 के दौरान, संस्थान द्वारा 14 विचार गोष्ठी/सम्मेलन/ गोष्ठी कार्यशाला आयोजित की गई और जिनमें से 7 कार्यक्रमों के लिए यू.जी.सी द्वारा अनिर्दिष्ट अनुदान में से आंशिक रूप से निधियन किया गया था। इस अवधि में आयोजित सम्मेलनों में 80 से भी अधिक विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अनिर्दिष्ट अनुदान में से जिन समारोहों के लिए निधि उपलब्ध कराई गई, उन समारोहों के नाम निम्न हैं:

1. सॉफ्टवेयर निपुणताओं के विकास संबंधी रणनीतियां: निगमात्मक एवं अकादमिक परिप्रेक्ष्य—अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन
2. राष्ट्रीय सम्मेलन: जीवाणु के माध्यम से वातनिरपेक्षता पाचन शक्ति एवं जीवन शक्ति
3. जल संसाधन विकास एवं प्रबन्धन: कार्यशाला
4. वाणिज्य एवं समाज में रुपान्तरणयुक्त सहभागिता का गति विज्ञान—विचार गोष्ठी
5. जीव विज्ञान अनुसंधान में उभरती हुई प्रकृतियां—राष्ट्रीय सम्मेलन
6. ग्राफिक एवं ज्यामितीय एल्गोरिद्म—राष्ट्रीय कार्यशाला
7. उकेरी पर कार्यशाला

● उद्योग जगत एवं शैक्षिक संस्थानों के साथ सहभागिताएं

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, संस्थान द्वारा, विभिन्न उद्योगों एवं शैक्षिक संस्थानों के साथ 17 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गए। इन सहभागियों में अन्य के अलावा यह भी शामिल थे—सैप प्रयोगशालाएँ प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलौर, यूनीवर्सिटी ऑफ टॉलेडो, यू.एस.ए., याहू, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड, मैट्रिक्स लैब, हिन्दुस्तान एरोनेटिक्स लिमिटेड, बंगलौर।

● प्रकाशन

संकाय सदस्यों ने अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पत्रिकाओं में कुल मिलाकर 150 शोध पत्र प्रकाशित कराये हैं। 100 से भी अधिक संकाय सदस्यों ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी अधिक संकाय सदस्यों ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया और वहाँ पर 116 शोध पत्र प्रस्तुत किये। वर्ष 2008-2009 के दौरान, ऐसे कुछ प्रकाशन थे जो प्रथम श्रेणी स्तर के शोध प्रबन्ध पर आधारित थे और कुछ उच्च श्रेणी योजनाओं पर आधारित प्रकाशन थे और ये समस्त प्रकाशन उन छात्रों के संयुक्त सहलेखन वाले थे जो उन योजनाओं से जुड़े हुए थे।

● नवीन कार्यक्रमों का संयोजन

वर्ष 2008-2009 के दौरान, निम्न 7 नवीन कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया गया, बी. ई (आनर्स) मेन्यूफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, बी. ई (आनर्स) मेन्यूफैक्चरिंग विद इन्डस्ट्रियल प्रैक्टिस बी. ई (आनर्स) नेवल आर्किटेक्चर एम. फिल. कैमिस्ट्री, एम. ई कैमिकल (पेट्रोलियम इंजीनियरिंग), एम. फार्मा (फार्मैस्यूटिकल), एम. फार्मा (फार्मैस्यूटिकल कैमिस्ट्री) इनके अतिरिक्त, कार्य समेकित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत कई अन्य नवीन कार्यक्रम, विभिन्न कम्पनियों के कर्मचारियों के लिए, उनके जीविका विकास के अंश रूप में प्रारम्भ किये गए।

● भविष्य कार्य योजना-जिसके द्वारा अनुसरण की जाने वाली विकासात्मक रणनितियों का संकेत मिलता है-

“बिट्स” पिलानी को विश्व के अग्रणी विश्वविद्यालयों में से एक बनाने की दिशा में प्रक्रिया आरम्भ की जा चुकी है। भविष्य की योजनाओं के अनुरूप कार्यक्रमों में सुधार लाने के लिए विश्वविद्यालय-उद्योग के परस्पर सम्पर्कों को और सशक्त बनाने के लिए शोधकार्य में और भी अधिक अन्तर्राष्ट्रीय सहभागिता-अनुप्रयोग अभिमुख शोध आदि-यह समस्त कदम उठाए गए।

● उप कुलपति द्वारा विदेश दौरा

प्रोफेसर एल. के. माहेश्वरी, उप-कुलपति “बिट्स” पिलानी, द्वारा सहभागिता की संभावनाओं को जाँचने के लिए, कनाडा एवं यू.एस.ए. का भ्रमण किया गया।

निष्कर्ष रूप में, यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि “बिट्स” पिलानी, द्वारा अपने समस्त संसाधनों को एक गत्यात्मकता प्रदान की है (संसाधन जो विभिन्न निधियन करने वाली संस्थाओं से जिसमें यू.जी.सी सम्मिलित है उनसे उपलब्ध हुए हैं) ताकि एक ऐसा अनुकूल वातावरण बन सके जिसमें शिक्षा के सभी स्तरों पर अनुसंधान एक अनिवार्य घटक के रूप में सम्मिलित रहे और इसके द्वारा अध्यापन एवं शोध कार्य के लिए अवसरचना की वृद्धि हो सके।

3.2.13 रामाकृष्ण मिशन विवेकानन्द विश्वविद्यालय, बेलूर मठ (प. बंगाल)

● ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : स्वामी विवेकानन्द की दूरदृष्टि एवं उनका लक्ष्य

रामाकृष्ण मिशन विवेकानन्द विश्वविद्यालय, जो पूर्वकाल में रामाकृष्ण मिशन शैक्षिक अनुसंधान, के नाम से जाना जाता था - वह विश्वविद्यालय एक विनम्र प्रथम प्रयास है जिसके द्वारा स्वामी विवेकानन्द की वह कल्पना साकार हुई, जिसके अन्तर्गत उन्होंने बेलूर मठ में एक विश्वविद्यालय की कल्पना की थी- बेलूर मठ जो कि रामाकृष्ण मिशन मुख्यालय है - जिस मिशन की नींव उन्होंने अपने गुरु एवं स्वामी रामकृष्ण परमहंस के निर्देश पर रखी थी। वास्तव में, 2 जुलाई, 1902 के दिन अपने महाप्रयाण से ठीक 2 दिन पूर्व ही स्वामी विवेकानन्द ने इस बात पर बल दिया था, भविष्यवाणी की “बेलूर (मठ) में जो यह जागृति/चेतना का संचार हुआ है- वह आगामी 1500 वर्षों तक निरन्तर बना रहेगा और यही एक दिन विशाल विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो जाएगा। तुम यह मत सोचो कि यह विश्वविद्यालय मेरी कल्पना मात्र है, न ही मैं इस सबको धटित होते हुए देख रहा हूँ। एक अन्य अवसर पर उन्होंने लिखा, “अब जो हम सब का लक्ष्य है, वह है इस “बेलूर (मठ) को एक सर्वांगीण रूप वाला विश्वविद्यालय बनाना”। अपनी इसी दूरदृष्टि की कल्पना को साकार करने के विनम्र प्रयास में, रामकृष्ण मिशन द्वारा वर्ष 2005 में एक विश्वविद्यालय प्रारम्भ किया गया जिसका नाम रखा गया “रामकृष्ण विवेकानन्द एजुकेशन एवं रिसर्च संस्थान”- बाद में इसका पुनः नाम निर्धारित किया गया “रामाकृष्ण मिशन विवेकानन्द विश्वविद्यालय”, जिस नाम से यह आज भी जाना जाता है। स्वामी विवेकानन्द द्वारा कल्पना की गई “मनुष्य निर्माण” एवं “चरित्र निर्माण” वाली शिक्षा जो प्रदान की जानी चाहिए- इसकी प्राप्ति के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया, उच्च शिक्षा में श्रेष्ठता पाने का लक्ष्य होना चाहिए तो दूसरी ओर शिक्षित युवाओं का एक ऐसा वर्ग विकसित किये जाने का प्रयास किया जाये जो युवा-स्वामी विवेकानन्द के शब्दों में जिनकी मांस-पेशियाँ लोहे की हो जिनका स्नायु तन्त्र फौलाद का हो- जिनके मन में मेघों की गर्जना हो-संक्षेप में इनका लक्ष्य यह है कि एक ऐसा सम्पूर्ण प्राणी निर्मित हो जिसका मन संवेदनशील हो, जिसका मस्तिष्क, शरीर एवं हृदयपूर्ण रूप से विकसित हो, हृदय में भावना की ग्राह्यता, मस्तिष्क में विचारना की शक्ति, हाथों में कार्य करने की शक्ति और इसी प्रकार से ऐसे मनुष्य एवं नारियों का निर्माण हो जो कि बहुत निर्मल चरित्र के हों - जिसका नैतिक ताना बाना, अटल हो जिनकी बौद्धिकता तीव्र हो, उत्साह जिनका लौह सदृश हो, और सबसे उपर, जिनमें इस बात की तीव्र ललक हो कि भारत को आगामी समय का एक यशस्वी स्वरूप वाला कैसे बनाएँ कैसे इस देश को शक्तिशाली, सामर्थ्यवान, नवप्रेरणायुक्त बनायें और जो इस दिशा में सोचा जाना चाहिए और काम किये जाने चाहिए, उन्हें पूरा करना है।

● अद्वितीयता एवं प्रमुख विशिष्टताएँ – प्रगतिशील क्षेत्र

इस विश्वविद्यालय की अद्वितीयता, इसकी निम्न प्रमुख विशिष्टताओं में निहित है (i) कुछ प्रगतिशील क्षेत्र हैं—जिन्हें “अन्तराल क्षेत्र” भी कह सकते हैं और भारत में जो परम्परागत तौर से क्रियाशील विश्वविद्यालय हैं उनकी ओर कभी मुश्किल से ही उन प्रगतिशील क्षेत्रों की ओर ध्यान दिया जाता है (ii) विश्वविद्यालय का बहु-संकाययुक्त विशिष्ट स्वरूप — यह समस्त व्यवस्था, इन प्रगतिशील क्षेत्रों में विशिष्ट संकाय केन्द्रों के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से, गतिशीलता रहती है, और ये प्रगतिशील क्षेत्र, रामाकृष्ण मिशन की विभिन्न शाखाओं में स्थित हैं — जो शाखाएं भारत के विभिन्न भागों में स्थित हैं और जिन शाखाओं में से कुछ ऐसी हैं जो कि इन क्षेत्रों में कई दशकों से कार्यरत हैं। (iii) स्वामी विवेकानन्द की शिक्षा के संबंध में जो दिव्य दृष्टि एवं कल्पना थी, उसे मूर्त रूप देने के प्रयास में उत्कृष्ट मानव मूल्यों को आत्मसात किया जाना चाहिए, क्योंकि स्वामीजी की इस कल्पना शक्ति का स्वरूप इस प्रकार से था — “जीवन निर्माणन, मनुष्यों का सही रूप में सृजन एवं विकास, चरित्र निर्माणन, श्रेष्ठ विचारधाराओं को व्यक्तित्व का अंश बनाना, और स्वामी जी के अनुसार, मूल्य-आधारित शिक्षा, ही वह अनिवार्य घटक है जो कि विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे समस्त पाठ्यक्रमों में निहित है।

प्रारम्भिक तौर से यदि देखा जाये तो, “निम्न प्रमुख क्षेत्रों” का चयन किया गया है :—

- (1) अशक्तता प्रबन्धन एवं विशेष शिक्षा
- (2) समेकित ग्रामीण विकास जिसमें जनजातीय विकास सम्मिलित है।
- (3) भारतीय सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत एवं मूल्यपरक शिक्षा
- (4) आधारमूलक विज्ञान क्षेत्र, समेकित अध्ययन एवं अनुसंधान
- (5) आपदा प्रबन्धन, जिसमें राहत एवं पुनर्वास सम्मिलित हैं।

उपरोक्त में से प्रथम चार क्षेत्रों को, हम, कोयम्बतूर स्थित केन्द्र के द्वारा, गतिशील बनाने में पहले ही सफल हो चुके हैं। इस संबंध में जिन अन्य केन्द्रों की सहायता ली गई, वे हैं— नरेन्द्रपुर (पं. बंगाल), राँची (झारखण्ड), बेलूर (पं. बंगाल), एवं स्वामी विवेकानन्द का पुश्तैनी घर, (कोलकाता — पं. बंगाल)।

● वर्तमान में प्रस्तुत किये जा रहे पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम

बेलूर मुख्य परिसर में, परिसर के अतिरिक्त-संकाय केन्द्रों पर जो विभिन्न शैक्षिक गतिविधियाँ, निरन्तर चल रहे पाठ्यक्रम, एवं अनुसंधान कार्यक्रम हैं, वे निम्न हैं:

- (i) बी.एड., एम.एड. एवं पी.एच.डी. (विशेष शिक्षा) (श्रवण बाधिता, दृष्टि बाधिता, एवं मानसिक मन्दता), डिप्लोमा (विशेष शिक्षा), इंगित भाषा में डिप्लोमा, समुदाय आधारित पुनर्वास में डिप्लोमा, अशक्तों के लिए कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा, यह समस्त डिप्लोमा, अशक्तता प्रबन्धन एवं विशेष शिक्षा संकाय, कोयम्बतूर संकाय केन्द्र, तमिलनाडु।
- (ii) शारीरिक शिक्षा में एम.फिल एवं पी.एच.डी., शारीरिक शिक्षा में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम (बी.पी.एड, एम.पी.एड, सी.पी.एड) “स्पेशल ओलाम्पिक्स” में स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम, फिटनेस एवं योग, सामान्य एवं अनुकूलित शारीरिक शिक्षा एवं योग संकाय, कोयम्बतूर संकाय केन्द्र, तमिलनाडु।
- (iii) समेकित ग्रामीण विकास एवं प्रबन्धन (आइ.आर.डी.एम.) “एग्रो आधारित जैव प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, नरेन्द्रपुर संकाय केन्द्र, पश्चिम बंगाल।
- (iv) समेकित स्नातकोत्तर — “समेकित ग्रामीण एवं जनजातीय विकास एवं प्रबन्धन (आइ.आर.डी.एम.) तथा स्नातकोत्तर डिप्लोमा — “एग्रो आधारित जैव प्रौद्योगिकी” राँची (मोराबाडी) संकाय केन्द्र झारखण्ड।

- (v) दर्शन शास्त्र में डॉक्टरल एवं पश्च-डॉक्टरल अनुसंधान, रामाकृष्ण विवेकानन्द विचार शैली, जागरूकता अध्ययन, अनुवाद अध्ययन, भौतिकी-दर्शन अन्तरापृष्ठीय आदि, विवेकानन्द अनुसंधान केन्द्र, स्वामी विवेकानन्द का पुश्तैनी घर, कोलकाता।
 - (vi) "भारतीय आध्यात्मिक विरासत" – डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम बेलूर प्रधान परिसर।
 - (vii) संस्कृत अध्ययनों में पाँच समेकित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, बेलूर मुख्य परिसर।
 - (viii) संस्कृत में एम.फिल. एवं पी.एच.डी. कार्यक्रम, बेलूर मुख्यपरिसर, विवेकानन्द अनुसंधान केन्द्र, विवेकानन्द का पुश्तैनी घर कोलकाता।
 - (ix) बंगला भाषा में एम.फिल एवं पी.एच.डी. कार्यक्रम, बेलूर मुख्य परिसर, विवेकानन्द अनुसंधान केन्द्र, विवेकानन्द का पुश्तैनी घर, कोलकाता।
 - (x) गणित में एम.एस.सी. एवं पी.एच.डी. कार्यक्रम, स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंसिज, बेलूर मुख्य परिसर।
 - (xi) कम्प्यूटर विज्ञान में एम.एस.सी. एवं पी.एच.डी. कार्यक्रम, बेलूर मुख्य परिसर।
 - (xii) थ्योरिटिकल फिजिक्स में एम.फिल एवं पी.एच.डी. कार्यक्रम, स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंसिज, बेलूर मुख्य परिसर, और विवेकानन्द अनुसंधान केन्द्र, कोलकाता।
- स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंसिज द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध – विदेशों में स्थित संस्थानों के साथ अनुसंधान संबंधी सहभागिताएँ, विदेशी संस्थानों के संकायों के सदस्यों का भारत में दौरो पर आना
 - स्थापित की गई सहभागिताएँ: पिछले दो वर्ष की अवधि में, हमने, यू.एस.ए., यू.के., स्पेन एवं फ्रांस के साथ, पहले ही अनेक सार्थक सहभागिताएँ स्थापित की हैं।
- (1) डाक्टर इन्द्रनाथ सेन गुप्त, इस समय, प्रोफेसर फिलिप गिमिनेज़, यूनिवर्सिडाड दा वैलादोलाई, स्पेन, के साथ सहभागी रूप में कार्यरत है।
 - (2) डाक्टर किंगशुक बिस्वास, इस समय, प्रोफेसर आर्नोद चेरीयत एवं प्रोफेसर ज़ेवियर बफ़— यूनिवर्सिटी पॉल साबाटियर, टूलोज़, फ्रांस, के साथ सहभागी रूप से कार्यरत हैं।
 - (3) प्रोफेसर किंगशुक बिस्वास, इस समय, प्रोफेसर रिकार्डो पेरेजमार्को, यूनीवर्सिडाड, द मैड्रिड, स्पेन, के साथ सहभागी रूप से कार्यरत है।
 - (4) स्वामी विद्यानाथनन्दा (महान एम.जे.) इस समय सहभागी रूप से, प्रोफेसर क्रिस लाईनिन्जर, यूनीवर्सिटी ऑफ इलिनोच, अरबाना, चैम्पेन, यू.एस.ए. – कार्यरत है।
 - (5) प्रोफेसर स्वामी विद्यानाथनन्दा (महान एम.जे.) इस समय, प्रोफेसर सौल स्क्लाइमर एवं कैरोलाइन सीरीज, यूनीवर्सिटी ऑफ वारविक, यू.के., इनके साथ सहभागी रूप से कार्यरत है।
 - (6) स्वामी विद्यानाथनन्दा (महान एम.जे.) इस समय भागीदारी रूप से, प्रोफेसर ज्यॉ-पियरे ओताल एवं सिरिल लेक्वाचर, यूनीवर्सिटी पॉल सेबेटियर, टूलोज़, फ्रांस के साथ कार्यरत है।
 - (7) स्वामी विद्यानाथनन्दा (महान एम.जे.) इस समय भागीदारी रूप से इनके साथ कार्यरत है – प्रोफेसर जी. आनन्द स्वरूप, यूनीवर्सिटी ऑफ मेलबॉर्न, आस्ट्रेलिया एवं प्रोफेसर जी. पीटर स्कॉट, यूनीवर्सिटी ऑफ मिचिगन, आन आर्बर, यू.एस.ए.।
 - (8) बोधिसत्व बसु, जो कि रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द यूनिवर्सिटी का एक छात्र था – वह एक आदान-प्रदान रूप से एक सत्र के लिए (वर्ष 2008 के अन्त में) ज्यामिति टोपोलोजी के विषय के लिए, यूनिवर्सिटी जोसेफ फोरियर, ग्रेनोबल, फ्रांस, गया था।
 - (9) हर्वपजो (विषय-हाइपरबोलिक ज्यामिति) जो कि ग्रेनोबल से था, उसने हमारे यहाँ 21 जुलाई से 10 अगस्त, 2008 तक दौरा किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य था कि ज्यामिति समूह थ्योरी/ क्लाइनीयन ग्रुप/ हाइपरबोलिक ज्यामिति में कुछ विचारों का आदान-प्रदान हो सके क्योंकि इन विषयों में हमारे देश में कठिनाई से भी कहीं कोई चिन्ह मौजूद नहीं है।

- **हमारे यहाँ के संकाय सदस्यों द्वारा विदेशों में अनुसंधान भागीदारी के लिए दौरे :** अभी कुछ समय पूर्व ही, और निकट भविष्य में भी हमारे यहाँ के कई संकाय सदस्यों द्वारा या तो दौरे किये गए हैं अथवा किये जाएंगे – कुछ अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले संस्थानों में, जो कि यू.एस.ए., यू.के., फ्रांस अथवा जर्मनी में स्थित हैं।
 - (1) डाक्टर इन्द्रनाथ सेन गुप्त द्वारा, यूनिवर्सिटी ऑफ मिजौरी, कोलम्बिया, यू.एस.ए. में सप्तमवर्षीय अवकाश पर 6 माह के लिए (जनवरी-जून, 2007) गए थे।
 - (2) डाक्टर अविजित मुखर्जी, (भौतिकी) द्वारा, मैथेमेटिकल आस्पैक्ट्स ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी के उपर शोध कार्य करने के लिए, मैक्स प्लैन्क इन्स्टिट्यूट, जर्मनी में सितम्बर 2007 से मार्च 2008 तक दौरा किया गया ।
 - (3) स्वामी विद्यानाथनन्दा (महान एम.जे.) ने मैथेमेटिकल साइन्सिज़ रिसर्च इन्स्टिट्यूट, बर्कले यू.एस.ए. में एक माह का दौरा किया (अक्टूबर – नवम्बर, 2007)
 - (4) डाक्टर किंगशुक बिस्वास द्वारा मई-जून, 2009 के दौरान, यूनिवर्सिटी पॉल सबाटियर, टूलौज, फ्रांस का दौरा किया जाना है।
 - (5) स्वामी विद्यानाथनन्दा (महान एम.जे.) ने मई 1-28 मई, 2009 के दौरान, यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक, यू.के. का दौरा किया।
 - (6) स्वामी विद्यानाथनन्दा (महान एम.जे.) द्वारा 1-30 जून, 2009 के दौरान, यूनिवर्सिटी पेरिस सद, फ्रांस का दौरा किया गया।
 - (7) डाक्टर किंगशुक बिस्वास द्वारा 16-21 जून, 2009 के दौरान, यूनिवर्सिटी पॉल सबाटियर, टूलौस, फ्रांस का दौरा किया गया ।
 - (8) किंगशुक बिस्वास द्वारा 22 जून से 3 जुलाई, 2009 के दौरान, यूनिवर्सिटी दो मेड्रिड, स्पेन का दौरा किया गया।
 - (9) डॉ. इन्द्रनाथ सेन गुप्त ने “ रैफ्राइन ज्योमैट्री” – इस विषय पर 4 जुलाई – 14 जुलाई, 2009 को एक कार्यशाला का दौरा किया।
- **विवेकानन्द विश्वविद्यालय में अनुसंधान भागीदारी के लिए, विदेशों से संकाय सदस्यों/विद्वानों द्वारा भ्रमण**

विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद से कई सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने हमारे इस संस्थान का दौरा किया है।

 - (1) फरवरी 2006 के दौरान, डॉक्टर लारेंस रीब्ज, गणित विभाग, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न, द्वारा भ्रमण किया गया।
 - (2) दिसम्बर 2007 के दौरान, प्रो. राम मूर्ति (एफ.आर.एस. यूनिवर्सिटी ऑफ टोरन्टो, कनाडा) द्वारा भ्रमण किया गया।
 - (3) प्रोफेसर कुमार मूर्ति (यूनिवर्सिटी ऑफ टोरन्टो, कनाडा द्वारा जनवरी 2008 में भ्रमण किया गया।
 - (4) वर्ष, 2008, जुलाई (14,16,18,21,23,25) में प्रो. गौतमी भौमिक एवं प्रो. मार्क बौर्डन (यू. लिनी, फ्रांस) द्वारा 12 लेक्चरों का एक क्रमिक कार्यक्रम हुआ ।
 - (5) प्रो. हर्व पजो (यू.जे.एफ. ग्रैनोबल, फ्रांस) द्वारा व्याख्यानों का एक क्रम प्रस्तुत किया गया । विषय था-क्वासी कान्फॉर्मल ज्यामिती एवं ज्योमैट्रिक मेजर थ्योरी। यह लेक्चर सीरीज उस विनिमय कार्यक्रम का अंश था, जो इमने यूनिवर्सिटी जोसेफ फोरियर, ग्रैनोबल फ्रांस से, ज्योमैट्री एवं टोपोलोजी में किया है।
 - (6) प्रोफेसर सर्जियो फ़ेनली (लोरिज यूनिवर्सिटी, यू.एस.ए. – वर्तमान प्रिंसटन यूनिवर्सिटी) इन्होंने हमारे विश्वविद्यालय में नवम्बर 2008 में एक सप्ताह का दौरा किया।
 - (7) प्रोफेसर ची.चाप एवं प्रो. जानोस पाक (कोरान्ट इन्स्टिट्यूट, यू.एस.ए.) ने दो वार्तालाप प्रस्तुत किये – 17 फरवरी, 2009 के दिन।
 - (8) प्रोफेसर जी आनन्दस्वरूप (मेलबोर्न यूनिवर्सिटी, आस्ट्रेलिया) ने 21 मार्च – 20 अप्रैल, 2009 तक दौरा किया और महान मित्र व प्रोफेसर जी पीटर स्कॉट (यूनिवर्सिटी आफ मिचीगन एन आर्बर, यू.एस.ए.) की सहभागिता में एक शोध पत्र “स्पिलटिंग एण्ड सी-काम्प्लैक्सिज” तैयार किया गया।
 - (9) डाक्टर अरिजि चक्रवर्ती (कॉर्नल यूनिवर्सिटी) एक वार्तालाप प्रस्तुत करेंगी 23/07/2009
 - (10) डाक्टर सुचरित सरकार (प्रिंसटन यूनिवर्सिटी), एक वार्तालाप प्रस्तुत करेंगे- 29 जुलाई, 2009 को।

● **राष्ट्रीय स्तर पर विद्यमान, शैक्षिक सम्पर्क एवं सेवाएँ**

- **संकायस्तर पर विद्यमान सम्पर्क** : विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों में प्रस्तुत की जाने वाली शोध स्तर की वार्ताओं को प्रस्तुत कराने में हमारी संकाय बहुत सक्रिय रूप से सम्मिलित हैं।
- (1) स्वामी सर्वोत्तमानन्द द्वारा निम्न स्थलों पर भ्रमण किया गया — टी.आई.एफ.आर., मुम्बई, बी.आई.टी.एस.पिलानी, आई.आई.टी., खड़गपुर, आई.एस.आई., कोलकाता और इन सब स्थलों पर विचार गोष्ठियों की वार्ताएँ दी गईं व कार्यशालाएँ आयोजित की गईं।
- (2) स्वामी विद्यानाथनन्दा द्वारा संस्थानों का दौरा किया गया — हरीश चन्द्र शोध संस्थान, इलाहाबाद; टी.आई.एफ.आर. मुम्बई, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरु, इन्स्टिट्यूट ऑफ मैथमैटिकल साइंसिज, चेन्नई, आई. आई. टी. कानपुर, इन्डियन स्टैटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट, कोलकाता यहाँ पर उन्होंने गोष्ठी वार्तालाप प्रस्तुत किये (जिनमें एक प्रमुख वार्ता “पत्रण पर दी गई, जो कि आई.एस.आई., कोलकाता में हुई) और कार्यशालाओं में भी प्रस्तुत किये। “नैहू” शिलॉंग, में मानचित्र श्रेणी के समूह” (Mapping Class Groups) पर एक 15 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बनाम कार्यशाला आयोजित हुई जिसमें यू.एस.ए. और यू.के. के वक्ता आये थे इस आयोजन के प्रमुख वैज्ञानिक संयोजक, स्वामी विद्यानाथनन्दा थे।
- (3) डाक्टर किंगशुक बिस्वास द्वारा, विचारगोष्ठी से जुड़ी वार्ताओं को प्रस्तुत करने के लिए, इन स्थानों पर दौरे किये गए—हरीशचन्द्र शोध संस्थान, इलाहाबाद— इन्डियन स्टैटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट कोलकाता, नार्थ ईस्टर्न हिल विश्वविद्यालय, शिलॉंग।
- (4) डाक्टर इन्द्रनाथ सेनगुप्त, हरीश चन्द्र शोध संस्थान, इलाहाबाद, में एक विचार गोष्ठी वार्ता के लिए भ्रमण करेंगे।

राष्ट्रीय संस्थानों के जिन संकाय सदस्यों द्वारा हमारे यहाँ भ्रमण किया गया है उनमें सम्मिलित हैं :-

- (1) टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फ़ण्डामेंटल रिसर्च, मुम्बई में कार्यरत प्रोफ़ेसर एस.एम.भाटवाडेकर, टी.एन शोरे और टी. वेंकटरमन।
- (2) प्रोफ़ेसर अमित रॉय, (जो टी.आई.एफ.आर., मुम्बई से अवकाश प्राप्त हुए हैं) जिन्होंने बीजगणित के उपर सत्र-पर्यन्त पाठ्यक्रम को व्यक्त किया ।
- (3) प्रोफ़ेसर हरीश शेषाद्रि जो इन्डियन इन्स्टिट्यूट ऑफ साइंस, बंगलुरु से हैं — जिन्होंने 2 माह तक डिफ़्रैन्शियल ज्योमैट्री के आधे पाठ्यक्रम पर चर्चा की ।
- (4) प्रोफ़ेसर सी. एस. अरविन्द टी. आई.एफ. आर बंगलुरु, जिन्होंने 2 माह तक डिफ़्रैन्शियल ज्योमैट्री के आधे पाठ्यक्रम पर चर्चा की ।
- (5) प्रोफ़ेसर सुकुमार दास अधिकारी, हरीश चन्द्र शोध संस्थान, इलाहाबाद, जिन्होंने 2 सप्ताह का संक्षिप्त पाठ्यक्रम—नम्बर थ्योरी पर दिया तथा कई चर्चाएँ भी कीं। वह हमारे विश्वविद्यालय में सहायक संकाय सदस्य के रूप में है।

हमारे विश्वविद्यालय के गणित विभाग एवं इन्डियन स्टैटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट कोलकाता के मध्य, सहभागिता संबंधी एक गंभीर समझौता/सहमति विकसित हो चुकी है। हमारे विश्वविद्यालय के कई छात्रों ने इन्डियन स्टैटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट, कोलकाता, में कक्षाओं में उपस्थिति दी है। एक आई.एस.आई. कोलकाता का शोध छात्र — अभिजित पाल — अपना जो शोध प्रबन्ध लिख रहा है उसके लिए जो परामर्शदाता हैं, वे हैं — स्वामी विद्यानाथनन्दा।

● **लाभान्वित : पाठ्यक्रमों एवं पुर्नवास उपायों/उपचारों के लिए छात्रों की कुल शक्ति**

(अ) **बेलूर-मुख्य परिसर** : नियमित छात्र: 230 (एम.एस.सी.गणित, एम.एस.सी. कम्प्यूटर साइंस, एम.फिल. थ्योरिटिकल फ़िजिक्स, समेकित (बीए. एम. ए.) संस्कृत, समेकित (एम.फिल. पी.एच.डी.) संस्कृत, समेकित (एम.फिल. पी.एच.डी.) बंगला, पी.एच.डी. गणित, डिप्लोमा, इंडियन स्पिरिचुअल हैरिटेज, विवेकानन्द स्टडीज़, पी.एच.डी., ट्रांसलेशन स्टडीज़, पी.एच.डी. इंगलिश लिटरेचर)

(ब) **कोयम्बटूर संकाय केन्द्र** : नियमित छात्र: 341 (बी.एड, एम.एड, पी.एच.डी. स्पेशल एजुकेशन दृष्टिबाधिता, श्रवणबाधिता, मानसिक मंदता, बी.पी.एड., एम.पी.एड, एम.फिल, पी.एच.डी. इन “फ़िजिकल एजुकेशन”, पी.जी. डिप्लोमा इन योग और “स्पेशल ओलिम्पिक्स”।

● पुर्नवास चिकित्सा द्वारा लाभान्वित :

सेवा	लाभान्वितों की संख्या
शारीरिक चिकित्सा	47
विकलांग	22
प्ले थेरेपी	57
केयर गिवर्स ट्रेनिंग	25
स्पीच थेरेपी	27
क्लाइन्ट सर्विस/ब्रेल पुस्तकें	12
कुल जोड़	190

(स) नरेन्द्रपुर संकाय केन्द्र : नियमित छात्र : 42 (एम.एस.सी. समेकित, ग्रामीण विकास एवं प्रबन्धन पी.जी. डिप्लोमा एगो आधारित जैव प्रौद्योगिकी)

(ड) राँची संकाय केन्द्र : कुल : 29 (एम.एस.सी. समेकित ग्रामीण विकास एवं प्रबंधन, पी. जी. डिप्लोमा, एगो आधारित जैव प्रौद्योगिकी)

● विश्वविद्यालय के प्रकाशनों की सूची

शोध प्रकाशनों के अलावा, (विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित पत्र) जो हमारी संकाय ने निकाले हैं, निम्न तीन पुस्तकें विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित की गई :

1. सैल्फ्लैस वर्क; बेसिस, प्रौसेस एण्ड फुलफिलमेंट (अंग्रेजी में)
2. उपरोक्त पुस्तक का बंगला अनुवाद: “निःस्वार्थ कर्म”
3. टोटल ह्यूमन डैवेलपमेंट एण्ड इट्स क्वान्टिफिकेशन ए होलिस्टिक एप्रोच।

● विदेशी दौरे

उप-कुलपति द्वारा असीसी, इटली के भ्रमण की रिपोर्ट, जिसके अन्तर्गत उन्होंने 4 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन में भाग लिया था।

“सर्वयोग इन्टरनेशनल” इटली में स्थित एक संगठन है जो कि योग की आधिकारिक भारतीय परम्परा को प्रोन्नत करने का कार्य कर रहा है उस संगठन द्वारा चार दिवसीय प्रथम विश्व सम्मेलन हुआ जो पारम्परिक योग पर, असीसी (इटली) में हुआ इस असीसी में जहाँ की पावन धरती, सन्त फ्रांसिस के प्रायश्चित्त व तपस्या एवं उनके अध्यात्म द्वारा पावन हो चुकी है उस स्थल पर यह सम्मेलन 1 – 4 मई, 2008 को हुआ था। बेलूर मठ स्थित रामाकृष्ण मिशन मुख्यालय द्वारा, रामाकृष्ण मिशन विवेकानन्द यूनिवर्सिटी के उप-कुलपति, स्वामी आत्मप्रियानन्दा को विश्वविद्यालय की ओर से इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। सम्मेलन में लगभग 500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, उत्सुक योग –इच्छुकों, जो समस्त यूरोप पर्यन्त थे – इटली के हरभाग से थे, पुर्तगाल, स्पेन, यू.के., बेल्जियम, पेरू, स्विट्जरलैण्ड, रुमानिया, नीदरलैण्ड, फ्रांस, हंगरी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया तथा अन्य कुछ देशों से थे, इस सम्मेलन में, स्वामी आत्माप्रियानन्दा द्वारा “ स्वामी विवेकानन्द द्वारा योग के संश्लेषण के प्रति अद्वितीय योगदान” इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किये गये। इसके अतिरिक्त, यू.एस.ए., कनाडा, अर्जेन्टीना, इन्डिया, और रूस तक से भी प्रतिनिधि आए थे। इटली को जाते समय और वहाँ से लौटते समय, उप-कुलपति महोदय द्वारा जर्मनी एवं फ्रांस का भी दौरा किया गया और इस दौरान उन्होंने वेदान्त के प्रति जिज्ञासुओं के समक्ष अपने विचार रखे।

● अन्य उपलब्धियाँ

अन्य उपलब्धियाँ में से विशेष रूप से जो हमारे विश्वविद्यालय को जी.यू.एन.आई. (ग्लोबल यूनिवर्सिटी नेटवर्क फॉर इन्नोवेशन) को सम्पूर्ण सदस्यता स्वीकृत की गई। ग्लोबल यूनिवर्सिटी नेटवर्क फॉर इन्नोवेशन (जी.यू.एन.आई) एक सार्वभौमिक नेटवर्क है जिसके पाँच महाद्वीपों में स्थित 100 से भी अधिक सदस्य हैं। इन सदस्यों में जो शामिल हैं – उनमें यूनेस्को हायर एजुकेशन चेयर्स अनेक शैक्षिक प्रतिष्ठान एवं शोध संस्थान हैं – जो कि उच्च शिक्षा के भीतर नवोन्मषी गुणवत्ता, एवं सामाजिक प्रतिवद्धता के प्रति कृत संकल्प हैं। जी.यू.एन.आई की स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी, यूनेस्को, युनाइटेड नेशन्स यूनिवर्सिटी तथा टेक्नीकल यूनिवर्सिटी ऑफ कंटेलेनिया (यूपी.सी) इनके द्वारा स्थापित किया गया,

जहां पर जी.यू.एन.आई का सचिवालय स्थित है। जी.यू.एन.आई. का लक्ष्य है कि विश्वपर्यन्त उच्च शिक्षा के सशक्तिकरण के प्रति योगदान करना और इस कार्य को प्रसार करने के लिए, यूनेस्को का विश्व सम्मेलन जो उच्च शिक्षा पर पेरिस में 1998 में हुआ था उस सम्मेलन में जो निर्णय लिया गया उस निर्णय को लागू करने के लिए सम्पूर्ण समर्थन देकर उच्च शिक्षा को सशक्त बना सकते हैं। जी.यू.एन.आई. अपनी कार्य रूप रेखा द्वारा प्रोन्नती करती है, नवीनमेषी पर चिन्तन करती है, साथ ही विश्वविद्यालय की सामाजिक प्रतिबद्धता को विचार में रखती है और इस बात पर ध्यान देती है कि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार कैसे लाया जाये।

● भविष्य की कार्य योजना – जिससे विकास रणनितियों का संकेत मिलता है।

आगामी दो वर्षों के दौरान जो योजनाएं हैं उनमें यह हैं: (1) कृषि जैव प्रौद्योगिकी जिसके द्वारा जैव प्रौद्योगिकी से मिलने वाले लाभ सीधे तौर से कृषकों तक पहुंच सकेंगे। (सुव्यवस्थित कृषि जो आजकल इतनी चर्चा में है और लागू की जा रही है, यह इसका एक महत्वपूर्ण घटक बनकर रहेगी।) (2) समेकित ग्रामीण एवं जनजातिय विकास से जुड़े संकायों में जो अनुसंधान कार्यक्रम हैं, संस्कृत (विशेषकर जो आज का राष्ट्रीय भाषा संसाधित करने का विषय है) थ्योरीटिकल फिजिक्स, थ्योरीटिकल कंप्यूटर साइंस आदि। (3) जनजातीय छात्रों के शैक्षिक स्तर को सुधारने पर ध्यान केन्द्रित करना—विशेषकर झारखण्ड एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्रों के ताकि वे छात्र स्नातक, स्नातकोत्तर स्तरों तक अपने को ले जा सकें विशेषकर समेकित ग्रामीण एवं जनजातीय विकास में। (4) एक नवीन मानविकी एवं समाज शास्त्र में संस्थान स्थापित करना जिसके द्वारा मानविकी एवं शोध स्तर पर कार्यक्रम प्रस्तुत करना जिन कार्यक्रमों के अन्तर्गत तुलनात्मक रूप में विभिन्न धर्मों पर विशेष बल दिया जायेगा जैसा कि स्वामी विवेकानन्द द्वारा एक भविष्य दृष्टा के रूप में कल्पना की गई थी। (5) विवेकदिशा का सशक्तिकरण किया जाना (निम्न को विस्तार के लिए देखें) एक अदभुत आई. सी. टी. एवं ग्रामीण भारत के लिए स्थान उपलब्ध रहने की योजना, जिसके लिए इस सुविधा का उपयोग किया जायेगा – तथा समानान्तर स्वरूप से दूरस्थ शिक्षा प्रदान करना तथा ई प्रशिक्षण कार्यक्रम भी सक्रिय बने रहेंगे।

विवेकदिशा:—“इसरो” एवं “वी.आर.सी” योजनाओं के अन्तर्गत स्थान एवं सेवाएँ उपलब्ध कराना—ग्रामीण लोगों के लिए।

ग्रामीण जनों के लिए उपलब्ध स्थान एवं कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी के लाभों को प्राप्त कराना—इसके लिए इसरो ने एक योजना का शुभारम्भ किया है जिसका नाम इसरो वी.आर.सी. योजना है। जिसके अन्तर्गत इसरो ने सैटिलाइट संयोजिका एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई है और इसी की सहायता से हम ग्रामीण संसाधन केन्द्र स्थापित करने में सफल हो सके हैं। (वी आर सी) इन वी आर सी के माध्यम से जो नेटवर्क स्थापित हुआ है इसके द्वारा शैक्षिक एवं आयुर्विज्ञान संबंधी कार्यक्रम जैसे दूर शिक्षा (टेली एजुकेशन) एवं प्रयोजनमूलक आयुर्विज्ञान (टेलि मेडिसिन) इनका शुभारम्भ किया जा सकता है ताकि यह सब कुछ ग्रामीण दूरस्थ इलाकों तक पहुंच सके। इस योजना को हमारे विश्वविद्यालय द्वारा अत्यन्त सफल रूप से हाथ में लिया गया है जिसका नाम विवेकदिशा है। कुल मिलाकर अभी तक 14 वी आर सी उसी एक केन्द्र द्वारा आरम्भ किये जा चुके हैं – 9 वी आर सी पश्चिम बंगाल में तथा 5 वी आर सी झारखंड में स्थापित किये जा चुके हैं। इस नेटवर्क के द्वारा टेली-मेडिसिन टैली एजुकेशन तथा अन्य आवश्यकता आधारित सेवाएँ भी गांव तक उपलब्ध कराई जायेंगी।

3.2.14 गोखले राजनीतिशास्त्र एवं अर्थशास्त्र संस्थान पुणे (महाराष्ट्र)

गोखले राजनीतिशास्त्र एवं अर्थशास्त्र पुणे (महाराष्ट्र) जी आई पी ई वर्ष 1930 में स्थापित हुआ था और इस संस्थान द्वारा 79 वर्षों का समय बहुत सफलतापूर्वक पूरा किया गया है जो किसी भी संस्थान के लिए महत्वपूर्ण एवं युगान्तकारी घटना है। जी. आई. पी. ई. जो कि संभवतः भारतवर्ष का अर्थशास्त्र के विषय में सर्वाधिक प्राचीन शोध एवं अध्ययन संस्थान है वह न केवल विद्यमान बना रहा बल्कि समय के साथ फलता फूलता रहा है। भारत वर्ष के आर्थिक विकास एवं नीति के ऊपर यह संस्थान शोध कार्य करता रहा है। राष्ट्र में सर्वाधिक समझा जाने वाला अर्थशास्त्र के विषय में स्नातकोत्तर कार्यक्रम इसी संस्थान द्वारा प्रस्तुत किया जाता रहा है। जी आई पी ई ने आरम्भ से ही अर्थशास्त्र के विषय में पी.एच. डी. कार्यक्रम प्रस्तुत कराया है। संस्थान द्वारा जो भी अध्ययन एवं शोधकार्य निष्पादित हुए उनकी गुणवत्ता को मान्यता देते हुए एन. ए. ए. सी. द्वारा वर्ष 2003 के दौरान इस संस्थान को ए दर्जा प्रदान किया गया। जी आई वी ई के अनुदानप्रदाता महाराष्ट्र सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, रिजर्व बैंक आफ इन्डिया तथा योजना आयोग हैं।

● बजट आंबटन एवं निष्पादन बजट 2008-09

क्र. सं.	बजट आंबटन एवं निष्पादन बजट – 2008-2009	राशि—रूपये
संस्थान का बजट		
1	संस्थान के लिए वर्ष 2008-09 के दौरान कुल बजट	50,802,000.00
2	वर्ष 2008-09 के दौरान, संस्थान द्वारा वास्तविक व्यय – (लेखा-जोखाअधिन)	31,452,000.00
यू.जी.सी. 10वीं विकास अनुदान		
1	10वीं योजना विकास अनुदान के अन्तर्गत प्रदत्त अनुदान	30,000,000.00

● **लक्षित समूहों का कवरेज—जिसमें लाभान्वितों की संख्या शामिल है (अध्यापक, छात्र, महिलाएँ, अ.जा./अ.ज.जा. आदि)**

संस्थान के कुल स्टाफ की संख्या 75 है जिनमें एक तिहाई महिलाएँ हैं, कुल स्टाफ का 32 प्रतिशत आरक्षित श्रेणियों से है (अ.जा./अ.ज.जा./डी.टी.एन.टी./ओ.बी.सी.) कुल स्टाफ का 25 प्रतिशत अध्यापक वर्ग है। वर्ष 2008-2009 के दौरान, कुल 77 छात्रों को प्रवेश दिया गया, जिनमें 40 पुरुष (52 प्रतिशत) थे और 37 महिलाएँ (48 प्रतिशत) थीं।

लिंग और जातीयता के आधार पृथक-पृथक श्रेणियों में स्टाफ की संख्या

श्रेणी	कुल स्टाफ की स्थिति जो संस्थान में 31-03-2007 को थी								कुल
	शिक्षक स्टाफ		गैर शिक्षण स्टाफ		अस्थायी स्टाफ		समस्त स्टाफ		
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	
अ.ज.	1	1	8	1	0	1	9	3	12
अ.ज.जा.	2	-	1	1	-	1	3	2	5
डी.एन.डी.टी	-	-	1	-	-	-	1	-	1
ओ.बी.सी.	1	-	4	-	1	-	6	-	6
ओपन	12	2	12	10	7	7	31	20	51
कुल	16	3	26	12	8	9	50	25	75

लिंग एवं जातीय श्रेणी के आधार पर कुल छात्रों की संख्या

श्रेणी	एम.ए. पार्ट-I		एम.ए. पार्ट-II		कुल	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
अ.ज./अ.ज.जा.	2	2	4	1	6	3
ओ.बी.सी.	3	-	1	4	4	4
अन्य	16	16	14	14	30	30
कुल	21	18	19	19	40	37

● **विदेशी प्रतिनिधि मंडलों का आगमन**

प्रोफेसर माइकेल गोल्डफील्ड, राजनीति विज्ञान विभाग, वेन स्टेट यूनिवर्सिटी, यू.एस.ए. ने संस्थान का दौरा, फरवरी-मार्च, 2009 में किया।

● **अन्य महत्वपूर्ण आयोजित समारोह**

काले स्मृति लेक्चर, 2008: स्पेक्यूलेशन एण्ड ग्रोथ अन्डर कन्टैम्परेरी कैपिटलिज्म, प्रोफेसर प्रभात पटनायक, सेन्टर फ़ार स्टडीज इकॉनॉमिक एण्ड प्लानिंग, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, दिनांक 06/02/2009.

प्रोफेसर पी. आर. डुबाशी लेक्चर 2008: शोपिंग इन्डियाज़ पॉपुलेशन पालिसी एण्ड प्रोग्राम्ज— इन्टरनल फैक्टर्स एण्ड एक्सटरनल इन्फ्लुएन्सज — प्रोफेसर पी.एम. कुलकर्णी, सेन्टर फ़ार दि स्टडी आफ़ रीजनल डेवेलपमेंट, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।

● **प्रकाशन**

संस्थान के संकाय द्वारा विभिन्न पत्रिकाओं में कुल मिलाकर 20 प्रपत्रों को प्रकाशित किया गया।

● संस्थान द्वारा संयोजित विचारगोष्ठियाँ (चयनित सूची)

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान – कुल मिलाकर छःह विचारगोष्ठियाँ आयोजित की गई थी जोकि निम्न विषयों पर थी

1. बीमांकिक समस्या का अर्थमितीय समाधान पैदावार के बीमा का मूल्य निर्धारण
2. महाराष्ट्र में मानव निर्मित अकाल स्थिति एवं जल का अभाव नागा करने वाले बरसाती मौसम द्वारा नीति असफल हो जाने की पोल खुली।
3. सम्पूर्णतावादी विरोधात्मक प्रबन्धन बिना किसी ऋण के एस.एम.ई.।
4. गर्भावधि के दौरान, प्रतिनियुक्ति अनुबन्ध निःस्वार्थ अथवा व्यवसायिक एक अनुबन्धात्मक सैद्धान्तिक दृष्टिकोण।
5. विश्व-पर्यन्त, ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में यू.एस.ए. के दक्षिणी वस्त्र उद्योग के श्रम संयोजन में असफलता।
6. वर्तमान वैश्विक आर्थिक संकट की स्थिति, 2009 ।

3.2.15 तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे (महाराष्ट्र)

लक्ष्य

- 1) छात्रों के बहु-आयामी विकास के लिए प्रयास करना तथा उनके मन में राष्ट्रीय एवं लोकतांत्रिक की भावना को बढ़ाना।
- 2) राष्ट्रीय विकास एवं निर्माण की प्रक्रिया में प्रभावी एवं सृजनात्मक रूप से छात्र द्वारा भागीदारी कर पाने में उन्हें सक्षम बनाना ।
- 3) संस्थानों एवं विभागों में, विभिन्न विषयों में, अध्ययन, अध्यापन एवं अनुसंधान कार्यों को सुव्यवस्थित एवं संचालित करना।
- 4) ऐसे प्रयास करना, जिनके द्वारा छात्रों के मनमस्तिष्क में, प्राचीन भारत की विरासत से जुड़े मूल्य, पूरी तरह से नवीनता के साथ स्थित हो जाये।
- 5) क्षेत्रीय एवं अन्य सभी भाषाओं के द्वारा शिक्षा प्रदान करना।
- 6) ऐसी योजनाएँ प्रारम्भ की जाएँ जिनसे समाज के हर क्षेत्र में प्रत्येक स्तर पर शिक्षा तक सबकी पहुँच हो सके, विशेषकर शहरी, ग्रामीण एवं दूरस्थ इलाकों में जो अलाभकारी स्थितियों वाले हैं – उन तक यह पहुँच बन सके।
- 7) विद्वता के ऐसे सभी क्षेत्रों को – जिनको कि विद्यापीठ, विकसित करने का इच्छुक है—उन सभी क्षेत्रों में उपयुक्त रचनाओं का प्रकाशन कार्य हाथ में लिया जाना चाहिए।
- 8) ऐसे प्रतिष्ठित महानुभाव जिन्होंने संस्थान में अनुसरण किए जा रहे या तो किसी विषय में बहुत उच्च दक्षता प्राप्त कर ली है अथवा अनेक विषयों में की है अथवा जिन्होंने सामाजिक उन्नति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है – ऐसे समस्त प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मान प्रदान करने के लिए उन्हें मानद डिग्रियों द्वारा अथवा अन्य विशिष्ट सम्मान प्रदान करके –उनका सम्मान किया जाना चाहिए।
- 9) उच्च शिक्षा प्रणाली को एक नवोन्मेषी, गैर-परम्परागत रूप को प्रस्तावित किया जाना चाहिए जो कि समाज की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त हो।
- 10) समाज में जो परिवर्तनशील स्वरूप के साथ आवश्यकताएँ सामने आ रही हैं, उनकी पूर्ति के लिए ऐसे ज्ञान का प्रचार-प्रसार किया जायें जो आधुनिक वैश्वीय युग के लिए सापेक्ष एवं उपयोगी हैं।

● बजट आबंटन एवं निष्पादन बजट

बजट आबंटन एवं निष्पादन बजट रिपोर्टाधीन वर्ष, 2008-09, 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009

क्र.सं.	मद	राशि जो प्राप्त हुई	राशि जो उपयोग की गई
1.	पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ	61.70	44.93
2.	उपस्कर	-----	-----
3.	स्टाफ	-----	-----
4.	अन्य : परिसर विकास	40.26	20.53
5.	भवन	-----	-----
	कुल	101.96	65.46

● लक्षित समुह का कवरेज – जिसमें लाभान्वित शिक्षकों की संख्या भी सम्मिलित है :-

पद	वर्तमान संख्या			अ.ज.		अ.ज.जा.		अ.पि.व.		पी.एच.डी. धारक
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	
प्रोफेसर	03	05	5+2*	--	--	--	--	--	--	02
रीडर	01	06	7+4*	--	--	--	--	--	--	03
लेक्चरर (सीनियर स्केल)	03	03	06	02	--	--	--	01	--	03
लेक्चरर	88	126	214	03	02	01	01	02	01	10
ट्यूटर/ डेमोन्स्ट्रेटर	02	04	06	--	--	--	--	--	--	01
पार्टटाइम गेस्ट/बिजिटिंग शिक्षक	139	62	201	--	--	--	--	--	--	--
कुल संख्या	236	203	439+6*	05	02	01	01	03	01	19

* रिक्त पद

छात्र :-

क्र.सं	श्रेणी	पुरुष	महिला	कुल
1.	नियमित/परिसर में	3471	1805	5276
2.	दूरस्थ	22580	11746	34326
	कुल जोड़	26051	13551	39602

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. आदि :-

श्रेणी	पुरुष	महिला	कुल
अनुसूचित जाति	2116	1211	3327
अनुसूचित जन जाति	1730	678	2408
अन्य पिछड़ा वर्ग	5390	2488	7878

● वर्तमान स्थिति, सापेक्ष नीति विषयक जो निर्णय लिये गए। कार्यक्रमों में जो परिवर्तन हुए :-

- o विश्वविद्यालय द्वारा बी.ई. कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है (मैकेनिकल, कम्प्यूटर एवं इलैक्ट्रॉनिक्स एवं टैलीकम्यूनिकेशन) जो नियमित स्वरूप वाले है (परिसर में) शैक्षिक वर्ष 2007-2008 से।
- o विश्वविद्यालय द्वारा डिप्लोमा इंजीनियरिंग कार्यक्रम (मैकेनिकल, आटोमोबाइल, कम्प्यूटर एवं ई एवं टी. सी.) शैक्षिक वर्ष 2005.2006 से। फिर भी, इंजीनियरी कार्यक्रमों में डिप्लोमा (मैकेनिकल, आटोमोबाइल) शैक्षिक वर्ष 2008-2009 से समाप्त कर दिये गए थे। (अब विश्वविद्यालय ने अन्य दो अध्ययन विषयों को भी समाप्त कर दिया है (कम्प्यूटर एवं इलैक्ट्रॉनिक्स एवं टैलीकम्यूनिकेशन्स) जो कि शैक्षिक वर्ष 2009.2010 से किया गया है।

- o भारतीय नर्सिंग परिषद एवं महाराष्ट्र नर्सिंग परिषद् द्वारा बी.एस.सी. नर्सिंग प्रोग्राम का अनुमोदन शैक्षिक वर्ष 2009-2010 किया गया है।
- o एम.फिल/पी.एच.डी. कार्यक्रमों के लिए जो यू.जी.सी. के अद्यतन दिशानिर्देश हैं उनको विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है।

● भविष्य की योजनाएँ

- o अवसंरचना को विकसित करना (परिसर पर) तथा महाराष्ट्र में तथा महाराष्ट्र के चारों ओर भी विशेष रूप से दूरस्थ प्रणाली के अन्तर्गत, कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए।
- o गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान किये जाने पर ध्यान केन्द्रित करना।
- o शोध परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए शैक्षिक स्टाफ को प्रोत्साहित करना
- o शैक्षिक स्टाफ द्वारा कार्यशालाओं, विचारगोष्ठियों, पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों आदि में भागीदारी के लिए उनका समर्थन करना।
- o राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठियों, सम्मेलनों आदि को अयोजित करना
- o यू.जी.सी. की सहायता द्वारा प्रमुख एवं अल्पावधि शोध परियोजनाओं को सफलतापूर्वक सम्पन्न करना।
- o उद्योगों-निकायों की माँगों के अनुसार पाठ्यक्रम को पुनः आकारित करना।
- o औद्योगिक क्षेत्र के साथ गठ-बन्धन स्थापित करना
- o पारम्परिक पाठ्यक्रमों (संस्कृत-आयुर्वेद) के प्रति छात्रों एवं सामान्य व्यक्तियों के मन में रुचि जागृत करना।
- o नवोन्मेषी एवं व्यवसायोन्मुख पाठ्यक्रमों का संचालन करना।

● सम्मेलन, विचार-गोष्ठियाँ जो अयोजित हुईं/विदेशी प्रतिनिधियों के भ्रमण एवं अन्य कोई महत्वपूर्ण समारोह यदि हुआ था तो

(अ) समाज विज्ञान संकाय

इतिहास के स्नातकोत्तर विभाग द्वारा 21/03/2009 को एक राष्ट्रीय विचारगोष्ठी "नेशनल सेमिनार ऑन मैनी हिस्ट्रीज" आयोजित हुई, जिसमें 80 प्रतिनिधि आये और 30 प्रपत्र प्रस्तुत किये गए। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली द्वारा विभाग को 50,000 रुपये का अनुदान दिया गया।

(ब) आधुनिक विज्ञान तथा व्यवसायिक निपुणता संकाय

- निपुणता परिवर्धन करने से जुड़ी कार्यशालाएं निम्न विषयों पर संचालित की गई :
 - 1) तन्त्रिता-भाषा विज्ञान कार्यक्रम
 - 2) भोजन आदि के समय शिष्टाचार
 - 3) साक्षात्कार की तकनीक
- प्रयोगात्मक अनावरण को और अधिक प्रमुखता देने के लिए, औद्योगिक दौरों को आयोजित किया गया।
- ❖ समाज कार्य विभाग
 - नवम्बर, 2008 में, पुणे जिले के धनगवाडी गाँव के प्रथम वर्ष छात्रों के लिए, 10 दिनों का ग्रामीण शिविर आयोजित किया गया।
 - द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए 10 दिनों का एक भ्रमण अध्ययन विदर्भ में आयोजित किया गया (वर्धा, चन्द्रपुर, गढ़चिरौली)
 - पुणे एवं उसके आसपास एक प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संस्थान में 32 छात्रों को स्थापित कराया गया है।
 - विभाग द्वारा निम्न विषयों पर छः कार्यशालाएँ आयोजित की गईं।

तिथि	विषय
5-7 अक्टूबर, 2008	विवाह-पूर्व शिक्षा
1 दिसम्बर, 2008	एच.आई.वी./एड्स
13 दिसम्बर, 2008	मानव अधिकार एवं अपराध कानून
	मानव अधिकार एवं शिक्षा
	मानव अधिकार एवं स्वास्थ्य
20 दिसम्बर, 2008	गैर सरकारी संस्था पंजीकरण
	गैर सरकारी संस्थान प्रबन्धन
14 फरवरी, 2009	लिंग एवं सामाजीकरण
21 फरवरी, 2009	अन्य समीपी क्षेत्रों में सामाजिक कार्यकर्ता के लिए कैरियर सुअवसर
	छोटे स्तर पर साख समूह एवं उनका सशक्तिकरण
	बाल अधिकार एवं जे.जे अधिनियम

❖ इंजीनियरिंग विभाग

- छात्रों के लाभ के लिए/अथवा संकाय सदस्यों के लाभार्थ, निम्न शीर्षकों पर विचार-गोष्ठियाँ आयोजित की गई :-
 - कम्प्यूटर टी.वाई/एस ई एवं संकाय के लिये नेट (डौट-नेट)
 - ई एवं टी सी (टी वाई एवं एस ई) के लिये पी सी बी डिज़ाइन एवं मैनुफैक्चरिंग प्रेक्टिसेस
 - मैकेनिकल टी वाई/एस ई के लिये बौइलर एवं स्टीम इंजीनियरिंग
 - कम्प्यूटर टी वाई एवं एस ई के लिये लाईनेक्स उपकरणों एवं प्रयोग
 - समस्त टी वाई शाखाओं के लिये नौकरी साक्षात्कारों के लिये कैसे तैयारी कराये जाय
 - समस्त टी वाई शाखाओं के लिये नौकरी आवेदनों हेतु एक अच्छा सी.वी. कैसे तैयार किया जाय
 - टी वाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग हेतु मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कैरियर
 - टी वाई (ई एवं टी सी) हेतु इलैक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्यूनिकेशन में कैरियर
 - टी वाई (कम्प्यूटर्स) हेतु कम्प्यूटर इंजीनियरिंग में कैरियर
 - संकाय हेतु याहू कॉरपोरेशन यू.एस.ए. द्वारा विकसित नई प्रणाली "हेडौप" पर एक पावर पौइन्ट पर प्रजेन्टेशन किया गया।
- संकाय के सदस्यों द्वारा (श्रीमति बापशेट्टी, कु. करखानीस, श्री खुर्द एवं श्री सिंह) द्वारा एक संकाय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया गया जो कि विप्रो द्वारा वी आई टी परिसर में संचालित किया गया था।

❖ जैव प्रौद्योगिकी विभाग

- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, निम्न कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं:-
 - शीर्षक-1 पॉलिमेराजचन रीएक्शन (पी सी आर)
 - शीर्षक-2 प्लान्ट टिशू कल्चर

❖ जनसंचार माध्य विभाग

- आकाशवाणी पुणे एवं शैक्षिक बहु माध्यम शोध केन्द्र पुणे इन दोनों स्थानों पर भ्रमण का प्रबन्ध किया गया था।
- रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में एक शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम किया गया था जिसमें 20 छात्रों ने भाग लिया था
- गतिकी एवं नेतृत्व पर कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं।
- लोकमान्य तिलक सम्मान समारोह जो विद्यापीठ में हुआ था उस समारोह के दौरान जितनी भी गतिविधियाँ हुई – दीक्षांत समारोह आयुर्वेद की प्रदर्शनी, प्रबन्धन शिक्षा तथा खेल कूद विभाग इन सबकी वीडियो फिल्म एवं सब समारोह का विस्तार लिया गया था।
- दूरस्थ शिक्षा प्रशिक्षण की बढ़ोतरी के लिए कम्प्यूटर विज्ञान एवं प्रबन्धन विभाग के लिए वीडियो लेक्चरों की रिकार्डिंग की गई थी।
- पुणे नगर में झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों पर तथा सार्वजनिक परिवहन पर डाक्यूमेंटरी फिल्में तैयार की गईं और स्नेहालय व रेलवे म्यूजियम पर भी फिल्में तैयार की गईं
- तीन कार्यशालाएं इन विषयों पर आयोजित की गईं। टी वी के लिए प्रसाधन/श्रृंगार, न्यूज कक्ष, रेडियो पत्रकारिता

(स) शिक्षा संकाय

- इन विषयों पर गेस्ट लेक्चरों को आयोजित किया गया, लघुस्तर पर अनुकूलन का प्रशिक्षित करना, नाटकीयता का उपयोग, समझदार बच्चों को प्रशिक्षण देने वाली तकनीक
- इन विषयों पर निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित की गई :- स्कूली स्तर पर गुणवत्ता पर नियंत्रण, वैश्विक उष्णता को न्यून करने के उपाय, लोकमान्य तिलक की शिक्षा से जुड़ा दार्शनिक विचार।
- भाषण प्रतियोगिता इन विषयों पर हुई, आधुनिक भारत में शिक्षकों के लिए चुनौतियाँ, ग्रामीण एवं शहरी शिक्षा में अनेक विभेद, यदि मैं भारत वर्ष में शिक्षा मंत्री होता, ई-प्रशिक्षण बनाम पारम्परिक प्रशिक्षण
- देश भक्ति से जुड़े गीतों की प्रतियोगिता हुई।
- अन्तर्वस्तु-इसके सदृश तंत्र विज्ञान पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। डाक्टर सविता काले और डाक्टर दत्तात्रेय तापकिर द्वारा इन दो विषयों पर चर्चा की गई, अन्तर्वस्तु व इसके समरूप तंत्र विज्ञान की संकल्पना, लक्ष्य एवं महत्व, सार तत्व एवं मूल्य
- केन्द्रीय जल शक्ति अनुसंधान स्टेशन खडकवासला, पुणे के लिए एक शैक्षिक भ्रमण आयोजित किया गया।
- 8 दिसम्बर 18 दिसम्बर 2008 के दौरान दो सप्ताह की अवधि वाला स्थानबद्ध शैक्षिक कार्यक्रम नियोजित किया गया।
- “समाजिक रूप से उपयोगी व उत्पादक कार्य” इस विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई 25-26 नवम्बर 5-6 दिसम्बर 2008 को
- योग विद्याधाम की सहभागिता में एक माह का योग शिक्षण कार्यक्रम संचालित किया गया-29 जनवरी से 5 मार्च 2009
- छात्र शिक्षकों की सृजनात्मकता एवं निपुणता को और अधिक उजागर करने के उद्देश्य से कई प्रतियोगिताएँ संचालित की गईं जैसे रंगोली, रंग बिरंगी वेशभूषा, सलाद की सजावट एवं फूलों की सजावट आदि को संचालित किया गया।
- 28 जनवरी 2009 के दिन गांधी जयंती के अवसर पर एक समाज सेवा का संचालन आगा खां पैलेस में किया गया।
- 21-22 जनवरी 2009 को कई विषयों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम संचालित किये गए जिनका उद्देश्य यह था कि छात्र शिक्षकों की सर्जनात्मकता एवं बौद्धिकता को और भी उजागर किया जाये यह कार्यक्रम निम्न विषयों पर थे-पर्यावरण सुरक्षा, बाल अधिकार, राष्ट्रीय समेकता तथा वर्ष 2025 के मध्य शिक्षा का स्वरूप कैसा होगा।
- आकांक्षा प्रतिष्ठान जो एक गैर सरकारी संस्था है और जो संस्था झुग्गी झोंपड़ी इलाकों में शिक्षा के प्रसार का कार्य कर रही है इस संस्था के संकाय सदस्यों द्वारा अनुकूलन लेक्चर प्रस्तुत किये गए जो कि 7 फरवरी 2009 को संचालित किया गया।
- 21 फरवरी 2009 को प्रोफेसर कविता श्रीधरन द्वारा एक अतिथि लेक्चरार के रूप में महिला सशक्तिकरण के ऊपर लेक्चर को आयोजित किया गया।
- 28 फरवरी 2009 को विज्ञान दिवस था उस दिन डाक्टर आनन्द कर्वे का गेस्ट लेक्चर संयोजित किया गया इस लेक्चर का विषय था “दैनंदिन संबंधित जो जीवन है उसमें जन सामान्य के लिए अनिवार्य विज्ञान”।

(द) दूरस्थ शिक्षा संकाय

- सदस्यों द्वारा उनकी निपुणताओं एवं संभाव्यताओं को विकसित करने के लिए जिससे कि वे स्व-प्रशिक्षण सामग्री (एस.एल.एम.) का लेखन एवं विकास कर सकें, इस उद्देश्य से एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।
- स्व-प्रशिक्षण सामग्री से जुड़ी 390 पुस्तकें प्रकाशित की गईं।
- स्नातक स्तर बी.सी.ए., बी. कॉम, एम.बी.ए. कार्यक्रमों के पाठ्य विवरणों को पदोन्नत करने का कार्य भी पूरा किया गया।
- 13 दिसम्बर, 2008 के दिन प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला, मानव अधिकारों पर संचालित की गई जिस कार्यशाला में निम्न सत्र पूरे किये गए तथा विभिन्न शीर्षकों पर चर्चा की गई
 - (अ) प्रथम सत्र: अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं अपराध कानून
सलाहकार : विजय हीरेमठ
 - (ब) द्वितीय सत्र: मानव अधिकार शिक्षा
डाक्टर मनीषा शिरोडकर
 - (स) तृतीय सत्र: स्वास्थ्य एवं मानव अधिकार
डाक्टर धनंजय काकडे
- 19 दिसम्बर, 2008 को गैर-सरकारी संगठन के प्रबन्धन पर एक कार्यशाला संचालित की गई जिसमें कि निम्न सत्र पूरे किये गए और निम्न शीर्षकों पर चर्चा की गई:
 - (अ) प्रथम सत्र: गैर-सरकारी संगठन का पंजीकरण
 - (ब) द्वितीय सत्र: गैर-सरकारी संगठन का प्रबन्धन
- पर्यावरण एवं विकास से संबंध मामलों पर जो क्षेत्रीय कार्य था वह निम्न के पर किया गया था:
 - (अ) कचरा प्रबन्धन
 - (ब) पारिस्थितिक कानून
 - (स) नदी पारिस्थितिकी - प्रणाली
- तीन, एक दिवसीय विचार गोष्ठियाँ राज्य स्तर पर आयोजित की गई थी:
 1. विपणन, 2 मार्च, 2009— “भारत में परचून के क्षेत्र में चुनौतियाँ
 2. विपणन, 7 मार्च, 2009 — “भारतीय अर्थव्यवस्था पर अल्प प्राथमिकी जोखिम”
 3. मानव संसाधन 14 मार्च, 2009 — “अनिश्चित स्थिति में मानव पूँजी का नियन्त्रण”।

महत्वपूर्ण घटनाएँ

- विद्यापीठ का 88 वाँ स्थापना दिवस मनाया गया । प्रोफेसर वी.एन. राजसेखरन पिल्लै, उप कुलपति, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ने मुख्य अतिथि के रूप में इस समारोह को सुशोभित किया।
- यू.जी.सी. की विशेषज्ञ समिति द्वारा विद्यापीठ का दौरा किया गया, जिसमें उन्होंने 11वीं योजना की आवश्यकताओं को निर्धारित तथा 10वीं योजना का पुनरीक्षण किया ।

प्रतिष्ठित उच्चाधिकारियों द्वारा किये गए दौरे

- श्री अनीस अहमद, पूर्व शिक्षा मंत्री, महाराष्ट्र राज्य तथा लोकमान्य तिलक पुरस्कार विजेता श्री मोन्टेक सिंह आहलूवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली, विश्वविद्यालय के साथ इन दोनों की अन्योन्य क्रिया ने छात्रों को अपना ज्ञान समृद्ध करने के लिए प्रेरित किया है। श्री मोन्टेक सिंह आहलूवालिया ने विद्यापीठ की शैक्षिक गतिविधियों को प्रोन्नत करने के लिए एक लाख रुपये की राशि दान में दी।
- श्री वीर सांघवी, मुख्य एडिटर, हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली जो कि लोकमान्य बालगंगाधर तिलक राष्ट्रीय पत्रकार पुरस्कार के प्राप्तकर्ता है जिस पुरस्कार की स्थापना तिलक महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, पुणे एवं “केसरी” समाचार पत्र, ने की थी, उन वीर सांघवी ने विश्वविद्यालय का दौरा किया उन्होंने गतिविधियों की प्रशंसा की तथा पत्रकारिता के छात्रों के साथ अन्योन्यक्रिया भी की।

अन्य गतिविधियाँ

39 वें संस्कृत दिवस समारोह के अवसर पर, डाक्टर नरेन्द्र काडु, संयुक्त निदेशक (शिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, द्वारा पंडित गुलाम दस्तगीर बिराजदार पर लोकमान्य जिलक संस्कृत पुरस्कार प्रदान किया गया।

- अन्य देशों/अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ **समझौते/सहभागिताएँ**
- “कम्प्यूटर सुरक्षा एवं नैतिकता से जुड़ी सूचना की तस्करी”— इसको लेकर विश्वविद्यालय, एक संयुक्त प्रमाणीकरण प्रस्तुत करता है, जो कि एक नवीन स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के रूप में है — और यह पाठ्यक्रम” अध्यवसाय से जुड़े समाधान एवं तकनीकी की सहभागिता में होता है। इस कार्यक्रम द्वारा, प्रमाण पत्र, डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा। पाठ्यक्रम दिये जाते हैं — जिनकी विषय वस्तु, अगामी धूम मचा देने वाली तकनीक अर्थात् “कम्प्यूटर सुरक्षा एवं नैतिकता की तस्करी— इस विषय को लेकर, आगामी तकनीकी विशेषज्ञों के लिए लाभप्रद सिद्ध होगी।
- जापान के मुख्य परामर्श अधिकारी की सहायता से, इस विश्वविद्यालय द्वारा जापानी भाषा में डिप्लोमा एवं डिग्री प्रदान की जाती है।

जापानी सरकार द्वारा प्रारम्भ किया गया कार्यक्रम — “जे.ई.एन.ई.एस.वाई.एस” (जापान पूर्वी एशिया छात्रों एवं युवाओं के विनिमय का नेटवर्क) इस कार्यक्रम में भागीदारी के लिए इस विश्वविद्यालय का चयन किया गया है। जे.ई.एन.ई.एस.वाई.एस” यह कार्यक्रम, पूर्वी एशिया के उन छात्रों के लिए जापानी भाषा का कार्यक्रम संचालित करेगा, जो छात्र जापानी भाषा को सीख रहे हैं। यह कार्यक्रम उन छात्रों को जापान आने का एक अवसर प्रदान करेगा, जिससे भागीदारी के माध्यम से वे छात्र अपनी जापानी भाषा का ज्ञान और बढ़ा सकें और वहाँ की संस्कृति व समाज के बारे में जान सकें। अक्टूबर-दिसम्बर, 2009 के दौरान, जापानी भाषा निपुणता परीक्षण में लेवल-2 का एक छात्र भागीदारी कर पायेगा।

और भी, जापानी सरकार द्वारा “मॉनबुकागाकुशो” (MEXT) छात्रवृत्ति 2009 के लिए इस विश्वविद्यालय के एक छात्र को चुना है जो कि सितम्बर 2009 के मध्य तक आशान्वित रूप के जापान का दौरा कर सकता है।

3.2.16 रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई (महाराष्ट्र)

● विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

दिनांक 1 अक्टूबर 1933 में इसकी स्थापना मुम्बई विश्वविद्यालय के रासायनिक प्रौद्योगिकी विभाग (यू.डी.सी.टी.) के रूप में की गई थी तत्पश्चात् वर्ष 2004 के दौरान संस्थान को सम्पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हो गई (यू.आई.सी.टी.) तथा 12 सितम्बर 2008 के दिन यू.जी.सी. अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत इस स्थान को सम विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान कर दिया गया तथा इसे रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.सी.टी.) के नाम से जाना गया वर्ष 2008 के दौरान इस संस्थान द्वारा प्लेटीनम जयन्ती मनाई गई।

वर्तमान में सरकारी अनुदान के समक्ष जो बाह्य आय प्रजनन की औसत है वह लगभग 5.0 है जो कि देश में समस्त शैक्षिक संस्थानों में संभवतः सर्वोच्च है। उद्योग के साथ भी समस्त सम्पर्क बहुत सुदृढ़ है जैसे कि 60 औद्योगिक शोध परियोजनाओं एवं 160 परामर्श स्तर की परियोजनाएं क्रमिक रूप से गतिशील हैं। इन परियोजनाओं में 7 ऐसी योजनाएं हैं जो विदेशी उद्योगों से जुड़ी हैं जिनमें यह देश शामिल है।

जापान, स्विटजरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, एवं यू.एस.ए. बहुत सी नवीन एवं विलक्षण प्रविधियां, नये उत्पाद एवं रूपांकन विकसित एवं स्थानान्तरित करके उद्योगों तक पहुंचाये जा चुके हैं। अध्यापन एवं अनुसंधान कार्यों में उत्कृष्टता के साथ साथ, संस्थान अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक है। समस्त विभागों द्वारा जो प्लेटीनम जयन्ती समारोह मनाया गया था, उसके तत्वाधान में विचार गोष्ठीयां/सम्मेलन/कार्यशालाएं आयोजित हुईं जिनका लक्ष्य था समुदाय के लिये सेवा तथा राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की सेवार्थ इस गतिविधि के एक अंश के रूप में यू.आई.सी.टी. स्कूलों में और कालेजों में, जो कि ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं — उनमें कनिष्ठ अनुसंधान जागरूकता कार्यक्रमों को संचालित कर रहा है जिस कार्य में मराठी विद्वान परिषद भी जुड़ी हुई है। इस वर्ष में यू.आई.सी.टी. द्वारा अपने छात्रों के माध्यम से इसी स्वरूप वाली 260 कार्यशालाएं संचालित की जा चुकी हैं। संस्थान द्वारा उपभोक्ता जागरूकता पर जिन विषयों पर कार्यशालाएं आयोजित की गईं वे विषय निम्न हैं:— पोषण-अपमिश्रण-औषधियां-मादक द्रव्य-साबुन-अपमार्जक-अंगराग-स्वाभाविक एवं मिश्रित रंग-सूती एवं मिश्रित तन्तु-इत्र (खशबू)-सुगन्ध सुवास-प्लास्टिक पुनरावृत्ति-पेंट-आदि। यू.आई.सी.टी. के पास वर्तमान में प्रशिक्षित कार्मिक है जो कि उपभोक्ता जागरूकता संगठन से हैं।

● लक्ष्य एवं अन्य विशिष्टताएं

मौलिक विज्ञानों एवं इंजीनियरिंग के मध्य एक सूक्ष्म तालमेल बिठाने के लिए आई.सी.टी. संस्थान की स्नातक स्तर एवं स्नातकोत्तर शिक्षा को बहुत विशाल रूप से पुनः गठित किया जायेगा। प्रशिक्षण की गति दोहरी डिग्रियों की संभावनाओं पर एवं समेकित पी.एच.डी. कार्यक्रमों का प्रावधान किया जायेगा। स्नातक स्तर की शिक्षा को पुनर्गठित किया जायेगा जिससे छात्रों में नवोन्मेषी योग्यताएं उनके मन में बैठ जाएं। एक बहुत ही अहम कदम उठाया जायेगा जिसके द्वारा अवसंरचना सुविधाओं में संख्यात्मक बढ़ोत्तरी की जायेगी जैसे कि स्थान उपस्कर परिष्कृत उपस्कर एवं अन्य उपयोगिताएं।

● प्रमुख अध्ययन क्षेत्र

हमारे यहाँ शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के अन्तर्गत स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पी.एच.डी. डिग्रियां प्रदान की जाती हैं (कुल 23)

- रासायनिक इंजीनियरिंग
- डाईस्टफ़ टैक्नोलोजी
- फूड इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलोजी
- आयल्स ओलियोमिकल्स एण्ड सर्फैक्टैन्ट्स टैक्नोलोजी
- फार्मास्यूटिकल्स साइंस एण्ड टैक्नोलोजी
- फाइबर्स एण्ड टैक्सटाइल प्रोसेसिंग टैक्नोलोजी
- पोलिमर इंजीनियरिंग
- सरफेस कोटिंग टैक्नोलोजी
- नैनो साइन्स एण्ड टैक्नोलोजी
- ग्रीन टैक्नोलोजी
- बायो टैक्नोलोजी

अनुसंधान से जुड़े ऐसे मोर्चे जिन पर हम अभी केन्द्रित हैं:

- बायो टैक्नोलोजी एण्ड बायोमैडिसिन
- नैनो टैक्नोलोजी एण्ड मैटेरियल साइन्स
- एनर्जी साइन्स एण्ड इंजीनियरिंग
- प्रोसेस सिस्टम्स इंजीनियरिंग
- ग्रीन कैमिस्ट्री एण्ड इंजीनियरिंग
- एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एण्ड हैजेरडस वेस्ट मैनेजमेंट
- प्रोडक्ट इंजीनियरिंग
- एनर्जी इंजीनियरिंग
- डैवेलपिंग थैरिपी स्ट्रेटिजिज फार इनक्योरेबल डिजीजिज फार्मा एण्ड हैल्थ केयर

● रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बजट आबंटन एवं निष्पादन बजट

विश्वविद्यालय के संचालन हेतु उपलब्ध आय के स्रोत एवं निधि की मात्रा 54,389 मिलियन रुपये

– फीस द्वारा	रुपये 3,732 मिलियन
– राज्य सरकार द्वारा	रुपये 6,921 मिलियन
– सरकारी योजनाओं द्वारा	
यू. जी. सी.	रुपये 1,005 मिलियन
ए. आई. सी. टी. ई.	रुपये 6,601 मिलियन
डी. ए. ई.	रुपये 4,245 मिलियन
डी. एस. टी.	रुपये 2,229 मिलियन
डी. बी. टी.	रुपये 9,407 मिलियन
आई. जी. सी. ए. आर.	रुपये 8,958 मिलियन
सी. एस. आई. आर.	रुपये 2,144 मिलियन
आर. जी. सी.	रुपये 7,519 मिलियन
अन्य संसाधन	रुपये 1,628 मिलियन
कुल जोड़	रुपये 54,389 मिलियन

- **लक्षित समूहों का कवरेज – जिसमें लाभान्वितों की संख्या सम्मिलित है। (विश्वविद्यालय, शिक्षक, महिलाएँ, अ.जा./अ.ज.जा आदि)**

आइ.सी.टी. के संकाय एवं छात्र – जिनमें महिलाएँ एवं आरक्षित प्रत्याशी भी हैं वे सभी विभिन्न योजनाओं के लाभों को प्राप्त कर रहे हैं। संकाय के पास यात्रा अनुदान का प्रावधान भी है जिसके द्वारा संकाय सदस्य अपना शोध प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए विदेशों में आयोजित सम्मेलनों में भाग ले सकते हैं। छात्रों के लिए सरकारी छात्रवृत्तियों एवं अध्येतावृत्तियों के अतिरिक्त – आई.सी.टी. द्वारा 200 से भी अधिक, योग्यता सह साधन छात्रवृत्तियों को प्रजनित किया गया है। आई.सी.टी. के भीतर किसी भी छात्र को आर्थिक सहायता के अभाव के चलते अपनी शिक्षा को छोड़ने का अवसर कभी नहीं दिया जायेगा।

- **वर्तमान स्थिति – सम्बन्धित सापेक्ष नीति विषयक लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय/कार्यक्रमों में किये गए परिवर्तन**
दिनांक 12 सितम्बर, 2008 से इस विश्वविद्यालय का वर्तमान स्तर एक समविश्वविद्यालय का है – जो कि यू.जी.सी. अधिनियम 1956 की धारा-3 के अन्तर्गत है। यह अब यह रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (इंस्टीट्यूट ऑफ कैमिकल टेक्नोलौजी) के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2008 के दौरान, इस संस्थान द्वारा इसकी प्लेटीनम जयन्ती मनाई गई थी। वृहत योजनाओं का, जो कि शैक्षिक प्रबन्धन और परिसर विकास से जुड़ी हैं, उन्हें आकारित किया गया है जिसके लिए प्रचुर आर्थिक सहायता की आवश्यकता है।

- **भविष्य की कार्यान्वयन योजनाएँ-जिनमें विकासात्मक रणनीतियों के अनुपालन का संकेत मिलता है:-**

- o स्व-नियन्त्रित (ठेकेदारीयुक्त) संसाधन केन्द्र
- o छात्रों द्वारा पारस्परिक अन्योन्यक्रिया का प्रवेश द्वार
- o स्नातक पूर्व इंजीनियरिंग में शोध कार्य का केन्द्र (सी.यू.आर.आई.ई)
- o प्रक्रिया तीव्रीकरण एवं नवोन्मेषी केन्द्र
- o उत्पाद इंजीनियरिंग केन्द्र
- o मादक द्रव्य पदार्थ इंजीनियरिंग केन्द्र
- o संक्रामक रोग नियंत्रण एवं निवारण केन्द्र
- o तकनीकों की उद्भवन से जुड़ा केन्द्र
- o तकनीकी स्थानान्तरण सैल
- o विजिटिंग प्रोफेसर की स्थायी निधि का सृजन
- o प्रतिभाशाली सहायक प्रोफेसर
- o औद्योगिक परामर्शों का अनुसरण करने के लिए और अधिक संकाय सदस्यों को प्रोत्साहित करना
- o उद्योगों द्वारा समर्थित परियोजनाएँ
- o परामर्श
- o परिवर्धित अन्तर्राष्ट्रीय सहभागिताएँ (संयुक्त परियोजनाएं जिसमें कई प्रतिष्ठित संस्थान हैं) (संयुक्त डिग्रियां, स्नातक पूर्व विनिमय, स्नातकोत्तर विनिमय)
- o एम.एम. शर्मा पुस्तकालय (ई-पुस्तकालय)
- o विभिन्न गतिविधियों के लिए निधियों की स्थापना
- o संस्थान के प्रोफेसरशिप का सृजन।

आई.सी.टी. निम्न विषयों में नये पाठ्यक्रमों को 2010-11 से प्रारम्भ करेगा:-

- o उत्पाद इंजीनियरिंग
- o नैनो टेक्नोलोजी (मुम्बई विश्वविद्यालय की संयुक्त भागीदारी में)
- o जैव रासायनिक इंजीनियरिंग
- o ग्रीन टेक्नोलौजी (मुम्बई विश्वविद्यालय की संयुक्त भागीदारी में)
- o एम. टैक (बायो-टैक-उपरी दिशा में)
- o अंश-कालिक एम.टैक (6 सत्र) समस्त शाखाओं में

● **आयोजित सम्मेलनों, विदेशी प्रतिनिधिमंडलों का भ्रमण तथा अन्य महत्वपूर्ण क्रियाकलाप यदि कोई हैं :**

वर्ष 2008-2009 के दौरान, आई.सी.टी. के विभिन्न विभागों द्वारा 36 सम्मेलनों/कार्यशालाओं/विचार गोष्ठियों को संयोजित किया गया। इनमें से कुछ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की थीं, जबकि कुछ सामाजिक उद्देश्य जैसे कि स्कूली छात्र, उपभोक्ता तथा स्कूल एवं कालेजों के शिक्षकों पर थीं। इनके अतिरिक्त, मराठी विज्ञान परिषद् की सहायता से, महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में स्थित स्कूलों के लिए हमारे शोध विद्वानों द्वारा, विज्ञान की जागरूकता पर 260 अभिभाषण प्रस्तुत किये गए।

● **अन्य देशों/अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ किये गए समझौते/सहभागिताएँ**

कुल मिलाकर, आई.सी.टी. की विभिन्न संकायों के साथ मिलकर अभी वर्तमान में 32 शोध सहभागी कार्यक्रम चल रहे हैं। इनमें यू.एस.ए., ऑस्ट्रेलिया, यू.के, जापान, पुर्तगाल एवं कुछ अन्य देश सम्मिलित हैं।

● **प्रकाशित अथवा मुद्रित प्रकाशनों की सूची :**

शोध प्रकाशन: जो अन्तर्राष्ट्रीय रूप से उद्धृत हैं - 225; सारांश - 73; पुस्तकें - 03; पुस्तकों के अध्याय - 04; पेटेन्ट - 25;

● **पुरानी योजनाओं का विलोपन तथा नवीन योजनाओं/कार्यक्रमों को रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान, सम्मिलित किया जाना**

परमाणु शक्ति के एक विभाग - आई.सी.टी. केन्द्र को स्थापित किया गया है जो कि रासायनिक इंजीनियरिंग शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए है।

भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आई.सी.टी. को, ऊर्जा जैव विज्ञान में उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में चयनित किया गया है।

जैव-ईंधन कार्यक्रम के अतिरिक्त, संस्थान को दो, ऊर्जा से सम्बद्ध शोध कार्यक्रमों का दायित्व सौंपा गया है - सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा।

● **अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव/अतिरिक्त सचिव/वित्त सलाहकार/संयुक्त सचिव - द्वारा विदेशी दौरों का उद्देश्य एवं परिणाम-**

हमारे उपरोक्त अधिकारियों तथा अध्यापन संकाय - आई.सी.टी. की निधि का उपयोग नहीं करते हैं। वास्तव में, वे विदेशों के विभिन्न संस्थानों, विश्वविद्यालयों एवं कम्पनियों के आमंत्रित वक्ता होते हैं।

3.2.17 श्री सत्य साई विश्वविद्यालय, अनंतपुर (आंध्रप्रदेश)

श्री सत्य साई विश्वविद्यालय (पूर्व में श्री सत्य साई उच्च शिक्षण संस्थान, सम विश्वविद्यालय) वर्ष 1981 में स्थापित एक गैर लाभार्थी स्वायत्त संस्थान है जो तीन परिसरों में विस्तारित किया गया है जैसे बालकों के लिए पुट्टापल्ली, जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में स्थित हैं अर्थात् (1) प्रशांति निलायम परिसर (2) अनंतपुर परिसर, बालिकाओं हेतु अनंतपुर, जिला अनंतपुर, आंध्रप्रदेश में स्थित हैं तथा (3) वृंदावन परिसर, लड़कों के लिए, व्हाइट फील्ड काडुगोडी, बंगलुरु, कर्नाटक में स्थित है। वि.वि., गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, बायो विज्ञान, अर्थशास्त्र में बी.एस.सी (आनर्स) गृह विज्ञान में स्नातक, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में स्नातक, वैकल्पिक तेलुगु, वैकल्पिक अंग्रेजी/अर्थशास्त्र में आनर्स स्नातक/वाणिज्य स्नातक आनर्स/अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य तेलुगु भाषा एवं साहित्य तथा अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर/गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, बायो विज्ञान, गृहविज्ञान में एमएससी/एमबीए, एमबीए (वित्त)/बीएड, एमटेक (कंप्यूटर विज्ञान) एमटेक/अप्लाइड ऑप्टिक्स/एमफिल एवं पीएचडी डिग्रियां, उपरोक्त सभी संकायों में प्रदान करता है।

● **विश्वविद्यालय द्वारा अवलोकन**

विश्वविद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर माननीय कुलाधिपति भगवान बाबा ने घोषित किया कि "यह विश्वविद्यालय न केवल आपको डिग्रियां हासिल करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए स्थापित किया गया है बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान तथा आत्मबोध का पोषण करना है। विश्वविद्यालय की पाठ्यवस्तु पढ़ाने के साथ-साथ, आपको परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। हमारा प्रयास है कि विश्वविद्यालय की डिग्रियां न केवल रोजगार प्राप्ति हेतु उपयोगी हों अपितु प्रेम तथा निःस्वार्थ सेवा के जरिये आत्मज्ञान, समाज सेवा हेतु आध्यात्मिक उत्थान में भी उत्प्रेरक हों"।

विश्वविद्यालय का ध्येय, माननीय कुलाधिपति के उपरोक्त विचारों द्वारा मार्गदर्शन करना है। विश्वविद्यालय का मुख्य जोर भारत की सम्मिश्रित संस्कृति अपनाते हुए, विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण करना है। विश्वविद्यालय का दर्शन तथा प्रणाली,

परस्पर एकता तथा सौहार्द बनाये रखते हुए सभी धर्मों को समान रूप से आदर देना है। विश्वविद्यालय का ध्येय, व्यक्ति में नैतिकतापूर्ण, सौहार्दपूर्ण आध्यात्मिक गुणों को संघटित करना है तथा वैज्ञानिक एवं धर्म निरपेक्षतापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है जो अध्यात्म पर आधारित हो ताकि उनका चारित्रिक विकास हो सके जिससे विद्यार्थियों तथा शिक्षकों में अपने देश की सामाजिक आवश्यकताओं विशेषतः ग्रामीण जनसंख्या के प्रति जागरूकता तथा सूझबूझ की अभिवृद्धि होगी।

विश्वविद्यालय ने, मुक्त दाखिला नीति को अपनाया है तथा एम.बी.ए. (वित्त) एम.टेक. (कंप्यूटर विज्ञान) एम.टेक. (अप्लाइड ऑप्टिक्स) बी.एड., एम.फिल. एवं पी.एच.डी. पाठ्यक्रम जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित सभी के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करायी है।

- विश्वविद्यालय की कई अभिन्न विशेषताएं हैं, इनमें से कुछ महत्वपूर्ण निम्नवत हैं :-
- ❖ विश्वविद्यालय के छात्रों एवं संकाय सदस्यों हेतु आवासीय परिसर।
- ❖ विभिन्न पाठ्यक्रमों में देश भर के सभी दाखिलों के इच्छुक छात्रों को बगैर उनकी आय, वर्ग, जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर दाखिला देकर, वास्तविक राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना है।
- ❖ विशेष योग्यता आधारित चयन में अति बौद्धिक परीक्षा तथा साक्षात्कार पद्धति के माध्यम से तथा बुद्धिमत्तापूर्ण तथा गहन वैचारिक दृष्टि रखने वाले छात्रों को पर्याप्त प्राथमिकता दी जाती है।
- ❖ निःशुल्क शिक्षा : विश्वविद्यालय, शिक्षण शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, लाइब्रेरी शुल्क, अवदान निधि तथा इसी प्रकार के अन्य शुल्क वसूल नहीं करता है।
- ❖ सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है।
- ❖ वैज्ञानिक अनुसंधान विकास डाक्टोरल स्तर पर जो कि स्थानीय तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं से संबंधित हो, छात्रों एवं संकाय सदस्यों हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में एक माडर्न स्पेस थियेटर की स्थापना के जरिये शैक्षिक प्रौद्योगिकी की पहचान के अवसर उपलब्ध कराना तथा विभिन्न प्रोत्साहन कार्यों का विकास करते हुए रचनात्मक एवं सृजनात्मकपूर्ण कार्यक्रम तैयार करना है।
- ❖ संकायों एवं छात्रों में परस्पर सामंजस्य हेतु शिक्षकों एवं छात्रों में सुदृढ़ संबंध स्थापित करना।
- ❖ प्रतिभा कौशल संवर्धन हेतु 5 वर्षीय अवधि का समेकित पाठ्यक्रम।
- ❖ कार्य दिवसों की अधिकतम संख्या तथा शैक्षिक उद्देश्यों तथा कार्य विस्तार हेतु राष्ट्रीय अवकाश एवं मुख्य पर्वों का पूर्ण उपयोग।
- ❖ इन उच्चादर्शों को बनाये रखने में विश्वविद्यालय की सफलता इस तथ्य से आंकी जा सकती है कि सभी कार्य समयानुसार चल रहे हैं।
- रिपोर्टिंग वर्ष (2008-2009) के दौरान, बजट आबंटन और निष्पादन बजट।

(रूपये लाखों में)

	व्यय बजट प्राक्कलन 2008-2009	वास्तविक 2008-2009	वृद्धि/कमी
वेतन आदि	426.82	430.42	3.60
अन्य आवर्ती व्यय	85.88	110.67	24.79
	512.70	541.09	28.39
गैर आवर्ती व्यय	191.31	267.45	76.14
	704.01	808.54	104.53
वित्त के स्रोत			
एस.एस.एस. सेन्ट्रल ट्रस्ट	230.00	193.00	(37.00)
एस.एस.एस. बुक ट्रस्ट	25.00	55.00	30.00
संस्था की आय	265.56	378.90	113.34
वि.अ.आ.	107.09	101.40	(5.69)
डीएसटी/डीबीटी/डीआरडीओ/एमओईआईएफ/ डीआई/एमसीआईटी/आईसीएसएसआर	76.36	80.24	3.88
	704.01	808.54	104.53

- **लाभार्थियों (शिक्षकों, विद्यार्थियों, महिलाओं, अ.जा./अ.ज.जा. आदि) की संख्या सहित लक्ष्य समूह की कवरेज**
वर्ष 2008-09 के दौरान,
शिक्षक-131, विद्यार्थी-1217, महिलाएँ-478, अ.जा.-41, अ.ज.जा.-26
- **कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति, संबंधित नीतिगत निर्णय/परिवर्तन : कोई नहीं।**
- **वर्ष 2009-10 के दौरान, अनुपालित की जाने वाली विकासगत रणनीति दर्शाती भावी कार्य योजना :**
दिनांक 28-29 अगस्त, 2009 के दौरान, "ऐथिक्स एण्ड वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन" जिसमें राज्यपाल, भूतपूर्व राज्यपाल, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा संसार के उच्च स्तरीय बैंकों के 30 सी.ई.ओ. को आमंत्रित किया जाएगा।
विश्वविद्यालय, जून 2010 को एक अन्य नए परिसर का अर्थात् मुद्देनाहली परिसर, मुद्देनाहली, जिला चिकबल्लपुर, कर्नाटक में प्रारंभ कर रहा है।
- **आयोजित सम्मेलनों, विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के दौरे तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलाप, यदि कोई हैं :**
वर्ष 2008-09 के दौरान, एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन, एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला, विभिन्न विषयों संबंधी 13 कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जबकि संकाय द्वारा संगोष्ठियों/सम्मेलनों में 138 पत्र प्रस्तुत किये गए।
- **अन्य देशों/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समझौते :** मैसर्स ओ.पी. विस्टा यू.एस.ए. कोड डी.डब्ल्यू.डी.एम. ऑप्टिकल नेटवर्क डिजाइन को 2009 में परियोजना प्रस्तावित की गई।
- **प्रकाशनों की सूची :**
 - o वर्ष 2008-09 के दौरान, संकाय सदस्यों द्वारा संदर्भित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में 67 अनुसंधान पत्रों का प्रकाशन हुआ।
 - o वर्ष 2008-09 के दौरान, अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगभग 25 अनुसंधान परियोजनाएं प्रगति पर हैं।
 - o स्नातकोत्तर, एम.बी.ए., एम.बी.ए. (वित्त) एम.टेक. के विद्यार्थियों द्वारा 137 परियोजनाओं एवं शोध निबंधों तथा एम. फिल. के विद्यार्थियों द्वारा 9 शोध निबंधों तथा पी.एच.डी. के शोधार्थियों द्वारा 5 शोध ग्रन्थ प्रस्तुत किए गए।

संकाय सदस्यों द्वारा पुस्तकों के अध्यायों में योगदान : गणित तथा कंप्यूटर विज्ञान से एक संकाय सदस्य, वाणिज्य से 3, जीवविज्ञान से 2 तथा अर्थशास्त्र से 2 संकाय सदस्य।
- **रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, नवीन स्कीमों/कार्यक्रमों में परिवर्धन एवं पुरानी स्कीमों/कार्यक्रमों का विलोपन।**
 - o "नैनो विज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिकी में स्नाकोत्तर शिक्षण पाठ्यक्रम" एक डी.एस.टी. प्रायोजित परियोजना के तहत वर्ष 2009 में, एक नवोन्मेषी कार्यक्रम एम.एस.सी. (नैनोविज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिकी) पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया।
 - o नवीन परियोजना का परिवर्धन: एक नवीन बहुविषयी सहयोगी परियोजना हनीवेल टेक्नॉलॉजी सॉल्यूशंस, बंगलुरु (50 लाख रुपये), वर्ष 2008 से विश्वविद्यालय द्वारा गणित, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीवविज्ञान विभागों द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग/मंदबुद्धि व्यक्तियों के अनुसंधान एवं उत्पाद विकास हेतु भारत में संचालित की गई। इस परियोजना के अंतर्गत दृष्टिबाधित, मंदबुद्धि, मानसिक रूप से विकलांग तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को मूलभूत शिक्षा, मूलभूत रहन सहन तथा उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य शामिल किया गया है।
- **चेयरमैन/वाइस चेयरमैन/सचिव/अपर सचिव/वित्तीय सलाहकार/संयुक्त सचिवों द्वारा किए गए विदेशी दौरों का प्रयोजन एवं निष्कर्ष : कोई नहीं।**
- **अन्य ब्यौरे जो विश्वविद्यालय अन्य व्यक्तियों को बताना चाहता है :**
 - o अनंतपुर परिसर में लड़कियों तथा वृंदावन परिसर में लड़कों के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधाओं सहित मल्टीमीडिया शिक्षण केन्द्र उपलब्ध कराया गया है।

- o संकाय एवं विद्यार्थियों ने दिनांक 1-13 नवंबर, 2008 तक, 7 दिन के लिए ग्राम सेवा की तथा 3,00,000 की आबादी वाले पुट्टापती, बुक्कापट्टनम, कोचायेरुवा मंडलों के 153 गांवों को वस्त्र, खाद्य सामग्री, लेखन सामग्री संवितरित की।
- o विश्वविद्यालय के चतुर्थ परिसर हेतु अर्थात् “ मुददेनाहली परिसर” मुददेनाहली में जिला चिकबल्लपुर, नजदीक बंगलुरु, कर्नाटक में दिनांक 14 फरवरी 2009 को माननीय अतिथि द्वारा शिलान्यास किया गया। इसके कार्यों की कर्नाटक सरकार से, तदोपरांत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमति प्रतीक्षित है।

3.2.18 तिब्बती अध्ययन केन्द्रीय विश्वविद्यालय, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)

● प्रारम्भ

सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज (सी.आई.एच.टी.एस.) की स्थापना वर्ष 1967 में माननीय दलाई लामा तथा तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के परस्पर विमर्श के परिणामस्वरूप की गई जिनका उद्देश्य तिब्बत के युवाओं और हिमालय के सीमावर्ती विद्यार्थियों को शिक्षित करना था।

इसके मुख्य उद्देश्यों से अभिप्रेरित होकर विश्वविद्यालय, शिक्षण तथा अनुसंधान में अकादमिक प्रगति की राह पर तीव्र एवं निरंतर कदम बढ़ाता रहा। साथ ही, इसमें एम.फिल. तथा पी.एच.डी. स्कालर्स, मौलिक लेखन एवं समीक्षाओं का प्रकाशन, प्राचीन लुप्त पाठ्यसामग्री/पाण्डुलिपियों की अनुरूप अवसंरचनात्मक वृद्धि सहित पुनर्रचना एवं भाषान्तरण/अनुवाद तथा एक उपकरणयुक्त सुसज्जित लाइब्रेरी की स्थापना भी शामिल थी।

यह संस्थान, भारत के राजपत्र के भाग-1 में धारा-1 के तहत दिनांक 5 अप्रैल, 1988 को सम-विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित किया गया। तदोपरांत, सी.आई.एच.टी.एस. के नाम में संशोधन कर सैन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तिब्बतन स्टडीज (सी.यू.टी.एस.) नाम दिया गया तथा भारत सरकार के अनुमोदनस्वरूप जिसे दिनांक 22 जुलाई, 2009 से प्रभाव में लाया गया।

● शिक्षण

विश्वविद्यालय में शिक्षण पद्धति को 5 संकायों तथा 10 विभागों के अन्तर्गत 2 सत्रीय प्रणाली में बाँटा गया है। 5 संकाय हैं: 1. फेकल्टी ऑफ हेतु एवम् अध्यात्म विद्या (तर्क एवं अध्यात्म), 2. फेकल्टी ऑफ शब्द विद्या (भाषा एवं साहित्य), 3. फेकल्टी ऑफ भोट चिकित्सा विद्या (तिब्बती चिकित्सा विज्ञान), 4. फेकल्टी ऑफ भोट शिल्प विद्या (तिब्बती कला एवं शिल्प), 5. फेकल्टी ऑफ आधुनिक विद्या (आधुनिक विज्ञान)। दस विभाग हैं: 1. डिपार्टमेन्ट ऑफ मूल शास्त्र (मूलशास्त्र विभाग), 2. डिपार्टमेन्ट ऑफ संप्रदाय शास्त्र (संप्रदाय शास्त्र विभाग), 3. डिपार्टमेन्ट ऑफ बौद्ध संप्रदाय (बौद्ध संप्रदाय विभाग), 4. डिपार्टमेन्ट ऑफ क्लासिकल एण्ड मॉडर्न लैंग्वेज (प्राचीन एवं आधुनिक भाषा विभाग), 5. डिपार्टमेन्ट ऑफ संस्कृत (संस्कृत विभाग), 6. डिपार्टमेन्ट ऑफ तिब्बत लैंग्वेज (तिब्बती भाषा विभाग), 7. डिपार्टमेन्ट ऑफ भोट चिकित्सा विद्या (भोट चिकित्सा विद्या विभाग), 8. डिपार्टमेन्ट ऑफ भोट ज्योतिष (भोट ज्योतिष विभाग), 9. डिपार्टमेन्ट ऑफ भोट शिल्प विद्या (भोट शिल्प विद्या विभाग), 10. डिपार्टमेन्ट ऑफ सामाजिक विद्या (सामाजिक विद्या विभाग)।

यह एक बड़े हर्ष का विषय है कि भारत में शिक्षण एवं शोध की संवृद्धि में संस्थान की सामान्य भूमिका तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिब्बती व बौद्ध संस्कृति संबंधी क्षेत्रों में इसके योगदान से संसार भर के विद्वान सुपरिचित हैं।

● सम्मेलन/संगोष्ठियाँ/कार्यशालाएँ

यह संस्थान, समय-समय पर बौद्ध धर्म, तिब्बती अध्ययन एवं संबंधित विषयों से संबद्ध विभिन्न विषयों पर स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगोष्ठियों, परिसंवाद एवं कार्यशालाओं का भी आयोजन करता है। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान, निम्नलिखित आयोजन किए गए : -

1. दिनांक 15 से 17 जनवरी, 2009 तक बौद्ध धर्म एवं विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी।
2. दिनांक 6 से 9 फरवरी, 2009 तक आधुनिक ज्योतिष शास्त्र पर कार्यशाला।
3. दिनांक 20 से 31 जनवरी, 2009 तक विज्ञान के क्षेत्र में नेतृत्व पर कार्यशाला।
4. दिनांक 5 अक्टूबर, 2008 को फ्रांसीसी प्रोफेसर गेरार्ड फसमैन द्वारा विमलनाकृति-निर्देश की अभी हाल ही में खोजी गई संस्कृत पाण्डुलिपियों पर व्याख्यान।

5. दिनांक 11 से 12 नवंबर, 2008 तक पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी पर कार्यशाला।
6. दिनांक 9 से 14 फरवरी, 2009 तक कोरियन छात्रों के लिए अल्पकालीन पाठ्यक्रम।
7. जनवरी, 2009 में संयुक्त राज्य अमरीका तथा आस्ट्रेलिया के छात्रों के लिए 4 सप्ताह का अल्पकालीन पाठ्यक्रम।

● प्रकाशन

रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान, निम्नलिखित प्रकाशनों का प्रकाशन किया गया :-

1. धिह : एक दुर्लभ बौद्ध पाठ्यसामग्री पर एक जर्नल संस्करण - 45
2. धिह : एक दुर्लभ बौद्ध पाठ्यसामग्री पर एक जर्नल संस्करण - 46
3. पंकाविभासतीसहस्रिका प्रांजपरामिता, डॉ. विजयराज वज्रकार्य द्वारा रचित संस्करण-III
4. ज्ञाननसरसमुक्कायाह, डॉ. पेनपा दोरजी द्वारा रचित
5. तिब्बती तथा संस्कृत पाठ्यसामग्री का सामंजस्य, जे. एस. नेगी तथा डॉ. तुलसी त्सेरिंग द्वारा रचित
6. सौत्रंतिका दर्शन, प्रोफेसर डॉ. राम शंकर त्रिपाठी द्वारा रचित
7. पाली एवं संस्कृत व्याकरण के तकनीकी शब्द एवं तकनीक (प्राविधि), महेश ए. देवोकर द्वारा रचित
8. तिब्बती एम.एस.एस. के संग्रह तथा एन्ड्रयू बजारोव द्वारा काष्ठ चित्रों की सूची
9. स्वारिग्पा तथा आयुर्वेद, प्रोफेसर पी.के. रॉय द्वारा रचित

● बजट आबंटन

वास्तविक व्यय

1. गैर योजनागत	660.90 लाख रुपये
2. योजनागत	405.52 लाख रुपये
जोड़	1066.42 लाख रुपये

विश्वविद्यालय आधुनिक विषयों के साथ एक सार्थक परस्पर संवाद के जरिये बौद्ध एवं तिब्बती संस्कृति के संरक्षण हेतु अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील है।

3.2.19 श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, कांचीपुरम

- रिपोर्टिंग वर्ष 1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 का बजट आबंटन और निष्पादन बजट।
(लेखापरीक्षा के बिना)

बजट आबंटन			निष्पादन बजट		
	भुगतान प्राप्तियाँ			भुगतान प्राप्तियाँ	
	(लाख रुपये में)			(लाख रुपये में)	
राजस्व शीर्ष	1002.78	1279.55	राजस्व शीर्ष	911.65	1201.42
पूंजी शीर्ष	446.13	164.25	पूंजी शीर्ष	373.91	186.81

- लाभार्थियों की संख्या सहित लक्षित समूह की कवरेज (शिक्षक, विद्यार्थी, महिलाएं अ.जा./अ.ज.जा.)
(शिक्षक)

क्र.सं.	पद	पुरुष	महिलाएं	अ.जा./अ.ज.जा.	कुल
1.	प्रोफेसर	07	--	--	07
2.	रीडर/सहायक प्रोफेसर	10	01	--	10
3.	लैक्चरार (वरिष्ठ)	15	04	--	19
4.	लैक्चरार	55	36	04	91

विद्यार्थी

क्र.सं.	कोर्स	पुरुष	महिला	अ.जा./अ.ज.जा.		कुल
	स्नातक पूर्व			पुरुष	महिला	
1.	बी.ई. (सीएसई)	343	104	04	01	447
2.	बी.ई. (ईईई)	215	88	07	02	303
3.	बी.ई. (ईसीई)	284	86	03	01	370
4.	बी.ई. (एमई)	311	17	05	--	328
5.	बी.टेक (आईटी)	128	75	02	03	203
6.	बी.एड.	12	55	05	06	67
	स्नातकोत्तर					
1.	एमबीए	105	65	01	--	170
2.	एमसीए	209	106	01	--	315
3.	एम.ए. (एसकेटी)	15	01	--	--	16
4.	आचार्या व्याकरण	4	9	--	--	13
5.	आचार्या न्याय	4	1	--	--	05
6.	आचार्या साहित्य	12	10	01	--	22
7.	एम.फिल. (संस्कृत)	04	04	--	--	08
	अंश कालिक					
1.	एम.ई. (पावर सिस्टम)	25	06	03	02	31
2.	बी.ई. (ईईई)	93	03	11	03	96
3.	बी.ई. (एमई)	113	--	05	--	113
4.	बी.ई. (ईसीई)	14	06	02	01	20
5.	एम.फिल. (कंप्यूटर साइंस)	05	06	--	--	11
6.	एम.फिल. (फिजिक्स)	02	03	--	--	05

- आयोजित सभाएँ, विदेशी प्रतिनिधि मंडलों के दौरे, एवं अन्य महत्वपूर्ण समारोह यदि कोई हैं,

क्र.सं.	नाम	अवधि	जिनके द्वारा आयोजित की गई
1.	ए.पी.ओ.जी.ई.ई. 2009	29.01.2009 एवं 30.01.2009	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्प्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग
2.	प्रतिभा/सम्पन्नता से जुड़े व्याख्यान	23.01.2009	एससीएसवीएमवी विश्वविद्यालय एवं योगी रामसूरथकुमार शोध न्यास फॉर एशियन कल्चर थ्रिवन्नामलाई
3.	वेब सूचना विधियों एवं प्रौद्योगिकी पर दो दिवसीय राष्ट्रीय विचार गोष्ठी	30.09.2008 एवं 01.10.2008	कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग विभाग
4.	एक प्रमाणिकता से जुड़ा पाठ्यक्रम जिसका शीर्षक है, "विन्डोज अनुप्रयोग कार्यक्रम जिसमें "नेट" प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया	सितम्बर से नवम्बर, 2008	

5.	वेब सूचना प्रणाली एवं प्रौद्योगिकी पर दो दिवसीय राष्ट्रीय विचार गोष्ठी	30.09.2008 एवं 01.10.2008	
6.	एक प्रमाणिकता पत्र से जुड़ा पाठ्यक्रम जिसका शीर्षक था "विन्डोज़ अनुप्रयोग कार्यक्रम जिनमें "नेट" प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया	सितम्बर एवं नवम्बर 2008	
7.	सामान्य अभिविन्यास कार्यक्रम (सी.ओ.पी.) –प्रथम चरण	05.11.2008 से 08.11.2008	
	सामान्य अभिविन्यास कार्यक्रम (सी.ओ.पी.)—द्वितीय चरण	जनवरी, 2009 के चौथे सप्ताह में	एससीएसवीएमवी विश्वविद्यालय
8.	राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समारोह	11.11.2008	
9.	"सारदागामा" - 2008	06.10.2008 एवं 07.10.2008	संस्कृत एवं भारतीय संस्कृति विभाग
10.	संस्कृत उत्सव - 2008	13.11.2008	
11.	"राका"—विमोचन	20.05.2008	
12.	विदेश मंत्रालय का समाचार प्रपत्र	जुलाई 2008	मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग
13.	"कातिया"—5 पर विचार गोष्ठी	11.04.2008	मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग
14.	"खुदरा प्रबन्धन में उर्ध्वगामी प्रवृत्तियाँ— इस पर राष्ट्रीय विचार गोष्ठी	26.07.2008 एवं 27.07.2008	प्रबंधन, मानव संसाधन एवं वाणिज्य संकाय
15.	एक दिवसीय प्राथमिक—	10.04.2008	स्कूल ऑफ एजुकेशन
16.	चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम		स्कूल ऑफ एजुकेशन
17.	दो दिवसीय कार्यशाला	21 एवं 22 अक्टूबर 2008	आयुर्वेद महाविद्यालय
18.	दस दिवसीय वाचन कार्यशाला संस्कृत भारती द्वारा संचालित संस्कृत कक्षाएँ जो कि आयुर्वेद महाविद्यालय के व्यावसायिक छात्रों के लिए था	06.12.2008	आयुर्वेद महाविद्यालय

- विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के दौरे = शून्य
- अन्य देशों/अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समझौते = शून्य
- प्रकाशनों की सूची

क्र.सं.	प्रकाशित ग्रन्थ का नाम	किसके द्वारा प्रकाशित किए गए
1.	ग्रन्थ दीपिका—स्मारिका	संस्कृत एवं भारतीय संस्कृति विभाग
2.	ए.पी.ओ.जी.ई.ई.—स्मारिका	इलैक्ट्रॉनिक्स एवं कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग
3.	विश्व महाविद्यालय के स्टाफ के सदस्यों द्वारा जो राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में जो शोध प्रपत्र प्रकाशित किये गए	23

3.2.20 चेन्नई मैथमैटिकल इन्स्टीट्यूट, सिरुसेरी (तमिलनाडु)

● ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

चेन्नई गणितीय संस्थान (सी.एम.आई.) की नींव वर्ष 1989 में इस घोषणा पत्र के साथ रखी गई थी कि इस संस्थान को गणितीय विज्ञान विषयों में उत्कृष्टता की कोटि वाले संस्थान के रूप में निर्मित किया जाए – तथा यह एस. पी.आई.ए.सी. विज्ञान प्रतिष्ठान के प्रभाग के रूप में विद्यमान रहे। अगस्त, 1996 के दौरान, यह एक स्वतंत्र संस्थान बन गया – जो कि एस.पी.आई.सी. गणितीय संस्थान (एम.एम.आई.) कहलाया जो कि इसी नाम वाले एक न्यास द्वारा प्रबन्धित था – जो प्रबन्ध एक शासी परिषद् द्वारा किया जाता था। इस संस्थान को और भी अधिक विस्तृत प्रान्तों में स्थापित करने के उद्देश्य से, इस संस्थान का नाम चेन्नई मैथमैटिकल इन्स्टीट्यूट (सी.एम.आई.) जनवरी 1999 में दिया गया। दिसम्बर, 2006 के दौरान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यू.जी.सी. अधिनियम 3, 1956 के अन्तर्गत, सम विश्वविद्यालय की नवीन श्रेणी वाला “सम विश्वविद्यालय” का स्तर प्रदान किया।

● लक्ष्य एवं प्रमुख विशिष्टताएँ

सी.एम.आई. की प्रारम्भिक स्थापना के समय से ही, इस संस्थान में सैद्धांतिक गणित एवं सिद्धान्तवादी कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्रों में शोधकर्ताओं का एक वर्ग बहुत ही सक्रिय था। अभी कुछ समय पूर्व ही, इस संस्थान द्वारा अपने शोध क्षेत्रों का विस्तार करके उसमें भौतिकी तक को सम्मिलित कर लिया है। गणित के विषय के अंतर्गत जिन शोध क्षेत्रों में कार्य किया जाता है – इस संस्थान में वे क्षेत्र हैं – बीजगणित, विश्लेषण, आकलन समीकरण, ज्यामिति, सांख्यिकी। जहां तक कंप्यूटर विज्ञान का प्रश्न है, उसके जो औपचारिक प्रणालियां शोध क्षेत्र की हैं, वे हैं – सॉफ्टवेयर विधियां एवं उनके रूपांकन के विशिष्टीकरण एवं प्रमाणीकरण, एल्गोरिद्म का विश्लेषण, कंप्यूटर से जुड़े जटिल सिद्धांत एवं कंप्यूटर सुरक्षा। भौतिकी में जो शोध कार्य किया जा रहा है – वह मुख्य रूप से, स्ट्रिंग थ्योरी, क्वान्टम फील्ड थ्योरी एवं मैथमैटिकल फिजिक्स-इन विषयों पर है।

अध्यापन एवं शोध के मध्य जो अन्तराल है उसे आच्छादित करने के लिए, सी.एम.आई. द्वारा, गणित एवं इससे संबद्ध विषयों में स्नातक स्तर एवं स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया गया है और इनका संचालन सम्पूर्ण रूप से उन संकाय सदस्यों द्वारा किया जाता है जो कि शोध कार्य में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। अध्यापन का यह कार्यक्रम वर्ष 1998 में आरम्भ हुआ जिसके अनुसार बी.एस.सी. (आनर्स) डिग्री के लक्ष्य से राष्ट्रीय स्तर पर स्नातकपूर्व कार्यक्रमों-गणित एवं कंप्यूटर विज्ञान को प्रारम्भ किया गया। वर्ष 2001 के दौरान, गणित एवं कंप्यूटर विज्ञान में पृथक रूप से स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम प्रस्तावित किए गए। वर्ष 2003 के दौरान, बी.एस.सी. (आनर्स) कार्यक्रम को विस्तारित किया गया ताकि इसे भौतिकी की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जा सके। बी.एस.सी., एम.एस.सी. एवं पी.एच.डी. के अन्तर्गत छात्रों की जो वर्तमान संख्या है, वह 103 है।

सी.एम.आई., में जितने भी अध्यापन कार्यक्रम हैं वे सभी अत्यन्त सफल रहे हैं। गणित एवं/कंप्यूटर विज्ञान के स्नातक स्तर कार्यक्रमों में पहले ही आठ दल स्नातक स्तर पूर्ण कर चुके हैं तथा वे सभी लोग, विश्व के कुछ सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में स्थान प्राप्त कर चुके हैं। इनमें से तीन दल ऐसे हैं जिन्होंने भौतिकी में स्नातक स्तर प्राप्त कर लिया है और इन समस्त छात्रों ने भी भारतवर्ष के अथवा विदेशों के प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों में स्थान प्राप्त कर लिया है। स्नातकोत्तर स्तर के छः दलों ने आगे प्रगति करते हुए शैक्षिक क्षेत्रों एवं उद्योग संस्थानों में बहुत उच्च स्थानों को प्राप्त किया है।

दो दशकों से भी कम समय के दौरान ही, चेन्नई गणितीय संस्थान ने गणितीय विज्ञान में शोध कार्य एवं अध्यापन के क्षेत्रों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में प्रतिष्ठित कर लिया है। यह संस्थान, निजी-सार्वजनिक सहभागिता के प्रभावी स्वरूप में विकसित हो चुका है।

● बजटीय आबंटन एवं निष्पादन बजट – रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान –

“सी.एम.आई.” का आवर्ती व्यय, परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) द्वारा वहन किया जाता है-जोकि “एन.बी.एच.एम.” के माध्यम से प्राप्त वार्षिक सहायता अनुदान के द्वारा होता है। वर्ष 2008-09 का सी.एम.आई. का बजट रुपये 3.5 करोड़ राशि का था तथा वर्ष भर के लिए जो समस्त व्यय हुआ, वह रुपये 3.73 करोड़ राशि का था।

अवसंरचनात्मक विकास कार्यों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सैद्धांतिक रूप से सी.एम.आई. को रुपये 9.58 करोड़ की राशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करने के लिए सहमति प्रदान की। सी.एम.आई. परिसर के भीतर एक भवन निर्माण के लिए – जिसमें एक सभागार, लेक्चर हॉल, लाइब्रेरी, संकाय कार्यालय, अतिथि कक्ष तथा छात्राओं का होस्टल भी सम्मिलित था – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिसम्बर, 2008 के दौरान, रुपये 4.5 करोड़ की राशि अग्रिम रूप से प्रदान की गई।

● विकासात्मक रणनीतियां एवं इंगित अनुपालित भविष्य की कार्ययोजना –

यह संस्थान, आगामी कुछ वर्षों में उस मूलभूत आधार को और अधिक सुदृढ़ करेगा जो कि पहले ही निर्मित हो चुका है तथा गणितीय विज्ञानों से जुड़े उर्ध्वगामी क्षेत्रों में अपनी पैठ बनाने का प्रयास करेगा। विशेषतः यह संस्थान ऐसे कार्यक्रमों को विकसित करने का इच्छुक है-जो कि उद्योगों में गणित के अनुप्रयोगों द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान कर सके।

● आयोजित सभाएँ, विदेशी प्रतिनिधियों के दौरे तथा अन्य महत्वपूर्ण समारोह, यदि हुए हैं :

- o कंप्यूटर विज्ञान में एक कार्यशाला—जिसका शीर्षक है—“ऑन पर्सपेक्टिव्स इन कनकरैन्सी थ्योरी” — दिसम्बर, 2008 में आयोजित की गई थी।
- o “आई.एम.एस.सी.” के सान्निध्य में, दिसम्बर, 2008 के दौरान, गणित के विषय में भारतीय फ्रांस सभा का अतिथेय सम्पादन किया गया।
- o जो भारतीय-फ्रांसीसी नेटवर्क योजना है—जिसमें सी.एम.आई., आई.एम.एस.सी., ई.एन.एस., कचान, एवं यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्डो है—उस योजना के एक भाग के रूप में, “ऑटोमेटा”, कनकरैन्सी एवं टाइम्स सिस्टम; इन समस्त विषयों पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला जनवरी, 2009 के दौरान आयोजित की गई।
- o “प्रिंसिपल बन्डल्स इन ज्योमैट्री”—इस शीर्षक पर फरवरी-मार्च, 2009 के दौरान एक कार्यशाला आयोजित हुई।
- o सी.एम.आई. का छठा उपाधि वितरण समारोह, अगस्त, 2008 में हुआ था। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, के सचिव, डॉ० टी. रामासामी ने इस समारोह की अध्यक्षता की तथा प्रोफेसर रोडम नरसिम्हा, एफ.आर.एस. ने उपाधि समारोह को सम्बोधित किया।
- o मानविकी से सम्बद्ध गतिविधियों के एक भाग के रूप में, संगीत रसास्वादन पर कई विचार-गोष्ठियां संचालित की गईं, “साहित्य के माध्यम से उद्ग्रहण”, इस विषय पर विचार गोष्ठियां हुईं तथा “आउटसोर्सिंग इन लिटरेचर”—इस शीर्षक पर भी विचार गोष्ठियां हुईं।

● अन्य देशों/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से समझौते/सहभागिताएं

सी.एम.आई., Ecole Normale Supérieure, फ्रांस एवं “Ecole Polytechnique”, फ्रांस के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ कार्यक्रम में सहभागिता करता है। सी.एम.आई. ने “Universite Pieue et Marie Curie (Paris-6)” के साथ शोध सहभागिता के लक्ष्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी आशय के समझौता ज्ञापन, “Universite de Paris Sud at Orsay, France तथा ENS at Cachan, France: सी.एम.आई. को एक पूर्णकालिक भागीदार के रूप में यूरोपीय परियोजना “Alagant” में सम्मिलित किया गया है—जिस परियोजना में बीजगणित, ज्यामिति, नम्बर थ्योरी सहित कई यूरोपीय विश्वविद्यालय हैं एवं एक कनाडा का विश्वविद्यालय जुड़ा हुआ है।

● प्रकाशन एवं मुद्रित प्रकाशनों की सूची —

सी.एम.आई. के संकाय द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित किए गए हैं साथ ही कई सम्मेलनों की कार्यवाही आदि भी प्रकाशित की गई है :

क्र.सं.	वर्णन	विषय	संख्या
1.	पत्रिकाओं में लेख	गणित	22
		भौतिकी	3
2.	सम्मेलनों में लेख	गणित	4
		कंप्यूटर विज्ञान	5
3.	प्रकाशित/रिपोर्टें	गणित	8
		कंप्यूटर विज्ञान	3
		भौतिकी	1
4.	पुस्तक	गणित	1
5.	सम्पादित सर्ग	कंप्यूटर विज्ञान	2

3.2.21 बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा (राँची)

● ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

वर्ष 1955, जुलाई माह के दौरान, सुप्रसिद्ध उद्योगपति स्वर्गीय श्री बी०एम० बिरला द्वारा यह संस्थान एक अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। प्रारम्भिक तौर से इसे तत्कालीन बिहार विश्वविद्यालय के एक सम्बद्ध कॉलेज के रूप में व्यक्त किया गया था और बाद में नवीन विश्वविद्यालयों के सृजन होने पर, इस राज्य में इसकी संबद्धता को राँची विश्वविद्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया। भारत सरकार के शिक्षा आयोग (1964-66) द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर और यूजीसी. एवं ऑडिट की एक संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट के आधार पर मार्च, 1972 में बिहार राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम का एक विशेष प्रावधान लाने के आधार

पर इस संस्थान को राँची विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी कॉलेज का स्तर प्रदान किया गया। बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति ने इस संस्थान के अभिशासन के लिए नियमों का सृजन किया। शोध एवं उत्कृष्ट शैक्षिक कार्यक्रमों को दृष्टिगत करते हुए, इस संस्थान की उपलब्धियों को देखते हुए, इस संस्थान द्वारा अगस्त, 1986 के दौरान, यू.जी.सी. अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत "सम विश्वविद्यालय" का स्तर प्राप्त कर लिया गया।

● लक्ष्य एवं प्रमुख विशेषताएं:

यह संस्थान अपने क्षेत्र के हित में, नवोन्मेषी कार्यक्रमों को निरन्तर उपलब्ध करा रहा है और महत्वपूर्णतौर से इस क्षेत्र की खुशहाली के लिए एवं यहां मानव समुदाय की खुशी के लिए ऐसा करता रहेगा और इसके साथ ही पर्यावरण के साथ भी सद्भावना को बनाए हुए है। इस संस्थान के निम्न लक्ष्य हैं :

- छात्रों को जीवन-पर्यन्त प्रशिक्षण प्राप्त करते रहने के लिए तैयार करना।
- स्नातक स्तर पर छात्रों को शिक्षित करना ताकि वे उद्योगों में इंजीनियरी से जुड़े स्तर वाले कामों को निष्पादन करने के लिए प्रवेश स्तर पर तैयार रहें अथवा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में निपुणता एवं आत्मविश्वास से प्रवेश कर सकें।
- स्नातकोत्तर स्तर वाले छात्रों को शिक्षित करना ताकि वे आभ्यान्तरिक रूप से विश्लेषण कर सकें एवं रूपांकन कर सकें अथवा गुणवत्तापूर्ण शोध का संचालन कर सकें।
- शोध स्तर वाले छात्रों को शिक्षित करना ताकि वे पुरालेखीय शोध का निष्पादन कर सकें।
- अपने संकाय सदस्यों की अध्यापन निपुणताओं को और प्रभावी ढंग से विकसित करने के लिए शिक्षित करना।
- एक ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना जो कि उत्पादक शोध कार्य को प्रोन्नत करने वाला हो।
- बजट आबंटन एवं निष्पादन बजट –रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान

वर्ष	आय	व्यय	अधिशेष/घाटा
बजट: 2008 - 09:	6114.07	6544.00	- 429.93
वास्तविक: 2008 - 09:	6912.83	6503.73	409.10

- लक्ष्यपरक समूहों का कवरेज-जिसमें लाभान्वित सम्मिलित हैं- (विश्वविद्यालय, कॉलेज, अध्यापक, महिलाएं, अ.जा./अ.ज.जा.)

अध्यापक :

पद	कुल	पुरुष	महिलाएं	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	पीएचडी प्राप्तकर्ता	शारीरिक विकलांगता
प्रोफेसर	49	44	05	0	0	1	40	
संबद्ध प्रोफेसर	22	18	04	0	1	1	16	
रीडर/लेक्चरर चयन ग्रेड	55	45	10	0	0	6	28	01
वरिष्ठ लेक्चरर	57	45	12	03	02	6	17	
लेक्चरर	121	94	27	02	02	4	31	
संबद्ध लेक्चरर	26	13	13	0	01	2	2	
कुल	330	259	71	05	06	20	134	01

छात्र :

प्रविष्ट	पुरुष	महिलाएं	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	विदेशी छात्र	शा.वि./अशक्त
3129	2310	819	388	283	74	7	22

● **वर्तमान स्थिति, संबद्ध महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय, कार्यक्रमों में परिवर्तन :**

दिसम्बर, 2006 से लेकर अबतक की अवधि के दौरान, शोध कार्य को प्रोन्नत एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, संस्थान द्वारा प्रेरणात्मक अभिवृद्धि को प्रस्तावित किया गया है जो कि इस प्रकार है :- प्रोफेसर, रुपये 10,000/- प्रतिमाह; रीडर रुपये 7,500/- प्रतिमाह; प्राध्यापक, रुपये 5,000/- प्रतिमाह। इसके साथ ही अन्य सहयोगी स्टाफ सदस्यों एवं तकनीकी कर्मचारियों को शोध एवं विकास कार्यों के हेतु कार्य दिवस के अतिरिक्त जिस समय का वे योगदान करते रहे हैं उसके लिए, उन्हें भी उपयुक्त रूप में प्रेरणात्मक अभिवृद्धि प्रस्तावित की गई है।

● **भावी कार्य योजना एवं इंगित अनुपालन हेतु विकासात्मक रणनीतियाँ**

- यथार्थ एवं आदर्श स्वरूप के केंद्र का विकास।
- अग्रवर्ती एवं प्रगतिशील चिकित्सकीय निदान शास्त्र के लिए एक शोध एवं विकास केन्द्र को विकसित करने का कार्य।
- नैनो प्रौद्योगिकी के लिए केन्द्र का विकास।

● **आयोजित समारोह विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के दौरे तथा अन्य महत्वपूर्ण समारोह/गतिविधियां, यदि कोई हैं :-**

- o अंतर्राष्ट्रीय सभाएं - शून्य
- o राष्ट्रीय स्तर की सभाएं - शून्य
- o कार्यशालाएं/अल्प अवधि वाले पाठ्यक्रम - 16
- o विदेशी प्रतिनिधिमंडल - 03
 - श्रीमति जाना कॉमो, न्यू ब्रून्सविक विश्वविद्यालय, कनाडा
 - डॉ० गॉर्डन पिकेट, लोरिडा, यू.एस.ए., विजिटिंग शोध प्रोफेसर
 - श्री ल्यूक मैकडॉनैल्ड, प्रिंसटन विश्वविद्यालय, यू.एस.ए.

● **अन्य देशों/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अनुबन्ध/सहभागिताएं :**

- o यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, यू0के0-ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम के लिए निरन्तर गतिशील ज्ञापन समझौता।
- o यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रून्सविक, कनाडा, उच्च शिक्षा क्षेत्र में पारस्परिक हितों वाले क्षेत्रों में सहभागिता वाले, सतत गतिशील ज्ञापन समझौते। इस ज्ञापन समझौते के अंतर्गत एक संघटित साख युक्त ऋण हस्तांतरण समझौते को, बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान एवं कंप्यूटर संकाय, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रून्सविक, कनाडा, के माध्यम से स्वीकार किया गया है।
- o N+I नेटवर्क, फ्रांस, -जो कि, फ्रैंच इंजीनियरिंग कॉलेजों की एक एसोसिएशन है, उसके साथ इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए दोहरी डिग्री के लिए ज्ञापन समझौता।
- o RAK-प्रशिक्षण नौपोत, सिंदबाद, जो कि तीव्रगामी बी.टेक. (सामुद्रिक/नाविकीय विज्ञान) एवं 'बी.एस.सी. (सामुद्रिक/नाविकीय विज्ञान)-इन पाठ्यक्रमों को संचालित कर रहा है।
- o ह्यूस्टन विश्वविद्यालय, यू.एस.ए. ने सहभागिता युक्त कार्यक्रम जो कि शैक्षिक सहकारिता के विभिन्न प्रतिदर्शों पर आधारित होते हैं, उन्हें स्थापित करने संबंधी व्यवहार्यता पारस्परिक अन्वेषण क्रिया।

● **प्रकाशित एवं मुद्रित प्रकाशनों की सूची :**

संस्थान से उपलब्ध प्रकाशन:

पत्रिकाएं	:	380
कार्य विवरण	:	206
प्रकाशित पुस्तकें	:	07

● **रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, नवीन योजनाओं/कार्यक्रमों में परिवर्धन एवं पुरानी योजनाओं/कार्यक्रमों का विलोपन :-**

सम्मिलित किया : स्नातक स्तर : खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी

एम.बी.ए. कार्यक्रमों के अंतर्गत, त्रैमासिकी प्रणाली के स्थान पर, सत्रीय प्रणाली का अनुकरण किया जाएगा।

3.2.22 गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (उत्तरांचल)

गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय जो कि 4 मार्च, 1902, को हरिद्वार में स्थापित हुआ था, उसमें वेद, संस्कृत दर्शन, योग एवं कुछ प्राचीन विषयों में अध्यापन कार्य होता है और इसमें आधुनिक पाठ्यक्रम के अनुसार कुछ विज्ञान विषयों जैसे एम.सी.ए., एम.बी.ए. एवं इंजीनियरिंग आदि में भी अध्यापन कार्य होता है।

शिक्षण कार्यक्रम, आठ संकायों में यथा ओरिएंटल लर्निंग, मानविकी, विज्ञान बायोलॉजी, अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, देहरादून एवं हरिद्वार में पृथक रूप से प्रबंधन अध्ययन तथा दूरस्थ शिक्षा में उपलब्ध कराया गया है। विभागों का ब्यौरा निम्नवत है :-

ओरिएंटल लर्निंग लैंग्वेज :

वेद विभाग : प्रोफेसर मनुदेव बंधु की अध्यक्षता में विभाग, अनुसंधान पत्रों के प्रकाशन के साथ-साथ डॉ. रूप किशोर शास्त्री एवं डॉ. दिनेश चंद्र शास्त्री की पुस्तकें उपलब्ध करा रहा है।

श्रद्धानंद वैदिक अनुसंधान संस्थान : ओरिएंटल लर्निंग लैंग्वेज के अनुसंधान के संबंध में, इस वर्ष अनुसंधान एवं प्रकाशन कार्य तथा अनुसंधान पत्र का प्रकाशन, प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश शास्त्री एवं डॉ. सत्य देव निगमालंकार, विभागाध्यक्ष द्वारा किया गया।

संस्कृत विभाग : प्राचार्य तथा उपकुलपति की अध्यक्षता में प्रो. वेद प्रकाश शास्त्री, प्रो. महावीर अग्रवाल, डॉ. सोमदेव शांतनु, एवं डॉ. ब्रह्मदेव अतिरिक्त अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड सरकार ने उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी के उपाध्यक्ष के रूप में प्रो. महावीर अग्रवाल को नामांकित किया।

दर्शनशास्त्र : प्रो. यू.एस. बिष्ट की अध्यक्षता में प्रो. विजयपाल शास्त्री, प्रो. त्रिलोकचंद एवं डॉ. सोहनपाल सिंह आर्य को प्रो. यू.एस. बिष्ट के निदेशन में अनुसंधान कार्य के लिए चुना गया है। अखिल भारतीय दर्शनशास्त्र काँग्रेस का 53 वां सत्र आयोजित किया गया जिसमें 400 विद्वानों ने भाग लिया।

भारतीय इतिहास तथा संस्कृति विभाग : डॉ. प्रभात सेंगर की अध्यक्षता में प्रो. राकेश शर्मा एवं डॉ. देवेंद्र गुप्ता, विभाग में अध्यापन तथा अनुसंधान कार्य कर रहे हैं।

अभिलेखागार संग्रहालय : अभिलेख वस्तुओं के संग्रहालय के महत्व की दृष्टि से वि.वि. संग्रहालय, उत्तराखण्ड संस्कृति का प्रतीक है। संग्रहालय में, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालिबंगा का संग्रहण है। संग्रहालय, पूर्णतः कौशंबी, मथुरा तथा मौर्य एवं गुप्तकालीन साम्राज्य के शिलालेखों से युक्त है तथा धातु मूर्तियाँ, प्राचीन कालीन सिक्के, पांडुलिपियाँ, अस्त्र-शस्त्र कोष्ठ, श्रद्धानंद बलिदान प्रकोष्ठ, हिमालय दर्शन, जर्नल संग्रह आदि देखने योग्य है।

मानव चेतना एवं योग विज्ञान विभाग : प्रो. ईश्वर भारद्वाज के नेतृत्व में डॉ. राकेश गिरि, डॉ. सुरेन्द्र कुमार एवं डॉ. योगेश्वर दत्त इस विभाग में कार्यरत कर रहे हैं। इसके अलावा, विभाग में योग चिकित्सा भी उपलब्ध करायी जाती है।

शारीरिक शिक्षा खेलकूद विभाग : इस विभाग में छात्रों को खेलकूद सुविधाएँ एवं डॉ. आर.के.एस. डगर की अध्यक्षता में 1 वर्षीय बी.पी.एड. पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराया जाता है।

मानविकी संकाय

हिंदी विभाग : प्रो. भगवानदेव पाण्डे की अध्यक्षता में प्रो. संतराम वैश्य, प्रो. ज्ञानचंद शास्त्री एवं डॉ. कमलकांत बुधकर, हिंदी विभाग में कार्यरत हैं। यह विभाग, परियोजना संबंधी हिन्दी के साथ-साथ पत्रकारिता पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराता है।

अंग्रेजी विभाग : डॉ. अंबुज शर्मा की अध्यक्षता में विभाग को प्रो. मुकेश रंजन वर्मा तथा प्रो. श्रवण शर्मा, अधिकारियों की सहायता से चलाया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपना अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया है। सभी शिक्षकों की लिखी हुई पुस्तकें तथा अनुसंधान परियोजनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रो. श्रवण शर्मा परिवीक्षण में अंग्रेजी विभाग (केनेडियन स्टडीज़ सेंटर) ने वि.वि. में 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की।

मनोविज्ञान विभाग : डॉ. सी.पी. खोकर, विभागाध्यक्ष तथा प्रो. एस. के. श्रीवास्तव निरंतर कार्य कर रहे हैं और उन्होंने अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया है तथा एक पुस्तक भी प्रकाशित की है।

विज्ञान संकाय

गणित विभाग : प्रो. महिपाल सिंह की अध्यक्षता में डॉ. प्रभाकर प्रधान एवं श्री मनोज कुमार विभाग में अध्यापन तथा अनुसंधान कार्य कर रहे हैं।

रसायन शास्त्र विज्ञान : प्रो. आर.डी. कौशिक विभाग के अध्यक्ष हैं। प्रो. ए.के. इंद्रायन एवं प्रो. रणधीर सिंह शिक्षण कार्य कर रहे हैं, साथ ही संयंत्र, आयुर्वेद, कायनेटिक्स, पर्यावरण तथा इलेक्ट्रो-केमिकल आदि पर अनुसंधान कार्य कर रहे हैं।

बायोलॉजी संकाय

पशु तथा पर्यावरणीय विज्ञान विभाग : प्रो. दिनेश भट्ट विभाग के अध्यक्ष हैं। प्रो. बी.डी. जोशी, प्रो. ए.के. चोपड़ा, डॉ. डी.आर. खन्ना, डॉ. पी.सी. जोशी, डॉ. डी.एस. मलिक, डॉ. आर.के. नेगी, डॉ. राकेश भुटियानी एवं श्री नितिन कम्बोज, विभाग में अध्यापन तथा अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। विभाग ने वनस्पति तथा पर्यावरण संबंधी विभिन्न विषयों पर संगोष्ठी आयोजित की है। प्रो. दिनेश भट्ट को पक्षी विज्ञान पर अखिल भारतीय कार्यशाला हेतु निदेशक नियुक्त किया गया। संकाय सदस्यों के अनुसंधान पत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं।

वनस्पति विज्ञान एवं माइक्रोबायोलॉजी विभाग : प्रो. आर.सी. दूबे की अध्यक्षता में प्रो. डी.के. महेश्वरी, प्रो. पुरुषोत्तम कौशिक, डॉ. जी.पी. गुप्ता एवं डॉ. नवनीत, विभाग में अनुसंधान कार्य कर रहे हैं।

अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय : विभाग, इन तीन विषयों, यथा कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार तथा इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पाठ्यक्रम चलाता है। डॉ. रजत अग्रवाल, डॉ. मुरली मनोहर तिवारी, डॉ. सुनील पंवार, श्री भगवती प्रसाद चमोला, डॉ. विवेक गोयल, श्री महेन्द्र सिंह अग्रवाल, श्री मयंक अग्रवाल, श्री अमित अग्रवाल, श्री विपुल शर्मा, श्री तनुज गर्ग, श्री चंद्रभान विश्वकर्मा आदि संकाय की प्रगति हेतु कार्य कर रहे हैं। प्रो. राजेन्द्र अग्रवाल, कालेज के डीन के रूप में कार्य कर रहे हैं। कालेज ने 'राष्ट्रीय तकनीकी महोत्सव -ज्ञानगी' मनाया। सभी संकाय सदस्य अपना अनुसंधान कार्य भी कर रहे हैं।

कंप्यूटर प्रौद्योगिकी संकाय

कंप्यूटर विज्ञान विभाग : स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त कंप्यूटर विज्ञान विभाग में MCA पाठ्यक्रम भी चलाया जाता है। डॉ. विवेक कुमार गुप्ता एवं श्री राजकुमार भाटिया, डॉ. कमलजीत भाटिया, संकाय के डीन के निदेशन में अपना अनुसंधान कार्य एवं आयोजना कार्य कर रहे हैं।

कंप्यूटर केन्द्र : वि. वि. ने कंप्यूटर केन्द्र की गतिविधियों को डॉ. अचल गोयल के निदेशन में कंप्यूटरीकृत किया है, इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई गई है तथा V-Set भी केन्द्र में स्थापित किया गया है।

प्रबंधन अध्ययन केन्द्र

एम.बी.ए., एम.बी.एफ. एवं एम.बी.ई. पाठ्यक्रम भी डॉ. एस.पी. सिंह के निदेशन में चलाए जाते हैं। इसके साथ ही, डॉ. पंकज मदान भी अध्यापन एवं अनुसंधान कार्य का मार्गदर्शन कर रहे हैं। दो प्रोफेसर्स की पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। इस वर्ष, एक राष्ट्रीय संगोष्ठी भी आयोजित की गई। इस विभाग द्वारा प्रकाशित पत्रिका बिजनेस समीक्षा' कंप्यूटर पर तथा विश्व प्रसिद्ध केबल डायरेक्ट्री में उपलब्ध है। वि.वि. के पूर्व डीन डॉ. के.वी. सिंह अवैतनिक पद पर ओमान में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। फार्मसी में स्नातक पाठ्यक्रम, प्रो. वेदप्रकाश शास्त्री के निदेशन में चलाया जा रहा है। उप कुलपति एवं प्रो. आर.डी. कौशिक पाठ्यक्रम का संकलन कर रहे हैं।

प्रौढ़ एवं अनुवर्ती शिक्षा विभाग

डॉ. आर.डी. शर्मा इस विभाग के निदेशक हैं तथा डॉ. जसबीर सिंह मलिक, इस विभाग के सहायक निदेशक हैं। यह विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहा है तथा निरक्षर लोगों को पढ़ाने का अवसर प्रदान करता है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के रोजगार संबंधी स्कीम उपलब्ध कराता है।

पुस्तकालय

इस वि.वि. के पुस्तकालय को, भारत के एक प्रमुख पुस्तकालय के रूप में जाना जाता है जिसमें वेद और धर्म तथा प्राचीन अध्ययन सामग्री का संकलन उपलब्ध कराया जाता है। इस पुस्तकालय में प्राचीन भाषा, प्राचीन जर्नल्स तथा उनके हस्तलेखों की प्रतियों तथा पांडुलिपियों आदि का संग्रह है। यह भी प्रावधान है कि गरीब छात्रों को अस्थायी रोजगार उपलब्ध कराया जाए। श्रद्धानंद अनुसंधान केन्द्र, डॉ. जगदीश विद्यालंकार के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है तथा विभिन्न अनुसंधान जर्नल्स प्रकाशित हुए हैं।

पुस्तकालय ने V-Set की स्थापना की है तथा 10.00 लाख रुपये की 400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पत्रिकाएँ, वि.अ.आ. की सहायता से उपलब्ध कराई हैं। इसके बावजूद, भारत सरकार की सहायता से पुस्तकालय, हजारों दुर्लभ पुस्तकों को डिजिटलकृत करने जा रहा है। वर्तमान में, इसमें 400 पुस्तकों का संकलन है।

कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, देहरादून

यह महाविद्यालय संस्कृत, हिन्दी, संगीत, इतिहास, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, कला एवं मनोविज्ञान जैसे विषयों पर स्नातक पूर्व स्तर के पाठ्यक्रम चलाता है। MCA तथा MBA का पाठ्यक्रम भी चलाया जाता है।

कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, हरिद्वार

कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर से एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा जिसमें डॉ. संगीता विद्यालंकार के निदेशन में विज्ञान तथा हरिद्वार में महिलाओं की शिक्षा हेतु स्नातकोत्तर स्तर पर कला पाठ्यक्रम चलाया जाता है।

इस विश्वविद्यालय के विभिन्न संकाय सदस्यों को विदेशी सरकारों द्वारा इस वर्ष व्याख्यान देने, संगोष्ठी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।

3.3 विश्वविद्यालयों में मौजूदा तथा नवीन प्रबंधन विभागों के उन्नयन हेतु विकासगत सहायता

वि.अ.आ, उच्च शिक्षा में वैश्वीकरण की बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रबंधन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा परामर्श हेतु मौजूदा एवं नवीन प्रबंधन विभागों के उन्नयन हेतु विश्वविद्यालयों को विकासगत सहायता उपलब्ध कराता है। वि.वि./प्रबंधन विभाग/संस्थान जो कि धारा 2(एफ) तथा 12(बी) यू.जी.सी.अधिनियम, 1956 के अधिदेशानुसार स्कीम के तहत वित्तीय सहायता के पात्र हैं। स्वतः वित्त पोषित संस्थानों को यह सहायता नहीं दी जाती है।

वि.वि./संस्थान जिन्होंने पूर्णकालिक दो वर्षीय प्रबंधन पाठ्यक्रम हेतु किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की है, वे वित्तीय सहायता के पात्र होंगे। सहायता सीमा निम्नवत होगी :

गैर-आवर्ती : 40.00 लाख रुपये
(उपस्कर, पुस्तकें एवं जर्नल्स एवं भवन विस्तार सहित)

आवर्ती : 30.00 लाख रुपये

यू.जी.सी. मौजूदा विभागों के उन्नयन हेतु उन विभागों को भी वित्तीय सहायता (एक बारगी अनुदान) उपलब्ध कराता है जिन्होंने पूर्व में यू.जी.सी. से सहायता प्राप्त की है। वित्तीय सहायता की सीमा निम्नवत होगी :

गैर-आवर्ती : 40.00 लाख रुपये

आवर्ती : 20.00 लाख रुपये

निर्धारित प्रारूप में, 11 वीं योजना हेतु स्कीम के परिशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालयों/संस्थानों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं।

वर्ष 2008-2009 के दौरान, 10 वीं योजना में चयनित तीन विश्वविद्यालयों को 6.49 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी।

4 कालेजों को विकास (योजनागत) और अनुरक्षण (गैर योजनागत) सहायता

4.1 ग्यारहवीं योजना के दौरान, कालेजों के विकास पर जोर

उच्च शिक्षा प्रणाली के स्तर को बनाए रखने, सुविधाओं का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने, शिक्षा को उभरते कैरियर पैटर्न से जोड़ने तथा शिक्षा को सुगम बनाने और समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों/जनजातियों और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को शिक्षा के समान अवसर मुहैया कराने के लिए, कालेजों का विकास करना एक प्रमुख दायित्व है, क्योंकि स्नातक और काफी हद तक स्नातकोत्तर शिक्षा भी मुख्यतः कालेजों में ही प्रदान की जाती है। कालेजों को दी जानी वाली विकास सहायता पुस्तकालय, प्रयोगशाला, संपर्क सुलभता आदि जैसी आधारभूत अवसंरचना का उन्नयन करके सिखाने-सीखने की प्रक्रिया को सहयोग देने की दिशा में केन्द्रित होनी चाहिए। तथापि, मौजूदा संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं का विस्तार तथा समेकन करने, आधुनिकीकरण के माध्यम से स्तर बढ़ाने, कैरियर की संभावनाओं से जोड़ने के लिए विशेषकर स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों को तर्कसंगत बनाने और उनका विविधिकरण करने पर जोर दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा स्थापित कालेज अर्थक्षम नहीं होते और उनमें कम ही विद्यार्थी नामांकित होते हैं तथा समूह में सुविधाओं का अभाव रहता है ताकि विकास आवश्यकता, आयोग द्वारा पूरी की जा सके। शैक्षणिक रूप से पिछड़े ऐसे क्षेत्रों में नए कालेजों की स्थापना करना भी ग्यारहवीं योजना के दौरान, आयोग द्वारा किए जाने वाले कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य है जहां इनकी पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं।

आधारभूत विकास सहायता के अतिरिक्त, 10वीं योजना की कई योजनाएं, ग्यारहवीं योजना की सामान्य विकास अनुदान योजनाओं के साथ आमेलित कर दी गई हैं। ग्यारहवीं योजना के लिए विकास अनुदान के संबंध में निर्णय करते समय, सामान्य विकास अनुदान के अतिरिक्त, इन आमेलित योजनाओं के लिए भी आबंटन किया जाएगा। ये योजनाएं हैं :-

- क. पुराने कालेजों की अवसंरचना का जीर्णोद्धार
- ख. नए कालेजों के लिए 'कैचअप' अनुदान
- ग. ग्रामीण/दूरस्थ/सीमावर्ती/पर्वतीय/जनजातीय क्षेत्रों में स्थित कालेज।
- घ. ऐसे कालेज, जहां पर अ.जा./अ.ज.जा. और अल्पसंख्यकों का अनुपात तुलनात्मक रूप से अधिक है।
- ड. कालेजों में पहल करके क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुदान
- च. कालेजों में दिवस देखभाल केन्द्रों की स्थापना।
- छ. पिछड़े क्षेत्रों में कालेज।
- ज. वि.अ.आ. नेटवर्क संसाधन केन्द्र की स्थापना।
- झ. कालेजों में समान अवसर केन्द्र :-
 - (i) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.(गैर संपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यकों के लिए उपचारात्मक अनुशिक्षण
 - (ii) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.(गैर संपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यकों को नेट (राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) के लिए अनुशिक्षण
 - (iii) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.(गैर संपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यकों के लिए सेवाओं में शामिल होने के लिए अनुशिक्षण
- ञ. निःशक्त व्यक्तियों के लिए योजनाएं।
- ट. कैरियर और परामर्श प्रकोष्ठ।

ग्यारहवीं योजना के दौरान, निम्नलिखित उद्देश्यों से कालेजों को सामान्य विकास अनुदान देने की योजना का कार्यान्वयन किया गया :-

- कालेजों की आधारभूत अवसंरचना को मजबूत बनाने तथा बुक बैंक सहित पुस्तकें और पत्रिकाएं, वैज्ञानिक उपस्कर खरीदना, परिसर का विकास करना तथा शिक्षण सहायता उपकरण और खेलकूद सुविधाओं के लिए अनुदान मुहैया करवाना ।

- मौजूदा भवनों का विस्तार/पुनर्निर्माण करने और नए भवन के निर्माण के लिए सहायता मुहैया करवाना।
- संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत परिभाषा के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर संपन्न वर्ग)/अल्पसंख्यक समुदायों, निःशक्तों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आर्थिक रूप से वंचित विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कालेजों को सहायता मुहैया करवाना।
- अकादमिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों को विशेष उपचारात्मक कोचिंग देना ताकि वे आत्मविश्वासी पुरुष या महिला बनकर कालेज से बाहर जाएं।
- क्षेत्रीय असंतुलन और विषमता समाप्त करने के लिए शैक्षणिक रूप से पिछड़े/ग्रामीण/सीमावर्ती/पर्वतीय/दूरस्थ/जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित कालेजों का विकास।
- महिलाओं को कॉमन कक्ष और शौचालय जैसी सुविधाएं मुहैया कराना।
- पुराने कालेजों के जीर्णोद्धार के लिए और नए कालेजों को 'कैचअप अनुदान' प्रदान करना।
- निकटवर्ती क्षेत्रों में आउटरीच गतिविधियों, प्रौढ़ और सतत शिक्षा को बढ़ावा देना, ताकि वह पूरा का पूरा क्षेत्र सामूहिक रूप से लाभान्वित हो, जहां पर यह कालेज बना हुआ है।
- क्षमता निर्माण की पहल (नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करना और मौजूदा पाठ्यक्रमों की दाखिला क्षमता में विस्तार करना)।
- कालेजों में, विशेषकर शिक्षकों के लिए आत्मविश्वास पैदा करने की दिशा में पहल करने के लिए सहयोग।
- आंतरिक परीक्षा प्रणाली में विभिन्न विकल्पों को प्रारम्भ करने को बढ़ावा देना और शिक्षण, शोध, अकादमी उत्कृष्टता और सामाजिक वृद्धि को प्रभावित करने वाले नवोन्मेषी विचारों को क्रियान्वित करना।

सहायता केवल उन्हीं कालेजों को प्रदान की जायेगी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2 (एफ) और 12 (बी) के अन्तर्गत शामिल किए गए हैं और ग्यारहवीं योजनावधि हेतु दिशानिर्देश के अनुसार, पात्रता शर्त पूरी करते हैं।

4.2 वित्तीय सहायता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त कालेज

31 मार्च, 2009 को देश में लगभग 25,951 कालेज थे, जिनमें से केवल 7,176 कालेज ही वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 2(एफ) के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त हैं। मान्यताप्राप्त कालेजों में से केवल 5,936 कालेज ऐसे हैं जो वि.अ.आ. अधिनियम 1956 की धारा 12(बी) के अधीन केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। दिनांक 31.03.2009 को कालेजों की स्थिति निम्नवत् है :

दिनांक	कालेजों की कुल संख्या	धारा 2(एफ) के तहत कालेजों की संख्या	धारा 2(एफ) एवं 12(बी) के तहत कालेजों की संख्या
31-03-2008	22,064	6,773	5,819
31-03-2009	25,951	7,176	5,936

4.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कालेजों को अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1994 में एक चरणबद्ध ढंग से देश में अपने सात क्षेत्रीय कार्यालय खोलकर अपने कार्यकरण का विकेन्द्रीकरण कर दिया है, ताकि कालेज क्षेत्र से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अधीन आसानी से शीघ्र अनुदान प्राप्त कर सकें तथा उन्हें तुरन्त जारी/कार्यान्वित किया जा सके। बाद में, वि.अ.आ. के क्षेत्रीय कार्यालय तथा उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय (एनआरओ), गाजियाबाद को "उत्तरी क्षेत्र कालेज ब्यूरो" में परिवर्तित कर गाजियाबाद से दिल्ली में 35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली में 25-09-2001 से स्थानान्तरित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची, उनके नाम, स्थिति, स्थापना की तारीख तथा राज्यों की कवरेज का ब्योरा सहित, **परिशिष्ट : XIII** में दिया गया है।

ये क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो, निम्नलिखित सात योजनाओं कार्यक्रमों के अधीन संपूर्ण देश के सभी पात्र कालेजों को अनुदान संवितरित कर रहे हैं :-

- कालेजों को विकास सहायता (स्नातक पूर्व/स्नातकोत्तर)।
- महिला छात्रावासों (होस्टलों) का निर्माण।
- संकाय सुधार कार्यक्रम (एम.फिल/पी.एच.डी. करने के लिए कालेज शिक्षकों को शिक्षक अध्येतावृत्तियां प्रदान करना)
- शोध स्कीमों की सहायता के लिए शोध निधियन (कालेज शिक्षकों के लिए लघु शोध परियोजनाएं—मानविकी/सामाजिक विज्ञान तथा विज्ञान)।
- कालेजों में शोध कार्यशाला/परिसंवाद तथा सम्मेलन।
- स्वायत्त कालेज (केवल अनुदान जारी करना)।
- कालेजों के लिए सामान्य विकास अनुदान योजना के साथ आमेलित जिन 15 योजनाओं के लिए अनुदान स्वीकृत किए गए हैं, वे निम्नवत हैं :-
 - o पुराने कालेजों में अवसंरचना का पुनर्निर्माण।
 - o नए कालेजों के लिए "कैचअप" अनुदान।
 - o अ.जा./अ.ज.जा./अल्पसंख्यकों के तुलनात्मक रूप से उच्चतर अनुपात वाले कालेज।
 - o पिछड़े क्षेत्रों में कालेज।
 - o ग्रामीण क्षेत्रों में कालेज।
 - o दूरस्थ/पर्वतीय/सीमावर्ती क्षेत्रों में कालेज।
 - o कालेजों में क्षमता निर्माण पहल के लिए विशेष अनुदान।
 - o कालेजों में खेलकूद सुविधाएं।
 - o वि.अ.आ. नेटवर्क संसाधन केन्द्र की स्थापना।
 - o दिवस देखभाल केन्द्र की स्थापना।
 - o अ.जा./अ.ज.जा. और अल्पसंख्यकों के लिए उपचारात्मक अनुशिक्षण।
 - o अ.जा./अ.ज.जा. और अल्पसंख्यकों को "नेट" का अनुशिक्षण।
 - o अ.जा./अ.ज.जा. और अल्पसंख्यकों को सेवा में प्रवेश के लिए अनुशिक्षण/कक्षाएं।
 - o निःशक्त व्यक्तियों के लिए योजनाएं।

4.4 वि.अ.आ. क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा जारी अनुदानों की योजनावार स्थिति

1 ग्यारहवीं योजना कालेज विकास परियोजना

वि.अ.आ., 11वीं योजना के दिशानिर्देशों में विहित शर्तों को पूरा करने वाले स्नातक पूर्व/स्नातकोत्तर कालेजों के विकास के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) और 12(बी) के अधीन सम्मिलित कालेजों को सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करता है। योजना के अधीन, कालेजों की बुनियादी अवसंरचना को सुदृढ़ करने तथा पुस्तकों और पत्रिकाओं (पुस्तक बैंक सहित), वैज्ञानिक उपस्कर, स्टाफ, परिसर विकास, विस्तार/नवीकरण, शिक्षण सहायता सामग्री जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए सहायता प्रदान करता है जो उचित शिक्षा, विद्यमान भवन विस्तार/नवीकरण तथा नए भवनों का निर्माण, विस्तार गतिविधियों, शैक्षिक रूप से कमजोरों के लिए, उपचारी अनुशिक्षण आदि के लिए आवश्यक है।

वर्ष 2008-09 के दौरान, कालेजों को जारी अनुदान तथा कालेज विकास योजना के अन्तर्गत कालेजों को आबंटित और जारी ग्यारहवीं विकास योजना का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

तालिका-4.1 : कालेजों को आबंटित और प्रदत्त ग्यारहवीं योजना विकास अनुदान 2008-09 के दौरान, प्रदत्त अनुदान (राज्यवार)
(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संयुक्त राज्य क्षेत्र	31.3.2009 को वि.अ.आ. की धारा 2(एफ) और 12(बी) के अधीन कालेजों की संख्या	कालेज जिनको 2008-09 के दौरान सहायता दी गई	11वीं योजना की कालेज विकास योजना के अधीन कालेजों के लिए अनुमोदित कुल अनुदान (वि.अ.आ. का शेयर)	01.04.08 से 31.03.09 तक प्रदत्त कुल राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	आंध्र प्रदेश	410	321	##	865.27
2.	अरुणाचल प्रदेश	06	05	##	26.20
3.	असम	185	173	##	872.33
4.	बिहार	287	281	##	1781.97
5.	छत्तीसगढ़	143	129	##	670.12
6.	गोवा (including Daman Diu)	24	21	##	114.16
7.	गुजरात	351	303	##	1722.37
8.	हरियाणा (including Chandigarh)	134	134	##	643.86
9.	हिमाचल प्रदेश	39	39	##	4.63
10.	जम्मू एवं कश्मीर	34	34	##	192.94
11.	झारखंड	82	78	##	547.63
12.	कर्नाटक	477	413	##	1716.34
13.	केरल	214	214	##	1052.73
14.	मध्य प्रदेश	352	298	##	1532.24
15.	महाराष्ट्र	799	703	##	4190.89
16.	मणिपुर	43	43	##	182.73
17.	मेघालय	24	19	##	68.92
18.	मिज़ोरम	16	10	##	49.62
19.	नागालैंड	10	07	##	40.71
20.	उड़ीसा	333	258	##	1448.90
21.	पांडिचेरी (अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित)	13	07	##	31.84
22.	पंजाब	202	202	##	250.09
23.	राजस्थान	203	189	##	1005.34
24.	सिक्किम	02	02	##	13.11
25.	तमिलनाडु	281	214	##	902.84
26.	त्रिपुरा	15	13	##	61.94
27.	उत्तर प्रदेश	390	390	##	2077.15
28.	उत्तरांचल	23	23	##	143.27
29.	पश्चिम बंगाल	372	367	##	2347.35
	जोड़	5464	4890		24557.49

ग्यारहवीं योजना आबंटन का निर्धारण करने के लिए बैठक होनी अभी बाकी है। दसवीं योजना आबंटन के आधार पर 2008-09 के अनुदानों का भुगतान किया गया है।

2. महिला छात्रावासों का निर्माण

महिलाओं का दर्जा बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कालेजों में महिला छात्रावास तथा अन्य आधारिक संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से आयोग ने वर्ष 1995-96 के दौरान, महिला होस्टलों के निर्माण के लिए एक विशेष योजना शुरू की थी, जो कालेज वि.अ.आ. के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं/तथा जो केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के उपयुक्त हैं वह कालेज, वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 12 (बी) के अधीन स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

इस योजना के अधीन वि.अ.आ. से शत-प्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी लेकिन उनकी अधिकतम सीमा इस प्रकार होगी :

महिला नामांकन	गैर महानगरों के संबंध में राशि (लाख रूपयों में)	महानगरों के संबंध में राशि (लाख रूपयों में)
(क) 250 तक	40	80.00
(ख) 251-500	60	100.00
(ग) 500 से अधिक	80	120.00

वि.अ.आ. के नियतन/अधिकतम राशि से अधिक किए गए व्यय को संस्थाओं द्वारा अपने संसाधनों द्वारा पूरा करना होगा जिसके लिए संबंधित संस्था स्पष्ट प्रकटन और आश्वासन प्रदान करेगी। दिशानिर्देशों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नियतन/अधिकतम राशि से अधिक बढ़ी हुई लागत उपलब्ध नहीं कराएगा।

वर्ष 2008-09 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो द्वारा महिला होस्टलों के निर्माण योजना के अधीन प्रदत्त अनुदानों की स्थिति इस प्रकार है :-

(लाख रुपये में)*

क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो का नाम	2008-09 के दौरान सहायता प्राप्त करने वाले कालेज	01.4.08 से 31.03.2009 के दौरान प्रदत्त राशि
म.क्षे. का. भोपाल	101	2345.95
पू.क्षे. का. कोलकाता	238	6602.68
उ.पू.क्षे. का. गोवाहाटी	110	1802.78
द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	119	3000.00
द.प.क्षे. का. बंगलुरु	158	3692.55
प.क्षे. का. पुणे	79	997.79
उ.क्षे. का. ब्यूरो, नई दिल्ली	65	1497.41
जोड़	870	19939.16

* चल रही परियोजनाओं सहित

3 संकाय विकास कार्यक्रम

संकाय विकास कार्यक्रम के अधीन, पात्र विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को शिक्षक अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है ताकि वे एम.फिल./पी.एच.डी. डिग्री प्राप्त करने के लिए अपने शैक्षिक/शोध कार्य जारी रख सकें।

इस योजना के अधीन, एवजी शिक्षक के लिए 10,000 रु० की राशि आकस्मिकता वेतन के लिए प्रदान की जाती है। वर्ष 2008-09 के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो द्वारा कार्यक्रम के अधीन निम्न राशि प्रदान की गई :-

(लाख रुपये में)*

क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो का नाम	सहायता प्राप्त कालेज एवं शिक्षक फैलो की संख्या	प्रदत्त राशि 01.04.2008 से 1.03.2009 तक
म.क्षे. का. भोपाल	78	169.84
पू.क्षे. का. कोलकाता	62	87.88
उ.पू.क्षे. का. गोवाहाटी	51	64.72
द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	121	139.00
द.प.क्षे. का. बंगलुरु	181	263.17
प.क्षे. का. पुणे	128	115.53
उ.क्षे. का. ब्यूरो, नई दिल्ली	40	11.94
जोड़	661	852.08

4 शोध योजनाओं (लघु शोध परियोजनाओं) की सहायता के लिए शोध निधियन परिषद्

योजना का उद्देश्य, विभिन्न विषयों में विश्वविद्यालय और कालेजों के शिक्षकों के शोध कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करके उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता का संवर्द्धन करना है। पात्र विश्वविद्यालय और कालेजों के शिक्षक, लघु शोध परियोजना योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं तथा ग्यारहवीं योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, 1.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

वर्ष 2008-09 के दौरान, वि.अ.आ. क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो द्वारा लघु शोध परियोजनाओं (मानविकी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान) को प्रदत्त अनुदान निम्न प्रकार है :-

(लाख रुपये में)

क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो का नाम	प्राप्त प्रस्तावों की सं० 2008-09 के दौरान		अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या		प्रदत्त राशि 01.4.08 से 31.03.2009 तक	
	विज्ञान	सामाजिक विज्ञान	विज्ञान	सामाजिक विज्ञान	विज्ञान	सामाजिक विज्ञान
म.क्षे. का. भोपाल	281	362	219	314	197.31	200.72
पू.क्षे. का. कोलकाता	223	355	136	207	171.39	126.69
उ.पू.क्षे. का. गोवाहाटी	195	282	145	210	142.25	165.36
द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	283	218	158	163	144.99	164.01
द.प.क्षे. का. बंगलुरु	594	750	318	415	237.83	237.37
प.क्षे. का. पुणे	523	393	341	295	29.24	20.31
जोड़	2099	2360	1317	1604	923.01	914.46
उ.क्षे. का. ब्यूरो, नई दिल्ली	250		177		118.94	

* चल रही परियोजनाएं शामिल हैं।

5 कालेजों में शोध कार्यशालाओं/परिसंवादों तथा सम्मेलनों का आयोजन

इस योजना के अधीन, संस्थाओं को विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/परिसंवादों/शोध तथा सम्मेलनों का आयोजन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, योजना का उद्देश्य, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को अपने ज्ञान, अनुभवों और शोध को शेयर करने के लिए मंच प्रदान करके कालेजों में उच्च मानकों का संवर्द्धन करना है। इस योजना में सभी पात्र कालेज आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत 70,000 रुपये से 1,50,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाती है।

वर्ष 2008-2009 के दौरान, शोध कार्यशालाओं/परिसंवादों तथा सम्मेलनों की योजना के अधीन, कालेजों को वि.अ. आ. क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा अनुमोदित राशि का विवरण इस प्रकार है :-

(लाख रुपये में)*

क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो का नाम	2008-09 के दौरान, प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	2008-2009 के दौरान प्रदत्त राशि
म.क्षे. का. भोपाल	186	152	152.93
पू.क्षे. का. कोलकाता	187	117	97.79
उ.पू.क्षे. का. गोवाहाटी	67	51	40.95
द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	345	267	118.00
द.प.क्षे. का. बंगलुरु	766	327	178.46
प.क्षे. का. पुणे	474	321	26.78
उ.क्षे. का. ब्यूरो, नई दिल्ली	150	111	84.97
जोड़	2175	1346	699.88

* चल रही परियोजनाओं सहित

6 स्वायत्त कालेज

स्वायत्त कालेजों की योजना का उद्देश्य, संबद्ध संरचना से कालेजों को असंबद्ध करके, स्नातक पूर्व शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस स्कीम के तहत 5.00 लाख रु०. से 12.00 लाख रु० तक की राशि प्रदान की जाती है, जिसका निर्धारण संकायों की संख्या पर निर्भर करता है।

वर्ष 2008-09 के दौरान, स्वायत्त कालेजों को वि.अ.आ. क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा संस्वीकृत राशि की स्थिति निम्न प्रकार है :-

(लाख रुपये में)*

क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो का नाम	(01.04.2008 से 31.03.2009 तक) स्वायत्त कालेजों की संख्या जिन्हें सहायता प्रदान की गई	(01.04.2008 से 31.03.2009 तक) प्रदत्त राशि
म.क्षे.का. भोपाल	25	480.72
पू.क्षे.का. कोलकाता	24	302.61
उ.पू.क्षे.का. गोवाहाटी	01	7.00
द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	134	1700.00
द.प.क्षे.का. बंगलुरु	25	374.70
प.क्षे. का. पुणे	02	21.46
उ.क्षे.का. ब्यूरो, नई दिल्ली	00	00
जोड़	211	2886.49

7 आमेलित योजनाएं

(क) पुराने कालेजों की अवसंरचना का जीर्णोद्धार

भारत को स्वतंत्रता मिलने से पूर्व जो कॉलेज अस्तित्व में थे, उन कालेजों के द्वारा जीवन के हर क्षेत्र में, स्वतंत्रता-सैनानी, शिक्षाविद् एवं नेताओं को प्रस्तुत करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, भारतवर्ष के समक्ष एक अत्यंत भीमकाय कार्य आया, जिसके अन्तर्गत न केवल उच्च शिक्षा प्रणाली का विकास किया जाना था, बल्कि, दूसरी ओर समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों तक गुणवत्तायुक्त शिक्षा की पैठ बनाना था। यह सब

कुछ, उस शिक्षित मानव संसाधनों द्वारा संभव हो पाया—जो कि स्वतंत्रता पूर्व विभिन्न संस्थानों में विद्यमान थे। हमारा राष्ट्र, इन कालेजों का ऋणी है—क्योंकि इन कालेजों ने, न केवल स्वतंत्रता पूर्व गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराई, बल्कि उसको आज तक भी बनाए रखा है। कुछ पुराने संस्थानों द्वारा, अपनी आधारभूत संरचना को संभालकर रखा गया है तथा उनके द्वारा नये भवन भी निर्मित कर लिये गए हैं। परन्तु, कुछ संस्थान ऐसे हैं जिन्हें अपने भवनों को जर्जर स्थिति में से हटाना है, इस बात को ध्यान में रखते हुए, वि.अ.आ. निर्माण/विस्तार/नवीकरण के लिए उन कॉलेजों को अनुदान प्रदान करेगा—जो कि 15 अगस्त 1947 से पूर्व स्थापित हुए थे और जिनमें वर्तमान आधारभूत संरचना के नवीकरण की आवश्यकता है। इस योजना का लक्ष्य यह है कि पुराने कालेजों को सहायता प्रदान की जाये—जो कि 15 अगस्त, 1947 से पूर्व स्थापित हुए थे—उन भवनों के नवीकरण अथवा निर्माण/विस्तार, कक्षाओं/प्रयोगशालाओं अथवा अन्य आधारभूत संरचना के लिए जैसा कि अविलम्ब आवश्यकताओं की माँग है।

(लाख रुपये में)

क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो का नाम	2008 – 2009 के दौरान, कालेजों को दी गई सहायता	01.04.2008 से 31.03.2009 तक प्रदत्त राशि
म.क्षे. का. भोपाल	--	--
पू.क्षे. का. कोलकाता	--	--
उ.प.क्षे. का. गोवाहाटी	--	--
द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	--	--
द.प.क्षे. का. बंगलुरु	--	--
प.क्षे. का. पुणे	--	--
उ.क्षे. का. ब्यूरो, नई दिल्ली	--	--
जोड़	--	--

(ख) नवीन कालेजों के लिए “कैच अप” अनुदान

जैसा कि स्कीम के नाम से विदित है, यह उन कालेजों को प्रदान किए जाने वाले विशेष अनुदान के संबंध में है जो अभी कुछ समय पूर्व धारा 2(एफ) तथा 12 (बी) के तहत प्रदान किया जाता था तथा वे कालेज तब तक केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं समझे जाते थे। अतः सामान्य विकास अनुदान के अतिरिक्त ये कालेज, भवन, पुस्तकों एवं जर्नल उपस्करों के रूप में शीघ्र निर्माण/मजबूत आधारीक अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए, इस “कैच अप” अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। (i) विशेष अनुदान से तात्पर्य है फर्नीचर एवं फिटिंग्स की खरीद हेतु सहायता उपलब्ध कराना तथा जिनका निर्माण, प्रस्ताव प्रस्तुति के पूर्ववर्ती वर्ष से पहले नहीं हुआ है। (ii) पुस्तकों तथा जर्नल्स की सदस्यता (ई-जर्नल्स सहित), वैज्ञानिक एवं शिक्षण उपस्कर, खेलकूद सामग्री प्राप्त करने के लिए अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।

(लाख रु.में)

क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो का नाम	2008-2009 के दौरान, कालेजों को दी गई सहायता	01.04.2008 से 31.03.2009 तक प्रदत्त राशि
म.क्षे. का. भोपाल	08	11.64
पू.क्षे. का. कोलकाता	110	323.35
उ.प.क्षे. का. गोवाहाटी	25	125.00
द.प.क्षे. का. बंगलुरु	01	0.80
द.प.क्षे. का. बंगलुरु	123	339.12
प.क्षे. का. पुणे	263	789.00
उ.क्षे. का. ब्यूरो, नई दिल्ली	00	00
जोड़	530	1588.91

(ग) अ.जा./अ.ज.जा. एवं अल्पसंख्यकों के उच्च समानुपाती कालेज

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को भारतीय समाज को दो सर्वाधिक पिछड़े वर्गों में अभिलक्षित किया गया है। इन दोनों वर्गों में ऐसी समस्त जातियाँ, प्रजातियाँ अथवा जनजातियाँ सम्मिलित हैं जिनको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 एवं 342 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त, देश के संविधान द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति—ऐसे दो सर्वाधिक पिछड़े वर्ग माने गए हैं, जिनको विशेष संरक्षण की आवश्यकता है। वर्तमान में, वि.अ.आ., अ.जा./अ.ज.जा. प्रकोष्ठों की योजनाओं को लागू कर रहा है—ताकि वह आरक्षण नीति का, उपचारात्मक अनुशिक्षण का निरीक्षण कर सके, जिससे छात्र अपने अध्ययन में पूरे उतर सकें, “नेट” परीक्षा के लिए अनुशिक्षण कक्षाओं और सेवाओं में प्रवेश पाने के लिए अनुशिक्षण कक्षाओं—इन सबका निरीक्षण कर सके। अध्येतावृत्ति के लिए विभिन्न स्तरों पर योजनाएँ हैं। इनमें से कई योजनाएँ अल्पसंख्यक वर्ग वालों तक विस्तारित की गई हैं। ऐसे कालेज, जिनमें तुलनात्मक रूप से अ.जा./अ.ज.जा./अल्पसंख्यक वर्ग का समानुपात और भी अधिक है, उन कालेजों को, विशेष विकास अनुदान प्रदान किया जायेगा—ताकि विभिन्न सामाजिक वर्गों द्वारा भागीदारी को प्रोन्नत किया जा सके। इसके साथ ही यह योजना, अन्य पिछड़े वर्ग (गैर संपन्न वर्ग)/शारीरिक रूप से विकलांगों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों तक विस्तारित की जा चुकी है। इस योजना का लक्ष्य यह है कि अ.जा./अ.ज.जा./अल्पसंख्यक वर्ग, अन्य पिछड़े वर्ग (गैर संपन्न वर्ग) के, छात्रों, जिनको वित्तीय बाध्यताओं का सामना करना पड़ता है, तथा शारीरिक रूप से अयोग्य (भिन्न रूप से योग्य) छात्र — उनकी पहुँच शिक्षा तक हो सके।

(लाख रु. में)

क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो का नाम	2008–2009 के दौरान, कालेजों को दी गई सहायता	01.04.2008 से 31.03.2009 तक प्रदत्त राशि
म.क्षे.का. भोपाल	--	--
पू.क्षे.का. कोलकाता	--	--
उ.प.क्षे. का. गोवाहाटी	--	--
द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	--	--
द.प.क्षे. का. बंगलुरु	--	--
प.क्षे. का. पुणे	--	--
उ.क्षे. का. ब्यूरो, नई दिल्ली	--	--
जोड़	--	--

(घ) शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में कालेज

भारतवर्ष के शिक्षा क्षेत्र में पिछले एक दशक के दौरान, नये शैक्षिक संस्थानों की स्थापना में विशाल वृद्धि देखी गयी है—जो कि मुख्यतः परिवर्धित निजी निवेशों के परिणामस्वरूप हुई है। फिर भी, ऐसे प्रारम्भिक प्रयास, मुख्यतः विस्तृत शहरी केन्द्रों तथा और अधिक विकसित राज्यों तक ही सीमित रह गए। इस प्रकार, छात्रों की प्रवेश दरों में जो सामाजिक एवं क्षेत्रीय तथा उच्च शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता—इन समस्याओं का रूप और भी विस्तारित हो चुका है। पिछड़े इलाकों के विकास पर जो राष्ट्रीय समिति है, इसके द्वारा पिछड़ेपन की संकल्पना (जिसकी रिपोर्ट 1981 में योजना आयोग को प्रस्तुत की गई थी) जो योजनाबद्ध विकास के लिए सापेक्ष मानी गयी—वह यह थी कि किसी क्षेत्र को अपनी संभाव्यता व क्षमता को सर्वोच्च सीमा तक उपयोग करने हेतु, यदि किन्ही विशेष उपायों की आवश्यकता अनुभव होती है—तो ऐसा माना जायेगा कि वह क्षेत्र अभी भी पिछड़ा हुआ ही है। 10 वीं योजना के दौरान, वि.अ.आ. द्वारा समग्र साक्षरता दरों को एकल संकेतक माना, जिसके द्वारा शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को चिन्हित किया जा सकता था। ऐसे जिले, जिनमें राष्ट्रीय औसत से निम्न समग्र साक्षरता दरें थीं। फिर भी, ऐसा देखा गया है कि कोई भी एकल सूचक/संकेतक (साक्षरता के बारे में) सामान्य रूप से विद्यमान, शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन की जटिलताओं को विशेषकर उच्च शिक्षा क्षेत्र में—सम्पूर्ण रूप से समाहित नहीं कर सकता है। अब, देश में शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों को अभिलक्षित करने के लिए एक नवीन मानदण्ड का उपयोग किया जा रहा है—जो कि उच्च शिक्षा की दृष्टि से और अधिक संवेदनशील होगा। वह है: उच्च शिक्षा में—निबल प्रवेश दर (जनरल एनरोलमेंट रेट) (जी.ई.आर.) उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के पश्चात, जो भी प्रवेश प्राप्त किए हैं— 18 से 23 वर्ष के आयु वर्ग में है। ऐसा कालेज, जो एक ऐसे जिले में स्थित है, जहाँ “जी.आई.आर.”—राष्ट्रीय औसत से न्यून है—तो ऐसे कालेज को पिछड़ा हुआ कालेज माना जायेगा। इसका लक्ष्य यह है कि जो कालेज, शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों में स्थित हैं, उन्हें आधारभूत संरचना के विकास के लिए और अध्यापन प्रशिक्षण संस्थानों के विकास के लिए सहायता दी जाए— जिससे कि सुपात्र जनसंख्या द्वारा उच्च शिक्षा तक पैठ बन सके।

(लाख रु. में)

क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो का नाम	2008-2009 के दौरान, कालेजों को दी गई सहायता	01.04.2008 से 31.03.2009 तक प्रदत्त राशि
म.क्षे. का. भोपाल	23	24.33
पू.क्षे. का. कोलकाता	27	42.29
उ.प.क्षे. का. गोवाहाटी	30	92.00
द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	12	17.75
द.प.क्षे. का. बंगलुरु	241	716.51
प.क्षे. का. पुणे	227	681.00
उ.क्षे. का. ब्यूरो, नई दिल्ली	00	00
जोड़	560	1573.88

* इनमें "कैचअप" के लिए अनुदान के लिए सहायता प्राप्त करने वाले नये कालेज भी शामिल हैं।

(ड.) ग्रामीण/दूरस्थ/सीमावर्ती/पर्वतीय/जनजातीय क्षेत्रों में स्थित कालेज

11 वीं योजना का लक्ष्य केन्द्र है "समावेश"— जिसके द्वारा सभी की बराबर पहुँच हो सके। इस दृष्टिकोण के अन्तर्गत जो तत्व अनिवार्य तौर से आते हैं और जिन्हें अभिलक्षित किया जाना चाहिए वे हैं—क्षेत्र, इलाके तथा सामाजिक एवं आर्थिक समूह, जिनकी अन्य समूहों की तुलना में उच्च शिक्षा तक पहुँच बहुत कम है— और जो समूह भारतीय औसत से न्यून हैं। एक ऐसा दृष्टिकोण जिस पर तुरन्त ध्यान दिये जाने की जरूरत है, वह है ग्रामीण-शहरी विभेद। वर्ष 2000 के आरम्भिक काल के दौरान, ग्रामीण इलाकों के शहरी क्षेत्रों का अनुपात 20.44 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में/56 प्रतिशत था जो यह संकल्पना "समावेशिता" की है—इसकी माँग यह है कि ऐसे छात्र जो कि ग्रामीण इलाकों में से हैं—और वे छात्र जिन्हें दूरस्थ/सीमावर्ती/पहाड़ी/जनजातीय इलाकों वाला चिन्हित किया गया है—उन छात्रों की, उच्च शिक्षा तक की पहुँच को बहुत तीव्र रूप से सुधारा जाये। उपयुक्त परिवहन सुविधाओं का अभाव—एक ऐसी कठिनाई जो कि सामान्य रूप से शहरी इलाकों में नहीं होती है—यह सबसे प्रमुख रुकावट है। ग्रामीण इलाकों में शिक्षकों एवं छात्रों को समान रूप से इस कठिनाई का सामना करना पड़ता है और बढ़ता उन्हें समय का बड़ा भाग आने जाने में व्यय करना पड़ता है। अतः जो प्राथमिक आवश्यकता है, वह यह है कि शिक्षकों के पर्याप्त क्वार्टर विद्यमान हों और छात्रों के छात्रावास हों क्योंकि ऐसा संभव नहीं हो पायेगा कि सभी छात्रों को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके—अतः उन सभी छात्रों को जो कि 10 किलोमीटर अथवा उससे भी दूर से आते हैं—यात्रा भत्ता (अधिकतम 500 रु०/प्रतिमाह) दिया जाये। उपस्थिति को भी वरीयता दी जायेगी। प्रथम वर्ष के छात्रों की, प्रथम तीन महीनों (कलैण्डर वर्ष के अनुसार) की उपस्थिति के आधार पर ही यह निर्णय लिया जायेगा। इस योजना का लक्ष्य यह है कि उपस्थिति से जुड़े विभेदों को न्यून किया जाये और उच्च शिक्षा तक पहुँच को और बढ़ाया जाये तथा छात्रों एवं अध्यापकों को किराये पर आधारित आवासीय स्थान उपलब्ध करा कर इस प्रक्रिया को सफल बनाया जाये। इस योजना का लक्ष्य यह भी है कि अवस्थिति विशेष के अनुसार, पाठ्यक्रम को लागू करना, तथा ऐसे छात्र, जो ग्रामीण/दूरस्थ/सीमावर्ती/पहाड़ी/जनजातीय इलाकों से हैं और जिनमें कुछ योग्य व पात्र हैं—ऐसे छात्रों को यात्रा भत्ता दिया जाये।

(लाख रु. में)

क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो का नाम	2008-2009 के दौरान, कालेजों को दी गई सहायता	01.04.2008 से 31.03.2009 तक प्रदत्त राशि
म.क्षे. का. भोपाल	--	--
पू.क्षे. का. कोलकाता	--	--
उ.प.क्षे. का. गोवाहाटी	--	--
द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	--	--
द.प.क्षे. का. बंगलुरु	--	--
प.क्षे. का. पुणे	--	--
उ.क्षे. का. ब्यूरो, नई दिल्ली	--	--
जोड़	--	--

(च) कालेजों में अन्तर्ग्रहण की क्षमता निर्माण का परिवर्धन करने के लिए विशेष अनुदान (क्षमता निर्माण के लिए पहल)

किसी भी कालेज के लिए केवल पाठ्यक्रमों को वर्ष दर वर्ष प्रस्तुत करना ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि गत वर्षों में जो विशिष्ट पाठ्यक्रमों की माँग की गई है उसको निर्धारित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि एक मौजूदा पाठ्यक्रम में अंतर्ग्रहण क्षमता, उस पाठ्यक्रम के इच्छुक छात्रों की संख्या से कहीं कम है जो छात्र किसी भी शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में पाठ्यक्रम के लिए अपना विकल्प देते हैं, उस स्थिति में कालेज द्वारा उस पाठ्यक्रम की अंतर्ग्रहण क्षमता की वृद्धि के बारे में विचार करना चाहिए। वैसे, यदि माँग, वर्तमान अंतर्ग्रहण क्षमता से कम है, तो उस स्थिति में कालेज को नए अध्यापन कार्यक्रमों को प्रस्तावित करने के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। कालेज के विस्तारण के लिए-वर्तमान पाठ्यक्रमों की अंतर्ग्रहण क्षमता की बढ़ोतरी के लिए नवीन पाठ्यक्रमों को आरंभ करके वि.अ.आ. द्वारा पुस्तकों, उपस्करों, पत्रिकाओं आदि के लिए विशेष अनुदान उपलब्ध कराया जाए, नूतन प्रयोगशाला एवम कक्षा फर्नीचर्स, फिटिंग्स तथा नवनिर्मित प्रयोगशाला अथवा कक्षों आदि के लिए विशेष अनुदान उपलब्ध कराया जाए। इस योजना का यह लक्ष्य है कि कालेजों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं ताकि मौजूदा पाठ्यक्रमों की अंतर्ग्रहण क्षमता में वृद्धि हो तथा साथ ही साथ नवीन अध्यापन कार्यक्रम भी किये जा सकें।

(लाख रु. में)

क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो का नाम	2008-2009 के दौरान, कालेजों को दी गई सहायता	01.04.2008 से 31.03.2009 तक प्रदत्त राशि
म.क्षे. का. भोपाल	--	--
पू.क्षे. का. कोलकाता	--	--
उ.प.क्षे. का. गोवाहाटी	--	--
द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	--	--
द.प.क्षे. का. बंगलुरु	--	--
प.क्षे. का. पुणे	--	--
उ.क्षे. का. ब्यूरो, नई दिल्ली	--	--
जोड़	--	--

(छ) महाविद्यालयों में वि.अ.आ. नेटवर्क संसाधन केन्द्र (UGC-NRC) की स्थापना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, कालेजों को कंप्यूटर उपलब्ध कराने संबंधी स्कीम के तहत वर्ष 1987 से कंप्यूटर प्राप्ति हेतु कालेजों की सहायता करता है। वर्तमान स्कीम को, 10 वीं योजना "कालेजों में यूजी.सी. नेटवर्क रिसोर्स सेंटर (UGC-NRC) के अन्तर्गत प्रारंभ किया गया था जिसमें कंप्यूटरों की खरीद तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए भी सहायता प्रदान की जाती थी, जिसको 11 वीं योजना के अंतर्गत भी जारी रखा जायेगा। स्कीम का उद्देश्य, प्रशासन, वित्त, परीक्षा एवं अनुसंधान संबंधी विभिन्न कार्यकलापों में कंप्यूटर के प्रयोग के बारे में स्टाफ एवं छात्रों में जागरूकता का सृजन करना है। सूचना एवं संचार नेटवर्क के अतिरिक्त यह भारत तथा विदेशों में मल्टीमीडिया मैटीरियल (पाठ्य सामग्री) तक पहुँच बनाने के लिए कालेजों के लिए मददगार होगा।

(लाख रु. में)

क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो का नाम	2008-2009 के दौरान, कालेजों को दी गई सहायता	01.04.2008 से 31.03.2009 तक प्रदत्त राशि
म.क्षे. का. भोपाल	00	00
पू.क्षे. का. कोलकाता	02	0.30
उ.पू.क्षे. का. गोवाहाटी	00	00
द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	00	00
द.प.क्षे. का. बंगलुरु	01	0.04
प.क्षे. का. पुणे	00	00
उ.क्षे. का. ब्यूरो, नई दिल्ली	00	00
जोड़	03	0.34

(ज) कालेजों में दिवस देखभाल केन्द्रों की स्थापना

वि.अ.आ. ने लगभग 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु के उन बालकों, जिनके माता-पिता (स्टाफ/छात्र) दिनभर घर से बाहर रहते हैं, के लिये कालेजों में भुगतान के आधार पर दिवस देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु एक स्कीम तैयार की है। इसमें, पुरुष कर्मचारियों, स्कालर्स/छात्रों को भी शामिल किया गया है जिनकी पत्नियाँ कहीं बाहर कार्य करती हैं ताकि महिलाएं और कामकाजी माता-पिता अपने कार्य घंटों के दौरान, अपने बच्चों के बारे में निश्चित रह सकें तथा अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकें। इस स्कीम का उद्देश्य पुरुषों/महिलाओं, कालेज कर्मचारियों/स्कालर्स/छात्रों को एक सुरक्षित स्थान तथा वातावरण उपलब्ध कराना है।

(लाख रु. में)

क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो का नाम	2008-2009 के दौरान, कालेजों को दी गई सहायता	01.04.2008 से 31.03.2009 तक प्रदत्त राशि
म.क्षे. का. भोपाल	--	--
पू.क्षे. का. कोलकाता	--	--
उ.प.क्षे. का. गोवाहाटी	--	--
द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	--	--
द.प.क्षे. का. बंगलुरु	--	--
प.क्षे. का. पुणे	--	--
उ.क्षे. का. ब्यूरो, नई दिल्ली	--	--
जोड़	--	--

(झ) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (गैर संपन्न वर्ग) एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए उपचारात्मक अनुशिक्षण

शिक्षा से तात्पर्य, न केवल उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है बल्कि उन्हें भी आगे बढ़ाना है जो प्रतिभाशाली नहीं हैं। ताकि वे स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत में अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकें। भारतीय संविधान में, विशेष संरक्षण की माँग करने वाले अ.जा./अ.ज.जा. दो अधिकतम पिछड़े वर्गों को मान्यता प्रदान की है। इसके अलावा अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हितों एवं आवश्यकताओं के संरक्षण की माँग की गई है। अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (गैर संपन्न वर्ग) अल्पसंख्यक समुदायों से संबद्ध छात्र, जो कि उच्च स्तर का अध्ययन कौशल प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाला उपचारात्मक अनुशिक्षण प्राप्त कर सकें तथा उनकी विफलताओं तथा गिरावट दर में कमी लाई जा सके। इसके लिए वि.अ.आ., 11वीं योजना के दौरान, नियमित समय सारिणी के अलावा विशेष कक्षाएँ चलाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करायेगा। अ.पि.व. से संबद्ध छात्र तथा सामान्य छात्र भी इन अनुशिक्षण कक्षाओं के लाभ उठा सकेंगे। एक सामान्य छात्र से नाममात्र का शुल्क (मासिक शिक्षण शुल्क से अधिक नहीं) वसूल किया जायेगा। वैसे, शारीरिक रूप से निःशक्त छात्र तथा सामान्य गरीबी रेखा से नीचे आय प्राप्त करने वाले परिवारों से संबंध छात्रों (राज्य/संघ शासित राज्य/केन्द्रीय सरकार के निर्देशानुसार) को शुल्क भुगतान में छूट प्रदान की जाएगी। उपचारात्मक अनुशिक्षण कक्षाएँ, स्नातक पूर्व/स्नातकोत्तर स्तर पर निम्नलिखित को मद्देनजर रखते हुए चलाई जाएंगी :

- विभिन्न विषयों में छात्रों के अकादमिक कौशल एवं भाषा विज्ञान दक्षता में सुधार करना।
- बुनियादी विषयों के ज्ञान स्तर को ऊँचा उठाना, ताकि अगले अकादमिक कार्य के लिए मजबूत आधार उपलब्ध कराया जा सके।
- उन विषयों में, जिनमें परिमाणात्मक एवं गुणात्मक तकनीक तथा प्रयोगशाला कार्य शामिल होता है, छात्रों के ज्ञान, कौशल अभिवृत्तियों को सुदृढ़ करना ताकि इस कार्यक्रम के अधीन उपलब्ध कराए गए आवश्यक मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण के आधार पर छात्र, उच्च अध्ययन को दक्षतापूर्वक संपन्न करने के लिए अपेक्षित स्तर पर पहुँच सकें।

(लाख रु. में)

क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो का नाम	2008-2009 के दौरान कालेजों को दी गई सहायता	01.04.2008 से 31.03.2009 तक प्रदत्त राशि
म.क्षे. का. भोपाल	225	1081.04
प.क्षे. का. कोलकाता	05	34.00
उ.पू.क्षे. का. गोवाहाटी	130	300.00
द.प.क्षे. का. हैदराबाद	00	00
द.प.क्षे. का. बंगलुरु	05	8.49
प.क्षे. का. पुणे	00	00
उ.क्षे. का. ब्यूरो, नई दिल्ली	08	58.00
जोड़	373	1481.53

(ज) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (गैर संपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए नेट/सैट के लिए अनुशिक्षण योजना

ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत सभी को समान रूप से अवसर प्रदान करने हेतु “अंतर्विष्ट” किया गया है। वैसे, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET), राज्य पात्रता परीक्षा के नामांकन दर की समीक्षा करने पर पता चला कि इसमें कई असमानताएँ हैं यथा ग्रामीण, शहरी, अंतर्राज्यीय, अंतर्जातीय, अंतर्धर्मी, लिंग, आर्थिक एवं व्यावसायिक/कुल नामांकन तृतीयक शिक्षा अनुपात अ.जा., अ.ज.जा./तथा कई धार्मिक वर्गों के मामले में भी राष्ट्रीय औसत से काफी न्यून है। विशेष बात यह है कि इन स्कीमों को वहीं विकसित किया जाएगा जहाँ अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर संपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय में तीव्रता से सुधार हो सके, ताकि नामांकन दर में अंतराल में राष्ट्रीय औसत सहित कमी लाई जा सके/साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि ये छात्र न केवल अपनी उच्च शिक्षा पूरी करते हैं बल्कि कैरियर (वृत्ति) के रूप में अध्यापन को चुनने के लिए प्रोत्साहित होते हैं तथा अपने संगी साथियों के लिए आदर्श भी बनते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिक से अधिक अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि. वर्ग (गैर संपन्न वर्ग) के उम्मीदवारों के अलावा अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवार, अध्यापन पदों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। वि.अ.आ. 11वीं योजना के दौरान, लैक्चरर्स के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) या राज्य पात्रता परीक्षा (सैट) की तैयारी के लिए अ.जा./अ.ज.जा./अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अनुशिक्षण जारी रखेगा। अ.पि. वर्ग से संबंध रखने वाले तथा आर्थिक रूप से कमजोर तथा शारीरिक रूप से निःशक्त छात्र भी इस अनुशिक्षण सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। स्कीम का मुख्य उद्देश्य, अ.जा./अ.ज.जा./अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों को नेट या सैट परीक्षा में बैठने के लिए तैयार करना है, ताकि उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या, इन वर्गों में से, वि.वि. तंत्र में लैक्चरर्स के चयन हेतु उपलब्ध हो सके।

(लाख रु. में)

क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो का नाम	2008-2009 के दौरान, कालेजों को दी गई सहायता	01.04.2008 से 31.03.2009 तक प्रदत्त राशि
म.क्षे. का. भोपाल	07	4.85
पू.क्षे. का. कोलकाता	00	00
उ.प.क्षे. का. गोवाहाटी	00	00
द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	12	97.95
द.प.क्षे. का. बंगलुरु	00	00
प.क्षे. का. पुणे	00	00
उ.क्षे. का. ब्यूरो, नई दिल्ली	00	00
जोड़	19	102.80

(ट) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (गैर संपन्न वर्ग) अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए सेवा में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण कक्षाएँ

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (गैर संपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक वर्गों का कल्याण तथा विकास, हमारे लोकतांत्रिक समाज की सुदृढ़ता तथा सफलता के महत्वपूर्ण संकेत हैं। इन वर्गों की स्थिति में, आर्थिक सुधार लाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि समाज में वे अपना उचित स्थान बना सकें। निजी क्षेत्र में अखिल भारतीय राज्य/प्रांतीय सेवाओं तथा सम्मान पाने वालों में, इन वर्गों का प्रतिनिधित्व इस बात का संकेत करता है कि हमारे देश का उनकी सफलता में कितना योगदान है, जिससे कि वह अपनी स्थिति का अपने हित में लाभ उठा सके। उपरोक्त दर्शायी गई केन्द्रीय एवं अन्य सेवाओं में लाभकारी रोजगार प्राप्त करने के लिए अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (गैर संपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को सेवाओं में भर्ती के लिए तैयार करने हेतु वि.अ.आ. 11 वीं योजना के दौरान, अनुशिक्षण कक्षाओं की स्कीम को जारी रखेगा। इस अनुशिक्षण योजना का मूल उद्देश्य, केन्द्रीय सेवाओं, राज्य सेवाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र में समान पदों के 'क, ख या ग' वर्गों में लाभकारी रोजगार प्राप्त करना है। इस योजना के तहत, अनुशिक्षण, भारतीय प्राशसनिक सेवा, राज्य लोक सेवा, बैंक भर्ती सेवा आदि जैसी सेवाओं में चयन हेतु विशेष रूप से आयोजित परीक्षा उन्मुखी होना चाहिए। अनुशिक्षण, एक विशेष प्रतियोगी परीक्षा की विशिष्ट माँग पर संकेन्द्रित होना चाहिए। कालेज, अपने कार्य प्रचालन क्षेत्र में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में सूचना उपलब्ध कराने हेतु एक रोजगार सूचना प्रकोष्ठ का विकास कर सकता है।

(लाख रु. में)

क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो का नाम	2008-2009 के दौरान, कालेजों को दी गई सहायता	01.04.2008 से 31.03.2009 तक प्रदत्त राशि
म.क्षे. का. भोपाल	00	00
प.क्षे. का. कोलकाता	05	26.68
उ.पू.क्षे. का. गोवाहाटी	60	75.00
द.प.क्षे. का. हैदराबाद	00	00
द.प.क्षे. का. बंगलुरु	00	00
प.क्षे. का. पुणे	00	00
उ.क्षे. का. ब्यूरो, नई दिल्ली	00	00
जोड़	65	101.68

(स) निःशक्त व्यक्तियों के लिए योजनाएं

(ठ) विशेष जरूरतमंद (अपंग) व्यक्तियों के लिए उच्च शिक्षा (एच.ई.पी.एस.एन.)

निःशक्तता अधिनियम, 1995 यह इंगित करता है कि निःशक्त व्यक्तियों की सभी स्तरों पर शिक्षा तक पहुँच होनी चाहिए। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, वि.अ.आ., निःशक्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए देश के विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में चलाई जा रही विशेष शिक्षा गतिविधियों को सहायता प्रदान करता आया है। वि.अ.आ. ने, 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, टीचर्स एजुकेशन तथा हायर एजुकेशन योजना आरंभ की थी जो 10वीं योजना तक चलती रही। वि.अ.आ. ने, विशेष जरूरतमंद (निःशक्त व्यक्तियों) को विशेष शिक्षा कार्यक्रम तथा आधार संरचना उपलब्ध कराने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, इस स्कीम को 11वीं योजना में भी शामिल किया है। इस योजना के उद्देश्य निम्नवत हैं :-

- o उच्च शिक्षा संस्थाओं में विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना।
- o विकलांग व्यक्तियों की विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं के बारे में उच्च शिक्षा के कर्ता-धर्ताओं में जागरूकता पैदा करना।
- o विकलांग व्यक्तियों के लिए विद्यमान सुविधाएं सुलभ बनाने के लिए उच्च शिक्षा संस्थाओं को सुसज्जित करना।
- o उच्च शिक्षा संस्थाओं में विकलांग व्यक्तियों की स्थिरता बढ़ाने के लिए विशेष उपस्कर उपलब्ध कराना।
- o विकलांग व्यक्तियों की उच्च शिक्षा से संबंधित विद्यमान और भावी विधायन और नीतियों के कार्यान्वयन का परीक्षण करना।

(ii) दृष्टिबाधित शिक्षकों के लिए वित्तीय सहायता

इस योजना को, दृष्टिबाधित स्थायी शिक्षकों को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया गया है जिसमें उनके शिक्षण एवं अनुसंधान कार्य करने में सहायता हेतु एक रीडर जिसे शिक्षण एवं प्रशिक्षण में सहायक उपस्करों के लिए भत्ता तथा ब्रेल पुस्तकें, रिकार्डिड सामग्री आदि उपलब्ध कराई जा सके। इस स्कीम का उद्देश्य, दृष्टिबाधित स्थायी शिक्षकों को सुविधाएं, उपलब्ध कराना है ताकि वे अध्यापन, शिक्षण एवं अनुसंधान हेतु विभिन्न सहायता उपस्करों का इस्तेमाल करके स्वावलंबी बन सकें।

(लाख रु. में)

क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो का नाम	2008-2009 के दौरान कालेजों को दी गई सहायता	01.04.2008 से 31.03.2009 तक प्रदत्त राशि
म.क्षे. का. भोपाल	07	3.40
प.क्षे. का. कोलकाता	05	0.78
उ.पू.क्षे. का. गोवाहाटी	00	00
द.प.क्षे. का. हैदराबाद	60	7.51
द.प.क्षे. का. बंगलुरु	13	1.56
प.क्षे. का. पुणे	00	00
उ.क्षे. का. ब्यूरो, नई दिल्ली	00	00
जोड़	85	13.25

(ग) कालेजों में खेलकूद सुविधाएं।

(लाख रु. में)

क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो का नाम	2008-2009 के दौरान कालेजों को दी गई सहायता	01.04.2008 से 31.03.2009 तक प्रदत्त राशि
म.क्षे. का. भोपाल	01	0.21
प.क्षे. का. कोलकाता	00	00
उ.पू.क्षे. का. गोवाहाटी	00	00
द.प.क्षे. का. हैदराबाद	00	00
द.प.क्षे. का. बंगलुरु	08	1.53
प.क्षे. का. पुणे	00	00
उ.क्षे. का. ब्यूरो, नई दिल्ली	00	00
जोड़	9	1.74

* यह स्कीम 11वीं योजना में शामिल नहीं है।

(त) कॉलेजों में कैरियर तथा परामर्शदाता प्रकोष्ठ

कॉलेजों में कैरियर तथा परामर्शदाता प्रकोष्ठ स्थापित करने की योजना को, कॉलेज आने वाले छात्रों की विषमजातीय जनसंख्या की विविध सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों तथा भौगोलिक पृष्ठभूमि के समक्ष उचित संस्थागत सहायता सूचना की उपलब्धता के माध्यम से समान रूप से पहुँच तथा रोजगार के अवसरों की समस्या से निपटने के लिए तैयार किया गया है। छात्रों के बीच भाषायी तथा सांस्कृतिक अंतर भी, रोजगार प्रकोष्ठ (प्लेसमेंट सेल) की स्थापना का एक कारण है। संगत एवं सुलभ सूचना तथा इसे उपयोग करने का पेशेवर मार्गदर्शन कक्षाओं से बाहर, बेहतर कैरियर संबंधी उपलब्धि में परिणत हो सकता है तथा छात्र के स्वस्थ विकास में मददगार हो सकता है। प्रत्येक कॉलेज में पाठ्यचर्या संबंधी सूचना महत्वपूर्ण होती है। पाठ्यचर्या के संबंध में संगत सूचना तथा संयोजनों की पेशकश तथा चयन की स्वतंत्रता सामान्यतः उपलब्ध होती है तथा सहायता सेवा के रूप में, अनौपचारिक रूप से परामर्श दिया जाता है। परम्परागत सूचना तंत्र में, विवरणिका की एक प्रति शामिल होती है जिसमें पाठ्यचर्या तथा संयोजनों, प्रवेश नियमों, फीस ढाँचे, परीक्षा अनुसूची आदि को नियमित पुनरावृत्त रूप से वर्ष दर वर्ष दिया जाता है। परन्तु, अब परिदृश्य में बदलाव के साथ-साथ, न केवल अकादमिक अंतर्वस्तु तथा इसके नियम, बाजार की आवश्यकताओं के प्रति उन्मुखी हो गये हैं, बल्कि शिक्षा के माध्यम से सामाजिक विषमताओं तथा कैरियर के अवसर की समस्याओं को भी दूर करना है। परम्परागत सूचना तंत्र को अब सक्रिय मार्गदर्शन तथा सूचना प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ना होगा तथा सूचना प्रौद्योगिकी, जो कि अब प्रिंट मीडिया का, तेजी से स्थान लेती जा रही है, तथा सभी संबंधित पक्षों के लाभ के लिए तत्परता से सूचना का ब्यौरा प्राप्त कर सकती है। अब इस सहायता को, एक संस्था का रूप देना आवश्यक है ताकि छात्रों के लिए उपलब्ध अवसरों तक पहुँच एवं दायरे को बढ़ाया जा सके तथा उसे भावी चुनौतियों के लिए तैयार किया जा सके। उपरोक्त को कार्यान्वित करने के लिए, परामर्शदात्री सेवाओं को एक औपचारिक रूप देने की आवश्यकता है जो छात्रों को सामाजिक असमानताओं पर विजय प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा जिसका कारण उनकी सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विविधता तथा भाषायी अवरोध है। कैरियर तथा परामर्शदात्री सहायता, जो एक संस्थान अपने छात्रों को देता है, उससे छात्रों में बेहतर निष्पादन करने के लिए आत्मविश्वास पैदा होता है। इसलिए, परामर्शदात्री सेवा, अकादमिक तथा वृत्तिका दोनों, एक साथ ही अवसरों से संबंधित चिंताओं को दूर करता है। बाजार पैटर्न तथा रोजगार प्राप्त करने के अवसरों के संबंध में मार्गदर्शन के अंतर्निवेशन से संस्थान को अपने छात्रों के लिए एक आधार तैयार करने में मदद मिल सकती है। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप सामाजिक-आर्थिक एकीकरण होगा। कैरियर तथा परामर्शदात्री प्रकोष्ठ, छात्रों के उचित मार्गदर्शन से कार्य जगत में संपर्क स्थापित करने और उभरते हुए अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक पैटर्नों के संदर्भ में यथार्थ तथा कार्य प्रोफाइलों की तुलना में कैरियर संबंधी अवसरों का पता लगाने में मदद करेगा। बाजार माँग के बारे में धारणा तथा व्यक्तिगत अपेक्षाओं के बीच अंतर को मनोवैज्ञानिक तथा विश्वास बहाली के उपायों के माध्यम से दूर किया जा सकता है।

व्यावसायिक मार्गदर्शन तथा परिसर आधारित साक्षात्कार एक सामान्य पद्धति बन गई है। कैरियर तथा परामर्शदाता प्रकोष्ठ और भर्ती करने वाली एजेन्सियों और जानी-मानी फर्मों के मानव संसाधन कर्मियों के बीच सक्रिय भागीदारी द्वारा इस पर ध्यान दिया जा सकता है। इनमें से संस्थान, संस्थागत विशेषज्ञों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से उपयुक्त अभ्यर्थियों की खोज हेतु अधिक ऑन-साइट अनुभव प्रदान कर सकता है। इस प्रयोग में, संस्थान, सकारात्मक मदद के लिए अपने पूर्व छात्रों को भी शामिल कर सकता है। वे छात्रों को अधिक माँग वाले बाजार क्षेत्र से अवगत कराने तथा उद्योगों/संस्थागत संपर्क को सक्रिय बनाने के लिए एक वहनीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आरंभ कर सकते हैं। कॉलेज में अकादमिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के साथ-साथ कैरियर तथा परामर्शदाता प्रकोष्ठ को अच्छी जानकारी वाले तथा इसमें रुचि रखने वाले शिक्षकों द्वारा चलाया जाना चाहिए। इसे छात्र के 'सॉफ्ट स्किल' तथा इसमें सम्प्रेषण क्षमता का विकास करना होगा, ताकि वे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं का सामना कर सकें और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के साथ-साथ नौकरी पर रखते हुए प्रशिक्षण प्रदान कर सकें। एक स्वस्थ अंतर व्यक्ति संबंधों के अग्रता के रूप में इसे सामाजिक उत्तरदायित्व पूरे करने हेतु सामाजिक मूल्यों तथा स्वतंत्र रूप से विचार करने की क्षमता का सृजन करना होगा। संभागी समूह का सृजन करने के लिए, विभिन्न विषयों के साथ तथा रुचि के साथ, शिक्षकों का एक समूह तैयार किया जा सकता है जो इस विज्ञान को यथार्थ में बदलने के लिए संस्थान के लिए अत्यावश्यक कार्य करे। कॉलेज में मार्गदर्शन और परामर्शदाता प्रकोष्ठ को सूचना, मार्गदर्शन तथा परामर्श का संसाधन केन्द्र होना चाहिए, जिसमें मुक्त पहुँच तथा इंटरनेट आधारित वैश्विक संपर्क और पेशेवर नौकरियों के संबंध में सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा सके।

(लाख रु. में)

क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो का नाम	2008-2009 के दौरान, कालेजों को दी गई सहायता	01.04.2008 से 31.03.2009 तक प्रदत्त राशि
म.क्षे. का. भोपाल	00	00
प.क्षे. का. कोलकाता	00	00
उ.पू.क्षे. का. गोवाहाटी	270	600.00
द.प.क्षे. का. हैदराबाद	00	00
द.प.क्षे. का. बंगलुरु	00	00
प.क्षे. का. पुणे	00	00
उ.क्षे. का. ब्यूरो, नई दिल्ली	00	00
जोड़	270	600.00

4.5. राज्य कालेजों को योजनागत अनुदान

तालिका 4.2 : राज्य कालेजों को योजनागत अनुदान : 2008-09

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	प्रदत्त अनुदान
1.	आंध्र प्रदेश	47.66
2.	असम	34.43
3.	बिहार	41.88
4.	छत्तीसगढ़	15.55
5.	दिल्ली	0.00
6.	गोवा	2.17
7.	गुजरात	35.82
8.	हरियाणा	12.99
9.	हिमाचल प्रदेश	2.73
10.	जम्मू एवं कश्मीर	19.92
11.	झारखंड	11.39
12.	कर्नाटक	69.95
13.	केरल	40.20
14.	मध्य प्रदेश	41.34
15.	महाराष्ट्र	147.02
16.	उड़ीसा	45.78
17.	पंजाब	27.40
18.	राजस्थान	29.70
19.	तमिलनाडु	61.87
20.	त्रिपुरा	0.00
21.	उत्तर प्रदेश	40.53
22.	उत्तरांचल	2.97
23.	पश्चिम बंगाल	52.23
	जोड़	783.53

4.6 दिल्ली के कालेजों तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के घटक कालेजों को अनुदान

दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध तथा दिल्ली में स्थित कालेजों और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के चार कालेजों को आयोग, क्रमशः 1955-56 तथा 1983-84 से अनुरक्षण (गैर योजनागत) अनुदान प्रदान कर रहा है। गैर योजनागत के अलावा, इन कालेजों को योजनागत सहायता भी प्रदान की जाती है। वर्तमान में, 53 कालेजों और 12 छात्रावासों को योजनागत और गैर योजनागत, दोनों अनुदान प्रदान किए जा रहे हैं और दिल्ली प्रशासन द्वारा अनुरक्षित 6 कालेजों को केवल योजनागत अनुदान प्रदान किया जा रहा है। (परिशिष्ट XIV)

गैर योजनागत अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दिल्ली के कालेजों और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कालेजों को बुनियादी सुविधाएं/अवसंरचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गैर योजनागत अनुदान (अनुरक्षण) दे रहा है।

53 कालेजों में से वि.अ.आ., 37 कालेजों को 95 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान देता है और शेष 5 प्रतिशत प्रबंधन शेयर को, न्यास/दिल्ली प्रशासन से प्राप्त राशि से पूरा करते हैं। इन 37 कालेजों में से 16 कालेज प्रबंधन शेयर, दिल्ली प्रशासन से प्राप्त करते हैं और 21 कालेज संबंधित न्यास से प्राप्त करते हैं। शेष 10 सायंकालीन कालेज और 6 विश्वविद्यालय अनुरक्षित कालेज वि.अ.आ. से शत-प्रतिशत सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

किसी कालेज को "विस्तारित कालेज" नामोद्दिष्ट तब किया जाता है जब उसका नामांकन 1500 से अधिक हो जाता है और उसे 100 प्रतिशत के आधार पर भुगतान किया जाता है। तथापि, 1000 से अधिक नामांकन होने पर 95 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा, चाहे कालेज, न्यास/दिल्ली प्रशासन के किसी भी वर्ग से संबंधित हो।

ये 53 दिल्ली कालेज, आयोग से प्राप्त अनुरक्षण अनुदान से अपने वेतन और गैर वेतन व्यय को पूरा करते हैं। प्रत्येक कालेज का बजट निर्धारित करने के लिए कालेजों के प्राचार्यों के साथ वार्षिक बैठकें की जाती हैं।

आयोग, गैर योजनागत के तहत अनुरक्षण अनुदान बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के चार कालेजों को प्रदान करता है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कालेजों को, निम्न दर से सहायता प्रदान की जाती है।

- वि.अ.आ. द्वारा 95 प्रतिशत निधियन
- कालेज के प्रबंधन द्वारा 5 प्रतिशत अनुदान

2008-09 के दौरान, निम्न गैर योजनागत अनुदान राशि, दिल्ली और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कालेजों को प्रदान की गई:

ब्यौरा	प्रदत्त अनुदान (करोड़ रुपये में)
दिल्ली कालेज	610.52
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय कालेज	8.00
कुल	618.52

योजनागत अनुदान

59 दिल्ली कालेजों को पुस्तकों तथा पत्रिकाओं की खरीद, उपस्करों, उपचारी पाठ्यक्रमों, विस्तार क्रियाकलापों, शैक्षिक सम्मेलनों में शिक्षकों की भागीदारी, भवन परियोजनाओं, छात्रावास सुविधाओं में सुधार, मरम्मत तथा कालेज भवन में नवाचार करने के लिए सामान्य विकास अनुदान (योजना) के अधीन अनुदान प्रदान किया जाता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, "दृष्टिहीन शिक्षकों को सहायता" योजना के अधीन भी इन कालेजों को अनुदान प्रदान किया गया है।

वर्ष 2008-2009 के दौरान, 59 में से 53 कालेजों को योजनागत अनुदान, उपयोग प्रमाण-पत्र के प्राप्त होने के पश्चात प्रदान किया गया है। शेष 6 कालेजों से, पिछली अनुदान राशि के उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने पर, इन कालेजों को अनुदान जारी नहीं किया गया है।

2008-09 के दौरान, जारी किए गए अनुदान करने की स्थिति निम्नवत् है :

योजना	वर्ष के लिए आबंटन (करोड़ रुपये में)	जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में)
कालेजों को सामान्य विकास सहायता	3.50	3.39
विशेष योजना के अन्तर्गत महिला छात्रावास	2.00	2.00

5 गुणवत्ता और उत्कृष्टता

5.1 स्वायत्त कालेज

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-73) में शिक्षा आयोग (1964-66) की सिफारिशों के अनुसार स्वायत्त कालेजों की योजना तैयार की थी।

शिक्षा आयोग (1964-66) ने यह संकेत दिया था कि शिक्षकों की अकादमिक स्वतंत्रता, हमारे देश के बौद्धिक वातावरण के विकास के लिए परम आवश्यक है। जब तक ऐसा वातावरण पैदा नहीं होगा तब तक उच्च शिक्षा प्रणाली में उत्कृष्टता प्राप्त करना कठिन है। चूंकि, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में छात्र, शिक्षक और प्रबंधक साझेदार होते हैं, अतः यह जरूरी है कि उन्हें मुख्य जिम्मेदारी उठाने में सहयोग करना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, शिक्षा आयोग (1964-66) ने कालेज स्वायत्तता की सिफारिश की थी। मूलतः कालेज स्वायत्तता ही अकादमिक उत्कृष्टता उपलब्ध कराने का साधन है।

उद्देश्य तथा मुख्य विशेषताएँ :

- अपने अध्ययन पाठ्यक्रम और पाठ्यविवरण निर्धारित एवं विहित करना, स्थानीय जरूरतों के अनुकूल पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन करना तथा उनको पुनः डिजाइन करना।
- राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुरूप प्रवेश निर्धारित करना।
- विद्यार्थी के कार्य के निर्धारण के लिए परीक्षा संचालन की विधियाँ तैयार करना तथा परीक्षा परिणाम की अधिसूचना जारी करना।
- उच्च स्तर प्राप्त करने तथा अधिक सक्रियता के लिए शिक्षा-प्रौद्योगिकी के आधुनिक साधनों का प्रयोग करना।
- उपयोगी व्यवहारों यथा-समाज सेवा, विस्तार गतिविधि, समस्त समाज के लाभ के लिए परियोजनाओं, पड़ोसी कार्यक्रमों आदि को बढ़ावा देना।

सभी कालेज जो वि.अ.आ. अधिनियम द्वारा धारा 2(एफ) और 12 (बी) के अधीन अनुरक्षित सूची में 10 वर्ष से सम्मिलित हैं, स्वायत्तता स्थिति के लिए पात्र हैं। स्वायत्तता स्थिति, प्रारम्भ में छः साल के लिए प्रदान की जाती है। स्वायत्तता की अवधि में विस्तार छः वर्षों के लिए होगा जो कि स्वायत्त कालेजों की कार्यप्रणाली की समीक्षा के आधार पर किया जायेगा।

दिनांक 19 मई, 2009 को हुई आयोग की बैठक में विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तावों की समीक्षा की जाँच की गई तथा निर्णय लिया गया कि विशेषज्ञ समिति की मदद से स्थल निरीक्षण किया जायेगा। तदनुसार, स्वायत्तता अनुदान प्रदान करने हेतु कालेजों का स्थल निरीक्षण करने के लिए विशेषज्ञ समितियों का गठन किया गया है।

इस योजना के तहत, चयनित स्वायत्त कालेजों को प्रदान की जाने वाली सहायता निम्नवत है :

(लाख रु० में)

क्र.सं.	कालेजों के प्रकार	स्वायत्तता स्थिति पात्रता
1.	केवल उपलब्ध स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम :	
	(अ) कला/विज्ञान/वाणिज्य (एकल संकाय)	9.00
	(ब) कला/विज्ञान/वाणिज्य (बहुल संकाय)	15.00
2.	उपलब्ध स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों के पाठ्यक्रम	
	(अ) एकल संकाय	10.00
	(ब) बहुल संकाय	20.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार कम से कम छः कार्यक्रमों को चलाने वाले उन स्वायत्त कॉलेजों को वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी जिनमें दो कार्यक्रम स्नातकोत्तर स्तर पर चलाए जा रहे हों।

स्ववित्त पोषित कॉलेजों के 10 वर्ष पूरे होने के बाद उनकी स्वायत्तता के लिए विचार किया जा सकता है। वैसे, इनको उसी कार्यविधि का पालन करना होगा, जो अन्य कालेजों पर लागू है। यद्यपि, स्वायत्तता प्रदान करने का आशय यह नहीं है कि वे स्वायत्तता अनुदान के लिए पात्र होंगे।

दिनांक 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार 16 राज्यों के 58 विश्वविद्यालयों में 314 स्वायत्त कॉलेज थे।

वि.अ.आ. के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्वायत्त कालेजों को देय स्वायत्त अनुदान जारी किया जा रहा है। वर्ष 2008-2009 के दौरान, इन कालेजों को कुल 28.76 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया था।

इसके अलावा, विचारों का विनिमय करने, स्वायत्तता के अन्तर्गत नवोन्मेष और परिवर्तन, प्रशासनिक और वित्तीय मामले, कालेज-विश्वविद्यालय-राज्य सरकार-वि.अ.आ. संबंध आदि की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए एक मंच मुहैया करा कर, स्वायत्तता की अवधारणा के दायरे को व्यापक बनाने के मद्देनजर वि.अ.आ. सम्मेलनों/संगोष्ठियों का आयोजन करता है।

स्वायत्त कालेजों के स्वायत्तता दर्जे में विस्तारण, समीक्षा समिति की मदद से किया जायेगा, जिसमें 3 विशेषज्ञ होंगे, जिनमें से एक चेयरमैन, संबद्ध विश्वविद्यालय का, एक नामित तथा एक सदस्य सचिव के रूप में, अधिकारी होगा।

वर्ष 2008-09 के दौरान, लगभग 81 प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा विभिन्न कालेजों को स्वायत्तता का दर्जा प्रदान करने के लिए विशेषज्ञ समितियों को भेजा गया है।

वर्ष 2008-09 के दौरान, वि.अ.आ. के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा चयनित स्वायत्त कालेजों को कुल 28.76 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया है।

5.2 उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय (यूपीई)

शिक्षण तथा शोध गतिविधियों में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए, वि.अ.आ. 'उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय' का दर्जा प्रदान करने के लिए अभिज्ञात विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान कर रहा है। 9वीं योजना के प्रथम चरण में पांच विश्वविद्यालय, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय, और पुणे विश्वविद्यालय की पहचान, वर्ष 2000 में 'श्रेष्ठता की संभाव्यता वाला विश्वविद्यालय' का दर्जा प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों के रूप में की गई थी। दसवीं योजना के दौरान, मदुरै कामराज, एनईएचयू, मुम्बई और कोलकाता का चुनाव किया गया था।

योजना के अन्तर्गत, एक योजनावधि के दौरान, प्रत्येक विश्वविद्यालय को 30.00 करोड़ ₹ की राशि मुहैया कराई जाएगी। इसमें से 30 प्रतिशत (9.00 करोड़ ₹), विश्वविद्यालय द्वारा अभिज्ञात केन्द्रित क्षेत्र पर खर्च किए जाएंगे, शेष 70 प्रतिशत (21.00 करोड़ ₹) विश्वविद्यालय के सर्वांगीण विकास पर खर्च किए जाएंगे। यूपीई. योजना के अंतर्गत अभिज्ञात सभी विश्वविद्यालयों ने विज्ञान शिक्षा को केन्द्रित क्षेत्र माना है।

यूपीई योजना के अन्तर्गत, चुने गए नौ विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक को जो प्रणोद क्षेत्र अब तक आबंटित किए गए हैं, उनका ब्यौरा निम्नवत है। वैसे, विश्वविद्यालयों को अनुदान तभी दिया जाता है जब निगरानी समिति द्वारा पूर्व प्राप्त अनुदान का उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त हो जाये तथा उसके द्वारा सिफारिश किए जाने पर ही विश्वविद्यालय को अनुदान जारी किया जाता है।

(करोड़ ₹ में)

क्र.सं.	योजना जिसमें पहचान की गई	विश्वविद्यालय का नाम	प्रणोद क्षेत्र	अनुमोदित की गई राशि	भुगतान की राशि
1.	9 वीं	मद्रास विश्वविद्यालय	शकीय विज्ञान (हर्बल विज्ञान)	30.00	30.00
2.	9 वीं	जादवपुर विश्वविद्यालय	मोबाइल अभिकलन तथा संचार	30.00	30.00

3.	9 वीं	पुणे विश्वविद्यालय	जैव रसायन शास्त्र तथा जैव प्रौद्योगिकी	30.00	30.00
4.	9 वीं	हैदराबाद विश्वविद्यालय	इंटरफेस अध्ययन तथा अनुसंधान	30.00	30.00
5.	9 वीं	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	जेनेटिक्स, जिनोमिक्स तथा जैव-प्रौद्योगिकी	30.00	30.00
6.	10 वीं	मदुराई कामराज विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय जैव विज्ञान में नैनोलोजी	30.00	20.00
7.	10 वीं	नार्थ ईस्टर्न हिल विश्वविद्यालय	जैव विज्ञान एवं क्षेत्रीय अध्ययन	30.00	15.00
8.	10 वीं	कलकत्ता विश्वविद्यालय	आधुनिक शरीर विज्ञान	30.00	15.00
9.	10 वीं	मुम्बई विश्वविद्यालय	हरित प्रौद्योगिकी	30.00	10.00

वर्ष 2008-09 के दौरान 20,00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

11 वीं योजना के दौरान, उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले छः और विश्वविद्यालयों को दर्जा प्रदान करने हेतु अभिलक्षित किया जाएगा। तदनुसार, उन विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं जो अभी प्रक्रिया के अधीन हैं।

5.3 उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले कालेज

मुख्यतः शिक्षण गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करने तथा ऐसी संस्थाओं में अनुसंधान पद्धति शुरू करने में चुनिंदा कालेजों की सहायता के लिए उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले कालेज' नामक योजना शुरू की गई है। 10 वीं योजना के दौरान, आयोग का इरादा, देशभर में कालेजों को अभिज्ञात करने तथा अकादमिक आधार-संरचना में सुधार करने, आधुनिक शिक्षण रीतियों तथा अधिगम और मूल्यांकन में नवाचार अपनाने तथा डिग्री स्तर पर पाठ्यक्रमों के चयन में लचीला दृष्टिकोण लागू करने के लिए उनकी सहायता करने का है। कालेजों को उनके नामों के साथ डिग्री प्रदान करने का दर्जा भी दिया जाएगा।

अनुदान की सीमा 35 लाख रुपये से 100 लाख रुपये तक प्रति कालेज होगी जो कालेज के वर्ग पर आधारित होगी। यदि वह मात्र संबद्ध कालेज होगा तो उसे केवल 35 लाख रु. प्राप्त होंगे। यदि वह स्वायत्त या प्रत्यायित होगा तो उसे 60.00 लाख रुपये प्राप्त होंगे। कालेज, अगर स्वायत्त होगा तो उसे 100 लाख रु. प्राप्त होंगे। इन कालेजों की समय समय पर समीक्षा की जाएगी और जो कालेज ठीक निष्पादन नहीं कर रहे होंगे उन्हें इस संबंध में सुधार करने के लिए नोटिस दिया जाएगा। इसके पश्चात भी यदि उनके निष्पादन में सुधार नहीं पाया गया तो उन्हें प्रदान किया गया दर्जा वापिस ले लिया जाएगा। योजना के अधीन, प्रत्येक राज्य के लिए नियतांश निर्धारित किया गया है, जिसे वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 2(एफ) तथा 12(बी) के अधीन राज्य के सम्मिलित किए गए कुल कालेजों की संख्या को ध्यान में रख कर किया गया है।

कालेजों का चयन दो स्तरों पर किया जाता है : प्रथम चरण में मूल विश्वविद्यालय अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले श्रेष्ठ कालेजों का चयन करता है और विश्वविद्यालय इस प्रकार के कालेजों के नाम अनुशंसा सहित वि.अ.आ. को भेजते हैं। चयन का दूसरा चरण वि.अ.आ. में पूरा होता है जो कि विश्वविद्यालयों द्वारा अनुशंसित कालेजों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर किया जाता है।

प्रथम और दूसरे चरण के दौरान, प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

फेज	चरण एवं चयन वर्ष	राज्य/स.रा.क्षे. प्रस्तावित करने वाले राज्य	प्रस्तावित कालेजों की संख्या	विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तावित कॉलेजों की कुल संख्या	वि.अ.आ. द्वारा चयनित कालेज
I	2004-05	27	89	239	47
II	2006-07	20	65	333	50
योग			47	154	572 97

वर्ष 2008-09 के दौरान, योजना के अन्तर्गत इन कालेजों को 12.33 करोड़ रुपये की राशि जारी की गयी।

11वीं योजना के दौरान, 82 कालेजों का चयन किया जाना है। विश्वविद्यालयों के माध्यम से, कालेजों से प्राप्त किये गए प्रस्तावों पर प्रक्रिया चल रही है।

5.4 विशेष सहायता कार्यक्रम (सैप)

वर्ष 1963-64 के दौरान, वि.अ.आ. ने उच्च अध्ययन केन्द्र (कैस) के रूप में उनके कार्य तथा उपलब्धियों के आधार पर विश्वविद्यालय के कुछ विभागों को मान्यता देने का कार्यक्रम प्रारंभ किया था, जिसका उद्देश्य, सक्षम जनशक्ति तथा आवश्यक उपस्करों के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान करना था। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य "उत्कृष्टता की तलाश" को प्रोत्साहित करना था। 1972 के दौरान, उच्च अध्ययन तथा गुप शोध को प्रोत्साहित करने के मुख्य उद्देश्य से उच्च अध्ययन केन्द्र (कैस) के सहायक कार्यक्रम के रूप में "विशेष सहायता विभाग" (डी.एस.ए.) नामक एक अन्य कार्यक्रम शुरू किया गया ताकि अभिज्ञात विभाग के अथवा दो प्रणोद क्षेत्रों में शोध को मजबूत कर सकें। बाद में, वर्ष 1977 में एक और कार्यक्रम विभागीय शोध –(डी.आर.एस.) विशेष सहायता विभाग के लिए एक सहायक कार्यक्रम के रूप में गुप शोध को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से शुरू किया गया। बाद में इन तीनों योजनाओं को आपस में मिला दिया गया और अब इसे विशेष सहायता कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। यह तीन स्तरों— विभागीय शोध सहायता (डी.आर.एस.), "विशेष सहायता विभाग (डी.एस.ए.) तथा उच्च अध्ययन केन्द्र (कैस) पर कार्य करता है। डी.आर.एस. इसका फीडर संवर्ग है।

विशेष सहायता कार्यक्रम (सैप) के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत हैं :

- उन विश्वविद्यालय के विभागों की पहचान करना और सहायता देना, जो संबद्ध विषयों को मिलाकर, शैक्षिक विषयों में गुणवत्ता शिक्षण तथा शोध करने की क्षमता रखते हैं।
- कार्यक्रम, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुकूल होने चाहिए और जिनमें समाज और उद्योग की अन्योन्यक्रिया हो।
- अच्छे शिक्षण के लिए शोध को उत्प्रेरक बनाना और अभिज्ञात प्रणोद क्षेत्रों से संबंधित नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत करना।
- शोध संगठनों से संपर्क रखना और अपनी विशेषज्ञता को नवाचारी रूप में उपयोग करना, ताकि विश्वविद्यालयों में शोध को समर्थन दिया जा सके।
- शोध के निर्गम का राष्ट्र और समाज के विकास के लिए उपयोग में लाना।
- नए/व्यापक क्षेत्र/क्षेत्रों की खोज करना और उनका संवर्धन तथा विकास करना।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, जैवविज्ञानों, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी सहित विज्ञान के विभागों, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों को तीन या चार अभिज्ञात प्रणोद क्षेत्रों में शोध उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए तथा विभाग के स्नातकोत्तर शिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार के लिए भी सहायता दी जाती है। जनशक्ति, उपस्कर, पुस्तकों तथा पत्रिकाओं, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, विद्यमान भवन के नवीकरण/परिवर्तन तथा उन्नयन, कार्यगत व्यय तथा यात्रा आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, संसाधन जुटाने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने, योग्य छात्रों को एक दूसरे के साथ मिलाने तथा ग्रीष्मकालीन संस्थान आयोजित करने के लिए भी प्रोत्साहन के रूप में, तदनुरूप अनुदान प्रदान किया जाता है। यह अनुदान, शत-प्रतिशत आधार पर दिया जाता है।

वित्तीय सहायता, केवल 60 लाख रुपये से 150 लाख रुपये तक है और यह कार्यक्रम के स्तर तथा विद्याशाखा/विषय पर निर्भर करता है। विभिन्न कार्यक्रमों के लिए तथा विषयों के लिए अधिकतम सीमा इस प्रकार है :

विभिन्न स्तरों पर "सैप" के अन्तर्गत वित्तीय सहायता

(लाख ₹0 में)

कार्यक्रम/स्तर	विज्ञान तथा इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी विभाग	गणित, सांख्यिकी, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान
सीएस	150	100
डीएसए	100	75
डीआरएस	75	60

प्रारंभ में, विभागों की सहायता पांच वर्ष के लिए की जाती है। विशेषज्ञ समीक्षा समिति की सहायता से, तीन या चार वर्ष के बाद, विभाग के निष्पादन का आवधिक मूल्यांकन किया जाता है। ये समितियाँ, विभागों के निष्पादन का मूल्यांकन, शोध के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि, शोध प्रकाशन, तैयार की गई जनशक्ति, विकसित शोध संरचना, सृजित सुविधाएँ, स्नातकोत्तर शिक्षण की गुणवत्ता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आदि की दृष्टि से करती हैं। विशेषज्ञ समीक्षा समिति की सिफारिशों पर, आयोग द्वारा विचार किया जाता है और इन सिफारिशों के आधार पर, विभागों को सहायता उसी स्तर पर अथवा अगले उच्च स्तर पर बढ़ाकर अथवा निचले स्तर तक घटाकर जारी रखी जाती है अथवा बंद भी कर दी जाती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, 2008-2009 के दौरान, विभिन्न विद्या शाखाओं में 577 विभागों को सहायता प्रदान की जिनमें से रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, 25 विभागों की समीक्षा की गई थी। समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर 7 विभागों का उन्नयन किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है :

नए इन्डक्शन (2008-09)	= 150
उसी स्तर पर बने रहे	= 14
संवर्धित कोटि	= 7 (5 डीएसए से सीएसए) (2 डीआरएस से डीएसए)
बंद किए गए	= 4

वर्ष 2008-09 के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, मानविकी/सामाजिक विज्ञान, विज्ञान तथा जैव विज्ञान एवं इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी विभागों को निम्न वित्तीय सहायता प्रदान की :

क्र.सं.	विद्याशाखा	बजट नियतन (करोड़ रु० में)	प्रदत्त अनुदान (करोड़ रु० में)
1.	शारीरिक विज्ञान	20.16	20.16
2.	जैव विज्ञान/इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी	15.91	15.91
3.	मानविकी/सामाजिक विज्ञान	15.02	15.02
	जोड़	51.09	51.09*

* तदनुसार आबंटन संशोधित किए गए।

वि.अ.आ. द्वारा विशेष सहायता कार्यक्रम (सैप) के अधीन, निम्न दो प्रकार के अनुदान प्रदान किए जाते हैं :

अनावर्ती : इस शीर्ष के अन्तर्गत प्रदान किए गए अनुदानों का उपयोग, विभाग द्वारा 3 वर्षों के दौरान किया जाना चाहिए। चरण के पूर्ण होने पर समीक्षा के समय, लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाता है और आगे का अनुदान पिछले चरण के लेखाओं को अंतिम रूप देने के पश्चात जारी किया जाता है।

आवर्ती : यह अनुदान वार्षिक आधार पर प्रदान किया जाता है। पिछले वर्ष के अनुदान के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही अगले वर्ष की अनुदान राशि जारी की जाती है। इसलिए आवर्ती शीर्ष के तहत कोई बकाया उपयोग प्रमाण-पत्र नहीं है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 01.04.2008 को डीआरएस, डीएसए तथा सीएस के स्तर पर विशेष सहायता कार्यक्रम के अधीन, कुल 577 विभागों को सहायता प्रदान की जा रही थी। 31.03.2009 को 723 विभागों की स्थिति निम्नवत् है :

स्तर	विद्याशाखा	वि.अ.आ. द्वारा अनुमोदित एवं सहायता प्रदत्त विभागों की संख्या	
		01.04.2008	31.03.2009
सीएस	शारीरिक विज्ञान	34	35
	जैव विज्ञान/इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी	42	44
	मानविकी/सामाजिक विज्ञान	31	33
	जोड़	107	112

डीएसए	शारीरिक विज्ञान	36	37
	जैव विज्ञान/इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी	29	27
	मानविकी/सामाजिक विज्ञान	53	50
	जोड़	118	114
डीआरएस	शारीरिक विज्ञान	101	144
	जैव विज्ञान/इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी	100	143
	मानविकी/सामाजिक विज्ञान	151	210
	जोड़	352	497
	कुल जोड़	577	723

बजट नियतन का पर्याप्त विवरण, जारी किए गए अनुदान तथा हिताधिकारी विभागों की संख्या तालिका 5.1 (क), 5.2 (क) और 5.3 (क) तथा विभागों की समीक्षा तालिका 5.1(ख) 5.2(ख) और 5.3(ख) में दर्शायी गई है :

(सैप-I) तालिका 5.1 (क)

वर्ष 01.04.2008 से 31.03.2009 के दौरान, वर्षवार बजट नियतन की स्थिति, जारी किए गए अनुदान तथा लाभार्थी विभागों की संख्या : भौतिक विज्ञान

वर्ष	बजट नियतन	जारी किए गए अनुदान	लाभार्थी विभागों की संख्या
2008-2009	20.16 करोड़	20.16 करोड़	145

01.04.2008 को स्थिति

विभागों की संख्या :	सीएसए	:	34
	डीएसए	:	36
	डीआरएस	:	101
	जोड़	:	171

31.03.2009 को स्थिति

विभागों की संख्या :	सीएसए	:	35
	डीएसए	:	37
	डीआरएस	:	144
	जोड़	:	216

(सैप-II) तालिका 5.2 (क)

वर्ष 01.04.2008 से 31.03.2009 के दौरान, वर्षवार बजट नियतन की स्थिति, जारी किए गए अनुदान तथा लाभार्थी विभागों की संख्या : जैव विज्ञान/इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी

वर्ष	बजट नियतन	जारी किए गए अनुदान	लाभार्थी विभागों की संख्या
2008-2009	15.91 करोड़	15.91 करोड़	170

01.04.2008 को स्थिति

विभागों की संख्या :	सीएसएस	:	42
	डीएसएस	:	29
	डीआरएस	:	100
जोड़		:	171

31.03.2009 को स्थिति

विभागों की संख्या :	सीएसएस	:	44
	डीएसएस	:	27
	डीआरएस	:	143
जोड़		:	214

(सैप-III) तालिका 5.3(अ)

वर्ष 01.04.2008 से 31.03.2009 के दौरान, वर्षवार बजट नियतन की स्थिति, जारी किए गए अनुदान तथा लाभार्थी विभागों की संख्या: मानविकी/सामाजिक विज्ञान

वर्ष	बजट नियतन	जारी किए गए अनुदान	लाभार्थी विभागों की संख्या
2008-2009	15.02 करोड़	15.02 करोड़	215

01.04.2008 को स्थिति

विभागों की संख्या :	सीएसएस	:	31
	डीएसएस	:	53
	डीआरएस	:	151
जोड़		:	235

31.03.2009 को स्थिति

विभागों की संख्या :	सीएसएस	:	33
	डीएसएस	:	50
	डीआरएस	:	210
जोड़		:	293

(सैप-I) तालिका 5.1(ख)

01.04.2008 से 31.03.2009 के दौरान, भौतिक विज्ञान में विभागों की समीक्षा की स्थिति

वर्ष	कार्यक्रम/स्तर	1.4.2008 को विभागों की कुल संख्या	शामिल किए गए	समीक्षित	जारी उसी स्तर पर	उन्नत किए गए	मध्यावधि समीक्षा	बंद किए गए	31.3.2009 को विभागों की कुल सं०
2008-2009			45	9	6	01 डीएसएस से सीएसएस 02 डीआरएस से डीएसएस	6	शून्य	
	एसएपी/सीएसएस	34							35
	एसएपी/डीएसएस	37							37
	एसएपी/डीआरएस	101							144
	जोड़	171							216
			45	9	6	3	6	शून्य	

तालिका (सैप II) 5.2 (ख)

01.04.2008 से 31.03.2009 के जैव विज्ञान/इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी में विभागों की समीक्षा की स्थिति

वर्ष	कार्यक्रम/स्तर	1.4.2008 को विभागों की कुल संख्या	शामिल किए गए	समीक्षित	जारी उसी स्तर पर	उन्नत किए गए	मध्यावधि समीक्षा	बंद किए गए	31.3.2009 को विभागों की कुल सं०
2008-09			46	9	4	02 डीएसए से सीएसए	-	3(डीआरएस)	
	एसएपी/सीएसए	42							44
	एसएपी/डीएसए	29							27
	एसएपी/डीआरएस	100							143
	जोड़	171							214
			46	9	4	2	-	3	

तालिका (सैप III) 5.3 (ख)

01.04.2008 से 31.03.2009 के मानविकी/सामाजिक विज्ञान में विभागों की समीक्षा की स्थिति

वर्ष	कार्यक्रम/स्तर	1.4.2008 को विभागों की कुल संख्या	शामिल किए गए	समीक्षित	जारी उसी स्तर पर	उन्नत किए गए	मध्यावधि समीक्षा	बंद किए गए	31.3.2009 को विभागों की कुल सं०
2008-09			59	7	4	02 डीएसए से सीएसए	3	1 (डीएसए-IV)	
	एसएपी/सीएसए	31							33
	एसएपी/डीएसए	53							50
	एसएपी/डीआरएस	151							210
	जोड़	235							293
			59	7	4	2	3	1	

वर्ष 2008-09 के दौरान, बंद हुए भौतिक विज्ञान, जैव विज्ञान/इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी/मानविकी/सामाजिक विज्ञान, विभागों की सूची

	विश्वविद्यालय का नाम		विभाग का नाम	स्तर/चरण
सैप-I	शून्य		शून्य	शून्य
सैप-II	1	एम.एस. विश्वविद्यालय बड़ौदा, बड़ोदरा	मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग	डी.आर.एस.-III
	2	जादवपुर, विश्वविद्यालय	कंप्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग	डी.आर.एस.
	3	विक्रम विश्वविद्यालय	पर्यावरण विज्ञान	डी.आर.एस.-I
सैप-III	एम.एस. विश्वविद्यालय बड़ौदा बड़ोदरा		अर्थशास्त्र	डी.आर.एस.-IV

5.5 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की आधार-संरचना को सुदृढ़ करने के लिए सहायता (असिस्ट) और मानविकी एवं सामाजिक विज्ञानों की आधार संरचना को सुदृढ़ करने के लिए सहायता (आशिस)

वर्ष 1983 में, मंत्रिमंडल की विज्ञान सलाहकार समिति (SACC), भारत सरकार ने, विश्वविद्यालय विभागों के गैर-अधिकारी तंत्र में विश्वविद्यालयों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के लिए आधारीक संरचना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता महसूस की तथा भारतीय विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में उक्त उद्देश्य से कार्यक्रम हाथ में लेने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अभिज्ञात किया गया। इस प्रकार, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी आधार संरचना विकास योजना शुरू की गई और जब इसने गति पकड़ ली तब यह कार्यक्रम "कोसिस्ट" के नाम से जाना जाने लगा जो कि "विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की आधारीक संरचना को सुदृढ़ करने वाली समिति" का संक्षिप्त नाम है। वर्ष 2002-03 के दौरान उपर्युक्त कार्यक्रम को 'असिस्ट' का नाम दिया गया।

वर्ष 2004-05 दौरान, आयोग ने यह निर्णय किया कि मानविकी और सामाजिक विज्ञानों की आधार संरचना को भी सुदृढ़ 'असिस्ट' कार्यक्रम के जरिए किया जा सकता है।

वि.अ.आ. ने अब निर्णय लिया है कि असिस्ट तथा/आशिस कार्यक्रमों को भावी योजना में विलयित कर दिया जाए तथा सैप के अंतर्गत शामिल कर दिया जाए। 11 वीं योजना में सैप के तहत वित्तीय सहायता में बढ़ोतरी कर दी गई है, यद्यपि, असिस्ट/आशिस स्कीमों के लिए कोई पृथक आबंटन नहीं किया जाएगा।

वर्तमान में चल रहे पुराने मामलों के समापन हेतु वर्ष 2008-2009 के लिए, 10 करोड़ रुपये का वित्त आबंटित किया गया है।

सहायता परिष्कृत तथा आवश्यक उपस्करों के अर्जन, भवन को बढ़ाने/परिवर्तन करने/प्रयोगशाला का नवीकरण करने, पुस्तकें और जर्नल खरीदने, कार्यचालन व्यय करने, संगोष्ठियां आयोजित करने, यात्रा/ क्षेत्रीय यात्राओं आदि के लिए प्रदान की जाती है। सतत परीवीक्षण, समीक्षा तथा मूल्यांकन, योजना का अभिन्न अंग है। 'असिस्ट' तथा 'आशिस' सहायता प्राप्त विभागों को प्रकार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान की गई है। कार्यक्रम की अवधि पांच वर्ष, पूर्णकालिक है। वित्तीय सहायता शत-प्रतिशत आधार पर दी जाती है।

कार्यक्रम के अधीन, समर्पित विभागों द्वारा की गई प्रगति, निष्पादन, उपलब्धियों का परीवीक्षण तथा समीक्षा निम्न समितियों द्वारा की जाती है :

- सलाहकार समिति
- मध्यावधि परीवीक्षण/समीक्षा समिति
- अंतिम अवधि/अंतिम समीक्षा समिति

वर्ष 2008-09 के लिए निष्पादन बजट तथा भावी कार्य योजना

क्र. सं.	योजना का नाम और शीर्ष	आबंटन (योजना)	प्राप्त भौतिक लक्ष्य	प्राप्त वित्तीय लक्ष्य	भावी कार्य योजना 10वीं योजना	
					वास्तविक	वित्तीय
1.	असिस्ट एवं आशिस कार्यक्रम (योजना)	1.91 करोड़ रु.	71 विभाग (चल रहे हैं)	1.91 करोड़ रु.	**	**

** असिस्ट एवं आशिस योजना के लिए 11 एवं 12 फरवरी, 2008 को हुई आयोग की 443 बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए : असिस्ट : अन्य इसी प्रकार की योजनाओं के साथ अतिव्याप्तता को हटाने और इन योजनाओं के साथ समेकित करने के लिए इसे प्रो.एम.एम.शर्मा समिति (गणित और सांख्यिकी सहित) को भेजा जाए।

आशिस : यह योजना सैप के अन्तर्गत शामिल/आमेलित कर ली गयी और इस योजना के संबंध में दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए अध्यक्ष, वि.अ.आ. को प्राधिकृत किया गया।

प्रारंभ से अब तक, कोसिस्ट (अब असिस्ट) के अन्तर्गत 229 विभागों को तथा आशिस के अन्तर्गत 78 विभागों को सहायता दी जा चुकी है।

5.6 राजभाषा (हिन्दी) का संवर्द्धन

केन्द्रीय सरकार ने, 1963 में राजभाषा अधिनियम के द्वारा हिन्दी को भारत संघ की सरकारी/कामकाजी भाषा घोषित किया और केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों को सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एक "राजभाषा प्रकोष्ठ" स्थापित करने का निर्देश दिया।

राजभाषा अधिनियम का पालन करते हुए वि.अ.आ. ने शुरू में एक राजभाषा प्रकोष्ठ स्थापित किया था, जो 1992 में एक पूर्ण राजभाषा अनुभाग बन गया। नीति के अनुसार सेल के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :-

- विश्वविद्यालयों/कॉलेजों तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच समन्वयक के रूप में कार्य करना।
- राजभाषा के प्रयोग के लिए जागरूकता पैदा करना और सरकारी कामकाज में राजभाषा नीति के प्रगामी अनुपालन को तेज करना।
- हिन्दी में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अवसर उपलब्ध कराने के लिए वि.अ.आ. के पदाधारियों को नामित करना और उनको सुविधा प्रदान करना।
- सरकारी कामकाज में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित करना।
- निबंध प्रतियोगिता, वाद-विवाद, श्रुतलेख, हिन्दी टाइपिंग और प्रारूपण/टिप्पण आदि जैसे कार्यक्रम आयोजित करना।
- प्रतिवर्ष, हिन्दी पखवाड़ा (1 से 14 सितम्बर) के दौरान, हिन्दी दिवस मनाना।
- राजभाषा समिति के सुझावों का कार्यान्वयन करना।
- वि.अ.आ. के अहिन्दी भाषी कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण योजना के अधीन प्रवीण, प्रबोध और प्राज्ञ का प्रशिक्षण देना।

वर्ष 2008-09 के दौरान, निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की गईं :

- वि.अ.आ. के कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं :
 - 'क' और 'ख' वर्ग के अधिकारियों के लिए निबंध प्रतियोगिता
 - 'ग' और 'घ' वर्ग के अधिकारियों के लिए निबंध प्रतियोगिता
 - 'ग' और 'घ' वर्ग के कर्मचारियों के लिए वाद-विवाद प्रतियोगिता
 - कर्मचारियों के लिए प्रारूपण और टिप्पण प्रतियोगिता
 - कर्मचारियों के लिए टाइपिंग प्रतियोगिता
- सरकारी कामकाज में हिन्दी के संवर्द्धन के लिए दो कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
- 11 सितम्बर, 2008 को हिन्दी दिवस मनाया गया।
- 1 से 14 सितम्बर, 2008 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया।
- अंग्रेजी में प्राप्त प्रलेखों का वि.अ.आ. द्वारा बनाए गए अनुवादकों के पैनल से हिन्दी में अनुवाद कराया गया।
- राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं।
- सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अपने अनुसंधान लेखों/एल.एल.बी. प्रवेश परीक्षा हिन्दी में कराने पर भी जोर दिया गया।
- राजभाषा के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त अनुदेशों का पालन किया गया।

वि.अ.आ. ने, गैर-हिन्दी भाषी छः विश्वविद्यालयों को एक लाख रुपये (हिन्दी की पुस्तकें और पत्रिकाएं खरीदने के लिए 50,000/-रुपये और कार्यशाला तथा सेमिनार आयोजित करने के लिए 50,000/-रुपये) का अनुदान दिया तथा हिन्दी दिवस मनाने तथा अनुवाद कार्य भुगतान के लिए 2.45 लाख रुपये का व्यय किया गया।

5.7 यात्रा अनुदान

वि.अ.आ. ने कालेज के शिक्षकों, कुलपतियों लाइब्रेरियनों तथा उच्च शिक्षा प्रबंधन से संबद्ध अधिकारियों को उच्च शिक्षा प्रणाली में अनुसंधान कार्यों के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके यात्रा अनुदान स्कीम प्रारंभ की है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि स्थायी कालेज अध्यापक/कालेज लाइब्रेरियन/कुलपति/आयोग के सदस्य/वि.अ.आ. के अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपने अनुसंधान पत्र प्रस्तुत कर सकें। कालेज अध्यापकों/लाइब्रेरियनों/वि.अ.आ. के अधिकारियों की अधिकतम आयु सीमा सेवानिवृत्ति की आयु तक है तथा कुलपतियों तथा आयोग के सदस्यों के लिए आयु सीमा, उनके पद पर बने रहने तक होगी। स्थायी/अध्यापकों/लाइब्रेरियनों को उनकी यात्रा, पंजीकरण शुल्क, विदेशी मुद्रा भत्ता तथा अनुसंधान हेतु 3 वर्ष में एक बार शत प्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

कुलपतियों, वि.अ.आ. सदस्यों, वि.अ.आ. अधिकारियों एवं अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (गैर संपन्न वर्ग) के शिक्षकों को 2 वर्ष में एक बार वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। इस स्कीम के तहत सहायता हेतु कोई भी आवेदन उस सम्मेलन के प्रारंभ होने से 2 माह पूर्व सम्मेलन के आयोजकों से प्राप्त स्वीकृति पत्र भी साथ संलग्न कर प्रेषित किया जाएगा जिसमें उसे अपना पत्र प्रस्तुत करना है। वर्ष 2008-09 के दौरान, 317 कालेज अध्यापकों, 2 कुलपतियों तथा आयोग सदस्यों ने यह सुविधा प्राप्त की है। 2.29 करोड़ रुपये की राशि, रिपोर्टिंग वर्ष 2008-09 के दौरान, अनुसंधानकर्ताओं को भुगतान के रूप में व्यय की जा चुकी है।

यूनेस्को कार्यक्रम

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राप्त किए गए, विभिन्न सदस्य देशों में यूनेस्को द्वारा छात्रवृत्तियों/विदेश प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश से संबंधित विभिन्न परिपत्र, भारत के विश्वविद्यालयों एवं शैक्षिक संस्थानों में परिचालन हेतु प्राप्त किए गए हैं। उच्च शिक्षा के विकास तथा यूनेस्को के सदस्य देशों में परस्पर समन्वय से संबंधित कुछ मामलों पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रत्येक वर्ष, वि.अ.आ. के विचार/टिप्पणियाँ आमंत्रित करता है। दस्तावेजों पर विधिवत विचार एवं अध्ययन करने के पश्चात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संबंध मंत्रालय के जरिये अपने विचारों/टिप्पणियों की पेशकश की है।

5.8 द्विपक्षीय और शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार की ओर से भारत और अन्य देशों के बीच उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। वर्ष 2008-2009 में 44 देशों के साथ मिलकर, शैक्षिक विनिमय कार्यक्रमों एवं सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों को संचालित किया गया।

वर्ष 2008-09 के दौरान, वि.अ.आ. ने विभिन्न देशों के 53 स्कॉलरों की मेजबानी की और भारत की विभिन्न संस्थाओं में उनके कार्यक्रमों के अन्तर्गत 90 भारतीय स्कॉलरों को विदेश भेजा गया। वि.अ.आ. ने उच्च शिक्षा सूचना विनिमय हेतु निम्नलिखित विदेशी शिष्टमंडलों की आगवानी की थी।

o विदेशी शिष्टमंडलों के वि.अ.आ. तथा संगोष्ठी संगठनों में दौरों का ब्यौरा इस प्रकार है :

- नीदरलैंड के चार सदस्यीय शिष्टमंडल ने 8 अप्रैल 2008 को वि.अ.आ. का दौरा किया ।
- फिनलैंड के दो सदस्यीय शिष्टमंडल ने 8 अप्रैल 2008 को वि.अ.आ. का दौरा किया।
- डेनमार्क के तीन सदस्यीय शिष्टमंडल ने 6 मई 2008 वि.अ.आ. का दौरा किया।
- लाओ पी डी आर (पी डी आर) के 5 सदस्यीय शिष्टमंडल ने 24 जून 2008 को वि.अ.आ. का दौरा किया।
- ब्राज़ील के एक सदस्यीय शिष्टमंडल ने 19 अगस्त 2008 को वि.अ.आ. का दौरा किया।
- इक्वाडोर के बारह सदस्यीय शिष्टमंडल ने 4 नवम्बर 2008 को वि.अ.आ. का दौरा किया।
- मारीशस के एक सदस्यीय शिष्टमंडल ने 27 नवम्बर 2008, को वि.अ.आ. का दौरा किया।
- यू. के. (ए.सी.यू.) के सात सदस्यीय शिष्टमंडल ने 3 दिसंबर 2008 को वि.अ.आ. का दौरा किया।

- मालावी के एक सदस्यीय शिष्टमंडल ने 5 जनवरी 2009 को वि.अ.आ. का दौरा किया।
- आस्ट्रेलिया के छह सदस्यीय शिष्टमंडल ने 25 मार्च 2009 को वि.अ.आ. का दौरा किया।
- ऐडिनबर्ग के दो सदस्यीय शिष्टमंडल ने 25 मार्च 2009 को वि.अ.आ. का दौरा किया।

सभी शिष्टमंडलों ने वि.अ.आ. में आकर उच्च शिक्षा के द्विपक्षीय मामलों, डिग्रियों की मान्यता (जो कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ तय करता है) विश्वविद्यालयों के विभिन्न प्रारूप एवं निधिकरण संस्थाओं को सत्यापन और मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली।

● भारत मारीशस करार

वि.अ.आ. और तृतीय शिक्षा आयोग, मारीशस (2007-10) के बीच एक चौथे कंसोर्टियम करार पर 18 अप्रैल, 2007 को हस्ताक्षर किए गए। कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ स्कॉलरों के विनिमय का भी प्रावधान है।

- (क) चौथे कंसोर्टियम करार के अंतर्गत वि.अ.आ. ने, 11 भारतीय स्कॉलरों को मारीशस का दौरा करने हेतु मनोनीत किया है। इन स्कॉलरों का दौरा विचाराधीन है।
- (ख) चौथे कंसोर्टियम करार के अन्तर्गत वि.अ.आ. को, मारीशस से भारत आने हेतु 22 सदस्यों के नाम प्राप्त हो गए हैं, और नामों की प्रतीक्षा है। शेष 21 दौरे, विभिन्न अभिकरणों के साथ अभी विचाराधीन हैं। एक स्कॉलर के दौरे को अनुमति प्राप्त हो गई है।

● विदेशी भाषा शिक्षक

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सहयोगात्मक कार्यक्रम बनाए हुए हैं जिनमें साथ-साथ ही विदेशी भाषाओं के शिक्षण के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी भाषा शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान है। उनकी नियुक्ति विश्वविद्यालयों में संबंधित देश के मिशन तथा संबंधित विश्वविद्यालय से परामर्श के साथ की जाती है। विश्वविद्यालय को भाषा शिक्षक प्रदान करते समय सामान्यतः यह सुनिश्चित किया जाता है कि विदेशी भाषा शिक्षण के लिए विश्वविद्यालयों में उचित आधारिक संरचना है।

वर्ष 2008-09 के दौरान, भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 22 विदेशी भाषा शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। भाषा वार शिक्षकों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

जर्मन-3, पुर्तगाली-2, स्पेनी-10, हंगेरियाई-1, अफगानी-1, क्रोशियाई-1,
बुल्गेरियाई-1, रोमानिया-1, चेक-1, पॉलिश-1.

दो चीनी भाषा के शिक्षकों की, गृह मंत्रालय द्वारा क्रमशः दिल्ली विश्वविद्यालय विश्वभारती, शांतिनिकेतन में सुरक्षा जाँच होना अभी बाकी है।

● अध्येतावृत्तियाँ और छात्रवृत्तियाँ

(क) जर्मन अकादमिक विनिमय सेवा (डीएएडी)

डीएएडी के अध्यक्ष, प्रो. थियोडोर बरचेम और वि.अ.आ. के अध्यक्ष, प्रो. सुखदेव थोरात के बीच 30.10.2007 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

- (i) **वैज्ञानिक कार्यक्रमों का विनिमय** : इस कार्यक्रम में दोनों देशों के 10 वैज्ञानिकों का मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में विनिमय होगा और दोनों देश आपस में मिलकर विशेष विषयों को चुनने का अधिकार निर्णय लेंगे। विनिमय की अवधि 2 सप्ताह से कम और 4 सप्ताह से अधिक नहीं होगी। इस अवधि में 4 आयोजक संस्थाओं का दौरा किया जा सकता है। प्रत्येक देश को अपने मेहमान वैज्ञानिकों का यात्रा खर्च वहन करना होगा। वि.अ.आ. ने छः वैज्ञानिकों को नामांकित किया है जिनमें से चार दौरे डी.ए.ए.डी. प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत किये जा चुके हैं।

- (ii) **व्यक्तिगत विनिमय कार्यक्रम (पी.पी.पी.-2007)** : जर्मन अकादमिक विनिमय कार्यक्रम (डीएएडी) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने नई दिल्ली में स्कॉलरों के वित्तपोषण के माध्यम से वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ाने हेतु एक कार्यक्रम बनाया है और यह मुख्यतः मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजनाओं में सहयोग करेगा। युवा पी.एच.डी और डॉक्टर की डिग्री धारक वैज्ञानिकों और स्कॉलरों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। यह कार्यक्रम 2008 में शुरू हुआ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दो भारतीयों को नामित किया गया है। एक दौरा संपन्न हो चुका है।

- (iii) दक्षिण-एशियाई और भारतीय संस्थान : जर्मनी ने भारतीय वैज्ञानिकों को वर्ष 2008-09 के लिए हैडलबर्ग में दक्षिण-एशियाई संस्थान में काम करने हेतु दो-तीन माह की छात्रवृत्ति हेतु वार्षिक अवार्ड दिया है। वि.अ. आ. ने 2 स्कॉलरों के नाम भेजे हैं और उनमें से 1 स्कॉलर को दक्षिण-एशियाई संस्थान, हैडलबर्ग ने चुन लिया है।

● भारत फ्रांस सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अधीन, समाज वैज्ञानिक विनिमय कार्यक्रम

प्रत्येक वर्ष, वि.अ.आ. विश्वविद्यालयों एवं कॉलेज के कुछ शिक्षकों को इंडो-फ्रेंच सोशल साइंटिस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत (सामाजिक वैज्ञानिक) पेरिस भेजता है। वर्ष 2008 में आयोग द्वारा फ्रांस जाने के लिए 12 भारतीय स्कॉलर नामित किए गए। इस स्कीम के तहत एक भारतीय स्कॉलर ने बंगलादेश का दौरा किया है। वर्ष 2008 के दौरान, फ्रांस के 6 स्कॉलर भारत आये।

● सार्क अध्येतावृत्तियाँ/छात्रवृत्तियाँ

बंगलादेश सरकार ने, सार्क हेतु सार्क देशों के लिए बंगलादेश में अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने हेतु नामांकन आमंत्रित किए हैं। इस स्कीम के तहत एक भारतीय स्कॉलर ने बंगलादेश का दौरा किया है।

● कॉमनवेल्थ अकादमिक स्टाफ अध्येतावृत्तियाँ

प्रत्येक वर्ष, यू.के. में राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ 80 राष्ट्रमंडलीय अकादमिक स्टाफ अध्येतावृत्तियाँ प्रदान करता है ताकि भारत में विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में होनहार संकाय सदस्य यू.के. के विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में अनुसंधान कार्य कर सकें।

वर्ष 2008 के दौरान, वि.अ.आ. ने अध्येतावृत्तियों के लिए 80 शिक्षकों की सिफारिश की। इनमें से, राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ ने राष्ट्रमंडलीय अकादमिक स्टाफ अध्येतावृत्ति अवार्ड 2008 के लिए 29 शिक्षकों का अंतिम रूप से चयन किया।

● कॉमनवेल्थ स्पलिट साइट छात्रवृत्तियाँ

वर्ष 2008-2009 के दौरान, राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ, यू.के. ने भारत में डॉक्टोरल उपाधि के लिए अध्ययन कर रहे कनिष्ठ संकाय या छात्रों के लिए जो यू.के. में एक वर्षीय पूर्णकालिक अध्ययन का लाभ उठाना चाहते हैं, 14 राष्ट्रमंडलीय विभाजित स्थल डॉक्टोरल छात्रवृत्तियों का प्रस्ताव किया। वि.अ.आ. ने 14 स्कॉलरों को नामित किया और राष्ट्रमंडलीय विभाजित स्थल छात्रवृत्तियों के अधीन राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ, यू.के. ने वर्ष 2008-09 में 9 स्कॉलरों को स्वीकृत किया।

● स्रोत सामग्री एकत्रीकरण योजना के अधीन शिक्षकों को विदेशों के दौरे हेतु यात्रा अनुदान

इस योजना के अधीन आयोग, विश्वविद्यालय/ कॉलेज शिक्षकों को स्रोत सामग्री एकत्र करने/अध्येतावृत्ति प्राप्त करने के लिए शत-प्रतिशत यात्रा अनुदान उपलब्ध कराता है। यह सहायता केवल उन्हीं स्कॉलरों को उपलब्ध कराई जाती है जिन्होंने विदेश में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम से कम दो महीने के अनुरक्षण के लिए आश्वासन प्राप्त कर रखा है। वर्ष 2008-09 के दौरान, इस योजना के अधीन 9 भारतीय शिक्षकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई।

● इंडो-फिनलैंड सरकार छात्रवृत्तियाँ

फिनलैंड सरकार, फिनलैंड में उच्च शिक्षा संस्था या सार्वजनिक अनुसंधान संस्थान में स्नातकोत्तर अध्ययन, अनुसंधान और शिक्षण के लिए छात्रवृत्तियाँ प्रदान करती है। वर्ष 2008-09 में, आयोग ने फिनलैंड जाने के लिए 9 भारतीय स्कॉलरों को नामित किया। उन्होंने, सफलतापूर्वक फिनलैंड में अपना कार्य पूरा किया। भारतीय पक्ष ने दो स्कॉलरों को प्राप्त किया जिनको फिनलैंड सरकार ने वर्ष 2008-09 के लिए नामित किया।

● इंडो-हंगेरियन ई.ई.पी. लघु-दीर्घ अवधि छात्रवृत्ति

वर्ष 2008-2009 के दौरान, 20 भारतीय स्कॉलरों को (12 लघु एवं 8 दीर्घ अवधि) हंगरी में जाकर व्याख्यान दिए एवं अपने विषयों पर विचार-विमर्श करके सफलतापूर्वक कार्य पूरा किया। इनके दौरे अभी हंगेरियन सरकार के विचाराधीन हैं। हंगेरियन सरकार ने 20 भारतीय स्कॉलरों में से 12 स्कॉलरों का दौरा (8 दीर्घ एवं 4 लघु) स्वीकृत किया है।

वर्ष 2008-09 के दौरान, भारत में हंगेरियन सरकार द्वारा नामित 7 स्कॉलरों को स्वीकृत किया गया जिनमें से 2 स्कॉलरों ने वर्ष 2008-09 में दौरा किया।

● इंडो-बुल्गेरियन सी.ई.पी.

बुल्गेरियन भाषा और संस्कृति पर आयोजित सेमिनार में वि.अ.आ. ने, 4 स्कॉलरों को नामित किया जो 13 जुलाई से 2 अगस्त, 2008 के बीच सोफिया विश्वविद्यालय 'सेंट क्लिमेंट ओरिस्की' में आयोजित किया गया। इन दौरों को सम्पन्न कर दिया गया है। वर्ष 2008-09 के दौरान, सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के तहत 60.83 लाख रुपये का व्यय हुआ है।

5.9 अकादमिक स्टाफ कॉलेज (ए.एस.सी.)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.पी.ई.), 1986 में शिक्षकों को प्रेरित करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उल्लिखित संदर्भ के आधार पर वि.अ.आ. ने 1986-87 से देश के उपयुक्त विश्वविद्यालयों में अकादमिक स्टाफ कॉलेज (ए.एस.सी.) स्थापित करने की योजना की शुरुआत की। इस समय देशभर में 66 ऐसे कॉलेज स्थापित किए जा चुके हैं। वि.अ.आ. अकादमिक स्टाफ कॉलेज, एक स्वायत्त इकाई के रूप में एक विश्वविद्यालय में स्थापित किया जा सकता है और उसे विश्वविद्यालय के अंतर्गत रखा जा सकता है। इसे विश्वविद्यालय तथा अन्य विश्वविद्यालयों और राज्य के भीतर तथा बाहर के अकादमिक संस्थानों में उपलब्ध सभी संभव विद्यमान संसाधनों के अनुसार काम करना होगा।

अकादमिक स्टाफ कॉलेज का उद्देश्य नव-नियुक्त व्याख्याताओं को निम्न में समर्थ बनाना है :-

- o वैश्विक और भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामान्य तौर पर शिक्षा और विशेष तौर पर उच्च शिक्षा के महत्व को समझना।
- o भारतीय राजनीति, जिसमें लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक समानता जो समाज के मूल सिद्धांत हैं, के विशेष संदर्भ में शिक्षा, अर्थव्यवस्था, सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के बीच के संपर्क को समझना।
- o उच्च शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कॉलेज/विश्वविद्यालय के स्तर पर शिक्षण कला को समझना तथा उसमें सुधार लाना।
- o अपने विशिष्ट विषयों में अद्यतन घटनाक्रमों की पूरी जानकारी रखना।
- o समय प्रणाली में अध्यापकों की भूमिका तथा किसी कॉलेज/विश्वविद्यालय के संगठन और प्रबंधन को समझना।
- o व्यक्तित्व, पहल और सृजनात्मकता के विकास हेतु अवसरों का उपयोग करना,
- o शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में आई.सी.टी. के प्रयोग तथा कम्प्यूटर साक्षरता को बढ़ावा देना।

अकादमिक स्टाफ कॉलेज के मुख्य कार्य, नव-नियुक्त कॉलेज/विश्वविद्यालय के व्याख्याताओं के लिए प्रबोधन कोर्सों को तैयार करना, आयोजित करना, क्रियान्वयन करना, उनकी निगरानी तथा मूल्यांकन करना, सेवारत अध्यापकों के लिए पुनश्चर्या कोर्स आयोजित करना तथा वरिष्ठ प्रशासकों, विभाग प्रमुखों, प्रधानाचार्यों, अधिकारियों आदि के लिए प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित करना है।

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कार्यरत व्याख्याताओं को जिन्हें वि.अ.आ., अधिनियम की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत शामिल किया गया है, यद्यपि, वे धारा 12(बी) के अन्तर्गत शामिल किए जाने हेतु उपयुक्त नहीं हैं, प्रबोधन कार्यक्रमों और पुनश्चर्या कोर्स में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाएगा। कॉलेज के अध्यापक जो धारा 2(एफ) के दायरे में नहीं आते हैं किन्तु जो कम से कम दो वर्ष से किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं, उनको इन कार्यक्रमों/कोर्सों में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। पुष्टि के लिए उपस्थिति की एक शर्त होनी चाहिए और सीनियर स्केल में प्रोन्नति हेतु इस कोर्स को महत्व दिया जाना चाहिए।

पुनश्चर्या कोर्सों के लिए प्रवेश हेतु प्रबोधन कार्यक्रम में भाग लेना एक पूर्व-शर्त है। साथ ही, दोनों कोर्सों के बीच एक वर्ष का न्यूनतम अंतराल होना चाहिए, यद्यपि, यदि पर्याप्त संख्या में प्रतिभागी नहीं मिलते हैं या अध्यापकों के लिए कैरियर में प्रोन्नति हेतु पात्रता संबंधी शर्तों को पूरा करना जरूरी है तो इस शर्त में छूट दी जा सकती है।

प्रबोधन कार्यक्रमों का उद्देश्य युवा व्याख्याताओं में सामाजिक, बौद्धिक और नैतिक परिवेश के प्रति जागरूकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता का गुण पैदा करना तथा अपनी सामर्थ्य की पहचान करना है। यह प्रबोधन कार्यक्रम चार सप्ताह की अवधि का होगा जिसमें न्यूनतम 24 कार्यदिवस (रविवार को छोड़कर) और 144 संपर्क घंटे (एक दिन में 6 घंटे) होंगे। पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की अवधि 3 सप्ताह होगी तथा न्यूनतम 18 कार्यदिवस की होगी और 1 सप्ताह (रविवार छोड़कर) तथा 108 संपर्क घंटे (एक दिन में 6 घंटे) होंगे। यदि कोई प्रतिभागी किसी कार्यक्रम में अपेक्षित कंट्रेक्ट घंटे पूरा करने में असफल रहता है तो उसे संबंधित ए.एस.सी. के किसी अन्य कार्यक्रम में अपनी कीमत पर बकाया घंटों को पूरा करने की अनुमति होगी।

किसी ऐसे संस्थान, जो कम से कम दो वर्ष में किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हो, में तीन शैक्षणिक सत्र में पढ़ाने वाले अंशकालिक/तदर्थ/अस्थायी/कंट्रेक्ट अध्यापकों को अपना कौशल बढ़ाने के लिए प्रबोधन कार्यक्रम/पुनश्चर्या कोर्स में भाग लेने की अनुमति होगी।

प्रत्येक अकादमिक स्टॉफ कॉलेज, एक वर्ष में प्रधानाचार्यों/प्रमुखों/डीन/अधिकारियों की एक या दो बैठकें आयोजित करेगा ताकि उन्हें दर्शनशास्त्र और प्रबोधन कार्यक्रमों तथा पुनश्चर्या कोर्सों से परिचित कराया जा सके, अध्यापकों की तैनाती हेतु राजी किया जा सके, पर्यवेक्षकों के रूप में अपनी नई भूमिकाओं को समझ सके तथा विभिन्न स्तरों पर प्रबंध प्रणाली में समुचित संशोधन के माध्यम से उच्च शिक्षा में सुधार ला सके।

वि.अ.आ., ए.एस.सी. को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ए.एस.सी. को सहायता जारी रखने हेतु उसके कार्यकरण की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। मुख्य सहायता इस प्रकार प्रदान की जायेगी :-

वेतन	-	वास्तविक आधार पर
पुस्तकें	-	प्रतिवर्ष 1.00 लाख रुपये
उपकरण	-	प्रतिवर्ष 1.00 लाख रुपये
कार्यान्वयन व्यय	-	प्रतिवर्ष 5.00 लाख रुपये

इसके अतिरिक्त, विज्ञानेत्तर विषयों में प्रत्येक पुनश्चर्या कोर्स हेतु 30,000/-रु., विज्ञान विषयों में प्रत्येक पुनश्चर्या कोर्स हेतु 40,000 हजार रुपये तथा अतिरिक्त कार्यकरण संबंधी व्यय के रूप में प्रत्येक प्रबोधन कार्यक्रम हेतु 30,000/-रुपये, प्रदान किये जायेंगे।

वर्ष 2008-09 के दौरान, 66 अकादमिक स्टॉफ कॉलेज (ए.एस.सी.) और 15 विश्वविद्यालयों और विशेषज्ञ संस्थानों, जिनकी वि.अ.आ. पुनश्चर्या कोर्स सेंटर (आर.सी.सी.) के रूप में पहचान की गई है, ने पुनश्चर्या कोर्स और प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किए। इस आबंटन के प्रति विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों को जारी अनुदान की स्थिति, अनुमोदित कोर्सों की अनुमानित संख्या और आयोजित किए गए कोर्सों के आंकड़े तथा 2008-09 के लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

बजट आबंटन (करोड़ रु० में)	जारी किया गया अनुदान (करोड़ रु० में)	अनुमोदित कार्यक्रमों/ कोर्सों की संख्या	आयोजित कार्यक्रमों/ कोर्सों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
43.00	41.50	223 पुनश्चर्या कार्यक्रम 702 नवोन्मेषी पाठ्यक्रम 77 कार्यशालाएं	213 पुनश्चर्या कार्यक्रम* 689 नवोन्मेषी पाठ्यक्रम 77 कार्यशालाएं	2.28 लाख शिक्षक अनुमानतः पुरुष-1.20 लाख महिलाएं-1.08 लाख

* ओपी - पुनश्चर्या कार्यक्रम
आरसी - नवोन्मेषी पाठ्यक्रम

5.10 अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र (आई.यू.सी.)

वि.अ.आ., 1984 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1985 की धारा (सीसीसी) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय प्रणाली में स्वायत्त निकायों के रूप में अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों (आई.यू.सी.) की स्थापना करता रहा है ताकि विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे अनुसंधानकर्ताओं के लाभ के लिए केन्द्रीय रूप से अति आधुनिक उपस्कर तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें जो सामान्यतया लागत कारक के कारण कई विश्वविद्यालयों में उपलब्ध नहीं होती हैं। अब तक इसने ऐसे छः केन्द्र मुख्यतः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्थापित किए हैं। नाभिकीय विज्ञान केन्द्र, सन् 1984 में स्थापित किया जाने वाला इस तरह का पहला केन्द्र था। इन अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों की स्थापना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

- ❖ जो विश्वविद्यालय, आधार संरचना तथा अन्य निवेशों में भारी पूंजी लगाने में असमर्थ हैं, उनके लिए सर्वमान्य, समुन्नत, केन्द्रीभूत सुविधाएं/सेवाएं उपलब्ध कराना।
- ❖ सारे देश में शिक्षकों तथा अनुसंधानकर्ताओं को सर्वोत्तम विशेषज्ञता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना।
- ❖ अनुसंधानकर्ताओं तथा शिक्षण संकायों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समतुल्य आधुनिक उपस्कर, अत्याधुनिक श्रेष्ठ पुस्तकालय की सुविधाएं उपलब्ध कराना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शैक्षिक संचार कंसोर्टियम (सी.ई.सी.), नई दिल्ली में मार्गदर्शन एवं समन्वयन में विश्वविद्यालयों में स्थापित, विभिन्न मीडिया केन्द्रों के माध्यम से एक हजार से भी अधिक शैक्षिक फिल्में अथवा कार्यक्रम तैयार करने में भी सहायक रहा है। देश में प्रथम देशव्यापी कार्यक्रम, दूरदर्शन से 15 अगस्त, 1984 में प्रारंभ हुआ। वर्ष 2008-09 में ज्ञानदर्शन व्यास चैनल तथा शिक्षा के अन्य चैनलों पर कक्षा से इतर उच्चतर शिक्षा के प्रसार हेतु 1400 कार्यक्रमों का प्रसारण तैयार किया गया है।

अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र सूची, उनके विशिष्ट उद्देश्यों सहित निम्नलिखित सारणी में दी गई है :

अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र तथा उनके उद्देश्य : 2008-09

क्र. सं.	नाम	स्थापना वर्ष	उद्देश्य
1.	अंतर्विश्वविद्यालय ऐक्सीलरेटर केन्द्र, (IUAC), नई दिल्ली	1984	ऐक्सीलरेटरपरक अनुसंधान
2.	अंतर्विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान तथा खगोल भौतिकी केन्द्र, (IUCAA), पुणे	1988	खगोल विज्ञान में अनुसंधान के लिए अधुनातन यंत्रीकरण
3.	अंतर्विश्वविद्यालय डीएई वैज्ञानिक अनुसंधान कंसोर्टियम, (UGC-DAE CSR), इंदौर	1989	आणविक ऊर्जा विभाग की सुविधाओं का उपयोग
4.	सूचना तथा पुस्तकालय नेटवर्क केन्द्र, (INFLIBNET) अहमदाबाद	1991	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों का नेटवर्किंग वि.अ.आ. इंफोनेट और ई-जर्नल
5.	शैक्षिक संचार कंसोर्टियम, (CEC), नई दिल्ली	1993	दूरदर्शन के माध्यम से देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम प्रसारित करना और ई-कंटेंट तथा एडूसेट कार्यक्रम चलाना
6.	राष्ट्रीय निर्धारण तथा प्रत्यायन परिषद् (NAAC), बंगलुरु	1994	उच्च अधिगम की निजी तथा सार्वजनिक संस्थाओं का निर्धारण एवं प्रत्यायन करना

वर्ष 2008-09 के दौरान, बजट नियतन तथा योजनागत एवं योजनेत्तर प्रदत्त अनुदान का विवरण निम्न प्रकार है :

(लाख रु० में)

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	योजनागत		योजनेत्तर	
		बजट नियतन	प्रदत्त अनुदान	बजट नियतन	प्रदत्त अनुदान
1.	आईयूसी, नई दिल्ली	971.30	971.30	925.00	925.00
2.	आईयूसीएए, पुणे	1000.00	1000.00	753.05	753.05
3.	यूजीसीडीआई, सीएसआर, इंदौर	751.41	751.41	695.00	695.00
4.	इंफिलबनेट, अहमदाबाद	27.33	27.33	180.00	180.00
5.	नैक, बंगलुरु	400.00	400.00	180.00	180.00
6.	सीईसी/मीडिया केन्द्र	73.75	73.75	1071.00	1071.00
	जोड़	4000.00	4000.00	4365.00	4365.00

● विभिन्न अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों की मुख्य विशेषताएं : 2008-09

5.10.1 कंसोर्टियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च, इंदौर (म.प्र.)

● इतिहास

यूजी.सी., डी.ए.ई. कंसोर्टियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च, जिसे पहले इंटरयूनिवर्सिटी कंसोर्टियम फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एंटॉमिक एनर्जी फैसिलिटीज (आई.यू.सी.-डी.ए.ई.एफ.) के रूप में जाना जाता था, की स्थापना 1990 में एक समझौता ज्ञापन के आधार पर की गई थी, जिस पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष प्रो. एस. यशपाल और परमाणु ऊर्जा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. एम.आर. श्रीनिवासन के हस्ताक्षर हुए थे। यूजी.सी.-डी.ए.ई.-सी.एस.आर. के तीन केन्द्र, इन्दौर कोलकाता और मुम्बई में हैं तथा इसका मुख्य कार्यालय इंदौर में है। इस संस्थान के कार्यकलाप का क्षेत्र, वर्ष 2003 में व्यापक हो गया, जब उस समय दो संस्थानों द्वारा एक नये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया तथा उस समय आई.यू.सी.-डी.ए.ई.एफ. का नाम बदलकर यूजी.सी.-डी.ए.ई.-सी.एस.आर. कर दिया गया। यूजी.सी.-डी.ए.ई.-सी.एस.आर. नोड ने कल्पक्कम में गत वर्ष कार्य करना शुरू कर दिया।

● लक्ष्य

यूजी.सी.-डी.ए.ई.-सी.एस.आर. के मुख्य लक्ष्य, विश्वविद्यालय एवं कॉलेज के शिक्षकों को अति उन्नत शोध सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा शोध छात्रों को पी.एच.डी. के लिए शोध कार्य में सहायता करना है। हमारे द्वारा अपने यहाँ 'इन-हाउस' उपलब्ध कराई गई तथा डी.ए.ई. द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाएं जो अत्यंत मंहगी हैं एवं जिनका संचालन एवं अनुरक्षण कठिन है, सामान्यतः विश्वविद्यालयों में उपलब्ध नहीं है।

● बजट

वर्ष 2008-09 के लिए योजनागत और गैर-योजनागत शीर्षों के अन्तर्गत क्रमशः 616.18 लाख रुपये और 970.00 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध थी।

● लक्षित समूह

पूरे भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों के अध्यापक और पी.एच.डी. के छात्र यूजीसी-डीआई-सीएसआर के अल्पकालिक और दीर्घकालिक सहयोग शोध स्कीमों के अंतर्गत डीआई सुविधाओं एवं 'इन हाउस' सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। नीचे रेखा चार्ट पर दिए गए आंकड़े एक समयावधि के अंतर्गत प्रयोक्ताओं की संख्या में वृद्धि को दर्शाते हैं। प्रयोक्ताओं का बड़ा अनुपात, महिला शिक्षकों एवं महिला अनुसंधान छात्राओं का है। कंसोर्टियम की अनुसंधान सुविधाओं

के बड़ी संख्या में प्रयोक्ता पूर्वोत्तर राज्यों : झारखंड उड़ीसा से है। इस वर्ष लगभग 185 विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लगभग 665 शोधकर्ताओं ने उक्त सुविधाओं का प्रयोग किया। लगभग 20 एम.एस.सी./एम.फिल विद्यार्थियों ने इस सहायता संघ में अपने परियोजना कार्य पूरे किए। कंसोर्टियम के 15 छात्रों ने अपनी पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की जिसमें से 6 महिला छात्राएँ हैं।

● सम्मेलन आदि

यूजी.सी.-डीआई-सीएसआर ने भौतिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों जैसे एक संघनित पदार्थ शोध में निम्न तापमान और उच्च चुम्बकीय क्षेत्र के अनुप्रयोग न्यूट्रॉस संघनित पदार्थ की जाँच के रूप में बीईसीसी पर आयन 'बीम' और मूल एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान में उनके अनुप्रयोग ट्रेस एलीमेंट रिसर्च 'नैनो स्ट्रक्चर्ड सिस्टम' की विशेषताओं आदि को सम्मिलित करते हुए चार जागरूकता कार्यशालाएँ या विचार-विमर्श बैठकों का आयोजन किया। कंसोर्टियम ने "विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में कार्यशाला का महत्व" पर एक दिवसीय कार्यशाला का सह-आयोजन भी किया।

● नई सुविधाएँ

इस वर्ष अनेक नई इन-हाउस सुविधाओं की स्थापना की गई है। इसके अन्तर्गत सम्मिलित हैं : (i) लेजर कन्फोकल स्कैनिंग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप (टेम्परेचर रेंज 80-800 के. सहित), (ii) 7 टैस्लास्किवड मैग्नेटोमीटर (2-320 के.), (iii) इम्पिडेंस एनालाइजर (एलक्यूएचई. 900 सी.) इसके अतिरिक्त कंसोर्टियम साइंटिस्ट्स डेवलप फैसिलिटीज इनके लिए उपलब्ध होंगी (i) न्यून तापमान पर इलैक्ट्रिकल एण्ड थर्मोपॉवर मैजरमेंट (ii) पी.एल.डी.सैटअप हेतु मल्टी-टारगेट डीपोजिशन चैम्बर (iii) फ़ैरोइलैक्ट्रिक टैस्ट सिस्टम, (iv) न्यूट्रॉन पाउंडर डिफ्रैक्शन हेतु रेडियल कॉलीमेटर तथा (v) लो एनर्जी हाई चार्ज स्टेट आयन इम्पलीमेंटेशन फैसिलिटी आदि।

● प्रकाशन

यूजीसी-डीआई-सीएसआर के वैज्ञानिकों और विश्वविद्यालयों के विभिन्न प्रयोक्ताओं द्वारा किए गए शोध कार्य का प्रकाशन नियमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में किया जाता है और इस वर्ष 223 पत्र प्रकाशित हुए। इसके अतिरिक्त, यूजीसी-डीआई-सीएसआर वर्ष में दो बार 'सहयोग' नाम के बुलेटिन का तथा संस्था की अकादमिक गतिविधियों की एक वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन करता है। इन प्रकाशनों के अद्यतन अंक एवं अन्य सूचनाएँ वेबसाइट www.csr.ernet.in से प्राप्त की जा सकती हैं।

5.10.2 कंसोर्टियम फार एजुकेशनल कम्युनिकेशन (सीईसी), नई दिल्ली.

● ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

वि.अ.आ. ने देश में उच्च शिक्षा के शीर्ष निकाय उपग्रह एवं विभिन्न उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को देश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपयोग करने की पहल की। वर्ष 1984 में वि.अ.आ. ने देशव्यापी कक्षा (सीडब्ल्यूसीआर) गतिविधियों का समन्वय करने के लिए यूजीसी इनसेट टीवी परियोजना की नींव डाली। वि.अ.आ. ने 15 अगस्त 1984 में दूरदर्शन राष्ट्रीय नेटवर्क पर देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम आरंभ किया।

● सीईसी के बारे में

दिनांक 26 मई, 1993 में वि.अ.आ. ने अधिनियम 12(सीसीसी) के तहत अंतर-विश्वविद्यालयी केन्द्र के रूप में कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन की स्थापना की, निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ सीईसी का सृजन किया। सीईसी को एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है सीईसी एक राष्ट्रीय स्तर की नोडल एजेंसी है जिसका कार्य विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग करके देश की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। प्रसारण एवं अप्रसारण दोनों माध्यमों द्वारा शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसार करना।

● सीईसी के उद्देश्य निम्नवत हैं :

- o विभिन्न विश्वविद्यालयों में वि.अ.आ. द्वारा स्थापित मीडिया केन्द्रों का समन्वयन, सुविधा तथा समग्र मार्गदर्शन तथा निर्देशन प्रदान करना।
- o प्रसारित एवं अप्रसारित दोनों माध्यमों द्वारा शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसार।
- o शैक्षणिक कार्यक्रमों (विशेषकर दृश्य व श्रव्य) तथा संबंधित सहायक सामग्री को तैयार करना तथा उचित सुविधाओं को उपलब्ध कराना।

- o कार्यक्रमों की प्रभावकारिता को इष्टतम बनाने के लिए अनुसंधान।
- o नये कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए विद्वानों की सक्रिय भागीदारी के लिए एक मंच उपलब्ध कराना।
- o नई प्रौद्योगिकियों/ प्रौद्योगिकियों का अध्ययन, संवर्धन एवं उनके साथ प्रयोग करना जो शैक्षणिक संचार की पहुँच/या प्रभावकारिता को बढ़ाएगा।

इन उद्देश्यों की प्रतिक्रिया में सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता, चयनित कार्यक्रम के प्रसारण हेतु समन्वयन, नवोन्मेष को प्रोत्साहन देना सुनिश्चित कर सीईसी केन्द्रों के विकास से समन्वय करता है। उच्च शिक्षा में प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष की आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा विभिन्न स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों के लिए ई-कन्टेंट के विकास के लिए वर्ष 2004 में इन केन्द्रों को शैक्षणिक मल्टीमीडिया केन्द्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया।

● शैक्षिक मीडिया शोध केन्द्र (EMMRC)

शैक्षणिक पाठ्यक्रम पर गुणवत्तायुक्त कार्यक्रम तैयार करने के लिए, यूजी.सी. ने देश के विभिन्न भागों में 17 मीडिया केन्द्र स्थापित किए हैं (मानचित्र देखें)।



ये क्षेत्र, जिन्हें पूर्व में ए.वी.आर.सी./ई.एम.आर.सी. के नाम से जाना जाता था उन्हें उच्च शिक्षण में नवीन प्रौद्योगिकी प्रयोग के प्रयोजनार्थ ई-कंटेंट मैटीरियल के रूप में इंटरनेट माध्यम के जरिये डिलीवर करने के लिए तृतीयक श्रेणी पाठ्यक्रम के विकास हेतु EMMRC में तब्दील कर दिया गया है।

● वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान, प्राप्त अनुदान तथा किया गया व्यय

सीईसी में वर्ष 2008-2009 के दौरान, विभिन्न शीर्षों के तहत प्राप्त अनुदान व किये गये व्यय को नीचे दिया गया है:

शीर्ष	प्राप्त अनुदान (लाख रुपये में)	किया गया व्यय (लाख रुपये में)
गैर योजनागत	375.23	243.54
योजनागत (आवर्ती/अनावर्ती)	250.00	251.59
ई-कंटेंट	00.00	8.70
एडूसेट	00.00	53.03
सी.ई.सी. का सामान्य बजट एवं चल रहे क्रियाकलाप	00.00	52.21
विकास	00.00	105.73
पूर्वोत्तर क्षेत्र	00.00	2.89
24 घंटे का शैक्षणिक		
चैनल	50.00	29.03
योग	675.23	495.13

● लाभार्थियों की संख्या सहित लक्षित समूहों की कवरेज

> ई-कंटेंट/मल्टीमीडिया प्रशिक्षण

सी.ई.सी., शिक्षकों को मल्टीमीडिया तथा ई-कंटेंट विकास प्रबोधन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। वर्ष 2008-09 में, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरुचेरापल्ली, तमिलनाडु में 5 दिवसीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें 35 शिक्षकों, ई-कंटेंट विकास तथा स्वयं पाठ आयोजना हेतु मल्टीमीडिया के उपयोग संबंधी प्रबोधन दिया गया।

> व्यास चैनल

सीईसी 26 जनवरी से 24 घंटे का उच्च शिक्षा व्यास चैनल चलाती है। यह देश के विभिन्न भागों में 17 मीडिया केन्द्रों द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रम पर आधारित कार्यक्रम को प्रसारित करता है। प्रसारण का लक्ष्य शिक्षकों एवं महिलाओं सहित भारत के विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में परम्परागत तरीके से शिक्षा ग्रहण कर रहे स्नातक पूर्व छात्र हैं। उच्च शिक्षा व्यास चैनल मार्च, 2009 से डी.डी. प्लस पर मुफ्त चैनल के रूप में भी उपलब्ध है।

> सीईसी टेलीविजन समाचार

सीईसी प्रसारण अनुसूची को प्रसारित करने के उद्देश्य तथा साथ ही निदेशक पटल से निदेशक नीतिगत मामलों पर अपने विचारों का आदान-प्रदान करने के उद्देश्य से नियमित रूप से मासिक सीईसी टेलीविजन समाचार का प्रकाशन करता है। समाचार पत्र लोगों, संस्थाओं तथा देश के विभिन्न भागों में नीति-निर्माताओं को भेजा जाता है। ये कार्यक्रम विषयानुसार प्रतिदिन 3 से 4 विषयों पर 6 घंटे का होता है जो 24 घंटे में 3 बार दोहराया जाता है। समाचार पत्र, व्यास उच्च शिक्षा चैनल पर प्रकाशित किए जाने वाले कार्यक्रम की उपलब्धता के बारे में तथा नए कार्यक्रमों के बारे में सूचना प्रदान करता है। इस न्यूज लैटर में सी.ई.सी. एडूसेट अनुसूची, डी डी भारती के अलावा लाइब्रेरी में नवीन संस्करण के नीतिगत मामलों से संबंधित निर्देशक का दृष्टिकोण भी शामिल होता है।

> एडूसेट

यू.जी.सी. सीईसी एडूसेट नेटवर्क राष्ट्रीय प्रशासन के रूप में स्नातक पूर्व स्तर संबंधी विभिन्न विषयों पर आमंत्रित, विषय विशेषज्ञों के व्याख्यानों को उपलब्ध कराता है। विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में छात्रों व शिक्षकों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से सीईसी नियमित रूप से विभिन्न विषयों पर लेक्चरों का आयोजन करता आ रहा है।

पूर्वोत्तर राज्यों के शिक्षकों एवं क्षेत्रों के लाभ के लिए उनसे संबंधित विषयों पर विशेष लेक्चरों का सीधा प्रसारण भी सीईसी द्वारा किया जाता है।

● वर्तमान स्थिति

सम्पूर्ण देश में इंटरनेट आदि सहित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शैक्षणिक सामग्री को उपलब्ध कराने के लिए एडूसेट के विस्तार सहित प्रतीयमान (वर्चुअल) विश्वविद्यालय एवं अन्य सुविधाओं की स्थापना के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

● भावी योजना

राज्यों में नए मीडिया केन्द्र खोलने की योजना बनाई गई है जहाँ से सीईसी को प्रस्ताव प्राप्त हुए। इससे उन क्षेत्रों में संसाधन प्राप्त करने में मदद मिलेगी जिनमें मीडिया केन्द्र नहीं हैं और उन्हें यू.जी.सी.-सीईसी की राष्ट्रीय धारा से जोड़ने में मदद मिलेगी।

● विदेशी प्रतिनिधिमंडल

उच्च शिक्षा पर शैक्षणिक सामग्री से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति के उच्च शिक्षा परामर्शदाता ने सीईसी का दौरा किया। उन्होंने ई-कन्टेंट विकास के प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यक्रम तैयार करने के क्षेत्र में सहयोग के बारे में भी चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने मल्टीमीडिया प्रयोगशाला प्रसारण कक्ष, मीडिया टेप, लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं को भी देखा तथा भावी संदर्भ ग्रहण करने के लिए सूचीपत्र की प्रकाशित तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रति भी साथ ले गए।

● मीडिया पुस्तकालय

सी.ई.सी. मीडिया पुस्तकालय ने मार्च, 2008 तक सभी 17 मल्टीमीडिया अनुसंधान केन्द्रों के प्रारंभ से कुल 12,153 कार्यक्रमों को अपने संग्रह में प्राप्त किया है। अप्रैल, 2007 से मार्च, 2008 की अवधि हेतु सी.ई.सी. स्थित केन्द्रीय संग्रह ने सत्रह मल्टीमीडिया अनुसंधान केन्द्रों से 1326 कार्यक्रम प्राप्त किए। सी.ई.सी. मीडिया पुस्तकालय में मार्च, 2008 तक बेटाकॉम कैसेट्स पर विभिन्न विषयों पर उपलब्ध एलओआर/आरएलओ लगभग 627 हैं और मार्च, 2008 तक सीडी और डीवीडी पर उपलब्ध ई-विषयवस्तु सुलभ कार्यक्रम 1092 हैं। सी.ई.सी. मीडिया पुस्तकालय में स्क्रिप्ट लेखन, संपादन, विपणन और डिजिटल पुस्तकालय व सूचना सेवाएं जैसे चार विषयों में लगभग 85 ई-पाठ्यक्रम कार्यक्रम उपलब्ध हैं।

सी.ई.सी. मीडिया पुस्तकालय में चार विषयों जैसे स्क्रिप्ट लेखन, संपादन, मार्केटिंग एवं डिजिटल लाइब्रेरी तथा सूचना सेवा में है 85 ई-कोर्स कार्यक्रम उपलब्ध हैं। मार्च, 2008 तक CEC मीडिया लाइब्रेरी को 7 मल्टीमीडिया केन्द्रों द्वारा प्रदान किए गए-विषयवस्तु प्रारंभिक परियोजना संबंधी, लगभग 10 कार्यक्रम हैं।

● प्रकृति

प्रकृति 2008 को सी.ई.सी. द्वारा अक्टूबर, 2008 में पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय में 3 दिन के लिए आयोजन किया गया। इस पर्व के दौरान पर्यावरण, विकास तथा मानव अधिकारों संबंधी श्रेणी के पर्व में 32 एंट्री प्राप्त की गई/जिनमें से 14 दाखिलों को पर्व के दौरान, जांच हेतु चुना गया। इस पर्व का उद्घाटन माननीय श्री एम.ए.ए. फातमी, राज्यमंत्री, मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर 2008 को किया गया तथा जे.ए.के. तरीन, उपकुलपति, पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय द्वारा बीज वक्तव्य दिया गया। डॉ. तिलक आर. कैम, निदेशक सी.ई.सी. ने शिष्टमंडलों का स्वागत किया तथा डॉ. राजेन्द्र मिश्रा रिसर्च अनुसंधान वैज्ञानिक सी.ई.सी. तथा समन्वयक ने प्रकृति पर्व के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रो. ए. बालसुब्रह्मण्यम, निदेशक, सी. एण्ड सी आर. पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय ने धन्यवाद ज्ञापित किया। पर्व में, दिनांक 15 से 17 अक्टूबर 2008 तक पाण्डिचेरी में भारत के विभिन्न भागों से आये 250 से अधिक शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा मीडिया कर्मियों ने भाग लिया। समापन दिवस पर सभी उच्च अधिकारियों एवं प्रतिभागियों को पर्व स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया।

● राष्ट्रीय संगोष्ठी

वि.अ.आ. के दो अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों अर्थात् शैक्षिक संवाद कंसोर्टियम तथा सूचना लाइब्रेरी नेटवर्क केन्द्र (इंपिलबनेट) के बीच प्रथम सहयोग राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन दिनांक 29-30 जनवरी 2009 को जकरंदा हॉल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली में किया गया। जिसका विषय था 'ओपन एक्सेस टू टेक्सच्युअल एण्ड मल्टी मीडिया कन्टेन्ट ब्रिजिंग दी डिजिटल डिवाइड'।



“मूलपाठ एवं बहुसंचार माध्यम की प्रत्यक्ष पहुँच : उनके अंकीय विभाजक को परिपूर्ण करना।” – पर नई दिल्ली में 29–30 जनवरी, 2009 को आयोजित राष्ट्रीय गोष्ठी में उपस्थित विद्वतजन। बाएँ से दायें : प्रो० एस०के० खन्ना, अध्यक्ष, शासी निकाय, “इनपिलबनेट केन्द्र” : प्रो० सुखदेव थोरात, अध्यक्ष, यू.जी.सी. : डॉ. टी०आर० केम, निदेशक, सी.ई.सी., प्रो० सैय्यद इकबाल हसनैन, अध्यक्ष, शासी निकाय, सी.ई.सी. : डॉ० किरन कार्णिक: भूतपूर्व अध्यक्ष, “नैसकॉम” एवं डॉ० जगदीश अरोड़ा, निदेशक, इनपिलबनेट केन्द्र।

● ई-एशियन 2009 सम्मेलन

प्रोफेसर एस.आई. हसनैन, चेयरमैन, शासीबोर्ड, सीईसी एवं डॉ. तिलक आर.कैम, निदेशक, सी.ई.सी. ने 11–13 नवंबर, 2008 को आयोजित ई-एशिया 2008 में भाग लिया। सम्मेलन को मलेशिया सरकार के विज्ञान, विकास एवं मीडिया स्टडीज मलेशिया, एवं मलेशिया सरकार द्वारा क्वालालम्पुर में सहयोजित किया गया। सम्मेलन के अभिकेन्द्र में विकास आई.सी.टी.ई. गवर्नेंस, शिक्षण में आई.सी.टी. तथा ग्रामीण विकास में आई.सी.टी. आदि था।

● श्री लंका को तकनीकी परामर्श

श्री लंका के राष्ट्रपति के सलाहकार ने सी.ई.सी. का दौरा किया तथा श्री लंका में ई-लर्निंग की स्थापना हेतु राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित करने के लिए सुझाव माँगे।

5.10.3 इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर ऐस्ट्रोनॉमी एंड ऐस्ट्रोफिजिक्स (आईयूसीएए). पुणे

● ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1988 में विश्वविद्यालय क्षेत्र में ऐस्ट्रोनॉमी एंड ऐस्ट्रोफिजिक्स (ए एंड ए) में शिक्षण, अनुसंधान और विकास संबंधी क्रियाकलापों का प्रारंभ, संवर्द्धन और प्रोत्साहन में सहायता देने के लिए एक उत्कृष्ट स्वायत्तशासी केन्द्र के रूप में आईयूसीएए की स्थापना की गई थी। स्वयं अपने महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्यक्रम चलाने के अतिरिक्त आईयूसीएए से एक फील्ड स्टेशन, अनुसंधान केन्द्र के रूप में काम करने तथा भारत और पड़ोसी देशों में ऐस्ट्रोनॉमी एंड ऐस्ट्रोफिजिक्स (ए एंड ए) क्रियाकलापों के लिए सामान्य मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने की भी अपेक्षा की गई थी।

- **मूल अनुसंधान :** वर्ष 2008-2009 के दौरान, आईयूसीए के (निदेशक सहित) 17 कोर अकादमिक संकाय सदस्य, 12 पोस्ट डॉक्टोरल फैलो, 28 रिसर्च स्कालर्स (पीएचडी कर रहे छात्र), वैज्ञानिक/तकनीकी स्टाफ के 25 सदस्य और 31 कर्मचारियों का प्रशासनिक स्टाफ है। आईयूसीए के अकादमिक सदस्यों को रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान, 17 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। इसके चार सदस्य, भारतीय विज्ञान अकादमी के सदस्य हैं इसका एक सदस्य भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का सदस्य है, इसके दो सदस्यों को भटनागर पुरस्कार मिल चुका है और इसके एक सदस्य को पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। वर्ष 2008-2009 के दौरान, निर्दिष्ट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में इसके 58 अनुसंधान पेपर प्रकाशित हो चुके हैं। इसके संकाय सदस्य 20 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परियोजनाओं और 20 राष्ट्रीय वित्तपोषित परियोजनाओं में शामिल हैं।
- **एसोशिएटशिप कार्यक्रम :** आईयूसीए के पास विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के संकाय सदस्यों के लिए एक तीन वर्षीय विजिटिंग एसोशिएटशिप कार्यक्रम है इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हें आईयूसीए में आकर अनुसंधान सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है। वर्ष 2008-09 के दौरान, आईयूसीए में लगभग 60 विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के ऐसे 70 विजिटिंग एसोसिएट आए थे। जिन्होंने प्रत्येक वर्ष के दौरान, आईयूसीए में औसतन लगभग 1200 दिन व्यतीत किए। उक्त अवधि के दौरान, उन्होंने निर्दिष्ट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में लगभग 106 अनुसंधान पेपर प्रकाशित कराए।
- **आईयूसीए संदर्भ केन्द्र :** आईयूसीए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वेदशालाओं के साथ निरीक्षणात्मक ऐस्ट्रोनॉमी में विश्वविद्यालय के प्रयोक्ताओं की भी व्यवस्था करता है। आईयूसीए ने छह विश्वविद्यालयों में छह संदर्भ केन्द्रों की स्थापना की है जहां उपर्युक्त केन्द्रों के क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षाविदों को आवश्यक अनुसंधान जर्नलों, ऋण आधार पर पाठ्य-पुस्तकों इत्यादि के लिए इलेक्ट्रॉनिक पहुँच उपलब्ध कराई जाती है।
- **विद्यालय और कार्यशालाएं :** वर्ष 2008-09 के दौरान, आईयूसीए ने आईयूसीए में 13 कार्यशालाओं/स्कूलों का आयोजन किया था और आईयूसीए से बाहर 2 कार्यशालाओं/स्कूलों को प्रायोजित किया था। ए एंड ए में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के अध्यापकों के ज्ञान के उन्नयन हेतु आईयूसीए ने प्रत्येक वैकल्पिक वर्ष में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं। (अन्य) वैकल्पिक वर्ष के दौरान, आईयूसीए द्वारा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्रों को ए एंड ए से परिचित कराने के लिए ग्रीष्मकालीन स्कूल का भी आयोजन किया जाता है।
- **विश्वविद्यालयों में ऐस्ट्रोनॉमी और ऐस्ट्रोफिजिक्स का न्यूक्लियेशन :** आईयूसीए ने माड्यूलर कार्य में ए एंड ए का आदर्श पाठ्यविवरण तैयार किया है जिसे विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराया जा रहा है। अनेक विश्वविद्यालय, एम.एस.सी. स्तर पर ए एंड ए में विशेष अथवा इलेक्टिव पेपर की पेशकश कर रहे हैं। आईयूसीए की स्थापना से पूर्व, ऐसे विश्वविद्यालयों की संख्या 21 थी जो वर्तमान में 40 है। आईयूसीए संकाय के सदस्य, पुणे विश्वविद्यालय में एम.एस.सी. (भौतिकी) पाठ्यक्रम में ए एंड ए का वैकल्पिक विषय भी पढ़ा रहे हैं।
- **स्नातक विद्यालय :** आईयूसीए (सी.एस.आई.आर./यूजीसी नेट (जेआरएफ) में अर्हता प्राप्त करने के अतिरिक्त) प्रवेश परीक्षा तथा साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने के बाद नियमित आधार पर रिसर्च स्कालरों को दाखिला देता है। आईयूसीए, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो ऐस्ट्रोफिजिक्स, पुणे के सहयोग से इन रिसर्च स्कॉलरों को अनुसंधान की ओर उन्मुख करने के लिए एक वर्षीय पूर्णकालिक स्नातक विद्यालय पाठ्यक्रम भी चलाता है। वर्ष 2008-2009 के दौरान, तीन रिसर्च स्कॉलरों ने पुणे विश्वविद्यालय के आईयूसीए से पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की।
- **आईयूसीए दूरबीन :** आईयूसीए ने एक वेदशाला का निर्माण किया है और गिरवाली गाँव में एक 2 राम की ऑप्टिकल दूरबीन स्थापित की है जो कि आईयूसीए से लगभग 85 किलोमीटर दूर है। आईयूसीए के सदस्यों, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के निरीक्षकों और अन्य संस्थाओं तथा वेदशालाओं के सदस्यों द्वारा इस दूरबीन का उपयोग किया जाता है। आईयूसीए, लघु दूरबीन निर्माण में विश्वविद्यालयों की मदद करता है और उन्हें यह भी बताया जाता है कि इसे कैसे पास किया जाता है। वर्ष 2008-2009 के दौरान, नए ऐस्ट्रोनोमर्स द्वारा 6 से 8 इंच के 100 से अधिक दूरबीन पाए गए हैं। दूरबीनों के अतिरिक्त, आगंतुकों द्वारा स्वयं बनाओ स्तर पर फोटोमीटर और सीसीडी डिटेक्टर भी बनाए गए हैं। आईयूसीए ने 11 राम की दक्षिण अफ्रीका की बड़ी दूरबीन के निर्माण में भी योगदान दिया है।
- **सार्वजनिक पहुँच कार्यक्रम :** आईयूसीए ने सार्वजनिक पहुँच के लिए विशेष रणनीति भी बनाई है। आईयूसीए का एक माह में दो बार दिए जाने वाले व्याख्यान प्रदर्शन कार्यक्रम, विद्यालयों के छात्रों तथा अवर महाविद्यालयों के छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। इसके अतिरिक्त गर्मियों की छुट्टियों के दौरान, विद्यालय के लगभग 150 छात्रों के साथ आईयूसीए के सदस्य एक सप्ताह की परियोजना भी करते हैं। सार्वजनिक पहुँच कार्यक्रम को आईयूसीए के मुक्तांगन विद्या शोधिक (साइंस एक्सप्लोरटोरियम) ने एक नया आयाम दिया है। इसमें युवा छात्र खेलते हुए अपनी कल्पना को साकार करते हैं और मजे से विज्ञान की शिक्षा ग्रहण करते हैं।

➤ **परिसर में उपलब्ध सुविधाएं** : आईयूसीए परिसर में पुस्तकालय, इन्सट्रुमेंटेशन प्रयोगशाला, कंप्यूटर केन्द्र, एक आभासी वेद्यशाला, शैक्षिक और अनुसंधान नेटवर्क (अरनेट), उच्च क्षमता संगणना, रेडियो फिजिक्स प्रयोगशाला इत्यादि की सुविधाएं मौजूद हैं।

➤ **प्रकाशन**

वर्ष 2008–2009 के दौरान : संस्थान के संकाय द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में तकरीबन 42 अनुसंधान आलेखों का प्रकाशन किया गया है। साथ ही, विज्ञान संबंधी विभिन्न सम्मेलनों की 16 कार्यवाहियों को इस वर्ष के दौरान प्रकाशित किया गया है। केन्द्र संकाय ने वर्ष 2008–2009 के दौरान, तीन पुस्तकों तथा एक पुस्तक की समीक्षा का प्रकाशन किया है।

● **वर्ष 2008–2009 के दौरान आयोजित विभिन्न सम्मेलन**

- o स्कूल स्टूडेंट्स ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम (14 अप्रैल–23 मई, 2008)
- o कालेज/विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए “एस्ट्रॉनॉमी” एण्ड एस्ट्रोफिजिक्स पर इंट्रोडक्टरी ग्रीष्मकालीन स्कूल (12 मई–13 जून, 2008)
- o वैकेशन स्टूडेंट्स प्रोग्राम (12 मई–27 जून, 2008)
- o CMB एण्ड LSS सहित कॉस्मोलॉजी पर ICT-IUCAA कार्यक्रम (इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल साइंसेज़, मुम्बई एवं IUCAA द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित) (21 जुलाई–31 अगस्त, 2008)
- o IGO प्रयोक्ताओं की बैठक (22–23 जुलाई, 2008)
- o ओपन सोर्स स्टैंडर्ड्स तथा लाइब्रेरी में सॉफ्टवेयर पर कार्यशाला, न्यूजेनलिब पर स्पोर्टलाइट (17–19 नवंबर, 2008)
- o इमर्जिंग पैरलल प्रोसेसिंग प्लेटफार्म्स (PEEP-2008)
- o एस्ट्रोसेट विज्ञान तकनीक तथा यंत्र सहित एक्स-रे टाइमिंग पर कार्यशाला (13–15 अक्टूबर, 2008)
- o सॉल्ट सहित विज्ञान पर कार्यशाला (3–4 नवंबर, 2008)
- o लाइट स्कैटरिंग: एस्ट्रोफिजिक्स एवं अन्य क्षेत्रों में उसके अनुप्रयोग गुजरात आर्ट्स एण्ड साइंस कालेज, अहमदाबाद (7–8 नवंबर, 2008)
- o आई.यू.सी.ए.ए.–एन.सी.आर.ए. रेडियो एस्ट्रॉनॉमी-विंटर स्कूल (कालेज/विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए IUCAA-NCRA में आयोजित (15–23 दिसम्बर, 2008)
- o स्थापना दिवस (29 दिसंबर, 2008)
- o आई.वाई.ए. 2009 का प्रारंभ (9–10 जनवरी, 2009)
- o एस्ट्रॉनॉमी में मशीन लर्निंग मैथड्स पर कार्यशाला, Mar Athansios College फार एडवॉर्ड स्टडीज (मैकफास्ट), थिरुवल्ला (19–23 जनवरी, 2009)
- o एक्स-रे एस्ट्रॉनॉमी स्कूल (2 फरवरी–20 मार्च, 2009)
- o एस्ट्रोसेट सहित ब्रांडबैंड एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी (23–25 फरवरी, 2009)
- o राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (28 फरवरी, 2009)
- **अन्य देशों/अंतराष्ट्रीय संगठनों के साथ समझौता/सहयोग**

वृहत अंतरराष्ट्रीय ऐस्ट्रानॉमीकल सुविधाओं के साथ सहयोग और समय का बंटवारा

भारतीय वैज्ञानिकों के पास मध्यम आकार की (जैसे आईयूसीएए दूरबीन) सुविधाएं उपलब्ध हैं और इनका बहुत उपयोग किया जा रहा है। नई आईयूसीएए दूरबीन को देखने के लिए प्रयोक्ताओं की संख्या बहुत अधिक है और इसमें से लगभग आधे प्रस्ताव विश्वविद्यालयों से प्राप्त हो रहे हैं। भारत में निरीक्षणात्मक ऐस्ट्रोनॉमी में इस रुचि और वृद्धि को बरकरार रखने के लिए 10 राम की दूरबीनों जैसे बड़ी ऐस्ट्रोनॉमीकल सुविधाओं की लम्बे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही है। विभिन्न देशों के प्रमुख संस्थानों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से उक्त वृहत ऐस्ट्रोनॉमीकल सुविधाओं का निर्माण और संचालन किया जायेगा। आईयूसीएए ने अंतरराष्ट्रीय कंसोर्टियम द्वारा संचालित 11 राम की दक्षिण अफ्रीकी वृहत दूरबीन (साल्ट) पर समय के बंटवारे के लिए एक समझौता भी किया है। निरीक्षण के प्रयोजनार्थ यह सुविधा शीघ्र शुरू किए जाने की संभावना है और दूसरी पीढ़ी के उपकरणों के लिए योजना बनाने का काम पहले ही शुरू हो चुका है। आईयूसीएए, साल्ट के साथ निरीक्षण कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी करेगा और आंकड़ों के विश्लेषण और अभिलेखीय विकास के सॉफ्टवेयर के साथ-साथ अगली पीढ़ी के बैक एंड उपकरणों के डिजाइन तथा निर्माण में भी सक्रिय रूप से शामिल होने की योजना बना रहा है।

5.10.4 सूचना और ग्रंथालय नेटवर्क केन्द्र (इंपिलबनेट) अहमदाबाद (गुजरात)

● ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क इंपिलबनेट, की स्थापना मई 1996 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजी.सी.) के एक स्वतंत्र, स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केन्द्र (आईयूसी) के रूप में की गई थी। इस केन्द्र के प्रमुख कार्यकलाप और सेवाओं के अंतर्गत शैक्षणिक पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों का ऑटोमेशन, शैक्षिक पुस्तकालयों में उपलब्ध संसाधनों का केन्द्रीय डाटाबेस सृजित करना, सूचना तक पहुँच एवं उसके अंतरण को बढ़ावा देना, छात्रवृत्ति, अधिगम एवं शैक्षिक प्रयत्नों को सहयोग देना आता है। यह केन्द्र विद्वत्तापूर्ण संप्रेषण को बढ़ावा देने की दृष्टि से भारत के विश्वविद्यालयों, उच्च अध्ययन संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के पुस्तकालयों और सूचना केन्द्रों के नेटवर्किंग हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

समकालीन शिक्षा प्रणाली में प्रौद्योगिकी के एक गतिशील कारक होने के कारण, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों के शैक्षिक समुदाय के लिए दो प्रमुख कार्य शुरू किए थे। पहला कार्य है “यूजीसी-इन्फोनेट कनेक्टिविटी प्रोग्राम” जो विश्वविद्यालय परिसरों को अत्याधुनिक कैम्पस वाइड नेटवर्क एवं इंटरनेट बैंडविड्थ की नेटवर्किंग प्रदान करता है। दूसरा कार्य है ‘यूजीसी-इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम’ जो विभिन्न विषयों के चयनित विद्वत्तापूर्ण इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं एवं डाटाबेस तक पहुँच प्रदान करता है। इंपिलबनेट दोनों कार्यों के कार्यान्वयन एवं निगरानी हेतु जिम्मेदार है।

● लक्ष्य एवं विशिष्ट स्वरूप

संगम ज्ञापन (MoA) के अनुसार केन्द्र के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित हैं :

- सभी शैक्षिक संस्थानों में शैक्षिक समुदाय की विद्वत्तापूर्ण, विशिष्ट रूप से जांचे गए इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों तक त्रुटिहीन, विश्वसनीय एवं सर्वव्यापक पहुँच प्रदान करना जिसमें उन सेवाओं एवं उपकरणों, प्रक्रियाओं एवं अभ्यासों पर बल प्रदान किया जाता है जो इसके प्रभावी प्रयोग को सहयोग देते हैं और इस सूचना के मूल्य में वृद्धि करते हैं।
- मूल्यवर्धित सेवा से शैक्षिक संस्थानों में आईसीटी अवसरचर्चा का निर्माण एवं उसे मजबूती प्रदान करना। सुरक्षित एवं सुगम पहुँच (एक्सेस) प्रबंधन जो प्रयोक्ताओं को कहीं से और किसी भी समय इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में सूचना तथा लाइब्रेरी नेटवर्क तक पहुँचने में सक्षम बनाता है, के लिए उपकरणों, प्राविधि एवं प्रक्रिया का विकास करना। अध्यवसाय, नवप्रवर्तन एवं सहयोग के माध्यम से ज्ञान तक प्रभावी एवं कुशल पहुँच के मद्देनजर अद्यतन प्रौद्योगिकी को प्रभावी बनाना, शैक्षिक संस्थानों में लोगों एवं संसाधनों के बीच सम विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, यूजी.सी. सूचना केन्द्रों, राष्ट्र के महत्वपूर्ण संस्थानों तथा अनुसंधान एवं विकास संस्थानों आदि में कार्य की पुनरावृत्ति से बचते हुए वास्तविक नेटवर्क बनाना।

● वैज्ञानिक और तकनीकी क्रियाकलाप

केन्द्र में विद्यमान जो वैज्ञानिक एवं तकनीकी मानवशक्ति उपलब्ध है उन सबको अनेक कार्यकारी वर्गों में समूहित कर दिया जाता है जो कि केन्द्र के कार्यकलाप संबंधी आवश्यकताओं पर आधारित होता है। जो प्रमुख शोध एवं विकास एवं मानव संसाधन विकास गतिविधियाँ हैं उनको उस आवश्यक सूचना के आधार पर एकत्र किया जाता है जो कि शैक्षिक समुदाय से जुड़ी हुई है जिसके अंतर्गत छात्र संकाय एवं शोधकर्ता सम्मिलित हैं। केन्द्र द्वारा रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, विभिन्न कार्यकारी वर्गों द्वारा जो प्रमुख वैज्ञानिक एवं तकनीकी गतिविधियाँ हाथ में ली गई हैं उनका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है।

● डाटाबेस प्रबंधन तथा अनुसंधान एवं विकास समूह

अपनी स्थापना से ही यह केन्द्र डाटा प्रबंधन संबंधी कार्यों में लगा हुआ है तथा भारतीय विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में उपलब्ध पुस्तकालय संसाधनों की केन्द्रीय सूची बनाने का कार्य शुरू कर दिया था। इन डाटाबेसों में पुस्तकों, क्रमिक पुस्तकों की ग्रन्थ सूची होती है और ये भागीदार विश्वविद्यालयों में उपलब्ध सभी विषयों से होते हैं। इन डाटाबेसों का संग्रहण 120 भागीदार विश्वविद्यालयों से विभिन्न प्रपत्रों में प्राप्त ग्रन्थ सूची रिकार्ड एकत्र करके किया जाता है जिनका एकल केन्द्रीकृत डाटाबेस में विलयन कर दिया जाता है और प्रत्येक रिकॉर्ड में मेजबान विश्वविद्यालयों की सूचना होती है। प्रमुख डाटाबेस और रिकॉर्ड की संख्या तालिका एक में नीचे दी गई है :

डाटाबेस का नाम	रिकॉर्ड की संख्या
पुस्तकें	1,10,67,087
शोध प्रबंध	2,20,206
चालू क्रमिक जनरल	22,471
क्रमिक पुस्तकें (होल्टिंग्स)	50,164

इन्डकैट इंटरफेस, इन्डकैट के रिकार्ड्स को मार्क 21 प्रारूप में डाउनलोड करने की उपलब्धता प्रदान करता है। इन्डकैट से डाउनलोड किए गए रिकार्ड्स को सोल SOUL सॉफ्टवेयर या MARC 21 आरूप के समरूप किसी अन्य लाइब्रेरी प्रबंधन सॉफ्टवेयर में आयात किया जा सकता है।

● सॉफ्टवेयर विकास एवं अनुसंधान समूह

सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज अर्थात सोल की नई व्याख्या एस.ओ.यू.एल. 2.0 के रूप में प्रो. सुखदेव थोराट, चेयरमैन, यूजी.सी. द्वारा सी.ई.सी., नई दिल्ली तथा इंपिलबनेट केन्द्र, अहमदाबाद द्वारा संयुक्त रूप से की गई। “ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड” टैक्सचुअल एण्ड मल्टीमीडिया कंटेंट तक मुक्त पहुँच पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी, के प्रारंभिक सत्र के दौरान, 29 जनवरी 2009 को, इंडिया हैबिटेड सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित की गई। सोल 2.0 के अंतर्गत एक नई पीढ़ी स्टै सहित नवीनतम विशेषताएँ तथा प्रकार्य हैं जिसमें यूनिकोड आधारित बहुभाषीय सहायता R F I D हेतु अनुवर्ती NCIP 2.0 अनुवर्ती अन्तर्राष्ट्रीय मानक जैसे : MARC 21, MARCXML, ISO.2709 आदि, ई-जर्नल्स एवं ई-बुक्स की सूची निर्माण हेतु सहायता, आलेख अनुक्रम, स्टॉक सुनिश्चितता तथा बाह्य स्रोतों से MARC 21 रिकार्ड्स का आयात आदि।

केन्द्र ने, अभी हाल ही में, देश भर में सोल प्रयोक्ताओं को बिक्री उपरांत रखरखाव सहायता उपलब्ध कराने हेतु भिन्न-भिन्न प्रांतों में छः सोल समन्वयक तथा 17 तकनीकी सहायक नियुक्त किए हैं।

● नेटवर्क तथा गुणवत्ता नियंत्रण समूह : यूजी.सी. इंफोनेट कनेक्टिविटी प्रोग्राम

यूजी.सी. इंफोनेट, यूजी.सी. अधिनियम, 1956 की धारा 12 बी के तहत विश्वविद्यालयों को इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराता है। अब तक कुल 157 विश्वविद्यालयों को 512 के.बी.पी.एस. रेंज से 2 mbps के इंटरनेट बैंडविड्थ प्रदान किये जा चुके हैं। उस स्कीम के तहत इंटरनेट कनेक्टिविटी प्राप्त सभी विश्वविद्यालयों को तथा यूजी.सी.-इंफोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम के तहत 5000 इलेक्ट्रॉनिक्स जर्नल्स एवं ग्रंथसूची डाटाबेस तक विभेदक पहुँच प्रदान की गई है।

● वैब सेवाएँ, विकास एवं अनुसंधान समूह

वैब सेवा, विकास एवं अनुसंधान समूह ने सोल सॉफ्टवेयर, यूनियन डाटाबेस, (Ind cat), यूजी.सी. इंफोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, यूजी.सी.-इंफोनेट कनेक्टिविटी प्रोग्राम आदि सभी विशेष क्रियाकलापों एवं सेवाओं हेतु मुक्त बेबसाइट्स का विकास किया है। ये सभी वैबसाइट्स RSS फीड सक्षम हैं। वैब 2.0 विशेषताओं एवं क्रियाओं, जैसे इंपिलबनेट टूल बार, ब्लॉग, विकी, वीडियो गैलरी, इवेंट कैलेंडर आदि का भी केन्द्र द्वारा कार्यान्वयन किया गया है। केन्द्र अपनी वैबसाइट का हिंदी रूपांतरण भी उपलब्ध कराता है।

● ई-रिसोर्स प्रबंधन वर्ग : यूजीसी.-इन्फोनेट डिजिटल ग्रंथालय कन्सोर्टियम

यह कन्सोर्टियम 5000 से भी अधिक वर्तमान के एवं ऐतिहासिक दस्तावेजों तथा समकक्ष पत्रिकाओं और विभिन्न संकायों में 23 प्रकाशकों एवं एग्रीगेटर्स के नौ सन्दर्भ पुस्तक डाटाबेस तक पहुँच प्रदान करता है। यह कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया था। यूजीसी के दायरे में आये 171 में से 157 विश्वविद्यालयों में ई-संसाधनों तक पहुँच प्रदान की गई। ई-संसाधनों, लाभार्थी विश्वविद्यालयों, लाइसेंस एग्रीमेंट संसाधनों पर कक्षाएं, डाउनलोड तथा जर्नल्स के लिए शोध इन्टरफेस जो कि सदस्यों के लिए उपलब्ध हैं उन्हें इंपिलबनेट वेबसाइट द्वारा <http://www.Inflibnet.ac.in/econ/> पर पहुँचा जा सकता है। ई-संसाधनों में कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान तथा सांख्यिकी आदि सहित लगभग सभी विषय शामिल हैं। इस कार्यक्रम का पूर्णतः वित्तपोषण यूजीसी तथा क्रियान्वयन इंपिलबनेट केन्द्र द्वारा किया जा रहा है। ई-संसाधनों के क्रय का लाभ प्रारंभ में उत्कृष्टता की क्षमता वाले महाविद्यालयों (सीपीआई) तथा स्वायत्तशासी महाविद्यालयों को भी प्रदान किया जायेगा। इस कन्सोर्टियम की योजना अपना "सहायक सदस्यता कार्यक्रम" शुरू करने की भी है जिसमें चयनित ई-संसाधनों के लिए निजी विश्वविद्यालयों एवं अन्य अनुसंधान संगठनों को साथ लिया जाएगा। रिपोर्टधीन वर्ष में एक नया संसाधन नामतः "JCCC@INFLIBNET" जिसने प्रतिभागी विश्वविद्यालयों के बीच अन्तरपुस्तकालय समन्वयन को सुकर बनाया तथा वृहत रूप में जिसका उपयोग किया जा रहा है। मार्च 2008 में कार्यक्रम के प्रारंभ से, 2066 ILL से अधिक आवेदनों को हाथ में लिया और विकसित किया।

ई-संसाधनों पर विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिए 17 प्रयोक्ता जागरूकता कार्यक्रम रिपोर्टधीन वर्ष के तहत छात्रों, अनुसंधानकर्ताओं तथा संकाय सदस्यों के लाभ के लिए आयोजित किए गए। इन जागरूकता कार्यक्रमों का लाभ कुल 3,365 प्रतिभागियों ने उठाया।

● मानव संसाधन विकास एवं परामर्श समूह

मानव संसाधन विकास समूह स्वचालित ग्रंथालय में अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा ग्रंथालयों में नवीन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों को प्रयोग में लाने की जानकारी प्रदान करता है। केन्द्र के दो नियमित कार्यकलाप केलिबर तथा प्लैनर के नाम से हैं जिसका समन्वयन इस समूह प्रादेशिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा सोल के द्वारा किया जाता है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम, केन्द्र द्वारा संचालित सर्वाधिक प्रचलित प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं। पांच दिवसीय सोल नवोन्मेषी प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत ग्रंथालयों में सॉफ्टवेयर पर विभिन्न संस्थानों के 126 लाइब्रेरी तथा कंप्यूटर साइंस पेशेवरों को प्रशिक्षित किया गया। रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान, सोल सॉफ्टवेयर की 219 प्रतियाँ बेची गयीं।

नवीन सूचना प्रौद्योगिकी के संवर्धन तथा ग्रंथालयों में इसके प्रयोग के प्रत्युत्तर में, केन्द्र ने लाइब्रेरी एवं सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों हेतु दिनांक 8-12 दिसंबर 2008 को लिनक्स एण्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर इंपिलबनेट सेंटर, अहमदाबाद में एक विशेष 5 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। केन्द्र के 10 तकनीकी स्टाफ सहित, इस कार्यक्रम में कुल 23 पेशेवरों ने भाग लिया। एक राष्ट्रीय कार्यशाला "डेवेलपिंग डिजिटल लाइब्रेरी यूजिंग GNU EPrints" पर दिनांक 16-20 सितम्बर 2008 को महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कोर्टायम (केरल) के सहयोग से आयोजित की गई। इस कार्यशाला में विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के कुल 30 सहभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

● सभाएं

➤ प्लैनर (PLANNER) 2008, नागालैंड वि.वि., दीमापुर, 6-7 नवंबर, 2008

छठा प्लैनर सम्मेलन, दिनांक 6-7 नवंबर, 2008 को सीतम दीमापुर, नागालैंड में नागालैंड विश्वविद्यालय के सहयोग से केन्द्र द्वारा आयोजित किया गया। सम्मेलन का मूल विषय 'ओपन एक्सेस, ओपन सोर्स एण्ड ओपन लाइब्रेरीज (03) था। इस सम्मेलन में बंगलादेश के चार प्रतिनिधियों सहित 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में जिन श्रोताओं को लक्षित किया गया उनमें लाइब्रेरी, सूचना तथा कंप्यूटर पेशेवर थे जिसमें विक्रेता, प्रकाशक तथा विशेष रूप से देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के समूह भी सम्मिलित थे। सम्मेलन के दौरान, चलने वाली कार्यवाहियों में 44 पत्रों का प्रकाशन हुआ तथा 20 पत्र प्रस्तुत किए गए।

➤ ओपन एक्सेस टू टेक्स्टुअल एण्ड मल्टीमीडिया कंटेंट पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, दिनांक 29–30 जनवरी, 2009, नई दिल्ली

यह संगोष्ठी ओपन एक्सेस टू टेक्स्टुअल एण्ड मल्टीमीडिया संबंधी नवीनतम विषयों पर केन्द्रित थी तथा इसमें यू.जी.सी. के दो अंतर्विश्वविद्यालयी केन्द्रों इंफिलबनेट केन्द्र अहमदाबाद तथा कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन, नई दिल्ली के मध्य परस्पर सहयोग की संभावनाओं की खोज की गई। यह कार्यक्रम दिनांक 29–30 जनवरी 2009 को इंडिया हैबिटेड सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस संगोष्ठी का उद्घाटन प्रो. यशपाल, नेशनल रिसर्च प्रोफेसर तथा पूर्व चेयरमैन यू.जी.सी. ने किया तथा इसकी अध्यक्षता प्रो. एस. के. थोराट, चेयरमैन यू.जी.सी. ने की। प्रो. किरन कानिक इस संगोष्ठी की मुख्य प्रवक्ता थी। इस संगोष्ठी में 170 व्यक्तियों ने भाग लिया जिसमें पंजीकृत सहभागी, सी.ई.सी. एवं इंफिलबनेट के प्रतिनिधि तथा सूचना विज्ञान के विद्यार्थी शामिल थे।

इस संगोष्ठी में “डिजिटल डिवाइड: रोल ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी” पर एक नामावली परिचर्चा, छः तकनीकी सत्र तथा तीन समानांतर कार्यकारी समूहों की बैठकें सम्मिलित थीं। प्रत्येक तकनीकी सत्र में संगोष्ठी के मूल विषयों पर सुविख्यात पेशेवरों की प्रस्तुतियाँ आमंत्रित की गईं।

➤ अंतर्राष्ट्रीय कैलिबर 2009

7वां अंतर्राष्ट्रीय CALIBER 2009 का आयोजन 25–27 फरवरी 2009 को “ई-कंटेंट मैनेजमेंट : चैलेंजेस एण्ड स्ट्रेटेजीज़” पर पांडिचेरी विश्वविद्यालय में आनंदरंगा पिल्लै, मेमोरियल लाइब्रेरी, विश्वविद्यालय के सहयोग से किया गया। सम्मेलन के मूल उद्देश्य को भिन्न-भिन्न उप मूल विषयों में विभाजित किया गया, जैसे ई कंटेंट मैनेजमेंट, ई-रिसोर्स, वेब 2.0, लाइब्रेरी 2.0, लाइब्रेरियों में सूचना एवं संचार, प्रौद्योगिकी के विषय समूह तथा उनका अनुप्रयोग। सम्मेलन के अंतर्गत 275 पंजीकृत प्रतिनिधि थे जिनमें 36 शिक्षार्थी, 20 प्रमुख प्रकाशक, समूह तथा सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां तथा 7 विदेशी प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे। तीन पूर्व-सम्मेलन व्याख्यानों का प्रतिनिधियों के लाभ हेतु आयोजन किया गया। कुल 70 प्रतिनिधियों ने व्याख्यानों में भाग लिया। सम्मेलन की कार्यवाहियाँ, प्रो. गुलशन राय द्वारा प्रारंभ की गईं जिसमें 70 पत्रों, 3 मूल विषयक पत्रों तथा 110 अमूर्त पत्रों को लेखकों तथा आमंत्रित वक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया।

● प्रकाशन

इंफिलबनेट केन्द्र के प्रमुख 2 प्रकाशन यथा तिमाही न्यूजलैटर तथा वार्षिक रिपोर्ट हैं। दोनों प्रकाशनों का पूर्व में केवल मुद्रित रूपांतर उपलब्ध था। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, न्यूजलैटर तथा वार्षिक रिपोर्ट के सभी संस्करणों को डिजिटल तथा वेबसाइट <http://www.inflibnet.ac.in/publication/> उपलब्ध कराया गया है। न्यूजलैटर तथा वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ पी डी एफ फॉर्मेट में डाउनलोड की जा सकती हैं। वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ, PLANNER तथा CALIBER कार्यवाहियाँ भी पी डी एफ फॉर्मेट में इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी (IR) के ज़रिये उपलब्ध हैं। विभिन्न प्रशिक्षण के पाठ्यक्रमों की विषयवस्तु तथा कार्यशाला, व्याख्यान नोट, प्रस्तुतीकरण तथा समाचार पत्र कतरनें भी <http://dspace.inflibnet.ac.in> के IR केन्द्र पर उपलब्ध हैं। रिपोजिटरी में एक्सेस हेतु 549 पूर्ण-पाठ्य आलेख उपलब्ध हैं।

रिपोर्टाधीन वर्ष के तहत, सम्मेलनों में इन्फिलबनेट केन्द्र ने 3 सम्मेलन कार्यवाहियाँ, 12 आलेख तथा केन्द्र के वैज्ञानिकों द्वारा सहसमीक्षित जर्नल्स प्रकाशित किए।

● विश्वविद्यालयों तथा अन्य अनुसंधान संस्थानों के साथ अकादमिक अन्योन्यक्रिया

गुजरात तथा पड़ौसी राज्यों के इंजीनियरिंग कालेज में BE तथा MCA के 14 छात्रों ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, इन्फिलबनेट केन्द्र पर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। यद्यपि, केन्द्र को गुजरात एवं उसके पड़ौसी राज्यों के इंजीनियरिंग कालेजों से बड़ी संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे लेकिन केन्द्र ने सीमित संख्या में छात्र प्रशिक्षुओं का चयन किया। ये सुविधाएँ इग्नू के लाइब्रेरी साइंस के छात्रों के अलावा गुजरात, अहमदाबाद, विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए भी उपलब्ध हैं जो कि केन्द्र में उपलब्ध ई-रिसोर्स का प्रयोग कर सकते हैं।

● रिपोर्टिंग वर्ष हेतु बजट-आबंटन तथा निष्पादन बजट

क्र.सं.	बजट शीर्ष/स्कीम	राशि आबंटित की गई	पिछले वर्ष से लिया गया शेष	कुल राशि	व्यय की गई राशि
			(लाख रु.में)		
1.	गैर योजनागत (अनुस्मरण)	230.00	55.99	285.99	226.83
2.	योजनागत (केन्द्र योजना अनुदान)	300.00	19.21	319.21	55.38
3.	यूजीसी-इन्फोनेट योजना (योजनागत शीर्ष के तहत)	1000.00	978.08	1978.08	1727.00
4.	अनुसंधान डिजिटल रिपोजिटरी (ई-सदस्यता स्कीम योजनागत शीर्ष के तहत)	4700.00	2176.01	6876.01	6868.40
5.	पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास (योजनागत शीर्ष के तहत विशेष अनुदान)	-	271.18	271.18	6.09
	कुल योग	6230.00	3500.47	9730.47	8883.70

5.10.5 अंतर्विश्वविद्यालयी ऐक्सीलरेटर केन्द्र (IUAC), नई दिल्ली

● ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अंतर्विश्वविद्यालयी ऐक्सीलरेटर केन्द्रों की स्थापना वर्ष 1984 में एक स्वायत्त संस्थान के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परिदृश्य के अंतर्गत की गई। इसको कार्यान्वित करने हेतु संसद द्वारा यूजीसी अधिनियम में आवश्यक तब्दीली की गई। इसको स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे अनुसंधानकर्ताओं के लाभ के लिए केन्द्रीय रूप से सुविधाएं उपलब्ध करना है ताकि मानव संसाधन विकास हो सके। अंतर्विश्वविद्यालय ऐक्सीलरेटर केन्द्र, वि.अ.आ. द्वारा स्थापित किया जाने वाला पहला केन्द्र है। IUAC की दोहरी भूमिका है अर्थात् विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय पर्याप्त आधारीक संरचना, प्रायोगिक सुविधाओं सहित उपलब्ध कराना ताकि अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्पर्धात्मक अनुसंधान कार्यों में विशेषज्ञता हासिल कर सके। प्रारंभ में ही इस बात पर जोर दिया गया कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कहीं भी अन्यत्र विद्यमान व्यक्तियों की सामूहिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा सके तथा केन्द्र पर होने वाली गतिविधियों में भाग लिया जा सके।

● उद्देश्य एवं विशेषताएं

केन्द्र का उद्देश्य, विभिन्न विषयों में कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ऐक्सीलरेटर आधारित अनुसंधान हेतु विश्वस्तरीय सुविधाएं, विश्वविद्यालय प्रणाली के अंतर्गत प्रदान करना है, जैसे – न्यूक्लियर भौतिकी, पदार्थ विज्ञान, परमाणु भौतिकी, रेडिएशन जैव विज्ञान।

बजट आबंटन तथा निष्पादन बजट

शीर्ष	यूजीसी प्राप्त अनुदान (लाख रुपये में) 2008-09	व्यय 2008-09 (लाख रुपये में)
गैर योजनागत	1435	1371
योजनागत	1295.02	1400.26

● लक्षित समूह का क्षेत्र

लक्षित समूह के अंतर्गत पी.एच.डी. छात्र, विश्वविद्यालय के संकाय तथा देश के विश्वविद्यालय आते हैं। वर्तमान में, IUAC की सुविधाएं प्राप्त करने वाले 81 विश्वविद्यालयों, 52 कॉलेजों तथा 58 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के लगभग 387 प्रयोक्ता हैं।

● सम्मेलन तथा अन्य महत्वपूर्ण आयोजन

वर्ष भर के दौरान, केन्द्र में विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में 25 साप्ताहिक संगोष्ठियां, अनुसंधान पर 3 कार्यशालाएं आयोजित की गईं। केन्द्र में क्रियोजोनिक्स, वैक्युम एवं निम्न ताप मापदण्डों पर एक इंडो-यू.एस. स्कूल का, इंडो-यू.एस. फोरम की सहायता से संचालन किया गया। एक डीएसटी प्रायोजित एसईआरसी स्कूल "एक्सप्लोरिंग सिमिट्रीज इन न्यूक्लियर यूजिंग द नेशनल एक्सीलरेटर फेसिलिटीज" न्यूक्लियर फिजिक्स पर अनुसंधान स्कालरों हेतु 3 सप्ताह की अवधि के लिए संचालित किया गया। इस आईयूसीएसी केन्द्र पर अक्टूबर, 2008 को विशेष रूप से आयोजित एक्सीलरेटर के क्षेत्रों को विश्वभर के विशेषज्ञों ने TESLA प्रौद्योगिकी सहयोग बैठक में भाग लिया। नेनो संरचना पर एक इंडो-फ्रेंच सम्मेलन का आयोजन इंडो-फ्रेंच केन्द्र के सहयोग से फरवरी, 2009 को आयन बीम द्वारा भुवनेश्वर में किया गया।

IUAC में किए गए कार्यों के बारे में विद्यार्थियों एवं संकाय सदस्यों की जागरूकता बढ़ाने के लिए सहयोगी कार्यक्रमों का आयोजन सिल्वर, जलगांव, पांडिचेरी तथा राउरकेला में हुआ।

● अन्य देशों/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समझौते

वर्तमान वर्ष में, IUAC ने अन्य भारतीय प्रयोगशालाओं सहित एक्सीलरेटर्स पर एक सहयोगी कार्ययोजना हेतु यू.एस. विश्वविद्यालय एवं प्रयोगशालाओं के एक समूह के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एक और समझौता ज्ञापन पर लीनियर एक्सीलरेटर सहयोगी कार्य पर TRIUMF लेबोरेटरी, कनाडा के साथ हस्ताक्षर किए।

● प्रकाशनों की सूची

IUAC में किए गए कार्यों के परिणामस्वरूप जर्नल्स में 119, न्यूक्लियर भौतिकी में 20, पदार्थ विज्ञान, रेडिएशन जैव एवं परमाणु भौतिकी के क्षेत्र में 99 प्रकाशन हुए।

● कोई अन्य विवरण

प्रयोगशाला शिक्षण पर द फिनिक्स (फिजिक्स विद होममेड इक्विपमेंट एण्ड इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स) कार्यक्रम तीव्र प्रगति पर है। इस वर्ष के दौरान, विकसित नवीन फिनिक्स उपस्करों ने फिनिक्स हेतु एक "एनॉलॉग कंपेनियन" को शामिल किया है। संचार में उपयोग की जाने वाली मॉड्यूलेशन तकनीकों के अध्ययन तथा उत्तम गुणवत्ता वाले एम्प्लीफायर्स तथा रेग्युलेटेड पावर आउटपुट उपयोगी हैं। गामा गणन हेतु गैरमूलर काउंटर एक्सेसेरी तथा अल्फा रेडिएशन के एनर्जी स्पैक्ट्रम को मापने हेतु पल्स प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि व्यावसायिक रूप से भी उपलब्ध करायी गई है।

5.10.6 राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रमाणन परिषद् (एनएएसी), बंगलुरु (कर्नाटक)

● ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में, उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अप्रत्याशित गुणात्मक वृद्धि हुई है। शिक्षा प्रदाताओं के कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम प्रदान करने की विधि और निधियन प्रक्रिया भिन्न है। वस्तुतः संपूर्ण विश्व में इस समय शिक्षा की स्थिति अस्थिर है। ऐसी परिस्थितियों में मानकों और गुणवत्ता में विचलन स्वाभाविक है। संपूर्ण देश में महाविद्यालयों की बेतहाशा वृद्धि के संदर्भ में शिक्षा में मानकों की स्थापना की आवश्यकता के कारण ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई, 1986) और प्रोग्राम ऑफ एक्शन (च्व।, 1992) ने ऐसे तंत्र की स्थापना के लिए बल दिया है जो संस्थानों में स्व-मूल्यांकन तथा बाह्य एजेन्सी द्वारा मूल्यांकन और प्रमाणन को भी प्रोत्साहित करे। हमारी शैक्षिक प्रणाली के लाभों को मजबूत करने और गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने के संदर्भ में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रमाणन परिषद् (एनएएसी) की स्थापना एक ऐतिहासिक कदम है। एनएएसी की स्थापना 1994 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

के स्वायत्त संस्थान के रूप में, देश में उच्च शिक्षा के संस्थानों के मूल्यांकन और प्रमाणन के मूल उद्देश्य के साथ की गई थी। एनएएसी, बंगलुरु में स्थित है। संपूर्ण विश्व के देशों में, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की तलाश एक मुख्य उद्देश्य बनकर उभरी है। उच्च शिक्षण में गुणवत्ता की आवश्यकता को पूरा करने के उपायों में, उच्च शिक्षा अनुरक्षण और मानकों में सुधार के लिए बाह्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाली एजेन्सियों (ईक्यूए) की स्थापना करना है और ऐसी एजेन्सियों की विश्व के अनेक देशों में स्थापना की गई है। यह अंगीकृत किए जाने वाली एक नई अवधारणा है जो संभवतः एक दशक ही पुरानी है। कुछ विकासशील देशों के अतिरिक्त 16 सितम्बर, 1994 को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रमाणन परिषद (एनएएसी) की स्थापना कर, भारत, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता हेतु अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गया है। इसके प्रभाव का एक सूचक यह है कि आज महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में चर्चा हेतु चयनित विषयों के लिए सामान्यतः प्रयुक्त शब्दावली में "गुणवत्ता", "एनएएसी प्रमाणन", "आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी)" है।

उद्देश्य और मुख्य विशेषताएँ

एनएएसी का उद्देश्य, उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों या इसकी एक या अधिक इकाइयों अर्थात् विभाग, स्कूल, संस्थान कार्यक्रम इत्यादि का मूल्यांकन एवं प्रमाणन करना है।

मूल्यांकन और प्रमाणन के मुख्य उद्देश्य हैं:—उच्च शिक्षा से जुड़े ग्रेड युक्त संस्थान और उनके कार्यक्रम; इन संस्थानों में शैक्षणिक वातावरण एवं अध्यापन एवं शोध की गुणवत्ता को मजबूत करना; ऐसे संस्थानों को अपने शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहयोग देना; उपरोक्त प्रयोजन हेतु कार्यरत संस्थानों के सभी संदर्भों में आवश्यक परिवर्तन, नवाचारों और सुधारों को बढ़ावा देना।

उच्च शिक्षा में नवाचारों, स्व-मूल्यांकन और प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करना।

अपने घोषणा पत्र में दिये गए संकल्पों को पूरा करने के लिए एनएएसी(नैक) निम्न गतिविधियाँ करेगा:

- o मूल्यांकन की तकनीकों और रीतियों के आलोक में प्राप्त अनुभवों की आवधिक समीक्षा और संशोधन और इसे अद्यतन करना,
- o संबंधित संस्थान के लिए मूल्यांकन और ग्रेडिंग के परिणामों को सुधारात्मक कार्यवाही, सुधार और स्व-सुधार के लिए सही ढंग और उपयुक्त प्रकार में सूचित करना,
- o संस्थानों को अपनी प्रक्रियाएं, तकनीकें और स्व-मूल्यांकन हेतु रीतियां विकसित करने के लिए सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करना,
- o शैक्षिक संस्थानों, कार्यक्रमों इत्यादि की आयोजना और मूल्यांकन में अनुसंधान अध्ययनों को प्रवृत्त करना,
- o उच्च शिक्षा के संस्थानों के पहचान किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करना और संसाधनों के अधिकतम प्रयोग को सुनिश्चित करना,
- o एनएएसी (NAAC), समान प्रकृति का कार्य कर रहे भारतीय और विदेशी संस्थानों के साथ संयोजन कर सकती है और निवेदन प्राप्त होने पर विदेशों में उच्च शिक्षा के संस्थानों का मूल्यांकन और प्रमाणन कर सकती है।

एनएएसी, अपनी सामान्य परिषद् (जीसी) और कार्यकारी परिषद् (ईसी) के माध्यम से कार्य करती है जिसमें उच्च शिक्षा तंत्र के विभिन्न समुदायों के शैक्षणिक प्रशासक, नीति निर्माता और वरिष्ठ शिक्षाविद् सम्मिलित होते हैं। यूजीसी का अध्यक्ष ही एनएएसी की महापरिषद् का अध्यक्ष होता है और कार्यकारी परिषद् का अध्यक्ष प्रसिद्ध प्रशासनिक अध्यक्ष होता है और वही जीसी व ईसी दोनों का सदस्य सचिव भी होता है। एनएएसी के कोर स्टाफ को अपने विभिन्न कार्यों को करने में परामर्शदाताओं द्वारा मदद दी जाती है।

● रिपोर्टिंग वर्ष (1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009) हेतु बजट आबंटन और निष्पादन बजट

यूजीसी से 5.65 करोड़ रुपये की प्राप्ति, तथा 7.55 करोड़ रुपये व्यय हुए, कमी को अपनी रिजर्व निधि से पूरा किया गया।

● **लक्षित समूहों के लाभार्थियों (विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अध्यापकों, विद्यार्थियों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति इत्यादि) का समाहन**

भारत में, एनएएसी के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं। इन संस्थानों के मूल्यांकन और प्रमाणन हेतु लक्षित समूह हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान, 306 महाविद्यालय और 26 विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन और प्रमाणन किया गया।

1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 2008, 2 दिसम्बर, 2008 तथा 5 फरवरी, 2009 को आयोजित की गई संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/परिचर्चाओं/सम्मेलनों के संचालन हेतु वित्तीय सहायता प्रदाता समिति गठित की गई तथा नैक निधि की मांग करने वाले उच्च शिक्षा प्रमाणन संस्थान (HEIs) से प्राप्त किए गए प्रस्तावों की जांच की गई। समिति की सिफारिशों के आधार पर प्राप्त हुए 93 पात्र प्रस्तावों में से नैक ने 84 विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों को वित्तीय सहायता की मंजूरी प्रदान की है।

एक दो दिवसीय अन्त्योन्त्यक्रिया मूल्यांकन बैठक दिनांक 16-17 अप्रैल, 2008, 22-23 सितम्बर, 2008, 23-24 अक्टूबर, 2008 तथा 21-22 नवम्बर, 2008 को नैक परिसर में हुई जिसमें चिकित्सा तथा अभियांत्रिकी के विषयों सहित मूल्यांकनकर्ताओं के लिए मूल्यांकन एवं प्रमाणन की नवीन पद्धति के बारे में आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करायी गईं। तकरीबन, 147 मूल्यांकनकर्ताओं (सेवानिवृत्त तथा पदस्थ-उपकुलपतियों, निदेशकों, डीन, प्राध्यापकों, प्राचार्यों तथा वरिष्ठ शिक्षकों) ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

● **वर्तमान स्थिति, कार्यक्रम से संबद्ध महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय एवं परिवर्तन**

एनएएसी की संस्थानों के मूल्यांकन और प्रमाणन की नई विधि को, इसकी पूर्व विधि की कुछ समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से तैयार किया गया है और इसकी विश्वसनीयता और प्रतिबद्धता को बढ़ाने के लिए किया गया है। इसके अतिरिक्त, अंतर-दल विचलनों में पर्याप्त कटौती के उद्देश्य की परिकल्पना की गई है। नई विधि, जो कि प्रयोक्ता सुलभ है, से यह भी आशा है कि यह एनएएसी को अधिक संख्या में संस्थानों के प्रभावी मूल्यांकन में सहयोग देगी। एनएएसी, संस्थानों के मूलस्वरूप में अंतरों की पहचान करती है। तदनुसार, निजी मापदण्ड और मुख्य पहलुओं को विभेदक मान दिया जाता है। तीन प्रकार के संस्थानों हेतु मापदण्ड-वार विभेदक मान नीचे तालिका में दिए गए हैं :

	मापदण्ड	विश्वविद्यालय	स्वायत्त	संबद्ध/संघटक महाविद्यालय
I.	पाठ्यक्रम पहलू	150	100	50
II.	शिक्षण-ज्ञानवर्धन और मूल्यांकन	250	350	450
III.	अनुसंधान, परामर्शी और विस्तार	200	150	100
IV.	आधारभूत अवसंरचना और शिक्षा प्राप्ति संसाधन	100	100	100
V.	विद्यार्थी सहायता और प्रगति	100	100	100
VI.	प्रशासन और नेतृत्व	100	150	150
VII.	नवाचारी प्रक्रियाएं	50	50	50
	कुल योग	1000	1000	1000

● **विकास कार्य योजना के अनुसरण को इंगित करती भावी योजना**

आयोजना हेतु तर्कपूर्ण कार्यवाही की आवश्यकता है और यह व्यक्तिगत, संस्थान सहित राष्ट्रों के संदर्भ में भी सही है। इसके प्रचालन के पिछले 15 वर्षों के आधार पर और पणधारियों की भावी उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए, एनएएसी ने 1 अप्रैल, 2007 से 11वीं योजना हेतु अपनी कार्ययोजना विकसित और प्रवृत्त की है। एनएएसी की संदर्शी योजना की मुख्य विशेषताएं, इन वर्षों के दौरान, एनएएसी के विस्तृत और विविध अनुभव का ही परिणाम है।

11वीं योजना के दौरान, एनएएसी मुख्यतः निम्नांकित कार्यकलापों पर ध्यान केन्द्रित करेगी:

नवीन मूल्यांकन और प्रमाणन उपायों का विकास करना, देश के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों का चरणबद्ध तरीके से निर्धारित किया जाना, उच्च शिक्षा संस्थानों में आंतरिक गुणवत्ता को प्रोन्नत करना, उच्च शिक्षा संस्थानों में सर्वोत्कृष्ट शिक्षा का प्रसार, प्रशिक्षित गुणवत्ता सुनिश्चित कर लेने में व्यवसायिक तौर से निपुण व्यक्तियों के वर्ग को विकसित करना, गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक शोध को आंतरिक तौर से प्रोन्नत करना तथा नैक की क्षमता का विनिर्माण करना है।

31 मार्च, 2009 तक, एनएएसी ने 148 विश्वविद्यालय स्तरीय संस्थानों और 3859 कॉलेजों का मूल्यांकन किया है। एनएएसी ने विश्व की किसी भी गुणवत्ता मूल्यांकन एजेन्सी की तुलना में सर्वाधिक संस्थानों को समाहित करने की उपलब्धि प्राप्त की है। पणधारियों द्वारा यह निरंतर महसूस किया जा रहा है कि एनएएसी मूल्यांकन गुणवत्ता सुधार में विशेष योगदान देता है। इसके बावजूद, अभी भी बड़ी संख्या में देश के संस्थानों का मूल्यांकन और प्रमाणन किया जाना शेष है। ऐसी आशा है कि संबद्ध/संघटक कॉलेजों के दो चरणीय मूल्यांकन द्वारा और राष्ट्रीय एजेन्सियों और राज्य उच्च शिक्षा विभागों के सहयोग से 11वीं योजना अवधि के दौरान, देश के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन किया जा सकेगा।

एनएएसी उच्च शिक्षा संस्थानों में सतत गुणवत्ता संवर्धन को बढ़ावा देने की परिकल्पना, आंतरिक और बाह्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाली पद्धतियों के संयोजन से करता है। इसका पुरजोर मानना है कि अंततः गुणवत्ता सुनिश्चयन के प्रभावी गुणवत्ता तंत्र में अकेले ही किसी भी संस्थान की गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठों के कार्यकरण हेतु विस्तृत दिशानिर्देश और कार्य बिन्दु तैयार किए हैं। अब तक प्रमाणन प्राप्त 50 प्रतिशत से अधिक संस्थानों ने आईक्यूएसी की स्थापना कर ली है।

नैक, उत्तम अभ्यासों पर संस्करणों के प्रकाशनों को लगातार जारी रखेगा।

मूल्यांकनकर्ता, नैक राजदूत होते हैं। नैक ने, 2500 से अधिक मूल्यांकनकर्ताओं को प्रशिक्षित किया है और यह प्रक्रिया जारी रहेगी।

प्रो० सुखदेव थोराट, चेयरमैन, यूजीसी तथा अध्यक्ष, सामान्य परिषद्, नैक तथा प्रो० गोवर्धन मेहता, चेयरमैन (ईसी) नैक, ने नैक की प्रगति तथा इसकी गतिविधियों हेतु अपनी दृष्टि एवं नेतृत्व के जरिये सही मार्गदर्शन किया है। नैक के पूरे स्टाफ ने भी बहुमूल्य योगदान दिया है और निरन्तर देता रहेगा।

● आयोजित सम्मेलन, विदेशी प्रतिनिधिमण्डलों के दौरे और अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां, यदि कोई हो

- o 24 अप्रैल, 2008 को बंगलुरु में नैक (एनएएसी) के सहायक स्टाफ के लाभ हेतु सीजीपीए के नवीन सिद्धांतों एवं गणना तथा मूल्यांकन एवं प्रमाणन पर नवीन सिद्धांत संबंधी मुद्दे पर संक्षेपण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- o 30-31 मई, 2008 को, "उच्च शिक्षा में गुणवत्ता संवृद्धि: रणनीतियाँ एवं नवाचार" पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन गुणवत्ता सुनिश्चितता प्रकोष्ठ, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, आइज़ोल, मिजोरम द्वारा किया गया।
- o 16 जुलाई, 2008 बुधवार को, नैक (एनएएसी) ने उत्तराखण्ड के सरकारी एवं निजी डिग्री/स्नातकोत्तर कॉलेजों के प्राचार्यों तथा नैक के समन्वयकों के लिए एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी, नैनीताल में प्रायोजित किया। राज्यभर के 23 संस्थानों से 32 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया।
- o 2-3 अगस्त, 2008 को "उच्च शिक्षा पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव" पर नैक द्वारा प्रायोजित दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन जगरलामुडी कुप्पुस्वामी चौधरी, (स्वायत्त) कालेज, गुंटूर, आंध्र प्रदेश में हुआ।
- o 26-27 अगस्त, 2008 को, एक जागरूकता कार्यशाला, नैक तथा गुणवत्ता सुनिश्चितता प्रकोष्ठ (क्यूएसी), उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी कॉलेजों तथा राज्यों के अनुदान प्राप्त कॉलेजों के प्राचार्यों हेतु क्रमशः आयोजित की गई। उच्च शिक्षा आयुक्त के कार्यालय, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों सहित लगभग 400 प्राचार्यों ने इसमें भाग लिया।

- o 08 सितम्बर, 2008 को, एनएएसी कार्यालय में एनसीटीई अधिकारियों की बैठक हुई जिसका उद्देश्य अब तक की प्रगति तथा एमओयू (MOU) को आगे बढ़ाने के अंतिम निर्णय लेने से पूर्व उसकी समीक्षा करना था। परिणामस्वरूप, एनएएसी तथा एनसीटीई ने, दिनांक 3 नवम्बर, 2008 को एमओयू पर हस्ताक्षर किए जो कि आगामी 3 वर्षों की अवधि तक वैध माना जाएगा।
- o दिनांक 12-13 सितम्बर, 2008 को, लखीमपुर गल्स कालेज, लखीमपुर (उत्तरी), असम में एक एनएएसी द्वारा प्रायोजित "सामाजिक कार्यों द्वारा सर्वोत्तम कार्य संवृद्धि" पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई।
- o 27-28 सितम्बर, 2008 को, एनएएसी द्वारा प्रायोजित "सहायता प्राप्त प्रमाणन शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता संवृद्धि" पर दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन लाल बहादुर शास्त्री कालेज, वारंगल, आंध्र प्रदेश में हुआ। प्रो० एन० लिंगामूर्ति, उपकुलपति, काकतिया विश्वविद्यालय, इसके मुख्य अतिथि थे। प्रो० वी०एस० प्रसाद, पूर्व निदेशक, एनएएसी ने मूल वक्तव्य दिया तथा अन्य कई प्रतिनिधियों, अध्यापकों तथा स्थानीय संस्थानों के छात्रों ने इस प्रारंभिक सत्र में भाग लिया।
- o 03 अक्टूबर, 2008 को, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (RGUHS), बंगलुरु ने कर्नाटक के संबद्ध डेंटल कालेजों के साथ एक अन्योन्याक्रिया बैठक आयोजित की तथा डेंटल कालेजों हेतु NAAC के मूल्यांकन एवं प्रमाणन प्रक्रिया का प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए NAAC से अनुरोध किया।
- o 3-14 अक्टूबर, 2008 को, "उच्च शिक्षा में गुणवत्ता शिक्षा संवृद्धि" पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का गवर्नमेंट साइंस कालेज, सारहा, मिज़ोरम में संचालन किया गया।
- o 20-22 अक्टूबर, 2008 के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेपाल में एक तीन दिवसीय कार्यशाला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आयोग ने दूसरी उच्च शिक्षा परियोजना के तहत देश में गुणवत्ता सुनिश्चयन एवं मूल्यांकन (QAA) कार्यक्रम प्रारंभ किया जिसमें NAAC ने अपने विशेषज्ञ भेजे।
- o 04 नवम्बर, 2008 को, NAAC में एक अन्योन्याक्रियायुक्त कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें गुणवत्ता सुनिश्चितता अभिकरण (QAA) यू०के० के प्रतिनिधि डा० स्टीफन, समीक्षा समूह के निदेशक QAA, सुश्री केरोलिन कैम्पबेल, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अध्यक्ष, QAA, तथा सुश्री जेन हॉल्ट, सहायक निदेशक, QAA सम्मिलित थे, ने भारत तथा यू०के० में HEIs में अनुभव तथा गुणवत्ता संवृद्धि का संज्ञान प्राप्त करने हेतु नैक का दौरा किया।
- o 6-7 नवम्बर, 2008 को, NAAC द्वारा प्रायोजित, एक 'दो दिवसीय' संगोष्ठी "गुणवत्ता सुनिश्चयन हेतु डिग्री कॉलेजों में नवोन्मेषी कार्यकलाप" पर श्री विजय महंते, कला, वाणिज्य तथा विज्ञान कालेज IIKAL, बंगलकोट, कर्नाटक में आयोजित हुई।
- o 25-26 नवंबर, 2008 को, फिक्की उच्च शिक्षा सम्मेलन, शीर्षक "हायर एजुकेशन एट द क्रॉसरोड्स; इंपैरेक्ट्स फॉर पॉलिसी एण्ड प्रैक्टिस" फिक्की, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा फंडेशन हाउस, नई दिल्ली, भारत में संयुक्त रूप से आयोजित की गई। इसका उद्घाटन श्री मांटेक सिंह अहलुवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग भारत सरकार ने किया। NAAC के निदेशक अतिथि वक्ता थे। NAAC Staff ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।
- o 18-19 दिसंबर, 2008 को NAAC द्वारा संबद्ध प्रणाली सुधार पर यूजीसी विशेषज्ञ समिति की बैठक बुलाई गई। इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता प्रो० एस. वी. त्यागराजन ने की जिसमें पणधारियों के सभी वर्गों से शिक्षाविद् शामिल थे उन्होंने दक्षिणी जोन के विभिन्न विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों से अन्योन्याक्रिया की। इस विमर्श में NAAC के वरिष्ठ स्टाफ सहित आंध्र प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष तथा केरल के प्रतिपक्षों ने भाग लिया। यूजीसी विशेषज्ञ समिति में प्रो० रणवीर सिंह, प्रो० के०पी०एस० उन्नी, डॉ० आर० पी० गंगुरदे, प्रो० बी० डी० बुद्धिराजा, प्रो० शोरोसिमोहन डैन, प्रो० पी० टी० अब्राहम, डॉ० पी० दुरैसामी, प्रो० सुधांशु भूषण, डॉ० के० एन० पनिकर, प्रो० एन० एस० गजभैये तथा प्रो० एम० जेड खान ने संबद्ध प्रणाली सुधार संबंधी मुद्दों के विमर्श में भाग लिया।
- o 2 जनवरी, 2009 को NAAC ने अपने अकादमिक स्टाफ को संबोधित करने हेतु, प्रो० बिसालियाह, पूर्वउपकुलपति, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलुरु को आमंत्रित किया। प्रो० बिसालियाह ने "उच्च शिक्षा में अनुसंधान : मुख्य क्षेत्र" पर एक व्याख्यान दिया।
- o 22 जनवरी, 2009 को NAAC कार्यालय में आयुक्त/निदेशकों तथा राज्य गुणवत्ता सुनिश्चितता प्रकोष्ठ (SQACs) के प्रमुखों हेतु तीसरी, एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया।

- o 08 मार्च, 2009 को, NAAC बंगलुरु में (NAAC) प्रमाणन प्रमाणपत्र अवार्ड समारोह आयोजित हुआ जिसमें प्रो0 सुखदेव थोराट ने भाग लिया तथा प्रमाणन संस्थानों को प्रमाणपत्र वितरित किए।

● अन्य देशों/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समझौते/सहभागिताएं

नैक-एन.सी.टी.ई. के मध्य समझौता ज्ञापन (MOU) का नवीनीकरण

नैक तथा एनसीटीई ने वर्ष 2002 में, देश की शिक्षक शिक्षण प्रणाली में गुणवत्ता सुनिश्चयन तथा गुणवत्ता को दृष्टिगत करते हुए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अनुवर्तन में शिक्षक शिक्षण संस्थानों हेतु एक राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति गठित की गई जिसका कार्य गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी हेतु तथा सम्प्रेषण हेतु तंत्र प्रणाली तथा स्कीमों पर सुझाव देना तथा मूल्यांकन तथा प्रमाणन से संबंधित मुद्दों पर आवधिक प्रतिपुष्टि प्रदान करना था। इस समझौता ज्ञापन (MOU) की अवधि, वर्ष 2005 में अन्य 3 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई तथा राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति का भी पुनर्गठन किया गया। 8 सितंबर, 2008 को, अब तक की गई प्रगति तथा MOU की अवधि को आगे बढ़ाने का निर्णय लेने से पूर्व इसकी समीक्षा हेतु एक बैठक बुलाई गई। 7 अक्टूबर, 2008 को NAAC-NCTE, के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

नैक ने, आस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी क्वालिटी एजेंसी (ए.यू.क्यू.ए) के साथ एक सहकारिता ज्ञापन (MOU) तय किया है जो कि गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी हेतु कार्यकलापों तथा शेयरिंग कार्यक्रमों को सुकर बनायेगा। डॉ० एम० एस० श्यामसुंदर ने नैक तथा ए.यू.क्यू.ए के मध्य सहकारिता ज्ञापन हस्ताक्षर करने में समन्वयन किया।

एशिया पसिफिक क्वालिटी नेटवर्क (APQN) के संस्थापक सदस्य के रूप में नैक, नेटवर्क में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है जिसने नेटवर्क के अन्य QAAs के साथ विभिन्न कार्यशालाओं/सम्मेलनों में रिसोर्स व्यक्तियों/भागीदारों के रूप में परस्पर लाभ, भागीदारी के आदान-प्रदान के जरिये नैक स्टाफ के व्यावसायिक विकास को सुकर बनाया है।

नैक ने COL के साथ 5 नवंबर, 2004 को एक अन्य समझौता ज्ञापन किया है तथा उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चयन संबंधी विभिन्न गतिविधियों पर सहयोग प्रदान करने हेतु सहमति प्रदान की है। यह अनुबंध 5 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा। डॉ० अब्दुर्रहमान कामनवेल्थ ऑफ लर्निंग (COL) ने विशेष रूप से COL-NAAC अनुबंध तथा सामान्य रूप से COL-NAAC सहयोग की समीक्षा करने के लिए नैक के अधिकारियों तथा निदेशक की बैठक बुलाने के लिए 25 मार्च, 2009 को नैक का दौरा किया, ताकि 2009-2012 की अवधि में नये सहयोग हेतु नवीन क्षेत्रों की पहचान की जा सके तथा अनुबंध में शामिल किया जा सके।

● प्रकाशनों की सूची

एनएएसी ने शिक्षा तंत्र के विभिन्न वर्गों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में दस्तावेज प्रकाशित किए हैं। एनएएसी द्वारा प्रकाशित साहित्य सरल और प्रयोक्ता-सुलभ है। सभी नैक प्रकाशन नैक की वेबसाइट www.naacindia.org पर उपलब्ध है।

● नीति प्रयोजनों हेतु महत्वपूर्ण समितियों की संरचना

महापरिषद् (जीसी)

कार्यकारी परिषद् (ईसी)

वित्त समिति (एफसी)

शैक्षणिक सलाहकारी समिति (एएसी)

अपील समिति (एसी)

● आयोग/नैक के महत्वपूर्ण निर्णय/संकल्प

आयोग/एनएएसी के महत्वपूर्ण निर्णय/संकल्प एनएएसी द्वारा मूल्यांकन एवं प्रमाणन (ए एण्ड ए) हेतु आवेदन करने वाले संस्थानों हेतु पात्रता मापदण्ड

- o यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2 (एफ) और 12 (बी) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त या धारा 3 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय, जिन्होंने स्थापना के पांच वर्ष पूरे कर लिए हों या न्यूनतम 2 बैचों ने अपने स्नातक कार्यक्रम पूर्ण

कर लिए हों, जो भी पहले हो, (जिन्हें मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों के रूप में संदर्भित किया जाता है) पात्र हैं। विश्वविद्यालयों के मूल्यांकन एवं प्रमाणन के प्रयोजनों हेतु इनके स्कूलों, विभागों, केन्द्रों और एककों को संघटक माना जाएगा।

- o यूजीसी अधिनियम धारा 3 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालय पात्र है, भले ही स्थापना वर्ष कोई भी हो।
- o किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज/संस्थान/स्वायत्त कॉलेज और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों (जैसा कि ऊपर परिभाषित है) के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले संघटक कॉलेज जिन्होंने स्थापना के पांच वर्ष पूरे कर लिए हों या न्यूनतम दो बैचों ने अपने स्नातक कार्यक्रम पूर्ण कर लिए हों, जो भी पहले हो (क्रमशः मान्यताप्राप्त कॉलेज, मान्यताप्राप्त स्वायत्त कॉलेज और मान्यताप्राप्त संघटक कॉलेजों के रूप में संदर्भित) पात्र हैं।
- o व्यावसायिक विनियामक परिषदों के क्षेत्राधिकार में आने वाले संस्थान पात्र हैं, यदि वे संबंधित परिषद् द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त हों।
- o किसी अन्य संस्थान/एकक (क्रॉस बार्डर और अंतर्राष्ट्रीय भारतीय/विदेशी संस्थान/को भी एनएएसी द्वारा मूल्यांकन और प्रमाणन के लिए लिया जा सकता है, यदि यूजीसी और/या मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निदेशित किया जाए।

● कोई अन्य सामग्री जो केन्द्र रिपोर्ट में सम्मिलित करना चाहता है

- o प्रो० सिद्द नायर, क्वालिटी एडवाइजर (गुणवत्ता सलाहकार) मोनाश विश्वविद्यालय, आस्ट्रेलिया ने दिनांक 9 जून, 2008 को NAAC का दौरा किया जिसका उद्देश्य गुणवत्ता संवर्धन संबंधी प्रक्रियाओं के व्यावहारिक अनुभव को बांटना था।
- o प्रो० रमेश नारंग, एसोसिएट प्रोफेसर, इंडियाना पुरुडु विश्वविद्यालय, यूएसए तथा ABET के सदस्य ने, दिनांक 22 जुलाई, 2008 को NAAC का दौरा किया तथा NAAC के अकादमिक स्टाफ के साथ अन्योन्यक्रिया सत्र रखा।
- o एक ब्रिटिश प्रतिनिधिमण्डल QAA, UK ने दिनांक 04 नवंबर, 2008 को NAAC का दौरा किया तथा NAAC के स्टाफ के साथ अन्योन्यक्रिया की।
- o सुश्री जेनी ब्लैक, प्रमाणन, IET, UK (पूर्व में तकनीकी शिक्षा सहायता हेतु स्थापित किया गया, एक सदी से अधिक समय तक विद्यमान संस्थान) ने दिनांक 8 नवंबर, 2008 को NAAC का दौरा किया तथा यू0के0 के अनुभवों तथा उत्तम कार्यों का संज्ञान प्राप्त किया।
- o प्रो० ऊमा कुमारस्वामी, दूरस्थ शिक्षा आधुनिकीकरण परियोजना (DEMP), कार्यक्रम प्रमाणन विश्लेषक, श्रीलंका ने COL-NAAC की सहयोगी परियोजना हेतु दिनांक 16 जनवरी, 2009 को श्रीलंका का दौरा किया।
- o प्रो० एंड्रीया होप, एसोसिएट अकादमिक उपाध्यक्ष, हॉगकॉंग, शयूयेन विश्वविद्यालय, हॉगकॉंग ने COL-NAAC की सहयोगी परियोजना हेतु दिनांक 16 जनवरी, 2009 को NAAC का दौरा किया।
- o यूएसए के एक प्रतिनिधिमण्डल ने, जिसमें एसोसिएट प्रोवोस्ट, उपप्रोवोस्ट, उपाध्यक्ष, सहयोगी कार्यक्रमों के निदेशक, डीन, निदेशक, शिक्षा समन्वयक आदि यूएसए विश्वविद्यालय से सम्मिलित थे, NAAC के निदेशक एवं अकादमिक स्टाफ से अन्योन्यक्रिया करने हेतु दिनांक 23 मार्च, 2009 को NAAC का दौरा किया।
- o ताइवान से छः सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल जिसमें ताइवान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष, सीईओ तथा परियोजना विशेषज्ञ ने 26 मार्च, 2009 को NAAC के अकादमिक स्टाफ के साथ अन्योन्यक्रिया करने हेतु NAAC का दौरा किया, जो अब ताइवान की उच्च शिक्षा मूल्यांकन एवं प्रमाणन परिषद, ताइवान (HEEACT) के नाम से जाना जाता है।

5.11 नवाचारी कार्यक्रम : उभरते एवं सम्बद्ध विषयों में शिक्षण एवं अनुसंधान

कार्यक्रम का उद्देश्य, भारतीय विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में विभिन्न क्षेत्रों और शैक्षिक, राष्ट्रीय और वैश्विक कार्यकलापों में शिक्षण, अनुसंधान, शैक्षणिक उत्कृष्टता, समाजिक का विकास और संगत कार्यकलापों को प्रभावित करने के लिए बेहतरीन सुझावों और नवाचारी प्रस्तावों को सम्मिलित करना और स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों सहित स्नातक होने के उपरांत, दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा और स्नातकोत्तर होने के उपरांत, एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा विशिष्ट पाठ्यक्रमों को अंतर विषय और उभरते क्षेत्रों में सहायता प्रदान करना है।

आयोग द्वारा नए उभरते क्षेत्रों में पाठ्यक्रमों सहित नवाचारी कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार स्टाफ सहित आवर्ती एवं गैरआवर्ती मदों (अनुमोदित होने पर) पांच वर्षीय अधिकतम अवधि हेतु (वास्तविक आधार पर) के लिए वित्तीय सीमा 60 लाख रुपये है।

यूजीसी दिशानिर्देशों के आधार पर, विश्वविद्यालय से नए प्रस्ताव आमंत्रित करती है। प्रस्तावों की विषय विशेषज्ञ समितियों/समूहों द्वारा छंटनी की जाती है। इसके उपरांत यूजीसी द्वारा गठित संबंधित विषय विशेषज्ञ समिति के समक्ष छंटनी किए गए विश्वविद्यालयों/विभागों के विभागीय प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति के उपरांत अंतिम चयन किया जाता है। संबंधित विषय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को यूजीसी द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

उभरते हुए नए क्षेत्रों सहित नवाचारी कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वीकृत विभागों की निगरानी/मूल्यांकन और प्रगति, निष्पादन, उपलब्धियों की समीक्षा निम्नांकित समितियों द्वारा की जाती है:-

1. विभागीय समिति
2. मध्यावधि निगरानी/समीक्षा समिति
3. अंतिम समीक्षा समिति.

वर्ष 2008-09 के दौरान, आबंटन, वास्तविक प्रदत्त एवं वित्तीय लक्ष्यों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	योजना का नाम एवं शीर्ष	आबंटन (योजनागत)	वास्तविक लक्ष्य प्राप्ति	वित्तीय लक्ष्य प्राप्ति	11वीं योजना भावी कार्य योजना	
					वास्तविक	वित्तीय
1.	3.12 शीर्ष नवाचारी कार्यक्रम अंतःविषयी और उदीयमान क्षेत्रों में शिक्षण तथा अनुसंधान	5.34 करोड़ रु०	177 विभाग	5.35 करोड़ रु०	300 करोड़ रु०	75.00 करोड़ रु०

वर्ष 2002 में, कार्यक्रम के कार्यान्वयन से लेकर अब तक 369 विभागों की सहायता की गई है।

5.12 राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र

अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने चुने हुए विश्वविद्यालयों में चार राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र भी स्थापित किए हुए हैं जिनकी नियमित रूप से सहायता भी की जाती है। ये केन्द्र निम्नलिखित हैं :

● वेस्टर्न रीजनल इंस्ट्रुमेंटेशन सेंटर (डब्ल्यू.आर.आई.सी.), मुम्बई

यह केन्द्र, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मुम्बई विश्वविद्यालय के अधीन सन् 1978 में इस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया था कि यूनिवर्सिटी साईंस इंस्ट्रुमेंटेशन सेंटर (यू.एस.आई.सी.) के स्टाफ और एडवांस अध्ययन कार्यक्रमों जैसे विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और उद्योगों इत्यादि के अध्यापकों, अनुसंधान कार्यकर्ताओं को उपकरणों के प्रयोग और रखरखाव का प्रशिक्षण दिया जा सके। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए शत-प्रतिशत धनराशि, योजना दर योजना के आधार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी जा रही है। 1981 से (यू.एस.आई.सी.) शासी परिषद् के साथ पंजीकृत सोसायटी के रूप में कार्य कर रहा है। मुम्बई विश्वविद्यालय के उपकुलपति इसके पदेन अध्यक्ष हैं।

● एम.एस.टी. रडार अनुप्रयोग, एस.वी. विश्वविद्यालय, तिरुपति

मध्य पर्यावरणीय गति विज्ञान में अग्रिम अनुसंधान के लिए रडार सुविधा की संभावना के बारे में वैज्ञानिक जागरूकता सृजित करने और एमएसटी रडार सुविधा का प्रयोग करने के लिए बुद्धिमान और युवा अनुसंधानकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए एमएसटी रडार अनुप्रयोगों के लिए यूजीसी-एसवीयू सेंटर, भारत में भौतिक विभाग, श्री वेंकटेश्वर

विश्वविद्यालय, तिरुपति में स्थापना की गई थी। यूजीसी-एसवीयू सेंटर, भारत में विश्वविद्यालय प्रणाली के लिए वैज्ञानिक जानकारी के आदान-प्रदान हेतु साझे प्लेटफार्म के रूप में काम करता है और यह केन्द्र पर्यावरणीय विज्ञानों के क्षेत्र में एमएसटी रडार एवं लिडार से संबंधित अध्ययनों के संदर्भ में भारतीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत विज्ञानियों और अनुसंधानकर्ताओं के लिए सुगम्य है।

केन्द्र, प्रयोक्ता विज्ञानियों को प्रयोगों को तैयार करने और ऑफलाइन डाटा प्रोसेसिंग सुविधाओं से सहायता देता रहा है। राष्ट्रीय पर्यावरणीय अनुसंधान प्रयोगशाला (एनएआरएल), जिसे पहले एमएसटी रडार फ़ैसिलिटी कहा जाता था, में कई विश्वविद्यालयों के अध्यापकों और अनुसंधान विद्वानों को प्रयोग करने के लिए रीप्रिंट उपलब्ध कराया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और एस.वी. विश्वविद्यालय के करारनामे के अनुसार, यहां एक प्रोजेक्ट सलाहकार समिति होगी, जो अपना कार्य एमएसटी रडार की वैज्ञानिक सलाहकार समिति के मार्गदर्शन में करेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केन्द्र के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अवसंरचना सुविधाएं एवं आगन्तुक कार्यक्रम हेतु अनुदान प्रदान करता आ रहा है।

● अंतर्विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान केन्द्र (IUCHSS), भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला

अंतर्विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान केन्द्र की स्थापना भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएस), शिमला तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) तथा संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के साथ ही जनवरी 1991 में हुई थी। अपने स्थापना के 43 वर्षों से भी अधिक समय में छात्रवृत्ति की दुनिया में अनुसंधान अनुभव एवं विद्वतापूर्ण चिंतन मनन में संस्थान ने अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है। यह 30 से 35 विद्वानों का एक निवासी समुदाय है जिनमें से प्रत्येक अपने स्वयं के अनुसंधान में जुटा है परन्तु वहीं वे समुदाय के अकादमिक जीवन में सक्रियतापूर्वक भाग लेते हैं। संपूर्ण देश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों एसोसिएशन ऑफ इंटरयूनिवर्सिटी सेंटर से इस समुदाय में लोगों को भर्ती किया जाता है तथा प्रायः बिना किसी अपवाद के वे अपने इस अल्प ठहराव को अत्यंत प्रेरक पाते हैं। केन्द्र के अकादमिक कार्यक्रम के तीन मूलभूत घटक हैं (1) एसोसिएटशिप की स्कीम (2) देश के विभिन्न भागों में अनुसंधान संगोष्ठीयों का आयोजन करना, और (3) शिमला संस्थान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर अध्ययन सप्ताह आयोजित करना। वर्ष 2007-08 के दौरान, योजना के लिए 35.00 लाख रुपये का आबंटन किया गया था तथा 33.95 लाख रुपये जारी किए गए थे।

● क्रिस्टल संवर्द्धन केन्द्र, अन्ना विश्वविद्यालय, चैन्नई

केन्द्र की स्थापना 1982 में, अन्ना विश्वविद्यालय क्रिस्टल संवर्द्धन एवं अभिलक्षणन के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए की गई थी :

- (क) प्रौद्योगिकी तथा औद्योगिक महत्व के क्रिस्टल संवर्द्धन एवं अभिलक्षणन की सुविधाएं विकसित करना।
- (ख) जरूरतमंद उद्योगों तथा प्रयोगशाला अनुसंधान के बीच अंतर कम करना।
- (ग) अनुसंधान के लिए भारत के विभिन्न संस्थानों को विशेष क्रिस्टल की आवश्यकता पूरी करना।

वर्ष 2008-09 के दौरान उक्त 4 केन्द्रों के लिए बजट आवंटन और जारी किए गए योजनागत अनुदान।

क्र.सं.	राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र	बजट आवंटन	प्रदत्त अनुदान (रु. लाख में)
1.	डब्ल्यूआरआईसी, मुम्बई	213.31	213.31
2.	एमएसटी रडार केन्द्र, तिरुपति	44.34	0.00
3.	आईयूसीएचएसएस, आईआईएस, शिमला	17.50	17.50
4.	क्रिस्टल विकास केन्द्र, चैन्नई	24.85	24.85
	कुल	300.00	255.66

● राष्ट्रीय सुविधा केन्द्रों की मुख्य गतिविधियाँ : 2008-09

5.12.1 अंतर्विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान केन्द्र (IUCHSS), भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला (हि.प्र.)

● ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अंतर्विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान केन्द्र की स्थापना, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएस), शिमला तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) तथा संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के साथ ही जनवरी 1991 में हुई थी। अपने स्थापना के 43 वर्षों से भी अधिक समय में छात्रवृत्ति की दुनिया में अनुसंधान अनुभव एवं विद्वत्तापूर्ण चिंतन मनन में अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है। इसमें 30 से 35 विद्वानों का एक निवासी समुदाय है जिनमें से प्रत्येक अपने स्वयं के अनुसंधान में जुटा है परन्तु वहीं वे समुदाय के अकादमिक जीवन में सक्रियतापूर्वक भाग लेते हैं। संपूर्ण देश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों एसोसिएशन ऑफ इंटरयूनिवर्सिटी सेंटर से इस समुदाय में विद्वानों को भर्ती किया जाता है तथा प्रायः बिना किसी अपवाद के वे अपने इस अल्प ठहराव को अत्यंत प्रेरक पाते हैं।

● उद्देश्य

केन्द्र के अकादमिक कार्यक्रम के तीन मूलभूत घटक हैं (1) एसोसिएटशिप की स्कीम (2) देश के विभिन्न भागों में अनुसंधान संगोष्ठियों का आयोजन करना, और (3) शिमला संस्थान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर अध्ययन सप्ताह आयोजित करना।

● एसोसिएटशिप

वर्ष 2008-09 के दौरान, समस्त भारत से आए 81 विश्वविद्यालय तथा कॉलेज शिक्षकों ने संस्थान में एक माह के एसोसिएटशिप का लाभ उठाया। अब तक जो भी एसोसिएट संस्थान में आए, उन्होंने दौरा करने हेतु अवसर प्रदान करने के लिए अपनी रिपोर्टों में संस्थान की भूरी-भूरी प्रशंसा की है। उनमें से अधिकांश इस बात से सहमत हैं कि संपूर्ण देश में इससे बेहतर ग्रंथागार सुविधा हो ही नहीं सकती है तथा संस्थान की अकादमिक गतिविधियों में भाग लेना उनके लिए विशेष महत्व रखता है। इससे, जब वे अपने विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में जाएंगे तो वे अपने आपको बहुत भाग्यशाली समझेंगे। एसोसिएट ने इस अवधि का उपयोग (क) अध्ययन को पूरा करने में किया जिससे वे पिछले कुछ समय से जुड़े हैं (ख) वाचस्पति शोध की समीक्षा करने (ग) संस्थान के ग्रंथागार में अध्ययन करने और (घ) संस्थान के फेलो तथा भारत, साथ ही विदेशों से आए विशिष्ट फेलों के साथ बातचीत करने में बिताया। साथ ही एसोसिएटों ने संस्थान में नियमित रूप से होने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों में भी भाग लिया।

● संगोष्ठी, सम्मेलन, परिसंवाद एवं गोल-मेज़

1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 की अवधि के दौरान निम्नलिखित संगोष्ठियाँ आयोजित की गईं।

o रिप्रेजेंटिंग डाइवर्सिटी : विचार एवं संस्थान' पर 3-4 अप्रैल, 2008 को संगोष्ठी

इस संगोष्ठी का आयोजन राजनीतिक अध्ययन केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के सहयोग से जेएनयू में 3-4 अप्रैल, 2008 को किया गया। प्रो० वेलेरियन रोडरिज ने श्रोताओं का अभिनन्दन किया। प्रो० पीटर रोनाल्ड डिसूज़ा, ने उद्बोधन भाषण दिया। प्रो० गुरप्रीत महाजन, संगोष्ठी के संयोजक ने परिचयात्मक सम्बोधन भाषण दिया।

o "रेकगनाइजिंग हिमालयन डाइवर्सिटी" पर 19-20 अप्रैल, 2008 को संगोष्ठी

"रेकगनाइजिंग हिमालयन डाइवर्सिटी" पर एक संगोष्ठी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला के सहयोग से 10-20 अप्रैल, 2008 को प्यौ में आयोजित की गई। प्रो० पीटर रोनाल्ड डीसूज़ा, निदेशक प्यौ, ने उद्बोधन भाषण दिया। प्रो० चेतन सिंह संगोष्ठी के संयोजक थे।

o "दी ओरल एज़ रिसोर्स" पर ऑटम स्कूल, 01-14 नवंबर, 2008

इस संगोष्ठी का आयोजन 01-14 नवंबर, 2008 के दौरान, IIAS में किया गया। स्वागत भाषण एवं ऑटम स्कूल का परिचय, प्रो० सतीश सी० एकान्त, ऑटम स्कूल के संयोजक, प्रो० पीटर रोनाल्ड डीसूज़ा, निदेशक, IIAS ने निदेशकीय भाषण दिया तथा श्री गुलज़ार द्वारा उद्बोधन भाषण दिया गया।

● आई.यू.सी. एसोसिएट द्वारा साप्ताहिक परिसंवाद

आई.यू.सी. एसोसिएट द्वारा साप्ताहिक परिसंवाद का नियमित रूप से आयोजन करना, संस्थान का एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। संस्थान के मेलों के अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य एवं अन्य विद्वानों ने संस्थान के इन परिसंवादों में भाग लिया। 1 अप्रैल, 2008 से 30 नवंबर, 2008 के दौरान, आई.यू.सी. के 80 एसोसिएट ने आई.आई.एस. में अपने अनुसंधान कार्य के आधार पर परिसंवाद में योगदान दिया।

● आई.यू.सी. जर्नल

मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान में अध्ययन खण्ड XIII सं. 1, खण्ड XIII सं. 2 विषय पर आई.यू.सी. के दो अंक वर्ष 2008-09 के दौरान, प्रकाशनाधीन हैं।

● प्राधिकारी

इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज के निदेशक, केन्द्र के भी निदेशक हैं। उन्होंने, दिसम्बर 2007 में कार्यभार संभाला। केन्द्र की एक अकादमिक समिति है जिसके अध्यक्ष निदेशक हैं जो अकादमिक मामलों पर इसे परामर्श देते हैं। समिति में, देश के विभिन्न भागों से अकादमिक हस्तियां शामिल हैं जो विभिन्न विषयों का परामर्श देते हैं। समिति की बैठक, वर्ष में एक बार होती है। केन्द्र का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय, प्रतिनिधित्व करता है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष इसके सभापति होते हैं तथा आई.आई.एस. के निदेशक इसके उपसभापति होते हैं।

● लेखा

वर्ष 2008-09 के दौरान, वि.अ.आ. द्वारा 14.02 लाख रुपये का अनुदान जारी किया गया था तथा 01.04.2007 की स्थिति के अनुसार संस्थान के अग्रशेष में 18.40 लाख रुपये शेष थे।

5.12.2 क्रिस्टल विकास केन्द्र : अन्ना विश्वविद्यालय, चैन्नई

● केन्द्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

क्रिस्टल विकास तथा लक्षण-वर्णन के क्षेत्र में अनुसंधान रुचि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1982 में अन्ना विश्वविद्यालय द्वारा क्रिस्टल विकास केन्द्र की स्थापना की गई थी। सुविख्यात एवं मेहनतकश संकाय एवं अनुसंधानकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी तथा योगदान के चलते केन्द्र को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1990 में क्रिस्टल विकास के लिए सीजीसी : यूजीसी-एयू संकाय के रूप में मान्यता प्रदान की गई। केन्द्र का उद्देश्य अनुसंधान गतिविधियों का लगातार उन्नयन करना तथा क्रिस्टल विकास एवं लक्षण वर्णन संबंधी अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में योगदान करना है। केन्द्र ने, राष्ट्रीय वित्तपोषण एजेंसियों जैसे डीएसटी, डीईई, डीआरडीओ, यूजीसी, आईएसआरओ, एमएनईएस, डीओई, बीआरएनएस, आईयूसी, सीएसआईआर, तमिलनाडु सरकार आदि द्वारा समर्थित अनेक मुख्य राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया है। केन्द्र का उद्देश्य, आगन्तुक कार्यक्रम के तहत संपूर्ण देश में अनुसंधानकर्ताओं के अनुसंधान हितों को बढ़ावा देना है। केन्द्र लगातार अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सतत रूप से अनेक राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/कार्यशालाएं/पुनश्चर्या/कार्यक्रम/संगोष्ठियां तथा परिचर्चा आयोजित करता आ रहा है। केन्द्र द्वारा कुछ औद्योगिक परामर्शदात्री कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं।

110 से अधिक विद्यार्थियों ने केन्द्र से अपनी पीएचडी उपाधि प्राप्त की है तथा वर्तमान में विश्वविद्यालयों/राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में उच्च पदों पर आसीन हैं जिनमें से अधिकांश, विदेशों में यथा जापान, कोरिया, यूएसए, सिंगापुर, जर्मनी, नीदरलैण्ड, स्पेन, चीन आदि में कार्यरत हैं।

● केन्द्र के प्रमुख कार्य

इस केन्द्र का प्रमुख कार्य सेमीकंडक्टर, लेजर एंड नॉन लीनियर ऑप्टिक्स, फेरोलोक्ट्रिक्स, पीजोलेक्ट्रिक, बायोलॉजिकल क्रिस्टलाइजेशन, स्पिंट्रॉनिक मैटीरियल्स एंड रेडिएशन डिटेक्टर्स एंड सोलर सेल्स फॉर आन थिन फिल्म पर अनुसंधान करना।

यूजीसी क्रिस्टल संवर्धन हेतु UGC:AU-CGC सुविधाएं उपलब्ध कराता रहा है जिसके द्वारा शोधार्थी/संकाय सदस्य राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/विश्वविद्यालयों में कार्य करते हुए केन्द्र के संकाय/शोधार्थियों के मार्गदर्शन में अपनी विशेष रुचि के क्षेत्रों में अनुसंधान कर सकते हैं।

केन्द्र, कई राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लगातार आयोजन करता आ रहा है।

राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम्मोषण अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान गतिविधियां संचालित की जाती हैं।

वर्तमान में, डीआरडीओ, बीआरएनएस, डीएसटी, आईयूएसी, यूजीसी, सीएसआईआर, यूरोपियन यूनियन द्वारा संपोषित विभिन्न अनुसंधान क्षेत्रों में अनुमोदित चालू परियोजनाएं चल रही हैं।

केन्द्र के संकाय, बी.टेक. (थ्योरी तथा प्रैक्टिकल) 1 वर्षीय भौतिकी पाठ्यक्रम, एम.टेक., नैनो साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी तथा पीएचडी पाठ्यक्रम एवं पीजी (एमएससी, एमटेक लेजर एण्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, एमफिल) परियोजना कार्यों को मार्गदर्शन देते हैं।

- **संचालित कार्यक्रम :** पीएचडी पाठ्यक्रम-43 अनुसंधान स्कॉलर्स
- **राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां/विद्यालय/परिचर्चा/सम्मेलन**

पाठ्यक्रम का नाम	प्रतिभागियों की प्रकृति	प्रतिभागियों की संख्या	अवधि
इंडो-यू एस कार्यशाला, सॉलिड स्टेट एल्युमिनेशन तथा जल शुद्धिकरण हेतु विजिबल एवं यू.वी. स्रोत	शोधार्थी एवं कंपनियां भारत, यूएस, कोरिया, न्यूजीलैंड तथा सिंगापुर	110	5-7 जनवरी, 2009

- **ग्रीष्मकालीन स्कूल/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम**

पाठ्यक्रम का नाम	प्रतिभागियों की प्रकृति	प्रतिभागियों की संख्या	अवधि
संकाय विकास कार्यक्रम	इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक	30	22-30 दिसम्बर, 2008

अन्ना विश्वविद्यालय में स्थित क्रिस्टल अभिवृद्धि केन्द्र में जो भी विशेषज्ञता विद्यमान है उसका विस्तार निम्न के विकास के लिये किया जा सकता है।

- एम.ओ.सी.वी.डी. ग्रोथ ऑफ गेन-आइन-इन (GaN-AlN-InN) एवं उसके अलॉयस
- सैमी-कन्डक्टर वैफर्स ऑफ गी, गेएस, इनप, इनसब, सीडीसीई (Ge, GaAs, InP, InSb, CdTe) एवं अन्य III-V पदार्थ
- नान-लीनियर ऑप्टिकल क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम अलमूनियम बोरेट, के टी पी, के डी पी एवं सम्बंधित सामग्रियां, यूरिया सम्बंधित तत्वों थियो यूरिया कॉम्प्लेक्सिज, अन्य सेमी-आर्गेनिक एवं आर्गेनिक क्रिस्टल्स।
- लेजर क्रिस्टल्स ऑफ डबल तुंगस्टेट्स, डोपड सैफ़ैयरस एवं गेडोलिनियम यूट्रीयम कैल्शियम ऑक्सी बोरेट डोपड निओडिनियम के साथ एवं निओडिमियम एवं गेडोलिनियम कैल्शियम ऑक्सी बोरेट डोपड नियोडिनियम के साथ।
- फ़ैरोइलैक्ट्रिक पदार्थ ऑफ टी.जी.एस., के.डी.पी., बाटिओ 3 (TGS, KDP, BaTiO₃) एवं सम्बंधित पदार्थ।
- पाईजो इलैक्ट्रिक क्रिस्टल्स ऑफ लीड मौलिकडेंट, पी एम एन - पी टी, पी ज़ेड एन - पी टी (PMN-PT, PZN-PT) एवं अन्य।
- बायो पदार्थ ऑफ कैल्शियम फौसफ़ेट्स एवं सम्बंधित तत्वों कौलेस्ट्रोल एवं सम्बंधित तत्वों औक्जलेटिस एवं टारट्रेट्स।
- बोन रिप्लेसमेन्ट पदार्थ जैसे हाईड्रोक्स पोटाइट नैनो स्केल पर
- हैट्रो इंस्ट्रक्टर ऑफ गैन, गैएस (GaN, GaAs) एवं अन्य III-V पदार्थ।
- सोल-ज़ेल प्रोसेसिंग ऑफ जिंक ऑक्साइड एवं टाईटेनियम ऑक्साइड।

क्रिस्टल अभिवृद्धि केन्द्र में जो भी विशेषज्ञता विद्यमान है—इसका विस्तार निम्न उद्योगों में किया जा सकता है:

- पतली टिकलियों के विकास करने के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के द्वारा अर्द्धचालक आधारित उद्योगों तक
- प्रकाश उत्सर्जित करने वाले डायोडों पर आधारित धन-अवस्थायुक्त प्रकाश तक
- कच्ची धातुओं की आपूर्ति के द्वारा चलाये जाने वाले उद्योग जिनमें लेज़र किरणें व दृष्टि संबंधी पदार्थ निर्मित होते हैं।
- "फोटोन" उद्योगों में एल.ई.डी. के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण द्वारा एवं अन्य घटकों के विकास द्वारा।
- ऐसे जोखिमपूर्ण कार्य, जो ऊर्जा एवं पर्यावरणीय आधारित हैं व जिनका उपयोग सौर कोशिकाओं एवं प्रदूषण-मुक्त ऊर्जा स्रोत के निर्माण के लिए किया जा सकता है।
- जैव-उद्योगों के लिए—जो कि जैव-सुसंगत पदार्थों के विकास तथा पदार्थों के श्रेणीकरण से जुड़ा है।
- धातुओं के कर्षण के लिए एवं परिमार्जन करने वाले उद्योगों के लिए
- वे कम्पनियां जो उत्कृष्ट शुद्धतायुक्त रसायनों में व्यापार रत हैं।
- ऐसे उद्योग जो कि नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं।
- ऐसे उद्योग जिनमें बहुत बारीक परत का लेप किया जाता है।

कुछ निम्न सुविधाएं हैं जो कि कई उद्योगों के लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकती हैं। भुगतान पर आधारित रूप में इन प्रतिदर्शों का या तो परीक्षण अथवा मूल्यांकन किया जा सकता है:—

एम.ओ.सी.वी.डी. ग्रोथ ऑफ नॉइट्राइड एपीलेयर्स

स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विद इ.डी.एक्स फॉर एलीमेंटल एनालिसिस

एक्स-रे डिफरेंशियल स्पेक्ट्रोमीटर विद ओरिएन्टेशन गोनीयोमीटर

यू.वी.-विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर

हार्ड टेम्परेचर फरनेसस

ऑटोक्लेवस

थिन फिल्म कोटिंग यूनिट्स

इलेक्ट्रो क्रिस्टलाइजेशन यूनिट

क्रिस्टल पुलर्स

लो टेम्परेचर क्रिस्टल ग्रोथ यूनिट्स

लिक्विड फेज़ एपीटेक्सी एण्ड वेपर फेस एपीटेक्सी सिस्टम्स

ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप

कटिंग एण्ड पॉलिशिंग मशीन

● वर्ष 2008 के प्रकाशन

- o ए.एफ.एम. स्टडीज़ ऑफ़ माइक्रो इन्डेन्टेड जी.ए.एन. एण्ड इन.जी.ए.एन. डी. गीता, डी. अरिवॉयली, डी.मॅगम्मा मैटेरियल लेटर्स 63(2009)515
- o इन्फ्लूएंस ऑफ़ पोस्ट-डिपोजीशन एन्नीलिंग ऑन दी स्ट्रक्चरल एण्ड ऑप्टिकल प्रोपर्टीज़ ऑफ़ ज़ेड एन. ओथिन फिल्म्ज़ प्रिपेयर्ड बाइ सोल-जल एण्ड स्पिनकोटिंग मेथड जी. श्रीनिवासन, एन. गोपालाकृष्णन, वाइ.एस.यू., आर केशवामूर्ति, जे कुमार जर्नल ऑफ़ सुपरलैटिसिज़ एण्ड माइक्रोस्ट्रक्चरल 43(2) (2008) 112-119

- o एब इनीशियों प्रेडिक्शन ऑफ हाफ-मैटेलिक फ़ैरोमैग्नेटिज़्म इन जेड एन (टी.एम.) 02 (टी.एम) – सी.आर.एम.एन. एफ.ई.सी.ओ., एन.आइ.) कम्पाउन्ड्स। आर थंगावेल, एम. राजागोपालन एण्ड जे. कुमार
जर्नल ऑफ मैग्नेटिज़्म एण्ड मैग्नेटिक मैटीरियल्स 320 (2008)
- o ग्रोथ एण्ड करैक्टराइज़ेशन ऑफ मैंगनीज़ डोपड गैलियम नाइट्राइड नानोवायर्स
वी. सुरेश कुमार, आर. केशवमूर्ति, जे. कुमार
जर्नल ऑफ नैनो साइंस एण्ड नैनो टेक्नोलॉजी 8 (7) (2008) 1-4
- o इन्वेस्टिगेशन्स आन थर्मल, मैकेनिकल प्रोपर्टीज़ एण्ड माइक्रो मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़ ऑन ट्रिस थायोयूरीया ज़िंक कैडमियम सल्फेट (टी.टी.जेड.सी.एस.) – सिंगल क्रिस्टल – ए सेमी ऑर्गेनिक नान-लिनीयर मैटिरियल
डी. जयालक्ष्मी एवं जे. कुमार
यूरो. फ़िज़ जे. एप्पल. फ़िज़ 41 (2008) 69–73
- o इफेक्ट ऑफ एम.एन. डोपिंग आन दी माइक्रोस्ट्रक्चर्स एण्ड आप्टिकल प्रोपर्टीज़ ऑफ सोल-जैल डिराइल्ड जेड.
एन.ओ. थिन फ़िल्म्स, जी. श्रीनिवासन एवं जे. कुमार
जर्नल ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ 310 (2008) 1841–1846
- o फ़र्स्ट प्रिंसिपल कैलकुलेशन्स ऑफ स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ AA-01- x-VI_x (11-Zn, Cd and V1-S, Se, Te) ऑर्डर्ड
कैल कोपिराइट सेमी कन्डक्टर्स
आर. थंगावेल, एम. राजागोपालन, जे. कुमार
फ़िज़िका बी. कन्डैन्सड मैटर, 403 (2008) 1497–1500
- o ग्रोथ एण्ड करैक्टराइज़ेशन ऑफ एल – ट्रिप्टो फॉम डोपड, फ़ैरोएलेक्ट्रिक टी.जी.एस. क्रिस्टल
डी. जयालक्ष्मी एवं जे. कुमार
जर्नल ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ, 310 (2008) 1497 – 1500
- o ग्रोथ एण्ड करैक्टराइज़ेशन ऑफ गैलियम नाइट्राइड नानो क्रिस्टल ऑन कार्बन नानो ट्यूब्स
वी. सुरेश कुमार, जे. कुमार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, ऑचल श्रीवास्तव एवं ओ. एन. श्रीवास्तव
जर्नल ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ – 310 (2008) 2260 – 2263
वर्ष 2008–2009 के लिए आयोग द्वारा बजट आबंटन – अनुसंधान अनुदान के लिए 25,00,000 रु. हैं।

5.12.3 यूजीसी-एस.वी.यू.-एम.एस.टी. राडार अनुप्रयोग केन्द्र-श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति (आन्ध्र प्रदेश)

● ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

मध्य पर्यावरणीय गति विज्ञान में अग्रिम अनुसंधान के लिए राडार सुविधा की संभावना के बारे में वैज्ञानिक जागरूकता सृजित करने और एमएसटी राडार सुविधा का प्रयोग करने के लिए बुद्धिमान और युवा अनुसंधानकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए एमएसटी राडार अनुप्रयोगों के लिए यूजीसी-एसवीयू सेंटर, भारत में भौतिक विभाग, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति में स्थापना की गई थी। यूजीसी-एसवीयू सेंटर, भारत में विश्वविद्यालय प्रणाली के लिए वैज्ञानिक जानकारी के आदान-प्रदान हेतु साझे प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है और यह केन्द्र पर्यावरणीय विज्ञानों के क्षेत्र में एमएसटी राडार एवं लिडार से संबंधित अध्ययनों के संदर्भ में भारतीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत विज्ञानियों और अनुसंधानकर्ताओं के लिए सुगम्य है।

● उद्देश्य एवं प्रमुख विशेषताएं :

- भारतीय विश्वविद्यालयों में स्थित ऐसे वैज्ञानिक, जो कि परिमण्डलीय विज्ञानों में – विशेष रूप से एम.एस.टी. से जुड़े क्षेत्र के संदर्भ में कार्यरत हैं ऐसे वैज्ञानिकों की पहुंच, यूजी.सी. – एस.वी.यू. केन्द्र तक बनी हुई हैं।
- यूजी.सी.-एस.वी.यू. केन्द्र द्वारा ऐसी समस्त सुविधाएं जो कि शोध कार्य एवं कम्प्यूटीकरण एवं अन्य सहायता के लिए हैं जिनकी आवश्यकता शोध कार्य पूरा करने के लिए होती है उन समस्त का उस केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।
- यूजी.सी.-एस.वी.यू. केन्द्र, परिमण्डलीय विज्ञान के क्षेत्र में पारस्परिक भ्रमण के आदान-प्रदान के लिए मंच उपलब्ध कराता है ताकि भारतीय परिमण्डलीय वैज्ञानिक समुदाय इस सहभागिता से पूरा लाभ उठा सके।

- यू.जी.सी.-एस.वी.यू. केन्द्र, परिमण्डलीय भौतिकी के कुछ प्रमुख क्षेत्रों में, स्नातकोत्तर छात्रों को एवं शोध छात्रों को इन क्षेत्रों से जुड़े कुछ चुनौतीपूर्ण कार्यों से सामना करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने में सहायक है।
 - यू.जी.सी.-एस.वी.यू. केन्द्र द्वारा परिमण्डलीय गतिकी के क्षेत्र में परीक्षणजन्य कार्यक्रम का समन्वयन करने में सहायता प्रदान करता है जिसमें "एम.एस.टी. राडार" एवं अन्य "Collacatable" उपकरण सुविधाएँ विद्यमान रहती हैं और इस समस्त प्रक्रिया में इन सुविधाओं के अवस्थिति को विशेष संदर्भ में देखा जाता है।
 - यू.जी.सी.-एस.वी.यू. केन्द्र, परिमण्डलीय विज्ञान के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में, एक विस्तृत राष्ट्रीय स्तर वाला आंकड़ों का विवरण/पुरालेख, संयोजित करता है — जो कि विशेष रूप से, उस संसाधित आंकड़ों की वृहत् मात्रा से प्राप्त होता है— जो आंकड़े "एम.एस.टी. राडार" एवं अन्य "Collacated" विधाओं से प्राप्त किये गए हैं।
 - यू.जी.सी.-एस.वी.यू. केन्द्र द्वारा, भारतीय अक्षांशों के ऊपर स्थित रहने वाले उस मध्यवर्ती पर्यावरण के प्रजनन एवं उसे अद्यतन करने में, सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार के प्रतिमानों के तथा इसके परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाले आंकड़ों के उपयोग द्वारा, ऐसे मौसम संबंधी पूर्वानुमान एवं भविष्यवाणी आदि जिन्हें भारतीय मौसम विभाग अथवा अन्य संबद्ध विभागों द्वारा घोषित किया जाता है उनमें, इससे सहायता मिलेगी।
- **बजट आवंटन एवं निष्पादन बजट – रिपोर्टाधीन वर्ष (1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009)**

उप-शीर्ष	आरम्भिक शेष 1.4.08	व्यय (2008-09) 31-03-09	शेष 31.3.09 तक
अनावर्ती	31,344	—	31,344
आवर्ती:			
यात्रा	5,64,202	1,14,284	4,49,918
आकस्मिक	1,42,707	52,765	89,942
वेतन	3,55,999	69,710	2,86,289
पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	1,89,894	—	1,89,894
भाड़े पर एवं सेवाएं	2,58,501	—	2,58,501
योग	15,42,647	2,36,759	13,05,888

- **लक्ष्य का कवरेज—लाभान्वित सम्मिलित संख्या सहित (शिक्षक, छात्र, महिलाएं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदि)**

28 संकाय सदस्यों द्वारा, वैज्ञानिकों एवं शोध विद्वानों द्वारा, यू.जी.सी.-एस.वी.यू. केन्द्र का कई बार दौरा किया गया है और उन्होंने "एन.ए.आर.एल." गाडनकि, में अनेक प्रयोग आदि किये हैं। जो भी दौरे पर आने वाले वैज्ञानिक एवं छात्र हैं उन्हें बहुत सी अनिवार्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे कि सी.डी., फ्लौपी, यात्रा सहायता, निवास सुविधा, आंकड़ों की प्रक्रिया, आंकड़ों का विश्लेषण, संबद्ध साहित्य की सहायता, एल्गोरिद्म जो कि आंकड़ों की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है उनका विकास कार्य आदि। इस अवधि में 14 पीएचडी एवं 4 एमफिल डिग्रियां प्रदान की गईं तथा 22 प्रपत्र भी ऐसी राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित किये गए जो कि उच्च प्रभावशाली रूप के थे।

- **ऐसा कोई भी ब्यौरा जिसकी जानकारी केन्द्र द्वारा अन्य को दी जानी वांछनीय है—कार्यशाला/कार्यक्रम जिसको आयोजित करने का प्रस्ताव है**

1. प्रयोक्ता वैज्ञानिकों की नौवीं कार्यशाला—अक्टूबर/नवम्बर, 2009
2. पर्यावरणों पर शोध पाठ्यक्रम— 4 सत्र — जनवरी/फरवरी, 2010

5.12.4 पश्चिमी क्षेत्रीय उपकरण केन्द्र, मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई (महाराष्ट्र)

- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि**

पश्चिमी क्षेत्रीय उपकरण केन्द्र, मुम्बई, एक स्वायत्त संस्थान है जो कि वर्ष 1977 में स्थापित हुआ। इस संस्थान को यूजीसी द्वारा शत-प्रतिशत आधार पर निधियन किया जाता है और इसमें मुम्बई विश्वविद्यालय की सहभागिता है। मुम्बई विश्वविद्यालय द्वारा यह सहभागिता, अपने उस विस्तृत कार्यक्रम के अंग के रूप में की गई, जिस कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त देश व्यापी स्तर पर विश्वविद्यालय वैज्ञानिक उपकरण केन्द्र को स्थापित किया गया है। वर्ष 1981 से लेकर, पश्चिमी क्षेत्रीय उपकरण केन्द्र, एक पंजीकृत संस्था के रूप में कार्यरत है जिसमें कि एक शासी निकाय है, जिसके पूर्व कार्य अध्यक्ष, मुम्बई विश्वविद्यालय के उप-कुलपति हैं।

● उद्देश्य एवं प्रमुख विशिष्टताएँ

- o भारतीय विश्वविद्यालयों में चल रहे उपकरण कार्यक्रमों हेतु आवश्यक सुविधाओं का सृजन करना
- o एक प्रौद्योगिकी संस्कृति को विकसित करना
- o उपकरण सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु एक आदर्श रूप से कार्य करना
- o उपकरण प्रयोगों के क्षेत्र में नेतृत्व उपलब्ध कराना
- o अध्यापन एवं शोध कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए नवीन अध्यापन सहायक साधनों को आकारित एवं विकसित करना
- o उपकरणों के प्रयोग एवं उनके सुधार एवं अनुरक्षण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना
- o शिक्षा, शोध एवं उद्योगों के लिए – शोध एवं डिज़ाइन विकसित करने का कार्य करना

● बजट आवंटन एवं निष्पादन बजट – रिपोर्टाधीन वर्ष (1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009)

क्र.सं.	यूजीसी अनुदान पत्र नं. एवं तिथि	प्राप्त अनुदान (रुपएँ)	व्यय राशि (रुपएँ)
1.	एफ.12-2/2002(आई.यू.सी.) भाग- III dtd. 16.06.08	62,00,000/- #	1,72,68,076/-
2.	एफ.12-2/2002(आई.यू.सी.) दिनांक 14.11.08	31,00,000/- #	
3.	एफ.12-2/2002(आई.यू.सी.) दिनांक 09.02.09	30,75,000/- #	
4.	एफ.12-2/2002(आई.यू.सी.) दिनांक 31.03.09	89,55,590/-*	
	कुल	2,13,30,590/-	1,72,68,076/-

स्टाफ़ के वेतन एवं प्रतिदिन प्रशासनिक खर्चों के लिए प्रदत्त अनुदान

* अनुदान, मार्च 2009 में प्रदान किया गया परन्तु वास्तव में यह अप्रैल, 2009 में प्राप्त हुआ। कुल रुपये 89,55,590/- में से रुपये 76,30,000/- की राशि, वेतनों एवं प्रतिदिन गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के लिए अनुदान की गई तथा रुपये 13,25,590/- की राशि भवनों की मरम्मतों/नवीकरण के लिए प्रदान की गई।

● लक्ष्यपरक समूह का कवरेज-लाभान्वित संख्या सहित (विश्वविद्यालय, कॉलेज, अध्यापक, छात्र, महिलाएं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदि)

- o भाभा परमाणु शोध संस्थान, मुम्बई, स्थित, लेज़र एवं प्लाज्मा प्रौद्योगिकी विभाग में **18 उच्च शक्ति युक्त ताम्रवाष्पीय लेज़रों** की मरम्मत एवं अनुरक्षक कार्य तथा आयोन एक्स्ट्रैक्शन विभाग के शोध स्तर के इलेक्ट्रॉनिकी उपकरणों की मरम्मत एवं रख रखाव का कार्य।
- o इस केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराई गई जो कम्प्यूटर/प्रिंटर की मरम्मतों एवं अनुरक्षण की सेवायें हैं उनका लाभ 31 विश्वविद्यालय विभागों/कॉलेजों एवं संस्थानों/उद्योगों द्वारा उठाया गया है—जैसे कि रसायन विभाग, मुम्बई विश्वविद्यालय, डाक्टर बी.एस. कोंकण कृषि विद्यापीठ, दपोली, रत्नागिरी; केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी शोध संस्थान; रुपारेल कॉलेज, मिठीबाई कॉलेज, के.जे. सौमय्या कॉलेज, आदि द्वारा। (कुल 229 उपकरणों की मरम्मत की गई)
- o हमारे संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जा रही कम्प्यूटर/प्रिंटर की मरम्मतों एवं अनुरक्षण सेवाओं का लाभ निम्न को प्रदान किया गया :- रूसी भाषा विभाग, दूरस्थ शिक्षा संस्थान, वित्त एवं लेखा विभाग – और यह विश्वविद्यालय विभाग है। (कम्प्यूटर – 99, प्रिंटर – 53)
- o संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जा रही अंश-शोधन सेवाओं के अंतर्गत निम्न को सेवायें प्रदान की गई :- कुल उद्योग – 42 :- एयर इन्डिया, सी.डब्ल्यू.एम. रेलवे, भाइकुला, एच.पी.सी.एल., भारत एवियेशन, प्रैसीशन गियर्स लि0, विश्वेश्वरा इन्टरप्राइजेज, जॉनसन एण्ड जॉनसन आदि। (कुल – 276 उपकरणों का अंशशोधन किया गया)
- o विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों के प्राध्यापकों/शोध छात्रों द्वारा उनके शोध कार्य के लिए, हमारे यहाँ के कई उपकरणों—यू.वी.विज़िबल स्पैक्ट्रोमीटर, एच.पी.एल.सी., एफ.टी.आई.आर., ए.ए.एस., फ्लोरोसैन्स स्पैक्ट्रोमीटर आदि।

- o प्रयोगशाला/विश्लेषणात्मक/नेत्रों से जुड़े उपकरण, अंतःस्थापित सिस्टम डिज़ाइन, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर डायग्नोस्टिक्स आदि के अन्तर्गत 13 प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनमें मरम्मत व अनुरक्षण – वे संचालित किये गए जो कि प्राध्यापकों/प्रौद्योगिकी स्टाफ/विभिन्न विश्वविद्यालय विभागों के छात्रों जो कि कॉलेजों/संस्थानों में हैं जैसे सोफिया कॉलेज, गरवोर कैरियर एजुकेशन संस्थान एवं डेवलपमेंट, मुम्बई विश्वविद्यालय, प्रौद्योगिकी संस्थान, गोगोटे, जोगलेकर कॉलेज, रत्नागिरी, रासायनिक, गर्वनमेन्ट ई. राघवेन्द्र राव पोस्ट ग्रेजुएट साइन्स कॉलेज, विलासपुर, महाराष्ट्र उदयगिरी महाविद्यालय, उद्गिर, श्री शिवाजी कॉलेज, परभणी, विश्वविद्यालय वैज्ञानिक उपकरण केन्द्र, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर आदि इनसे लाभ प्राप्त करने वालों की कुल संख्या 203 थी (पुरुष – 156, महिला – 47)
- o पी. बी. पोलीटेक्निक एवं ऊषा मित्तल प्रौद्योगिक संस्थान, एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय, मुम्बई, (जो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं बी. टेक डिप्लोमा में हैं) वे सभी, उसी योजना से जुड़े कार्य के लिए 6 महीने के लिए संयंत्र से जुड़े प्रशिक्षण में रत रहे। इससे 5 छात्रों ने लाभ प्राप्त किया।

● आयोजित सम्मेलनों, विदेशी प्रतिनिधि मंडलों द्वारा भ्रमण एवं अन्य कोई महत्वपूर्ण आयोजन, यदि हो

- o टैक्नोलॉजी हैलिंग टू हील – “डिज़ाइन एण्ड डेवलपमेंट ऑफ़ पेस मेकर्स एण्ड डीफ़ाइब्रेलीटर्स” – लेखक श्री प्रसन्ना परलकर, बायोट्रोनिक इनको यूएसए (8 जुलाई, 2008)
- o “ऑटोमेशन विद कैन बस/कैन ओपन टैक्नोलॉजी, मिस्टर होलगर ज़ेलवेंगर, “कैन इन ऑटोमेशन”, जर्मनी (9 जुलाई, 2008)
- o “लीनियर एक्सीलरेटर फॉर बायो-मेडिकल एप्लीकेशन्स” श्री अमोल भागवत-ऑफ़ समीर (3 अक्टूबर, 2008)
- o डाक्टर डी.एन.पाटकर मैमोरियल सेमिनार (1) लिक्विड क्रोमेटोग्राफी-न्यू फ्रन्टीयर्स –यूनिवर्सिटी, कालेज प्राध्यापकों/शोध विद्वानों के लिए, (2) लिक्विड क्रोमेटोग्राफी – टूल फॉर काइरल एसेसमेंट – जो कि उन शोध वैज्ञानिकों के लिए हैं जो कि उद्योगों/मुम्बई विश्वविद्यालय के संस्थानों, विद्यानगरी, मुम्बई (10-11 अक्टूबर, 2008)
- o कैन बस प्रौद्योगिकी – मिस्टर होलगर ज़ेलवेंगर, एम.डी.सी.आइ.ए., जर्मनी (13.02.2009)
- o एफ.टी.आई.आर.-इमेजिंग एण्ड इट्स एप्लीकेशन्स विद ए स्पेशल एम्फेज़िज़ ऑन वारीयन एफ़ टी इमेजिंग सिस्टम्स, डॉ० मुस्तफ़ा कान्सीज़, वारीयान, यू.के. (18.02.2009)

● अन्य देशों/अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अनुबंध

डब्ल्यू आर आई सी ने सहभागिता कार्यक्रमों के अन्तर्गत जो कि उपकरणों के विषय में हैं और उनकी अनुरक्षण सेवाओं से जुड़े हैं – उन्होंने मारीशस गणराज्य के साथ एक कार्यक्रम का शुभारम्भ किया हैं। डब्ल्यू.आर.आर.सी. बहुत शीघ्र ही सी.आई.एस. मारीशस गणराज्य के साथ एक ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला है।

● प्रकाशनों की सूची

फॉरमेशन ऑफ़ टी.आई.ओ. 2 ड्यूट्रेपिड थर्मल एनीलिंग ऑफ़ स्विफ्ट आयोन इर्रेडियेटिड फ़िल्म्स – माधवी ठाकुर देसाई, माई सुलानिया, ए.एम. नारसाल, डी कुंजीलाल एवं वर्षा भट्टाचार्य :- जर्नल ऑफ़ नैनो साइंस एण्ड नैनो टैक्नोलॉजी Vol. 8, (2008) 1-8 .

● प्रस्तुत प्रपत्र

“सुपर कन्डक्टर फ़ैरोमैगनेट बाइलेयर्स; एकसैपरीमैन्टल इन्वेस्टीगेशन्स ऑफ़ स्पिन पोलेराइज्ड ट्रान्सपोर्ट एक्रौस दी इन्टरफ़ेस” – एस. के. वांग्चू, जॉन जे, वी सी बागवे, एस.पी.पै, ए.एम नारसाले, एवं आर पिन्टों – यह प्रपत्र सुपर कन्डक्टिविटी एवं मैग्नेटिज़्म के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत किये गए – 2008, तुर्की (इसे सर्वश्रेष्ठ पारितोषक मिला)। यह प्रपत्र जर्नल ऑफ़ फ़िजिक्स कॉन्फ़्रेंस सीरीज़ के लिए स्वीकार किया गया जो कि एक आर.ओ.पी. प्रकाशन है।

इन्स्ट्रुमेंटेशन पर जो राष्ट्रीय विचार गोष्ठी (एन.एस.आई. 33) आंध्र विश्वविद्यालय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, विशाखापट्टनम, में हुई थी उसमें निम्न प्रपत्र प्रस्तुत किये गए थे -

- o किसी "ड्राईंग चैम्बर" में स्थापित एक रोटेटिंग प्लेट पर रखे गए पदार्थों के भार का मापन करने के लिए अल्प व्यय वाले उपकरण (8-10 दिसम्बर, 2008) **एन.एन. राव**
- o रोगी की चेतनता के स्तर की पड़ताल करने की विधि (8-10 दिसम्बर, 2008) **के.के. महाजन**
- o शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति के लिए बहुउद्देश्यीय माइक्रो कन्ट्रोलर बेस्ड कन्टीन्यूअस पैस्सिव मोशन (सी.पी.एम.) **के.के. महाजन**

● **ऐसे अन्य ब्योरे जिनके विषय में केन्द्र चाहता है कि अन्य को भी उनकी जानकारी प्राप्त हो**

➤ **यू.जी.सी. समर्थित योजनाएं (जो प्रगति पर हैं) :**

- o पी.सी. आधारित प्रणाली जो कि सेफ्टीमास्क एवं एयर फ़िल्टर मीडिया के लिए है - जिसमें पैराफीन ऑयल एरोसोल का उपयोग किया जाता है। इन सेफ्टी मास्क एवं फ़िल्टर मीडिया का आकार निर्माण तथा विकास - जी. डी. पाटिल
- o शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति के लिए, उसके निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए, एक "माइक्रोकन्ट्रोलर" आधारित "कन्टीन्यूअस पैस्सिव मोशन" मशीन - के. के. महाजन
- o "अवरक्त संसाधन (इन्फ्रा रैड) के उपयोग द्वारा फलों एवं सब्जियों का अधिकतम शुष्क किया जाना-**एन.एन. राव**

➤ **उपकरण-जिनको विकसित किया गया :**

- o स्नातक पूर्व एवं स्नातकोत्तर विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए एक न्यूनतम खर्च वाली "माइक्रोकन्ट्रोलर आधारित LED संसाधित कोलोरीमीटर" उपयोग जिसमें "शैलफ़ इलैक्ट्रॉनिक कम्पोनैन्ट्स एण्ड यूज़र फ्रैन्डली साफ्टवेयर" - इसको आकारित किया गया है।
- o सुरक्षा आवरण के अन्दर की ओर से होने वाले रिसाव की जांच परख करने की विधि - इसे वीनस सेफ्टी एण्ड हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड (प्रगति पर है) के लिए आकारित किया गया।
- o बेसिक डिजिटल इलैक्ट्रॉनिक्स गेट्स "फिलप-फ्लॉप" आदि
- o शोध एवं अनुसंधान करने के लिए 80 C 552 माइक्रोकन्ट्रोलर कार्ड का सुसज्जीकरण करना

➤ **जिन उपकरणों को जोड़ा गया है :**

- o "ब्लैक स्टैक थर्मोमीटर रीड आउट", "मेक" : फ्ल्यूक मॉडल नं0 1560 - व्यास मापन के लिए।
- o एफ़.टी.आई.आर. - "मेक" : वेरियन
- o यूवी - विज़िबल स्पैक्ट्रोफोटोमीटर, "मेक" : वेरियन

➤ **अल्पकालिक पाठ्यक्रम :**

"प्रो इंजीनियर वाइल्ड फायर 4.0" पर 60 घंटे का एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया।

➤ **ग्रंथागार :**

इसमें इंस्ट्रुमेंटेशन संबंधी कुल 4429 पुस्तकें हैं। WRIC स्टाफ के अतिरिक्त बड़ी संख्या में शैक्षिक संस्थानों तथा उद्योगों के व्यक्तियों द्वारा पुस्तकालय सुविधाओं का प्रयोग किया जाता है।

5.13 विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभावना वाले केन्द्र

9वीं योजना अवधि के दौरान, यू.पी.ई. पर स्थायी समिति ने 12 और विश्वविद्यालयों को यू.पी.ई. दर्जा दिए जाने की सिफारिश की। तथापि, 21 मार्च, 2002 को हुई आयोग की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उन्हें संगत क्षेत्रों में उत्कृष्टता की संभावना वाले केन्द्र कहा जाए। उन्हें एक मुश्त आधार पर सहायता दी गई तथा बाद में यू.पी.ई. दर्जे के तहत आवेदन करने को कहा गया।

केन्द्रों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	विशिष्टता का क्षेत्र जिसका विकास किया जाना है	एक मुश्त सहायता के रूप में जारी सहायता (रुपये करोड़ में)
1.	पंजाब विश्वविद्यालय	जीव चिकित्सा विज्ञान	5.00
2.	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय	क्रीड़ा विज्ञान	5.00
3.	कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	लेज़र एवं आप्टो इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	5.00
4.	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय	जीनोम विज्ञान	5.00
5.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	हिमालयन अध्ययन	5.00
6.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय	अनुप्रयुक्त पॉलीमर	5.00
7.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	व्यवहार संज्ञानात्मक विज्ञान	5.00
8.	कर्नाटक विश्वविद्यालय	पॉलीमर रसायन शास्त्र	5.00
9.	अन्ना विश्वविद्यालय	पर्यावरणीय विश्वविद्यालय	3.00
10.	अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (जिसे वर्तमान में राजीव गांधी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है)	जैव विविधता	5.00
11.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	परम्परागत शास्त्र	3.00
12.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	ई-प्रबंधन अध्ययन	3.00

उक्त केन्द्रों ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही कार्य करना आरंभ किया। उपरोक्त सभी केन्द्रों की विशेषज्ञ समिति की मदद से समीक्षा की जा रही है ताकि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उन्हें जारी रखने या बंद करने के संबंध में निर्णय लिया जा सके।

वर्ष 2008-09 के दौरान, निम्नलिखित केन्द्रों की समीक्षा की गई है :

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	विकसित किए जाने हेतु विशेषज्ञता के क्षेत्र	एक मुश्त सहायता के रूप में जारी अनुदान (रुपये करोड़ में)	टिप्पणियाँ
1.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	हिमालयन अध्ययन	5.00	11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, केन्द्र को जारी रखने के लिए वि.वि. के पास बकाया अनुदान को जारी रखने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है।
2.	गुरुनानक देव विश्वविद्यालय	खेलकूद विज्ञान	5.00	केन्द्र को जारी करने के लिए केन्द्र को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

वर्ष 2008-09 के दौरान, चल रही योजनाओं के लिए केन्द्रों को 2.94 करोड़ की राशि जारी की गई है।

5.14 नए केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना (9वीं योजना के दौरान स्थापित)

उदारीकरण, भूमंडलीकरण की दृष्टि से बदलते आर्थिक परिदृश्य तथा उभरती हुई नई आवश्यकताएं पूरी करने के लिए, उच्च शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता युक्त उत्पादों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने वर्ष 2001 के दौरान, विश्वविद्यालय प्रणाली के अंदर विज्ञान तथा मानविकी में विभिन्न अंतर्विषयी क्षेत्रों में अध्ययन तथा अनुसंधान में 'उत्कृष्टता के नवीन केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना' नामक नई योजना शुरू की है।

वर्ष 2001-02 के दौरान, आयोग ने विश्वविद्यालय प्रणाली के तहत केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता के लिए विश्वविद्यालयों में निम्नलिखित केन्द्रों के प्रस्ताव अनुमोदित किए हैं :

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्र / संस्थान
1	2	3
1.	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	मानव जीनोम अध्ययन तथा अनुसंधान केन्द्र की स्थापना
2.	संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ	बायोमेडीकल मेगनेटिक रेजोनेंस अनुदान केन्द्र की स्थापना
3.	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर	मैसूर विश्वविद्यालय के प्राच्य अनुसंधान केन्द्र में राष्ट्रीय विज्ञान इतिहास केन्द्र की स्थापना
4.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज में आनुवांशिकी यूनिट का उन्नयन करते हुए अनुप्रयुक्त मान आनुवांशिकी केन्द्र की स्थापना
5.	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे	अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा रक्षा विश्लेषण संस्थान की स्थापना

इन केन्द्रों की समीक्षा, एक समीक्षा समिति द्वारा की जा रही है ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि क्या इसे 11वीं योजना के दौरान जारी रखा जाए या बंद कर दिया जाये।

पुणे विश्वविद्यालय में नेशनल सेंटर फॉर इंटरनेशनल सिक्योरिटी एण्ड डिफेंस एनालिसिस की स्थापना की अवधि को 11वीं योजना अवधि तक बढ़ाया गया है।

5.15 वृत्ति (कैरियर) उन्नति योजना (कैस) के अधीन रीडर से प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति के लिए वि.अ.आ. पर्यवेक्षकों की नियुक्ति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत में कार्यरत समस्त मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में 'कैस' के अधीन रीडर से प्रोफेसर की पदोन्नति की चयन प्रक्रिया का परीक्षण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर्यवेक्षक की नियुक्ति करके कर रहा है। यह व्यवस्था, यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है ताकि विश्वविद्यालय इस प्रयोजन के लिए बनाई गई क्रियाविधि का पूर्णरूप से पालन करें। रिपोर्टाधीन वर्ष 2008-09 के दौरान, वृत्ति उन्नति योजना के तहत रीडर से प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति की चयन प्रक्रिया की देखरेख के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 250 यू0जी0सी0 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई।

5.16 बौद्धिक सम्पदा अधिकार के प्रति जागरूकता का संवर्धन तथा पेटेंटों की सुविधा प्रदान करना

विश्वविद्यालय तंत्र, नए ज्ञान के सृजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूर्व में विश्वविद्यालयों में सृजित ज्ञान का जनता द्वारा उपयोग किया जाता था। स्कालरली जर्नलों में प्रकाशन ही मानदण्ड था। अब ज्ञान आर्थिक शक्ति की नई मुद्रा का रूप है। यह प्राथमिक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का स्रोत है। विश्वविद्यालय जोश-खरोश के साथ अपने ज्ञान आधार की रक्षा करते हैं। संरक्षित ज्ञान से आर्थिक प्राप्तियां नए ज्ञान के सृजन को प्रोत्साहित करती हैं तथा नवोन्मेष को ऊर्जा देते हैं। विश्वविद्यालयों के माध्यम से ज्ञान के सृजन के प्रतिमानों में बदलाव हुआ है। संपूर्ण विश्व में निजी स्वामित्व के साथ ही नए ज्ञान को बौद्धिक सम्पदा (आईपी0) के रूप में संरक्षित करने का रुझान है। आई.पी. के अनेक प्रकार हैं जैसे पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, भौगोलिक सूचक, इंटीग्रेटेड सर्किट तथा व्यापार गोपनीयता। अब, वैश्विक तथा राष्ट्रीय, दोनों ही स्तर पर बौद्धिक संपदा के फलस्वरूप अधिकारों को सुरक्षित बनाने के लिए ढांचा मौजूद है।

अब यह महत्वपूर्ण है कि उच्च शैक्षणिक संस्थान अपने बौद्धिक संपदा अधिकार को उचित रूप से संरक्षित रखे। यह एक नया विकास है, अधिकांश विश्वविद्यालयों के पास अपने अनुसंधानकर्ताओं को उनके आई.पी.आर. को संरक्षित करने हेतु सक्षम बनाने की विशेषज्ञता तथा प्रक्रियाएं मौजूद नहीं हैं। इसलिए जागरूकता पैदा करके एक सक्षमकारी नीतिगत वातावरण तैयार किए जाने, उचित ढांचा तथा प्रक्रियाएं उपलब्ध कराने तथा अनुसंधानकर्ताओं को उनके आई.पी.आर. को संरक्षित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। यूजीसी की यह पहल, विभिन्न एजेंसियों की मौजूदा पहल/चालू गतिविधियों के साथ सामंजस्य से चलेगी तथा इसका पेटेंट/कापीराइट कार्यालयों के साथ सुदृढ़ संबंध होगा। विश्वविद्यालय तंत्र द्वारा आई.पी.आर. जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए तथा आई.पी.आर. सुरक्षण एवं प्रबंधन सुविधा प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आई.पी.आर. पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। आई.पी.आर. से संबंधित विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञ समिति द्वारा चर्चा एवं विचार किया गया तथा चुनिंदा विश्वविद्यालयों में नए आई.पी.आर. केन्द्र स्थापित करने के लिए आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

5.17 विदेशों में भारतीय उच्च शिक्षा का संवर्धन (पी.आई.एच.ई.ए.डी.)

विदेशों में भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भारतीय कॉलेजों में बहुसंस्कृति का वातावरण तैयार करने के एक साधन के रूप में हमारी शिक्षा की गुणवत्ता का संवर्धन करने की रणनीति के रूप में देखा जाता है जिससे विविधता तथा अंतर्राष्ट्रीय साख को बढ़ावा मिलता है। लागत कारक हमारे पक्ष में होने के कारण, बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के भारत में आने की संभावना है। इसके लिए भारत की उच्च शिक्षा को एक उचित रणनीति तथा कार्ययोजना के साथ विशिष्ट ब्रांड के रूप में उभारने की आवश्यकता है।

इसमें चार विशिष्ट कदम उठाने की आवश्यकता होगी :

- (1) एक विशिष्ट देश के संदर्भ में कैसी शिक्षा होनी चाहिए तथा हम उन्हें कैसी शिक्षा दे सकते हैं। इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए देश के अनुरूप एक रणनीति बनाना।
- (2) अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भरोसेमंद तथा अद्यतन जानकारी प्रदान करने के लिए सूचना प्रसार तथा संवर्धन और भारतीय शिक्षा की विलक्षणता पर ध्यान देने के लिए संचार रणनीति तैयार करना।
- (3) दाखिले एवं वीजा इत्यादि प्राप्त करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाकर उनमें सामंजस्य स्थापित करना।
- (4) यहाँ पहले से ही रह रहे छात्रों को अच्छा अनुभव हो इसके लिए उनकी आशाओं पर खरा उतरना।

पी.आई.एच.ई.ए.डी. पहल के अंतर्गत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय रूप से समस्त कार्यक्रम तथा विदेश में कार्यक्रम प्रदान करने के लिए भारतीय संस्थानों को बढ़ावा देने पर बल दे रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पी.आई.एच.ई.ए.डी. पहल पर परामर्श देने तथा इसे बल देने के लिए एक स्थायी समिति (एस.सी.) का गठन किया है।

पी.आई.एच.ई.ए.डी. पहल के तहत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, विकासशील देशों के छात्रों के लिए भारत केन्द्रित अल्पकालीन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए मई, 2004 में संयुक्त राज्य अमेरिका में बाल्टीमोर, मेरीलैण्ड में आयोजित एनएएफएसए सम्मेलन में भाग लिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जून, 2004 में विकासशील देशों से नियमित कार्यक्रमों में छात्रों को आकर्षित करने के उद्देश्य से फिक्की की सहायता से पूर्वी अफ्रीका (इथोपिया, तन्जानिया, केन्या) में शिक्षा मेलों का आयोजन किया। इसी क्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिष्टमण्डल ने पुनः वर्ष 2006-07 के दौरान अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में तथा वर्ष 2007-08 के दौरान, संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन, डीसी में आयोजित एनएएफएसए सम्मेलन में भाग लिया। यह कार्यक्रम न केवल बहुत सफल रहे बल्कि विदेशों में भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अमूल्य अनुभव भी प्राप्त हुआ। इस अनुभव के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनेक गतिविधियां तथा कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है।

5.18 अनुसंधान तथा शिक्षण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परीक्षा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानविकी (इनमें भारतीय भाषाएं एवं कुछ विदेशी भाषाएं भी शामिल हैं), सामाजिक विज्ञानों कंप्यूटर विज्ञान तथा अनुप्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान, अपराध विज्ञान तथा पर्यावरणीय विज्ञानों में व्यवसाय तथा अनुसंधान में प्रवेशार्थियों के लिए न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए लैक्चरारशिप एवं कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जे. आर.एफ.) की पात्रता निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आयोजित करता है। देश में फैले 66 केन्द्रों

और 77 विषयों (प्रथम पेपर छोड़कर) में नेट आयोजित किया जाता है। जैसा कि तालिका – VI में दिया गया है, विज्ञान के पाँच मुख्य विषयों के लिए परीक्षा सी.एस.आई.आर. और वि.अ.आ. द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाती है। जो उम्मीदवार, अनुसंधान करना चाहते हैं, उनके लिए कनिष्ठ अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.) अधिकतम पाँच वर्ष के लिए उपलब्ध होती है। वे उम्मीदवार, जो वि.अ.आ. नेट में जे.आर.एफ. के लिए उत्तीर्ण हो जाते हैं, अनुसंधान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और संस्थानों में जारी रख सकते हैं। वे लैक्चरारशिप के लिए भी पात्र समझे जाएंगे। इसी तरह, विशेष योग्यता प्राप्त विद्यार्थी जे.आर.एफ. अवार्ड परीक्षा को CSIR-UGC NET के द्वारा संयुक्त रूप से विशिष्ट विज्ञान विषय में परीक्षा में बैठ सकते हैं।

जे.आर.एफ. अवार्ड की परीक्षा, 1984 से तथा लैक्चरार के लिये पात्रता परीक्षा, भारत सरकार के अध्यादेश 22 जुलाई 1988 के आदेशानुसार 1989 से प्रारंभ हुई। परीक्षाएं, जो इंजीनियरिंग विषयों से संबंधित हैं, उनको जे.आर.एफ. नेट परीक्षाएं दिसम्बर, 1990 से लेकर जून, 1995 तक वि.अ.आ. – सी.एस.आई.आर. ने संयुक्त रूप से आयोजित किया। पूर्व में, यूजीसी ने इस स्कीम के तहत प्रत्येक परीक्षा में 300 अध्येतावृत्तियां प्रदान की हैं।

वि.अ.आ. ने जून, 2008 में आयोजित UGC-NET के पश्चात UGC-NET में अध्येतावृत्तियों की संख्या में प्रत्येक परीक्षा में 500 से 1000 तक की बढ़ोत्तरी करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जून, 2008 में हुई UGC-NET में कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति में केवल 897 शोधार्थी उत्तीर्ण हो सके, जबकि दिसंबर, 2008 में हुए UGC-NET में लगभग 1060 उम्मीदवार पात्र घोषित हुए। यद्यपि, UGC ने, जून, 2008 में हुए संयुक्त CSIR-UGC-NET से प्राप्त कोटा से 300 से 600 के तहत कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति को दो गुना करने का निर्णय ले लिया है तथापि, CSIR ने दिसंबर, 2008 से संयुक्त CSIR-UGC-NET को कार्यान्वित किया है।

तालिका-। कुल अभ्यर्थियों का विवरण जो 2008-09 के दौरान पंजीकृत हुए, परीक्षा में बैठे और उत्तीर्ण हुए लैक्चरार पात्रता एवं जे.आर.एफ.

तालिका-1 : वर्ष 2008-09 के दौरान, पंजीकृत परीक्षा में बैठे एवं उत्तीर्ण उम्मीदवारों का विवरण

वि.अ.आ. – नेट		पंजीकृत	परीक्षा में बैठे		उत्तीर्ण	
			संख्या	पंजीकृत का प्रतिशत	संख्या	पंजीकृत का प्रतिशत
जून 2008	लैक्चरारशिप (जे.आर.एफ. सहित) पात्रता	146974	109100	74.23	6270	5.75
	कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ. सहित)	89318	69191	77.47	897	1.30
दिसम्बर 2008	लैक्चरारशिप (जे.आर.एफ. सहित) पात्रता	162853	124990	76.75	6569	5.26
	कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ. सहित)	99529	78633	79.01	1060	1.35

लैक्चरारशिप पात्रता तथा जे.आर.एफ. की अंतिम दो परीक्षाओं के लिए श्रेणी वार, लिंग वार, सह उपश्रेणी वार, परीक्षा में बैठे तथा परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों को तालिका II से तालिका V में दिया गया है। तालिका VI कोर विज्ञान विषयों को दर्शाता है जिसमें सीआईएसआर द्वारा संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी नेट परीक्षा आयोजित की गई थी और तालिका VII, संयुक्त यूजीसी-सीएसआईआर नेट के माध्यम से जे.आर.एफ. एवं लैक्चरारशिप पात्रता के लिए पात्र पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या को दर्शाती है। नेट सेंटरों तथा नेट विषय को क्रमशः परिशिष्ट-XVII और XVIII में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका-II : वि.अ.आ. नेट के लिए लैक्चरारशिप पात्रता (सम्मिलित जेआरएफ) जून, 2008 के अभ्यर्थियों का निषादन

श्रेणी	पुरुष			महिला			जोड़		
	परीक्षा दी	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण (%) परीक्षा देने वालों से	परीक्षा दी	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण (%) परीक्षा देने वालों से	परीक्षा दी	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण (%) परीक्षा देने वालों से
सामान्य									
विकलांग	417	27	6.47	211	9	4.27	628	36	5.73
जोड़ का प्रतिशत	2.18	3.11		0.69	0.62		1.27	1.55	
नेत्रहीन	102	8	7.84	36	3	8.33	138	11	7.97
जोड़ का प्रतिशत	0.53	0.92		0.12	0.21		0.28	0.47	
अन्य	18653	834	4.47	30208	1444	4.78	48861	2278	4.66
जोड़ का प्रतिशत	97.29	95.97		99.19	99.18		98.46	97.98	
जोड़	19172	869	4.53	30455	1456	4.78	49627	2325	4.68
अन्य पिछड़ा वर्ग									
विकलांग	359	15	4.18	123	5	4.07	482	20	4.15
जोड़ का प्रतिशत	2.13	2.65		0.86	1.24		1.55	2.07	
नेत्रहीन	89	16	17.98	26	2	7.69	115	18	15.65
जोड़ का प्रतिशत	0.53	2.83		0.18	0.50		0.37	1.86	
अन्य	16375	534	3.26	14122	396	2.80	30497	930	3.05
जोड़ का प्रतिशत	97.34	94.51		98.96	98.26		98.08	96.07	
जोड़	16823	565	3.36	14271	403	2.82	31094	968	3.11
अ.जा.									
विकलांग	158	20	12.66	54	4	7.41	212	24	11.32
जोड़ का प्रतिशत	1.24	1.50		0.61	0.44		0.98	1.07	
नेत्रहीन	32	6	18.75	13	2	15.38	45	8	17.78
जोड़ का प्रतिशत	0.25	0.45		0.15	0.22		0.21	0.36	
अन्य	12531	1308	10.44	8804	912	10.36	21335	2220	10.41
जोड़ का प्रतिशत	98.51	98.05		99.24	99.35		98.81	98.58	
जोड़	12721	1334	10.49	8871	918	10.35	21592	2252	10.43
अ.ज.जा.									
विकलांग	23	1	4.35	9	0	0.00	32	1	3.13
जोड़ का प्रतिशत	0.64	0.23		0.28	0.00		0.47	0.14	
नेत्रहीन	7	1	14.29	4	0	0.00	11	1	9.09
जोड़ का प्रतिशत	0.19	0.23		0.13	0.00		0.16	0.14	
अन्य	3575	431	12.06	3169	292	9.21	6744	723	10.72
जोड़ का प्रतिशत	99.17	99.54		99.59	100.00		99.37	99.72	
जोड़	3605	433	12.01	3182	292	9.18	6787	725	10.68
कुल मिलाकर									
विकलांग	957	63	6.58	397	18	4.53	1354	81	5.98
जोड़ का प्रतिशत	1.83	1.97		0.70	0.59		1.24	1.29	
नेत्रहीन	230	31	13.48	79	7	8.86	309	38	12.30
जोड़ का प्रतिशत	0.44	0.97		0.14	0.23		0.28	0.61	
अन्य	51134	3107	6.08	56303	3044	5.41	107437	6151	5.73
जोड़ का प्रतिशत	97.73	97.06		99.16	99.19		98.48	98.10	
जोड़	52321	3201	6.12	56779	3069	5.41	109100	6270	5.75

तालिका-III : वि.अ. नेट के लिए लैक्चररशिप पात्रता (सम्मिलित जेआरएफ) दिसम्बर, 2008 के अभ्यर्थियों का निष्पादन

श्रेणी		पुरुष			महिला			जोड़		
		परीक्षा दी	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण (%) परीक्षा देने वालों से	परीक्षा दी	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण (%) परीक्षा देने वालों से	परीक्षा दी	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण (%) परीक्षा देने वालों से
सामान्य	विकलांग	493	33	6.69	231	15	6.49	724	48	6.63
	जोड़ का प्रतिशत	2.28	3.60		0.67	0.96		1.29	1.94	
	नेत्रहीन	125	10	8.00	39	4	10.26	164	14	8.54
	जोड़ का प्रतिशत	0.58	1.09		0.11	0.26		0.29	0.57	
	अन्य	20982	873	4.16	34218	1538	4.49	55200	2411	4.37
	जोड़ का प्रतिशत	97.14	95.31		99.22	98.78		98.42	97.49	
	जोड़	21600	916	4.24	34488	1557	4.51	56088	2473	4.41
अन्य पिछड़ा वर्ग	विकलांग	480	28	5.83	138	7	5.07	618	35	5.66
	जोड़ का प्रतिशत	2.48	4.96		0.84	1.61		1.72	3.50	
	नेत्रहीन	110	8	7.27	35	1	2.86	145	9	6.21
	जोड़ का प्रतिशत	0.57	1.42		0.21	0.23		0.40	0.90	
	अन्य	18781	529	2.82	16297	428	2.63	35078	957	2.73
	जोड़ का प्रतिशत	96.95	93.63		98.95	98.17		97.87	95.60	
	जोड़	19371	565	2.92	16470	436	2.65	35841	1001	2.79
अ.जा.	विकलांग	184	16	8.70	56	3	5.36	240	19	7.92
	जोड़ का प्रतिशत	1.24	1.15		0.58	0.32		0.98	0.81	
	नेत्रहीन	40	11	27.50	20	1	5.00	60	12	20.00
	जोड़ का प्रतिशत	0.27	0.79		0.21	0.11		0.25	0.51	
	अन्य	14558	1370	9.41	9606	939	9.78	24164	2309	9.56
	जोड़ का प्रतिशत	98.48	98.07		99.22	99.58		98.77	98.68	
	जोड़	14782	1397	9.45	9682	943	9.74	24464	2340	9.57
अ.ज.जा.	विकलांग	45	4	8.89	17	3	17.65	62	7	11.29
	जोड़ का प्रतिशत	1.00	0.95		0.41	0.89		0.72	0.93	
	नेत्रहीन	10	0	0.00	3	1	33.33	13	1	7.69
	जोड़ का प्रतिशत	0.22	0.00		0.07	0.30		0.15	0.13	
	अन्य	4444	415	9.34	4078	332	8.14	8522	747	8.77
	जोड़ का प्रतिशत	98.78	99.05		99.51	98.81		99.13	98.94	
	जोड़	4499	419	9.31	4098	336	8.20	8597	755	8.78
कुल मिलाकर	विकलांग	1202	81	6.74	442	28	6.33	1644	109	6.63
	जोड़ का प्रतिशत	1.99	2.46		0.68	0.86		1.32	1.66	
	नेत्रहीन	285	29	10.18	97	7	7.22	382	36	9.42
	जोड़ का प्रतिशत	0.47	0.88		0.15	0.21		0.31	0.55	
	अन्य	58765	3187	5.42	64199	3237	5.04	122964	6424	5.22
	जोड़ का प्रतिशत	97.53	96.66		99.17	98.93		98.38	97.79	
	जोड़	60252	3297	5.47	64738	3272	5.05	124990	6569	5.26

तालिका IV : कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति के लिए जून, 2008 में हुई वि.अ.आ. नेट की परीक्षा में अभ्यर्थियों का निष्पादन

श्रेणी		पुरुष			महिला			जोड़		
		परीक्षा दी	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण (%) परीक्षा देने वालों से	परीक्षा दी	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण (%) परीक्षा देने वालों से	परीक्षा दी	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण (%) परीक्षा देने वालों से
सामान्य	विकलांग	288	8	2.78	136	1	0.74	424	9	2.12
	जोड़ का प्रतिशत	2.68	4.79		0.70	0.30		1.41	1.79	
	नेत्रहीन	63	1	1.59	18	0	0.00	81	1	1.23
	जोड़ का प्रतिशत	0.59	0.60		0.09	0.00		0.27	0.20	
	अन्य	10397	158	1.52	19213	334	1.74	29610	492	1.66
	जोड़ का प्रतिशत	96.73	94.61		99.20	99.70		98.32	98.01	
	जोड़	10748	167	1.55	19367	335	1.73	30115	502	1.67
अन्य पिछड़ा वर्ग	विकलांग	245	6	2.45	86	0	0.00	331	6	1.81
	जोड़ का प्रतिशत	2.17	5.71		0.93	0.00		1.61	3.75	
	नेत्रहीन	67	5	7.46	18	1	5.56	85	6	7.06
	जोड़ का प्रतिशत	0.59	4.76		0.19	1.82		0.41	3.75	
	अन्य	10966	94	0.86	9147	54	0.59	20113	148	0.74
	जोड़ का प्रतिशत	97.23	89.52		98.88	98.18		97.97	92.50	
	जोड़	11278	105	0.93	9251	55	0.59	20529	160	0.78
अ.जा.	विकलांग	120	1	0.83	38	1	2.63	158	2	1.27
	जोड़ का प्रतिशत	1.42	0.85		0.66	1.61		1.11	1.12	
	नेत्रहीन	20	0	0.00	12	1	8.33	32	1	3.13
	जोड़ का प्रतिशत	0.24	0.00		0.21	1.61		0.23	0.56	
	अन्य	8320	116	1.39	5669	60	1.06	13989	176	1.26
	जोड़ का प्रतिशत	98.35	99.15		99.13	96.77		98.66	98.32	
	जोड़	8460	117	1.38	5719	62	1.08	14179	179	1.26
अ.ज.जा.	विकलांग	14	1	7.14	5	0	0.00	19	1	5.26
	जोड़ का प्रतिशत	0.58	2.78		0.26	0.00		0.43	1.79	
	नेत्रहीन	5	1	20.00	3	0	0.00	8	1	12.50
	जोड़ का प्रतिशत	0.21	2.78		0.15	0.00		0.18	1.79	
	अन्य	2410	34	1.41	1931	20	1.04	4341	54	1.24
	जोड़ का प्रतिशत	99.22	94.44		99.59	100.00		99.38	96.43	
	जोड़	2429	36	1.48	1939	20	1.03	4368	56	1.28
कुल मिलाकर	विकलांग	667	16	2.40	265	2	0.75	932	18	1.93
	जोड़ का प्रतिशत	2.03	3.76		0.73	0.42		1.35	2.01	
	नेत्रहीन	155	7	4.52	51	2	3.92	206	9	4.37
	जोड़ का प्रतिशत	0.47	1.65		0.14	0.42		0.30	1.00	
	अन्य	32093	402	1.25	35960	468	1.30	68053	870	1.28
	जोड़ का प्रतिशत	97.50	94.59		99.13	99.15		98.36	96.99	
	जोड़	32915	425	1.29	36276	472	1.30	69191	897	1.30

तालिका V : कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति के लिए दिसम्बर, 2008 में हुई वि.अ.आ. नेट की परीक्षा में अभ्यर्थियों का निष्पादन

श्रेणी		पुरुष			महिला			जोड़		
		परीक्षा दी	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण (%) परीक्षा देने वालों से	परीक्षा दी	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण (%) परीक्षा देने वालों से	परीक्षा दी	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण (%) परीक्षा देने वालों से
सामान्य	विकलांग	335	9	2.69	150	3	2.00	485	12	2.47
	जोड़ का प्रतिशत	2.84	4.95		0.68	0.77		1.44	2.10	
	नेत्रहीन	82	5	6.10	21	1	4.76	103	6	5.83
	जोड़ का प्रतिशत	0.69	2.75		0.10	0.26		0.30	1.05	
	अन्य	11398	168	1.47	21791	386	1.77	33189	554	1.67
	जोड़ का प्रतिशत	96.47	92.31		99.22	98.97		98.26	96.85	
	जोड़	11815	182	1.54	21962	390	1.78	33777	572	1.69
अन्य पिछड़ा वर्ग	विकलांग	324	10	3.09	84	0	0.00	408	10	2.45
	जोड़ का प्रतिशत	2.54	8.85		0.80	0.00		1.75	5.68	
	नेत्रहीन	68	3	4.41	24	0	0.00	92	3	3.26
	जोड़ का प्रतिशत	0.53	2.65		0.23	0.00		0.39	1.70	
	अन्य	12385	100	0.81	10440	63	0.60	22825	163	0.71
	जोड़ का प्रतिशत	96.93	88.50		98.98	100.00		97.86	92.61	
	जोड़	12777	113	0.88	10548	63	0.60	23325	176	0.75
अ.जा.	विकलांग	127	0	0.00	31	0	0.00	158	0	0.00
	जोड़ का प्रतिशत	1.31	0.00		0.50	0.00		1.00	0.00	
	नेत्रहीन	28	1	3.57	9	0	0.00	37	1	2.70
	जोड़ का प्रतिशत	0.29	0.78		0.15	0.00		0.23	0.44	
	अन्य	9564	128	1.34	6108	97	1.59	15672	225	1.44
	जोड़ का प्रतिशत	98.41	99.22		99.35	100.00		98.77	99.56	
	जोड़	9719	129	1.33	6148	97	1.58	15867	226	1.42
अ.ज.जा.	विकलांग	31	0	0.00	5	0	0.00	36	0	0.00
	जोड़ का प्रतिशत	1.02	0.00		0.19	0.00		0.64	0.00	
	नेत्रहीन	9	0	0.00	1	0	0.00	10	0	0.00
	जोड़ का प्रतिशत	0.30	0.00		0.04	0.00		0.18	0.00	
	अन्य	3010	52	1.73	2608	34	1.30	5618	86	1.53
	जोड़ का प्रतिशत	98.69	100.00		99.77	100.00		99.19	100.00	
	जोड़	3050	52	1.70	2614	34	1.30	5664	86	1.52
कुल मिलाकर	विकलांग	817	19	2.33	270	3	1.11	1087	22	2.02
	जोड़ का प्रतिशत	2.19	3.99		0.65	0.51		1.38	2.08	
	नेत्रहीन	187	9	4.81	55	1	1.82	242	10	4.13
	जोड़ का प्रतिशत	0.50	1.89		0.13	0.17		0.31	0.94	
	अन्य	36357	448	1.23	40947	580	1.42	77304	1028	1.33
	जोड़ का प्रतिशत	97.31	94.12		99.21	99.32		98.31	96.98	
	जोड़	37361	476	1.27	41272	584	1.42	78633	1060	1.35

तालिका VI : सी.एस.आई.आर.-वि.अ.आ. नेट के अंतर्गत संयुक्त रूप से कवर किए विज्ञान के विषयों की सूची

क्र.सं.	विषय
1.	रसायन विज्ञान
2.	पृथ्वी, वायुमण्डलीय, समुद्र तथा गृह विज्ञान
3.	जीव विज्ञान
4.	गणितीय विज्ञान
5.	भौतिकी विज्ञान

तालिका VII : संयुक्त सी.एस.आई.आर.-वि.अ.आ. नेट के उम्मीदवारों का निष्पादन

संयुक्त सी.एस.आई.आर.- वि.अ.आ. नेट	निम्नलिखित के लिए पात्र उम्मीदवारों की संख्या			
	वि.अ.आ. जे.आर.एफ.	सी.एस.आई.आर. जे.आर.एफ.	केवल लैक्चरारशिप	लैक्चरारशिप (जे.आर.एफ. सहित)
जून, 2008	300	1665	919	2884
दिसम्बर, 2008	600	1787	1980	4367

वर्ष 2008-09 के दौरान, वि.अ.आ.- नेट परीक्षा आयोजित करने के लिए 5.17 करोड़ रुपये का व्यय हुआ था। इसमें नेट ब्यूरो दिल्ली व नेट कार्यालय, पुणे में गोपनीय कार्यशाला आयोजित करने पर हुआ व्यय शामिल नहीं है।

राज्य पात्रता परीक्षा (एस0ई0टी0)

भारत सरकार द्वारा अपनी अधिसूचना दिनांक 22.07.1988 के जरिए दिए गए अध्यादेश के अनुसार, राज्य सरकारों के अनुरोध पर वि.अ.आ. ने राज्य सरकार की राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.), जिन्हें पहले एस.एल.ई.टी. कहा जाता था, आयोजित करने की अनुमति दे दी जिससे उन्हें विधिवत वि.अ.आ. द्वारा नियम अवधि के लिए मान्यता दी गई। एस.ई.टी. का पैटर्न भी वि.अ.आ. द्वारा संचालित नेट परीक्षा जैसा है।

कुछ राज्यों के लैक्चरारशिप की पात्रता के लिए अपनी परीक्षा आयोजित करने की प्रतिक्रिया में वि.अ.आ. ने अब तक केवल लैक्चरारशिप के लिए एस.ई.टी. के आयोजन के लिए निम्नलिखित राज्यों/समूहों को मान्यता देने की मंजूरी दी है। एस.ई.टी. अभिकरणों के निष्पादन की वि.अ.आ. द्वारा आवधिक तौर पर विशेषज्ञों की सहायता से पुनरीक्षा की जाती है और उनके प्रत्यायन का निर्धारित अवधि के लिए नवीकरण किया जाता है। वि.अ.आ. नेट ब्यूरो के प्रमुख सेट अभिकरणों की विषय संचालन और आधुनिकीकरण समितियों के स्थायी सदस्य होते हैं, जिनका गठन परीक्षाओं को आयोजित करने और परिणामों को घोषित करने के समग्र पर्यवेक्षक के लिए किया जाता है।

जिन उम्मीदवारों ने राज्य पात्रता परीक्षा (सेट), जिसका वि.अ.आ. द्वारा लैक्चरारशिप के लिए 1 जून, 2002 से पूर्व प्रत्यायन किया हो, को नेट परीक्षा में बैठने से छूट दे दी जाती है। 1 जून, 2002 में या उसके बाद आयोजित होने वाले सुनिश्चित सेट में पास होने वाले उम्मीदवार राज्य से संबंधित केवल उन्हीं विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में लैक्चरार के पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे जहां से उन्होंने अपना सेट पास किया होगा। तथापि, ऐसे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र भी होंगे, यदि वे ऐसा चाहें तो। सेट की परीक्षा आयोजित करने के लिए व्यय को संबंधित राज्यों द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।

वर्ष 2008-09 के दौरान, निम्नलिखित राज्यों/समूहों ने सफलतापूर्वक एस.ई.टी. की परीक्षा आयोजित की :-

1. जम्मू और कश्मीर
2. हिमाचल प्रदेश
3. महाराष्ट्र और गोवा

4. पूर्वोत्तर राज्य (असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल हैं)
5. गुजरात
6. तमिलनाडु

सेट की परीक्षा आयोजित करने के लिए व्यय को सम्बंधित राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा।

5.19 यूजीसी स्वामी प्रणवानंद सरस्वती राष्ट्रीय पुरस्कार, यूजीसी हरिओम आश्रम न्यास राष्ट्रीय पुरस्कार तथा यूजीसी वेद व्यास संस्कृत राष्ट्रीय पुरस्कार

● यूजीसी नेशनल प्रणवानन्द सरस्वती पुरस्कार

स्वामी प्रणवानंद सरस्वती राष्ट्रीय अवार्ड, निदेशक योग सोसायटीज, अमरीका द्वारा दिए गए 5.00 लाख रुपये के दान की सहायता में, वि.अ.आ. ने निम्नलिखित पुरस्कार प्रारंभ किए हैं जो कि वर्ष 1985 से आगे उत्कृष्ट विद्वतापूर्ण/वैज्ञानिक कार्य जिससे मानव ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान हुआ है और समस्याओं पर नए तरीके से प्रकाश डाला है, हर वर्ष दिए जा रहे हैं। प्रत्येक पुरस्कार में 50,000 रुपये दिए जाते हैं जिसमें वि.अ.आ. का 40,000 रुपये का भाग शामिल है। पुरस्कार पांच क्षेत्रों में दिए जाते हैं अर्थात् शिक्षा, अर्थशास्त्र, पर्यावरणीय विज्ञान और पारिस्थितिकीय विज्ञान, राजनीतिक शासन, समाज विज्ञान। इन पुरस्कारों के लिए विश्वविद्यालय प्रणाली में कार्य करने वाले भारतीय या वे, जो उन विश्वविद्यालयों या संस्थानों से संबद्ध हैं जिन्हें अनुसंधान/अग्रिम अध्ययन के लिए मान्यता प्राप्त है, पात्र हैं। भारतीय विद्वानों द्वारा इन अवार्डों के लिए किए गए योगदान पर जीवन में एक बार ही विचार किया जाएगा। वर्ष 2008-09 के दौरान कोई पुरस्कार नहीं दिए गए।

● यूजीसी नेशनल हरिओम आश्रम न्यास पुरस्कार

हरिओम आश्रम न्यास, नडियाड द्वारा दिए दान की सहायता से वि.अ.आ. ने इन पुरस्कारों को शुरू किया है जो हर वर्ष उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को वर्ष 1974 के बाद से दिए जाते हैं। अब, प्रत्येक पुरस्कार में 50,000 रुपये दिए जाते हैं जिसमें वि.अ.आ. का 40,000 रुपये का भाग शामिल है। वर्ष 2008-09 के दौरान कोई पुरस्कार नहीं दिए गए।

● यूजीसी नेशनल वेद व्यास राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार

वर्ष 2000 में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संस्कृत में गुणवत्ता शिक्षण/अनुसंधान के संवर्द्धन के लिए और उत्कृष्ट अध्यापक का पता लगाने और उसे मान्यता देने के लिए और शिक्षण अनुसंधान/नवाचारों/नए कार्यक्रमों तथा संस्कृत भाषा के संवर्द्धन के लिए वि.अ.आ. वेद व्यास राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार शुरू किया है। यह पुरस्कार वार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार है और इसमें 1,00,000 रुपये की राशि और प्रशस्ति पत्र शामिल है। वि.अ.आ. के क्षेत्राधिकार वाले सभी अध्यापक जो संस्कृत विभाग में स्नातकोत्तर/स्नातक पूर्व अध्यापन कार्य में संलग्न हैं, इसके लिए पात्र हैं।

यह पुरस्कार संस्कृत शिक्षकों को उनके शिक्षा शोध में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है जिन्होंने संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने में पर्याप्त योगदान दिया है। वर्ष 2008-09 के दौरान, कोई पुरस्कार नहीं दिए गए।

6 अनुसंधान को प्रोत्साहन

6.1 शिक्षकों के लिए अनुसंधान परियोजनाएं—वृहद एवं लघु

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वृहद एवं लघु कला, सामाजिक विज्ञान भाषा साहित्य, शुद्ध विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, फार्मेसी, चिकित्सा, कृषि विज्ञान आदि उभरते हुए क्षेत्रों में शिक्षा एवं अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयत्नशील है जैसे स्वास्थ्य, वृद्धावस्था विज्ञान, पर्यावरण, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, दबाव प्रबंधन, विश्व व्यापार संगठन तथा अर्थव्यवस्था, विज्ञान, इतिहास, एशियन दर्शनशास्त्र तथा विषय विशेषज्ञों द्वारा पहचाने गए, अनेक अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है जो एक विशिष्ट विषय से संबंधित नहीं हैं।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य, विभिन्न विषयों में विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में अनुसंधान कार्यक्रमों को समर्थन प्रदान कर उच्च शिक्षा में अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता को प्रोत्साहन देना है।

वि.अ.आ. अधिनियम 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में नियमित स्थायी, सेवानिवृत्त/कार्यरत शिक्षक इसके पात्र हैं। अनुसंधान परियोजना को एक शिक्षक या शिक्षकों के एक समूह द्वारा आरम्भ किया जा सकता है। 39 कुलपति, प्रधानाचार्य, पुस्तकालयाध्यक्ष के अलावा शारीरिक शिक्षा के शिक्षक भी इस योजना में भाग ले सकते हैं। शिक्षक, कार्यरत या सेवानिवृत्त, किसी एक समय पर वि.अ.आ. द्वारा प्राप्त केवल एक स्कीम/ परियोजना का कार्य कर सकते हैं। सेवानिवृत्त, 70 वर्ष की उम्र तक के शिक्षक योजना में भाग ले सकते हैं। सेवानिवृत्त शिक्षकों के मामले में, उस विभाग का सह अन्वेषक (नियमित शिक्षक) होना आवश्यक है यहां परियोजना कार्य किया जाना है।

आयोग, उन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों को विशेषकर लैक्चररों में शिक्षण को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो किसी स्वीकृत पर्यवेक्षक के पर्यवेक्षण में शिक्षण कार्य के साथ साथ लघु अनुसंधान परियोजना या डॉक्टरेट उपाधि के लिए कार्य कर रहे हैं। लघु अनुसंधान परियोजना के लिए सेवानिवृत्त शिक्षक पात्र नहीं हैं।

अनुसंधान परियोजना के लिए दी जाने वाली सहायता निम्नवत है :

- अभियांत्रिकी एवं तकनीकी प्रौद्योगिकी चिकित्सा, फार्मेसी, कृषि आदि सहित विज्ञान में मुख्य अनुसंधान परियोजना 12.00 लाख रुपये
- मानविकी, सामाजिक विज्ञान भाषा साहित्य, कला, विधि तथा संबद्ध विषयों में मुख्य अनुसंधान परियोजना 10.00 लाख रुपये
- विज्ञान में लघु अनुसंधान परियोजना 2.00 लाख रुपये
- मानविकी और सामाजिक विज्ञान में लघु अनुसंधान परियोजना 1.50 लाख रुपये

वि. अ. आ. द्वारा प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता, पुस्तकों एवं जर्नल अनुसंधानकर्ताओं, भाड़े पर ली गई सेवाओं, आकस्मिकताओं रसायन तथा उपभोग्य मदों, यात्रा तथा स्थल कार्य तथा किसी अन्य विशेष आवश्यकता के लिए हैं। तथापि, अनुसंधान कर्मियों के लिए सहायता लघु अनुसंधान परियोजना में प्रदान नहीं की जाएगी।

वि.अ.आ., परियोजना अवधि के दौरान, निम्नलिखित अनुसंधान स्टाफ को सहायता प्रदान करने हेतु शामिल करने के लिए अनुमोदित कर सकता है। अनुसंधान कर्मचारी, अनुसंधान परियोजना पर मुख्य अन्वेषक के साथ पूर्णकालिक अवधि के लिए कार्य करेगा।

● पोस्ट डॉक्टोरल फैलो (पी.डी.एफ.)

45 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति जिसके पास डाक्टरेट की उपाधि है अथवा संबंधित क्षेत्र में उसके द्वारा प्रकाशित अनुसंधान कार्य है, वह पी. डी. एफ. के रूप में संलग्न हो सकता है पी. डी. एफ. की परिलब्धियां 12,000 रुपये प्रतिमाह (निश्चित) हैं जिसमें मकान किराया भी शामिल होगा।

● परियोजना एसोशिएट (पी.ए.)

नेट जे. आर. एफ./लेक्चररशिप तथा स्लेट परीक्षा उत्तीर्ण किए गए अभ्यर्थी को परियोजना के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। पी. एच. डी./एम. फिल. उपाधि एम. ई./एम. टेक./एम. काम. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी परियोजना सहायक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। नियुक्ति के समय अभ्यर्थी की आयु 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। परिलब्धियां 10,000 रुपये प्रतिमाह तथा मकान किराया भत्ता होगा।

● परियोजना फैलो

परियोजना फैलो को 8000 रुपये प्रतिमाह तथा मकान किराया भत्ता के समेकित वेतन पर नियुक्त किया जा सकता है। परियोजना फैलो के रूप में नियुक्त किए जाने वाले अभ्यर्थी की नियुक्ति के समय आयु 40 वर्ष से कम होनी चाहिए तथा कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ (अ. जा./अ. ज. जा./शा. वि. के मामले में 50 प्रतिशत) द्वितीय श्रेणी की निष्णात उपाधि होनी चाहिए अथवा बी.ई./बी. टेक. एवं एम. बी. बी. एस. की निष्णात उपाधि प्राप्त व्यक्ति भी परियोजना फैलो (पी.एफ.) के रूप में पात्र हैं।

सेवानिवृत्त शिक्षकों को 12,000 रुपये प्रतिमाह की दर से 70 वर्ष की उम्र तक मानदेय दिया जा सकता है। यदि मुख्य अन्वेषक की परियोजना अवधि के दौरान, 70 वर्ष की आयु हो जाती है और कुछ काम किया जाना शेष है तो मुख्य अन्वेषक को शेष अवधि के लिए मानदेय दिया जा सकता है। यदि मुख्य अन्वेषक की परियोजना अवधि के दौरान 70 वर्ष की आयु हो जाती है और कुछ काम किया जाना शेष है तो मुख्य अन्वेषक को शेष अवधि के लिए कार्य बिना मानदेय पूरा करना चाहिए। यदि परियोजना अवधि के दौरान, कोई शिक्षक सेवा निवृत्त हो जाता है जो एक शपथ पत्र जिस पर उसकी जन्मतिथि, सेवा निवृत्ति की तिथि दी गई है और यह बताया गया हो कि वह कहीं भी नियोजित नहीं है तथा वह किसी सरकारी/गैर सरकारी संगठन से कोई मानदेय प्राप्त नहीं कर रहा है, दिया जाना चाहिए तथा ओथ कमिश्नर द्वारा सत्यापित किया गया है तथा विभाग के डीन तथा संस्थान के प्रमुख जिस पर साक्षी हो।

वि.अ.आ. मामले के आधार पर परियोजना के लिए मूलभूत रूप से आबंटित निधियों के पुनर्विनियोजन पर विचार कर सकता है। अनावर्ती से आवर्ती के पुनर्विनियोजन की अनुमति नहीं है। मुख्य अन्वेषक, प्रत्येक शीर्ष केवल आवर्ती के तहत आबंटित अनुदान का 20 प्रतिशत तक पुनर्विनियोजित कर सकता है। अध्येतावृत्ति के लिए अनुदान को पुनर्विनियोजित नहीं किया जा सकता है।

मानविकी, सामाजिक विज्ञान आदि के लिए वृहत अनुसंधान परिभोजना की अवधि 24 माह तथा विज्ञान तथा अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी के छः माह के समय विस्तार के साथ 36 माह होगी। समय विस्तार केवल विशेष परिस्थितियों में दिया जाएगा तथा यह बिना किसी वित्तीय सहायता के होगा। समय विस्तार के दौरान, सेवा निवृत्त शिक्षकों को मानदेय तथा अनुसंधान कर्मियों के लिए अध्येतावृत्ति नहीं दी जाएगी। लघु अनुसंधान परियोजना की अवधि तीन माह के समय विस्तार के साथ 18 माह होगी। परियोजना के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि, संस्थान द्वारा निधियों की प्राप्ति की तिथि अथवा आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट होगी।

प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के आठ सप्ताह के भीतर किए गए कार्य की प्रगति की वार्षिक रिपोर्ट को आयोग को प्रस्तुत करना होगा। वि.अ.आ., विश्वविद्यालय की चल रही सभी वृहत परियोजनाओं की मध्यावधि समीक्षा बैठक, मुख्यालय तथा महाविद्यालय के संबंध में संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाएगा जिन्होंने डेढ़ वर्ष या दो वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो। मुख्य अन्वेषक को एक विशेषज्ञ समिति के समक्ष किए जा रहे कार्य के प्रस्तुतिकरण हेतु बुलाया जाएगा। मध्यावधि समीक्षा पर हुआ व्यय परियोजना निधियों से किया जाएगा। वि.अ.आ., की मध्यावधि मूल्यांकन समिति, परियोजना को जारी रखने पर विचार करेगी यदि परियोजना का मुख्य अन्वेषक मध्यावधि समीक्षा बैठक में उपस्थित नहीं होता है तो समिति सामान्य परिस्थितियों में परियोजना को रद्द कर सकती है तथा पी. आई. द्वारा वि.अ.आ., को संपूर्ण राशि लौटानी होगी।

वृहत और लघु (केवल विश्वविद्यालय के लिए लघु) परियोजना के लिए वि.अ.आ., द्वारा अनुमोदित बजट आबंटन एवं जारीकृत अनुदानों की रिपोर्टाधीन वर्ष में संख्या का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्रम सं.	संकाय	वर्ष 2008-09 के दौरान, बजट आबंटन (रुपये करोड़ में)	वर्ष 2008-09 के दौरान, प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	संस्तुत की गई परियोजनाओं की संख्या	जारी अनुदान (रुपये करोड़ में)	महिला अन्वेषको की संख्या
1.	फार्मसी एवं आयुर्विज्ञान सहित विज्ञान, अभियांत्रिकी में लघु एवं दीर्घ परियोजना	65.00	दीर्घ-1986 लघु-196	दीर्घ-911 लघु-151	63.90 रु.	341
2.	कला, समाज विज्ञान एवं भाषाएं	28.00	दीर्घ-880 लघु-86	दीर्घ-500 लघु-71	28.00 रु.	53

नोट: वि.अ.आ. के क्षेत्रीय कार्यालयों ने 3098 अनुसंधान परियोजनाओं (1407 विज्ञान में, 1691 मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान में) को अनुमोदित किया तथा वर्ष 2008-09 के दौरान, नवीन अनुमोदित परियोजनाओं के लिए 19.56 करोड़ रुपये की धन राशि का भुगतान किया गया।

6.2 शिक्षकों को अनुसंधान पुरस्कार

अनुसंधान पुरस्कारों की योजना, विश्वविद्यालय तथा संस्थाओं के स्थायी शिक्षकों को विशेषता के अपने अपने क्षेत्र में अनुसंधान कार्य में तीन वर्ष की पूरी अवधि बिताने का अवसर प्रदान करती है और इसके लिए उन शिक्षकों का कोई दायित्व नहीं होता है जिनके पास डाक्टरेट की डिग्री है तथा जिन्होंने अनुसंधान में उत्कृष्टता प्रदर्शित की है उन पर पुरस्कार के लिए विचार किया जाता है।

शिक्षक, जिनके पास डाक्टरेट की डिग्री है तथा जिन्होंने अपने क्षेत्र/क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्रदर्शित की है तथा 45 वर्ष से कम उम्र वालों को पुरस्कार का पात्र समझा जाएगा। महिलाओं अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (गैर संपन्न वर्ग) शारीरिक रूप से विकलांग एवं अल्पसंख्यक शिक्षकों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। शिक्षक, केवल एक बार अनुसंधान पुरस्कार पाने का पात्र होगा। यह पुरस्कार केवल दो वर्ष की अवधि के लिए होते हैं। 100 स्लॉट के लिए यह चयन विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान तथा अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी के सभी विषयों में प्रत्येक एक वर्ष छोड़कर एक वर्ष किए जाते हैं। इनका चयन वि.अ.आ. द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर होता है।

उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय सहायता निम्नवत हैं:

- o अवार्डी का पूरा वेतन, सी. पी. एफ./जी. पी. एफ. अंशदान को छोड़कर स्वीकार्य भत्ते
- o पुस्तकों एवं जर्नल रसायनों एवं उपकरणों, परियोजना सहायता पर होने वाले व्यय, केन्द्र के भीतर व बाहर होने वाला यात्रा व्यय आदि पर किए जाने वाले व्यय हेतु अनुसंधान अनुदान :

मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान – 2.00 लाख रुपये

विज्ञान अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी – 3.00 लाख रुपये

अवार्डी को, अवार्ड प्रारंभ होने के 12 से 15 माह के भीतर विभागाध्यक्ष के साथ साथ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार/महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से अनुसंधान कार्य की मध्यावधि प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

उम्मीदवार के बाद में कदाचार, अनुसंधान कार्य की असंतोषजनक प्रगति तथा अयोग्य पाया जाने पर अनुसंधान अवार्ड को रद्द किया जा सकता है।

आयोग ने वर्ष 2008-2009 के दौरान, अध्येतावृत्ति प्राप्तकर्ताओं को 4.86 करोड़ रुपये (वि.वि. शिक्षकों के लिए 3.04 करोड़ तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए 1.82 करोड़ के व्यय के रूप में) व्यय का भुगतान किया गया है।

6.3 इमेरिट्स अध्येतावृत्तियां

इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य वि.अ.आ. अधिनियम के तहत अनुमोदित सभी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनके संबंधित विशिष्टता के क्षेत्र में सक्रिय अनुसंधान जारी रखने का अवसर प्रदान करना है।

लक्षित समूह, भली भांति प्राप्त एवं अनुभव प्राप्त सेवानिवृत्त होने की संभावना वाले मान्यता प्राप्त संस्थानों के शिक्षक हैं। इस अध्येतावृत्ति के लिए पात्रता को शिक्षक द्वारा उसके सेवाकाल में अनुसंधान की गुणवत्ता तथा शिक्षक द्वारा प्रकाशित कार्य में योगदान के आधार पर आंका जाता है। अवाडी इस योजना के तहत 70 वर्ष की आयु तक अथवा दो वर्ष (जिसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता) जो भी पहले हो, के भीतर सुस्थापित समयबद्ध कार्य योजना के तहत कार्य कर सकता है। अध्येतावृत्ति का पैटर्न निम्नवत है:

- विज्ञान विषयों के लिए स्लॉटों की संख्या : 100 (निर्धारित समयानुसार)
- मानविकी/सामाजिक विज्ञान तथा भाषाओं के लिए स्लॉटों की संख्या : 100 (निर्धारित समयानुसार)
- मानदेय : दो वर्ष तक 20,000/- रुपये प्रतिमाह (जिसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता)
- आकस्मिक अनुदान (अव्यपगत) : 50,000 रुपये प्रतिवर्ष

आकस्मिक अनुदान को, सचिव सहायता, जो कि अनुसंधान परियोजना से जुड़े स्थानों की देश के भीतर यात्रा, लेखन, डाक सामग्री, उपभोग्य पुस्तकें तथा जर्नल एवं उपस्करों के लिए उपयोग किया जा सकता है। अवाडी के अनुमोदित अनुसंधान कार्य के साथ जुड़े स्थानों पर वर्ष में एक बार विदेश यात्रा की अनुमति है जो कि उस संस्थान, जहां परियोजना कार्य किया जा रहा है, उसकी पूर्णानुमति तथा आयोग की अनापत्ति के अधीन है। इमेरिट्स फैलो, आवास के अलावा विश्वविद्यालय संकाय के सदस्यों को उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं सहित अन्य सुविधाओं के हकदार होंगे।

अध्येतावृत्ति को अनुसंधान की नकल, असंतोषजनक कार्य तथा बाद में अभ्यर्थी की अपात्रता का पता लगने पर रद्द किया जा सकता है।

वर्ष 2008-09 के दौरान, 2.05 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

6.4 अनुसंधान कार्यशालाएं/संगोष्ठियां/परिसंवाद एवं सम्मेलन

विभिन्न क्षेत्रों में आयोग, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यशालाएं संगोष्ठियां सम्मेलन आदि कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। इसके अलावा, इस योजना का उद्देश्य, शिक्षकों और अनुसंधानकर्ताओं को उनके ज्ञान अनुभव तथा अनुसंधान को एक दूसरे के साथ बांटने के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु सुविधाएं प्रदान कर कालेजों में उच्च स्तरों को बढ़ावा देना है।

स्कीम का मूलभूत ज्ञान और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए देश के विभिन्न भागों तथा विदेशों से अकादमीशियनों तथा विशेषज्ञों को एक साथ एक मंच पर लाना है।

वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 2(एफ) तथा 12(बी) के अधीन सभी महाविद्यालयों को स्कीम के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। विश्वविद्यालय, वर्ष में एक बार, दो राज्य/राष्ट्रीय स्तर कार्यक्रम तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर सकता है।

सहायता सीमा निम्नवत हैं:

- o राज्य स्तर सम्मेलन/कार्यशाला/संगोष्ठी 1.00 लाख रुपये
- o राष्ट्रीय स्तर सम्मेलन/कार्यशाला/संगोष्ठी 1.50 लाख रुपये
- o अंतर्राष्ट्रीय स्तर सम्मेलन/कार्यशाला/संगोष्ठी 2.00 लाख रुपये

अनुदान राशि का यात्रा भत्ता मानदेय में उपयोग किया जा सकता है। यात्रा भत्ता पर्व प्रस्तुतकर्ताओं, सम्मेलन मुद्रण के प्रकाशनों, कार्यवाहियों तथा भोजन एवं आवास सहित स्थानीय मेहमान-नवाजी के लिए है।

महाविद्यालय, जो इस स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हैं, को निर्धारित प्रारूप में अपना प्रस्ताव संबद्ध वि.अ.आ. के क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। महाविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत सभी प्रस्तावों पर सहायता प्रदान करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति विचार करेगी।

रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान, आयोग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने, दिल्ली के महाविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन किया तथा स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उप-प्रस्तावों की सिफारिश की तथा भारतीय विज्ञान कांग्रेस तथा भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस के आयोजन के लिए अनुदान प्रदान किया।

वि.अ.आ. मुख्यालय द्वारा सम्मेलन/कार्यशालाएं आदि आयोजित करने के लिए पात्र दिल्ली महाविद्यालयों को 48.33 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय ने, तकरीबन 1346 प्रस्तावों को वर्ष 2008-2009 के दौरान, अनुमोदित भी किया है तथा अनुसंधान संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आदि आयोजित करने के लिए 7.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

6.5 विदेशी नागरिकों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.) तथा अनुसंधान एसोसिएटशिप (आर.ए.)।

भारतीय विश्वविद्यालयों में विज्ञान, कला तथा सामाजिक विज्ञान संकायों में एम.फिल./पी.एच.डी. करने के इच्छुक विदेशी नागरिकों से प्राप्त आवेदनों के विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन के आधार पर आयोग, प्रतिवर्ष, कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति के लिए 20 तथा अनुसंधान एसोसिएटशिप के लिए 7 अभ्यर्थियों का चुनाव करता है। अध्येतावृत्ति चार वर्ष की अवधि के लिए होती है (जिसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है) अध्येतावृत्ति का पैटर्न निम्नवत है :-

कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.)

अध्येतावृत्ति	प्रथम दो वर्षों के लिए 12,000 रुपये प्रतिमाह की दर से शेष अवधि के लिए 14,000 रुपये प्रतिमाह की दर से
आकस्मिकता	प्रथम दो वर्ष मानविकी एवं समाज विज्ञान के लिए 10,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से विज्ञान के लिए 12,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान हेतु शेष अवधि के लिए 20,500 रुपये प्रतिवर्ष की दर से विज्ञान हेतु शेष अवधि के लिए 25,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से
विभागीय सहायता/ विकलॉग भत्ता/ आवास भत्ता	प्रत्येक जे.आर.एफ. 3,000 रुपये प्रतिवर्ष सहायता की दर से प्रत्येक जे.आर.एफ. 1000 रुपये प्रतिवर्ष सहायता की दर से संस्थान के संबंधित नियमों के अनुसार

अनुसंधान एसोसिएटशिप (आर.ए.)

अध्येतावृत्ति	चार वर्षों के लिए 16,000 रुपये प्रतिमाह की दर से निश्चित
आकस्मिकता	चार वर्षों के लिए 30,000 रुपये प्रतिमाह की दर से निश्चित
विभागीय सहायता	10 प्रतिशत एसोसिएटशिप आमंत्रित करने वाली संस्था को आधारभूत संरचना प्रदान करने के लिए
आवास भत्ता	संबंधित विश्वविद्यालय/संस्था के नियमानुसार

वर्ष 2008-09 के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.) के लिए 20 विदेशी नागरिकों तथा अनुसंधान एसोसिएटशिप (आर.ए.) के लिए 7 विदेशी नागरिकों का चयन किया गया है।

6.6 भारतीय नागरिकों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.)

(क) विज्ञान मानविकी और सामाजिक विज्ञान में कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियां (जे.आर.एफ.)

जे. आर. एफ. योजना का मुख्य उद्देश्य है, विद्वानों को अनुसंधान करने के लिए अवसर प्रदान करना ताकि विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान सहित, एम.फिल./पी.एच.डी. की उपाधियां मिलें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) उन अभ्यर्थियों को प्रतिवर्ष 1600 जे.आर.एफ. अवार्ड देता है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एन.ई.टी.) तथा यू.जी.सी.-सी.एस.आई.आर. परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। अध्येतावृत्तियों का पैटर्न निम्नवत है :

अध्येतावृत्ति	प्रथम दो वर्षों के लिए 12,000/-रुपये प्रतिमाह की दर से	प्रतिमाह
	शेष अवधि के लिए 14,000/- रुपये प्रतिमाह की दर से	एस.आर.एफ.
आकस्मिकता-अ	प्रथम दो वर्षों के लिए 10,000/-रुपये प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 20,500/-रुपये प्रतिवर्ष की दर से	मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान
आकस्मिकता-ख	प्रथम दो वर्षों के लिए 10,000/-रुपये प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 25,000/-रुपये प्रतिवर्ष की दर से	विज्ञान
विभागीय सहायता	आमंत्रित करने वाली संस्था को आधारभूत संरचना प्रदान करने हेतु 3000 रुपये प्रतिवर्ष प्रति छात्र की दर से	
सहायक/रीडर सहायता	शारीरिक विकलांग एवं नेत्रहीन अभ्यर्थी के लिए 2000/-रुपये की दर से	
आवास भत्ता	विश्वविद्यालय संस्थाओं के नियमानुसार	

वर्ष 2008-09 के दौरान, 45.35 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त, गैर विश्वविद्यालय/संस्थाओं के व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए वर्ष 2008-09 के दौरान 16,00 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। इस व्यय के अंतर्गत, जे.आर.एफ. तथा आर.ए. स्कीमों के तहत चयनित विदेशी नागरिकों को किया गया भुगतान भी शामिल है।

(ख) इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियां (जे.आर.एफ.)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्रतिवर्ष इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में अग्रिम अध्ययन और अनुसंधान के लिए 50 अनुसंधान अध्येतावृत्तियां पी.एच.डी. करने के लिए प्रदान करता है। इन अध्येतावृत्तियों की अवधि 5 वर्षों की होती है (जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता है)।

अध्येतावृत्तियों का पैटर्न निम्नवत् है :-

अध्येतावृत्ति	प्रथम दो वर्षों के लिए रु. 14,000/- प्रतिमाह की दर से /शेष अवधि के लिए रु. 15,000/- की दर से
आकस्मिकता	प्रथम दो वर्षों के लिए रु. 12,000/- प्रतिवर्ष की दर से /शेष अवधि के लिए रु. 25,000/- प्रतिवर्ष की दर से
विभागीय सहायता	आमंत्रित करने वाली संस्था को आधारभूत संरचना प्रदान उपलब्ध कराने के लिए प्रति छात्र रु. 3000/- प्रतिवर्ष की दर से
सहायक/रीडर सहायता	शारीरिक विकलांग एवं नेत्रहीन अभ्यर्थी के लिए रु. 2,000/- प्रतिवर्ष की दर से
आवास भत्ता	विश्वविद्यालय/संस्थाओं के नियमानुसार

वर्ष 2008-09 के दौरान, 3.95 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

6.7 अ.जा./अ.ज.जा. के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियां

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने अ.जा एवं अ.ज.जा. के लिए 2000 स्लॉट प्रतिवर्ष अर्थात् 1333 अ.जा. श्रेणी तथा 667 अ.ज.जा. के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना कार्यान्वित करने का कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंपा है तथा इसके लिए वित्तपोषण भी किया है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक असमानता को न्यूनतम करने के लिए अ.जा. एवं अ.ज.जा. के उम्मीदवारों को वि.अ.आ. 2000 राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियां देता है ताकि वे उन्नत अध्ययन और अनुसंधान कार्य कर सकें और विज्ञान, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान भाषा और इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी समेत, एम.फिल. /पी.एच.डी. कर सकें।

अध्येतावृत्ति का पैटर्न निम्नवत् है :-

मानविकी विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान में अध्येतावृत्ति	प्रथम दो वर्षों के लिए 12,000/-रुपये प्रतिमाह की दर से शेष अवधि के लिए रु. 14,000/-रुपये प्रतिमाह की दर से	आर.जी.एन.जे.आर.एफ. आर.जी.एन.एस.आर.एफ.
अभियांत्रिकी व प्रौद्योगिकी में अध्येतावृत्ति	प्रथम दो वर्षों के लिए 14,000/-रुपये प्रतिमाह की दर से शेष अवधि के लिए 15,000/-रुपये प्रतिमाह की दर से	आर.जी.एन.जे.आर.एफ. आर.जी.एन.एस.आर.एफ.
आकस्मिकता (क)	प्रथम दो वर्षों के लिए 10,000/- रुपये प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 20,500/-रुपये प्रतिवर्ष की दर से	मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान
आकस्मिकता (ख)	प्रथम दो वर्षों के लिए 12,000/- रुपये प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 25,000/- रुपये प्रति वर्ष की दर से	विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी
विभागीय सहायता	शोधकर्ताओं को आधारभूत संरचना प्रदान करने हेतु आमंत्रित करने वाली संस्थाओं को 3,000/- रुपये प्रतिवर्ष प्रति छात्र की दर से	सभी विषयों के लिए
सहायक/रीडर सहायता	शारीरिक विकलांग एवं नेत्रहीन अभ्यर्थी के लिए 2,000/-रुपये प्रतिमाह की दर से	सभी विषयों के लिए
आवास भत्ता	विश्वविद्यालय/संस्थाओं के नियमानुसार	सभी विषयों के लिए

वर्ष 2007-08 के दौरान, योजना स्कीम से इतर अ.जा. के अभ्यर्थियों के लिए 106.10 करोड़ रुपये तथा अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों के लिए 39.61 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

वर्ष 2008-09 के लिए राजीव गांधी अध्येतावृत्ति की स्कीम के तहत चयनित अ.जा./अ.ज.जा. अभ्यर्थियों की सूची :-

क्र.सं.	राज्यों के नाम चुने हुए	अभ्यर्थियों की संख्या	
		अ.जा.	अ.ज.जा.
1	आन्ध्र प्रदेश	98	42
2	अण्डमान और निकोबार	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	19
4	असम	19	37
5	बिहार	81	4
6	चंडीगढ़	1	0

7	छत्तीसगढ़	18	13
8	दादरा एवं नागर हवेली	0	0
9	दमन और दीव	0	0
10	दिल्ली	20	1
11	गोवा	0	0
12	गुजरात	29	45
13	हरियाणा	35	0
14	हिमाचल प्रदेश	14	5
15	जम्मू और कश्मीर	10	25
16	झारखण्ड	19	41
17	कर्नाटक	69	27
18	केरल	25	2
19	लक्षदीप	0	1
20	मध्य प्रदेश	78	58
21	महाराष्ट्र	80	23
22	मणिपुर	18	65
23	मेघालय	4	36
24	मिजोरम	0	27
25	नागालैण्ड	3	55
26	उड़ीसा	48	41
27	पाण्डिचेरी	1	0
28	पंजाब	58	0
29	राजस्थान	79	61
30	सिक्किम	0	3
31	तमिलनाडु	97	5
32	त्रिपुरा	5	3
33	उत्तर प्रदेश	290	1
34	उत्तराखण्ड	12	2
35	पश्चिम बंगाल	122	25
	जोड़	1333	667

6.8 अ.जा./अ.ज.जा. के लिए पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति

वि.अ.आ. ने अ.जा./अ.ज.जा. के उम्मीदवारों के लिए डॉक्टोरल उपरांत अध्येतावृत्ति आरंभ की है जिन्होंने वाचस्पति की उपाधि अर्जित कर ली है तथा जिन्होंने अनुसंधान कार्य प्रकाशित किया है।

अध्येतावृत्ति का पैटर्न निम्नवत् है :-

स्लॉट की संख्या-प्रतिवर्ष 100 (अ.जा./अ.ज.जा. के लिए)

- अध्येतावृत्ति 5 वर्षों के लिए 16,000 रु. प्रतिमाह की दर से
- आकस्मिकता 5 वर्षों के लिए 30,000 रु. प्रतिवर्ष की दर से
- विभागीय सहायता अनुसंधान करवाने वाली संस्था को पी.डी. फैलोशिप 10 प्रतिशत की दर से
- सहायक/रीडर सहायता 2000/-रु. प्रतिमाह (शारीरिक विकलांग एवं नेत्रहीन अभ्यर्थियों के लिए निश्चित)
- आवास भत्ता विश्वविद्यालय/संस्थान के नियमानुसार

वर्ष 2008-09 के दौरान, गैर योजनागत स्कीम के तहत वर्ष 2007-08 के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को शेष अध्येतावृत्ति राशि उपलब्ध कराने के लिए 494.61 लाख रु. व्यय किए गए।

6.9 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अ.जा./अ.ज.जा. के छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति :

योजना को समाज के पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है ताकि उन्हें विश्वविद्यालयों/संस्थाओं/महाविद्यालयों में व्यावसायिक विषयों, जैसे अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, फार्मसी आदि में स्नातकोत्तर स्तर का अध्ययन करने का अवसर प्रदान किया जा सके।

स्कीम का मुख्य उद्देश्य, 1000 अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों को, मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थाओं/महाविद्यालयों में व्यावसायिक विषयों में स्नातकोत्तर स्तर का अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

उम्मीदवार ने संबंधित विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त की हो, तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था/महाविद्यालय में किसी एक व्यावसायिक विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर दाखिला लिया हो।

- पुरुष आवेदनकर्ता की उच्चतम आयु सीमा आवेदन वर्ष की पहली जुलाई को 45 वर्ष तथा महिला उम्मीदवार की आयु 50 वर्ष होनी चाहिए। आपवादिक मामलों में आयु सीमा में छूट दी जा सकती है।
- उम्मीदवार, जो पत्राचार द्वारा या दूरस्थ शिक्षा माध्यम द्वारा व्यावसायिक विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कर रहे हैं, इसके पात्र नहीं हैं।

अ.जा./अ.ज.जा. की श्रेणी से संबंध रखने वाले उम्मीदवार, जो पात्रता की शर्तें पूरी करते हों, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था/महाविद्यालय में प्रवेश पाने के बाद वि.अ.आ. द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के समक्ष आवेदन करेंगे। प्रत्येक वर्ष के अगस्त के अंत तक चयन प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी।

स्कीम के तहत उपलब्ध स्लॉट्स की संख्या प्रतिवर्ष 1000 है। अवार्ड का कार्यकाल 2/3 वर्ष होगा जो कि व्यावसायिक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पर निर्भर करेगा।

स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए चयनित उम्मीदवारों को 15,000/- रु. प्रति वर्ष आकस्मिकता समेत 5,000/-रु. प्रतिमाह (एम.टेक.) की दर से तथा पाठ्यक्रम के लिए 3,000 रु. प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी तथा अन्य पाठ्यक्रमों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति की अवधि के लिए 10,000/-रु. प्रतिवर्ष का आकस्मिकता अनुदान प्रदान किया जायेगा।

1050.00/-लाख रु. के बजट आबंटन के समक्ष अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति के रूप में वर्ष 2008-09 के दौरान, 677.28 लाख रु. की कुल अनुदान राशि जारी की गई थी। वर्ष 2008-09 के लाभार्थियों की संख्या, वर्ष 2008-2009 में 736 थी।

6.10 अनुसंधान वैज्ञानिक (पूर्व संशोधित) :

इस योजना का प्रारंभ 1983 में भारतीय मूल के मेधावी वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए किया गया जो निम्नलिखित तीन स्तरों पर विज्ञान, इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान में उच्च गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान विदेशों में करने के इच्छुक हों :

1. लेक्चरर अनुसंधान वैज्ञानिक — अ
2. रीडर अनुसंधान वैज्ञानिक — ब
3. प्रोफेसर अनुसंधान वैज्ञानिक — स

वर्तमान में इस योजना के अन्तर्गत, लाभार्थी अनुसंधान वैज्ञानिकों की संख्या 72 है तथा 2008-09 के दौरान, उनके वेतन आकस्मिकता व्यय पर 4.81 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

6.11 महिला अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट डाक्टोरल अध्येतावृत्ति

अंशकालीन अनुसंधान एसोसिएटशिप योजना का प्रारंभ वर्ष 1998 में हुआ था तथा अब आयोग ने इस योजना को संशोधित कर दिया है और इसका नाम 'महिला अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट डाक्टोरल अध्येतावृत्ति' रखा है। इस योजना का उद्देश्य, पीएचडी उपाधि प्राप्त बेरोजगार महिलाएँ जो अंशकालीन आधार पर भाषा एवं विज्ञान सहित मानविकी, सामाजिक विज्ञान में पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान जारी रखना चाहती हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत या घरेलू कारणों से नियमित आधार पर कार्य जारी रखने में असमर्थ हैं उनको अनुसंधान का अवसर प्रदान करना है। स्कीम के 100 स्लॉट प्रतिवर्ष हैं।

एसोसिएटशिप राशि निम्नलिखित है :-

- 6,000 रु. प्रतिमाह (नये पी.एच.डी. उपाधि धारकों के लिए)
- 8,000 रु. प्रतिमाह (पाँच वर्ष का अनुसंधान अनुभव प्राप्त छात्रों के लिए)
- 10,000 रु. प्रतिमाह (आकस्मिकता) आवास भत्ता अनुमेय नहीं है।

वर्ष 2008-2009 के दौरान, महिला पोस्ट डाक्टोरल अध्येतावृत्ति के लिए 0.77 करोड़ रुपये (वि.वि. शिक्षकों के लिए 0.62 करोड़ रुपये तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए 0.15 करोड़ रुपये) का व्यय किया गया है।

6.12 अभियांत्रिकी निष्णात/प्रौद्योगिकी निष्णात/भेषज विज्ञान निष्णात के गेट (GATE) अर्हता प्राप्त छात्रों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति :-

इस योजना का उद्देश्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों में स्नातकोत्तर अध्ययन जारी रखने के लिए स्नातक छात्रों को मदद देना है।

छात्रवृत्ति का पैटर्न निम्नवत् है :-

अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी/भेषज विज्ञान निष्णात (60 प्रतिशत या अधिक)	5,000 रु. प्रतिमाह की दर से
छात्रवृत्ति (60 प्रतिशत या कम)	1,000 रु. प्रतिमाह की दर से
आकस्मिकता	5,000 रु. प्रतिमाह की दर से

गैर योजनागत स्कीम के तहत, वर्ष 2008-2009 के दौरान, 1126.72 लाख रुपये का व्यय किया गया।

6.13 स्नातकोत्तर इंदिरा गांधी एक मात्र बालिका छात्रवृत्ति योजना एवं स्नातकोत्तर मेरिट छात्रवृत्ति योजना, विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर प्रथम स्थान पर :

(i) इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर एक मात्र बालिका छात्रवृत्ति :

देखा गया है कि कतिपय राज्यों में बालकों की संख्या की तुलना में बालिकाओं की संख्या गिरती जा रही है जिस पर गंभीर रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। महिलाओं पर लड़कों को जन्म देने के लिए दबाव डाला जाता है। ऐसे माहौल में उनकी शिक्षा का एक प्रभावी माध्यम के रूप में तथा सशक्तिकरण हेतु इच्छानुसार जीवन जीने के अधिकार के उपयोग किए जाने की आवश्यकता है। बालिका शिशु के प्रति ऐसी मानसिकता, आर्थिक संवृद्धि तथा साक्षरता की रफ्तार को धीमा कर देगी। भारत सरकार ने घोषणा की है कि प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार प्रत्येक बालक को है। भारत संघ सरकार ने, बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने संबंधी विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वि.अ.आ. ने "स्नातकोत्तर इंदिरा गांधी एक मात्र बालिका छात्रवृत्ति योजना" को प्रारंभ किया जिसका उद्देश्य विशेष रूप से अपने परिवार की केवल एक मात्र बच्ची को सभी स्तरों पर बालिका शिक्षा की प्रत्यक्ष लागत की प्रतिपूर्ति करना है।

योजना का उद्देश्य, एक मात्र बालिका संतान को गैर-पेशेवर पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर शिक्षा में सहायता देना तथा छोटे परिवार के मानकों का पालन कराना है।

पात्रता :

कोई भी एक मात्र बालिका संतान इसकी पात्र है। लेकिन, यदि किसी परिवार में एक पुत्र तथा एक पुत्री है, उसे इस स्कीम के तहत छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। एक मात्र बालिका संतान जिसकी किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के समय आयु 30 वर्ष है, इसकी पात्र है। छात्रवृत्ति, स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए उपलब्ध है।

आयु :

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के समय बालिका छात्राएँ 30 वर्ष की आयु होने तक पात्र मानी जाएंगी।

छात्रवृत्तियों के लिए उपलब्ध स्लॉट्स :

छात्रवृत्तियों के लिए उपलब्ध स्लॉट्स की संख्या स्कीम के तहत 1200 प्रतिवर्ष है।

शुल्क में रियायत/छूट :

यू.जी.सी. अधिनियम की धारा 2(एफ) 12(बी) के अधीन विश्वविद्यालयों/कालेजों/संस्थानों में स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाली छात्राओं के लिए संस्थानों से अपेक्षा की जाती है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश पाने वाली छात्राओं से किसी प्रकार का शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा।

छात्रवृत्ति राशि :

मात्र 2 वर्ष की अवधि (एक वर्ष में 10 माह) अर्थात् स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि हेतु छात्रवृत्ति राशि 2,000/— प्रतिमाह है।

बजट आबंटन	—	13.77 करोड़ रुपये।
संवितरित की गई राशि	—	13.76 करोड़ रुपये।

स्नातकोत्तर अकादमिक सत्र-वार लाभार्थी

2005-07	—	1360
2006-08	—	1067
2007-09	—	1200
2008-10	—	1200

वर्तमान स्नातकोत्तर अकादमिक सत्र अर्थात वर्ष 2009-11 के लिए प्रमुख बड़े समाचार पत्रों में रोजगार समाचार सहित एक विज्ञापन शीघ्र ही (संभवतः सितम्बर के मध्य में) प्रकाशित किया जाएगा तथा उसे यूजीसी की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(ii) स्नातक पूर्व स्तर पर विश्वविद्यालय रैंक होल्डरों के लिए स्नातकोत्तर मेधा छात्रवृत्ति योजना

विश्व में राष्ट्र निर्माण के इतिहास में उच्च शिक्षा की अपनी अहम भूमिका रही है। यह बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि देश में उच्च शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाए बिना वहां के लोगों के सामान्य जन जीवन और संस्कृति के मानकों को उन्नत नहीं किया जा सकता। इसके लिए बहुउद्देशीय नीति बनाए जाने की आवश्यकता है। आज हमारी उच्च शिक्षा को आधुनिक बनाने के साथ साथ युवा वर्ग एवं प्रतिभावान छात्रों को उच्च शिक्षा की ओर आकर्षित करने की जरूरत है। विगत समय से यह देखा जा रहा है कि हमारे संस्थानों में मेधावी छात्रों द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्नातकोत्तर शिक्षा की ओर रुझान कम होता जा रहा है। शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में आविर्भाव होने के नाते, यह आवश्यक है कि प्रतिभावान युवाओं एवं युवतियों को स्नातकोत्तर शिक्षा की ओर आकर्षित किया जाए। इसके लिए, उन्हें छात्रवृत्ति के रूप में अच्छा प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाए। इस प्रकार, यूजीसी ने पूर्व स्नातक स्तर पर विश्वविद्यालय के सामान्य एवं प्रतिष्ठा पाठ्यक्रमों के रैंक होल्डरों के लिए स्नातकोत्तर मेधा छात्रवृत्ति योजना शुरू की है।

यह तर्कसंगत होगा कि छात्रवृत्ति की अवधि, दो सालों की रखी जाए जिससे प्रत्येक विश्वविद्यालय के पूर्व स्नातक स्तर के रैंक होल्डरों द्वारा स्नातकोत्तर डिग्री पूरी की जा सके। सभी विश्वविद्यालयों/डिग्री अवार्डिंग संस्थाओं को सामान्य एवं प्रतिष्ठा पाठ्यक्रमों जैसे बी.ए., बी.एससी. एवं बी.काम. में विश्वविद्यालय (कालेज स्तर पर नहीं) के प्रथम आने वाले छात्रों को रैंक प्रमाणपत्र जारी करना होगा। इस योजना का प्रयोजन है प्रतिभा संपन्न छात्रों को स्नातकोत्तर अध्ययन की ओर आकर्षित करने के साथ-साथ पूर्व स्नातक स्तर पर उनके मूल विषयों सामान्य एवं प्रतिष्ठा को सुदृढ़ता प्रदान करना। इस योजना के अंतर्गत अवार्ड, देश के किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान से किसी भी विशेष प्राप्त क्षेत्र में स्नातकोत्तर कार्यक्रम को पूरा कर सकेंगे।

योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- प्रतिभाओं का संवर्धन एवं पोषण
- स्नातकोत्तर अध्ययन करने के लिए स्नातक स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करना
- स्नातकोत्तर स्तर पर सामान्य एवं आनर्स, दोनों मूल विषयों को बढ़ावा देना (इस योजना में व्यावसायिक विषय शामिल नहीं हैं)
- देश के अन्य दूसरे कालेजों एवं विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा उत्कृष्टता का निर्माण करना।

पात्रता :

स्नातक स्तर पर सामान्य पाठ्यक्रम के पहले और दूसरे रैंक होल्डरों, जिन्हें किसी भी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिला मिल गया है, वे छात्रवृत्ति पाने के पात्र होंगे। प्रतिष्ठा पाठ्यक्रमों (मुख्य या प्रमुख) में पहले रैंक होल्डर को छात्रवृत्ति दी जाएगी। इन अवार्ड प्राप्तकर्ताओं को पूर्व स्नातक स्तर पर मेधा स्थिति के साथ-साथ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में मिले दाखिले का प्रमाण जमा कराना होगा।

हालांकि, पूर्व स्नातक में कम से कम साठ प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को ही छात्रवृत्ति दी जायेगी।

सामान्य पाठ्यक्रम के प्रथम अकादमिक वर्ष के लिए छात्रवृत्तियों की कुल संख्या 1800 प्रतिवर्ष तथा आनर्स पाठ्यक्रम के लिए 575 प्रतिवर्ष होगी। छात्रवृत्ति की अवधि मात्र 2 वर्ष होगी। किन्हीं भी परिस्थितियों में छात्रवृत्ति की अवधि में बढ़ोतरी नहीं की जायेगी।

केवल उन्हीं विश्वविद्यालयों (संबद्ध कालेजों समेत) के रैंक होल्डर्स पर विचार किया जायेगा जिनमें सामान्य पाठ्यक्रमों में परीक्षार्थियों की संख्या उक्त पाठ्यक्रमों में स्नातक पूर्व स्तर पर कम से कम 1000 तथा आनर्स पाठ्यक्रमों में कम से कम 100 होगी।

स्वायत्त कालेजों द्वारा प्रदत्त डिग्रियों को शामिल नहीं किया जाएगा तथा एक सामान्य रैंकिंग विनिर्दिष्ट की जाएगी। इस स्कीम के तहत, प्रत्येक अवार्डी को दो वर्ष (अर्थात एक वर्ष में 10 माह) की अवधि हेतु 2000 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

आबंटन - 2.33 करोड़ रुपये

व्यय - 2.33 करोड़ रुपये

यह योजना एकमात्र ऐसे छात्रों के लिए मान्य होगी जिन्होंने किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या स्नातकोत्तर कॉलेज में नियमित, पूर्णकालिक स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम में दाखिला लिया हो।

यह छात्रवृत्ति केवल स्नातकोत्तर-प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए उपलब्ध है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिला लेते समय 30 वर्ष तक की उम्र के छात्र इस योजना के पात्र हैं।

पूर्व स्नातक स्तर पर, निम्नलिखित पहचान किए गए विषयों में उत्तीर्ण छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी :

क्र.सं.	विषय
01	बी.एस.सी. (सामान्य) (सभी विषयों के लिए)
02	बी.ए.(सामान्य) (सभी विषयों के लिए)
03	बी.कॉम (सामान्य)
04	बी.कॉम (आनर्स)
05	बी.एस.सी. (वनस्पति) (आनर्स)
06	बी.एस.सी. (रसायन) (आनर्स)
07	बी.एस.सी. (गणित) (आनर्स)
08	बी.एस.सी. (भौतिकी) (आनर्स)
09	बी.एस.सी. (सांख्यिकी) (आनर्स)
10	बी.एस.सी. (प्राणी विज्ञान) (आनर्स)
11	बी.ए. (अर्थशास्त्र) (आनर्स)
12	बी.ए. (अंग्रेजी) (आनर्स)
13	बी.ए. (भूगोल) (आनर्स)
14	बी.ए. (हिन्दी) (आनर्स)
15	बी.ए. (इतिहास) (आनर्स)
16	बी.ए. (दर्शन) (आनर्स)
17	बी.ए. (राजनीतिक विज्ञान) (आनर्स)
18	बी.ए. (मनोविज्ञान) (आनर्स)
19	बी.ए. (संस्कृत) (आनर्स)
20	बी.ए. (सामाजिक विज्ञान) (आनर्स)
21	बी.ए. (उर्दू) (आनर्स)

अन्य संयोजन इस योजना में शामिल नहीं हैं।

स्नातकोत्तर अकादमिक सत्रवार लाभार्थी :

2005-07	-	186
2006-08	-	156
2007-09	-	207
2008-10	-	194

वर्तमान स्नातकोत्तर अकादमिक सत्र अर्थात वर्ष 2009-11 के लिए प्रमुख बड़े समाचार पत्रों में रोजगार समाचार सहित एक विज्ञापन शीघ्र ही (संभवतः सितम्बर के मध्य में) प्रकाशित किया जाएगा तथा उसे यूजी.सी. की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध कराया जाएगा।

6.14 विज्ञान में मेधावी छात्रों के लिए अनुसंधान अध्येतावृत्ति

● प्रस्तावना

वि.अ.आ. की विज्ञान में अनुसंधान अध्येतावृत्ति मेधावी छात्रों हेतु योजना, उन छात्रों के लिये खुली है जिन्होंने विज्ञान में पी.एच.डी. के लिये वि.अ.आ. के क्षमता वाले उत्कृष्ट विश्वविद्यालय/क्षमता वाले उत्कृष्ट केन्द्रों, एडवांस अध्ययन केन्द्रों एवं विशेष सहायता प्राप्त विभागों में पंजीकरण करवा लिया है।

● उद्देश्य

मेधावी छात्रों को विज्ञान में उच्च अध्ययन एवं शोध के लिए पी.एच.डी. डिग्री के लिये अवसर छात्रों को विज्ञान में उच्च अध्ययन एवं शोध के लिए पी.एच.डी. डिग्री के लिये अवसर प्रदान करना इस आर.एफ.एस.एम.एस. का उद्देश्य है।

● पात्रता

वि.अ.आ. द्वारा इंडिपेंडेंट क्षमता वाले उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों/क्षमता वाले उत्कृष्ट केन्द्रों, एडवांस अध्ययन केन्द्रों एवं विशेष सहायता प्राप्त विभागों में जिन मेधावी छात्रों ने विज्ञान में पीएचडी के लिये पंजीकरण करवा लिया है।

● अध्येता की अवधि

आर.एफ.एस.एम.एस. योजना के अंतर्गत अध्येतावृत्ति की अवधि 2 वर्षों की है। इस अवधि के समाप्त हो जाने के बाद, फेलो के कार्य का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा गठित एक विशेष समिति द्वारा किया जाता है। यदि शोध कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो उनके कार्यकाल की अवधि तीन वर्षों के लिए बढ़ा दी जाती है। यदि उनका 2 वर्षों का कार्य असंतोषजनक पाया जाता है तो उनको एक अतिरिक्त वर्ष कार्य में सुधार के लिये दिया जाता है। ऐसे मामलों में इसके कार्यों का मूल्यांकन पुनः तीन वर्षों के बाद किया जाता है यदि सुधार पाया जाता है तो फेलो को 2 वर्ष और शोध करने के लिये मिल जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत, इस प्रकार कुल अध्येतावृत्ति अवधि 5 वर्ष की है जिसकी सीमा अवधि और बढ़ाई नहीं जा सकती है।

● वित्तीय सहायता:

अध्येतावृत्ति: 10,000 रु. प्रतिमाह की दर से

आकस्मिक 6,000 रु. प्रतिवर्ष की दर से

छुटियाँ : सार्वजनिक छुटियों के अतिरिक्त एक शोध फेलो को वर्ष में 30 दिनों की छुटियाँ मिलती हैं। ये कोई भी अन्य छुटियों के हकदार नहीं है। महिला छात्रों को प्रसूति छुटियाँ 135 दिनों के लिए कुल फेलोशिप

देय राशि अवार्ड वर्ष की अवधि में एक बार मिलती हैं।

किन्हीं विशेष परिस्थितियों में शोध फेलो को छुट्टियां वि.अ.आ. बिना फेलोशिप के एक वर्ष के लिये अवार्ड की संपूर्ण अवधि के दौरान देता है जबकि वे शिक्षण कार्य अस्थाई आधार पर उसी शहर में स्वीकार करते हैं। अन्य परिस्थितियों में छुट्टियां बिना फेलोशिप के 3 माह से अधिक अवधि के लिये अवार्ड की अवधि के दौरान, अध्यक्ष एवं संस्थानों की सिफारिशों के आधार पर दी जा सकती हैं। वि.अ.आ. के अनुमोदन के लिए शोध फेलो को विश्वविद्यालय/संस्थाओं/कालेजों में माध्यम से काफी पहले छुट्टियों के लिये प्रार्थना पत्र देना पड़ता है।

● योजना के अंतर्गत आवेदन एवं चयन प्रक्रिया

केवल वही छात्र पात्र हैं जिन्होंने विज्ञान के विषयों में पीएचडी के लिये किसी वि.अ.आ. द्वारा पहचाने गये उत्कृष्ट क्षमता वाले एवं विशेष सहायता प्राप्त विभागों (एसएपी) में पंजीकरण करवा लिया है। उनको उन्हीं पहचाने गए विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में शोध अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन करना होगा। दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित संस्था चयन करेगी।

विश्वविद्यालय, शोध फेलो का चयन, योजना के अंतर्गत पात्र छात्रों में से करता है। एक चयन समिति की प्रक्रिया द्वारा जिसका गठन निम्नलिखित है :-

- (अ) कुलपति द्वारा नामित एक प्रख्यात वैज्ञानिक
- (ब) विभागीय अध्यक्ष
- (स) कुलपति द्वारा नामित विभाग के एक प्रोफेसर एवं एक रीडर
- (द) कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालयों के बाहर से दो विशेषज्ञों को, जो विभाग के अध्यक्ष द्वारा प्रेषित नामों के पैनल में से होते हैं।

● अनुदान निष्पादन प्रक्रिया :

विश्वविद्यालय/संस्था से चयन हुए अभ्यर्थियों के नामों, बायोडाटा एवं कार्य ग्रहण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद वि. अ.आ. उन फेलो की प्रथम किस्त अनुदान के रूप में संस्था/विश्वविद्यालय को वार्षिक आधार पर एकमुश्त राशि के रूप में ज्वाइनिंग डेट से जोड़कर भेज देती है।

विश्वविद्यालय/संस्था फेलो को अपने विकास अनुदान में से जिसे वि.अ.आ. एक मुश्त में भुगतान करता है ताकि फेलो को किसी भी विलम्ब से कोई कष्ट न हो सके। अध्येता छात्रवृत्ति की दूसरी किस्त विश्वविद्यालय/संस्थाओं को तभी जारी की जाती है जब तक कि वे वि.अ.आ. द्वारा प्रदत्त पिछली अनुदान राशि का ब्यौरा पूर्ण उपयोग प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी (पंजीयक/वित्त अधिकारी) द्वारा विधिवत् हस्ताक्षर किया हुआ प्राप्त कर ले।

● योजना में प्रगति की निगरानी प्रक्रिया

शोध फेलो की कार्यक्षमता की निगरानी शोध गाइड/सुपरवाइजर द्वारा की जाती है जिसको वार्षिक प्रगति रिपोर्ट के रूप में विश्वविद्यालय वि.अ.आ. को प्रेषित करता है।

अवार्ड के प्रथम 2 वर्षों को पूरा कर लेने के बाद, फेलो विभाग, विश्वविद्यालय में आवेदन करता है ताकि वे कार्य जारी रख सकें। इसके लिए तीन सदस्यों की समिति का गठन, संस्था करती है जिसमें सुपरवाइजर विभागाध्यक्ष, एवं एक बाहरी विषय विशेषज्ञ होता है जो शोध कार्य का मूल्यांकन करता है। समिति की सिफारिशों के आधार पर फेलो को आगे कार्य करने की अनुमति मिल जाती है।

संबंधित विभाग से यह अपेक्षा की जाती है कि वे फेलो के कार्य की निरंतर निगरानी करें। ये कोई भी पद को स्वीकार या उस पर आसीन नहीं हो सकते हैं चाहे वह आमदनी का हो या वेतन, वृत्ति का हो।

पूरी अवधि के दौरान, वि.अ.आ. द्वारा अध्येतावृत्ति विश्वविद्यालय की सिफारिशों पर समाप्त की जा सकती है। परन्तु वि.अ.आ. का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा। फेलोशिप की अवधि 5 वर्ष की है जो ज्वाइनिंग डेट से लागू होगी, जो आगे तभी चल पायेगी जब उसका शोध कार्य संतोषजनक हो या पीएचडी जमा कर दी हो, जिसका समय पहले का हो। 5 वर्ष की अवधि के बाद विस्तार नहीं हो सकता है। उसके बाद फेलोशिप समाप्त हो जाती है। इसके बाद कोई दावा इस संबंध में गैर कानूनी होगा।

● अन्य शर्तें

शोध फेलो, गाइड/विभागीय हैड की सहमति से विश्वविद्यालय संस्थाओं के अकादमिक कार्यों में मदद कर सकता है जिसमें ट्यूटोरियल, परीक्षा पत्रों का मूल्यांकन, प्रयोगशाला में प्रदर्शन, फील्डवर्क का पर्यवेक्षण, पुस्तकालय गतिविधियाँ जैसे सामूहिक संगोष्ठियों, परिचर्चाओं आदि गतिविधियों में भाग ले सकें बशर्ते, इससे शोध कार्य में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। इन गतिविधियों को करने के लिए कुल समय 10 घंटे प्रति सप्ताह से अधिक न हो।

● अवार्ड का निरस्तीकरण

फेलोशिप को निरस्त किया जा सकता है, इन परिस्थितियों में :

- अशोभनीय आचरण
- निम्नवत से संबंधित किसी परीक्षा में असंतोषजनक शोधकार्य की प्रगति एम.फिल./पी.एच.डी. अथवा
- यदि वे बाद में कभी अपात्र पाये गये।

वर्ष 2008-2009 के दौरान, 10,000 रु. प्रतिमाह की दर से कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति तथा प्रत्येक विज्ञान विभाग (सीएएस/डीएसए) को 6000 रुपये प्रतिमाह का आकस्मिक अनुदान दिया गया है तथा चयनित विभागों में कार्य कर रहे फेलो को कुल 13.02 करोड़ रुपये का कुल अनुदान जारी किया गया।

6.15 वर्ष 2008-09 के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों में मूलभूत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति :

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूआईसीटी, मुम्बई के पूर्व निदेशक प्रो. एम.एम. शर्मा की अध्यक्षता के अंतर्गत भारतीय विश्वविद्यालयों में मूलभूत वैज्ञानिक अनुसंधान को पुनर्जीवित करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया। यूआईसीटी, मुम्बई के पूर्व अध्यक्ष प्रो. एम.एम. शर्मा की अध्यक्षता में कार्यबल की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए एक शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया गया। कार्यबल की सिफारिशों पर कार्यवाही करने के लिए लगभग प्रत्येक माह शक्तिप्राप्त समिति की बैठक आयोजित की जाती है। अद्यतन स्थिति इस प्रकार है :-

1. वि.अ.आ. के नॉन एस.ए.पी. स्तर के विज्ञान विभाग/डीआरएस/सीएएस/डीएसए को 10,000 रुपये प्रतिवर्ष के आकस्मिक अनुदान सहित 6,000 रु. प्रतिमाह की 3276 कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ दी गईं।
2. स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रम में अनुसंधान घटक को सम्मिलित करने हेतु आवश्यक विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, सुरक्षा उपस्कर, प्रयोगशाला, कार्य करने वाले विज्ञान तथा अभियांत्रिकी विज्ञान में 334 डीआरएस/डीएसए/सीएएस विभागों हेतु प्रत्येक को 20 लाख रु. संस्वीकृत किए गए हैं। अब तक 66.80 करोड़ रु. का व्यय किया जा चुका है। अवसंरचनात्मक विकास के लिए विभागों को जारी अनुदान के व्यय सहित 22 विभागों के निष्पादन के निर्धारण पश्चात तथा विभागों के प्रस्ताव के आधार पर समिति ने सिफारिश की कि 20 लाख रुपये की दूसरी किस्त वि.अ.आ. द्वारा अनुमोदित डीएसए/सीएसए के एसएपी विभागों को जारी कर दी जाए। अब तक कुल 100 विभागों को 20.20 करोड़ रु. का कुल अनुदान संस्वीकृत किया गया। अब तक कुल 66.80 करोड़ रु. का व्यय किया गया।

3. 133 विभागों के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन तथा विभागों के अवसंरचनात्मक विकास हेतु जारीकृत अनुदान का व्यय ब्यौरा जो कि प्रत्येक विभाग से आमंत्रित प्रस्तावों पर आधारित हो, के प्राप्त हो जाने के बाद समिति ने सिफारिश की है 30.00 लाख रुपये की दूसरी किस्त वि.अ.आ. द्वारा अनुमोदित डीएसए/सीएस के सैप विभागों को जारी कर दी जाए। तदनुसार, 30.00 लाख रुपये प्रत्येक की दर से 114 विभागों को 34.20 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। डीएसए/सीएस के 34 विभागों में से प्रत्येक को 30.00 लाख रुपये की तीसरी किस्त के रूप में 10.20 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई है।
4. सभी शिक्षा सचिवों से शिक्षकों की एक समान सेवानिवृत्ति आयु को अंगीकार करने का अनुरोध किया गया है।
5. वि.अ.आ. के अध्यक्ष और सीएसआईआर के महानिदेशक की सह-अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया ताकि सहयोग कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालयों और सीएसआईआर प्रयोगशालाओं के बीच औपचारिक संपर्क बनाए जा सकें। समिति की पहली बैठक 05.02.2008 को आयोजित की गई थी।
6. प्रचालन संकाय अनुसंधान आरंभ किया जा रहा है, जिसके तहत 1000 संकाय पदों का सृजन किया जा रहा है जिन्हें वैश्विक प्रचार के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर भरा जायेगा।
7. वर्ष 2008-2009 के लिए प्रो. एम.एम. शर्मा समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए 114.00 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई है।
8. शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिशों पर वि.अ.आ. सैप कार्यक्रमों के अन्तर्गत सीएस और डीएसए विभागों से वि.अ.आ. नेटवर्किंग/ग्रीष्म-शीतकालीन विद्यालय केन्द्रों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए। समिति द्वारा सूचीबद्ध किए गए विभागों को प्रस्तुतिकरण हेतु बुलाया गया। आठ विभागों अर्थात् जैव विज्ञान विभाग, ज.ने.वि. रसायन विज्ञान विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय, रेडियो फिजिक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, कोलकाता विश्वविद्यालय, जैव विश्वविद्यालय विभाग, मदुरई कामराज विश्वविद्यालय और मैटिरियल इंजीनियरिंग विभाग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नेटवर्किंग रिसोर्स सेंटर के रूप में चुना गया है। अन्य विषयों में नेटवर्किंग रिसोर्स सेंटरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 52.50 करोड़ रु. की कुल नियत की गई राशि में से 35.00 करोड़ रुपये की राशि पहले ही चुने हुए आठ विभागों को जारी कर दी गई।
9. शक्तिप्राप्त समिति द्वारा आरंभ किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के तहत सैप विभागों के अलावा अन्य विभागों को भी सहायता दी गई है। गैर-सैप विभागों द्वारा प्राप्त प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए राज्य, केन्द्रीय एवं समविश्वविद्यालयों को पत्र भेजे गए हैं। 04.01.2008 और 05.02.2008 को शक्ति प्राप्त समिति की बैठक में प्राप्त सूचना को रखा गया। समिति ने पिछले पांच वर्षों के दौरान, संकाय पदों एवं दी गई पी.एच.डी. उपाधि एवं प्रकाशनों के आधार पर अवसंरचनात्मक अनुदान और अध्येतावृत्ति देने की सिफारिश की है। अब तक 15.30 करोड़ रु. का अनुदान जारी किया गया है।
10. समिति ने सिफारिश की है कि सभी विज्ञान निष्णात कार्यक्रमों को पुनः इस प्रकार तैयार किया जाए ताकि उनमें अनुसंधान का घटक भी शामिल हो।
11. समिति का यह मत था कि सीएसए विभागों के बीच क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए ताकि इसके बारे में समिति के सदस्य शक्ति प्राप्त समिति के विचार व प्रत्याशाओं से इन विभागों को अवगत करा सकें।
12. डी.एस. कोठारी पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति योजना के तहत, वर्ष भर 500 पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं। अब तक, कुल 76 अध्येतावृत्तियां प्रदान की जा चुकी हैं।
13. उत्कृष्टता क्षमता वाले 97 कालेजों के 700 विज्ञान विभागों में से प्रत्येक को 5 लाख रु. का अनुदान जारी किया चुका है। अब तक कुल 35.00 करोड़ रु. का व्यय हुआ है। इसके अतिरिक्त, 68 कालेजों के 558 विज्ञान विभागों को 6.00 लाख प्रदान करते हुए कुल 33.48 करोड़ रु. जारी किये गए।
14. कालेजों की अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए 195 स्वायत्त कालेजों में से प्रत्येक को 10 लाख रु. का अनुदान जारी किया जा चुका है। 17.60 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त के रूप में 89 स्वायत्त कालेजों में से प्रत्येक को 20 लाख रु. का अनुदान मंजूर किया गया है।

वर्ष 2008-09 के दौरान, जारी किए गए अनुदान का ब्योरा निम्नवत है :

(क)	संरचनात्मक विकास अनुदान	
(i)	एसएपी-डीआरएस/डीएसए/सीएसए विभाग	43.60 करोड़ रुपये (एसयू=27.60, डीयू=7.40, सीयू=8.60)
(ii)	कालेजों में उत्कृष्टता की संभाव्यतावाले विज्ञान विभाग (सीपीई)	34.45 करोड़ रुपये (एसयू=34.03, सीयू=0.42)
(iii)	गैर-सैप विभागों को अनुदान	15.30 करोड़ रुपये (एसयू=12.55, डीयू=0.70, सीयू=2.05)
(iv)	स्वायत्त कालेजों को अनुदान	20.70 करोड़ रुपये
(ख)	विज्ञान के मेधावी शोधार्थियों को अनुसंधान अध्येतावृत्ति	15.96 करोड़ रुपये (एसयू=13.08, डीयू=0.79, सीयू=2.09)
(ग)	डॉ. डी.एस. कोठारी पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्तियां वर्ष 2008-09 के दौरान चयनित 61 पीडीएफ	1.80 करोड़ रुपये (एसयू=0.93, डीयू=0.22, सीयू=0.65)
(घ)	नेटवर्किंग संसाधन केन्द्र (एनआरसी)	12.50 करोड़ रुपये (एसयू=7.50, डीयू=5.00)

6.16 पोस्ट डॉक्टरल डी.एस.कोठारी अध्येतावृत्ति

प्रस्तावना :

युवक शोधकर्ताओं के शैक्षिक पेशे के प्रोत्साहन के लिये पोस्ट डॉक्टरल डी.एस.कोठारी अध्येतावृत्ति एक सराहनीय कदम है। यह एक पारगमन चरण है जबकि शोध स्तर पर सुपरवाइजर द्वारा अत्यधिक मार्गदर्शन, शोध छात्रों के विपरीत अकादमिक क्षेत्र में स्वतंत्र शोधकर्ताओं के नेतृत्व उभर कर आया है। एक पोस्ट डॉक्टरल की भावना नई समताओं एवं वृहत ज्ञानसीमा के अवसर को प्राप्त करते हुए एक नये मंच को अवसर प्रदान करता है जिसमें विभिन्न क्रॉस डिस्ट्रीनियरी विषयों का पारगमन होता है। विभिन्न देशों का अनुभव यह दर्शाता है कि विश्वविद्यालय संकाय में एक वर्ष या दो वर्ष की पोस्ट डॉक्टरल प्रशिक्षण वाले छात्रों को उत्तम माना जाता है और यही सामान्यतः वांछनीय आवश्यकताओं के रूप में माना जाता है। पोस्ट डॉक्टरल प्रशिक्षण के लिए स्वतंत्र शोध का मार्गदर्शन करना एक अनिवार्य तत्व है। भारत में सर्वोत्तम माप की संस्थाएं जो शोध को महत्व देती हैं इसकी प्रक्रिया का अनुपालन करती हैं परन्तु वृहत रूप व्याप्त नहीं है। विश्व में शोध समुदायों को नेतृत्व देने के लिए सामान्यतः पोस्ट डॉक्टरल फेलो के अच्छे परिणाम होते हैं। हमारे देश में पोस्ट डॉक्टरल शोध संस्कृति अभी तक पकड़ में नहीं आई है एवं केवल कुछ चुने हुए स्थानों में कहीं-कहीं क्रियाशील है। यह विडम्बना है कि भारत की अग्रणी संस्थाओं में विशेषतः मूलभूत विज्ञान के क्षेत्र में पोस्ट डॉक्टरल पदों को विदेशों में पाने में प्राथमिकता देते हैं। देश के अंदर एक पी. एच.डी. की स्थिति को गलत तरीके से केवल एक पढ़ाई के अवसर के रूप में देखा जाता है जो केवल नियमित नियुक्ति को खोजते रहते हैं। हमारी उच्च शिक्षा पद्धति जो आने वाले वर्षों में तीव्रता एवं व्यापक रूप से विस्तृत होगी और कई नये आने वाले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थाओं में एक क्षमतापूर्ण संकाय में पीडीएफ अनुभव अति महत्वपूर्ण माना जाएगा। इस प्रकार से स्वदेश विकसित पीडीएफ कार्यक्रमों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रशिक्षण रहित संकायों की कमियों को दूर कर सकेगा। इस पृष्ठभूमि में वि.अ.आ. ने एक पहल की ताकि पीडीएफ देश के विख्यात वैज्ञानिक के नाम पर स्थापित कर एक महत्वपूर्ण एवं समयानुसार कार्य किया जो महसूस की गई शून्यता को भर सकेगा। अन्य एजेन्सियों जैसे वि.अ.आ./सीएसआईआर/डीएसटी/डीबीटी एवं अन्य चुनी गई संस्थाओं में पीडीएफ अवार्ड की योजनाएं जिसमें शोध ऐसोशिएटशिप (आरए) चल रही है। मेरिट पर आधारित शोध योजना जो संस्थाओं द्वारा निधिबद्ध हैं वहां भी पीडीएफ की व्यवस्था है। फिर भी परिस्थिति संतोषजनक नहीं है और अवसर न केवल कम हैं परन्तु योजनाओं को इष्टतम तरीके से निर्मित नहीं किया गया है। यह स्थिति परिवर्तन मांगती है। यह अति आवश्यक है कि पीडीएफ योजना को एक लचीले तरीके से चलाया जाए और इस पर हमारे विश्वविद्यालय पद्धति में होने वाली वास्तविक प्रचलित सच्चाइयों के आधार पर निर्णय किया जाए। इस

संदर्भ में शोध कार्य की गुणवत्ता का कोई स्पष्ट 'बैंच मार्क' परिभाषित नहीं है। पोस्ट डॉक्टोरल करने की इच्छा करने वाले नये शोधकर्ताओं को अवसर प्रदान करता है ताकि वे पीएचडी स्तर पर शोध की कमियों को दूर कर सकें और अनुसंधान के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में नये आयाम की खोज कर सकें। कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित प्रक्रिया प्रस्तावित की जाती है।

प्रक्रिया :

- (अ) जिस प्रकार से पीएचडी का अवार्ड एक खुली प्रक्रिया है और इसके जमा करने की निश्चित अंतिम तिथि नहीं होती है उसी प्रकार पीडीएफ की चयन प्रक्रिया आवश्यकतानुसार पूरे वर्ष के दौरान चलती रहती है। इसकी कोई अंतिम तिथि नहीं होती है। वि.अ.आ. की वेबसाइट पर अन्य संस्थाओं एवं संबद्ध विश्वविद्यालयों में इसका विज्ञापन किया जाता है।
- (ब) आवेदन पत्र वेबसाइट से निकाले गए फॉर्म पर ऑनलाइन प्रक्रिया से जमा होता है, जिसको वेब से डाउनलोड किया जा सकता है तथा पूरी प्रक्रिया कंप्यूटर पर संचालित की जाती है।
- (स) एक स्थायी (मूल) समकक्ष समूह, इन आवेदनों को वेबसाइट पर देखता है और ग्रेडिंग ऑनलाइन पर करता है। समकक्ष समूह से ग्रेडिंग प्राप्त होने के बाद इस समूह के अध्यक्ष अपना अंतिम निर्णय लेते हैं क्योंकि यह पदोन्नति की योजना है। अतः पोस्ट डॉक्टोरल शोध संस्कृति, एवं समीक्षा की प्रक्रिया के दौरान यह ध्यान रखा जाता है। चयन किए गए शोध छात्रों का योगदान पीएचडी स्तर का तथा एक उचित सम्मिश्रण का हो और संस्था एवं उसका परामर्शदाता एक प्रख्यात व्यावसायिक स्तर का हो जहां पोस्ट डॉक्टोरल शोध की जाने वाली हों। सामान्यतः अभ्यर्थियों को दूसरी संस्थाओं में और नये शोध क्षेत्रों में शोध करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- (द) व्यक्तिगत आवेदन प्राप्त होने के बाद चयन की प्रक्रिया 6 सप्ताह के अंदर समाप्त हो जानी चाहिए। पूरी प्रक्रिया एक पेपर रहित प्रक्रिया है और उतना समय लेती है जो एक पाण्डुलिपि के मूल्यांकन में एक अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल के छपने में लगता है।
- (य) इन पीडीएफ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर को होना आवश्यक है और इनको विश्व के अन्य देशों से आए प्रमुख विकासशील एवं पड़ोसी देशों के शोध छात्रों से सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए।
- (र) प्रत्येक वर्ष में ऐसे अवार्डों की संख्या 500 है जिसकी संख्या अधिकतम 1000 तक बढ़ाई जा सकती है।

पात्रता और अवधि

अभ्यर्थी जिन्होंने पीएचडी प्राप्त कर ली है या जमा कर दी है, वे आवेदन देने के पात्र हैं। चयन होने के पश्चात् पीएचडी धारकों को पीएचडी सीधे अवार्ड कर दी जाएगी और जो पीएचडी धारक नहीं है उनको 'ब्रिजिंग फेलोशिप' दी जाएगी। उस समय तक जब तक पीएचडी अवार्ड नहीं हो जाती है (कम स्टाइपेन्ड पर) फेलोशिप वार्षिक आधार पर दी जाएगी जिसमें नवीकरण/निरस्तीकरण परामर्शदाता ग्रुप के अवलोकन के पश्चात् होता है।

पीडीएफ अवार्ड की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की है। अवार्ड को पाने के लिए अभ्यर्थी को परामर्शदाता द्वारा एक शपथनामा देना होगा जिसमें उनको उस स्थान पर चयनित अवधि 6 माह तक रहना होगा।

अनुसंधानकर्ताओं को सार्वजनिक अवकाश के अतिरिक्त वर्ष में एक बार अधिकतम 30 दिन की अवधि का अवकाश दिया जाएगा। वे अन्य किसी प्रकार की छुट्टियों के हकदार नहीं हैं। महिला कर्मियों को उनके अवार्ड की अवधि के दौरान एक बार अध्येतावृत्ति की पूर्ण दरों पर 135 दिनों का अवकाश प्रदान किया जाएगा।

वजीफा :

इन अवार्डों की वजीफा राशि 20,000 से 22,000 रुपये प्रतिमाह तक होगी जिसमें 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से वार्षिक वृद्धि होगी। ब्रिजिंग फेलोशिप का वजीफा 16000 रुपये प्रतिमाह का है। पीडीएफ अवार्ड का आकस्मिक अनुदान 50,000 रुपये प्रतिवर्ष है।

वर्ष 2008-09 के दौरान, लगभग 61 पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियों का चयन किया गया तथा 1.80 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जा चुकी है।

6.17 वि.अ.आ. की छात्रवृत्तियाँ एवं अध्येतावृत्तियाँ

क्रम सं.	परियोजनाओं का नाम	स्लॉट की संख्या	प्रतिवर्ष (लाख रु. में)
अनुसंधान अध्येतावृत्ति (एम.फिल/पीएच.डी.)			
1.	अ.जा./अ.ज.जा. के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियाँ (सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय तथा जनजातीय मामला मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित)	2000	बजट उपलब्ध नहीं #
2.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियाँ (2009-10 से नवीन योजना का प्रारंभ तथा अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित)	252 (से बढ़कर 756)	500.00 @
3.	नेट पात्रता उम्मीदवारों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ	3200	4000.00*
4.	इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ (जेआरएफ)	50	400.00
5.	विदेशी नागरिकों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति तथा अनुसंधान एसोसिएटशिप	20 जेआरएफ + 7 आरए	*
6.	राज्य विश्वविद्यालयों/कालेजों के मेधावी छात्रों हेतु विज्ञान में पी.एच.डी. हेतु अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ	3276	12300.00**
7.	मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में प्रस्तावित अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ (2009-10 से प्रारंभ योजना)	3000	**
8.	महिला अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति	100	100.00
	कुल	23910	43825.00
पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति			
9.	विज्ञान में डॉ. डी.एस. कोठारी पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ	500	1810.00
10.	मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ (2009-10 से लागू)	500	1685.00
11.	पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति अ.ज./अ.ज.जा. अभ्यर्थियों के लिए	100	350.00
	कुल	1100	3845.00
स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ			
12.	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के छात्रों हेतु छात्रवृत्तियाँ (फरवरी 2007 से योजना प्रारंभ)	12005***	26525.00 (11वीं योजना)
13.	व्यावसायिक छात्रों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ अ.जा./अ.ज.जा.	1000	2000.00
14.	स्नातकोत्तर इंदिरा गांधी एकमात्र बालिका छात्रवृत्ति योजना	2000	1150.00
15.	स्नातक स्तर पर विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान लाने पर स्नातकोत्तर मेरिट छात्रवृत्ति योजना	2375	220.00
16.	गेट अर्हता प्राप्त छात्रों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	1400	1200.00
	कुल	6775	4570.00
	कुल योग	31785	52240.00

#T सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय तथा जनजाति मामला मंत्रालय द्वारा संपोषित योजना।

@ अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा संपोषित योजना।

* संयुक्त बजट

** एम.एम. शर्मा की अध्यक्षता में संयुक्त बजट

*** अनिश्चित

वि.अ.आ. द्वारा उपलब्ध छात्रवृत्तियों एवं अध्येतावृत्तियों का ब्यौरा भौतिक/वित्तीय उपलब्धियों सहित जेआरएफ, गत 3 वर्षों से (2006-07 से 2008-09)

(रु.लाख में)

क्र. सं.	योजना का नाम	प्रारंभ वर्ष	छात्रवृत्तियों एवं अध्येतावृत्तियों की अवधि	बजट आबंटन/स्लॉट की संख्या/ भौतिक लक्ष्य/वित्तीय लक्ष्य		
				2006-07	2007-08	2008-09
अनुसंधान अध्येतावृत्ति - एम.फिल./पी.एच.डी.						
1.	राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियाँ अ.जा. छात्रों हेतु (विश्वविद्यालय/कालेज/संस्थान यू.जी.सी. अधिनियम की धारा 2(एफ) एवं 12(बी) के तहत तथा गैर विश्वविद्यालय/संस्थान)	2005-06 (अध्येतावृत्तियों का चयन 2006.07 से प्रारंभ)	5 वर्ष	5020.54/ 1333/ 1333/ 4630.10	7835.00/ 1333/ 1333/ 6289.50	8794.00/ 1333/ 1333/ 4630.10
	राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियाँ अ.ज.जा. छात्रों हेतु (विश्वविद्यालय/कालेज/संस्थान यू.जी.सी. अधिनियम की धारा 2(एफ) एवं 12(बी) के तहत तथा गैर विश्वविद्यालय/संस्थान)	2005-06 (अध्येता वृत्तियों का चयन 2006.07)	5 वर्ष	2385.00/ 667/ 667/ 1450.21	2600.00/ 667/ 667/ 2607.77	3103.23/ 667/ 667/ 3961.54
2.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियाँ	2009-10	5 वर्ष	--	--	-/ 252/ --/ --
3.	इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी में कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ (जेआरएफ)	1994	5 वर्ष	200.00/ 50/ 50/ 160.00	300.00/ 50/ 50/ 286.00	300.00/ 50/ 50/ 344.00
4. & 5.	विज्ञान, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में जेआरएफ विदेशी छात्रों सहित तथा नेट पात्रता हेतु गैर विश्वविद्यालय/संस्थानों के लिए प्रतिपूर्ति व्यय)	1957-58	5 वर्ष FN - 4 वर्ष	3200.00/ 1600 अनुमानित 20 जेआरएफ 7आरए (विदेशी छात्रों के लिए) 1600/ 3668.00	5300.00/ 1600 अनुमानित 20 जेआरएफ 7आरए (विदेशी छात्रों के लिए) 1600/ 3668.00	6500.00/ 1600 अनुमानित 20 जेआरएफ 7आरए (विदेशी छात्रों के लिए) 1600/ 3668.00
6.	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के छात्रों हेतु छात्रवृत्तियाँ	फरवरी 2007	लागू नहीं	26525.00/ 12005/ लागू नहीं/ लागू नहीं	लागू नहीं/ 12524.00 (दो वर्षों के लिए) लागू नहीं	लागू नहीं/ 12524.00 (दो वर्षों के लिए) लागू नहीं

7.	मेधावी छात्रों के लिए विज्ञान में अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ	2007-08	3 वर्ष	--/ 3276/ --/ --/	--/ 458/ 458/ 467.16	1033.00/ --/ 1033/ 1301.58
8.	मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ – (नई योजना 2009-10 से प्रारंभ)				12300.00*	3000 (2009-10 से प्रारंभ)
9.	महिलाओं हेतु पोस्ट-डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ (महिलाओं हेतु अंशकालीन अनुसंधान एसोसिएट)	1998	5 वर्ष	100.00/ 100/ 100/ 65.05	100.00/ 100/ 100/ 49.75	100.00/ 100/ 100/ 58.50
पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति						
10.	डी.एस. कोठारी पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ	2008-09	2 वर्ष	--/ 192 (दो वर्ष के लिए)	--/ --/ --/ 61	61/ --/ --/ 173.71
11.	राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ	2009		--	--	--/ 500/ (2009-10 के दौरान कार्यान्वित)
12.	अ.ज./अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ	2006-07	5 वर्ष	200.00/ 100/ 100/ 172.00	10.00/ 100/ 91/ 9.97	539.00/ 100/ --/ 477.65
स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ						
13.	व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ अ.जा./अ.ज.जा. हेतु	2006-07	2 वर्ष	672.00/ 1000/ 368/ 226.58	4.50/ 1000/ 736/ 3.46	850.00/ 1000/ --/ 839.25
14.	स्नातकोत्तर इंदिरा गांधी एकमात्र बालिका छात्रवृत्ति योजना	2005-06	2 वर्ष	150.00/ 1200/ 1036/ 220.60	730.00/ 1200/ 1200/ 147.37	1000.00/ 1200/ 1200/ 1376.80
15.	विशेष योग्यता प्राप्त छात्रों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ, विश्वविद्यालय में उच्च स्थान प्राप्त करने पर	2005-06	2 वर्ष	150.00/ 2375/ 150/ 220.60	140.00/ 2375/ 190/ 310.890	233.00/ 2375/ 198/ 233.00
16.	गेट योग्यता प्राप्त छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ	मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के निदेशानुसार	2 वर्ष	1400.00/ 1400/ 1400/ 1400.00	930.00/ 1400/ 1400/ 849.48	11.40/ 1400/ 1400/ 1140.00

● छात्रवृत्ति एवं अध्येतावृत्ति संबंधी योजनाओं का संक्षिप्त ब्योरा

1 राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति अ.ज./अ.ज.जा. छात्रों हेतु

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने अ.जा एवं अ.ज.जा. के लिए 2000 स्लॉट प्रतिवर्ष अर्थात् 1333 अ.जा. श्रेणी तथा 667 अ.ज.जा. के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना कार्यान्वित करने का कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंपा है तथा इसके लिए वित्तपोषण भी किया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक असमानता को न्यूनतम करने के लिए अ.जा. एवं अ.ज.जा. के उम्मीदवारों को वि.अ.आ. 2000 राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियां देता है ताकि वे उन्नत अध्ययन और अनुसंधान कार्य कर सकें और विज्ञान, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान भाषा और इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी समेत, एम.फिल./पी.एच.डी. कर सकें। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधान के अनुसार शारीरिक रूप से निःशक्त अ.जा./अ.ज.जा. के उम्मीदवारों के लिए 3 प्रतिशत अध्येतावृत्तियां आरक्षित हैं।

इस योजना का प्रारंभ वर्ष 2005-06 में समाज के पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों की सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, किया गया है। तथा उन्हें अग्रिम अध्ययन एवं अनुसंधान का अवसर उपलब्ध करा सकें इस स्कीम का उद्देश्य अ.जा./अ.ज.जा.के छात्रों को विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी में एम.फिल./पी.एच.डी. की डिग्री (पूर्ण कालिक) हेतु अध्ययन करने के लिए अध्येतावृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो कि भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कालेजों में तथा गैर विश्वविद्यालयों/संस्थानों में भी यूजी.सी. अधिनियम की धारा 2(एफ) तथा 12(बी) के तहत अनुमोदित है। इस योजना की अवधि 5 वर्ष है।

2 अल्पसंख्यक छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियाँ

यह स्कीम, वर्ष 2009-10 से प्रारम्भ होने जा रही है। सर्वप्रथम, अल्पसंख्यक मामला, मंत्रालय, प्रायोजक एजेंसी ने 252 स्लाट्स आबंटित किए लेकिन बाद में ये स्लॉट्स जुलाई 2009 में बढ़कर 756 हो गए। ई.एफ.सी. टिप्पणी को अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। उपरोक्त स्कीम में तहत वि.अ.आ. की स्कीम के तहत निधि उपलब्ध कराया जाना बाकी है।

3 विज्ञान, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान में कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विज्ञान, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान में कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति जे. आर. एफ. स्कीम का प्रारंभ 1957-58 में हुआ जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नेशनल एजुकेशन टैस्टिंग तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग परिषद का काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च (सी.एस.आई.आर.) संयुक्त परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के लिए है। वैसे, ये परीक्षाएं केवल योग्यता परीक्षाएं हैं तथा इनके लिए किसी प्रकार की अध्येतावृत्ति प्रदान नहीं की जाती है। इस स्कीम की अवधि 5 वर्ष है।

जे.आर.एफ. स्कीम का उद्देश्य नेट परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान भाषाओं सहित एवं विज्ञान में एम.फिल., पी.एच.डी. डिग्रियां प्राप्त करने के लिए अग्रिम अध्ययन एवं अनुसंधान के अवसर उपलब्ध कराना है।

4 अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी में कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ

इस स्कीम का प्रारम्भ, वर्ष 1994 में किया गया। यह स्कीम उन छात्रों के लिए है जो अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी में पी.एच.डी. की डिग्री प्राप्त करने के लिए अनुसंधान कार्य करना चाहते हैं। जैसा कि वर्तमान में यूजी.सी. या सी.एफ.आई.आर. नेशनल एजुकेशनल टैस्टिंग परीक्षाओं का आयोजन इन विषयों में नहीं कर रही है। अतः एम. ई. /एम. टेक. छात्रों को आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार के जरिये यह अवसर प्रदान किया गया है। प्रतिवर्ष, इस स्कीम के तहत 50 स्लॉट्स हैं।

इस स्कीम का उद्देश्य, अनुसंधानकर्ताओं को अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी में अग्रिम अध्ययन तथा अनुसंधान के अवसर उपलब्ध कराना है तथा इस स्कीम के अंतर्गत भू-विज्ञान एवं भौतिकी जैसे विषयों में कृषि अभियांत्रिकी में पी.एच.डी. पर विचार नहीं करता है। इस स्कीम की अवधि 5 वर्ष है।

5 विदेशी नागरिकों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति जे. आर. एफ. तथा अनुसंधान एसोसिएटशिप(आर.ए.)

यह स्कीम, वर्ष 1957-58 में अन्य विकासशील एशियाई देशों अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के साथ, भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं द्विपक्षीय संबंधों को दृष्टिगत करते हुए प्रारंभ की गई। इस स्कीम के जरिये विदेशी नागरिकों एवं

शिक्षकों के लिए भारत में आने की नई संभावनाएं प्रदान की गई हैं ताकि वे भारतीय विश्वविद्यालयों में विज्ञान, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान में अग्रिम अध्ययन तथा अनुसंधान के अवसर प्राप्त कर सकें।

स्कीम का उद्देश्य, विकासशील देशों के नागरिकों एवं शिक्षकों को अग्रिम अध्ययन एवं एम. फिल./पी. एच. डी. करने के लिए अनुसंधान तथा भारतीय विश्वविद्यालयों में विज्ञान, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान में पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधान के अवसर उपलब्ध कराना है। स्कीम की अवधि 4 वर्ष है।

6 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां

अनुसंधान कार्यों में विशेष प्रतिभाओं को आकर्षित करने तथा मूलभूत विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में घटती अभिरुचि को रोकने के लिए वि.अ.आ. ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में एम. फिल. पी. एच. डी. करने हेतु संस्थागत छात्रवृत्तियां प्रदान करने का निर्णय लिया है।

यह स्कीम, फरवरी 2007 में प्रारंभ की गई थी तथा उन सभी स्कॉलर्स के लिए है जिन्होंने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में एम.फिल./पी.एच.डी. में पंजीकरण कराया है तथा वह जिन्होंने संस्थागत अध्येतावृत्ति (जैसे यू.जी.सी., सी.एस.आई. आर. आदि) प्राप्त नहीं की है।

वि.अ.आ. ने 11 वीं योजना अवधि हेतु 22 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 265.25 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है।

7 मेधावी छात्रों के लिए विज्ञान में अनुसंधान अध्येतावृत्तियां

यह स्कीम, वर्ष 2007-08 में प्रारंभ की गई तथा विश्वविद्यालयों में उत्कृष्टता की संभावना सहित विश्वविद्यालयों में विज्ञान में पी.एच.डी. में पंजीकृत या उत्कृष्टता की सम्भावना सहित केन्द्रों में या अग्रिम अध्ययन तथा यू.जी.सी. के विशेष सहायक विभागों में पंजीकृत छात्रों के लिए है।

अध्येतावृत्ति स्कीम का उद्देश्य, मेधावी छात्रों को अग्रिम अध्ययन तथा विज्ञान विषयों में पी. एच. डी. डिग्री के लिए अनुसंधान कार्य के अवसर उपलब्ध कराना है। स्कीम की अवधि 3 वर्ष है।

8 महिलाओं के लिए अंशकालीन अनुसंधान एसोशिएटशिप (पोस्ट डॉक्टरल फैलोशिप फॉर विमैन)

यह स्कीम वि.अ.आ. के पूर्णकालिक रिसर्च एसोशिएटशिप कार्यक्रम का भाग है। इस स्कीम का प्रारंभ, वर्ष 1998 में, पी. एच. डी. की डिग्री प्राप्त बेरोजगार महिलाओं को जिनकी अनुसंधान में अभिरुचि है लेकिन किन्हीं व्यक्तिगत या पारिवारिक कारणों से नियमित आधार पर अनुसंधान कार्य करने में असमर्थ हैं, को अनुसंधान के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है।

पी. एच. डी. प्राप्त महिलाएं तथा स्वतंत्र शोधकार्य की क्षमता व कौशल रखने वाली महिलाएं भाषा, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी सहित मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के किसी भी विषय में शोध कार्य कर सकती हैं। स्कीम की अवधि 5 वर्ष है।

9 विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी में डी.एस.कोठारी अध्येतावृत्तियां

प्रतिष्ठित पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति का प्रारंभ, वर्ष 2008-09 में, सुविख्यात वैज्ञानिक डी.एस.कोठारी के नाम पर किया गया। इस स्कीम का लक्ष्य देश के उच्च शैक्षिक संस्थानों के लिए उच्च शिक्षित समृद्ध समुदाय में अपेक्षित कमी को दूर करना है।

यह एक संवर्धनात्मक स्कीम है जिसका प्रयोजन पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च कल्चर को समृद्ध करना है। जिस प्रकार से पी. एच. डी. का अवार्ड एक खुली प्रक्रिया है और इसके जमा करने की अंतिम निश्चित तिथि नहीं होती। आवेदनों की छानबीन एक समकक्ष स्थायी समूह द्वारा इलेक्ट्रॉनिक आधार पर की जाती है और ग्रेड प्रदान किया जाता है।

एक स्थायी (मूल) समकक्ष समूह, इन आवेदनों को वेबसाइट पर देखता है और ग्रेडिंग ऑनलाइन पर करता है। समकक्ष समूह से ग्रेडिंग प्राप्त होने के बाद इस समूह के अध्यक्ष अपना अंतिम निर्णय लेते हैं क्योंकि यह पदोन्नति की योजना है। अतः पोस्ट डॉक्टरल शोध संस्कृति, एवं समीक्षा की प्रक्रिया के दौरान यह ध्यान रखा जाता है। चयन किए गए शोध छात्रों का योगदान पीएचडी स्तर का तथा एक उचित सम्मिश्रण का हो और संस्था एवं उसका परामर्शदाता एक प्रख्यात व्यावसायिक स्तर का हो जहां पोस्ट डॉक्टरल शोध की जाने वाली हो। सामान्यतः अभ्यर्थियों को दूसरी संस्थाओं में और नये शोध क्षेत्रों में शोध करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

व्यक्तिगत आवेदन प्राप्त होने के बाद चयन की प्रक्रिया 6 सप्ताह के अंदर समाप्त हो जानी चाहिए। पूरी प्रक्रिया एक पेपर रहित प्रक्रिया है और उतना समय लेती है जो एक पाण्डुलिपि के मूल्यांकन में एक अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल के छपने में लगता है।

इन अध्येतावृत्तियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का होना आवश्यक है और इनको विश्व के अन्य देशों से आए प्रमुख विकासशील एवं पड़ोसी देशों के शोध छात्रों से सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। प्रत्येक वर्ष में ऐसे अवाडों की संख्या 500 है जिसकी संख्या 1000 तक बढ़ाई जा सकती है। इस योजना की अवधि 2 वर्ष है।

10 डॉ. एस. राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्तियां (मानविकी/सामाजिक विज्ञान/भाषा)

राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति प्रदान करने हेतु ऑनलाइन 500 स्लॉट्स आवेदन मंगाने के लिए विज्ञापन दिया गया है। इसकी अवधि 3 वर्ष हैं। डा० एस. राधाकृष्णन, पोस्ट डाक्टरल अध्येतावृत्ति (पी. डी. एफ.) मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान (भाषा सहित) निम्नवत् उपलब्ध करायी जाती है :

अध्येतावृत्ति	20000 रुपये से 22000 प्रतिमाह	1000 रुपये प्रतिमाह वार्षिक वृद्धि
पारस्परिक अध्येतावृत्ति	16000 रुपये प्रतिमाह	जिन्होंने अपनी पी. एच. डी. का शोध निबंध जमा कर दिया है।
आकस्मिक	30,000 रुपये प्रतिमाह	तीन वर्षों के लिए (नियत)

11 अ.जा./अ.ज.जा. के लिए डॉक्टरल उपरांत अध्येतावृत्ति

वि.अ.आ. ने अ.जा./अ.ज.जा. के उम्मीदवारों के लिए डॉक्टरल उपरांत अध्येतावृत्ति आरंभ की है जिन्होंने वाचस्पति की उपाधि अर्जित कर ली है तथा जिन्होंने अनुसंधान कार्य प्रकाशित किया है। इस योजना का प्रारंभ वर्ष 2005-06 में समाज के पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों की सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, किया गया है। तथा उन्हें अग्रिम अध्ययन एवं अनुसंधान का अवसर उपलब्ध करा सकें।

इस स्कीम का उद्देश्य अ.जा./अ.ज.जा. के छात्रों को विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी में एम.फिल./पी.एच.डी. की डिग्री (पूर्णकालिक) हेतु अध्ययन करने के लिए अध्येतावृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो कि भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कालेजों में तथा गैर विश्वविद्यालयों/संस्थानों में भी यू. जी.सी. अधिनियम की धारा 2(एफ) तथा 12(बी) के तहत अनुमोदित है।

पुरुष उम्मीदवार के लिए उच्चतम आयु सीमा 50 वर्ष तथा महिला उम्मीदवार के लिए 55 वर्ष है। आपवादिक मामलों में आयु सीमा में छूट दी जा सकती है। इस योजना की अवधि पाँच वर्ष है।

12 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अ.जा./अ.ज.जा. के छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति

योजना को, समाज के पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है ताकि उन्हें विश्वविद्यालयों/संस्थाओं/महाविद्यालयों में व्यावसायिक विषयों, जैसे अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, प्रबन्धन, फार्मसी आदि में स्नातकोत्तर स्तर का अध्ययन करने का अवसर प्रदान किया जा सके।

स्कीम का मुख्य उद्देश्य, 1000 अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों को, मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थाओं/महाविद्यालयों में व्यावसायिक विषयों में स्नातकोत्तर स्तर का अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना की अवधि दो वर्ष है।

13 स्नातकोत्तर इंदिरा गांधी एक मात्र बालिका छात्रवृत्ति योजना एवं स्नातकोत्तर मेरिट छात्रवृत्ति योजना, विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर प्रथम स्थान पर :

देखा गया है कि कतिपय राज्यों में बालकों की संख्या की तुलना में बालिकाओं की संख्या गिरती जा रही है जिस पर गंभीर रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। महिलाओं पर लड़कों को जन्म देने के लिए दबाव डाला जाता है। ऐसे माहौल में उनकी शिक्षा का एक प्रभावी माध्यम के रूप में तथा सशक्तिकरण हेतु इच्छानुसार जीवन जीने के अधिकार के उपयोग किए जाने की आवश्यकता है। बालिका शिशु के प्रति ऐसी मानसिकता, आर्थिक संवृद्धि तथा साक्षरता की रफ्तार को धीमा कर देगी। भारत सरकार ने घोषणा की है कि प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार

प्रत्येक बालक को है। भारत संघ सरकार ने बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने संबंधी विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वि.अ.आ. ने "स्नातकोत्तर इंदिरा गांधी एक मात्र बालिका छात्रवृत्ति योजना" को प्रारंभ किया जिसका उद्देश्य विशेष रूप से अपने परिवार की केवल एक मात्र बच्ची को सभी स्तरों पर बालिका शिक्षा की प्रत्यक्ष लागत की प्रतिपूर्ति करना है।

(क) योजना का उद्देश्य एक मात्र बालिका संतान को गैर-पेशेवर पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर शिक्षा में सहायता देना।

(ख) छोटे परिवार के मानकों का पालन कराना है।

इस योजना की अवधि दो वर्ष है।

14 स्नातक पूर्व स्तर पर विश्वविद्यालय रैंक होल्डरों के लिए स्नातकोत्तर मेधा छात्रवृत्ति योजना :

यूजीसी ने वर्ष 2005-06 में पूर्व स्नातक स्तर पर विश्वविद्यालय के सामान्य एवं प्रतिष्ठा पाठ्यक्रमों के रैंक होल्डरों के लिए स्नातकोत्तर मेधा छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। छात्रवृत्ति की अवधि दो सालों की रखी जाए जिससे प्रत्येक विश्वविद्यालय के पूर्व स्नातक स्तर के रैंक होल्डरों द्वारा स्नातकोत्तर डिग्री पूरी की जा सके। सभी विश्वविद्यालयों/डिग्री अवारडिंग संस्थाओं को सामान्य एवं प्रतिष्ठा पाठ्यक्रमों जैसे बी.ए, बी.एससी. एवं बी.काम. में विश्वविद्यालय (कालेज स्तर पर नहीं) के प्रथम आने वाले छात्रों को रैंक प्रमाणपत्र जारी करना होगा। इस योजना का प्रयोजन है, प्रतिभा संपन्न छात्रों को स्नातकोत्तर अध्ययन की ओर आकर्षित करने के साथ-साथ पूर्व स्नातक स्तर पर उनके मूल विषयों सामान्य एवं प्रतिष्ठा को सुदृढ़ता प्रदान करना। इस योजना के अंतर्गत अवार्डी, देश के किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान से किसी भी विशेष प्राप्त क्षेत्र में स्नातकोत्तर कार्यक्रम को पूरा कर सकेंगे।

योजना के उद्देश्य

योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

(क) प्रतिभाओं का संवर्धन एवं पोषण;

(ख) स्नातकोत्तर अध्ययन करने के लिए स्नातक स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करना;

(ग) मूलभूत विषयों सामान्य एवं प्रतिष्ठा में स्नातक पूर्व स्तर पर अध्ययन को बढ़ावा देना। व्यावसायिक पाठ्यक्रम इस योजना में शामिल नहीं हैं।

(घ) देश के अन्य दूसरे कालेजों एवं विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा उत्कृष्टता का निर्माण करना।

इस योजना की अवधि दो वर्ष है।

15 अभियांत्रिकी निष्णात/प्रौद्योगिकी निष्णात/भेषज विज्ञान निष्णात के गेट अर्हता प्राप्त छात्रों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति :-

इस योजना का उद्देश्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों में स्नातकोत्तर अध्ययन जारी रखने के लिए स्नातक छात्रों को मदद देना है। छात्रवृत्ति का पैटर्न निम्नवत् है :-

अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी/भेषज विज्ञान निष्णात (60 प्रतिशत या अधिक) रु. प्रतिमाह की दर से

छात्रवृत्ति (60 प्रतिशत या कम) रु. प्रतिमाह की दर से

आकस्मिकता रु. प्रतिमाह की दर से

इस योजना की अवधि दो वर्ष है।

7 लिंग एवं सामाजिक समानता

7.1 विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रकोष्ठों की स्थापना

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अधीन विभिन्न सेवाओं में उनको आरक्षण उपलब्ध कराके उनके हितों की रक्षा के लिए प्रावधान किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य इन जातियों के कुछ लोगों को मात्र रोजगार उपलब्ध कराना और उसके माध्यम से सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व में वृद्धि करना ही नहीं है बल्कि इनके सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर में भी सुधार करना है ताकि वे समाज की मुख्य धारा में अपना स्थान बना सकें। सांविधानिक उपबंधों के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराया जाता है और राज्य स्तर पर उनकी जनसंख्या के अनुसार आरक्षण उपलब्ध कराया जाता है।

तदनुसार, वर्ष 1983 में आयोग ने विश्वविद्यालयों में अजा./अजजा. प्रकोष्ठों की स्थापना संबंधी योजना प्रारम्भ की थी जिसके उद्देश्य इस प्रकार थे :

- विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अजा/अजजा की आरक्षण नीति तथा भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यक्रमों का कारगर कार्यान्वयन तथा परिवीक्षण सुनिश्चित करना।
- दाखिलों, शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर पदों पर नियुक्तियों आदि के लिए नीतियों के कार्यान्वयन के संबंध में आँकड़े एकत्र करना और ऐसी अनुवर्ती कार्यवाही करना जिससे निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है।
- ऐसे अनुवर्ती उपाय करना जो इस प्रयोजनार्थ निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं।

स्टाफ पदों के लिए सहायता, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठों की स्थापना के प्रथम पाँच वर्षों के लिए या जिस योजनावधि के दौरान प्रकोष्ठ की स्थापना हुई, उसकी अवधि समाप्ति पर शत प्रतिशत वास्तविक व्यय के आधार पर उपलब्ध करायी जाती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पोषित केन्द्रीय विश्वविद्यालय और सम विश्वविद्यालय आवर्ती व्यय को गैर योजनागत राशि से पूरा कर सकते हैं। राज्य विश्वविद्यालय जिन्होंने आवर्ती अनुदानों के दायित्व को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों का अनुमोदन प्राप्त किया है, वे योजनावधि के पूरा होने पर राज्य वित्त की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यदि अनावर्ती व्यय के दायित्व को राज्य सरकार द्वारा नहीं उठाया जाता है तो राज्य विश्वविद्यालय अनावर्ती व्यय को पूरा करने के लिए उन्हें उपलब्ध कराए गए विकास अनुदान का उपयोग कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के कार्यक्रमों को जारी रख सकते हैं।

31 मार्च, 2009 तक, आयोग ने विश्वविद्यालयों में 122/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठों की स्थापना की है। आयोग ने, वर्ष 2008-09 के दौरान 15.00 लाख रुपये की अनुदान राशि जारी की है।

7.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर सम्पन्न वर्ग)/अल्पसंख्यकों के लिए अनुशिक्षण योजनाएँ :

आयोग, विभिन्न स्कीमों के माध्यम से समाज के शोषित वर्ग के सामाजिक, आर्थिक उन्नयन तथा सामाजिक समानता की दिशा में योगदान कर रहा है। इन वर्गों का कल्याण तथा विकास हमारे लोकतांत्रिक समाज की सुदृढ़ता तथा सफलता के महत्वपूर्ण संकेत हैं।

आयोग, विश्वविद्यालयों/समविश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को (1) स्नातकोत्तर व स्नातकपूर्व स्तर पर उपचारी अनुशिक्षण, (2) सेवा में प्रवेश के लिए अनुशिक्षण (3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अ.पि.व. (गैर सम्पन्न वर्ग) के अभ्यर्थियों के लिए। आयोग ने इन स्कीमों को विश्वविद्यालय की सामान्य विकास सहायता के साथ विलय करने का निर्णय लिया है तथा इस घटक के लिए अनुदान सामान्य विकास सहायता की सीमा के अतिरिक्त होगा।

7.3 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर स्थायी समिति, योजनाओं का अनुवीक्षण और स्थायी समिति की उप समिति की क्षेत्रीय स्तर की बैठकों का आयोजन :

विश्वविद्यालयों में आरक्षण नीति के कारगर कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2007 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर एक स्थायी समिति पुनर्गठित की। इस समिति में अकादमिक विशेषज्ञों, पूर्वकुलपतियों तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व होता है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संबंधी स्थायी समिति की प्रथम बैठक दिनांक 24 जून, 2008 को यू.जी.सी. कार्यालय में तथा दूसरी बैठक 20 जनवरी, 2009 को योजना आयोग (योजना भवन) में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु आयोजित की गई।

स्थायी समिति की उप-समिति ने शिक्षण/गैर शिक्षण, दाखिला, छात्रावास तथा स्टाफ क्वार्टर्स हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संबंधी आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा (यू.जी.सी. से रखरखाव अनुदान प्राप्ति) हेतु बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली महाविद्यालयों का दौरा किया।

समीक्षा समिति की बैठकें/कार्यशालाएँ

दिनांक 25.08.2008 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कार्यशाला/समीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। दूसरी कार्यशाला दिनांक 26 से 28 फरवरी, 2009 को जे.एन.यू. में आयोजित की गई।

इन बैठकों का प्रयोजन केन्द्र की गतिविधियों की समीक्षा करना तथा समन्वयकों की जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए कार्यशालाएँ आयोजित करना था ताकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विलगन और समावेशन नीति का अध्ययन किया जा सके।

दिनांक 31 मार्च, 2009 तक आयोग ने विश्वविद्यालयों/समविश्वविद्यालयों के सामाजिक विलगन तथा समावेशन का अध्ययन करने हेतु 35 केन्द्रों की स्थापना की है तथा इन पर वर्ष 2008-09 के दौरान 26.00 लाख रुपये व्यय हुआ है।

7.4 समान अवसर प्रकोष्ठ (ई.ओ.सी.) की स्थापना

भारत विविधता का देश है। यह विभिन्न धर्मों, जातियों, और संस्कृतियों का केन्द्र है तथापि सामाजिक स्तरीकरण का अत्यंत संस्थापित तंत्र भारतीय समाज की विशेषता है। इन सामाजिक असमानताओं ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को भौतिक वस्तुओं, संस्कृति तथा शैक्षणिक संसाधनों तक पहुँच में बाधाएँ उत्पन्न की हैं।

चूँकि, उच्च शिक्षा सामाजिक और आर्थिक समानता प्राप्त करने का एक माध्यम है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार की नीतियों को लागू करने तथा सामाजिक विषमताओं को दूर करने के लिए वंचित वर्गों के अनेक कार्यक्रमों तथा स्कीमों को आगे बढ़ाकर पहुँच, समानता तथा निष्पक्षता की राष्ट्रीय चिंताओं को दूर करता आ रहा है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की आवश्यकताओं एवं बाध्यताओं के प्रति अधिक प्रतिक्रियात्मक बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वंचित वर्गों के लिए नीतियों व कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन की देखरेख करने तथा अकादमिक वित्तीय, सामाजिक एवं अन्य मामलों में मार्गदर्शन तथा परामर्श प्रदान करने के लिए अवसर प्रकोष्ठ बनाने की योजना बनाई है। 11वीं योजना (2007-12) के दौरान, यह प्रकोष्ठ विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों को उच्च शिक्षा में अजा/अजजा द्वारा झेली जा रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील भी बनाएगा। यह अजा/अजजा/अपिव (गैर सम्पन्न वर्ग) महिलाओं, अल्पसंख्यकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के अनुशिक्षण हेतु विशिष्ट योजनाएँ चलाएगा ताकि उनके रोजगार प्राप्त करने तथा सफलता प्राप्त करने की संभावनाओं को बढ़ाया जा सके। वर्ष 2008-09 के दौरान, समान अवसर प्रकोष्ठ की स्थापना के लिए कोई व्यय नहीं किया गया है।

7.5 विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदायों के कमजोर वर्गों के लिए अनुशिक्षण कक्षाएँ :

आयोग ने वर्ष 1983 में, अल्पसंख्यकों के लिए अनुशिक्षण कक्षाओं की योजना प्रारम्भ की और प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 1986 के अनुसरण में इस योजना को सुदृढ़ किया गया। योजना का उद्देश्य,

अनुशिक्षण कार्यक्रम चलाना था जिनमें अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को विभिन्न स्तरों पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि के अन्तर्गत नौकरियों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए तैयार करना था। यह भी विचार किया गया था कि विश्वविद्यालयों और कालेजों की अनुशिक्षण कक्षाओं में आयुर्विज्ञान और इंजीनियरी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षाओं और टेस्टों को भी शामिल किया जाएगा।

यह स्कीम, योजना दर योजना के आधार पर संचालित की जाती है। प्रारम्भ में किसी नए केन्द्र को तीन वर्ष की अवधि के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है। 3 वर्षों के प्रथम चरण के पूरा हो जाने पर अल्पसंख्यक अनुशिक्षण केन्द्रों की समीक्षा स्थायी समिति द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के कल्याण के बारे में की जाएगी। यदि केन्द्र का कार्य निष्पादन संतोषजनक पाया जाता है तो केन्द्र के दूसरे चरण के लिए अनुमति दी जाएगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न विशेष योजनाओं के माध्यम से समाज के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों की सामाजिक समानता और सामाजिक आर्थिक उन्नति में योगदान कर रहा है।

10वीं योजना के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस योजना कार्यक्षेत्र का विस्तार करके इसे निम्न योजनाओं में विभाजित कर दिया है :

- क) विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए स्नातक पूर्व /स्नातकोत्तर स्तर पर उपचारी अनुशिक्षण कक्षाएँ।
- ख) नौकरियों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए अनुशिक्षण कक्षाएँ।
- ग) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) की तैयारी करने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिये स्नातक पूर्व/स्नातकोत्तर स्तर पर उपचारी अनुशिक्षण कक्षाएँ।

11वीं योजना से उपरोक्त योजनाओं का महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के लिए सामान्य विकास अनुदान योजनाओं के साथ विलय कर दिया गया है। महाविद्यालयों के मामले में वि.अ.आ. के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा तथा विश्वविद्यालयों के मामले में वि.अ.आ. के मुख्य कार्यालय द्वारा अनुदान जारी किया जाता है।

क विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर स्तर पर उपचारी अनुशिक्षण संस्थाएँ

आयोग ने, वित्तीय वर्ष 2004-05 से समाज के कमजोर वर्गों विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए स्नातक पूर्व तथा स्नातकोत्तर स्तर पर उपचारी अनुशिक्षण नामक नई योजना शुरू की है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न है :-

- विभिन्न विषयों में छात्रों के अकादमिक कौशल एवं भाषा वैज्ञानिक दक्षता में सुधार करना।
- बुनियादी विषयों के ज्ञान स्तर को ऊँचा उठाना ताकि अगले अकादमिक कार्य के लिए मजबूत आधार उपलब्ध कराया जा सके।
- उन विषयों में जिनमें परिमाणत्मक एवं गुणात्मक तकनीकें तथा प्रयोगशाला कार्य शामिल होता है छात्रों के ज्ञान, कौशल, अभिवृत्तियों को सुदृढ़ करना ताकि इस कार्यक्रम के अधीन उपलब्ध कराए गए आवश्यक मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण के आधार पर छात्र, उच्च अध्ययन दक्षतापूर्वक संपन्न करने के लिए आवश्यक स्तर पर पहुँच सके।
- परीक्षाओं में इन विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार हो सके।

इस योजना का 11वीं योजना के बाद से महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों हेतु सामान्य विकास अनुदान योजना में विलय कर दिया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 10वीं योजना तक 9 विश्वविद्यालयों तथा 208 महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

ख नौकरियों में प्रवेश पाने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों हेतु अनुशिक्षण कक्षाएँ

इन अनुशिक्षण स्कीम का मूलभूत उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए तैयार करना जो उन्हें अखिल भारतीय सेवाओं तथा राज्य/प्रांतीय सेवाओं 'ख' 'ग' और 'घ' समूह के लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने में मददगार साबित होगा।

वि.अ.आ. ने 10वीं योजना तक नौकरियों में प्रवेश पाने के लिए अनुशिक्षण कक्षाओं की योजना को लागू करने के लिए 19 विश्वविद्यालयों तथा 162 महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

ग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) की तैयारी के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुशिक्षण कक्षाएँ

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2004-05 से राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) की तैयारी करने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए अनुशिक्षण कक्षाओं की नई योजना प्रारम्भ की है। अनुशिक्षण कक्षाएँ चयनित विश्वविद्यालयों में आयोजित की जाती हैं जिनके लिए शतप्रतिशत अनुदान वि.अ.आ. उपलब्ध कराता है। वि.अ.आ. प्रत्येक राज्य में कम से कम एक केन्द्र आबंटित करने का प्रयास करेगा जो नेट अनुशिक्षण का उत्तरदायित्व लेगा और जिनके पास यह कार्य करने के लिए पर्याप्त संकाय सदस्य तैयार हैं। अनुशिक्षण केन्द्रों में कक्षाएँ चलाने के लिए मानदेय आधार पर शिक्षकों को रखा जाएगा। इन केन्द्रों में स्थायी आधार पर स्टाफ नियुक्ति करने का प्रावधान नहीं है। 11वीं योजना के बाद से, इस स्कीम को विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों की सामान्य विकास स्कीम में विलय कर दिया गया है।

7.6 अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए स्थायी समिति एवं समीक्षा समिति की बैठक/कार्यशालाएँ

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए स्थायी समिति, अल्पसंख्यकों के लिए चल रही योजनाओं का नियमित रूप से अनुवीक्षण और समीक्षा करती है। समिति की वर्ष में एक या दो बार बैठकें होती हैं। समिति ने सिफारिश की है कि वि.अ.आ. को प्रत्येक वर्ष, देश के उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्रों में 4-5 क्षेत्र स्तरीय समीक्षा समिति/कार्यशालाओं का आयोजन करना चाहिए। प्रत्येक ऐसी समिति में स्थायी समिति के 3-4 सदस्य और वि. अ.आ. का एक अधिकारी होगा। वर्ष 2007-08 के दौरान कोई भी कार्यशाला आयोजित नहीं हो सकी क्योंकि इन योजनाओं को महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के विकास अनुदान के साथ विलय कर दिया गया था।

वि.अ.आ. ने निर्णय लिया है कि वर्ष 2007-08 के दौरान, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के संयोजकों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी ताकि वर्ष 2006-07 के दौरान अनुमोदित, इस योजना का कार्यान्वयन हो सके।

दिनांक 10.09.2007 को आयोग के सदस्य तथा पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रो. जे.ए.के. तरीन की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी उपसमिति की बैठक आयोजित हुई। समिति ने उपघटकों को 11वीं योजना के दिशानिर्देशों में शामिल करने की सिफारिश की। समिति ने उपघटकों को 11वीं योजना के दिशानिर्देशों में शामिल करने की सिफारिश की। आयोग ने अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं की संख्या में वृद्धि कर दी है।

वर्ष 2008-09 के दौरान 7 फरवरी, 2009 को, अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी वि.अ.आ. स्थायी समिति की एक बैठक हुई जिसमें अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की सिफारिश की। समिति की सिफारिशें समिति के विचाराधीन हैं।

7.7 विशेष शिक्षा में शिक्षक तैयार करना (टी.ई.पी.एस.ई) तथा विशेष जरूरतमंद (अपंग) व्यक्तियों के लिए उच्च शिक्षा (एच.ई.पी.एस.एन.)

निशक्तता अधिनियम, 1995 यह इंगित करता है कि निशक्त व्यक्तियों की सभी स्तरों पर शिक्षा तक पहुँच होनी चाहिए। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वि.अ.आ. निशक्त व्यक्तियों सशक्तिकरण के लिए देश के विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में चलाई जा रही विशेष शिक्षा गतिविधियों को सहायता प्रदान करता आया है।

वि.अ.आ. ने समय समय पर विश्वविद्यालयों और समविश्वविद्यालयों को शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के दाखिलों में आरक्षण समेत भारत सरकार में रोजगार संबंधी नीति निर्धारण संबंधी सूचनाएँ संप्रेषित करता रहता है।

वि.अ.आ. ने 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, टीचर्स एजुकेशन तथा हायर एजुकेशन योजना आरंभ की थी जो 10वीं योजना तक चलती रही। इस स्कीम को 11वीं योजना में भी जारी रखा गया है। इन योजनाओं के उद्देश्य, निम्नवत हैं :-

- उच्च शिक्षा संस्थाओं में अपंग व्यक्तियों को शिक्षा के समान अवसर और अनुभव उपलब्ध कराना।
- भारत के विश्वविद्यालयों/कालेजों को विशेष शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक तैयार करने के कार्यक्रमों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहित करना।
- अपंग व्यक्तियों को विशेष शैक्षिक जरूरतों के लिए उच्च शिक्षा के कार्यकर्ताओं में जागरूकता उत्पन्न करना।
- उच्च शिक्षा संस्थाओं को सुविधाओं से लैस करना ताकि अपंग व्यक्ति उनका लाभ उठा सकें।
- अपंग व्यक्तियों को उचित आर्थिक सहायता प्रदान करना ताकि वे उच्च शिक्षा में अधिक समय तक टिके रहें।
- शिक्षित अपंग स्नातकों को सार्वजनिक के साथ-साथ निजी क्षेत्र में उधमों में उचित नौकरी दिलाने के लिए प्रयत्न करना।
- अपंग व्यक्तियों की उच्च शिक्षा से संबंधित समस्त विद्यमान और आगामी वैधानिक स्वरूप तथा नीतियों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करना।
- अपंग अध्ययन विभाग उपलब्ध कराना तथा संस्थागत बाधा रहित करने के उपाय करना।
- इंदिरा गाँधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति संबंधी स्कीम के तहत एकमात्र बालिका शिशु हेतु शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 1 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 5 प्रतिशत की छूट प्रदान करना।
- उत्तम अकादमिक रिकार्ड के तहत नियुक्ति हेतु शारीरिक रूप से विकलांग अजा/अजजा के उम्मीदवारों को स्नातक एवं निष्णात स्तर पर 5 प्रतिशत (55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत) की छूट प्रदान करना।

इस स्कीम का 11वीं योजना से महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों संबंधी सामान्य विकास स्कीम में विलय कर दिया गया है।

7.8 भारतीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में महिलाओं के अध्ययन का विकास

महिलाओं को अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करने से संबंधित योजना, 7वीं योजना अवधि के दौरान प्रारंभ की गई थी जिसको विभिन्न योजना अवधि के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संवर्धित, सुदृढ़ीकृत किया गया है तथा निदेशित किया गया है। 8वीं से 10वीं योजनावधि के दौरान, विश्वविद्यालय प्रणाली में महिला अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की गई है। इन केन्द्रों का महिलाओं के अध्ययन शिक्षण, अनुसंधान तथा क्षेत्र विषयक कार्रवाई के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान है।

11वीं योजना में इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, विश्वविद्यालय प्रणाली में महिला अध्ययन केन्द्रों को वैधानिक विभागों के रूप में स्थापित करके उन्हें सुदृढ़ और धारणीय बनाना है ताकि वे अपनी क्षमता को अन्य संघटकों के साथ इस तरह संयोजित कर सकें ताकि वे परस्पर एक दूसरे से सहक्रिया में संलग्न हो सकें।

11वीं योजना से पूर्व, देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में 67 महिला अध्ययन केन्द्र स्थापित थे। इन अध्ययन केन्द्रों को, स्थायी समिति द्वारा इसकी 18 फरवरी, 2009 को हुई बैठक में तीन चरणों प्रस्तुत किया गया। प्रत्येक केन्द्र 5.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष (प्रथम चरण), 8.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष (द्वितीय चरण) तथा 12.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष (तृतीय चरण) विश्वविद्यालयों में तथा 3.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष (प्रथम चरण), 5.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष (द्वितीय चरण) तथा 8.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष (तृतीय चरण) महाविद्यालयों में वित्तीय सहायता पाने का पात्र हैं। दिनांक 5 मार्च, 2009 को हुई इसकी बैठक में विशेषज्ञ समिति ने कुल 46 और महिलाओं के अध्ययन केन्द्रों की स्थापना 11वीं योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में की है। वर्ष 2008-09 के दौरान 3.10 करोड़ रुपये की राशि 11वीं योजना से पूर्व स्थापित किए गए महिलाओं के अध्ययन केन्द्रों के क्रियाकलापों हेतु विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को जारी की गई है।

7.9 महाविद्यालयों के लिए महिला छात्रावास

वर्ष 1995-96 के दौरान, महिलाओं के लिए छात्रावास के निर्माण हेतु आयोग ने एक विशेष स्कीम प्रारंभ की है जिसे महिलाओं के स्तर में बढ़ोत्तरी करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए महाविद्यालयों में छात्रावास एवं आधारिक संरचना विकास सुविधाएँ उपलब्ध कराने के मद्देनजर किया गया है। इस योजना में वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र वे महाविद्यालय होंगे जो वि.अ.आ. के क्षेत्र में आते हैं और जो वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 12(बी) के अधीन सहायता प्राप्त करने के योग्य हैं। इस योजना के अंतर्गत वि.अ.आ. की वित्तीय सहायता शतप्रतिशत के आधार पर नीचे दी गई उच्चतम सीमा के अधीन है।

महिला नामांकन	गैर-महानगरीय नगरों के संबंध में राशि (लाख रुपए में)	महानगरीय नगरों के संबंध में राशि (लाख रुपए में)
(क) 250 तक	60	120.00
(ख) 251 से 500 तक	80	160.00
(ग) 500 से अधिक	100	200.00

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आबंटन/उच्चतम सीमा के अतिरिक्त होने वाली व्यय राशि को संस्थाओं को अपने संसाधनों से पूरा करना होगा। इसके लिए संबंधित संस्था को स्पष्ट सूचना और आश्वासन देना होगा।

दिशानिर्देशों के तहत, वि.अ.आ. आबंटन/उच्चतम सीमा के अतिरिक्त लागत में किसी भी प्रकार की वृद्धि का उपबंध नहीं करता है।

वर्ष 2008-09 के दौरान, वि.अ.आ. के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा राज्यों के महाविद्यालयों को कुल 252.06 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया है।

दिल्ली के महाविद्यालयों को रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान, महिलाओं के लिए छात्रावास निर्माण के लिए प्रयोजनार्थ वि. अ.आ. के मुख्यालय द्वारा 200.00 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया है।

7.10 उच्च शिक्षा में महिला प्रबंधकों का क्षमता निर्माण

वि.अ.आ. ने 10वीं योजना के दौरान, उच्च शिक्षा में महिला प्रबंधकों के क्षमता निर्माण संबंधी स्कीम प्रारम्भ की। इस स्कीम को अब 11वीं योजना में कार्यान्वयन हेतु संशोधित एवं जारी रखा गया है। कुल मिलाकर स्कीम का लक्ष्य, नीतियों एवं पद्धतियों के जरिये उच्च शिक्षा प्रणाली को सुग्राही बनाने के लिए बेहतर लिंग संतुलन हेतु उच्च शिक्षा प्रबंधन में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत महिला संकाय, प्रशासकों एवं स्टाफ संघटन को सुकर बनाता है। प्रशासक बनने की क्षमता रखने वाली महिलाओं को एकत्रित करके गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विकास करने के लिए महिलाओं की गुणवत्ता एवं विविधता को पहचानकर उनकी प्रगति को सुकर बनाता है। इस स्कीम के विशेष लक्ष्य हैं— उच्च शिक्षा प्रणाली में लिंग भेद को कम करके सापेक्ष योजना एवं रणनीति को विकसित करना, प्रशासक बनने की तीव्र इच्छा रखने वाली महिलाओं के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की पेशकश करना, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विभिन्न कार्यक्रमों हेतु प्रासंगिक प्रशिक्षण सामग्री का विकास करना, लिंग समानता प्रकोष्ठ जैसे लिंग आधारित नवप्रवर्तनों का समर्थन तथा सुग्राही सूचकों का विकास करना, उच्च शिक्षा में महिला प्रबंधकों के बीच, नेटवर्क आदि के जरिए संपर्क विकास का समर्थन करना।

वर्तमान में इस स्कीम में निम्नलिखित 5 सुझावों पर विचार किया गया है :

- (1) संभावी महिला प्रबंधकों से संबंधित मुद्दों की संवेदनशीलता को बढ़ाने पर केन्द्रित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश करना।
- (2) अन्य किसी स्कीम की तरह एक स्कीम की बजाय इसे महिला आंदोलन का रूप देना।
- (3) संवेदनशीलता/जागरूकता/अभिप्रेरण कार्यशालाओं हेतु उपकुलपति एवं प्रधानाचार्यों को सम्मिलित करना तथा समन्वयक/प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए उत्तरवर्ती समप्रवर्तन।

वर्तमान में इस कार्यक्रम में महिलाओं की क्षमता निर्माण हेतु निम्नलिखित प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यशालाओं को सम्मिलित किया गया है :

- (1) संवेदशीलता/जागरूकता/अभिप्रेरण (एस.ए.एम.) कार्यशालाएं
- (2) प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण कार्यशालाएं
- (3) प्रबंधन कौशल कार्यशालाएं
- (4) प्रशिक्षकों की प्रबंधकीय कौशल कार्यशालाएं
- (5) अनुसंधान प्रेरक कार्यशालाएं

अब तक, केवल तीन प्रकार की प्रशिक्षण एवं कौशल विकास संबंधी कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। (1) पाँच दिवसीय अवधि की संवेदनशील/जागरूकता/अभिप्रेरण कार्यशालाएं तथा छः दिवसीय प्रशिक्षकों की प्रबंधन कौशल प्रशिक्षण कार्यशालाएं।

वर्ष 2008-09 के दौरान, प्रशिक्षकों के एक प्रशिक्षण (टी.ओ.टी.) तथा 79 संवेदनशील/जागरूकता/अभिप्रेरण (एस.ए.एम.) कार्यशालाओं का विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा आयोजन किया गया है। जिनमें से प्रत्येक (टी.ओ.टी.) कार्यशाला के लिए 7.07 लाख रुपए, प्रत्येक आवासीय के लिए 4.60 लाख रुपये तथा प्रत्येक गैर आवासीय (एस.ए.एम.) कार्यशाला के लिए 2.16 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान, 3.02 करोड़ रुपए की धनराशि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को जारी की गई है।

8 प्रासंगिकता एवं नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा

8.1 शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाना

शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए स्कीम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण स्नातक छात्रों को सामान्य तौर पर मजदूरी क्षेत्र में विशेष रूप से स्वरोजगार के क्षेत्र में लाभकारी रोजगार प्राप्त करने के लिए ज्ञान तथा कौशल तथा रुझान पैदा किया जाए जिससे निष्णात उपाधि के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों पर बोझ को कम किया जा सके। ये पाठ्यक्रम औपचारिक रूप से चलाए जा रहे कला, वाणिज्य तथा विज्ञान स्नातक पाठ्यक्रमों के समकक्ष चलाए जाते हैं। इन पाठ्यक्रमों के तहत उत्तीर्ण छात्रों को प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/उच्च डिप्लोमा प्रदान किए जाते हैं।

चलाए जा रहे पाठ्यक्रम, प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/उच्च डिप्लोमा के रूप में होते हैं, जिन्हें छात्र, औपचारिक बी.ए./बी.काम./बी.एस.सी उपाधियों के साथ साथ चुन सकते हैं। चलाए गए पाठ्यक्रम, अंतर्विषयी प्रकृति के होते हैं। छात्रों को विविध विषयों को चुनने की स्वतंत्रता होती है। यह आवश्यक नहीं होता कि वह उसके विषय से ही संबंधित हों। उदाहरण के लिए विज्ञान का छात्र साथ साथ 'इवेंट मैनेजमेंट' में पाठ्यक्रम जारी रख सकता है तथा कला पृष्ठभूमि से छात्र विज्ञान, पत्रकारिता आदि में पाठ्यक्रम जारी रख सकता है।

वि.अ.आ. द्वारा इस योजना के तहत चुने गए संस्थानों को मानविकी तथा वाणिज्य विषयों में पाँच वर्षों के लिए 7.00 लाख रुपये एकबारगी 'बीज राशि' के रूप में प्रति पाठ्यक्रम तथा विज्ञान विषयों के लिए 5 वर्षों के लिए 10.00 लाख रुपये प्रति पाठ्यक्रम एक बारगी 'बीज राशि' के रूप में सहायता दी जाती है। इस राशि को पुस्तकों, जर्नल, प्रयोगशाला उपकरणों, सुविधाओं के विस्तार तथा अतिथि शिक्षक को पारिश्रमिक के भुगतान के लिए उपयोग किया जा सकता है।

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को मानविकी, वाणिज्य तथा विज्ञान, तीनों विषयों में से कम से कम 3 पाठ्यक्रम चुनने होते हैं। वि.अ.आ. ने पाठ्यक्रमों की कोई सूची उपलब्ध नहीं कराई है। यह विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों पर छोड़ दिया गया है कि वे आवश्यकता आधारित रोजगारोन्मुखी/अंतर्विषय पाठ्यक्रम की पहचान करें। चलाए गए पाठ्यक्रमों को वि.अ.आ. की पूर्वानुमति से प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

शिक्षकों/स्टाफ सदस्यों के अलावा, अतिथि शिक्षकों को इन विषयों को पढ़ाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक संस्थानों तथा उत्पादन संबंधी प्रतिष्ठानों से आमंत्रित किया जा सकता है। विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्तियों को अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा दे सकते हैं। रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम के समन्वयक को 'बीज राशि' में से 5,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से भुगतान किया जा सकता है। अतिथि शिक्षक/आंतरिक शिक्षक को 1 घंटे की अवधि के लिए 250 रुपये प्रति घण्टा की दर से भुगतान किया जा सकता है।

विश्वविद्यालय, वि.अ.आ. द्वारा मंजूरीकृत रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों के लिए किसी भी प्रकार के सम्बन्धन का शुल्क वसूल नहीं करेगा।

महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों द्वारा प्राप्त हुए 1391 प्रस्तावों में से नवम्बर, 2008 एवं मार्च, 2009 में हुई बैठक में विशेषज्ञ समिति द्वारा सिफारिश किए गए 451 प्रस्तावों को स्कीम के तहत वित्तीय सहायता हेतु आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया। वर्ष 2008-09 के दौरान रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों को आयोजन हेतु विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को 42.29 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

8.2 क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 46 अभिज्ञात केन्द्रों में "क्षेत्र अध्ययन केन्द्र" के रूप में (11 परियोजना रूप में तथा 35 नियमित आधार पर) सहायता उपलब्ध करा रहा है। ये केन्द्र, इन दिए गए क्षेत्रों में मुख्य रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक मामलों पर अध्ययन कर रहे हैं। उन देशों एवं क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जाता है जिनके साथ भारत के घनिष्ठ एवं प्रत्यक्ष राजनयिक संबंध हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान केन्द्रों को भुगतान के रूप में 3.81 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

8.3 सामाजिक अंतर्वेशन एवं बहिर्वेशन नीति के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय में केन्द्रों की स्थापना

सामाजिक बहिर्वेशन, समाज में न केवल तनाव, हिंसा तथा विघटन पैदा करता है बल्कि असमानता तथा विचलन की स्थिति का भी सृजन करता है। भारत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय विकास का लाभ प्राप्त करने के मामले में उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जानबूझकर उन्हें इससे अलग

रखा जा रहा है। सामाजिक बहिर्वेशन एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है जिसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक दुष्परिणाम होते हैं। वृहत आर्थिक नीतियों जैसे निर्धनता बेरोजगारी तथा अनैच्छिक प्रवास के परिणामस्वरूप पीड़ित, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक गतिविधियों से अलग थलग पड़ जाता है।

केन्द्रों को स्थापित करने की आवश्यकता

भारतीय परिदृश्य में इस प्रकार के प्रधान ढांचों का अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण है जहाँ संस्थागत असमानता और भेदभाव हमारे समाज का एक विशेष अंग हैं। उच्च शिक्षा के संस्थानों को इस मुद्दे का समाधान ढूँढने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम, जहाँ बहिर्वेशन का अध्ययन किया जा सकता है उसे समझा जा सकता है तथा इसकी सर्वप्रथम मीमांसा की जा सकती है वह हैं, हमारे विश्वविद्यालय, जो हमारे समाज के पथ प्रदर्शक हो सकते हैं और उन्हें पथप्रदर्शक होना भी चाहिए। अतः वि.अ.आ. ने बहिर्वेशन जिसका नीतिगत सैद्धांतिक महत्व है, के मुद्दे पर अनुसंधान को सहायता देने का निर्णय लिया है। इन विषयों पर अध्ययन के लिए विश्वविद्यालयों में अनेक शिक्षा सहअनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य है।

वर्ष 2006–07 तथा 2007–08 के दौरान, विशेषज्ञ समिति ने अंतर्वेशन एवं बहिर्वेशन नीति के अध्ययन हेतु केन्द्र के अनुमोदन हेतु उनके प्रस्तुतिकरण एवं तदोपरान्त चर्चा के आधार पर 35 विश्वविद्यालयों/समविश्वविद्यालयों की सिफारिश की है।

वर्ष 2006–07 के दौरान स्थापित किए गए केन्द्र

1. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुम्बई
2. आन्ध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम
3. पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़
4. शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर
5. मंगलोर विश्वविद्यालय, मंगलोर
6. कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता
7. नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया विश्वविद्यालय, बंगलुरु
8. भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरुचिरापल्ली
9. मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद
10. हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद
11. गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर
12. पटना विश्वविद्यालय, पटना
13. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

वर्ष 2007–08 के दौरान स्थापित किए गए केन्द्र

14. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
15. एम.के. विश्वविद्यालय, अनंतपुरम
16. गोवा विश्वविद्यालय, गोवा
17. बंगलुरु विश्वविद्यालय, बंगलुरु
18. दक्षिणी गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत
19. सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट
20. जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू
21. कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, कोचीन

22. गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पालिटिक्स एण्ड इकॉनॉमिक्स, पुणे
23. विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
24. मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल
25. सम्बलपुर विश्वविद्यालय, सम्बलपुर
26. उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
27. पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय, पाण्डिचेरी
28. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
29. त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला
30. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
31. मनोनमनीयम सुन्दरानर विश्वविद्यालय, तिरुनेवल्ली
32. गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम
33. मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर
34. जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
35. एस.एन.डी.टी. युमेन्स यूनिवर्सिटी मुम्बई

वर्ष 2008-09 में उपरोक्त संस्थानों को कोई भी अनुदान राशि उपलब्ध नहीं करायी गई।

8.4 भारतीय युग प्रवर्तक सामाजिक चिंतकों पर विशेष अध्ययन

भारतीय युग प्रवर्तक सामाजिक चिंतकों पर विशेष अध्ययन योजना, वि.अ.आ. द्वारा वर्ष 1983 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत वि.अ.आ. शतप्रतिशत आधार पर, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, संस्थाओं के कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए विशेष अध्ययन केन्द्रों की स्थापना करने के लिए सहायता उपलब्ध कराता है ताकि शिक्षकों और छात्रों के महान चिंतकों और सामाजिक नेताओं/सुधारकों के विचारों से अवगत कराया जा सके।

आज तक इस योजना के तहत, विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थाओं में 191 अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की गई है। (जिनमें 61 गांधीवादी अध्ययन केन्द्र, 55 अम्बेडकर अध्ययन केन्द्र, 2 स्वामी विवेकानन्द अध्ययन केंद्र, 2 जाकिर हुसैन अध्ययन केंद्र, 6 अरबिन्दो अध्ययन केन्द्र, 1 के.आर. नारायणन अध्ययन केन्द्र, 2 स्वामी विवेकानन्द अध्ययन केंद्र, 2 जाकिर हुसैन अध्ययन केन्द्र, 3 गुरुनानक देव अध्ययन केंद्र, 1 इंदिरा गांधी अध्ययन केंद्र, 32 बौद्ध अध्ययन केन्द्र और 28 नेहरू अध्ययन केन्द्र हैं।)

वर्ष 2008-09 के दौरान, 10वीं योजना के दौरान स्थापित केन्द्रों को उनके क्रियाकलाप हेतु कुल 4.91 करोड़ रूपए का अनुदान जारी किया गया। 11वीं योजना के कार्यान्वयन के लिए मौजूदा योजना के दिशानिर्देशों को संशोधित किया जा रहा है।

8.5 प्रौढ़ अनुवर्ती शिक्षा तथा विस्तार एवं क्षेत्र प्रसार (ए.सी.ई.ई. एण्ड एफ.ओ.)

देश से निरक्षरता दूर करने के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के दायित्व को पूरा करने के लिए वि.अ.आ. ने 1978 से उच्च शिक्षा प्रणाली में विभिन्न कार्यक्रम यथा राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (एन.ए.ई.पी. 1978-83), प्रौढ़ अनुवर्ती शिक्षा कार्यक्रम (ए.सी.ई.पी. 1983-90), भारत सरकार 16/20 सूत्री कार्यक्रम (1983 से 1989), क्षेत्र आधारित उपागम कार्यक्रम (ए.बी.ए.पी. 1989से 1992), पूर्ण साक्षरता अभियान कार्यक्रम (टी.एल.सी.पी. 1992 से 1997) तथा 9वीं योजना तथा 10वीं योजना के प्रौढ़ अनुवर्ती शिक्षा तथा विस्तार एवं क्षेत्र प्रसार के कार्यक्रम (ए.सी.ई.ई.एण्ड एफ.ओ. 1997 से 2002 तथा 2002 से 2007) कार्यान्वित कर रहा है, जिनमें समय समय पर विश्वविद्यालयों /संस्थाओं के प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों/विभागों को सम्मिलित किया जाता है। इनके बदले में छात्रों और शिक्षकों को शामिल करते हुए इन संस्थाओं ने साक्षरता, साक्षरोत्तर, अनुवर्ती शिक्षा, जनता के लिए विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा कानून साक्षरता तथा प्रौद्योगिकी अंतरण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

वर्ष 2005-06 और उसके बाद, प्रौढ़ अनुवर्ती शिक्षा तथा विस्तार एवं क्षेत्र प्रसार कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित 3 दृष्टिकोणों की पद्धतियों की परिकल्पना की गई है :-

- अनुवर्ती शिक्षा कार्यक्रम का लक्ष्य ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिन्होंने विश्वविद्यालय की शिक्षा का लाभ प्राप्त किया हो किन्तु जिन्हें अपना ज्ञान या कौशल अद्यतन बनाने के लिए लौटने की जरूरत न हो या नवीन कौशल प्राप्त करने हों। इनमें उद्योग और सेवाओं के दल/भाग लेने वाले सम्मिलित हो सकते हैं। ये पाठ्यक्रम अल्पकालिक या सर्टिफिकेट/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के तौर पर हो सकते हैं। ये पाठ्यक्रम उन लोगों के लिए हो सकते हैं जो पहले ही सेवारत हैं या बेरोजगार हैं ताकि वे अपनी रोजगार योग्यता में सुधार कर सकें।
- प्रौढ़ तथा विस्तार शिक्षा में अल्पकालिक ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल होने चाहिए जो सामान्यतः विश्वविद्यालय प्रणाली में प्रवेश न कर सकते हों। ये पाठ्यक्रम कौशल आधारित हो सकते हैं, जैसे धन अर्जित करने का कौशल, उद्यमशीलता का विकास, पारिवारिक जीवन शिक्षा, मूल्य आधारित शिक्षा या सामाजिक मुद्दों से संबंधित यथा पराविधिक प्रशिक्षण और आधारित कार्यकर्ताओं/सक्रिय कार्यकर्ताओं के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण।
- समुदाय संपर्क गतिविधियों में समाज तक पहुँचने का दायित्व होना चाहिए, भले ही विशेष लाभ से वंचित लोग हों, यथा बंधुआ मजदूर, बाल श्रमिक, गली के बच्चे अथवा संगठन हों, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या नगर की गंदी बस्तियाँ अथवा गाँव, जैसे भूगोलीय समुदाय के नगर पालिका/जिला परिषद स्कूल।

10वीं योजना अवधि के दौरान, वि.अ.आ. ने ई-लर्निंग सेंटर, छात्र परामर्श/नियोजन/कैरियर मार्गदर्शन केन्द्र आरम्भ किए तथा विभागों को उनकी गतिविधियों तथा उपलब्धि के आधार पर उपस्कर उपलब्ध कराए।

वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान, भारतीय विश्वविद्यालयों में 86 केन्द्र कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालय को कुल 2.52 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया जा चुका है। 11वीं योजना में कार्यान्वयन हेतु स्कीम के दिशानिर्देशों की समीक्षा की जा रही है तथा उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है।

8.6 जनसंख्या तथा विकास शिक्षा पर यू.जी.सी.-यू.एन.एफ.पी.ए. परियोजना

वि.अ.आ., वर्ष 1983 से विश्वविद्यालय प्रणाली में जनसंख्या तथा विकास शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए विश्वविद्यालयों तथा कालेजों की सहायता प्रदान कर रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के युवकों तथा उनके माध्यम से समुदाय को इस योग्य बनाना है ताकि वे जीवन की गुणवत्ता, लिंग समानता, प्रजनन स्वास्थ्य, एड्स समाज तथा राष्ट्र पर जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव आदि से संबंधित मुद्दों को स्पष्ट रूप से समझ सकें।

चूँकि, यू.एन.एफ.पी.ए. की अनुदान सहायता बंद कर दी गई थी, अतः वि.अ.आ. अपने ही बलबूते पर प्रौढ़ अनुवर्ती शिक्षा और विस्तार एवं क्षेत्र प्रसार के मौजूदा केन्द्रों के माध्यम से 72 जनसंख्या शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम को चला रहा है।

वर्ष 2008-09 के दौरान, केन्द्रों को जनसंख्या शिक्षा क्रियाकलापों के लिए 8.09 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया।

8.7 मानव अधिकार एवं नैतिक शिक्षा (एच.आर.वी.ई.)

वर्ष 1985 में वि.अ.आ. ने शिक्षा के सभी स्तरों पर मानव अधिकारों की शिक्षा एवं अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है। इस रूपरेखा में मानवाधिकारों, मौजूदा पाठ्यक्रम के पुनर्गठन के लिए तथा नए तथा बुनियादी पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का प्रस्ताव अंतर्विष्ट है। यह स्नातक पूर्व, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर सभी संकायों के विद्यार्थियों को व्यावसायिक एवं गैर-व्यावसायिक दोनों ही शिक्षा देने हेतु था। तदनुसार, वि.अ.आ. 10वीं योजना से ही विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में मानवाधिकारों और कर्तव्य को बढ़ावा तथा समर्थन देता आ रहा है। इस योजना के दो घटक हैं :

- (क) मानव अधिकार और कर्तव्य शिक्षा
- (ख) नैतिकता तथा मानव मूल्यों का संवर्धन

योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैं :

(क) मानव अधिकार और कर्तव्य शिक्षा

- (1) समाज तथा शैक्षिक संस्थाओं के बीच परस्पर संपर्क विकसित करना।
- (2) नागरिकों को संवेदनशील बनाना ताकि मानव अधिकारों के मूल्यों को कार्यान्वित किया जा सके।
- (3) अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा सके।
- (4) मानव अधिकारों तथा शिक्षा मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि के आपसी संबंधों के बारे में अनुसंधान अध्ययनों को प्रोत्साहित किया जा सके।

(ख) नैतिकता तथा मानव मूल्यों का संवर्धन

- (1) मूल्यों के प्रति जागरूकता, दृढ़ विश्वास और प्रतिबद्धता पैदा करना ताकि शिक्षा के जरिए जीवन की गुणता में सुधार और समाज तथा मानव कल्याण को बढ़ाया जा सके।
- (2) शिक्षकों तथा छात्रों के लिए बहिर्विद्यालय व्याख्यानों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं एवं अभिविन्यास कार्यक्रमों, जैसे : मूल्यों तथा संस्कृति के बारे में शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार कार्यक्रमों से संबंधित अकादमिक तथा अन्य गतिविधियों को शुरू करने के लिए विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को प्रोत्साहित करना।
- (3) मूल्यों से संबंधित पुस्तकों, पुस्तिकाओं, पत्रिकाओं, शिक्षण सामग्री वीडियो, सीडी और फिल्मों को मिलाकर अपेक्षित सामग्री को तैयार करने और प्रकाशित करने के लिए विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित करना।

वर्ष 2008-09 के दौरान, वि.अ.आ. को इस योजना के तहत वित्तीय सहायता हेतु विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों से 242 प्रस्ताव प्राप्त हुए। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर इन 242 प्रस्तावों में से 173 प्रस्तावों (विश्वविद्यालय से 50 प्रस्ताव तथा महाविद्यालयों से 123 प्रस्ताव) को वि.अ.आ. द्वारा अनुमोदित किया गया है।

इस योजना के तहत विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को वर्ष 2008-09 के दौरान कुल 5.39 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी की गई।

11वीं योजना में कार्यान्वयन हेतु मौजूदा योजना के दिशानिर्देशों की समीक्षा की जा रही है।

9 सूचना संचार प्रौद्योगिकियों का समेकन

9.1 विश्वविद्यालयों में कंप्यूटर केन्द्रों की स्थापना/उन्नयन

वि.अ.आ. सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (आई.सी.टी.) में विकास के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए अनेक सामान्य और विशिष्ट योजनाओं के माध्यम से विश्वविद्यालयों और कालेजों की मदद कर रहा है। तदनुसार, वर्ष 1970 से यह विश्वविद्यालयों को (क) अनुसंधान एवं प्रशिक्षण (ख) प्रत्येक क्षेत्र/विषय में कंप्यूटर अनुप्रयोग (ग) एम. सी.ए./एम.एस.सी. (कंप्यूटर विज्ञान प्रोग्राम एवं कतिपय विषयों में स्नातकोत्तर स्तर पर कंप्यूटर अनुप्रयोग पत्रों के विकास हेतु सहायता देने के लिए कंप्यूटर केन्द्र स्थापित करने के लिए सहायता देता आ रहा है।)

आई.सी.टी. ने नवीनतम विकास को मददेनजर रखते हुए मौजूदा कंप्यूटर केन्द्रों के और अधिक उद्भव तथा भूमिका एवं कार्यकरण में पर्याप्त परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता थी तथा उनकी ऐतिहासिक स्थिति तथा भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए उनकी तैयारी के आधार पर उनके पृथक संभावित मॉडल होने चाहिए थे। तदनुसार, वि.अ.आ. ने इस योजना को संशोधित कर दिया।

इस योजना के तहत वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) और 12(बी) के तहत विश्वविद्यालय में दाखिले, प्रशासन एवं वित्त संबंधी कार्यों के अतिरिक्त शिक्षा, अनुसंधान तथा अन्य संबंधित गतिविधियों के विकास के लिए केन्द्रीय सुविधा के रूप में कंप्यूटर केन्द्र स्थापित करने हेतु समविश्वविद्यालयों सहित सभी पात्र विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

कई अधुनातम प्रणालियाँ जैसे ग्रिड कंप्यूटिंग, हाई स्पीड इंटरनेट (ब्रॉडबैंड), कनेक्टिविटी, मोबाइल उपकरणों तथा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स (पी.डी.ए.) सहित, भारतीय भाषाओं में विकासशील उत्पाद हेतु यूनिकोड आदि इस स्कीम में शामिल हैं।

विश्वविद्यालय, जहाँ कोई कंप्यूटर केन्द्र नहीं है अथवा वि.अ.आ. की सहायता के बिना 2-3 वर्षों की अवधि के भीतर कंप्यूटर केन्द्र का ढाँचा तैयार कर रहा है, उसके लिए सहायता की सीमा निम्नवत् होगी :

अनावर्ती	:	70.00 लाख रुपए
आवर्ती	:	वास्तविक

कंप्यूटर केन्द्र, जिन्होंने योजना के तहत पहली बार सहायता के बाद 5 वर्षों से अधिक समय पूरा कर लिया है, उनके लिए सहायता की अधिकतम सीमा निम्नवत् है :

अनावर्ती	:	50.00 लाख रुपए

विश्वविद्यालयों से प्राप्त सभी प्रस्तावों की आयोग द्वारा बनाई गई एक विशेषज्ञ समिति द्वारा जाँच की जाएगी।

योजना के तहत वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान, विश्वविद्यालयों में कंप्यूटर केन्द्रों की स्थापना/उन्नयन हेतु जारी किये गए आबंटन एवं अनुदान के ब्यौरे निम्नवत् हैं :

(लाख रु. में)

वित्त वर्ष	आबंटित बजट	जारीकृत अनुदान	लाभार्थी विश्वविद्यालयों की संख्या
2007-2008	100.00	76.67	19 विश्वविद्यालय
2008-2009	552.00	551.52	20 विश्वविद्यालय
जोड़	652.00	628.19	39 विश्वविद्यालय

9.2 वि.अ.आ.-इंफोनेट इंटरनेट कनेक्टिविटी

भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा वर्ष 2002 में यू.जी.सी. इंफोनेट इंटरनेट कनेक्टिविटी आरंभ किए जाने से लेकर आज तक 157 विश्वविद्यालयों को ब्रॉडबैंड एल.एल./एस.सी.पी.सी./डी.ए.एम.ए./एफ.टी.डी.एम.ए./आर.एफ. ओपन नेटवर्क आर्किटेक्चर का उपयोग कर 256 के.बी.पी.एस. से 2 एम.बी.पी.एस. बैंडविड्थ का इंटरनेट प्रदान किया जा चुका है। कार्यक्रम के तहत संपूर्ण नेटवर्क को स्थापित करने तथा रखरखाव का कार्य अरनेट (ERNET) इंडिया द्वारा 'टर्न की' आधार पर किया गया था। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियाँ जैसे, आई.पी. मल्टीकास्ट, टी.सी.पी. स्फूफिंग तथा अन्य इंटरनेट उपकरण जो निजी कंप्यूटर और दूरदर्शन पर उपयोग कर अन्योन्यक्रिया शिक्षा प्रदान करता है, प्रश्नों की ऑनलाइन प्रतिक्रिया हेतु समर्थकारी बनाकर, यू.जी.सी. इंफोनेट आई.पी. प्लेटफार्म आधारित है। ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर वर्तमान एवं भावी अनुप्रयोगों के लिए सहायता सुनिश्चित करता है।

प्रत्येक भागीदार विश्वविद्यालय ने यू.जी.सी. इंपिलबनेट और अरनेट के साथ चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। संपूर्ण परियोजना को यू.जी.सी. द्वारा 90 प्रतिशत पूँजीगत निवेश तथा शत प्रतिशत आवर्ती बैंडविड्थ प्रभार के साथ वित्तपोषित किया गया है। एक संयुक्त तकनीकी प्रशुल्क समिति (JTTC) जिसे अब सेंट्रल कनेक्टिविटी मॉनीटरिंग कमेटी (CCMC) के नाम से जाना जाता है। इसमें देश के जाने माने विशेषज्ञ शामिल हैं। इसकी स्थापना परियोजना के डिजाइन, कार्यान्वयन व प्रचालन को दिशा देने व उसकी निगरानी करने के लिए की गई है। इंपिलबनेट, अरनेट व विश्वविद्यालयों के बीच में संपर्क व अनुवीक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अरनेट, इंपिलबनेट के सहयोग से परिसर नेटवर्क व उपस्कर के प्रबंध हेतु विश्वविद्यालयों के नेटवर्क व प्रशासक तंत्र को प्रशिक्षण देता है।

अरनेट संपर्क के जरिए कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालयों को प्रदान की गई बैंडविड्थ, विश्वविद्यालयों की स्थिति तथा तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर 256 के.बी.पी.एस. से 2 एम.बी.पी.एस. के अंतर से है। सभी विश्वविद्यालय, जिनके पास इस स्कीम के तहत इंटरनेट संपर्क है उन्हें ई-जर्नल्स स्कीम के तहत 5000 इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स एवं ग्रंथसूची डाटाबेस डिफ्रेंशियल एक्सेस उपलब्ध कराया है।

वर्ष 2008-09 के दौरान, विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को संपर्क उपलब्ध कराने के लिए 17.27 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।

9.3 यू.जी.सी.-इंफोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम (ई-जर्नल्स स्कीम)

यू.जी.सी.-इंफोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम का आरंभ भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ० ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा औपचारिक रूप से वर्ष 2003 में उद्घाटन के साथ ही यू.जी.सी. इंफोनेट कार्यक्रम के तहत इंटरनेट संपर्क उपलब्ध कराने के तुरन्त बाद किया गया था। कंसोर्टियम, उन ग्रंथालयों के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ जिन्होंने 'सीरियल्स क्राइसिस' जिसका अर्थ है स्कालरली जर्नल्स को क्रय करना बंद कर दिया था जो कि 'स्कालरली जर्नल्स' के लगातार बढ़ते मूल्य के कारण था। यह संकट मंहगाई के मुकाबले जर्नल्स के मूल्य में बढ़ोत्तरी जर्नल्स की संख्या में वृद्धि तथा ग्रंथालयों के पास उपलब्ध निधियों की कमी के कारण उत्पन्न हुआ।

यह कंसोर्टियम, वर्तमान एवं अभिलेख रूप में 5000 विशिष्ट एवं समकक्ष समीक्षित से अधिक एवं जर्नल्स तथा 23 प्रकाशकों एवं संग्रहणकर्ताओं के माध्यम से विभिन्न विषयों में 9 ग्रंथसूची डाटाबेस तक पहुँच उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया गया है।

वर्ष 2004 में आरंभ हुए प्रथम चरण में, 50 विश्वविद्यालयों को ई-रिसोर्स तक पहुँच उपलब्ध कराई गई जिनके पास वि.अ.आ. के यू.जी.सी.-इंफोनेट कनेक्टिविटी कार्यक्रम के तहत इंटरनेट कनेक्टिविटी थी। द्वितीय चरण में वर्ष 2005 में, 50 और विश्वविद्यालयों को इस कार्यक्रम में जोड़ दिया गया था। अब तक वि.अ.आ. के तहत आने वाले 171 में से 157 विश्वविद्यालयों को क्रय किए हुए ई-रिसोर्स तक विशिष्ट पहुँच उपलब्ध कराई गई।

यह ई-रिसोर्सज कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, गणित तथा सांख्यिकी आदि लगभग सभी विषयों को सम्मिलित करता है। यह कार्यक्रम वि.अ.आ. द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित है तथा इंपिलबनेट केन्द्र द्वारा निष्पादित किया जाता है।

ई-रिसोर्सज के क्रय का लाभ कॉलेजों को भी दिया जाएगा, पहले पहल कॉलेज फॉर पोटेंशियल विद एक्सीलेंस (CPE) तथा स्वायत्त महाविद्यालयों को यह सुविधा प्रदान की जाएगी। कंसोर्टियम "एसोसिएट मेम्बरशिप प्रोग्राम" आरंभ करने की योजना भी बना रहा है जिसमें निजी विश्वविद्यालय तथा अन्य अनुसंधान संगठनों को चयनित ई-रिसोर्सज के लिए कंसोर्टियम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

23 मुख्य प्रकाशकों एवं संग्रहकों से 5000 स्कालरली जर्नल्स तथा 9 ग्रंथसूची डाटाबेस तक 150 विश्वविद्यालयों को विशिष्ट पहुँच उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान मुद्दों तक उनकी पहुँच के अलावा, अधिकांश जर्नल्स वर्ष 1997 के बाद से अभिलेख के रूप में संयोजित करके उपलब्ध कराए गए हैं। कुछ प्रकाशक जैसे अमरीकन केमिकल सोसायटी, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स तथा जे.एस.टी.ओ.आर. खण्ड-I से आगे की पहुँच उपलब्ध कराते हैं।

ई-रिसोर्सेज, लाभार्थी विश्वविद्यालय, लाइसेंस अनुबंध रिसोर्सेज पर कक्षाएँ, सदस्यों को उपलब्ध जर्नल्स का डाउनलोड एवं सर्च इंटरफेस संबंधी विवरण, इंप्लिबनेट के जरिये वेबसाइट <http://www.inflibnet.ac.in> पर प्राप्त किए जा सकते हैं। निजी विश्वविद्यालय तथा अन्य शोध संगठन 'एसोसिएटेड मेम्बर्स' के रूप में इस केन्द्र में भाग लेकर कंसोर्टियम का लाभ उठा सकते हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान, नया रिसोर्स JCCC@INFLIBNET जो सहभागिता करने वाले विश्वविद्यालयों के मध्य अंतर पुस्तकालय सहसंबंध को सुकर बनाता है, स्थापित किया गया है तथा उसे वृहद रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। मार्च 2008 में, कार्यक्रम के प्रारंभ में 2066 ILL से अधिक अनुरोध पत्रों पर विचार किया गया है।

ई-रिसोर्स पर लगभग 17 प्रयोक्ता जागरूकता कार्यक्रम, विभिन्न विश्वविद्यालयों में वर्ष 2008-2009 के दौरान, विद्यार्थियों, शोधार्थियों तथा संकाय सदस्यों के लाभ हेतु आयोजित किए गए हैं।

वर्ष 2008-09 के दौरान, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में डिजिटल रिपोजिटरी के प्रयोजन हेतु 68.68 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई है।

10 संचालन और कार्यक्षमता में सुधार

10.1 संसाधन जुटाने हेतु प्रोत्साहन

उच्च शिक्षा को सहायता देने के लिए हमारी परम्परा को पुनर्जीवित करने तथा विश्वविद्यालयों के विकास में समाज की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए आयोग ने, 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भी "संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहन" नामक योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है।

इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

- समाज द्वारा विश्वविद्यालयों के विकास में भागीदारी कर विश्वविद्यालयों को संसाधन जुटाने हेतु प्रोत्साहित करना।
- विश्वविद्यालय के विकास में समाज की भागीदारी के लिए एक प्रक्रिया का विकास करना।
- विश्वविद्यालय के विकास के लिए समाज से आने वाले संसाधनों के प्रवाह को प्रोत्साहित करना तथा बढ़ाना।
- राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण विषयों पर भुगतान के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा न केवल उद्योगों बल्कि सरकार एवं अन्य निकायों तथा जनसाधारण को परामर्श प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करना।
- विश्वविद्यालय, जो समाज को उनकी विकास गतिविधियों में शामिल करते हैं उन्हें प्रोत्साहित करना।

पात्रता

इस योजना के तहत निम्नलिखित विश्वविद्यालय/संस्थान, अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं :-

- केन्द्रीय विश्वविद्यालय
- विश्वविद्यालय, जो अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(बी) में सम्मिलित हैं तथा वि.अ.आ. का योजनागत अथवा गैर योजनागत अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।
- संस्थान जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 3 के तहत सम विश्वविद्यालय माना गया है तथा वि.अ.आ. से योजनागत और गैर-योजनागत अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।
- वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 12(CCC) के तहत स्थापित किए गए अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र।

सहायता की प्रकृति

शिक्षा के तेजी से बदलते परिदृश्य में यदि विश्वविद्यालयों को विकास के साथ कदम से कदम मिलाना है उन्हें अपने संसाधन आधार को वृद्ध बनाना होगा तथा उच्च शिक्षा में समाज की भागीदारी सुनिश्चित कर अपने आंतरिक संसाधनों को व्यापक बनाने के प्रयास करने चाहिए। विश्वविद्यालय, भारतीय नागरिकों तथा अनिवासी भारतीयों, भूतपूर्व छात्र संघों, सार्वजनिक और परिवार संघों, उद्योगों/व्यापार घटकों, सहकारी समितियों, पेशेवर संघों, कर्मचारियों के संघ/संगठनों, निगमों/पंचायतों/सांसदों, विधायकों/पार्षदों की निधियों द्वारा भागीदारी/अंशधारिता परामर्श के माध्यम जैसे बाह्य संसाधनों को जुटा सकता है।

विश्वविद्यालय, सोसायटी की भागीदारी के लिए चिन्हित निम्नलिखित मदों पर स्कीम के तहत जुटाए गए संसाधनों से एक कायिक निधि का सृजन कर सकते हैं :

- भवनों का निर्माण (कक्षाएँ, प्रयोगशालाएँ, छात्रावास, क्लिनक्स आदि)।
- मौजूदा पुराने भवनों का पुनरुद्धार।
- उपस्करों की खरीद।
- छात्र/कर्मचारियों को सुविधाएँ (जलपानगृह, क्रीडास्थल, व्यायामशाला आदि)।
- पुस्तकों तथा पत्रिकाओं की खरीद।
- संस्थागत गतिविधियों के लिए कायिक निधि का विकास।

- छात्रवृत्तियों के लिए कायिक निधि का विकास।
- परियोजनाओं के प्रत्यक्ष वित्त पोषण अथवा कायिक निधि के विकास के माध्यम से विस्तार गतिविधियों, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं, अनुसंधान का विकास।
- अध्यक्षों के पदों का सृजन।
- अनुसंधान तथा विस्तार कार्य सहित नवोन्मेष तथा अकादमिक कार्यक्रम।
- वि.अ.आ. को पहले से ही संसूचीत कोई मद/परियोजना।

वि.अ.आ. द्वारा दिया गया अधिकतम अंशदान, 50 लाख रुपए प्रतिवर्ष की नियत सीमा के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कुल अंशदान का 25 प्रतिशत होगा।

वर्ष 2008-09 के दौरान, वि.अ.आ. के भाग के रूप में, पात्र विश्वविद्यालयों को 2.66 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

10.2 उच्च शिक्षा तथा वि.अ.आ. कार्यालयों का ई-गवर्नेंस

सरकार को जवाबदेह, पारदर्शी, कम भ्रष्ट और प्रभावी बनाने के लिए सूचना तथा सुपुर्दगी तंत्र में सुधार, निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लोगों द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) का उपयोग करना ई-गवर्नेंस है।

वि.अ.आ. के अनुरोध पर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट (एन.आई.एस.जी.) हैदराबाद जो कि उपर्युक्त ढाँचा तथा मानकों का विकास कर उच्च स्तर पर क्षमता तैयार करने पर ध्यान केन्द्रित करने वाला ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट संस्थान है जिसमें 24 मार्च, 2006 को “वि.अ.आ. में ई-गवर्नेंस” पर एक प्रस्तुति दी है। एन.आई.एस.जी. दल की वि.अ.आ., को परामर्शदात्री सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए एक विस्तृत वाणिज्यिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। आयोग ने प्रस्ताव की जाँच की तथा एन.आई.एस.जी. हैदराबाद को बंद करने का अनुमोदन प्रदान किया।

एन.आई.एस.जी. को बंद करने के बाद आयोग ने, ई-गवर्नेंस के साथ नई प्रक्रिया चालू की तथा परामर्शदाता हेतु चयन के लिए राष्ट्रीय समाचार पत्रों में दिनांक 02.12.2006 को प्रचार के माध्यम से ई.ओ.आई. आमंत्रित की। इस उद्देश्य के लिए बनाई गई विशेषज्ञ समिति ने निबंधन और शर्तों तथा न्यूनतम बोली के आधार पर मैसर्स हेसलफ्री सॉल्यूशंस प्रा.लि. का चयन किया। परामर्शदाता के परामर्श पर दिनांक 23.02.2007 को राष्ट्रीय दैनिकों में विज्ञापनों के माध्यम से आर.एफ.पी. दस्तावेज प्राप्त करने के लिए ई.ओ.आई. मंगवाये। पूर्व में, 9 में से 6 अर्हता प्राप्त फर्मों को दिनांक 02.03.2007 को आर.पी.एफ. जारी किया गया है। तकनीकी बोलियों के आधार पर दो फर्म यथा टी.सी.एस. तथा विप्रो को उनकी वित्तीय बोलियों पर विचार करने के लिए चयन किया है विशेषज्ञ समिति ने उनकी वित्तीय बोलियों पर विचार किया तथा दो फर्मों के साथ चर्चा की। वर्ष 2008-09 के दौरान प्रशासनिक व्यय के रूप में 111.15 लाख रुपये व्यय किए गए।

10.3 विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के अकादमिक प्रशासकों तथा वि.अ.आ. के अधिकारियों का प्रशिक्षण

वैश्वीकरण और प्रौद्योगिकी विकास के परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहे हैं। पहुँच और समानता के प्रश्न के अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों से विदेशी शैक्षणिक उपबंधों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए लागत कम करने तथा गुणवत्ता में सुधार करने को कहा गया है। अकादमिक प्रशासकों को इन चुनौतियों का सामना करना होगा तथा अपने छात्रों को विश्वस्तरीय शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए पाठ्यक्रमों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। वि.अ.आ. का विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में प्रशासकों तथा वरिष्ठ कर्मचारियों, अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए ढाँचागत प्रणाली का सृजन कर तथा विकास के अवसरों को उपलब्ध कराकर, अकादमिक प्रशासन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के वृहद उद्देश्य को अंगीकार कर, इस मुद्दे से निपटने का प्रस्ताव है। इसके लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के अकादमिक प्रशासकों और वि.अ.आ. के अधिकारियों के लिए किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन नहीं किया गया है, अतः किसी भी प्रकार का व्यय नहीं हुआ है।



2008-09 के परिशिष्टों की सूची

1	दिनांक 31.03.2009 तक केन्द्रीय, राज्य, राज्य निजी विश्वविद्यालय, संस्थान राज्य विधान अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित संस्थान एवं समविश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की राज्यवार सूची।
2	यू.जी.सी. अधिनियम, 1956 धारा 12 (बी) के अंतर्गत दिनांक 31.03.2009 तक ऐसे विश्वविद्यालय जो कि केन्द्रीय सहायता के पात्र नहीं हैं, की राज्यवार सूची।
3	वर्ष 1984-85 से 2008-09 तक अखिल भारतीय छात्रों के नामांकन में वृद्धि।
4	वर्ष 2008-09 में विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में छात्रों का राज्यवार नामांकन।
5	वर्ष 2008-09 के दौरान, छात्रों का राज्यवार नामांकन, विश्वविद्यालय अध्यापन, विभागों/विश्वविद्यालय कॉलेजों एवं संबद्ध कालेजों की स्थिति।
6	वर्ष 2008-09 में संकायवार छात्रों का नामांकन।
7	वर्ष 2008-09 के दौरान, राज्यवार कॉलेजों की संख्या तथा वर्ष 2004-05 से लेकर 2008-09 तक कॉलेजों की संख्या में वृद्धि।
8	वर्ष 2008-09 के दौरान, विश्वविद्यालय विभागों एवं विश्वविद्यालय कॉलेजों में पदानुसार अध्यापन स्टाफ की संख्या एवं वितरण।
9	वर्ष 2008-09 में संबद्ध कॉलेजों में पदानुसार अध्यापन स्टाफ की संख्या एवं वितरण।
10	वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के दौरान, संकायवार प्रदान की गई, एम.फिल. एवं अनुसंधान डिग्रियां (पी.एच.डी.)।
11	वर्ष 2008-09 के दौरान, योजनाबद्ध, योजनेतर, नियत अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहे समविश्वविद्यालयों की सूची।
12	वर्ष 2008-09 के दौरान, दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज एवं हॉस्टल एवं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कॉलेज जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुरक्षण अनुदान की सूची।
13	दिनांक 31.03.2009 तक जो भी स्वायत्त कॉलेज हैं उनकी राज्यवार एवं विश्वविद्यालय अनुसार सूची।
14	वर्ष 2008-09 के दौरान, अकादमिक स्टाफ कॉलेजों की राज्यवार सूची।
15	वर्ष 2008-09 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नेट परीक्षा में जिन विषयों को रखा गया है उनकी सूची।
16	भारतवर्ष में यू.जी.सी. की नेट परीक्षा जिन केन्द्रों में संचालित की जाती है ऐसे केन्द्रों की सूची।
17	योजनेतर वित्तीय शीर्ष के अंतर्गत जिन विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को (प्रमुख शीर्षों के अनुसार) वर्ष 2008-09 के दौरान जो अनुदान प्रदान किये गए हैं उनका ब्यौरा।
18	वर्ष 2008-09 के दौरान, सामान्य योजना, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी एवं धारा (III) के अन्तर्गत (प्रमुख शीर्षों के अनुसार) जिन विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को अनुदान प्रदान किया गया है उनका ब्यौरा।

परिशिष्ट—I

केन्द्रीय, राज्य, राज्य निजी विश्वविद्यालयों, राज्य विधान अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित संस्थानों, समविश्वविद्यालयों तथा राष्ट्र के महत्वपूर्ण संस्थानों की राज्यवार सूची (31.03.2009 की स्थिति के अनुसार)

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालय

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष/मान्यता
	आन्ध्र प्रदेश	
1.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	1974
2.	मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	1997
3.	इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	1973 (2007 से प्रभावी केन्द्रीय वि.वि.)
	अरुणाचल प्रदेश	
4.	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, ईटानगर	1985
	आसाम	
5.	असम यूनिवर्सिटी, सिलचर	1994
6.	तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर	1994
	बिहार	
7.	सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, पटना	2008
	छत्तीसगढ़	
8.	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर	1983 (2008 से प्रभावी केन्द्रीय वि.वि.)
	गुजरात	
9.	सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गांधीनगर	2008
	हरियाणा	
10.	सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, गुड़गाँव	2008
	हिमाचल प्रदेश	
11.	सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश	2008
	जम्मू एवं काश्मीर	
12.	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एण्ड कश्मीर, श्रीनगर	2008
	झारखण्ड	
13.	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखण्ड, राँची	2008
	कर्नाटक	
14.	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, गुलबर्गा	2008
	केरल	
15.	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, त्रिवेन्द्रम	2008
	मध्य प्रदेश	
16.	डॉ हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर	1946 (2008 से प्रभावी केन्द्रीय वि.वि.)
17.	इन्दिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकण्टक	2007

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष / मान्यता
	महाराष्ट्र	
18.	महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा	1997
	मणिपुर	
19.	सेन्ट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इम्फाल	1993
20.	मणिपुर यूनिवर्सिटी, इम्फाल	1980
	मेघालय	
21.	नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग	1973
	मिजोरम	
22.	मिजोरम यूनिवर्सिटी, आईज़ोल	2001
	नागालैण्ड	
23.	नागालैण्ड यूनिवर्सिटी, नागालैण्ड	1995
	उड़ीसा	
24.	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, कालीघाट	2008
	पंजाब	
25.	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, भटिन्डा	2008
	राजस्थान	
26.	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर	2008
	सिक्किम	
27.	सिक्किम यूनिवर्सिटी, गंगटोक	2007
	तमिलनाडू	
28.	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडू, तिरुवारूर	2008
	त्रिपुरा	
29.	त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, अगरतला	1987
	उत्तर प्रदेश	
30.	अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़	1921
31.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ	1996
32.	बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी	1916
33.	यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद	1887
	उत्तराखण्ड	
34.	हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर	1973 (2008 से प्रभावी केन्द्रीय वि.वि.)
	पश्चिम बंगाल	
35.	विश्व भारती यूनिवर्सिटी, शान्तिनिकेतन	1951
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	
36.	इन्दिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली	1985
37.	जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली	1988
38.	जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली	1968
39.	यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, नई दिल्ली	1922
	पाण्डिचेरी	
40.	पाण्डिचेरी यूनिवर्सिटी, पाण्डिचेरी	1985

(ख) राज्य विश्वविद्यालय

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष/मान्यता
	आन्ध्र प्रदेश	
1	आचार्य एन.जी. रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	1964
2	आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी, गुंटूर	1976
3	अदिकवि नन्या यूनिवर्सिटी, राजामुन्त्री	2007
4	आन्ध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, विजयवाड़ा	1986
5	अन्ध यूनिवर्सिटी, विशाखापत्तनम	1926
6	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	1982
7	द्रविड़ियन यूनिवर्सिटी, कुप्पम	1997
8	जवाहर लाल नेहरू टैक्नालॉजिकल यूनिवर्सिटी, अनन्तापुर	2008
9	जवाहर लाल नेहरू टैक्नालॉजिकल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	1972
10	काकतीया यूनिवर्सिटी, वारंगल	1976
11	नेशनल अकादमी ऑफ लीगल स्टडीज एण्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	1999
12	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, नलगोण्डा	2007
13	ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	1918
14	पोट्टी श्रीरामूलू तेलगू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	1985
15	श्री कृष्णदेवराय यूनिवर्सिटी, अनंतपुर	1981
16	श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालय, तिरुपति	1983
17	श्री वेंकटेश्वरा वैदिक यूनिवर्सिटी, तिरुपति	2007
18	श्री वेंकटेश्वरा वैटरीनरी यूनिवर्सिटी, तिरुपति	2007
19	श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी, तिरुपति	1954
20	तेलंगाना यूनिवर्सिटी, निजामाबाद	2007
21	योगी वेमाना यूनिवर्सिटी, कदप्पा	2007
	असम	
22	असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जोरहट	1968
23	डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़	1965
24	गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी	1948
25	कृष्णकान्त हैन्डीक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी	2007
	बिहार	
26	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	1952
27	भूपेन्द्र नारायण मण्डल यूनिवर्सिटी, मधेपुरा	1993
28	चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पटना	2006
29	जय प्रकाश यूनिवर्सिटी, छपरा	1995
30	के.एस. दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा	1961
31	ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, दरभंगा	1972
32	मगध यूनिवर्सिटी, बोध गया	1962
33	मौलाना मजहारूल हक अरेबिक एण्ड पर्शियन यूनिवर्सिटी, पटना	2004

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष/मान्यता
34	नालन्दा ओपन यूनिवर्सिटी, पटना	1995
35	पटना यूनिवर्सिटी, पटना	1917
36	राजेन्द्र एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, समस्तीपुर	1970
37	टी.एम. भागलपुर यूनिवर्सिटी, भागलपुर	1960
38	वीर कुँवर सिंह यूनिवर्सिटी, आरा	1994
	छत्तीसगढ़	
39	छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द टेक्निकल, यूनिवर्सिटी, भिलाई	2005
40	गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, बिलासपुर	1983
41	हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, रायपुर	2003
42	इन्दिरा गांधी कृषि यूनिवर्सिटी, रायपुर	1987
43	इन्दिरा कला संगीत यूनिवर्सिटी, खैरागढ़	1956
44	कुशाभाउ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर	2005
45	पं० रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, रायपुर	1964
46	पं० सुन्दरलाल शर्मा (ओपन) यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़	2005
	गोवा	
47	गोवा यूनिवर्सिटी, गोवा	1985
	गुजरात	
48	भावनगर यूनिवर्सिटी, भावनगर	1978
49	सेंटर फॉर एनवॉयरमेन्टल प्लानिंग एण्ड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद	2006
50	धर्मसिंह देसाई यूनिवर्सिटी, नाडियाड	2005
51	डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, अहमदनगर	1995
52	गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बनसकाँथा	1950
53	गुजरात यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद	1972
54	गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जामनगर	1968
55	गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद	2007
56	गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर	2006
57	हेमचन्द्र आचार्य नार्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, पाटन	1986
58	क्रान्तिगुरु श्यामजी वर्मा कच्छ यूनिवर्सिटी, कच्छ	2003
59	महाराजा सायाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वड़ोदरा	1949
60	सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, वल्लभविद्यानगर	1955
61	सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, राजकोट	1955
62	श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी, जूनागढ़	2005
63	साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, सूरत	1965
	हरियाणा	
64	भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, सोनीपत	2007
65	चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, हिसार	1970
66	चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी, सिरसा	1995
67	गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, हिसार	2003

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष / मान्यता
68	कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र	1956
69	महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी, रोहतक	1976
	हिमाचल प्रदेश	
70	डॉ० वाई०एस० परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टीकल्चर एण्ड फॉरेस्ट्री, नौनी	1986
71	हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, शिमला	1970
72	हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पालमपुर	1978
	जम्मू एवं कश्मीर	
73	बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, जम्मू	2004
74	इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पुलवामा	2006
75	शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एण्ड टेक्नोलॉजी, श्रीनगर	1982
76	श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, जम्मू	2004
77	यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर	1949
78	यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू तवी	1969
	झारखण्ड	
79	बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, राँची	1980
80	राँची यूनिवर्सिटी, राँची	1960
81	सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी, दुमका	1992
82	विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, हजारीबाग	1993
	कर्नाटक	
83	बैंगलोर यूनिवर्सिटी, बैंगलोर	1964
84	गुलबर्गा यूनिवर्सिटी, गुलबर्गा	1980
85	कन्नड़ यूनिवर्सिटी, कमालपुरा	1992
86	कर्नाटक यूनिवर्सिटी धारवाड़	1949
87	कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, मैसूर	1996
88	कर्नाटक स्टेट वुमेन यूनिवर्सिटी, बीजापुर	2003
89	कर्नाटक वेटेरीनरी, एनीमल एण्ड फिशरीज साइंसेज यूनिवर्सिटी, नन्दीनगर, बीदर	2004
90	कुवेम्पू यूनिवर्सिटी, शंकरघट्टा	1987
91	मैंगलोर यूनिवर्सिटी, मैंगलोर	1980
92	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बैंगलोर	1992
93	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, बैंगलोर	1994
94	तुमकुर यूनिवर्सिटी, तुमकुर	2005
95	यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, मैसूर	1916
96	यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, बैंगलोर	1964
97	यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, धारवाड़	1986
98	विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, बेलगाम	1999
	केरल	
99	कालीकट यूनिवर्सिटी, कोझीकोड	1968
100	कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, कोच्चि	1971

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष / मान्यता
101	कन्नूर यूनिवर्सिटी, कन्नूर	1997
102	केरल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, श्रीसूर	1972
103	केरल यूनिवर्सिटी, तिरुवन्नथापुरम	1937
104	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, कोट्टायम	1983
105	श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत, कलाडी	1994
	मध्य प्रदेश	
106	अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, रीवा	1968
107	बरकतउल्लाह यूनिवर्सिटी, भोपाल	1970
108	देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, इन्दौर	1964
109	जवाहर लाल नेहरू कृषि यूनिवर्सिटी, जबलपुर	1964
110	जीवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर	1964
111	एम.जी. ग्रामोदय यूनिवर्सिटी, चित्रकूट	1993
112	एम.पी.भोज (ओपन) यूनिवर्सिटी, भोपाल	1995
113	महर्षि महेश योगी वेदिक यूनिवर्सिटी, जबलपुर	1998
114	माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म, भोपाल	1993
115	नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भोपाल	1999
116	राजीव गांधी प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी, भोपाल	2000
117	रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, जबलपुर	1957
118	विक्रम यूनिवर्सिटी, उज्जैन	1957
	महाराष्ट्र	
119	डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद	1958
120	डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, लोनेरे	1992
121	डॉ० पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला	1969
122	कवि कुलगुरु कालीदास संस्कृत विश्वविद्यालय, नागपुर	1999
123	कोंकण कृषि विद्यापीठ दपोली, रत्नागिरि	2005
124	महाराष्ट्र एनीमल एण्ड फिशरीज साइंसेज यूनिवर्सिटी, नागपुर	2002
125	महाराष्ट्रा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, नासिक	2000
126	महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहुरी	1968
127	मराठवाड़ा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, परभानी	1983
128	मुम्बई यूनिवर्सिटी, मुम्बई	1857
129	नार्थ महाराष्ट्रा यूनिवर्सिटी, जलगाँव	1991
130	पुणे यूनिवर्सिटी, पुणे	1949
131	संत गाडगे बाबा अमरावती युनिवर्सिटी, अमरावती	2005
132	शिवाजी यूनिवर्सिटी, कोल्हापुर	1962
133	श्रीमती नाथीबाई दमोदर थाकरसे वुमेन्स यूनिवर्सिटी, मुम्बई	1951
134	शोलापुर यूनिवर्सिटी, शोलापुर	2004
135	स्वामी रामानन्द तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, नांदेड	1995
136	द राष्ट्रसंत तुकादोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी, नागपुर	2005
137	यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, नासिक	1990

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष / मान्यता
	उड़ीसा	
138	बेरहामपुर यूनिवर्सिटी, बेरहामपुर	1967
139	बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्नोलॉजी, राउरकेला	2003
140	फकीर मोहन यूनिवर्सिटी, बालासोर	1999
141	नार्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी, मयूरभंज, भुवनेश्वर	1999
142	उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एण्ड टैक्नोलॉजी, भुवनेश्वर	1962
143	रावेनशाह यूनिवर्सिटी, कटक	2006
144	सम्भलपुर यूनिवर्सिटी, सम्भलपुर	1967
145	श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी	1981
146	उत्कल यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर	1943
147	उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर, भुवनेश्वर	1999
	पंजाब	
148	बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिकल साइंसेज, फरीदकोट	2002
149	गुरु अंगददेव वेटिनेरी एण्ड एनीमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, लुधियाना	2006
150	गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर	1969
151	पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, लुधियाना	1962
152	पंजाब टैक्निकल यूनिवर्सिटी, जालंधर	1998
153	पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला	1962
154	द राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, पटियाला	2006
	राजस्थान	
155	जगद्गुरु रामानन्दाचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी, जयपुर	2008
156	जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, जोधपुर	1962
157	वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, (कोटा ओपन यूनिवर्सिटी), कोटा	1987
158	महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एण्ड टैक्नोलॉजी, उदयपुर	2000
159	महर्षि दयानन्द सरस्वती यूनिवर्सिटी, अजमेर	1987
160	मोहन लाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, उदयपुर	1962
161	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर	2003
162	राजस्थान एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, बीकानेर	1987
163	राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जोधपुर	2003
164	राजस्थान टैक्निकल यूनिवर्सिटी, कोटा	2008
165	यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर	1947
166	यूनिवर्सिटी ऑफ बीकानेर, बीकानेर	2003
167	वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा	2003
168	राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जयपुर	2006
	सिक्किम	
169	सिक्किम मनीपाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ मेडिकल एण्ड टैक्नोलॉजिकल साइंसेज, गंगटोक	1998

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष / मान्यता
	तमिलनाडु	
170	अलगप्पा यूनिवर्सिटी, कराईकुडी	1985
171	अन्ना यूनिवर्सिटी, चेन्नई	1978
172	अन्ना यूनिवर्सिटी, त्रिचुरापल्ली	2008
173	अन्ना यूनिवर्सिटी, तिरुनेलवेल्ली	2008
174	अन्ना यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर	2008
175	अन्ना मलाई यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई नगर	1929
176	भरथियार यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर	1982
177	भारथीदासन यूनिवर्सिटी, तिरुचिरापल्ली	1982
178	मद्रास यूनिवर्सिटी, चेन्नई	1857
179	मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी, मदुरई	1965
180	मनोनमनीयम सुन्दरनार यूनिवर्सिटी, तिरुनेलवेल्ली	1992
181	मदर टेरेसा वीमेन्स यूनिवर्सिटी, कोदाईकनाल	1984
182	पेरियार यूनिवर्सिटी, सलेम	1998
183	तमिलनाडू ओपन यूनिवर्सिटी, चेन्नई	2005
184	तमिल यूनिवर्सिटी, थंजावुर	1981
185	तमिलनाडू एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर	1971
186	तमिलनाडू डॉ० अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, चेन्नई	1998
187	तमिलनाडू डॉ० एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चेन्नई	1989
188	तमिलनाडू वेदिरनेरी एण्ड एनीमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, चेन्नई	1990
189	थ्रिवल्लुवर यूनिवर्सिटी, वेल्लोर	2003
	उत्तर प्रदेश	
190	चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मेरठ	1965
191	चन्द्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टैक्नोलॉजी, कानपुर	1974
192	छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी, कानपुर	1965
193	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर	1957
194	डॉ० राममनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, फैजाबाद	2005
195	डॉ० बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	1927
196	डॉ० राममनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, लखनऊ	2007
197	किंग जार्जस मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ	2003
198	एम.जे.पी. रूहेलखण्ड यूनिवर्सिटी, बरेली	1975
199	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी	1974
200	एन.डी. यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एण्ड टैक्नोलॉजी, फैजाबाद	1974
201	सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	1958
202	सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एण्ड टैक्नोलॉजी, मेरठ	2006
203	यूनिवर्सिटी ऑफ बुन्देलखण्ड, झांसी, बुन्देलखण्ड	1975
204	यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, लखनऊ	1921

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष / मान्यता
205	उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ	2001
206	यू.पी. किंग जार्जस यूनिवर्सिटी ऑफ डेन्टल साइंस, लखनऊ	2004
207	यू.पी. राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद	2005
208	वी.बी.एस. पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, जौनपुर	1987
	उत्तरांचल	
209	दून यूनिवर्सिटी, देहरादून	2006
210	जी.बी. पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एण्ड टेक्नोलॉजी, पंत नगर	1960
211	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर	1973
212	कुमाऊँ यूनिवर्सिटी, नैनीताल	1973
213	उत्तरांचल संस्कृत यूनिवर्सिटी, हरिद्वार	2006
214	उत्तराखण्ड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, देहरादून	2008
	पश्चिम बंगाल	
215	अली यूनिवर्सिटी, कोलकाता	2008
216	बिधान चन्द्रा कृषि विश्वविद्यालय, नाडियाड	1974
217	गौर बंग यूनिवर्सिटी, मालदा	2008
218	जाधवपूर यूनिवर्सिटी, कोलकाता	1955
219	नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी, कोलकाता	1997
220	रविन्द्र भारती यूनिवर्सिटी, कोलकाता	1962
221	द बंगाल इंजीनियरिंग एण्ड साइंस यूनिवर्सिटी, हावड़ा	2004
222	द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंस, कोलकाता	2004
223	द वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, कोलकाता	2004
224	यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान, बर्दवान	1960
225	यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, कोलकाता	1857
226	यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी, कल्याणी	1960
227	यूनिवर्सिटी ऑफ नार्थ बंगाल, दार्जिलिंग	1962
228	उत्तर बंग कृषि विश्वविद्यालय, कूच बिहार	2001
229	विद्यासागर यूनिवर्सिटी, मिदनापुर	1981
230	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनीमल एण्ड फिशरीज साइंसेज, कोलकाता	1995
231	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, कोलकाता	2001
232	वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी, कोलकाता	2008
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	
233	गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली	1998
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र चण्डीगढ़	
234	पंजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़	1947

(ग) राज्य निजी विश्वविद्यालय

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष/मान्यता
	गुजरात	
1	धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफारमेशन एण्ड कम्प्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी, गांधीनगर	2004
2	गणपत यूनिवर्सिटी, मेहसाणा	2006
3	कादी सर्व विश्वविद्यालय, गांधीनगर	2007
4	निरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, अहमदाबाद	2004
5	पं० दीनदयाल पेट्रोलीयम यूनिवर्सिटी, गांधीनगर	2007
	हिमाचल प्रदेश	
6	जे.पी. यूनिवर्सिटी ऑफ इंफारमेशन टेक्नोलॉजी, सोलन	2002
	पंजाब	
7	लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, कपूरथला	2006
	राजस्थान	
8	भगवन्त यूनिवर्सिटी, अजमेर	2008
9	ज्योति विद्यापीठ वीमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर	2008
10	मेवाड़ यूनिवर्सिटी, चित्तौड़गढ़	2008
11	एन.आइ.एम.एस. यूनिवर्सिटी, जयपुर	2008
12	सिंहानिया यूनिवर्सिटी, झुंझुनूं	2008
	सिक्किम	
13	इस्टर्न इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट, जोरथांग	2007
	त्रिपुरा	
14	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया, अगरतला	2006
	उत्तर प्रदेश	
15	इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, लखनऊ	2004
16	जगतगुरु रामभद्राचार्य हैण्डिकेप्ड यूनिवर्सिटी, चित्रकूट	2002
17	तीर्थाकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद	2008
18	स्वामी विवेकानन्द सुभारती यूनिवर्सिटी, मेरठ	2008
	उत्तरांचल	
19	देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार	2005
20	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया (आइ.सी.एफ.ए.आइ.), देहरादून	2005
21	यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलीयम एण्ड एनर्जी स्टडीज, देहरादून	2004

(घ) राज्य विधान अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित संस्थान

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष/मान्यता
	आन्ध्र प्रदेश	
1.	निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज	1990
2.	श्री वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज	1995
	बिहार	
3.	इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज	1992
	जम्मू एवं कश्मीर	
4.	शेरे-काश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज	1990
	उत्तर प्रदेश	
5.	संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज	1983

(ङ) समविश्वविद्यालय / संस्थान

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष / मान्यता
	आन्ध्र प्रदेश	
1	गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट (जी.आई.टी.ए.एम.), विशाखापत्तनम	2007
2	आई.सी.एफ.ए.आई. फाउंडेशन फॉर हॉयर एजुकेशन, हैदराबाद	2008
3	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफारमेशन टैक्नोलॉजी, हैदराबाद	2001
4	कोनेरू लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन, गुंटूर	2009
5	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	1987
6	श्री सत्य साईं इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, प्रशांतनिलयम, अनंतपुर	1981
7	विगनांस फाउंडेशन फॉर साइंस टैक्नोलॉजी एण्ड रिसर्च, वाडलामुडी, गुंटूर	2008
	अरुणाचल प्रदेश	
8	नार्थ इस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, ईटानगर	2005
	बिहार	
9	बिहार योगभारती, मुँगेर	2000
10	नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा	2006
	चण्डीगढ़	
11	पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चण्डीगढ़	2003
	गुजरात	
12	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	1963
13	सुमनदीप विद्यापीठ, पिपरिया, वडोदरा	2007
	हरियाणा	
14	लिंगया यूनिवर्सिटी फरीदाबाद	2009
15	महर्षि मार्कण्डेस्वर, अम्बाला	2007
16	मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद	2008
17	नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुड़गाँव	2002
18	नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल	1989
	झारखण्ड	
19	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, मिसरा, राँची	1986
20	इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद	1968
	कर्नाटक	
21	बी.एल.डी.ई. यूनिवर्सिटी, बीजापुर	2008
22	क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बंगलुरु	2008
23	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलुरु	1985
24	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफारमेशन टैक्नोलॉजी, बंगलुरु	2005
25	जैन यूनिवर्सिटी, बंगलुरु	2008
26	जगतपुरी श्री शिवाराधिश्वरा यूनिवर्सिटी, मैसूर	2008
27	जवाहर लाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, बंगलुरु	2002

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष/मान्यता
28	के.एल.ई. अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन एण्ड रिसर्च, बेलगाम	2006
29	मनीपाल अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन, मनीपाल	1993
30	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेन्टल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज, बंगलुरु	1994
31	एन.आई.टी.टी.ई. यूनिवर्सिटी, मंगलोर	2008
32	श्री देवराज उर्स अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन एण्ड रिसर्च, कोलार	2007
33	श्री सिद्धार्थ अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन, जिला टुमकुर	2008
34	स्वामी विवेकानन्द योग अनुसंधान संस्थान, बंगलोर	2002
35	येनपोया यूनिवर्सिटी, मंगलोर	2008
	केरल	
36	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुवनन्तपुरम	2008
37	केरल कलामण्डलम, चेरुथुरुथि	2006
	मध्य प्रदेश	
38	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर	2001
39	लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर	1995
	महाराष्ट्र	
40	भारती विद्यापीठ, पुणे	1996
41	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, मुम्बई	1989
42	डॉ. डी. वाई. पाटिल एजुकेशनल सोसायटी, कोल्हापुर	2005
43	दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नागपुर	2005
44	डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे	1990
45	डॉ. डी. वाई. पाटिल विद्यापीठ, पुणे	2003
46	गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड इकोनॉमिक्स, पुणे	1993
47	होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, मुम्बई	2005
48	इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, मुम्बई	1996
49	इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मामेंट टेक्नोलॉजी, पूणे	1999
50	इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, मुम्बई	2008
51	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसिज, मुम्बई	1985
52	कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सतारा	2005
53	एम.जी.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, नवी मुम्बई	2006
54	नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मुम्बई	2003
55	पदमश्री डॉ० डी.वाई पाटिल विद्यापीठ, मुम्बई	2002
56	प्रवर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अहमदनगर	2003
57	सिम्बायोसिस इंटरनेशनल एजुकेशन सेंटर, पुणे	2002
58	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फण्डामेंटल रिसर्च, मुम्बई	2002
59	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोसल साइंसेज, मुम्बई	1964
60	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे	1987

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष/मान्यता
	उड़ीसा	
61	कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टैक्नोलॉजी, भुवनेश्वर	2002
62	शिक्षा "ओ" अनुसंधान, भुवनेश्वर	2007
	पंजाब	
63	संत लॉगवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी (एस.एल.आई.ई.टी.), संगरूर	2007
64	थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, पटियाला	1985
	राजस्थान	
65	बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली	1983
66	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी एण्ड साइंस, पिलानी	1964
67	इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन, सरदार शहर, चूरु	2002
68	आई.आई.एस. यूनिवर्सिटी, जयपुर	2009
69	जैन विश्वभारती इंस्टीट्यूट, नागपुर	1991
70	जर्नादन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर	1987
71	एल.एम.एन. इंस्टीट्यूट ऑफ इंफारमेशन टैक्नोलॉजी, उदयपुर	2006
72	मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एण्ड रिसर्च, लक्ष्मनगढ़, सीकर	2004
	तमिलनाडु	
73	अकादमी ऑफ मरीटाइम एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग, चेन्नई	2007
74	अमृत विश्व विद्यापीठम्, कोयम्बटूर	2003
75	अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एण्ड हायर एजुकेशन फॉर वीमेन, कोयम्बटूर	1988
76	भारत इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चेन्नई	2002
77	बी.एस. अब्दुर रहमान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, चेन्नई	2008
78	चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, चेन्नई	2006
79	चेट्टिनाड अकादमी ऑफ रिसर्च एण्ड एजुकेशन (के.ए.आर.ई.), काँचीपुरम	2008
80	गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट	1976
81	हिन्दुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी एण्ड साइंस (हिट्स), काँचीपुरम	2008
82	कलशलिंगम अकादमी ऑफ रिसर्च एचड हायर एजुकेशन, श्रीविलिपुत्तूर	1988
83	करपागम आकदमी ऑफ हायर एजुकेशन, कोयम्बटूर	2008
84	करुणया इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी एण्ड साइंसेज, कोयम्बटूर	2004
85	एम.जी.आर. एजुकेशनल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेन्नई	2003
86	मीनाक्षी अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चेन्नई	2004
87	नूरुल इस्लाम सेंटर फार हायर एजुकेशन, कन्याकुमारी	2008
88	पेरियार मनिअमाई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, थंजावुर	2007
89	पुनैया रामाज्यम इंस्टीट्यूट आफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, थंजावुर	2008
90	राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरम्बुदूर	2008
91	एस.आर.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, चेन्नई	2002
92	सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, चेन्नई	2001

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष/मान्यता
93	सविथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड टैक्निकल साइंसेज, चेन्नई	2005
94	शनमुगा आर्ट्स साइंस टैक्नोलॉजी एण्ड रिसर्च अकादमी, थंजावुर	2001
95	श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्वमहाविद्यालय, काँचीपुरम	1993
96	श्री रामचन्द्रा मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेन्नई	1994
97	सेंट पीटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चेन्नई	2008
98	वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, वेल्लोर	2001
99	वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी एण्ड एडवॉन्सड स्टडीज (वीआईएसटीएस) चेन्नई	2008
100	वेलटेक रंगाराजन डॉ० शगुन्थला आर. एण्ड डी. इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, चेन्नई	2008
101	विनायक मिशन रिसर्च फाउन्डेशन, सलेम	2001
	उत्तर प्रदेश	
102	इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद	2000
103	भातखण्डे म्यूजिक इंस्टीट्यूट, लखनऊ	2000
104	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्तन स्टडीज, वाराणसी	1988
105	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा	1981
106	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टैक्नोलॉजी, इलाहाबाद	2000
107	इंडियन वेटरिनेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर	1983
108	जे.पी. इंस्टीट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टैक्नोलॉजी, नोएडा	2004
109	नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	2008
110	शोबित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, मेरठ	2006
111	संतोष यूनिवर्सिटी, गाजियाबाद	2007
	उत्तरांचल	
112	ग्राफिक इरा यूनिवर्सिटी, देहरादून	2008
113	फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून	1991
114	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	1962
115	एच.आई.एच.टी. यूनिवर्सिटी, देहरादून	2007
	पश्चिम बंगाल	
116	रामाकृष्णा मिशन विवेकानन्द एजुकेशनल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेलूर मठ, जिला हावड़ा	2005
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	
117	इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा, नई दिल्ली	1958
118	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, कुतुब इंस्टीट्यूसनल एरिया, नई दिल्ली	2002
119	इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट भगवानदास रोड, नई दिल्ली	2004
120	जामिया हमदर्द, हमदर्द नगर, नई दिल्ली	1989
121	नेशनल म्यूजिमय इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कंजर्वेशन एण्ड म्यूजिकोलॉजी, जनपथ, नई दिल्ली	1989
122	नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, भगवानदास रोड, नई दिल्ली	2005

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष/मान्यता
123	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन श्री अरबिन्दो मार्ग, नई दिल्ली	2006
124	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जनकपुरी, नई दिल्ली	2002
125	स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, इन्द्रप्रस्थ स्टेट, नई दिल्ली	1979
126	श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कुतुब इंस्टीट्यूसनल एरिया, नई दिल्ली	1987
127	टी.ई.आर.आई. स्कूल ऑफ एडवान्सड स्टडीज, लोदी रोड, नई दिल्ली	1999
	पाण्डिचेरी (केन्द्र शासित प्रदेश)	
128	श्री बालाजी विद्यापीठ, पिल्लैयार्ककुप्पम	2008

(च) राष्ट्रीय महत्व के संस्थान

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष/मान्यता
	आन्ध्र प्रदेश	
1.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, वारंगल	2002
2.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, हैदराबाद (आई.आई.टी. चेन्नई के संरक्षण में) अस्थाई तौर पर आर्दिनेन्स फैक्टरी, मेडक में स्थित	2008
	असम	
3.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, गुवाहाटी	1994
4.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, सिलचर	2002
	बिहार	
5.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, पटना	2002
6.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, पटना (आई.आई.टी. गुवाहाटी के संरक्षण में) अस्थाई तौर पर नवीन गवर्नमेंट पालीटेकनीक पटना में स्थित	2008
	छत्तीसगढ़	
7.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, रायपुर	2002
	गुजरात	
8.	सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, सूरत	2002
9.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, गांधीनगर (आई.आई.टी. मुंबई के संरक्षण में) अस्थाई तौर पर विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अहमदाबाद में स्थित	2008
	हरियाणा	
10.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, कुरुक्षेत्र	2002
	हिमाचल प्रदेश	
11.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, हमीरपुर	2002
	जम्मू एवं काश्मीर	
12.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, श्रीनगर	2002
	झारखण्ड	
13.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, जमशेदपुर	2002
	कर्नाटक	
14.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, सूरतकल	2002
	केरल	
15.	श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एण्ड टैक्नोलॉजी, तिरुअनन्तपुरम	1980
16.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, कालीकट	2002
	मध्य प्रदेश	
17.	मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, भोपाल	2002
	महाराष्ट्र	
18.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, मुंबई	1958
19.	विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, नागपुर	2002

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष/मान्यता
	उड़ीसा	
20.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, राउरकेला	2004
21.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, भुवनेश्वर, (आई.आई.टी. खड़गपुर के संरक्षण में) अस्थाई तौर पर आई.आई.टी. खड़गपुर में स्थित	2008
	पंजाब	
22.	पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चण्डीगढ़	1967
23.	डॉ० बी.आर. अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, जालन्धर	2002
24.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, रोपड़ (आई.आई.टी. दिल्ली के संरक्षण में) अस्थाई तौर पर आई.आई.टी. दिल्ली में स्थित	2008
	राजस्थान	
25.	मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, जयपुर	2002
26.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, राजस्थान (आई.आई.टी. कानपुर के संरक्षण में) अस्थाई तौर पर आई.आई.टी. कानपुर में स्थित	2008
	तमिलनाडू	
27.	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, चेन्नई	1964
28.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, चेन्नई	1959
29.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, तिरुचिरापल्ली	2003
	त्रिपुरा	
30.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, अगरतला	2002
	उत्तर प्रदेश	
31.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, कानपुर	1957
32.	मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, इलाहाबाद	2002
	उत्तरांचल	
33.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, रुड़की	2001
	पश्चिम बंगाल	
34.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, खड़गपुर	1951
35.	इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, कोलकाता	1959
36.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, दुर्गापुर	2003
	चण्डीगढ़	
37.	फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, मोहाली	1998
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	
38.	ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली	1956
39.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, नई दिल्ली	1961

टिप्पणी : वर्ष 2008-09 के दौरान, उपरोक्त के अलावा, 7 आई.आई.एम., 4 आई.आई.टी. और 5 आई.आई.एस.ई.आर. स्थापित हुए हैं।

परिशिष्ट-॥

(अ) विश्वविद्यालयों की राज्यवार सूची जो यू.जी.सी. अधिनियम, 1956 की धारा 12(बी) के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के पात्र नहीं हैं –
(31.03.2009 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम
	आन्ध्र प्रदेश
1	आन्ध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिज़, विजयवाड़ा
2	आदिकवि नन्नैया यूनिवर्सिटी, राजमुन्दरी
3	जवाहर लाल नेहरू टैक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, अनंतपुर
4	जवाहर लाल नेहरू टैक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद
5	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, नालगोंडा
6	श्री वेंकटेश्वरा वेटरिनेरी यूनिवर्सिटी, तिरुपति
7	श्री वेंकटेश्वरा वैदिक यूनिवर्सिटी, तिरुपति
8	योगी वेमना यूनिवर्सिटी, कडापा
	असम
9	कृष्णकान्त हैंडीक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी
	बिहार
10	चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पटना
11	मौलाना मझरूल हक अरेबिक एण्ड पर्सियन यूनिवर्सिटी, पटना
12	नालन्दा ओपन यूनिवर्सिटी, पटना
	छत्तीसगढ़
13	छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द टेक्निकल यूनिवर्सिटी, भिलाई
14	कुशाभाउ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर
15	पं० सुन्दरलाल शर्मा (ओपन) यूनिवर्सिटी, बिलासपुर
	गुजरात
16	सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एण्ड टैक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद
17	डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद
18	गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर
19	गुजरात टैक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद
20	क्रान्ति गुरु श्यामजी कृष्णकच्छ यूनिवर्सिटी, कच्छ
21	श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी, जूनागढ़

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम
	जम्मू एवं कामीर
22	बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, जम्मू
23	इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पुलवामा
	कर्नाटक
24	कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, मैसूर
25	कर्नाटक वेटिनेरी एनीमल एण्ड फिशरीज साइंस यूनिवर्सिटी, नन्दीनगर, बीदर
26	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, बंगलुरु
27	विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, बेलगाँव
28	टुमकुर यूनिवर्सिटी, टुमकुर
	मध्य प्रदेश
29	माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता यूनिवर्सिटी, भोपाल
30	महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जबलपुर
	महाराष्ट्र
31	कवि कुलगुरु कालीदास संस्कृत विश्वविद्यालय, नागपुर
32	महाराष्ट्र एनीमल एण्ड फिशरीज साइंसेज यूनिवर्सिटी, नागपुर
33	महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, नासिक
34	शोलापुर यूनिवर्सिटी, शोलापुर
	उड़ीसा
35	बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, राउरकेला
36	उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर, भुवनेश्वर
	पंजाब
37	बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिकल साइंसेज, फरीदकोट
38	गुरु अंगददेव वेटिनेरी एण्ड एनीमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, लुधियाना
	राजस्थान
39	जगद्गुरु रामानन्दाचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी, जयपुर
40	महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, उदयपुर
41	राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जोधपुर
42	राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जयपुर
43	राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कोटा

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम
44	यूनिवर्सिटी ऑफ बीकानेर, बीकानेर
45	वर्द्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा
	सिक्किम
46	सिक्किम मनीपाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ, मेडिकल एण्ड टेक्नोलॉजिकल साइंसेज, गंगटोक
	तमिलनाडू
47	अन्ना यूनिवर्सिटी, चेन्नई
48	अन्ना यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर
49	अन्ना यूनिवर्सिटी, तिरुचिरापल्ली
50	अन्ना यूनिवर्सिटी, तिरुनेलवेल्ली
51	तिरुवेल्लुवर यूनिवर्सिटी, वेल्लोर
52	तमिलनाडू ओपन यूनिवर्सिटी, चेन्नई
	उत्तर प्रदेश
53	डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, फैजाबाद
54	किंग जार्जस मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ
55	सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टेक्नोलॉजी, मेरठ
56	यू.पी. किंग जार्जस यूनिवर्सिटी ऑफ डेंटल साइंस, लखनऊ
57	यू.पी. राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद
58	उत्तर प्रदेश टैक्निकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ
	उत्तरांचल
59	दून यूनिवर्सिटी, देहरादून
60	उत्तरांचल संस्कृत यूनिवर्सिटी, हरिद्वार
61	उत्तराखण्ड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, देहरादून
	पश्चिम बंगाल
62	आलिया यूनिवर्सिटी, कोलकाता
63	गौर बंग यूनिवर्सिटी, मालदा
64	नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी, कोलकाता
65	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनीमल एण्ड फिशरीज साइंसेज, कोलकाता
66	वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी, कोलकाता
67	उत्तर बंग कृषि विश्वविद्यालय, कूच बिहार
68	द वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, कोलकाता

(ब) राज्य निजी विश्वविद्यालयों की राज्यवार सूची जो यू.जी.सी. अधिनियम की धारा 12(बी) के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के पात्र नहीं हैं
(31.03.2009 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम
	गुजरात
1	धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफारमेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी, गांधीनगर
2	गणपत यूनिवर्सिटी, मेहसाणा
3	कादी सर्व विश्वविद्यालय, गांधीनगर
4	निरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, अहमदाबाद
5	पं० दीनदयाल पेट्रोलियम युनिवर्सिटी, गांधीनगर
	हिमाचल प्रदेश
6	जे.पी. यूनिवर्सिटी ऑफ इंफारमेशन टेक्नोलॉजी, सोलन
	पंजाब
7	लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, कपूरथला
	राजस्थान
8	भगवन्त यूनिवर्सिटी, अजमेर
9	ज्योति विद्यापीठ वीमून्स यूनिवर्सिटी, जयपुर
10	मेवाड़ यूनिवर्सिटी, चित्तौड़गढ़
11	एन.आइ.एम.एस. यूनिवर्सिटी, शोभानगर, जयपुर
12	सिंहानिया यूनिवर्सिटी, झुंझुनूं
	सिक्किम
13	इस्टर्न इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट, जोरेशांग, सिक्किम
	त्रिपुरा
14	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया, (आई.सी.एफ.ए.आई.) अगरतला
	उत्तर प्रदेश
15	इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, लखनऊ
16	तीर्थाकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद
17	स्वामी विवेकानन्द सुभारती यूनिवर्सिटी, मेरठ
	उत्तरांचल
18	देव संस्कृति विश्वविद्यालय, गायत्री कुंज, हरिद्वार
19	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया (आई.सी.एफ.ए.आई.), देहरादून
20	यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एण्ड एनर्जी स्टडीज, देहरादून

परिशिष्ट-III
छात्र नामांकन में अखिल भारतीय वृद्धि
1984-85 से 2008-2009 तक

वर्ष	कुल नामांकन	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि	प्रतिशत
1984-85	34,04,096	96,447	2.9
1985-86	36,05,029	2,00,933	5.9
1986-87	37,57,158	1,52,129	4.2
1987-88	40,20,159	2,63,001	7.0
1988-89	42,85,489	2,65,330	6.6
1989-90	46,02,680	3,17,191	7.4
1990-91	49,24,868	3,22,188	7.0
1991-92	52,65,886	3,41,018	6.9
1992-93	55,34,966	2,69,080	5.1
1993-94	58,17,249	2,82,283	5.1
1994-95	61,13,929	2,96,680	5.1
1995-96	65,74,005	4,60,076	7.5
1996-97	68,42,598	2,68,593	4.1
1997-98	72,60,418	4,17,820	6.1
1998-99	77,05,520	4,45,102	6.1
1999-2000	80,50,607	3,45,087	4.5
2000-2001	83,99,443	3,48,836	4.3
2001-2002	89,64,680	5,65,237	6.7
2002-2003	95,16,773	5,52,093	6.2
2003-2004	1,00,11,645	4,94,872	5.2
2004-2005	1,05,42,262	5,30,617	5.3
2005-2006	1,11,37,627	5,95,365	5.6
2006-2007	1,18,87,095	7,49,468	6.7
2007-2008	1,27,27,082	8,39,987	7.0
2008-2009*	1,36,41,808	9,14,726	7.2

* अनन्तिम

परिशिष्ट-IV
विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में राज्यवार
छात्र नामांकन* : 2008-2009

क्रं. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	कुल नामांकन	महिला नामांकन	महिला प्रतिशत
1.	आंध्र प्रदेश	11,50,759	4,71,811	41.0
2.	अरुणाचल प्रदेश	12,670	5,321	42.0
3.	असम	2,34,124	1,00,673	43.0
4.	बिहार	6,24,010	1,87,203	30.0
5.	छत्तीसगढ़	2,26,105	79,137	35.0
6.	दिल्ली	2,50,400	1,20,192	48.0
7.	गोवा	24,282	14,326	59.0
8.	गुजरात	7,01,577	3,05,888	43.6
9.	हरियाणा	3,52,887	1,51,741	43.0
10.	हिमाचल प्रदेश	1,18,194	55,551	47.0
11.	जम्मू एवं कश्मीर	1,11,550	50,198	45.0
12.	झारखण्ड	2,22,608	75,687	34.0
13.	कर्नाटक	8,37,668	3,68,574	44.0
14.	केरल	3,73,092	2,08,932	56.0
15.	मध्य प्रदेश	7,50,745	2,85,283	38.0
16.	महाराष्ट्र	18,13,942	7,79,995	43.0
17.	मणिपुर	36,118	16,434	45.5
18.	मेघालय	37,107	18,182	49.0
19.	मिजोरम	12,129	5,640	46.5
20.	नागालैण्ड	22,057	10,367	47.0
21.	उड़ीसा	4,19,939	1,80,574	43.0
22.	पंजाब	3,35,407	1,71,058	51.0
23.	राजस्थान	5,72,651	2,09,018	36.5
24.	सिक्किम	5,841	2,453	42.0
25.	तमिलनाडू	10,33,755	4,85,865	47.0
26.	त्रिपुरा	25,884	11,337	43.8
27.	उत्तर प्रदेश	21,70,516	8,03,091	37.0

क्रं. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	कुल नामांकन	महिला नामांकन	महिला प्रतिशत
28.	उत्तरांचल	1,77,411	78,238	44.1
29.	पश्चिम बंगाल	9,03,103	3,53,113	39.1
30.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	2,600	1,455	56.0
31.	चण्डीगढ़	50,032	25,516	51.0
32.	लक्षद्वीप	300	102	34.0
33.	दमन एवं द्वीप	750	350	46.7
34.	दादरा एवं नागर हवेली	0	0	0.0
35.	पाण्डिचेरी	31,595	15,798	50.0
	कुल	1,36,41,808	56,49,102	41.4

* अनन्तिम

परिशिष्ट-V

विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों/विश्वविद्यालय कॉलेजों एवं संबद्ध
कॉलेजों में स्तरवार छात्रों का
नामांकन* : 2008-2009

क्र. सं.	स्तर	विश्वविद्यालय/विभाग विश्वविद्यालय कॉलेज	सम्बद्ध कॉलेज	कुल (कुल जोड़ का प्रतिशत)	सम्बद्ध कॉलेजों में प्रतिशतता
1.	स्नातक	10,96,833	1,08,11,318	1,19,08,151 (87.29)	90.79
2.	स्नातकोत्तर	4,06,056	10,83,629	14,89,685 (10.92)	72.74
3.	शोध	82,613	13,259	95,872 (0.70)	13.82
4.	डिप्लोमा/प्रमाण पत्र	83,447	64,653	1,48,100 (1.09)	43.65
	कुल जोड़	16,68,949	1,19,72,859	1,36,41,808	87.76

* अनन्तिम

परिशिष्ट – VI

छात्र नामांकन संकायवार* : 2008-2009

क्र.सं.	संकाय	कुल नामांकन	कुल प्रतिशत
1.	कला	58,75,532	43.07
2.	विज्ञान	26,12,406	19.15
3.	वाणिज्य / प्रबंधन	24,86,901	18.23
4.	शिक्षा	2,86,478	2.10
5.	इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी	13,13,706	9.63
6.	औषधि विज्ञान	4,46,087	3.27
7.	कृषि विज्ञान	80,482	0.59
8.	पशु विज्ञान	21,827	0.16
9.	विधि विज्ञान	3,81,971	2.80
10.	अन्य	1,36,418	1.00
	कुल जोड़	1,36,41,808	100.00

* अनन्तिम

परिशिष्ट-VII

वर्ष 2008-09 के दौरान, राज्यवार कॉलेजों की संख्या
एवं 2004-05 से 2008-09 तक कॉलेजों की
संख्या में वृद्धि

क्र. सं.	राज्य / केन्द्र शासित	2004-2005 (यू.सी.+ए.सी.)	2005-2006* (यू.सी.+ए.सी.)	2006-2007* (यू.सी.+ए.सी.)	2007-2008* (यू.सी.+ए.सी.)	2008-2009* (यू.सी.+ए.सी.)	वर्ष 2004-2005 से 2008-09 के बीच की वृद्धि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	आंध्र प्रदेश	2,296	2,434	3,026	3,264	3,648	1,352
2.	अरुणाचल प्रदेश	10	10	12	16	16	6
3.	असम	401	430	440	455	481	80
4.	बिहार	640	630	638	655	671	31
5.	छत्तीसगढ़	338	416	474	483	508	170
6.	गोवा	46	47	46	46	46	0
7.	गुजरात	815	899	1,059	192	1,420	605
8.	हरियाणा	301	320	376	634	851	50
9.	हिमाचल प्रदेश	135	169	209	241	270	135
10.	जम्मू एवं कश्मीर	168	210	253	253	260	92
11.	झारखण्ड	182	172	181	181	188	6
12.	कर्नाटक	1,865	2,096	2,224	2,436	2,765	900
13.	केरल	667	808	825	873	947	280
14.	मध्य प्रदेश	1,116	1,116	1,322	1,524	1,871	755
15.	महाराष्ट्र	2,598	2,826	3,052	3,363	3,849	1,251
16.	मणिपुर	72	72	74	74	75	3
17.	मेघालय	58	59	60	62	64	6
18.	मिजोरम	31	31	31	31	28	-3
19.	नागालैण्ड	45	49	49	51	51	6
20.	उड़ीसा	835	835	838	841	840	5
21.	पंजाब	428	440	472	502	569	141
22.	राजस्थान	636	703	878	1,177	1,456	820
23.	सिक्किम	9	11	11	1	13	4
24.	तमिलनाडू	1,242	1,242	1,254	1,297	1,337	95
25.	त्रिपुरा	22	25	25	29	32	10
26.	उत्तर प्रदेश	2,037	2,037	2,047	2,137	2,181	144
27.	उत्तरांचल	226	247	248	260	279	53

28.	पश्चिम बंगाल	603	621	774	805	889	286
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	4	4	4	4	4	0
30.	चण्डीगढ़	23	23	23	23	21	-2
31.	लक्षद्वीप	1	1	1	1	1	0
32.	दमन एवं द्वीप	3	3	3	3	4	1
33.	दिल्ली	191	201	202	209	234	43
34.	दादरा एवं नागर हवेली	0	0	0	0	0	0
35.	पाण्डिचेरी	36	39	39	73	82	46
	कुल	18,080	19,327	21,170	23,206	25,951	7,871

* अनन्तिम : यू.सी. : विश्वविद्यालय कॉलेज ए.सी. : संबद्ध कॉलेज

परिशिष्ट—VIII

विश्वविद्यालय विभागों एवं
विश्वविद्यालय कॉलेजों** में अध्यापन विभाग के
सदस्यों की पदानुसार संख्या एवं वितरण : 2008-09

वर्ष	प्रोफेसर*	रीडर	वरिष्ठ प्राध्यापक	प्राध्यापक	ट्यूटर/प्रदर्शक	कुल
2008-2009	19,071 (21.20)	28,514 (31.70)	13,763 (15.30)	26,536 (29.50)	2,068 (2.30)	89,952 (100)

* ऐसे प्रधानाध्यापक एवं वरिष्ठ प्राध्यापक सम्मिलित हैं जोकि प्रोफेसरों के समतुल्य हैं।

** अनन्तिम

ध्यान दें : (क) लघु कोष्ठकों में व्यक्त अंकों द्वारा विभिन्न पदों पर तैनात सदस्यों की कुल स्टाफ की तुलना में प्रतिशतता का संकेत करती है।

(ख) कुल प्राध्यापकों की संख्या में अंशकालिक अध्यापक/शारीरिक प्रशिक्षण वाले निर्देशक भी सम्मिलित हैं।

परिशिष्ट—IX

सम्बद्ध कॉलेजों ** में पदानुसार
शैक्षणिक स्टाफ की संख्या एवं वितरण : 2008-09

वर्ष	प्रोफेसर*	रीडर (प्राध्यापक चयनित ग्रेड)	वरिष्ठ प्राध्यापक	प्राध्यापक	ट्यूटर/ प्रदर्शक	कुल
2008-2009	32893 (6.60)	123598 (24.80)	69125 (13.87)	260307 (52.23)	12459 (2.50)	498382 (100)

* ऐसे प्रधानाध्यापक एवं वरिष्ठ प्राध्यापक सम्मिलित हैं जोकि प्रोफेसरों के समतुल्य हैं।

** अनन्तिम

टिप्पणी : (अ) लघु कोष्ठकों में व्यक्त अंकों द्वारा विभिन्न पदों पर तैनात सदस्यों की कुल स्टाफ की तुलना में प्रतिशतता का संकेत करती है।

(ब) कुल प्राध्यापकों की संख्या में अंशकालिक अध्यापक/शारीरिक प्रशिक्षण वाले निर्देशक भी सम्मिलित हैं।

परिशिष्ट-X

वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के दौरान, प्रदत्त
एम.फिल. एवं डॉक्टरेट (पी.एच.डी.) डिग्रियों की संकायवार संख्या

क्र. सं.	संकाया	2006-07		2007-08	
		एम.फिल.	पी.एच.डी.	एम.फिल.	पी.एच.डी.
1	कला	4,265	4,752	6,078	4,405
2	विज्ञान	1,672	4,098	8,452	4,514
3	वाणिज्य/प्रबंधन	552	882	2,265	873
4	शिक्षा	324	423	1,252	425
5	इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी	0	844	4	1,427
6	औषधि विज्ञान	32	319	48	277
7	कृषि	0	664	270	664
8	पशु विज्ञान	3	161	5	123
9	विधि विज्ञान	24	137	5	127
10	अन्य*	351	493	794	402
	कुल	7,223	12,773	19,173	13,237

* अन्य में यह सब सम्मिलित हैं—संगीत/ललित कलाएँ, पुस्तकालय विज्ञान/शारीरिक शिक्षा/पत्रकारिता/समाजिक कार्य आदि।

परिशिष्ट—XI

उन समविश्वविद्यालयों की सूची जो योजनागत, योजनेत्तर एवं नियत अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहे हैं : 2008-09

● मात्र योजनागत अनुदान

- 1 बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली, राजस्थान
- 2 बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी एण्ड साइंस, पिलानी, राजस्थान
- 3 बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी एण्ड साइंस, राँची, झारखण्ड
- 4 सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिबेन स्टडीज, सारनाथ, वाराणसी, उ०प्र०
- 5 चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, सिरुसेरी, (तमिलनाडू) (विशेष अनुदान एक बार)
- 6 डेक्कन कॉलेज ऑफ पोस्ट-ग्रेजुएट एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे, महाराष्ट्र
- 7 गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड इकोनामिक्स, पूणे, महाराष्ट्र
- 8 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, नई दिल्ली (विशेष अनुदान एक बार)
- 9 इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, मुम्बई, महाराष्ट्र (विशेष अनुदान एक बार)
- 10 जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर, राजस्थान
- 11 जैन विश्वभारती इंस्टीट्यूट, लाडनून, राजस्थान
- 12 रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द एजुकेशनल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, वेस्ट बंगाल (विशेष अनुदान एक बार)
- 13 श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, अनन्तपुर, आन्ध्र प्रदेश
- 14 तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे, महाराष्ट्र
- 15 थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, पटियाला, पंजाब

● योजनागत एवं योजनेत्तर (शत प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान)

- 1 अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एण्ड हायर एजुकेशन फॉर वीमेन, कोयम्बटूर, तमिलनाडु
- 2 दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा, उत्तर प्रदेश
- 3 गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, गांधीग्राम, तमिलनाडु
- 4 गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, गुजरात
- 5 गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार, उत्तरांचल
- 6 राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति, आंध्र प्रदेश
- 7 श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली
- 8 टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुम्बई, महाराष्ट्र

● योजनाबद्ध एवं नियत अनुरक्षण अनुदान

- 1 जामिया हमदर्द, हमदर्द नगर, नई दिल्ली
- 2 श्री चन्द्रशेखरेन्द्रा सरस्वती विश्व महाविद्यालय, काँचीपुरम, तमिलनाडु

परिशिष्ट—XII

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करने वाले दिल्ली स्थित कॉलेजों एवं होस्टलों तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में स्थित कॉलेजों की सूची : 2008-09

(अ) वि०अ०आ० द्वारा सहायता प्राप्त दिल्ली स्थित कॉलेजों की सूची :

I. दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित कॉलेज (यू.जी.सी. द्वारा शत प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान)

1. कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज
2. रामलाल आनन्द कॉलेज (दिवस)
3. दयाल सिंह कॉलेज (दिवस)
4. किरोरीमल कॉलेज*
5. मिरान्डा हाउस*
6. देशबन्धु कॉलेज (दिवस)*

II. सांध्यकालीन कॉलेज (यू.जी.सी. द्वारा शत प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान)

7. दयाल सिंह कॉलेज (सायं)
8. देशबन्धु कॉलेज (सायं)
9. मोतीलाल नेहरू कॉलेज (सायं)
10. पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज (सायं)
11. रामलाल आनन्द कॉलेज (सायं)
12. शहीद भगत सिंह कॉलेज (सायं)
13. श्याम लाल कॉलेज (सायं)
14. सत्यवती कोएजुकेशनल कॉलेज (सायं)
15. श्री अरविन्दो कॉलेज (सायं)
16. जाकिर हुसैन कॉलेज (सायं)–(न्यास)

III. दिल्ली प्रशासन द्वारा अनुरक्षित कॉलेज

(95 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान यू.जी.सी. द्वारा एवं 5 प्रतिशत दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रदान किया जाता है।)

17. भारती कॉलेज
18. दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एण्ड कामर्स
19. विवेकानन्द कॉलेज
20. गार्गी कॉलेज*
21. कालिन्दी कॉलेज*
22. कमला नेहरू कॉलेज*
23. लक्ष्मीबाई कॉलेज*
24. मैत्रेय कॉलेज*
25. मोतीलाल नेहरू कॉलेज (दिवस)*
26. राजधानी कॉलेज*
27. सत्यवती कोएजुकेशनल कॉलेज (दिवस)*
28. शहीद भगत सिंह कॉलेज (दिवस)*
29. शिवाजी कॉलेज (दिवस)*
30. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वीमेन*
31. श्री अरविन्दो कॉलेज (दिवस)*
32. स्वामी श्रद्धानन्द कॉलेज*

* ऐसे विस्तारित कॉलेज जिन्हें 100 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान मिल रहा है।

IV. न्यास द्वारा प्रबन्धित कॉलेज (95 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान यू.जी.सी. द्वारा एवं 5 प्रतिशत न्यास द्वारा प्रदान किया जाता है।)

33. श्री गुरुगोबिन्द सिंह कॉलेज ऑफ कामर्स
34. इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनोमिक्स
35. लेडी इरविन कॉलेज

36. श्री राम कॉलेज ऑफ कामर्स
37. सेंट स्टीफेन्स कॉलेज
38. जाकिर हुसैन कॉलेज (दिवस)
39. आत्माराम सतानधर्म कॉलेज*
40. दौलतराम कॉलेज*
41. हंसराज कॉलेज*
42. हिन्दू कॉलेज*
43. इन्द्रप्रस्था कॉलेज फॉर वीमेन*
44. जानकी देवी महाविद्यालय*
45. जीसस एण्ड मेरी कॉलेज*
46. लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वीमेन*
47. माता सुन्दरी कॉलेज फॉर वीमेन*
48. पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज (दिवस)*
49. रामजस कॉलेज*
50. श्यामलाल कॉलेज (दिवस)*
51. एस.जी.टी.बी. खालसा कॉलेज (दिवस)*
52. श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज
53. श्री वेंकटेश्वर कॉलेज*

* ऐसे विस्तारित कॉलेज जिन्हें शत प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान मिल रहा है।

(ब) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायता प्राप्त दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों के होस्टलों की सूची :

1. दौलतराम कॉलेज
2. हंसराज कॉलेज
3. हिन्दू कॉलेज
4. इन्द्रप्रस्था कॉलेज फॉर वीमेन
5. किरोड़ी मल कॉलेज
6. लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वीमेन
7. लेडी इरविन कॉलेज
8. मिरान्डा हाउस
9. रामजस कॉलेज
10. सेंट स्टीफेन्स कॉलेज
11. श्री राम कॉलेज ऑफ कामर्स
12. जाकिर हुसैन कॉलेज (दिवस)

(स) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कॉलेजों की सूची :

1. वसन्त कन्या महाविद्यालय, कामच्छा, वाराणसी, (यू.पी.)
2. वसन्त कॉलेज फॉर वीमेन राजघाट फोर्ट, वाराणसी, (यू.पी.)
3. आर्य महिला डिग्री कॉलेज, वाराणसी, (यू.पी.)
4. डी.ए.वी. डिग्री कॉलेज, वाराणसी, (यू.पी.)

(द) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मात्र योजना अनुदान प्राप्त कॉलेजों की सूची :

1. अचार्य नरेन्द्र देव कॉलेज	(दिल्ली प्रशासन)
2. भगिनी निवेदिता कॉलेज	(दिल्ली प्रशासन)
3. भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाई साइंस	(दिल्ली प्रशासन)
4. केशव महाविद्यालय	(दिल्ली प्रशासन)
5. शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाई साइंस फॉर वीमेन	(दिल्ली प्रशासन)
6. महाराजा अग्रसेन कॉलेज	(दिल्ली प्रशासन)

परिशिष्ट—XIII

स्वायत्तशासी कॉलेजों की राज्यवार एवं विश्वविद्यालय अनुसार सूची :
(31.03.2009 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	विश्वविद्यालय	कॉलेजों की सं०
आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र यूनिवर्सिटी	14
	आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी	12
	काकतीया यूनिवर्सिटी	02
	उस्मानिया यूनिवर्सिटी	13
	श्री कृष्णादेवरिया यूनिवर्सिटी	05
	जवाहर लाल नेहरू टैक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी	01
छत्तीसगढ़	गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी	04
	पं० रविशंकर यूनिवर्सिटी	06
गुजरात	भावनगर यूनिवर्सिटी	01
हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी	05
झारखण्ड	राँची यूनिवर्सिटी	04
कर्नाटक	बंगलोर यूनिवर्सिटी	11
	गुलबर्गा यूनिवर्सिटी	03
	मैसूर यूनिवर्सिटी	06
	मंगलोर यूनिवर्सिटी	07
	कर्नाटक यूनिवर्सिटी	03
	कुवेम्पू यूनिवर्सिटी	03
	विश्वेश्वरैया एक्नोलोजिकल यूनिवर्सिटी	08
मध्य प्रदेश	ए.पी. सिंह यूनिवर्सिटी	04
	बरकतउल्लाह यूनिवर्सिटी	06
	देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी	07
	डॉ० हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी	03
	जीवाजी यूनिवर्सिटी	03
	रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी	06
	विक्रम यूनिवर्सिटी	02
महाराष्ट्र	एस.एन.डी.टी. वीमेन्स यूनिवर्सिटी	01
	डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी	02

राज्य	विश्वविद्यालय	कॉलेजों की सं०
	शिवाजी यूनिवर्सिटी	02
	पुणे यूनिवर्सिटी	04
	स्वामी रामानन्द तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी	01
	यूनिवर्सिटी ऑफ मुम्बई	01
	संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी	03
उड़ीसा	बेरहामपुर यूनिवर्सिटी	06
	सम्बलपुर यूनिवर्सिटी	05
	उत्कल यूनिवर्सिटी	14
	नाथ उड़ीस यूनिवर्सिटी	02
	फकीर मोहन यूनिवर्सिटी	02
	बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी	02
पाण्डिचेरी	पाण्डिचेरी यूनिवर्सिटी	02
राजस्थान	यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान	02
तमिलनाडू	भरथियार यूनिवर्सिटी	19
	भारतीदासन यूनिवर्सिटी	19
	मदर टेरेसा वीमेन्स यूनिवर्सिटी	02
	मद्रास यूनिवर्सिटी	28
	मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी	18
	मनोनमनीयम सुन्दरनार यूनिवर्सिटी	08
	पेरियार यूनिवर्सिटी	03
	अलगप्पा यूनिवर्सिटी	01
	अन्ना यूनिवर्सिटी	11
	थिरुवेल्लुवर यूनिवर्सिटी	06
	तमिलनाडू स्टेट फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट यूनिवर्सिटी	01
उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद यूनिवर्सिटी	01
	यू.पी. टैक्निकल यूनिवर्सिटी	01
	वी.बी.एस. पूर्वांचल यूनिवर्सिटी	02
	यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ	01
पश्चिम बंगाल	यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता	03
उत्तरांचल	एच.एन.बी. गढ़वाल यूनिवर्सिटी	01
कुल		314

टिप्पण : राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश : 16
विश्वविद्यालय : 58
कॉलेज : 314

परिशिष्ट—XIV

अकादमिक स्टाफ कॉलेजों की राज्यवार सूची : 2008-09

	आन्ध्र प्रदेश
1)	आन्ध्र यूनिवर्सिटी वाल्टेयर, विशाखापत्तनम
2)	यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद
3)	ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद
4)	श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी, तिरुपति
5)	जवाहर लाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद
6)	मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद
	असम
7)	गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, गोपीनाथ बारदोलोई नगर, गुवाहाटी
	बिहार
8)	बी.आर.ए. बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर, बिहार
9)	पटना यूनिवर्सिटी, बारीपत, दरियापुर, पटना
	छत्तीसगढ़
10)	पं० रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, रायपुर
11)	गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, जी.जी.यू. कैम्पस, बिलासपुर
	दिल्ली
12)	यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली
13)	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
14)	जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली
	गोवा
15)	गोवा यूनिवर्सिटी, तेलेगाव, प्लेटेयो, गोवा
	गुजरात
16)	गुजरात यूनिवर्सिटी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद
17)	सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, राजकोट
18)	सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, वल्लभ विद्यानगर, गुजरात
	हरियाणा
19)	कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र
20)	बी.पी.एस. महिला विश्वविद्यालय, सोनीपत
21)	गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, हिसार
	हिमाचल प्रदेश
22)	हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, शिमला

	झारखण्ड
23)	राँची यूनिवर्सिटी, मोरबादी कैम्पस, राँची
	जम्मू एवं काश्मीर
24)	यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू
25)	यूनिवर्सिटी ऑफ काश्मीर, हजरतबल, श्रीनगर
	कर्नाटक
26)	बंगलोर यूनिवर्सिटी, बंगलोर
27)	कर्नाटक यूनिवर्सिटी, धारवाड़
28)	यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, मैसूर
	केरल
29)	यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट, कालीकट
30)	यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, करियावट्टम
31)	कन्नूर यूनिवर्सिटी, कन्नूर
	मध्य प्रदेश
32)	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर
33)	डॉ० एच.एस. गौर विश्वविद्यालय, सागर
34)	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
35)	लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर
	महाराष्ट्र
36)	डॉ० बी.ए. मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद
37)	यूनिवर्सिटी ऑफ मुम्बई, विद्या नागरी, मुम्बई
38)	नागपुर यूनिवर्सिटी, अम्बाविहार, नागपुर
39)	यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, गनेशखिण्ड, पुणे
40)	संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी, अमरावती
	मणिपुर
41)	मणिपुर यूनिवर्सिटी, काँचीपुर, इम्फाल
	मेघालय
42)	नार्थ इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग
	मिजोरम
43)	मिजोम यूनिवर्सिटी, आइज़ौल
	उड़ीसा
44)	उत्कल यूनिवर्सिटी, वानी विहार, भुवनेश्वर
45)	सम्बलपुर यूनिवर्सिटी, ज्योति विहार, सम्बलपुर

	पाण्डिचेरी
46)	पाण्डिचेरी यूनिवर्सिटी, लॉसपेट, पाण्डिचेरी
	पंजाब
47)	गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर
48)	पंजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़
49)	पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला
	राजस्थान
50)	जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, जोधपुर
51)	यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर
52)	महर्षि दयानन्द सरस्वती यूनिवर्सिटी, अजमेर
	तमिलनाडू
53)	भरथियार यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर
54)	भारतीदासन यूनिवर्सिटी, तिरुचिरापल्ली
55)	यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, चेपक, चेन्नई
56)	मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी, पलकालाई नगर, मदुराई
	उत्तर प्रदेश
57)	अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़
58)	यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद
59)	बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी
60)	डी.डी.यू. गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर
61)	यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, लखनऊ
	उत्तरांचल
62)	कुमायूँ यूनिवर्सिटी, नैनीताल
	पश्चिम बंगाल
63)	यूनिवर्सिटी ऑफ वर्द्धमान, वर्द्धमान
64)	यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, कोलकाता
65)	जादवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता
66)	नार्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, सिलीगुड़ी दार्जिलिंग

परिशिष्ट—XV

यू.जी.सी.-नेट विषयों की सूची : 2008-09

विषय कोड	विषय का नाम
01	अर्थशास्त्र
02	राजनीति विज्ञान
03	दर्शन शास्त्र
04	मनोविज्ञान
05	समाज शास्त्र
06	इतिहास
07	मानव शास्त्र
08	वाणिज्य
09	शिक्षा शास्त्र
10	सामाजिक कार्य
11	रक्षा और रणनीति अध्ययन
12	गृह विज्ञान
14	लोक प्रशासन
15	जनसंख्या अध्ययन
16	संगीत
17	प्रबंधन
18	मैथिली
19	बंगाली
20	हिन्दी
21	कन्नड़
22	मलयालम
23	उड़िया
24	पंजाबी
25	संस्कृत
26	तमिल
27	तेलुगू
28	उर्दू
29	अरेबिक
30	अंग्रेजी
31	भाषा विज्ञान

विषय कोड	विषय का नाम
32	चीनी
33	डोगरी
34	नेपाली
35	मणिपुरी
36	असमी
37	गुजराती
38	मराठी
39	फ्रेंच
40	स्पेनिश
41	रसियन
42	पार्सियन
43	राजस्थानी
44	जर्मन
45	जापानी
46	प्रौढ़ शिक्षा/अनुवर्ती शिक्षा/एण्ड्रागोगी/अनौपचारिक शिक्षा
47	शारीरिक शिक्षा
49	अरबी संस्कृति तथा इस्लामिक अध्ययन
50	भारतीय संस्कृति
55	श्रम कल्याण/कार्मिक प्रबंधन/औद्योगिक संबंध/श्रम तथा समाज कल्याण/मानव संसाधन प्रबंधन
58	विधि
59	पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान
60	बौद्ध, जैन, गांधी तथा शांति अध्ययन
62	धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन
63	जन संचार तथा पत्राचार
65	कला प्रदर्शन — नृत्य नाटक मंच
66	संग्रहालय विज्ञान एवं संरक्षण
67	पुरातत्व विज्ञान
68	अपराध विज्ञान
70	जनजातीय तथा प्रादेशिक भाषा/साहित्य
71	लोक साहित्य
72	तुलनात्मक साहित्य
73	संस्कृत परंपरागत विषय (ज्योतिष / सिद्धांत ज्योतिष/नव्य व्याकरण/व्याकरण/मीमांसा/नव्य न्याय/सांख्य योग/तुलनात्मक दर्शन/शुक्ल यजुर्वेद/मध्व वेदांत/धर्मशास्त्र/साहित्य/पुराण इतिहास/अगम/अद्वैत वेदांत)

विषय कोड	विषय का नाम
74	महिला अध्ययन
79	दृश्य कला (ड्राइंग एण्ड पेंटिंग/ शिल्प/ग्राफिक्स/अप्लाइड आर्ट/कला का इतिहास)
80	भूगोल
81	सामाजिक चिकित्सा तथा सामुदायिक स्वास्थ्य
82	फॉरेंसिक विज्ञान
83	पाली
84	कश्मीरी
85	कोंकणी
87	कंप्यूटर विज्ञान एवं अनुप्रयोग
88	इलेक्ट्रानिक विज्ञान
89	पर्यावरण विज्ञान
90	अन्तर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय अध्ययन
91	प्राकृत
92	मानव अधिकार तथा कर्तव्य
93	पर्यटन प्रशासन तथा प्रबंधन

परिशिष्ट—XVI

भारतवर्ष में यू.जी.सी.-नेट परीक्षा केन्द्रों की सूची : 2008-09

सेंटर कोड	केन्द्र का नाम
01	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़-202002
02	यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद-211002
03	आन्ध्रा यूनिवर्सिटी, विशाखापत्तनम-530003
04	अरुणाचल यूनिवर्सिटी, ईटानगर-791112
05	बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी-221005
06	बंगलोर यूनिवर्सिटी, बंगलुरु-560056
07	एम.पी.भोज ओपन यूनिवर्सिटी, शिवाजी नगर, भोपाल-462016
08	बेरहामपुर यूनिवर्सिटी, बेरहामपुर-760007
09	भरथियार यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर-641046
10	भारतीदासन यूनिवर्सिटी, तिरुचिरापल्ली-620024
11	यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान, बर्दवान-713104
12	यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, कोलकाता-700073
13	यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट, कोझीकोड-673635
14	चौ० चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मेरठ-250005
15	छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, कानपुर-208024
16	कोच्चीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, कोच्ची-682022
17	जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025
18	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर-452001
19	डॉ० बी.एस.ए. मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद-431004
20	गौहाटी यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी-781014
21	गोवा यूनिवर्सिटी, गोवा-403203
22	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर-273009
23	गुजरात यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद-380009
24	गुलबर्गा यूनिवर्सिटी, गुलबर्गा-585106
25	गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर-143005
26	हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, शिमला-171005
27	यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू तवी-180006
28	जय नारायन व्यास यूनिवर्सिटी, जोधपुर-342001

सेंटर कोड	केन्द्र का नाम
29	जीवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर-474011
30	कर्नाटक यूनिवर्सिटी, धारवाड़-580003
31	यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर-190006
32	यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, तिरुअनन्तपुरम-695034
33	कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र-132119
34	यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, लखनऊ-226007
35	एम.एस. यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वडोदरा-390002
36	यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, चेन्नई-600005
37	मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी, मदुराई-625021
38	मंगलोर यूनिवर्सिटी, मंगलोर-574199
39	मणिपुर यूनिवर्सिटी, इम्फाल-795003
40	मोहन लाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, उदयपुर-313001
41	यूनिवर्सिटी ऑफ मुम्बई, मुम्बई-400032
42	नार्गाजुन यूनिवर्सिटी, गुंटूर-522510
43	नागपुर यूनिवर्सिटी, नागपुर-440001
44	नार्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, दार्जलिंग-734430
45	नार्थ इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग-793022
46	ओरमानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद-500007
47	पं० रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, रायपुर-492010
48	पंजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़-160014
49	पटना यूनिवर्सिटी, पटना-800005
50	यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, पुणे-411007
51	यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर-302004
52	राँची यूनिवर्सिटी, राँची-834008
53	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर-482001
54	एच.एन. बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर-246174
55	सम्बलपुर यूनिवर्सिटी, सम्बलपुर-768019
56	सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, सौराष्ट्र-360005
57	श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी, तिरुपति-517502
58	तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, भागलपुर-812007
59	त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, अगरतला-799004

सेंटर कोड	केन्द्र का नाम
60	उत्कल यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर-751004
61	डॉ० भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा-282004
62	महर्षि दयानन्द सरस्वती यूनिवर्सिटी, अजमेर-305009
63	मिजोरम यूनिवर्सिटी, मिजोरम, पो० बाक्स नं० 190, आइज़ौल-796012
64	नागालैण्ड यूनिवर्सिटी, पो० बाक्स नं० 341, लुमानी, कोहिमा-797001
65	जवाहर लाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समुह, पोर्ट ब्लेयर-744104
66	डॉ० अवधेशप्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, रीवा-486003

वर्ष 2008-09 के दौरान विश्वविद्यालयों को प्रदान किया गया योजनेतर अनुदान (प्रमुख शीर्ष-वार) उनका ब्यौरा

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज यूनि०, हैदराबाद	0.00	5.26	0.00	0.00	2.80	0.00	183.89	0.00	0.00	0.00	2709.66	2901.61
23	विश्वभारती शांतिनिकेतन	0.00	33.16	0.92	8.80	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8759.82	8833.10
24	एच.एन.बी. गढ़वाल यूनि०, श्रीनगर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1116.00	1116.00
25	गुरु घासीदास यूनि०	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.67	427.67
26	डॉ० एच.एस. गौड़ वि०, सागर	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1007.40	1010.22
27	सेंट्रल यूनि० ऑफ हरियाणा, गुड़गांव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	सेंट्रल यूनि० ऑफ उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	सेंट्रल यूनि० ऑफ तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप कुल योग	231.07	2095.23	517.98	51.00	99.60	0.00	237.24	0.00	0.00	0.00	174797.70	178029.82
30	सेंट्रल यूनि० ऑफ झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	सेंट्रल यूनि० ऑफ बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	सेंट्रल यूनि० ऑफ केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	सेंट्रल यूनि० ऑफ कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	सेंट्रल यूनि० ऑफ पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	सेंट्रल यूनि० ऑफ जम्मू एवं काश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	सेंट्रल यूनि० ऑफ राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	सेंट्रल यूनि० ऑफ गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	इंदिरा नेशनल ट्रायल यूनि०, अमरकंटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	यूसीएमएस, दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप कुल योग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	231.07	2095.23	517.98	51.00	99.60	0.00	237.24	0.00	0.00	0.00	174797.70	178029.82
	समग्र योग	231.07	2095.23	517.98	51.00	99.60	0.00	237.24	0.00	0.00	0.00	174797.70	178029.82
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सम विश्वविद्यालय													
1	अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस एण्ड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन, कोयम्बटूर	0.00	0.01	0.00	0.40	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2025.10	0.00	2032.31
2	अमृता विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	0.00	1.80	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
3	बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली	0.00	4.57	1.84	0.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.01
4	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस, पिलानी	0.00	0.00	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.20
5	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस, मिसरा	0.00	0.00	5.42	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	320.40	0.00	0.00	326.62
6	भारती विद्यापीठ, पुणे	0.00	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84
7	नेशनल यूनि० ऑफ एडवांस पी. एण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन जी.वी.एम, शारनपुर, राज०	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	चेन्नई मैथमेटिक इंस्टीट्यूट, चेन्नई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग, चेन्नई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज, वाराणसी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा	0.00	12.05	3.79	0.80	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1134.54	0.00	1151.58
13	डेक्कन कॉलेज पी.जी. एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, गांधीग्राम	0.00	23.22	0.00	0.40	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1957.83	0.00	1984.25
15	गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नो, सू. महा. पट्टनम, आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड इकोनॉमिक्स, पुणे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
17	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1693.90	0.00	1695.49
18	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	0.00	5.77	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1596.72	0.00	1602.89
19	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर	9.14	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.94
20	इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	इंडियन स्कूल ऑफ टैक्नोलॉजी, नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टैक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	0.22	0.65	47.68	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	450.15
24	जैन विश्वभारती इंस्टीट्यूट, लाडनूँ, राजस्थान	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59
25	लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.75
26	मनीपाल अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन, मनीपाल	0.00	0.40	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
27	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	0.00	1.71	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963.15	0.00	965.26
28	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, हरीपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, राजकोट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप कुल योग	9.36	61.11	140.77	3.60	26.60	0.00	0.00	0.00	320.40	9771.24	0.00	10333.08
30	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, कालीकट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, पिलाणी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क, भुवनेश्वर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनि0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, इलाहाबाद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वस्त्रापुर, अहमदाबाद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	ए.आइ.आइ.एम.एस., नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवॉंस्ड स्टडीज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	श्री चन्द्रशेखरेन्द्रा सरस्वती वि0, काँचीपुरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00
39	श्री लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	0.00	13.27	0.92	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1258.02	0.00	1273.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
69	टी.ई.आर.आई. स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, नई दिल्ली	0.00	11.87	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.27
70	नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली	0.00	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.10
71	मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक0, जयपुर	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
72	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक0, श्रीनिवास नगर	0.00	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92
73	एम.जी.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, नवी मुंबई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
74	एस.आर.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक0, चेन्नई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
	उपकुल योग	10.89	90.56	130.04	3.00	5.60	0.00	0.00	0.00	145.78	2254.39	0.00	2640.26
	कुल	20.25	168.60	271.73	7.80	35.40	0.00	0.00	0.00	466.18	13290.65	0.00	14260.61
	समग्र योग	20.25	168.60	271.73	7.80	35.40	0.00	0.00	0.00	466.18	13290.65	0.00	14260.61
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अंतर्विश्वविद्यालयी केन्द्र		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	कंसोशियम फॉर एजुकेशन कम्प्यूनिकेशन, नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.48	0.00	0.00	0.00	0.00	417.48
2	इंटर यूनि0 सेंटर फॉर एस्ट्रोनामि एण्ड एस्ट्रोफिजिक्स, पुणे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	925.00
3	इंटर यूनि0 एक्सीलेटर सेंटर, नई दिल्ली	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1435.00	0.00	0.00	0.00	1440.29
4	एन.ए.सी. राजाजी नगर, बंगलौर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	365.00
5	इन्लिबनेट सेंटर, अहमदाबाद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	305.00
6	यू.जी.सी. डी.ए.ई. कंसोशियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च, इंदौर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	970.00
7	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	417.48	4000.00	0.00	0.00	0.00	4422.77
	समग्र योग	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	417.48	4000.00	0.00	0.00	0.00	4422.77
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राज्य विश्वविद्यालय		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	द्रविड यूनि0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आन्ध्रा यूनि0, वाल्टेयर	46.14	16.02	122.57	31.83	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.36
3	ए.एन.जी. रंगा यूनि0, हैदराबाद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	जवाहर लाल नेहरू टैक0 यूनि0, हैदराबाद	0.00	1.93	40.80	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.33
5	काकतीया यूनि0, वारंगल	0.00	3.07	22.36	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.03
6	आचार्य नागजुन यूनि0, गुंटूर	0.00	1.57	5.42	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.59
7	नेशनल अकादमी ऑफ लीगल स्टडीज एण्ड रेजीडेंसियल यूनि0 ऑफ लॉ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	ओस्मानिया यूनि0, हैदराबाद	0.00	72.19	62.81	1.20	8.80	0.00	147.39	0.00	0.00	0.00	0.00	292.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	श्री कृष्णादेवरिया यूनि०, अनन्तपुर	0.00	18.81	1.84	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.45
10	श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, तिरुपति	0.00	3.67	1.84	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.31
11	श्री वेंकटेश्वरा यूनि०, तिरुपति	8.77	32.00	28.55	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.92
12	पोट्टी श्री रामूलू तेलुगू यनि०, हैदराबाद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	डॉ० बी०आर० अम्बेडकर यूनि०, हैदराबाद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	54.91	149.26	286.19	33.03	49.60	0.00	147.39	0.00	0.00	0.00	0.00	720.38
	समग्र योग	54.91	149.26	286.19	33.03	49.60	0.00	147.39	0.00	0.00	0.00	0.00	720.38
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
असम		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	असम एग्रीकल्चरल यूनि०, जोरहट	0.00	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84
2	डिब्रूगढ़ यूनि०, डिब्रूगढ़	0.00	5.35	0.00	4.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.95
3	गौहाटी यूनि०, गुवाहाटी	0.00	47.04	4.26	2.40	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.70
	कुल	0.00	52.39	6.10	6.40	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.49
	समग्र योग	0.00	52.39	6.10	6.40	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.49
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बिहार		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनि०, मुजफ्फरपुर	0.00	5.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
2	बी.एन. मण्डल यूनि०, मधेपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	के.एस. दरभंगा संस्कृत यूनि०, दरभंगा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	एल.एन. मिथिला यूनि०, दरभंगा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	पटना यूनि०, पटना	0.00	47.88	0.00	1.60	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.28
7	मगध यूनि०, बोध गया	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
8	टी.एम. भागलपुर यूनि०, भागलपुर	0.00	2.76	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56
9	वीर कुँअर सिंह यूनि०, आरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
	कुल	0.00	57.86	0.00	2.80	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.86
	समग्र योग	0.00	57.86	0.00	2.80	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.86
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
छत्तीसगढ़		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	गुरु घासीदास यूनि०, बिलासपुर	0.00	1.33	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73
2	हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनि०	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, रायपुर	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96
5	पं० रविशंकर शुक्ला यूनि०, रायपुर	0.00	17.01	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.61
	कुल	0.00	22.30	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.30
	समग्र योग	0.00	22.30	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.30
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
केरल		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	कालीकट यूनि०, कोझीकोड	0.00	0.00	0.00	10.80	62.00	0.00	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	134.37
2	कोचीन यूनि० ऑफ साइंस एण्ड टेक०, कोच्चि	0.00	65.39	75.90	5.60	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.09
3	कन्नूर यूनि०, कन्नूर	0.00	8.07	0.00	6.80	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.47
4	केरल यूनि०, तिरुवनंतपुरम	12.47	70.28	0.40	10.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.75
5	केरल एग्री० यूनि०, श्रीसूर	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
6	महात्मा गांधी यूनि०, श्रीसूर	0.00	26.89	0.00	12.00	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.69
7	श्री शंकराचार्य यूनि० ऑफ संस्कृत, कलाडी	0.00	7.55	0.00	0.80	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.95
	कुल	12.47	178.18	76.30	46.80	430.20	0.00	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	805.52
	समग्र योग	12.47	178.18	76.30	46.80	430.20	0.00	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	805.52
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	अवधेश प्रताप सिंह यूनि०, रीवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	0.00	0.00	6.44	0.40	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.64
3	नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट, भोपाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	एम.पी. भोज ओपन यूनि०, भोपाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	एम.जी. चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, भोपाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	देवी अहिल्या यूनि०, सागर	0.00	15.00	8.06	0.00	1.60	0.00	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	74.75
7	डॉ० हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर	0.00	7.19	5.85	0.00	6.10	0.00	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	41.38
8	जीवाजी यूनि०, ग्वालियर	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
9	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, भोपाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	0.00	0.89	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
11	विक्रम यूनि०, उज्जैन	0.00	3.35	1.84	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.99
12	राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	कुल	0.00	26.43	122.19	0.80	10.10	0.00	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00	231.85
	समग्र योग	0.00	26.43	122.19	0.80	10.10	0.00	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00	231.85
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
महाराष्ट्र		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	एस.जी.बी. अमरावती यूनि०, अमरावती	0.00	1.73	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.53
2	मुम्बई यूनि०, मुम्बई	8.61	20.03	212.94	1.20	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.78
3	डॉ० बी.आर. अम्बेडकर यूनि०, मराठवाडा, औरंगाबाद	0.00	5.10	3.92	1.60	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.42
4	डॉ० बाबा साहेब टैक० यूनि०, लोनियर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	आर.टी.एम. नागपुर यूनि०, नागपुर	0.00	0.00	22.85	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.85
6	नार्थ महाराष्ट्र यूनि०, जलगाँव	0.00	0.00	6.96	0.80	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.36
7	पुणे यूनि०, पुणे	14.83	66.25	0.92	4.00	15.40	0.00	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00	228.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	कोटा ओपन यूनि०, कोटा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	नेशनल लॉ यूनि०, जोधपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	0.00	147.93	10.36	3.60	10.40	0.00	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00	240.70
	समग्र योग	0.00	147.93	10.36	3.60	10.40	0.00	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00	240.70
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	अलगप्पा यूनि०, कराई कुडी	0.00	0.00	0.00	0.80	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2	अन्ना यूनि०, चेन्नई	0.00	0.00	67.60	0.40	6.00	0.00	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	139.55
3	अन्ना मलाई यूनि०, अन्ना मलाई नगर	0.00	0.56	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.48
4	भरथियार यूनि०, कोयम्बटूर	0.00	6.30	0.92	2.80	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.62
5	भारतीदासन यूनि०, तिरुचिरापल्ली	0.00	0.00	16.84	4.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.44
6	मद्रास यूनि०, चेन्नई	28.68	59.65	1.84	4.00	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.97
7	मदुराई कामराज यूनि०, मदुराई	4.59	1.12	43.00	4.00	36.40	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.11
8	मनोनमनीयम सुन्दरनार यूनि०, तिरुनेलवेल्ली	0.00	8.88	5.77	3.20	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.65
9	मदर टेरेसा वीमेन्स यूनि०, कोडाईकनाल	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
10	तमिल यूनि०, थंजवुर	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
11	तमिलनाडु एग्री० यूनि०, कोयम्बटूर	0.00	0.00	10.36	1.20	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.16
12	पेरियार यूनि०, सेलम	0.00	2.71	0.00	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.11
13	श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, काँचीपुरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	33.27	84.32	177.25	21.20	195.60	0.00	90.55	0.00	0.00	0.00	0.00	602.19
	समग्र योग	33.27	84.32	177.25	21.20	195.60	0.00	90.55	0.00	0.00	0.00	0.00	602.19
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
त्रिपुरा		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	त्रिपुरा यूनि०, अगरतला	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	बुन्देलखण्ड यूनि०, झाँसी	0.00	0.00	2.42	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02
2	चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	12.85	24.94	11.96	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.15
3	डॉ० राम मोहर लोहिया अक्व यूनि०, फैजाबाद	0.00	4.14	0.00	0.80	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.14
4	डॉ० भीमराव अम्बेडकर यूनि०, आगरा	4.00	24.82	0.00	0.40	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.02
5	डी.डी.यू. गोरखपुर यूनि०, गोरखपुर	5.85	12.25	0.92	0.40	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.62
6	छत्रपति शाहू जी महाराज यूनि०, कानपुर	0.00	0.00	0.92	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.32
7	जगद्गुरु राममद्राचार्य हैण्डीकण्ड यूनि०	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

वर्ष 2008-09 के दौरान कॉलेजों को प्रदान किए गए अनुदान दर्शाने वाला विवरण (प्रमुख शीर्षवार) गैर-योजनागत

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय / संस्थान / समविश्वविद्यालय	शोध वैज्ञानिक	शोध अध्येता-वृत्तियाँ / शिक्षावृत्ति	अध्येतावृत्ति / इंजी० एवं टैक० शिक्षावृत्ति	स्नातकोत्तर शिक्षावृत्ति जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है।	इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर शिक्षावृत्ति एकल बालिका शिशु के लिए	ई.एम.एम. आर.सी. एवं सी.ई.सी. 4	दिल्ली कॉलेजों के लिए संघटित अनुदान	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयों कॉलेजों के लिए संघटित अनुदान	केंद्रीय विश्वविद्यालयों को संघटित अनुदान	कुल
		02 (i)	02 (ii) to 02 (iv)	02 (v) to 02 (vii)	02(viii)	02 (ix)		08 (i)	08 (ii)	09 (iii)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
केन्द्रीय विश्वविद्यालय											
1	बी.एच.यू. वाराणसी	0							800.00		800.00
2	दिल्ली यूनि०, दिल्ली	12.49	23.99	0.92	0.40	0.20		60594.55		4783.30	65415.85
3	एन.ई.एच.यू. (नेह्रू)			13.80							13.80
कुल		12.49	23.99	14.72	0.40	0.20	0	60594.55	800.00	4783.30	66229.65
राज्य विश्वविद्यालय											
आन्ध्र प्रदेश											
1	आन्धा यूनि०					0.40					0.40
2	ओस्मानिया यूनि०		1.59								1.59
	कुल	0	1.59	0	0	0.40	0	0	0	0	1.99
बिहार											
1	मगध यूनि०			0.92							0.92
2	बाबा साहेब बी.आर.ए. यूनि०, मुजफरपुर		1.17								1.17
	कुल	0	1.17	0.92	0	0	0	0	0	0	2.09
छत्तीसगढ़											
1	गुरू घासीदास यूनि०, बिलासपुर		6.23								6.23
2	पं० रविशंकर शुक्ला यूनि०, रायपुर		2.04								2.04
	कुल	0	8.27	0	0	0	0	0	0	0	8.27
गुजरात											
1	भावनगर यूनि०		1.42								1.42
2	गुजरात यूनि०			0.92							0.92
3	सौराष्ट्र यूनि०		9.65								9.65
	कुल	0	11.07	0.92	0	0	0	0	0	0	11.99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
झारखण्ड											
1	राँची यूनिवर्सिटी, राँची					0.40					0.40
	कुल	0	0	0	0	0.40	0	0	0	0	0.40
कर्नाटक											
1	मंगलोर यूनि०, मंगलोर			0.92							0.92
2	विश्वेश्वरैया टैक० यूनि०			1.50							1.50
3	बंगलोर यूनि०					0.20					0.20
4	कर्नाटक यूनि०			0.92							0.92
	कुल	0	0	3.34	0	0.20	0	0	0	0	3.54
केरल											
1	महात्मा गांधी यूनि०		4.55								4.55
	कुल	0	4.55	0	0	0	0	0	0	0	4.55
मध्य प्रदेश											
1	ए.पी.एस. यूनि०		5.09								5.09
2	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	4.33	0								4.33
3	जीवाजी यूनि०	0	3.33	3.00							6.33
	कुल	4.33	8.42	3.00	0	0	0	0	0	0	15.75
महाराष्ट्र											
1	मुम्बई युनि०, मुम्बई		7.81	3.75							11.56
2	नार्थ महाराष्ट्र यूनि०, जलगाँव		5.1								5.10
3	पुणे यूनि०, पुणे		13.86	0.92							14.78
4	आर.टी.एम. नागपुर यूनि०		3.51								3.51
5	एस.जी.बी. अमरावती यूनि०		2.17								2.17
	कुल	0	32.45	4.67	0	0	0	0	0	0	37.12
उड़ीसा											
1	बेरहामपुर युनि०				0.40						0.40
	कुल	0	0	0	0.40	0	0	0	0	0	0.40
पंजाब											
1	गुरु नानकदेव यूनि०, अमृतसर		1.57								1.57
	कुल	0	1.57	0	0	0	0	0	0	0	1.57
राजस्थान											
1	राजस्थान यूनि० जयपुर		21.67								21.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	एम.डी. सरस्वती यूनि०, अजमेर		10.24	2.76							13.00
3	कोटा यूनि०, कोटा		3.60								3.60
4	बीकानेर यूनि०		13.47								13.47
	कुल	0	48.98	2.76	0	0	0	0	0	0	51.74
तमिलनाडू											
1	भारतीदासन यूनि०		6.25	3.68	0.20	0.40					10.53
2	मद्रास यूनि०		26.35	6.44							32.79
3	मनोनमनीयम सुन्दरनार यूनि०, तिरुनेवेल्ली		1.76			0.40					2.16
4	डॉ० एम.जी.आर. मेडिकल यूनि०		1.73								1.73
5	मदुराई कामराज यूनि०		1.83	0.92	0.40						3.15
	कुल	0	37.92	11.04	0.60	0.80	0	0	0	0	50.36
उत्तर प्रदेश											
1	बुन्देलखण्ड यूनि०, झाँसी	0	10.23								10.23
2	चौ० चरण सिंह यूनि०, मेरठ	3.75	46.36	2.13							52.24
3	डॉ० आर.एम.एल. अवध यूनि०	0	3.19								3.19
4	डॉ० बी.आर. अम्बेडकर, आगरा	6.67	7.71								14.38
5	छत्रपति शाहू जी महाराज, कानपुर यूनि०, कानपुर	0	13.70								13.70
6	वी.बी.एस. पूर्वांचल यूनि०, जौनपुर	0	14.03								14.03
7	डी.डी.यू. गोरखपुर यूनि०			1.38							1.38
8	एम.जे.पी. रुहेलखण्ड यूनि०, बरेली	0	9.90	2.24							12.14
	कुल	10.42	105.12	5.75	0	0	0	0	0	0	121.29
उत्तरांचल											
1	कुमाऊँ यूनि०		2.89								2.89
2	एच.एन.बी. गढ़वाल यूनि०		5.50								5.50
	कुल	0	8.39	0	0	0	0	0	0	0	8.39
पश्चिम बंगाल											
1	कलकटा यूनि०, कोलकाता		6.79	1.09			107.03				114.91
	कुल	0	6.79	1.09	0	0	107.03	0	0	0	114.91
	समग्र योग	27.24	300.28	48.21	1.40	2.00	107.03	60594.55	800.00	4783.3	66664.01

परिशिष्ट – XVIII (जारी)
सारांश (गैर-योजनागत) 2008-09

विवरण	अनुसंधान वैज्ञानिक	पोस्ट डाक्टोरल अध्येतावृत्ति अब/अनब/ थ्री/फ्लैण्डर/ आरएजेएफ.	अध्येतावृत्ति इंजिनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी/ पी.जी. स्कॉलर	पी.जी. स्कॉलर होल्डर्स के लिए	एकल बालिका शिशु के लिए इंदिरा गांधी अध्येतावृत्ति	गैर-विश्व विद्यालय संस्थानों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति	ईएमएम आरसी एवं सी.ई.सी.	अंतर- विश्व- विद्यालय केन्द्र	विशिष्ट उद्देश्यों के लिए संघटित अनुदान	सम विश्व विद्यालयों के लिए संघटित अनुदान	दिल्ली कॉलेजों के लिए संघटित अनुदान	बी.एच.यू. कॉलेजों के लिए संघटित अनुदान	तमिलनाडु में सुनामी प्रभावित कॉलेजों में	केन्द्रीय विश्व विद्यालयों को संघटित अनुदान	कुल
	02 (i)	02 (ii) to 02 (iv)	02(v) to 02 (viii)	02 (viii)	02 (ix)	3	4	5	6	7	8 (i)	8 (ii)	8 (iii)	9	
विश्वविद्यालय															
केन्द्रीय वि०	231.07	2095.23	517.98	51.00	99.60	0.00	237.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174797.70	178029.82
समाविश्वविद्यालय	20.25	168.60	271.73	7.80	35.40	0.00	0.00	0.00	466.18	13290.65	0.00	0.00		0.00	14260.61
अंतर वि० केन्द्र	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	417.48	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4422.77
राज्य वि०	202.86	2514.78	1349.30	197.76	1189.85	0.00	863.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6318.52
राष्ट्रीय महत्व के संस्थान	0.00	0.00	3.92	1.60	0.00	2286.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2292.47
कुल वि०	454.18	4783.90	2142.93	258.16	1324.85	2286.95	1518.69	4000.00	466.18	13290.65	0.00	0.00		174797.70	205324.19
कॉलेज															
दिल्ली कॉलेज	12.49	23.99	0.92	0.40	0.20	0	0	0	0	0	60594.55	0		4783.30	65415.85
बी.एच.यू. कॉलेज	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.00		0	800.00
केन्द्रीय वि०	0	0	13.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	13.80
राज्य कॉलेज	14.75	276.29	33.49	1.00	1.80	0	107.03	0	0	0	0	0	299.72	0	734.08
कुल कॉलेज	27.24	300.28	48.21	1.4	2	0	107.03	0	0	0	60594.55	800	299.72	4783.3	64963.73
समग्र योग (विश्वविद्यालय एवं कॉलेज)	481.42	5084.18	2191.14	259.56	1326.85	2286.95	1625.72	4000.00	466.18	13290.65	60594.55	800.00	299.72	179581.00	272287.92
विश्वविद्यालयेतर			8.28												8.28
स्थापना के माध्यम से															0.00
क्षेत्रीय केन्द्र															0.00
समग्र योग	481.42	5084.18	2199.42	259.56	1326.85	2286.95	1625.72	4000.00	466.18	13290.65	60594.55	800.00	299.72	179581.00	272296.20

(रूपये लाख में)

वर्ष 2008-09 के दौरान सामान्य योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों को दिए गए अनुदानों का विवरण

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्र-1	क्षेत्र-2	क्षेत्र-3	क्षेत्र-4	क्षेत्र-5	क्षेत्र-6	क्षेत्र-7	क्षेत्र-8	क्षेत्र-9	कुल क्षेत्र 1 से 9 तक
केन्द्रीय विश्वविद्यालय												
1	अलीगढ़ मुस्लिम यूनि०, अलीगढ़	मु.का.	3565.92	10.31	194.71	139.41	19.21	0.00	0.00	0.00	30.00	3959.56
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	इलाहाबाद यूनि०, इलाहाबाद	मु.का.	4188.54	2.16	338.02	63.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4592.13
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	असम यूनि०, सिलचर	मु.का.	2808.52	0.00	46.20	20.33	10.80	32.00	0.00	0.00	0.00	2917.85
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	बनारस हिन्दू यूनि०, वाराणसी	मु.का.	20096.44	0.00	242.53	202.96	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	20561.28
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	दिल्ली यूनि०, दिल्ली	मु.का.	49664.77	8.82	207.12	148.97	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	50080.67
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	डॉ० भीम राव अभेंडकर यूनि०, लखनऊ	मु.का.	1163.00	0.00	1.30	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1176.73
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	हैदराबाद वि०, हैदराबाद	मु.का.	9347.74	0.00	182.27	27.26	11.23	0.00	9.76	0.00	25.00	9603.26
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त वि०, नई दिल्ली	मु.का.	0.00	0.00	0.72	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	मु.का.	4913.96	11.81	100.32	153.22	40.74	0.00	19.43	0.00	0.00	5239.48
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	जवाहर लाल नेहरू यूनि०, नई दिल्ली	मु.का.	9006.54	9.53	152.41	112.18	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9357.16
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, वर्धा (एमएस)	मु.का.	1275.25	0.00	2.00	1.63	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1281.23
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	मणिपुर यूनि०, मणिपुर	मु.का.	2321.23	0.00	89.60	30.43	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2461.91
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	मौलाना आजाद उर्दू नेशनल यूनि०, हैदराबाद	मु.का.	4516.08	0.00	73.99	49.47	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4643.80
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	मिजोरम यूनि०, मिजोरम	मु.का.	4014.13	0.00	91.00	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4118.54
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	नार्थ ईस्टर्न हिल यूनि०, शिलांग	मु.का.	5335.59	4.60	653.37	31.38	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6032.28
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	नागालैण्ड यूनि०, कोहिमा	मु.का.	0.00	0.00	5.73	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.82
		क्षे.का.	0.00									

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्र-1	क्षेत्र-2	क्षेत्र-3	क्षेत्र-4	क्षेत्र-5	क्षेत्र-6	क्षेत्र-7	क्षेत्र-8	क्षेत्र-9	कुल क्षेत्र 1 से 9 तक
19	सिक्किम यूनि०, गंगटोक	मु.का.	2658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2658.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	तेजपुर यूनि०, तेजपुर	मु.का.	6326.90	4.60	64.52	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92	6415.81
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	त्रिपुरा यूनि०, अगरतला	मु.का.	833.80	0.00	0.00	8.71	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844.51
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज यूनि०, हैदराबाद	मु.का.	1953.31	0.00	16.40	2.46	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1979.17
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	विश्वभारती शांतिनिकेतन	मु.का.	4599.81	0.00	47.05	73.49	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4720.85
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	एच.एन.बी. गढ़वाल यूनि०, श्रीनगर	मु.का.	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	गुरु घासीदास यूनि०	मु.का.	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	डॉ० एच.एस. गौर वि०, सागर	मु.का.	300.00	0.00	0.00	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.77
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	सेंट्रल यूनि० ऑफ हरियाणा	मु.का.	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	सेंट्रल यूनि० ऑफ उड़ीसा	मु.का.	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	सेंट्रल यूनि० ऑफ तमिलनाडू	मु.का.	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	सेंट्रल यूनि० ऑफ झारखण्ड	मु.का.	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	सेंट्रल यूनि० ऑफ बिहार	मु.का.	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	सेंट्रल यूनि० ऑफ केरल	मु.का.	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	सेंट्रल यूनि० ऑफ कर्नाटक	मु.का.	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	सेंट्रल यूनि० ऑफ पंजाब	मु.का.	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	सेंट्रल यूनि० ऑफ जम्मू एवं काश्मीर	मु.का.	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	सेंट्रल यूनि० ऑफ राजस्थान	मु.का.	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	सेंट्रल यूनि० ऑफ गुजरात	मु.का.	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	इंदिरा नेशनल ट्राई यूनि०, अमरकंटक	मु.का.	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	मु.का.	147440.18	51.83	2675.27	1200.70	284.13	32.00	29.19	0.00	56.92	151770.22
	कुल	क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		147440.18	51.83	2675.27	1200.70	284.13	32.00	29.19	0.00	56.92	151770.22

[illegible]

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्र-1	क्षेत्र-2	क्षेत्र-3	क्षेत्र-4	क्षेत्र-5	क्षेत्र-6	क्षेत्र-7	क्षेत्र-8	क्षेत्र-9	कुल क्षेत्र 1 से 9 तक
43	एस.एस.एस.आइ. ऑफ़ एम.एल.पी.एम. अनन्तापुर, आंध्र प्रदेश	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे	मु.का.	100.00	0.00	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.10
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	थापर इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंजीनियरिंग एण्ड टैक0, पटियाला	मु.का.	159.04	0.00	0.00	7.59	0.00	38.40	25.21	0.00	13.65	243.89
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	रामाकृष्णा मिशन विवेकानन्द एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हावड़ा	मु.का.	293.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.26
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ़ टैक0, वेल्लोर, तमिलनाडू	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
48	विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ टैक0, नागपुर	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली	मु.का.	300.00	0.00	1.48	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.64
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	इंस्टीट्यूट ऑफ़ केमिकल टैक0, मुम्बई	मु.का.	162.12	0.00	43.30	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.86
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	जे.आर.एन. राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर	मु.का.	0.00	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	सिम्ब्योसिस इंटरनेशनल यूनि0, पुणे	मु.का.	0.00	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	श्री रामचन्द्रा मेडिकल कॉलेज, चेन्नई	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	बलवन्त विद्यापीठ रूरल इंस्टीट्यूट, आगरा	मु.का.	0.00	0.00	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडस्ट्रीयल टैक0, भुवनेश्वर	मु.का.	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ टैक0, त्रिचि	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
57	सेंट्रल फूड टैक0 रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेन्नई (सी.एफ.टी.आर.आई.)	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
	कुल	क्षे.का.	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
	समग्र योग		11533.31	50.99	626.47	466.43	130.16	66.40	122.31	0.00	132.04	1

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्र-1	क्षेत्र-2	क्षेत्र-3	क्षेत्र-4	क्षेत्र-5	क्षेत्र-6	क्षेत्र-7	क्षेत्र-8	क्षेत्र-9	कुल क्षेत्र 1 से 9 तक
3	गोहाटी यूनि०, गुवाहाटी	मु.का.	1289.34	3.16	158.12	55.16	20.48	0.00	0.00	0.00	40.50	1566.76
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	मु.का.	1578.33	3.16	200.26	96.83	20.48	0.00	40.27	0.00	40.50	1979.83
	कुल	क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		1578.33	3.16	200.26	96.83	20.48	0.00	40.27	0.00	40.50	1979.83
बिहार												
1	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनि०, मुजफ्फरपुर	मु.का.	177.18	0.00	52.89	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.04
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	बी.एन. मण्डल यूनि०, मधेपुरा	मु.का.	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.60
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	मु.का.	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	के.एस. दरभंगा संस्कृत यूनि०, दरभंगा	मु.का.	122.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.37
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	एल.एन. मिथिला यूनि०, दरभंगा	मु.का.	190.80	0.00	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.92
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	पटना यूनि०, पटना	मु.का.	181.50	0.00	115.94	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.07
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	मगध यूनि०, बोध गया	मु.का.	185.43	0.00	6.46	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.50
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	टी.एम. भागलपुर यूनि०, भागलपुर	मु.का.	196.80	0.00	0.00	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.93
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	वीर कुँअर सिंह यूनि०, आरा	मु.का.	106.80	0.00	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	174.99
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	मु.का.	1344.48	0.00	175.29	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	1631.42
	कुल	क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		1344.48	0.00	175.29	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	1631.42
छत्तीसगढ़												
1	गुरु घासीदास यूनि०, बिलासपुर	मु.का.	192.52	0.00	90.00	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.79
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनि०	मु.का.	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00	66.80
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	मु.का.	135.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, रायपुर	मु.का.	0.00	0.00	13.80	3.00	9.77	0.00	0.00	0.00	159.84	186.41
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	पं० रविशंकर शुक्ला यूनि०, रायपुर	मु.का.	213.32	2.16	53.08	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.79
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	मु.का.	582.84	2.16	161.88	34.50	9.77	24.80	0.00	0.00	159.84	975.79
	कुल	क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		582.84	2.16	161.88	34.50	9.77	24.80	0.00	0.00	159.84	975.79

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्र-1	क्षेत्र-2	क्षेत्र-3	क्षेत्र-4	क्षेत्र-5	क्षेत्र-6	क्षेत्र-7	क्षेत्र-8	क्षेत्र-9	कुल क्षेत्र 1 से 9 तक
दिल्ली												
1	गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्था यूनि०, नई दिल्ली	मु.का.	135.00	0.00	0.00	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.08
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल कुल	मु.का.	135.00	0.00	0.00	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.08
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
समग्र योग			135.00	0.00	0.00	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.08
गुजरात												
1	भावनगर यूनि०, भावनगर	मु.का.	205.02	0.00	0.00	6.51	3.81	0.12	0.00	0.00	0.00	215.46
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	गुजरात यूनि०, अहमदाबाद	मु.का.	261.18	0.00	52.16	25.68	1.27	0.00	0.00	0.00	89.25	429.54
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	एम.एस. यूनि० ऑफ बड़ौदा, वडोदरा (कच्छ)	मु.का.	635.54	5.00	106.71	46.98	8.45	0.00	0.00	0.00	28.16	830.84
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	नार्थ गुजरात यूनि०, पाटन	मु.का.	143.85	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	21.81	0.00	0.00	166.21
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	सरदार पटेल यूनि०, वल्लभ विद्यानगर, वाया आनन्द	मु.का.	353.90	13.53	127.27	66.43	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	568.63
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	सौराष्ट्र यूनि०, राजकोट	मु.का.	328.36	0.00	52.00	25.96	3.60	0.00	0.00	0.00	12.43	422.35
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	साउथ गुजरात यूनि०, सूरत	मु.का.	257.40	0.00	3.13	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90	305.11
		क्षे.का.	0.00						0.00			0.00
	कुल कुल	मु.का.	2185.25	18.53	341.27	173.79	24.63	0.12	21.81	0.00	172.74	2938.14
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
समग्र योग			2185.25	18.53	341.27	173.79	24.63	0.12	21.81	0.00	172.74	2938.14
गोवा												
1	गोवा यूनिवर्सिटी, गोवा	मु.का.	280.32	0.00	162.67	9.74	2.95	0.00	0.00	0.00	40.50	496.18
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल कुल	मु.का.	280.32	0.00	162.67	9.74	2.95	0.00	0.00	0.00	40.50	496.18
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
समग्र योग			280.32	0.00	162.67	9.74	2.95	0.00	0.00	0.00	40.50	496.18
हरियाणा												
1	चौ० चरण सिंह हरियाणा एग्री० यूनि०, हिसार	मु.का.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	कुरुक्षेत्र यूनि०, कुरुक्षेत्र	मु.का.	228.00	7.07	123.41	54.79	2.85	0.00	0.00	0.00	0.12	416.24
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	महर्षि दयानन्द यूनि०, रोहतक	मु.का.	259.92	0.00	23.03	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	349.75
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	गुरु जम्भेश्वर यूनि०, हिसार	मु.का.	143.00	0.00	229.37	45.86	0.10	0.00	0.00	0.00	10.00	428.33
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, सोनीपत	मु.का.	240.00	0.00	90.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	374.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्र-1	क्षेत्र-2	क्षेत्र-3	क्षेत्र-4	क्षेत्र-5	क्षेत्र-6	क्षेत्र-7	क्षेत्र-8	क्षेत्र-9	कुल क्षेत्र 1 से 9 तक
3	नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट, भोपाल	मु.का.	129.00	0.00	16.20	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	43.91	217.11
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	एम.पी. भोज ओपन यूनि०, भोपाल	मु.का.	0.00	0.00	2.09	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.85
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	एम.जी. चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, भोपाल	मु.का.	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	देवी अहिल्या यूनि०, सागर	मु.का.	217.82	0.00	84.13	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.66
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	डॉ० हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर	मु.का.	289.02	0.00	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.79	377.01
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	जीवाजी यूनि०, ग्वालियर	मु.का.	209.00	0.00	4.10	35.00	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	254.73
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, भोपाल	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	मु.का.	255.70	0.00	63.32	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.60	377.82
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	विक्रम यूनि०, उज्जैन	मु.का.	246.00	0.00	4.37	8.65	2.35	0.00	0.00	0.00	34.50	295.87
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	मु.का.	1917.64	17.85	297.90	104.07	8.98	28.00	0.00	0.00	138.80	2513.24
	कुल	क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
समग्र योग			1917.64	17.85	297.90	104.07	8.98	28.00	0.00	0.00	138.80	2513.24
महाराष्ट्र												
1	एस.जी.बी. अमरावती यूनि०, अमरावती	मु.का.	191.62	0.00	91.00	30.98	6.62	0.00	0.00	0.00	10.66	330.88
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	मुम्बई यूनि०, मुम्बई	मु.का.	3082.12	0.00	404.27	20.57	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3533.69
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	डॉ० बी.आर. अम्बेडकर यूनि०, मराठवाड़ा, औरंगाबाद	मु.का.	230.08	0.00	72.33	102.49	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	407.25
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	डॉ० बाबा साहेब टैक० यूनि०, लोनियर	मु.का.	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	आर.टी.एम. नागपुर यूनि०, नागपुर	मु.का.	341.93	0.00	72.88	15.98	5.38	33.60	0.00	0.00	0.00	469.77
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	नार्थ महाराष्ट्र यूनि०, जलगाँव	मु.का.	240.84	0.00	3.91	51.48	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.23
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	पुणे यूनि०, पुणे	मु.का.	295.86	0.00	101.26	54.89	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	460.65
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	एस.एन.डी.टी. वीमेन यूनि०, मुम्बई	मु.का.	325.77	24.69	2.29	6.85	36.30	0.00	0.00	0.00	0.10	396.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	शिवाजी यूनि०, कोल्हापुर	मु.का.	353.28	20.27	17.46	86.53	17.83	0.00	0.00	0.00	0.14	495.51
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	स्वामी आर.टी.एम. यूनि०, नांदेड़	मु.का.	302.52	0.00	0.00	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.12
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्र-1	क्षेत्र-2	क्षेत्र-3	क्षेत्र-4	क्षेत्र-5	क्षेत्र-6	क्षेत्र-7	क्षेत्र-8	क्षेत्र-9	कुल क्षेत्र 1 से 9 तक
3	मोहनलाल सुखाड़िया यूनि०, उदयपुर	मु.का.	200.50	7.51	122.71	24.37	2.00	0.71	0.00	0.00	47.00	404.80
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	महर्षि दयानन्द सरस्वती यूनि०, अजमेर	मु.का.	168.00	0.00	51.97	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31	233.92
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	राजस्थान यूनि०, जयपुर	मु.का.	272.32	0.00	127.67	201.14	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.13
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	राजस्थान एग्री० यूनि०, बीकानेर	मु.का.	0.00	0.00	1.99	23.41	8.20	0.00	0.00	0.00	20.07	53.67
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	कोटा ओपन यूनि०, कोटा	मु.का.	0.00	0.00	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.27
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	नेशनल लॉ यूनि०, जोधपुर	मु.का.	0.00	0.00	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	मु.का.	910.64	7.51	372.34	313.15	47.05	0.71	0.00	0.00	70.68	1722.08
	कुल	क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		910.64	7.51	372.34	313.15	47.05	0.71	0.00	0.00	70.68	1722.08
तमिलनाडू												
1	अलगप्पा यूनि०, कराई कुडी	मु.का.	254.62	11.06	2.70	75.34	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	352.59
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2	अन्ना यूनि०, चेन्नई	मु.का.	652.74	6.76	151.49	50.82	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	862.31
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
3	अन्ना मलाई यूनि०, अन्ना मलाई नगर	मु.का.	503.81	0.00	134.12	168.30	9.26	28.00	0.00	0.00	32.65	876.14
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	भरथियार यूनि०, कोयम्बटूर	मु.का.	212.58	3.11	58.98	122.52	11.63	0.00	0.00	0.00	1.00	409.82
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
5	भारतीदासन यूनि०, तिरुचिरापल्ली	मु.का.	264.02	16.56	98.18	113.88	14.00	0.00	0.00	0.00	4.78	511.42
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
6	मद्रास यूनि०, चेन्नई	मु.का.	2501.16	0.00	111.09	112.19	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2742.50
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
7	मदुराई कामराज यूनि०, मदुराई	मु.का.	404.92	0.00	1122.22	53.11	0.00	38.40	0.00	0.00	0.50	1619.15
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
8	मनोनमनीयम सुन्दरनार यूनि०, तिरुनेलवेल्ली	मु.का.	231.57	0.00	8.05	64.81	30.30	0.00	0.00	0.00	53.50	388.23
		क्षे.का.	0.00	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
9	मदर टेरेसा वोमेन्स यूनि०, कोडाईकनाल	मु.का.	170.76	0.00	0.00	2.96	8.00	0.00	0.00	0.00	73.13	254.85
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	तमिल यूनि०, थंजावुर	मु.का.	135.00	0.00	0.00	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	160.52
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
11	तमिलनाडू एग्री० यूनि०, कोयम्बटूर	मु.का.	0.00	0.00	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.36
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	पेरियार यूनि०, सेलम	मु.का.	58.00	0.00	0.00	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.97
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, काँचीपुरम	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्र-1	क्षेत्र-2	क्षेत्र-3	क्षेत्र-4	क्षेत्र-5	क्षेत्र-6	क्षेत्र-7	क्षेत्र-8	क्षेत्र-9	कुल क्षेत्र 1 से 9 तक
3	जी.बी.पंत एग्रीकल्चरल यूनि०, पंतनगर	मु.का.	0.00	4.60	0.00	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.29
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	मु.का.	589.50	4.60	84.01	114.15	18.80	0.00	0.00	0.00	31.05	842.11
	कुल	क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		589.50	4.60	84.01	114.15	18.80	0.00	0.00	0.00	31.05	842.11
पश्चिम बंगाल												
1	द वेस्ट बंगाल यूनि० ऑफ कोलकाता, कोलकाता	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	बंगाल इंजीनियरिंग एण्ड साइंस यूनि०,	मु.का.	235.00	0.00	24.00	7.22	0.00	0.00	4.36	0.00	42.80	313.38
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	बिधान चंद्रा कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	वर्द्धमान यूनि०, वर्द्धमान	मु.का.	307.67	0.00	116.16	32.62	11.55	0.00	0.00	0.00	9.94	477.94
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	कोलकाता यूनि०, कोलकाता	मु.का.	3122.00	13.38	639.22	95.33	33.04	0.00	25.75	0.00	0.00	3928.72
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	जादवपुर यूनि०, कोलकाता	मु.का.	988.10	6.48	250.44	103.69	70.34	0.00	22.58	0.00	13.37	1455.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	कल्याणी यूनि०, कल्याणी	मु.का.	212.20	0.00	16.88	35.13	6.50	0.00	0.00	0.00	29.54	300.25
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	नार्थ बंगाल यूनि०, दार्जिलिंग	मु.का.	314.01	12.17	143.20	22.29	27.41	32.00	0.00	0.00	42.62	593.70
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	रविन्द्र भारती यूनि०, कोलकाता	मु.का.	243.00	0.00	1.92	27.48	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.40
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	वेस्ट बंगाल यूनि० ऑफ एनीमल एण्ड फिशरीज साइंसिज, कोलकाता	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	विद्यासागर यूनि०, मिदनापुर, कोलकाता	मु.का.	203.24	0.00	52.30	19.05	0.50	2.31	0.00	0.00	30.69	308.09
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	वेस्ट बंगाल यूनि० ऑफ टैक०, कोलकाता	मु.का.	200.00	0.00	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.90
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	मु.का.	5825.22	32.03	1244.12	349.77	171.34	34.31	52.69	0.00	168.96	7878.44
	कुल	क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		5825.22	32.03	1244.12	349.77	171.34	34.31	52.69	0.00	168.96	7878.44
	समग्र योग	मु.का.	200488.40	384.01	16168.66	6739.03	1246.13	6251.52	266.27	0.00	1643.91	233187.93
	समग्र योग	क्षे.का.	0.00	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03
	कुल		200488.40	384.01	16173.69	6739.03	1246.13	6251.52	266.27	0.00	1643.91	233192.96

परिशिष्ट—XVIII (जारी)

वर्ष 2008-09 के दौरान (मुख्य शीर्षवार) सामान्य योजना के अन्तर्गत
विश्वविद्यालयों को प्रदत्त अनुदान : विवरण

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्र-1	क्षेत्र-2	क्षेत्र-3	क्षेत्र-4	क्षेत्र-5	क्षेत्र-6	क्षेत्र-7	क्षेत्र-8	क्षेत्र-9	कुल क्षेत्र 1 से 9 तक
केन्द्रीय विश्वविद्यालय												
1	अलीगढ़ मुस्लिम यूनि०, अलीगढ़	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	इलाहाबाद यूनि०, इलाहाबाद	मु.का.	105.06	0.00	35.73	16.54	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	159.06
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	असम यूनि०, सिलचर	मु.का.	0.00	0.00	25.00	7.61	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.61
		क्षे.का.	137.23	34.34	2.41	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.49
4	बनारस हिन्दू यूनि०, वाराणसी	मु.का.	23.72	0.00	1.23	10.11	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	35.16
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	दिल्ली यूनि०, दिल्ली	मु.का.	746.73	221.27	81.86	232.56	31.69	0.00	2.30	0.00	12.62	1329.03
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	डॉ० भीम राव अम्बेडकर यूनि०, लखनऊ	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	हैदराबाद वि०, हैदराबाद	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त वि०, नई दिल्ली	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	जवाहर लाल नेहरू यूनि०, नई दिल्ली	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी वि०, वर्या	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	मणिपुर यूनि०, मणिपुर	मु.का.	66.00	4.60	15.57	36.67	63.20	0.00	0.00	0.00	2.18	188.22
		क्षे.का.	339.13	157.78	2.72	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.92
13	मौलाना आजाद उर्दू नेशनल यूनि०, हैदराबाद	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	मिजोरम यूनि०, मिजोरम	मु.का.	0.00	4.60	0.00	2.55	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.15
		क्षे.का.	109.12	145.39	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.53
15	नार्थ इस्टर्न हिल यूनि०, शिलांग	मु.का.	66.00	4.60	30.00	1.98	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.58
		क्षे.का.	149.53	292.29	6.48	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.98
16	नागालैण्ड यूनि०, कोहिमा	मु.का.	20.00	0.00	0.00	12.79	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.79
		क्षे.का.	79.21	100.49	7.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.34
17	पाण्डिचेरी यूनि०, पाण्डिचेरी	मु.का.	0.00	0.00	2.48	32.49	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.97
		क्षे.का.	48.58	20.00	21.00	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.44
18	राजीव गांधी यूनि०, ईटानगर	मु.का.	0.00	0.00	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.28
		क्षे.का.	47.20	25.00	0.20	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.57

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्र-1	क्षेत्र-2	क्षेत्र-3	क्षेत्र-4	क्षेत्र-5	क्षेत्र-6	क्षेत्र-7	क्षेत्र-8	क्षेत्र-9	कुल क्षेत्र 1 से 9 तक
19	सिक्किम यूनि०, गंगटोक	मु.का.	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	तेजपुर यूनि०, तेजपुर	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	त्रिपुरा यूनि०, अगरतला	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
		क्षे.का.	116.54	0.00	0.00	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.76
22	इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज यूनि०, हैदराबाद	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	विश्वभारती शांतिनिकेतन	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	मु.का.	1027.51	235.07	192.26	363.00	213.72	0.00	2.30	0.00	14.80	2048.66
	कुल	क्षे.का.	1026.54	775.29	39.81	103.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1945.03
	समग्र योग		2054.05	1010.36	232.07	466.39	213.72	0.00	2.30	0.00	14.80	3993.69
राज्य विश्वविद्यालय												
आन्ध्र प्रदेश												
1	द्रविड़ यूनि०	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आन्ध्रा यूनि०, वाल्टेर	मु.का.	142.00	0.00	42.05	46.79	114.76	0.00	0.00	0.00	15.34	360.94
		क्षे.का.	191.29	388.47	172.37	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788.97
3	ए.एन.जी. रंगा एग्री० यूनि०, हैदराबाद	मु.का.	163.00	0.00	32.00	43.24	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.24
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	जवाहर लाल नेहरू टैक० यूनि०, हैदराबाद	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	काकतीया यूनि०, वारंगल	मु.का.	86.00	0.00	0.00	28.80	14.00	0.00	0.00	0.00	0.24	129.04
		क्षे.का.	95.30	202.40	0.08	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.74
6	आचार्य नागार्जुन यूनि०, गुंटूर	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	178.27	525.00	145.70	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889.27
7	नेशनल अकादमी ऑफ लीगल स्टडीज एण्ड रेजीडेन्सियल यूनि० ऑफ लॉ	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	ओस्मानिया यूनि०, हैदराबाद	मु.का.	272.00	2.16	43.11	81.40	30.52	0.00	0.00	0.00	4.33	433.52
		क्षे.का.	239.47	287.36	109.79	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.03
9	श्री कृष्णादेवरिया यूनि०, अनन्तापुर	मु.का.	30.00	0.00	50.00	26.43	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.43
		क्षे.का.	74.89	95.00	25.87	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.92
10	श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, तिरुपति	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	श्री वेंकटेश्वरा यूनि०, तिरुपति	मु.का.	72.00	0.00	9.72	28.01	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.73
		क्षे.का.	132.14	278.72	0.26	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.32
12	पोट्टी श्री रामलू तेलुगू यनि०, हैदराबाद	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	मु.का.	765.00	2.16	176.88	254.67	235.28	0.00	0.00	0.00	19.91	1453.90
	कुल	क्षे.का.	911.36	1776.95	454.07	169.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3312.25
	समग्र योग		1676.36	1779.11	630.95	424.54	235.28	0.00	0.00	0.00	19.91	4766.15

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्र-1	क्षेत्र-2	क्षेत्र-3	क्षेत्र-4	क्षेत्र-5	क्षेत्र-6	क्षेत्र-7	क्षेत्र-8	क्षेत्र-9	कुल क्षेत्र 1 से 9 तक
असम												
1	असम एग्रीकल्चरल यूनि०, जोरहट	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	डिब्रूगढ़ यूनि०, डिब्रूगढ़	मु.का.	0.00	13.80	11.76	46.83	194.93	0.00	0.00	0.00	5.74	273.06
		क्षे.का.	633.85	474.39	17.76	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1213.83
3	गौहाटी यूनि०, गुवाहाटी	मु.का.	0.00	6.76	63.46	47.39	181.03	0.00	0.00	0.00	2.96	301.60
		क्षे.का.	882.64	573.10	35.16	163.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1654.11
	कुल	मु.का.	0.00	20.56	75.22	94.22	375.96	0.00	0.00	0.00	8.70	574.66
	कुल	क्षे.का.	1516.49	1047.49	52.92	251.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2867.94
	समग्र योग		1516.49	1068.05	128.14	345.26	375.96	0.00	0.00	0.00	8.70	3442.60
बिहार												
1	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनि०, मुजफरपुर	मु.का.	0.00	0.00	0.00	8.81	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12.41
		क्षे.का.	339.14	225.04	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.44
2	बी.एन. मण्डल यूनि०, मधेपुरा	मु.का.	0.00	0.00	0.76	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.98
		क्षे.का.	179.94	272.31	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.79
3	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
		क्षे.का.	155.96	34.02	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.28
4	के.एस. दरभंगा संस्कृत यूनि०, दरभंगा	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	50.72	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.22
5	एल.एन. मिथिला यूनि०, दरभंगा	मु.का.	0.00	0.00	1.14	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	1.33	18.67
		क्षे.का.	340.69	473.36	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.96
6	पटना यूनि०, पटना	मु.का.	30.00	0.00	0.00	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.84
		क्षे.का.	45.64	0.00	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.86
7	मगध यूनि०, बोध गया	मु.का.	0.00	0.00	2.96	30.91	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.87
		क्षे.का.	411.72	351.72	0.04	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776.68
8	टी.एम. भागलपुर यूनि०, भागलपुर	मु.का.	0.00	0.00	0.60	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	7.60
		क्षे.का.	227.90	464.10	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693.40
9	वीर कुँअर सिंह यूनि०, आरा	मु.का.	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
		क्षे.का.	113.68	200.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.26
	कुल	मु.का.	30.00	0.00	5.46	75.24	37.80	0.00	0.00	0.00	1.37	149.87
	कुल	क्षे.का.	1865.39	2137.63	0.04	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4037.89
	समग्र योग		1895.39	2137.63	5.50	110.07	37.80	0.00	0.00	0.00	1.37	4187.76
छत्तीसगढ़												
1	गुरु घासीदास यूनि०, बिलासपुर	मु.का.	30.00	0.00	1.00	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.62
		क्षे.का.	387.43	70.19	46.45	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.59
2	हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनि०	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, रायपुर	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	31.16	12.75	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.94

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्र-1	क्षेत्र-2	क्षेत्र-3	क्षेत्र-4	क्षेत्र-5	क्षेत्र-6	क्षेत्र-7	क्षेत्र-8	क्षेत्र-9	कुल क्षेत्र 1 से 9 तक
5	पं० रविशंकर शुक्ला यूनि०, रायपुर	मु.का.	106.00	0.00	35.25	4.06	10.00	0.00	0.00	0.00	6.44	161.75
		क्षे.का.	496.13	194.96	56.67	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776.18
	कुल	मु.का.	136.00	0.00	36.25	12.68	10.00	0.00	0.00	0.00	6.44	201.37
	कुल	क्षे.का.	914.72	277.90	103.12	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1353.71
	समग्र योग		1050.72	277.90	139.37	70.65	10.00	0.00	0.00	0.00	6.44	1555.08
दिल्ली												
1	गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्था यूनि०, नई दिल्ली	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात												
1	भावनगर यूनि०, भावनगर	मु.का.	20.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
		क्षे.का.	84.56	0.00	9.46	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.09
2	गुजरात यूनि०, अहमदाबाद	मु.का.	66.00	0.00	35.19	8.53	7.00	0.00	0.00	0.00	0.50	117.22
		क्षे.का.	744.85	104.73	0.01	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.19
3	एम.एस. यूनि० ऑफ बड़ौदा, वडोदरा (कच्छ)	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	नार्थ गुजरात यूनि०, पाटन	मु.का.	0.00	0.00	0.54	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.54
		क्षे.का.	489.28	218.90	2.71	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.29
5	सरदार पटेल यूनि०, वल्लभ विद्यानगर, वाया आनन्द	मु.का.	0.00	0.00	0.61	32.34	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	33.75
		क्षे.का.	66.03	0.00	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.63
6	सौराष्ट्र यूनि०, राजकोट	मु.का.	0.00	0.00	43.90	4.98	50.00	0.00	0.00	0.00	1.92	100.80
		क्षे.का.	615.98	205.00	0.15	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.08
7	कच्छ यूनिवर्सिटी	मु.का.										0.00
		क्षे.का.	42.67	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.45
8	साउथ गुजरात यूनि०, सूरत	मु.का.	0.00	0.00	1.24	8.66	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.90
		क्षे.का.	403.93	213.72	0.54	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.50
	कुल	मु.का.	86.00	0.00	81.48	54.51	90.80	0.00	0.00	0.00	2.42	315.21
	कुल	क्षे.का.	2447.30	742.35	12.87	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3267.23
	समग्र योग		2533.30	742.35	94.35	119.22	90.80	0.00	0.00	0.00	2.42	3582.44
गोवा												
1	गोवा यूनिवर्सिटी, गोवा	मु.का.	42.00	0.00	1.86	3.19	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	62.25
		क्षे.का.	125.76	0.00	11.40	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.70
	कुल	मु.का.	42.00	0.00	1.86	3.19	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	62.25
	कुल	क्षे.का.	125.76	0.00	11.40	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.70
	समग्र योग		167.76	0.00	13.26	20.73	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	216.95
हरियाणा												
1	चौ० देवी लाल यूनिवर्सिटी	मु.का.	132.85	64.00	0.14	2.84	28.00	0.00	0.00	0.00	2.50	230.33
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	कुरुक्षेत्र यूनि०, कुरुक्षेत्र	मु.का.	368.60	172.10	36.30	36.57	93.62	0.00	0.00	0.00	3.31	710.50
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्र-1	क्षेत्र-2	क्षेत्र-3	क्षेत्र-4	क्षेत्र-5	क्षेत्र-6	क्षेत्र-7	क्षेत्र-8	क्षेत्र-9	कुल क्षेत्र 1 से 9 तक
3	महर्षि दयानन्द यूनि०, रोहतक	मु.का.	297.35	14.60	4.18	20.04	21.00	0.00	0.00	0.00	1.11	358.28
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	गुरु जम्भेश्वर यूनि०, हिसार	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	मु.का.	798.80	250.70	40.62	59.45	142.62	0.00	0.00	0.00	6.92	1299.11
	कुल	क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		798.80	250.70	40.62	59.45	142.62	0.00	0.00	0.00	6.92	1299.11
हिमाचल प्रदेश												
1	हिमाचल प्रदेश यूनि०, शिमला	मु.का.	222.14	10.00	2.72	2.99	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	272.97
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आई.आई.टी. एडवांस्ड स्टडीज, शिमला	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	मु.का.	222.14	10.00	2.72	2.99	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	272.97
	कुल	क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		222.14	10.00	2.72	2.99	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	272.97
जम्मू एवं काश्मीर												
1	जम्मू यूनि०, जम्मू	मु.का.	886.72	28.20	0.00	4.11	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921.03
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	कश्मीर यूनि०, कश्मीर	मु.का.	1031.88	17.36	0.10	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1071.23
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	शेरे कश्मीर यूनि० ऑफ एग्री० साइंस एण्ड टैक०, श्रीनगर	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	मु.का.	1918.60	45.56	0.10	26.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1992.26
	कुल	क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		1918.60	45.56	0.10	26.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1992.26
झारखण्ड												
1	राँची यूनि०, राँची	मु.का.	96.00	0.00	31.88	31.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	203.48
		क्षे.का.	318.03	50.00	6.78	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.40
2	सिद्धू कान्हू मूरुमू यूनि०, दुमका	मु.का.										0.00
		क्षे.का.	49.90	90.00	0.00	0.00						139.90
3	विनोबा भावे यूनि०, हजारीबाग	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	1.92	39.92
		क्षे.का.	198.70	174.15	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.17
	कुल	मु.का.	96.00	0.00	31.88	31.80	81.80	0.00	0.00	0.00	1.92	243.40
	कुल	क्षे.का.	566.63	314.15	6.78	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.47
	समग्र योग		662.63	314.15	38.66	39.71	81.80	0.00	0.00	0.00	1.92	1138.87

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्र-1	क्षेत्र-2	क्षेत्र-3	क्षेत्र-4	क्षेत्र-5	क्षेत्र-6	क्षेत्र-7	क्षेत्र-8	क्षेत्र-9	कुल क्षेत्र 1 से 9 तक
3	कर्नाटक यूनि०, धारवाड़	मु.का.	52.00	13.52	35.89	51.67	127.48	0.00	0.00	0.00	2.75	283.31
		क्षे.का.	867.62	988.62	47.61	133.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2037.10
4	कर्नाटक स्टेट वीमेन्स यूनि०, बीजापुर	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	कुवेमु यूनि०, शिमोगा	मु.का.	40.00	0.00	1.09	19.37	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.46
		क्षे.का.	293.86	256.25	41.62	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.51
6	मंगलोर यूनि०, मंगलौर	मु.का.	132.00	0.00	38.14	6.72	116.64	0.00	0.00	0.00	2.66	296.16
		क्षे.का.	349.45	235.95	84.06	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.97
7	मैसूर यूनि०, मैसूर	मु.का.	80.00	0.00	9.36	1.69	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	152.10
		क्षे.का.	369.01	302.85	69.58	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.92
8	राजीव गांधी यूनि० ऑफ हेल्थ साइंस	मु.का.	0.00	0.00	0.93	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.53
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	विश्वेश्वरैया टैक० यूनि०, बेलगाँम	मु.का.	50.00	0.00	6.23	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.55
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	मु.का.	563.00	24.60	186.27	120.62	522.66	0.00	0.00	0.00	17.41	1434.56
	कुल	क्षे.का.	2576.01	2217.41	421.94	345.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5560.54
	समग्र योग		3139.01	2242.01	608.21	465.80	522.66	0.00	0.00	0.00	17.41	6995.10
केरल												
1	कालीकट यूनि०, कोझीकोड	मु.का.	42.00	0.00	25.21	48.77	35.14	0.00	0.00	0.00	1.92	153.04
		क्षे.का.	456.76	515.25	31.05	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1076.56
2	कोच्चिन यूनि० ऑफ साइंस एण्ड टैक०, कोच्चि	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	कन्नूर यूनि०, कन्नूर	मु.का.	0.00	0.00	0.00	13.39	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.39
		क्षे.का.	144.38	175.60	10.46	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.05
4	केरल यूनि०, तिरुअनन्तापुरम	मु.का.	70.00	0.00	0.62	159.54	35.72	0.00	0.00	0.00	0.27	266.15
		क्षे.का.	285.04	428.50	109.43	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.16
5	केरल एग्री० यूनि०, थीसूर	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	महात्मा गांधी यूनि०, थीसूर	मु.का.	92.90	6.76	16.68	115.12	78.13	0.00	0.00	0.00	3.96	313.55
		क्षे.का.	374.14	355.79	64.98	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919.11
7	श्री शंकराचार्य यूनि० ऑफ संस्कृत, कलाडी	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	मु.का.	204.90	6.76	42.51	336.82	162.99	0.00	0.00	0.00	6.15	760.13
	कुल	क्षे.का.	1260.32	1475.14	215.92	308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3259.88
	समग्र योग		1465.22	1481.90	258.43	645.32	162.99	0.00	0.00	0.00	6.15	4020.01
मध्य प्रदेश												
1	अब्धेश प्रताप सिंह यूनि०, रीवा	मु.का.	10.00	0.00	0.83	9.70	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.53
		क्षे.का.	185.05	180.00	42.15	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.57
2	बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	मु.का.	40.00	5.27	5.08	34.83	14.94	0.00	0.00	0.00	0.17	100.29
		क्षे.का.	420.56	190.94	90.02	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.42
3	नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट, भोपाल	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्र-1	क्षेत्र-2	क्षेत्र-3	क्षेत्र-4	क्षेत्र-5	क्षेत्र-6	क्षेत्र-7	क्षेत्र-8	क्षेत्र-9	कुल क्षेत्र 1 से 9 तक
4	एम.पी. भोज ओपन यूनि०, भोपाल	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	एम.जी. चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, भोपाल	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	देवी अहिल्या यूनि०, इन्दौर	मु.का.	0.00	0.00	0.62	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12	5.83
		क्षे.का.	307.50	207.20	2.29	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.37
7	डॉ० हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर	मु.का.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
		क्षे.का.	245.14	162.84	66.94	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.61
8	जीवाजी यूनि०, ग्वालियर	मु.का.	0.00	0.00	0.00	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.52
		क्षे.का.	298.80	173.25	68.48	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.81
9	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, भोपाल	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	मु.का.	102.00	0.00	35.18	8.41	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.59
		क्षे.का.	365.64	114.76	91.89	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.31
11	विक्रम यूनि०, उज्जैन	मु.का.	0.00	0.00	0.00	3.38	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38
		क्षे.का.	256.89	79.87	0.30	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.60
	कुल	मु.का.	162.00	5.27	41.71	80.93	36.94	0.00	0.00	0.00	3.29	330.14
	कुल	क्षे.का.	2079.58	1108.86	362.07	253.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3803.69
	समग्र योग		2241.58	1114.13	403.78	334.11	36.94	0.00	0.00	0.00	3.29	4133.83
महाराष्ट्र												
1	एस.जी.बी. अमरावती यूनि०, अमरावती	मु.का.	58.00	4.60	85.97	31.82	188.97	0.00	0.00	0.00	8.22	377.58
		क्षे.का.	566.08	973.33	10.40	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1660.11
2	मुम्बई यूनि०, मुम्बई	मु.का.	168.00	0.00	95.24	70.47	120.94	0.00	0.00	0.00	5.54	460.19
		क्षे.का.	911.89	336.13	40.08	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1354.33
3	डॉ० बी.आर. अम्बेडकर यूनि०, मराठवाड़ा, औरंगाबाद	मु.का.	68.00	2.16	1.10	48.60	173.53	0.00	0.00	0.00	2.67	296.06
		क्षे.का.	495.58	567.89	5.25	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1129.86
4	डॉ० बाबा साहेब टैक० यूनि०, लोनिथर	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	आर.टी.एम. नागपुर यूनि०, नागपुर	मु.का.	60.00	6.76	38.44	14.85	88.52	0.00	0.00	0.00	1.39	209.96
		क्षे.का.	660.91	396.86	5.80	108.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1171.59
6	नार्थ महाराष्ट्र यूनि०, जलगाँव	मु.का.	144.00	0.00	33.52	21.39	135.56	0.00	0.00	0.00	6.84	341.31
		क्षे.का.	302.39	433.85	4.97	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.78
7	पुणे यूनि०, पुणे	मु.का.	144.00	0.00	40.60	155.28	160.46	0.00	0.00	0.00	3.42	503.76
		क्षे.का.	891.72	1075.43	75.04	129.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2171.85
8	एस.एन.डी.टी. वीमेन यूनि०, मुम्बई	मु.का.	0.00	0.00	52.13	0.94	32.91	0.00	0.00	0.00	2.50	88.48
		क्षे.का.	110.96	0.00	5.27	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.62
9	शिवाजी यूनि०, कोल्हापुर	मु.का.	0.00	0.00	31.08	46.08	280.00	0.00	0.00	0.00	13.75	370.91
		क्षे.का.	755.14	731.07	44.64	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1605.41
10	स्वामी आर.टी.एम. यूनि०, नांदेड	मु.का.	210.00	0.00	105.75	55.72	129.96	0.00	0.00	0.00	10.02	511.45
		क्षे.का.	422.21	840.11	1.19	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1326.30
11	शोलापुर यूनिवर्सिटी	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	7.00	184.63	0.50	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.47

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्र-1	क्षेत्र-2	क्षेत्र-3	क्षेत्र-4	क्षेत्र-5	क्षेत्र-6	क्षेत्र-7	क्षेत्र-8	क्षेत्र-9	कुल क्षेत्र 1 से 9 तक
	कुल	मु.का.	852.00	13.52	483.83	445.15	1310.85	0.00	0.00	0.00	54.35	3159.70
	कुल	क्षे.का.	5123.88	5539.30	193.14	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11542.32
	समग्र योग		5975.88	5552.82	676.97	1131.15	1310.85	0.00	0.00	0.00	54.35	14702.02
उड़ीसा												
1	बेरहामपुर यूनि०, बेरहामपुर	मु.का.	110.00	0.00	0.00	8.78	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	132.83
		क्षे.का.	221.70	339.20	74.24	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.96
2	फकीर मोहन यूनि०, बालासोर	मु.का.	34.00	0.00	35.00	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	81.10
		क्षे.का.	198.67	178.21	16.00	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.98
3	रेवनशाह यूनि०, कटक	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	सम्बलपुर यूनि०, सम्बलपुर	मु.का.	30.00	0.00	0.00	12.60	39.75	0.00	0.00	0.00	4.08	86.43
		क्षे.का.	357.93	477.72	51.68	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.27
5	श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	नार्थ उड़ीसा यूनि०, बारीपाडा	मु.का.	0.00	0.00	0.00	1.41	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21
		क्षे.का.	184.55	377.52	11.70	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.49
7	उत्कल यूनि०, भुवनेश्वर	मु.का.	20.00	0.00	1.62	32.57	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	97.37
		क्षे.का.	720.41	729.97	100.13	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1620.39
	कुल	मु.का.	194.00	0.00	36.62	62.46	98.78	0.00	0.00	0.00	9.08	400.94
	कुल	क्षे.का.	1683.26	2102.62	253.75	137.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4177.09
	समग्र योग		1877.26	2102.62	290.37	199.92	98.78	0.00	0.00	0.00	9.08	4578.03
पंजाब												
1	गुरु नानकदेव यूनि०, अमृतसर	मु.का.	525.88	147.50	90.66	57.86	76.86	0.00	0.00	0.00	23.24	922.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	पंजाब यूनि०, चण्डीगढ़	मु.का.	514.98	399.64	53.13	60.67	211.27	0.00	0.00	0.00	7.33	1247.02
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	पंजाब एग्री० यूनि०, लुधियाना	मु.का.	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	पंजाबी यूनि०, पटियाला	मु.का.	273.11	156.50	30.00	11.19	99.84	0.00	0.00	0.00	0.20	570.84
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	मु.का.	1313.97	703.64	174.36	129.72	387.97	0.00	0.00	0.00	30.77	2740.43
	कुल	क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		1313.97	703.64	174.36	129.72	387.97	0.00	0.00	0.00	30.77	2740.43
राजस्थान												
1	बीकानेर यूनिवर्सिटी	मु.का.	48.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1.92	61.92
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	जयनारायन व्यास यूनि०, जोधपुर	मु.का.	0.00	0.00	0.00	3.24	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66
		क्षे.का.	26.96	0.00	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.84
3	जे.आर.एन. राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	मोहनलाल सुखाड़िया यूनि०, उदयपुर	मु.का.	0.00	0.00	0.00	7.08	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74
		क्षे.का.	191.12	59.51	14.05	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.72

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्र-1	क्षेत्र-2	क्षेत्र-3	क्षेत्र-4	क्षेत्र-5	क्षेत्र-6	क्षेत्र-7	क्षेत्र-8	क्षेत्र-9	कुल क्षेत्र 1 से 9 तक
5	महर्षि दयानन्द सरस्वती यूनि०, अजमेर	मु.का.	0.00	4.60	3.35	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.10
		क्षे.का.	603.36	534.68	75.38	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1303.92
6	राजस्थान यूनि०, जयपुर	मु.का.	56.00	0.00	1.55	59.31	18.07	0.00	0.00	0.00	3.20	138.13
		क्षे.का.	517.45	364.97	95.93	125.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1103.75
7	कोटा यूनिवर्सिटी	मु.का.	0.00	0.00	0.98	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.95
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	मु.का.	104.00	4.60	5.88	95.75	31.15	0.00	0.00	0.00	5.12	246.50
	कुल	क्षे.का.	1338.89	959.16	185.36	239.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2723.23
	समग्र योग		1442.89	963.76	191.24	335.57	31.15	0.00	0.00	0.00	5.12	2969.73
तमिलनाडू												
1	अलगप्पा यूनि०, कराई कुडी	मु.का.	20.00	0.00	40.79	21.83	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	83.42
		क्षे.का.	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19
2	अन्ना यूनि०, चेन्नई	मु.का.	0.00	0.00	0.00	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.17
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	अन्ना मलाई यूनि०, अन्ना मलाई नगर	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	भरथियार यूनि०, कोयम्बटूर	मु.का.	380.00	6.42	6.74	163.06	53.74	0.00	0.00	0.00	3.89	613.85
		क्षे.का.	109.41	208.03	252.77	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.89
5	भारतीदासन यूनि०, तिरुचिरापल्ली	मु.का.	232.00	4.60	3.30	46.72	38.02	0.00	0.00	0.00	11.18	335.82
		क्षे.का.	140.39	93.32	256.60	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.33
6	मद्रास यूनि०, चेन्नई	मु.का.	326.90	7.00	13.34	120.96	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	542.69
		क्षे.का.	298.96	87.65	0.00	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.27
7	मदुराई कामराज यूनि०, मदुराई	मु.का.	308.00	11.60	11.46	103.72	70.59	0.00	0.00	0.00	4.49	509.86
		क्षे.का.	202.10	437.21	331.58	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1021.26
8	मनोनमनीयम सुन्दरनार यूनि०, तिरुनेलवेल्ली	मु.का.	116.00	4.60	3.04	49.03	57.81	0.00	0.00	0.00	2.34	232.82
		क्षे.का.	157.27	346.84	282.65	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.25
9	मदर टेरेसा वीमेन्स यूनि०, कोडईकनाल	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	तमिल यूनि०, थंजावुर	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	थिरुवल्लुर यूनिवर्सिटी	मु.का.	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87	45.87
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	डॉ० एम.जी.आर. यूनिवर्सिटी	मु.का.			2.38							2.38
		क्षे.का.										0.00
13	तमिलनाडू एग्री० यूनि०, कोयम्बटूर	मु.का.										0.00
		क्षे.का.	4.58	0.00	39.46	0.00						44.04
14	पेरियार यूनि०, सेलम	मु.का.	20.00	0.00	0.24	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	20.68
		क्षे.का.	48.15	30.00	195.86	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.06
	कुल	मु.का.	1442.90	34.22	81.29	527.88	295.45	0.00	0.00	0.00	27.82	2409.56
	कुल	क्षे.का.	964.05	1203.05	1358.92	251.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3777.29
	समग्र योग		2406.95	1237.27	1440.21	779.15	295.45	0.00	0.00	0.00	27.82	6186.85

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्र-1	क्षेत्र-2	क्षेत्र-3	क्षेत्र-4	क्षेत्र-5	क्षेत्र-6	क्षेत्र-7	क्षेत्र-8	क्षेत्र-9	कुल क्षेत्र 1 से 9 तक
त्रिपुरा												
1	त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, अगरतला	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश												
1	बुन्देलखण्ड यूनि०, झाँसी	मु.का.	97.24	0.00	0.00	2.60	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.84
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	मु.का.	375.81	15.50	36.64	77.43	26.85	0.00	0.00	0.00	5.66	537.89
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	डॉ० राम मनोहर लोहिया अक्व यूनि०, फैजाबाद	मु.का.	453.89	55.52	0.73	42.84	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00	651.33
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	डॉ० भीमराव अम्बेडकर यूनि०, आगरा	मु.का.	270.55	34.00	15.18	73.52	26.35	0.00	0.00	0.00	0.42	420.02
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	डी.डी.यू. गोरखपुर यूनि०, गोरखपुर	मु.का.	192.69	57.50	0.00	25.88	47.75	0.00	0.00	0.00	7.41	331.23
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	छत्रपति शाहू जी महाराज यूनि०, कानपुर	मु.का.	457.56	57.50	13.43	149.19	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	691.73
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	जगद्गुरु राममद्राचार्य हैण्डीकेंद्र यूनि०	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	एम.जी. काशी विद्यापीठ, वाराणसी	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	लखनऊ यूनि०, लखनऊ	मु.का.	96.14	70.00	0.98	12.60	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	199.40
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	वी.वी.एस. पूर्वांचल यूनि०, जौनपुर	मु.का.	345.69	52.24	1.18	36.60	54.35	0.00	0.00	0.00	8.46	498.52
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	एम.जे.पी. रुहेलखण्ड यूनि०, बरेली	मु.का.	174.05	0.00	0.00	34.54	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	242.94
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	एस. संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	मु.का.	135.48	89.12	0.00	12.26	122.65	0.00	0.00	0.00	0.00	359.51
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	मु.का.	2599.10	431.38	68.14	467.46	465.38	0.00	0.00	0.00	21.95	4053.41
	कुल	क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		2599.10	431.38	68.14	467.46	465.38	0.00	0.00	0.00	21.95	4053.41
उत्तरांचल (उत्तराखण्ड)												
1	एच.एन.बी. गढ़वाल यूनि०, श्रीनगर	मु.का.	99.25	53.00	2.95	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	179.56
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	कुमाऊँ यूनि०, नैनीताल	मु.का.	61.78	40.00	0.00	8.83	5.67	0.00	0.00	0.00	0.96	117.24
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	जी.बी.पंत एग्रीकल्चरल यूनि०, पंतनगर	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	मु.का.	161.03	93.00	2.95	32.40	5.67	0.00	0.00	0.00	1.75	296.80
	कुल	क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		161.03	93.00	2.95	32.40	5.67	0.00	0.00	0.00	1.75	296.80

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्र-1	क्षेत्र-2	क्षेत्र-3	क्षेत्र-4	क्षेत्र-5	क्षेत्र-6	क्षेत्र-7	क्षेत्र-8	क्षेत्र-9	कुल क्षेत्र 1 से 9 तक
पश्चिम बंगाल												
1	गौर बंग यूनिवर्सिटी	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	97.57	49.56	0.86	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.23
2	बंगाल इंजीनियरिंग एण्ड साइंस यूनि०,	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	बिधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	वर्द्धमान यूनि०, वर्द्धमान	मु.का.	0.00	0.00	2.34	6.08	27.70	0.00	0.00	0.00	0.80	36.92
		क्षे.का.	583.84	576.82	6.87	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1225.93
5	कोलकाता यूनि०, कोलकाता	मु.का.	68.24	4.60	96.61	57.52	36.54	0.00	0.00	0.00	0.05	263.56
		क्षे.का.	802.88	402.52	82.77	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1381.45
6	जादवपुर यूनि०, कोलकाता	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	4.99	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17
7	कल्याणी यूनि०, कल्याणी	मु.का.	0.00	0.00	0.77	2.19	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.96
		क्षे.का.	217.00	241.35	0.09	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.54
8	नार्थ बंगाल यूनि०, दार्जिलिंग	मु.का.	0.00	6.76	0.00	21.60	5.00	0.00	0.00	0.00	0.83	34.19
		क्षे.का.	242.32	177.28	8.63	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.93
9	रविन्द्र भारती यूनि०, कोलकाता	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
10	वेस्ट बंगाल यूनि० ऑफ एनीमल एण्ड फिशरीज साइंस, कोलकाता	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	वेस्ट बंगाल यूनि० ऑफ टेक०	मु.का.										0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.92						0.92
12	वेस्ट बंगाल स्टेट	मु.का.										0.00
		क्षे.का.	252.76	299.11	18.99	17.11						587.97
13	विद्यासागर यूनिवर्सिटी, मिदनापुर	मु.का.	0.00	4.60	0.00	7.91	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.51
		क्षे.का.	247.71	311.64	1.73	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.80
	कुल	मु.का.	68.24	15.96	99.72	95.30	97.24	0.00	0.00	0.00	1.68	378.14
	कुल	क्षे.का.	2451.07	2058.28	119.94	215.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4844.94
	समग्र योग		2519.31	2074.24	219.66	310.95	97.24	0.00	0.00	0.00	1.68	5223.08
	समग्र योग	मु.का.	12787.19	1897.00	1868.01	3372.24	4655.38	0.00	2.30	0.00	241.85	24823.97
	समग्र योग	क्षे.का.	26851.25	23735.58	3792.05	3144.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57523.20
	कुल		39638.44	25632.58	5660.06	6516.56	4655.38	0.00	2.30	0.00	241.85	82347.17

परिशिष्ट—XVIII (जारी)

सारांश (योजनागत) 2008—09

(रूपये लाख में)

	सेक्टर-1 पूर्ण योग में वृद्धि	सेक्टर-2 अश्वारिता	सेक्टर-3 गुणवत्ता और उत्कृष्टता	सेक्टर-4 अनुसंधान परियोजनाएं	सेक्टर-5 संगतता एवं मूल्याधारित शिक्षा	सेक्टर-6 आई.सी.टी. समेकन	सेक्टर-7 शासन एवं कार्यक्षमता सुधार	सेक्टर-8 नई योजनाएं	सेक्टर-9 10वीं योजना की प्रतिबद्ध देयताएं	सेक्टर-10 एवं 11 अंश/ अजला के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	कुल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
विश्वविद्यालय											
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	मु.का. 147440.18	51.83	2675.27	1200.70	284.13	32.00	29.19	0.00	56.92		151770.22
	क्षे.का. 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
समविश्वविद्यालय	मु.का. 11533.31	50.99	625.87	466.43	130.16	66.40	122.31	0.00	132.04		13127.51
	क्षे.का. 0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.60
राज्य विश्वविद्यालय	मु.का. 41509.17	281.19	8805.80	5071.90	831.84	453.12	114.77	0.00	145.498		58522.77
	क्षे.का. 0.00	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.43
अंतर विश्वविद्यालय	5.74	0.00	4061.72	0.00	0.00	5700.00	0.00	0.00	0.00		9767.46
विश्वविद्यालयेतर संस्थान	0.00	0.00	0.00	21.45	0.00	0.00	71.80	0.00	0.00		93.25
कुल	200488.40	384.01	16168.66	6760.48	1246.13	6251.52	338.07	0.00	1643.94		233281.21
	क्षे.का. 0.00	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.03
कुल विश्वविद्यालय	200488.40	384.01	16173.69	6760.48	1246.13	6251.52	338.07	0.00	1643.94		233286.24
कॉलेज											
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	मु.का. 1027.51	235.07	192.26	363.00	213.72	0.00	2.30	0.00	14.80		2048.66
	क्षे.का. 1026.54	775.29	39.81	103.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1945.03
राज्य विश्वविद्यालय	मु.का. 11759.68	1661.93	1675.75	3009.24	4441.66	0.00	0.00	0.00	227.05		22775.31
	क्षे.का. 25824.71	22960.29	3752.24	3040.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55578.17
विश्वविद्यालयेतर संस्थान											0.00
कुल	12787.19	1897.00	1868.01	3372.24	4655.38	0.00	2.30	0.00	241.85		24823.97
	क्षे.का. 26851.25	2373.58	3792.05	3144.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57523.20
कुल कॉलेज	39638.44	25632.58	5660.06	6516.56	4655.38	0.00	2.30	0.00	241.85		82347.17
समग्र योग विश्वविद्यालय एवं कॉलेज	240126.84	26016.59	21833.75	13277.04	5901.51	6251.52	340.37	0.00	1885.79		315633.41
स्थापना	0.00	1.26	22.18	0.00	0.00	0.00	111.15	0.00	0.00		134.59
समग्र योग	240126.84	26017.85	21855.93	13277.04	5901.51	6251.52	451.52	0.00	1885.79		315768.00

**राजीव गांधी अध्येतावृत्ति विवरण विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत राज्यवार
महाविद्यालयों को प्रदत्त अनुदान : 10(a), 10(b)**

राज्यवार	10(a)	10(b)	कुल
	1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश आन्ध्रा यूनिवर्सिटी, आन्ध्रा ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	250000 150000	— 150000	250000
कुल	250000	150000	400000
2. आसाम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी	440000	250000	690000
कुल	440000	250000	690000
3. बिहार पटना यूनिवर्सिटी, पटना मगध यूनिवर्सिटी, बोध गया जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, छपरा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर एल.एन. मिथिला यूनिवर्सिटी, दरभंगा	710000 1100000 350000 550000 250000	— — — — —	710000 1100000 350000 550000 250000
कुल	2960000	—	2960000
4. दिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली	690000	—	690000
कुल	690000	—	690000
5. छत्तीसगढ़ गुरु घासीदास, यूनिवर्सिटी, बिलासपुर	440000	150000	590000
कुल	440000	150000	590000
6. गुजरात साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, सूरत नार्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, पाटन	1010000 630000	650000 —	1660000 630000
कुल	1640000	650000	2290000
7. हरियाणा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र	250000	—	250000
कुल	250000	—	250000
8. कर्नाटक बंगलौर यूनिवर्सिटी, बंगलौर	250000	—	250000
कुल	250000	—	250000
9. केरल कन्नूर यूनिवर्सिटी, कन्नूर केरल यूनिवर्सिटी, तिरुवन्नतपुरम महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, कोट्टायम	50000 50000 440000	— — —	50000 50000 440000
कुल	540000	—	540000

राज्यवार	10(a)	10(b)	कुल
	1	2	3
10. मध्य प्रदेश			
विक्रम यूनिवर्सिटी, उज्जैन	430000	—	430000
अवधेश प्रताप यूनिवर्सिटी,	1260000	250000	1510000
देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, इंदौर	2000000	2800000	4800000
जीवाजी यूनिवर्सिटी	1380000	—	1380000
बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, भोपाल	3315794	—	3315794
डॉ0 एच.एस. गौड़ यूनिवर्सिटी	250000	—	250000
कुल	8635794	3050000	11685794
11. महाराष्ट्र			
स्वामी रामनंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, नांदेड़	3000000	950000	3950000
शिवाजी यूनिवर्सिटी, कोल्हापुर	380000	—	380000
डॉ0 बाबा साहेब मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी	1590000	400000	1990000
अमरावती यूनिवर्सिटी, अमरावती	2510000	250000	2760000
नार्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जलगाँव	690000	—	690000
नागपुर यूनिवर्सिटी, नागपुर	4230000	—	4230000
पुणे यूनिवर्सिटी, पुणे	820000	800000	1620000
मुम्बई यूनिवर्सिटी, मुम्बई	—	450000	450000
कुल	13220000	2850000	16070000
12. मणिपुर			
मणिपुर यूनिवर्सिटी, मणिपुर	—	300000	300000
कुल	—	300000	300000
13. नागालैण्ड			
नागालैण्ड यूनिवर्सिटी, नागालैण्ड	-	300000	300000
कुल	-	300000	300000
14. उड़ीसा			
सम्बलपुर यूनिवर्सिटी, सम्बलपुर	190000	750000	940000
बेरहामपुर यूनिवर्सिटी, बेरहामपुर	190000	—	190000
उत्कल यूनिवर्सिटी, उत्कल	250000	250000	500000
कुल	630000	1000000	1630000
15. राजस्थान			
राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर	500000	650000	1150000
महर्षि दयानन्द सरस्वती यूनिवर्सिटी, जयपुर, अजमेर	4297349	3084500	7381849
कोटा यूनिवर्सिटी, कोटा	1010000	1450000	2460000
मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी	380000	—	380000
बीकानेर यूनिवर्सिटी, बीकानेर	1770000	300000	2070000
कुल	7957349	5484500	13441849
16. तमिलनाडू			
भारतीदासन यूनिवर्सिटी	4001000	250000	4251000
मनोमनीयम सुन्दरनार यूनिवर्सिटी	250000	—	250000
मद्रास यूनिवर्सिटी, चेन्नई	1710000	3350000	5060000
मुदराई कामराज यूनिवर्सिटी, मुदराई	3130000	—	3130000
भरथियार यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर	1510000	—	1510000
कुल	10601000	3600000	14201000

राज्यवार		10(a)	10(b)	कुल
		1	2	3
17.	उत्तर प्रदेश			
	चौ० चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मेरठ	15287177	150000	15437177
	बी.बी.एस. पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, जौनपुर	1834008	—	1834008
	एम.जे.पी. रुहेलखण्ड यूनिवर्सिटी, राय बरेली	10811082	—	10811082
	बुन्देलखण्ड यूनिवर्सिटी, झाँसी	1009020	—	1009020
	छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, कानपुर	1620000	—	1620000
	आर.एम.एल. अवध यूनिवर्सिटी, फैजाबाद	1170000	—	1170000
	डॉ० बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	2810000	250000	3060000
	दीन दयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, गोरखपुर	500000	—	500000
	कुल	35041287	400000	35441287
18.	उत्तरांचल			
	एच.एन.बी. गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर	1140000	550000	1690000
	कुमाऊँ यूनिवर्सिटी, नैनीताल	190000	—	190000
	कुल	1330000	550000	1880000
19.	पश्चिम बंगाल			
	विद्यासागर यूनिवर्सिटी, मिदनापुर	190000	—	190000
	नार्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, दार्जिलिंग	250000	900000	1150000
	वर्द्धमान यूनिवर्सिटी, वर्द्धमान	250000	—	250000
	कुल	690000	900000	1590000
	समग्र योग	85565430	19634500	105199930

राजीव गांधी गैर संस्थागत अध्येतावृत्तियों का राज्यवार सारांश – विभिन्न महाविद्यालयों को विभिन्न शीर्षो 11(a) 11 (b) के अन्तर्गत दिया गया अनुदान

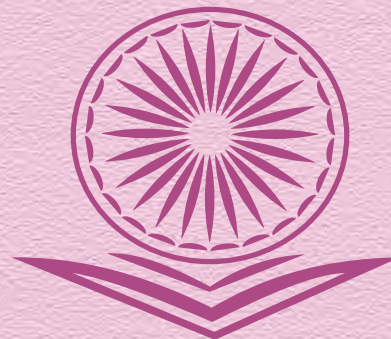
राज्यवार	11(a)	11(b)	कुल
	1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश			
1. दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद	340000	—	340000
2. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, (आन्ध्र प्रदेश)	250000	—	250000
कुल	590000	—	590000
2. बिहार			
1. डी०ए०वी० कॉलेज, बिहार	280000	—	280000
कुल	280000	—	280000
3. छत्तीसगढ़			
1. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय	250000	—	250000
2. प० सुन्दर लाल शर्मा (ओपन यूनिवर्सिटी), बिलासपुर, छत्तीसगढ़	250000	—	250000
कुल	500000	—	500000
4. गुजरात			
1. डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, गुजरात	750000	—	750000
2. एस.के. स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, पाटन, गुजरात	190000	—	190000
3. श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी, जूनागढ़	190000	—	190000
4. सरदार कुशीनगर बण्टीवाला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, गुजरात	190000	—	190000
5. एल.एम. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, (गुजरात)	190000	—	190000
6. सरदार पटेल सेंटर फॉर साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, आनन्द, (गुजरात)	250000	—	250000
7. के.एस.के.बी. कच्छ यूनिवर्सिटी, भुज, कच्छ, (गुजरात)	250000	—	250000
8. आनन्द एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, आनन्द (गुजरात)	—	400000	400000
9. ए.एस.पी.ई.ई. कॉलेज ऑफ हॉर्टीकल्चर एण्ड फॉरेस्ट्री, मसौरी	—	250000	250000
कुल	2010000	650000	2660000
5. हरियाणा			
1. इन्डियन डिग्री कॉलेज, लाहारू, भिवानी	190000	—	190000
कुल	190000	—	190000
6. हिमाचल प्रदेश			
1. डॉ० वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टीकल्चर एण्ड फॉरेस्ट्री, हिमाचल प्रदेश	250000	—	250000
कुल	250000	—	250000

राज्यवार		11(a)	11(b)	कुल
7.	कर्नाटक			
	1. वेटरिनरी कॉलेज हेबल,	190000	150000	340000
	2. सेंट्रल सेरीकल्चर रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मैसूर	190000	—	190000
	3. कुवेम्पू यूनिवर्सिटी, धारवाड़	950000	300000	1250000
	4. इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, मैसूर (कर्नाटक)	280000	—	280000
	5. टीशू सेंटर एण्ड बायोटेक्नोलॉजी सेंटर, मैसूर	250000	—	250000
	6. कॉलेज ऑफ फिशरीज, मैंगलोर, कर्नाटक	250000	—	250000
	7. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्डियन लैंग्वेज, मैसूर	—	450000	450000
	कुल	2110000	900000	3010000
8.	केरल			
	1. सेंटर फॉर मेडिशिनल प्लांट्स रिसर्च, केरल	190000	—	190000
	2. चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिशिनल साइंसिज एण्ड टेक्नोलॉजी, केरल	200000	—	200000
	3. केरल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, केरल	300000	—	300000
	कुल	690000	-	690000
9.	मध्य प्रदेश			
	1. बाबा साहेब अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, मऊ, इंदौर, (मध्य प्रदेश)	750000	250000	1000000
	2. इन्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन मैनेजमेंट	300000	—	300000
	3. राजीव गांधी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी,	50000	—	50000
	4. माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रिका नेशनल यूनिवर्सिटी	190000	—	190000
	5. मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एण्ड रिसर्च	190000	—	190000
	6. एस.एम.एस. गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज, ग्वालियर	140000	—	140000
	7. बेहरीलाल पटीदार गवर्नमेंट पी.जी. कॉलेज, इंदौर	190000	—	190000
	8. बी.एस.एम. गवर्नमेंट (पी.जी.) कॉलेज, शरनपुर	140000	—	140000
	9. महारानी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एम.पी.	300000	—	300000
	कुल	2250000	250000	2500000
10.	महाराष्ट्र			
	1. प्रो० रामकृष्णन मोरे आर्ट्स कामर्स एण्ड साइंस कॉलेज, अकूडी	1350000	—	1350000
	2. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुम्बई	50000	400000	450000
	3. इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन लैंग्वेज्स एण्ड लिटरेचर, अम्बेजोगई, जिला-बीड	250000	—	250000
	4. सिद्धेश्वरी आर्ट एण्ड साइंस कॉलेज, बीड	400000	—	400000
	5. आर.सी. पटेल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जिला-धुले	690000	—	690000
	6. अथवाडा कॉलेज ऑफ सोशल वर्क, चंदापुर	8310000	650000	8960000
	7. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पूणे	190000	—	190000

राज्यवार		11(a)	11(b)	कुल
	8. श्रीमती के.एस.के. कॉलेज, बीड	190000	—	190000
	9. एस.एन.डी.टी. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पुणे	250000	—	250000
	10. मुन्दा कामर्स कॉलेज, अमरावती	250000	—	250000
	11. कॉलेज ऑफ वेटरिनरी एनीमल साइंस, परभणी	250000	—	250000
	12. गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, औरंगाबाद	250000	—	250000
	13. डॉ० पंजाबराव देशमुख इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी एण्ड रिसर्च, नागपुर	250000	—	250000
	14. शोलापुर यूनिवर्सिटी, शोलापुर	250000	—	250000
	15. सर सैयद कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एण्ड कामर्स, औरंगाबाद	140000	—	140000
	16. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, मुम्बई	—	600000	600000
	17. के.एस. वानी मराठी एडवांसड स्टडीज सेंटर	—	150000	150000
	18. एन.ई.एस. साइंस कॉलेज, नांदेड	—	50000	50000
	19. के.वी. पेंडर कॉलेज, ठाणे	—	50000	50000
	20. मराठवाडा इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज एण्ड रिसर्च, परभणी	—	150000	150000
	कुल	13070000	2050000	15120000
11.	पंजाब			
	1. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एण्ड रिसर्च, पंजाब	—	600000	600000
	कुल	—	600000	600000
12.	राजस्थान			
	1. महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टेक्नोलॉजी, उदयपुर	3630000	5100000	8730000
	2. सेंट्रल एड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोधपुर	499729	—	499729
	3. कोटा यूनिवर्सिटी, कोटा	1070000	700000	1770000
	4. यूनिवर्सिटी ऑफ बीकानेर,	750000	400000	1150000
	5. एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोधपुर	250000	—	250000
	6. जगद्गुरु रामाचार्य राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी, जयपुर	250000	—	250000
	7. जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर	750000	—	750000
	8. एम.एल. श्रमजीवी कॉलेज, उदयपुर	—	150000	150000
	कुल	7199729	6350000	13549729
13.	तमिलनाडु			
	1. विवेकानन्द कॉलेज ऑफ आर्ट्स एण्ड साइंस फॉर वीमेन	400000	—	400000
	2. एग्रीकल्चर कॉलेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट	380000	—	380000
	3. कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग	190000	—	190000
	4. इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिकल एण्ड ट्री-ब्रीडिंग	300000	—	300000

राज्यवार		11(a)	11(b)	कुल
	5. एस.एन. कॉलेज फॉर मैनेजमेंट	140000	—	140000
	6. दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, चेन्नई	750000	—	750000
	7. सलीम अली सेंटर फॉर मैथोलॉजी एण्ड नेशनल हिस्ट्री, कोयम्बटूर	—	250000	250000
	8. सी.पी. रामास्वामी अय्यर इंस्टीट्यूट ऑफ इण्डोलॉजिकल रिसर्च	—	150000	150000
	9. तमिलनाडु टेक्नोलॉजिकल सेमीनार, अरागाडी, मद्रास	—	250000	250000
	10. पेरियार मनीअम्माई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी	—	250000	250000
	कुल	2160000	400000	2560000
14.	उत्तर प्रदेश			
	1. इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर, लखनऊ	340000	—	340000
	2. जे.के. इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स एण्ड टेक्नोलॉजी	190000	—	190000
	3. सी.एस.एम. मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ	950000	—	950000
	4. मंगलायतन यूनिवर्सिटी	550000	—	550000
	5. बुन्देलखण्ड यूनिवर्सिटी, झांसी	250000	—	250000
	4. पी.जी. कॉलेज, पट्टी	140000	—	140000
	5. सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टेक्नोलॉजी, मेरठ	1250000	—	1250000
	6. एल.बी.एस. पी.जी. कॉलेज, गौंडा	140000	—	140000
	7. यू.पी. राजर्षि टण्डन ओपन यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद	250000	—	250000
	8. इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स म्यूजियोलॉजी यूनिवर्सिटी, अलीगढ़	140000	—	140000
	9. इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, वाराणसी	1120000	—	1120000
	10. संजय गांधी पी.जी. इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, लखनऊ	250000	—	250000
	11. श्री अग्रसेन गर्ल्स डिग्री कॉलेज, वाराणसी	140000	—	140000
	12. इन्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कानपुर	250000	—	250000
	13. डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस	—	300000	300000
	कुल	5960000	300000	6260000
15.	उत्तरांचल			
	1. इन्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रुड़की	250000	—	250000
	2. वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून	—	250000	250000
	3. फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून	50000	—	50000
	कुल	300000	250000	550000

राज्यवार		11(a)	11(b)	कुल
16.	पश्चिम बंगाल			
	1. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर	250000	—	250000
	2. पल्ली शिक्षा धनु इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, शांतिनिकेतन	250000	—	250000
	कुल	500000	—	500000
17.	दिल्ली			
	1. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली	200000	—	200000
	2. नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, नई दिल्ली	274935	—	274935
	3. दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली	140000	300000	440000
	4. नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्स, नई दिल्ली	—	300000	300000
	कुल	614935	600000	1214935
	समग्र योग	3,21,74,664	1,31,00,000	4,52,74,664



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये